



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 660]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 21, 2016/भाद्र 30, 1938

No. 660]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 21, 2016/BHADRA 30, 1938

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2016

सा.का.नि. 898(अ).—केंद्रीय सरकार, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) की धारा 110 की उप-धारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदर्श नियम बनाती है, अर्थात् :-

अध्याय - 1

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 है।
(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. **परिभाषाएं.**— (1) जब तक इन नियमों में संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (i) “अधिनियम” से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) अभिप्रेत है;
 - (ii) “प्राधिकरण” से अधिनियम की धारा 68 के अधीन गठित केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण अभिप्रेत है;
 - (iii) “मामला कार्यकर्ता” से रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक या गैर-सरकारी संगठन का ऐसा प्रतिनिधि अभिप्रेत है, जो कि बालक के साथ बोर्ड या समिति के समक्ष जाएगा और ऐसे कार्य करेगा, जो कि बोर्ड या समिति द्वारा उसे सौंपे जाएं;
 - (iv) “बालदत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली” से ऐसी ऑनलाइन प्रणाली अभिप्रेत है, जो कि दत्तकग्रहण कार्यक्रम में सहायता करे व उस कार्यक्रम की निगरानी करे;
 - (v) “बालअध्ययन रिपोर्ट” से वह रिपोर्ट अभिप्रेत है, जिसमें बाल के व्यौरे जैसे, जन्म तिथि और सामाजिक पृष्ठभूमि का उल्लेख हो;
 - (vi) “समुदाय सेवा” से विधि का उल्लंघन करने वाले चौदह वर्ष से अधिक आयु के बालकों द्वारा समाज को प्रदान की जाने वाली सेवा अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत उद्यानों का रखरखाव, वृद्धों की सेवा, स्थानीय अस्पताल या परिचर्या गृह की सहायता करने, विकलांग बच्चों की सेवा करने, यातायात स्वयंसेवियों के रूप में कार्य करने इत्यादि जैसे कार्यकलाप भी हैं।



- (vii) “प्ररूप” से इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप अभिप्रेत हैं;
- (viii) “गृह अध्ययन रिपोर्ट” से ऐसी रिपोर्ट अभिप्रेत है, जिसमें भावी दत्तकग्रहण करने वाले माता-पिता या पालक माता-पिता के व्यौरे का उल्लेख हो और इस व्यौरे में सामाजिक और आर्थिक स्थिति, पारिवारिक पृष्ठभूमि, घर का विवरण और माहौल, तथा स्वास्थ्य की स्थिति शामिल होंगे;
- (ix) “व्यक्तिगत देखरेख योजना” किसी बालक के लिए ऐसी व्यापक विकास योजना है, जो उस बालक की आयु और लिंग-विशिष्ट आवश्यकताओं तथा उस बालक के मामले के पूर्ववृत्त पर आधारित हो, जिसे बालक का खोया आत्मसम्मान, गरिमा और स्वाभिमान लौटाने और उसे जिम्मेदार नागरिक बनाने के उद्देश्य से बालक के साथ परामर्श करके तैयार किया गया हो और तदनुसार इस योजना में बालक की निम्नलिखित आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी जिसकी कोई सीमा नहीं होगी अर्थात्-
- (क) स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताएं, जिसके अंतर्गत कोई विशेष आवश्यकताएं भी हैं;
 - (ख) भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं;
 - (ग) शैक्षणिक और प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताएं;
 - (घ) अवकाश, सर्जनात्मकता और खेलकूद;
 - (ङ.) सभी प्रकार के शोषण, उपेक्षा और दुर्व्यवहार से संरक्षण;
 - (च) उद्धार और अनुवर्तन;
 - (छ) समाज की मुख्यधारा में सम्मिलित करना;
 - (ज) जीवन कौशल प्रशिक्षण।
- (x) “देश में दत्तकग्रहण” से भारत में निवास कर रहे भारत के किसी नागरिक द्वारा किसी बालक का दत्तकग्रहण अभिप्रेत है;
- (xi) “चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट” से किसी विधिवत अनुज्ञप्ति-धारी चिकित्सक द्वारा दी गई बालक की रिपोर्ट अभिप्रेत है;
- (xii) “प्रभारी व्यक्ति” से बाल देखरेख संस्था के नियंत्रण और प्रबंधन के लिए नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (xiii) “यौ.अ.बा.सं.अ.” से यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का 32) अभिप्रेत है;
- (xiv) “पुनर्वास-सह-स्थापन अधिकारी” से प्रत्येक बाल देखरेख संस्था में बच्चों के पुनर्वास के प्रयोजन के लिए अभिहित अधिकारी अभिप्रेत है;
- (xv) “चयन समिति” से इन नियमों के नियम 87 के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित समिति अभिप्रेत है;
- (xvi) “सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट” से विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालकी रिपोर्ट अभिप्रेत है, जिसमें बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा तैयार की गई बालकी पृष्ठभूमि की जानकारी का उल्लेख हो;
- (xvii) “सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट” से किसी बालक की रिपोर्ट अभिप्रेत है, जिसमें उस बालक की परिस्थितियों, आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और अन्य सुसंगत कारकों के अनुसार उसकी प्ररिस्थिति के संबंध में विस्तृत जानकारी और उन पर सिफारिशों का उल्लेख हो;
- (xviii) “सामाजिक कार्यकर्ता” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे सामाजिक कार्य या समाज-विज्ञान या मनोविज्ञान या बाल विकास में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त हो या स्नातक डिग्री और बाल शिक्षा तथा विकास या संरक्षण संबंधी मुद्दों पर कार्य का न्यूनतम सात वर्ष का अनुभव हो और जिसे बालक की सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट या व्यक्तिगत देखरेख योजना, बालअध्ययन रिपोर्ट, भावी दत्तकग्रहण करने वाले माता-पिता या पालक माता-पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने, दत्तकग्रहण के उपरांत सेवाएं प्रदान करने और अधिनियम या इन नियमों के अधीन ऐसे व्यक्ति को सौंपे गए अन्य कृत्यों का निष्पादन करने के लिए किसी बाल देखरेख संस्था द्वारा नियुक्त किया गया हो या जिला बाल संरक्षण इकाई या राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी या राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण या केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किया गया हो;

स्पष्टीकरण: इस परिभाषा के प्रयोजन के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य की अर्हताएं अधिनियम की धारा 4 के अनुसार होंगी।



(xix) “विशेष शिक्षक” का वही अर्थ होगा, जो कि यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम, 2012 में अर्थ है;

(xx) “राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी” से अधिनियम की धारा 106 के अधीन गठित सोसाइटी अभिप्रेत है;

(2) उन सभी शब्दों और पदों, जो अधिनियम में परिभाषित और प्रयुक्त हैं किंतु इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं, के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में अर्थ हैं।

अध्याय – 2

किशोर न्याय बोर्ड

3. **बोर्ड.**—राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले में एक या अधिक किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया जाएगा।

4. **किशोर न्याय बोर्ड की संरचना.**—(1) बोर्ड में एक महानगर मजिस्ट्रेट अथवा प्रथम श्रेणी का एक न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिसे कम से कम तीन वर्ष का अनुभव प्राप्त हो और उसे बोर्ड का प्रधान मजिस्ट्रेट अनिहित किया जाएगा, तथा दो सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य, जिनमें से कम से कम एक महिला होगी, न्यायपीठ का गठन करेंगे।

(2) सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों की नियुक्ति इन नियमों के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

(3) सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों की न्यूनतम आयु पैंतीस वर्ष होगी और उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य या कल्याण कार्यकलापों में बालकों के साथ कार्य करने का कम से कम सात वर्ष का अनुभव होगा या वे बाल मनोविज्ञान या मनश्चिकित्सा या समाज-विज्ञान या विधि क्षेत्र में डिग्री प्राप्त व्यवसायरत कृतिक होने चाहिएं।

(4) बोर्ड के लिए इस प्रकार चयनित दो सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य, यथासंभव, दो भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से होने चाहिएं।

(5) बोर्ड के सभी सदस्यों जिसके अंतर्गत प्रधान मजिस्ट्रेट भी हैं, को नियुक्ति की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर प्रारंभिक प्रशिक्षण प्रदान और संवेदनशील किया जाएगा।

5. **बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल.**—(1) बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य का कार्यकाल नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष से अधिक नहीं होगा।

(2) बोर्ड का सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य अधिकतम दो कार्यकालों के लिए पात्र होगा, जो कि लगातार नहीं होंगे।

(3) सदस्य किसी भी समय राज्य सरकार को एक मास की लिखित सूचना देकर त्यागपत्र दे सकते हैं।

(4) बोर्ड में किसी भी रिक्ति को चयन समिति द्वारा तैयार किए गए नामों के पैनल से किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा भरा जाएगा।

6. **बोर्ड की बैठकें.**—(1) बोर्ड अपनी बैठकें किसी संप्रेक्षण गृह में अथवा संप्रेक्षणगृह के निकट स्थित स्थान पर अथवा विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के लिए अधिनियम के अधीन चलाई जा रही किसी संस्था के उपयुक्त परिसर में आयोजित करेगा और किसी भी परिस्थिति में बोर्ड किसी न्यायालय या कारागार परिसर में अपनी बैठकें आयोजित नहीं करेगा।

(2) बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि जब मामले की सुनवाई चल रही हो तब कमरे में ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित न रहे, जिसका उस मामले से कोई संबंध न हो।

(3) बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि केवल उस/उन व्यक्ति/व्यक्तियों को ही बैठक के दौरान उपस्थित रहने की अनुमति दी जाए, जिनकी उपस्थिति में बालक सहज महसूस करे।

(4) बोर्ड अपनी बैठकें बालकों के अनुकूल परिसरों में आयोजित करेगा तथा वे परिसर किसी भी स्थिति में न्यायालय जैसे नहीं दिखेंगे और बैठने की व्यवस्था इस प्रकार होगी कि बोर्ड बालक से आमने-सामने बात कर सके।

- (5) बालक से बात करते समय, बोर्ड अपने आचरण के माध्यम से बालकों के अनुकूल तकनीकों का प्रयोग करेगा और बालक को संबोधित करते हुए शारीरिक हाव-भाव, चेहरे के भावों, नजरों, बोलचाल के लहजे और आवाज के संदर्भ में बालकों के अनुकूल दृष्टिकोण अपनाएगा।
- (6) बोर्ड के सदस्यों के आसन ऊंचे मंच पर नहीं होंगे और बोर्ड तथा बालक के मध्य साक्षियों के कटघरे या अवरोध जैसी बाधाएं नहीं होंगी।
- (7) बोर्ड सभी कार्यदिवसों पर मजिस्ट्रेट न्यायालय के कार्य-समय के अनुरूप न्यूनतम छह घंटे अपनी बैठकें आयोजित करेगा, जब तक कि जिला विशेष में लंबित मामलों की संख्या कम न हो और राज्य सरकार ने इस संबंध में कोई आदेश जारी न किया हो या राज्य सरकार ने जिले में लंबित मामलों की संख्या, क्षेत्र या भूभाग, जनसंख्या घनत्व या अन्य किसी कारक पर विधिवत विचार करने के बाद राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जिले में एक से अधिक बोर्डों का गठन न किया हो।
- (8) जब बोर्ड की बैठक न हो तब विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को बोर्ड के किसी एकल सदस्य के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। उक्त प्रयोजन के लिए, बोर्ड का एक सदस्य किसी आपातकालीन मामले का संज्ञान लेने के लिए सदैव उपलब्ध या पहुंच में रहेगा और ऐसे सदस्य द्वारा आपातकालीन परिस्थिति से निपटने के लिए आवश्यक निर्देश जिले के विशेष किशोर पुलिस इकाई या स्थानीय पुलिस को दिए जाएंगे। प्रधान मजिस्ट्रेट उन सदस्यों का ड्यूटी रोस्टर तैयार करेगा, जो कि रविवार और छुट्टी के दिनों सहित हर दिन इस प्रकार उपलब्ध और पहुंच में रहेंगे। यह रोस्टर अग्रिम में सभी पुलिस थानों, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जिला न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट, समितियों, जिला बाल संरक्षण इकाई और विशेष किशोर पुलिस इकाई को परिचालित किया जाएगा।
- (9) बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों को प्रत्येक बैठक के लिए कम से कम 1500/- रुपए दिए जाएंगे, जिसके अंतर्गत बैठक भत्ता, यात्रा भत्ता और अन्य कोई भत्ता भी है, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए।
- (10) बोर्ड को अवसंरचना और कर्मचारिवृंद राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी।

7. बोर्ड के कृत्य.—(1) बोर्ड निम्नलिखित अतिरिक्त कृत्य करेगा, अर्थात :-

- (i) जब कभी आवश्यक हो, बोर्ड एक अनुवादक या दुभाषिया या विशेष शिक्षक उपलब्ध कराएगा, जिसे प्रतिदिन कम से कम 1500 रुपए का भुगतान किया जाएगा और अनुवादक के मामले में प्रति पृष्ठ अधिकतम सौ रुपए का भुगतान किया जाएगा। उक्त प्रयोजन के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई अनुवादकों, दुभाषियों और विशेष शिक्षकों का पैनल रखेगा और इस पैनल की जानकारी बोर्ड को देगा। अनुवादक, दुभाषिए और विशेष शिक्षक की अर्हताएं वही होंगी, जो “यौ.अ.बा.सं.अ.” अधिनियम, 2012 और उसके अधीन बनाए गए नियमों में विहित की गई हैं;
- (ii) जहां कहीं अपेक्षित हो वहां विधि का उल्लंघन करने वाले बालक की प्रगति को मानीटर करने के लिए **प्ररूप 14** में पुनर्वास कार्ड जारी करना;
- (iii) जहां कहीं अपेक्षित हो वहां उस स्कूल में बालक का पुनः दाखिला कराने या शिक्षा जारी रखने के लिए समुचित आदेश पारित करना, जहां बालक को जांच के लंबित रहने या कितनी भी समयावधि के लिए किसी बाल देखरेख संस्था में रहने के कारण अपनी शिक्षा जारी रखने को अनुज्ञात किया गया हो;
- (iv) बालक को विधि की सम्यक प्रक्रिया के माध्यम से मामलों की त्वरित जांच और निपटान से सुकर बनाने को अन्य जिलों में वार्डों से संपर्क करना जिसके अंतर्गत किसी अन्य जिले या राज्य में किसी बोर्ड को जांच या पुनर्वास के प्रयोजन के लिए भेजना भी है;
- (v) विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों संबंधी बाल देखरेख संस्थाओं का निरीक्षण करना, ध्यान दिए जाने योग्य किन्हीं त्रुटियों के मामलों में निदेश जारी करना, सुधारों के सुझाव देना, अनुपालन की मांग करना और कर्तव्यों के अनुपालन में लापरवाही करते पाए जाने वाले कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई सहित उपयुक्त कार्रवाई की सिफारिश जिला बाल संरक्षण इकाई को करना;
- (vi) बोर्ड के परिसरों में किसी प्रमुख स्थान पर सुझाव पेटिका या शिकायत निपटान पेटिका रखना, ताकि बालकों और वयस्कों सभी को अपने सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और इन पेटिकाओं का प्रचालन प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम निर्देशिती करेगा;
- (vii) विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के लिए चलाई जा रही बाल देखरेख संस्थाओं में बाल समितियों का सहज कार्यकरण सुनिश्चित करना, ताकि ऐसी बाल देखरेख संस्थाओं के कार्यों और प्रबंधन में बालकों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके;
- (viii) एक मास में कम से कम एक बार सुझाव पुस्तिका की समीक्षा करना;

- (ix) यह सुनिश्चित करना कि जिला बाल संरक्षण इकाई और राज्य या जिला विधिक सहायता सेवा प्राधिकरण में कार्यरत विधिक-सह-परिवीक्षा अधिकारी बालक को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करें; और
- (x) यदि आवश्यक हो तो अर्ध-विधिक और अन्य कार्य, जैसे कि विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के माता-पिता से संपर्क करने, बालक के विषय में संगत सामाजिक और पुनर्वास संबंधी जानकारी एकत्र करने के लिए और छात्र स्वयंसेवियों या गैर-सरकारी संगठनों के स्वयंसेवियों की सेवाएं लेना।



अध्याय 3

विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में प्रक्रिया

8. पेशी के पूर्व पुलिस एवं अन्य अभिकरणों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई.—(1) जिन मामलों में बालक द्वारा किया गया जघन्य अपराध अभिकथित हो, या जब बालक द्वारा ऐसा अपराध वयस्कों के साथ सम्मिलित रूप से किए जाने का अभिकथन किया गया हो, के सिवाय कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत नहीं की जाएगी। अन्य सभी मामलों में, विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी बालक द्वारा किए गए अभिकथित अपराध की सूचना साधारण दैनिक डायरी में अभिलिखित करेगा, उसके पश्चात प्ररूप 1 में बालक की सामाजिक पृष्ठभूमि और, जहां कहीं लागू हो, बालक को पकड़े जाने की परिस्थितियों की रिपोर्ट प्रथम सुनवाई से पहले बोर्ड को अग्रेषित करेगा:

परंतु पकड़े जाने की शक्ति का प्रयोग केवल जघन्य अपराधों के विषय में ही किया जाएगा, जब तक यह बालक के सर्वोत्तम हित में न हो। छोटे-मोटे और गंभीर अपराधों के अन्य मामलों में, जहां बालक के हित में उसे पकड़ा जाना आवश्यक न हो, पुलिस या विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी प्ररूप 1 में बालक की सामाजिक पृष्ठभूमि की रिपोर्ट के साथ उसके द्वारा किए गए अभिकथित अपराध के स्वरूप की जानकारी बोर्ड को भेजेगा तथा उस बालक के माता-पिता या अभिभावकों को यह सूचित करेगा कि बालक को बोर्ड के समक्ष सुनवाई के लिए कब प्रस्तुत किया जाना है।

(2) जब विधि का उल्लंघन करने के लिए अभिकथित बालक को पुलिस पकड़ती है तब संबंधित पुलिस अधिकारी उस बालक को विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को प्रभार में सौंपेगा, जो तत्काल इन सबको सूचित करेगा:

- (i) बालक के माता-पिता या संरक्षक को यह सूचित किया जाएगा कि बालक को पकड़ा गया है और साथ ही उस बोर्ड का पता बताया जाएगा, जिसके समक्ष बालक को प्रस्तुत किया जाएगा तथा उस तारीख और समय की जानकारी दी जाएगी जब माता-पिता या संरक्षक को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होना है;
- (ii) संबंधित परिवीक्षा अधिकारी को सूचित किया जाएगा कि बालक को पकड़ा गया है, ताकि वह बालक की सामाजिक पृष्ठभूमि और अन्य महत्वपूर्ण परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त कर सके, जो जांच कार्य में बोर्ड के लिए सहायक सिद्ध हो सकती हो; और
- (iii) बालक को पकड़े जाने के समय से चौबीस घंटे के भीतर उसे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करते समय विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के साथ प्रस्तुत होने के लिए बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता को सूचित किया जाएगा।

(3) विधि का उल्लंघन करने के लिए अभिकथित बालक को पकड़ने वाला पुलिस अधिकारी:

- (i) उस बालक को हवालात में नहीं भेजेगा और बालक को नजदीकी पुलिस थाने के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को सौंपने में देरी नहीं करेगा। वह पुलिस अधिकारी पकड़े गए बालक को अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (2) के अधीन जब तक कि उसे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता है अर्थात् उसको गिरफ्तार किए जाने से चौबीस घंटे और इन नियमों के भीतर, समुचित नियमों के नियम 9 के अनुसार आदेश प्राप्त किए जाने तक किसी संप्रेक्षण गृह में तब तक के लिए भेज सकता है;
- (ii) बालक को कोई हथकड़ी, जंजीर या अन्यथा बेड़ी नहीं पहनाएगा तथा बालक पर किसी भी प्रकार के दबाव या बल का प्रयोग नहीं करेगा;
- (iii) बालक को तुरंत और सीधे उन आरोपों की जानकारी उसके माता-पिता या संरक्षक के माध्यम से दी जाएगी, जो उस पर लगाए गए हैं और यदि कोई प्राथमिकी दर्ज की जाती है तो उसकी प्रति बालक को उपलब्ध कराई जाएगी या पुलिस रिपोर्ट की प्रति उसके माता-पिता या संरक्षक को दी जाएगी;



- (iv) बालक को, यथास्थिति, उपयुक्त चिकित्सीय सहायता, दुभाषिए या विशेष शिक्षक की सहायता या ऐसी कोई अन्य सहायता उपलब्ध कराएगा, जिसकी आवश्यकता बालक को हो;
- (v) बालक को अपना अपराध स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं करेगा तथा उससे बातचीत केवल विशेष किशोर पुलिस इकाई या बालकों के अनुकूल परिसरों या पुलिस थाने में बालकों के लिए ऐसे अनुकूल स्थान पर की जाएगी, जहां बालक को ऐसा प्रतीत न हो कि वह पुलिस थाने में है या उसे हिरासत में रखकर उससे परिप्रश्न किए जा रहे हैं। पुलिस जब बालक से बातचीत करे तब उसके माता-पिता या संरक्षक वहां उपस्थित हो सकते हैं;
- (vi) बालक से किसी कथन पर हस्ताक्षर करने को नहीं कहेगा; और
- (vii) बालक को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचित करेगा।
- (4) बाल कल्याण पुलिस अधिकारी सादे कपड़ों में होगा और वर्दी में नहीं होगा।
- (5) बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, बालकी सामाजिक पृष्ठभूमि और किसी अपराध में बालक की अभिकथित संलिप्तता के प्रत्येक मामले में उसे पकड़े जाने की परिस्थितियों की जानकारी प्ररूप 1 में अभिलिखित करेगा, जिसे तुरंत बोर्ड को भेजा जाएगा। सर्वोत्तम उपलब्ध जानकारी एकत्र करने के प्रयोजनार्थ, विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के लिए बालक के माता-पिता या संरक्षक से संपर्क करना आवश्यक होगा।
- (6) किसी जिले में सभी अभिहित बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों, बाल कल्याण अधिकारियों, परिवीक्षा अधिकारियों, अर्ध विधिक स्वयंसेवियों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों और रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक और गैर-सरकारी संगठनों, बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट और सदस्यों, विशेष किशोर पुलिस इकाई के सदस्यों और चाइलडलाइन सेवाओं की सूची और उनसे संपर्क के ब्यौरे प्रत्येक पुलिस थाने में प्रमुख रूप से दर्शाए जाएंगे।
- (7) जब किसी ऐसे मामले में बालक को छोड़ा जाता है, जिसमें बालक को पकड़ने की आवश्यकता न हो, तब माता-पिता या संरक्षक या उस उपयुक्त व्यक्ति को, जिसकी अभिरक्षा में विधि का उल्लंघन करने के लिए अभिकथित बालक को रखा गया है, गैर-न्यायिक कागज पर प्ररूप 2 में एक वचनपत्र प्रस्तुत करना होगा, ताकि जांच या कार्यवाही की तारीखों को बोर्ड के समक्ष उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके।
- (8) राज्य सरकार उन स्वैच्छिक या गैर-सरकारी संगठनों या व्यक्तियों का पैल रखेगी, जो परिवीक्षा, परामर्श, मामला कार्य सेवाएं प्रदान करने और पुलिस या विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के साथ भी सहयुक्त होने की स्थिति में हों और जिन्हें बालक को चौबीस घंटे और कार्यवाही लंबित रहने की अवधि में बालक को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने में सहायता करने के लिए अपेक्षित विशेषज्ञता प्राप्त हो और ऐसे स्वैच्छिक या गैर-सरकारी संगठनों या व्यक्तियों के पैल की जानकारी बोर्ड को भेजी जाएगी।
- (9) राज्य सरकार पुलिस या विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी या मामला कार्यकर्ता या बालकों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को पकड़े गए या उनकी देखरेख में रखे गए बालक को उनके साथ रहने की अवधि में लिए उन बालकों के लिए भोजन और यात्रा खर्च तथा आकस्मिक चिकित्सीय देखरेख सहित आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए निधियां उपलब्ध कराएगी।
- 9. विधि का उल्लंघन करने के लिए अभिकथित बालक को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाना.—**(1) जब विधि का उल्लंघन करने के लिए अभिकथित बालक को पकड़ा जाता है तब उसे पकड़े जाने के समय से चौबीस घंटों के भीतर पुलिस द्वारा उस बालक को पकड़े जाने के कारण स्पष्ट करने वाली रिपोर्ट के साथ बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
- (2) बालक को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर, बोर्ड आदेश पारित कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे, जिसके अंतर्गत बालक को संप्रेक्षण गृह में या सुरक्षित स्थान पर या उपयुक्त सुविधा या किसी उपयुक्त व्यक्ति के पास भेजना भी है।
- (3) जहां बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया बाल अधिनियम की धारा 83 अधीन आता हो, जिसके अंतर्गत वह बालक कभी है जिसको अभ्यर्पित किया गया शामिल है, वहां बोर्ड विधिवत जांच और बालक की परिस्थितियों के विषय में अपनी संतुष्टि कर लेने के बाद उस बालक को देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालक के रूप में आवश्यक कार्यवाई तथा/अथवा पुनर्वास के लिए उपयुक्त निर्देश जारी करने के लिए समिति को भेज सकता है जिसके अंतर्गत इस कार्यवाई अथवा निर्देश में बालक की सुरक्षित अभिरक्षा और संरक्षण तथा इस प्रयोजनार्थ मान्यता-प्राप्त उपयुक्त सुविधा को अंतरित करने के आदेश जो उपयुक्त संरक्षण प्रदान करने में सक्षम होगी, तथा बालक के संरक्षण और सुरक्षा के लिए उसे जिले या राज्य से बाहर किसी अन्य राज्य में भेजने के विषय में विचार करना भी है।
- (4) जहां विधि का उल्लंघन करने के लिए अभिकथित बालक पकड़ा न गया हो और इस विषय में जानकारी पुलिस या विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी ने बोर्ड को भेजी हो, वहां बोर्ड, बालक से यथाशीघ्र अपने समक्ष प्रस्तुत होने की अपेक्षा

करेगा, ताकि, जहां कहीं आवश्यक हो, वहां पुनर्वास के उपाय शुरू किए जा सकें, हालांकि अंतिम रिपोर्ट बाद में प्रस्तुत की जा सकती है।

(5) यदि बोर्ड की बैठक में न हो तो विधि का उल्लंघन करने के लिए अभिकथित बालक को अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (2) के अनुसार बोर्ड के एक सदस्य के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(6) यदि विधि का उल्लंघन करने के लिए अभिकथित बालक को बेवक्त या दूरदराज के स्थान पर पकड़े जाने के कारण बोर्ड या बोर्ड के एक सदस्य के समक्ष भी प्रस्तुत न किया जा सकता हो तो बाल कल्याण पुलिस अधिकारी इन नियमों के **नियम 69घ** के अनुसार उस बालक को संप्रेक्षण गृह या किसी उपयुक्त सुविधा में रखेगा और उसके बाद चौबीस घंटे के भीतर उस बालक को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(7) बोर्ड के किसी एक सदस्य के समक्ष बालक को प्रस्तुत करने के समय प्राप्त आदेश का अनुसमर्थन बोर्ड की आगामी बैठक में करने की आवश्यकता होगी।

10. प्रस्तुत किए जाने के बाद बोर्ड की प्रक्रिया.—(1) बालक को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर बोर्ड बालक की सामाजिक पृष्ठभूमि, उसे गिरफ्तार किए जाने की परिस्थितियों तथा उसके द्वारा किए गए अभिकथित अपराध के उस बालक को प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों, व्यक्तियों, अभिकरणों द्वारा प्रस्तुत व्यौरे की रिपोर्ट की समीक्षा करेगा और बोर्ड, बालक के संबंध में ऐसे आदेश पारित कर सकता है, जिन्हें बोर्ड उपयुक्त समझे। इन आदेशों में अधिनियम की धारा 17 और 18 के अनुसार पारित किए जाने वाले आदेश शामिल हैं, जो कि इस प्रकार हैं:

- (i) यदि बालक की पहली पेशी के समय प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों और अभिलेख पर विचार करने पर उसके द्वारा विधि का उल्लंघन किए जाने का अभिकथन निराधार प्रतीत हो या जहां बालक द्वारा छोटे-मोटे अपराध किए जाने का अभिकथन किया गया हो, वहां मामले का निपटान करना;
- (ii) जहां बोर्ड को ऐसा प्रतीत हो कि बालक को देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है, वहां बालक को समिति के पास भेजना;
- (iii) बालक को **प्ररूप 3** में आदेश के माध्यम से, यथास्थिति, उपयुक्त व्यक्तियों या उपयुक्त संस्थाओं या परिवीक्षा अधिकारियों के पर्यवेक्षण या अभिरक्षा में इस निर्देश के साथ छोड़ना कि बालक अगली तारीख पर जांच के लिए प्रस्तुत हो या प्रस्तुत किया जाए; और
- (iv) **प्ररूप 4** में आदेशानुसार जांच के लंबित रहने के समय यदि आवश्यक हो तो बालक को जैसा भी उपयुक्त हो बाल देखरेख संस्था में रखे जाने के निर्देश देना।

(2) जांच के लंबित रहने के समय छोड़े जाने के सभी मामलों में बोर्ड सुनवाई की अगली तारीख अधिसूचित करेगा, जो कि पहली संक्षिप्त जांच की तारीख से अधिकतम पंद्रह दिन बाद होगी और **प्ररूप 5** में आदेश के माध्यम से परिवीक्षा अधिकारी से या परिवीक्षा अधिकारी उपलब्ध न होने के मामले में बाल कल्याण अधिकारी या संबंधित सामाजिक कार्यकर्ता से सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करने की मांग भी करेगा।

(3) जब विधि का उल्लंघन करने के लिए अभिकथित बाल जमानत दिए जाने के बाद सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो पाता है और उसकी ओर से पेशी से छूट के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उसे पेशी से छूट देने के लिए कोई पर्याप्त कारण न हो तब बोर्ड बाल कल्याण पुलिस अधिकारी और पुलिस थाना प्रभारी को बालक को प्रस्तुत करने के निर्देश जारी करेगा।

(4) यदि बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को प्रस्तुत किए जाने के निर्देश जारी किए जाने के बाद भी बालक को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो बोर्ड, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 82 के अधीन आदेशिका जारी करने के स्थान पर अधिनियम की धारा 26 के अधीन उपयुक्त आदेश पारित करेगा।

(5) किसी ऐसे बालक द्वारा अभिकथित जघन्य अपराध किए जाने के मामलों में, जिसने सोलह वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी बालक को बोर्ड के समक्ष पहली बार प्रस्तुत किए जाने की तारीख से एक मास की अवधि में जांच के दौरान अपने द्वारा अभिलिखित किए गए गवाहों के कथन और तैयार किए गए अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करेगा, जिनकी एक प्रति बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को भी दी जाएगी।

(6) छोटे-मोटे अपराधों के मामलों में अंतिम रिपोर्ट यथाशीघ्र और किसी भी मामले में पुलिस को सूचना की तारीख से अधिकतम दो मास की समयावधि में बोर्ड के समक्ष दायर की जाएगी, सिवाए उन मामलों के, जिनमें यथोचित रूप से यह ज्ञात नहीं था कि अपराध में संलिप्त व्यक्ति कोई बालक था, जिस मामले में अंतिम रिपोर्ट दायर करने के लिए बोर्ड द्वारा समयावधि बढ़ाई जा सकती है।

(7) विधि का उल्लंघन करने के लिए अभिकथित किसी बालक से संबंधित जांच में परीक्षा के लिए गवाहों को प्रस्तुत करने के समय,

बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि जांच कार्य पूर्णतः प्रतिकूल कार्यवाही के रूप में न किया जाए तथा बोर्ड, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 165 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा, ताकि बालक से परिप्रश्न किए जा सकें और उसके पक्ष में उपधारणाओं के आधार पर कार्यवाही की जा सके।

(8) अधिनियम की धारा 14 के अधीन जांच के दौरान विधि का उल्लंघन करने के लिए अभिकथित बालक की परीक्षा करने व उसका कथन अभिलिखित करने के समय बोर्ड, बालक से बाल अनुकूल रीति से सवाल-जवाब करेगा, ताकि वह बालसहज हो सके और जिन अपराधों का आरोप उस पर लगाया गया है, न केवल उनके बारे में, बल्कि जिस घर, सामाजिक परिवेश में और प्रभाव के अधीन वह रहा या उसके साथ जो अपराध हुए हों, उन सभी के विषय में तथ्यों तथा परिस्थितियों का वर्णन बिना किसी भय के कर सके।

(9) विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर के विषय में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बोर्ड, उस बालक के पकड़े जाने परिस्थितियां और उसके कथित अपराध का ब्यौरा दर्शाने वाली रिपोर्ट तथा परिवीक्षा अधिकारी या स्वैच्छिक या गैर-सरकारी संगठन द्वारा प्ररूप 6 में तैयार की गई सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट और विभिन्न पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों पर विचार करेगा।

10 क. बोर्ड द्वारा जघन्य अपराधों का प्राथमिक निर्धारण.—(1) बोर्ड, प्रथम दृष्टया यह अवधारित करेगा कि क्या बालक की आयु सोलह वर्ष या उससे अधिक है; यदि नहीं तो बोर्ड, अधिनियम की धारा 14 के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेगा।

(2) जघन्य अपराधों के प्राथमिक निर्धारण के प्रयोजनार्थ बोर्ड, मनोवैज्ञानिकों या मनो-सामाजिक कार्यकर्ताओं या अन्य विशेषज्ञों की सहायता ले सकता है, जिन्हें कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के साथ कार्य करने का अनुभव प्राप्त हो। जिला बाल संरक्षण इकाई ऐसे विशेषज्ञों का पैनल उपलब्ध करा सकता है, जिनकी सहायता बोर्ड ले सकता हो या बोर्ड उनसे अलग से भी संपर्क कर सकता हो।

(3) प्राथमिक निर्धारण करते समय बालक के निर्दोष होने की उपधारणा की जाएगी, यदि अन्यथा सिद्ध न हुआ हो।

(4) जहां बोर्ड, अधिनियम की धारा 15 के अधीन प्राथमिक निर्धारण के बाद यह आदेश पारित करता है कि उक्त बालक पर विचारण वयस्क के रूप में किए जाने की आवश्यकता है तो बोर्ड ऐसे आदेश के कारण समनुदेशित करेगा और आदेश की प्रति उस बालक को तुरंत दी जाएगी।

11. जांच की समाप्ति.—(1) बालकद्वारा अभिकथित रूप से किए गए जघन्य अपराधों के मामलों में जहां अधिनियम की धारा 15 के अधीन प्राथमिक निर्धारण के बाद बोर्ड मामले का निपटान करने का निर्णय लेता है वहां बोर्ड, अधिनियम की धारा 18 में यथा विनिर्दिष्ट निपटान आदेशों में से कोई एक आदेश पारित कर सकेगा।

(2) कोई भी आदेश पारित करने के पूर्व, बोर्ड अपने आदेशानुसार परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी या सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा प्ररूप 6 में तैयार की गई सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट प्राप्त करेगा और उस रिपोर्ट के निष्कर्षों पर विचार करेगा।

(3) बोर्ड द्वारा पारित सभी निपटान आदेशों में, संबंधित विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के लिए अनिवार्य रूप से व्यक्तिगत देखरेख योजना को शामिल किया जाएगा। यह व्यक्तिगत देखरेख योजना उस बालक और यदि संभव हो तो उसके परिवार से विचार-विमर्श के आधार पर परिवीक्षा अधिकारी अथवा बाल कल्याण अधिकारी अथवा किसी मान्यताप्राप्त स्वैच्छिक संगठन द्वारा प्ररूप 7 में तैयार की जाएगी।

(4) जिन मामलों में बोर्ड को यह विश्वास हो जाए कि किसी बालक को विशेष गृह में रखना न तो स्वयं उसके हित में और न ही अन्य बालकों के हित में है, उन मामलों में, बोर्ड उस बालक को सुरक्षित स्थान पर इस प्रकार रखे जाने का आदेश पारित कर सकता है, जिस प्रकार बोर्ड को उपयुक्त प्रतीत हो।

(5) जिन मामलों में बोर्ड बालक को सलाह या भर्त्सना या सामूहिक परामर्श में बालक की भागीदारी के पश्चात निर्मुक्त करता है या उसे सामुदायिक सेवा करने का आदेश देता है, उन मामलों में बोर्ड जिला बाल संरक्षण इकाई को ऐसे परामर्श एवं सामुदायिक सेवा की व्यवस्था कराने का निर्देश भी जारी करेगा।

(6) जिन मामलों में बोर्ड विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को परिवीक्षा पर छोड़ते हुए उसे उसके माता-पिता या संरक्षक या किसी उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख में रखे जाने का निर्देश देता है, उन मामलों में जिस व्यक्ति की देखरेख में उस बालको छोड़ा जाता है, उस व्यक्ति को प्ररूप 8 में यह लिखित वचनपत्र प्रस्तुत करना होगा कि अधिकतम तीन वर्षों तक वह बालक का अच्छा व्यवहार एवं कल्याण सुनिश्चित करेगा।

(7) बोर्ड विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को प्ररूप 9 में मुचलके पर छोड़ने का निर्णय ले सकेगा।

(8) यदि विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को उपयुक्त सुविधा या विशेष गृह में रखा जाता है तो बोर्ड इस बात का ध्यान रखेगा कि वह उपयुक्त सुविधा या विशेष गृह उस बालक के माता-पिता या संरक्षक के निवासस्थान के ज्यादा से ज्यादा निकट हो, सिवाए उन मामलों के जिनमें ऐसा करना बालक के सर्वोत्तम हित में न हो।

(9) जिस मामले में बोर्ड विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को परिवीक्षा पर निर्मुक्त करता है और उसे उसके माता-पिता या संरक्षक या किसी उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख में रखता है या जहां बालक को परिवीक्षा पर निर्मुक्त करता है और उसे उपयुक्त सुविधा की देखरेख में रखता है, उस मामले में बोर्ड यह आदेश भी दे सकेगा कि उस बालक को परिवीक्षा अधिकारी की निगरानी में रहना होगा, जो प्ररूप 10 में आवधिक रिपोर्टें प्रस्तुत करेगा और ऐसी निगरानी की अवधि अधिकतम तीन वर्ष होगी।

(10) जहां बोर्ड को ऐसा प्रतीत होता है कि विधि का उल्लंघन करने वाले बालक ने परिवीक्षा की शर्तों का अनुपालन नहीं किया है, उस मामले में बोर्ड, संबंधित बालक को अपने समक्ष प्रस्तुत किए जाने का आदेश दे सकेगा और निगरानी की शेष अवधि के लिए उस बालक को विशेष गृह में या सुरक्षित स्थान पर भेज सकेगा।

(11) किसी भी मामले में, किसी बालक को विशेष गृह में या सुरक्षित स्थान पर रखे जाने की अवधि अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (1) के खंड (छ) में उपबंधित अधिकतम अवधि से ज्यादा नहीं होगी।

12. जांच का लंबित रहना.—(1) अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (3) के प्रयोजनार्थ, बोर्ड प्ररूप 11 में प्रत्येक मामले और प्रत्येक बालक का 'मामला निगरानी पत्र' रखेगा। उक्त प्ररूप प्रत्येक मामले की फाइल में सबसे ऊपर रखा जाएगा और इसमें समय-समय पर अद्यतन ब्यौरा भरा जाएगा। जहां तक प्ररूप 11 में उल्लिखित 'जांच कार्य की प्रगति' का संबंध है, आगे दर्शाए गए बिंदुओं को ध्यान में रखा जाएगा:

- (i) मामले के निपटान की समय-सीमा सुनवाई की पहली तारीख को निर्धारित की जाएगी;
- (ii) 'जांच कार्य की प्रगति' के स्तंभ संख्या (2) में निर्धारित तारीख वह बाहरी सीमा होगी, जिसके भीतर स्तंभ संख्या (1) में दर्शाए गए चरण संपन्न करने होंगे।

(2) बोर्ड मामलों के लंबित रहने, गृहों के दौरे इत्यादि के विषय में तिमाही रिपोर्ट प्ररूप 12 में निम्नलिखित को प्रस्तुत करेगा:

- (i) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट;
- (ii) जिला मजिस्ट्रेट।

(3) जिला न्यायाधीश हर तिमाही में कम से कम एक बार बोर्ड का निरीक्षण करेगा और बोर्ड की कार्यवाहियों में बोर्ड के सदस्यों की भागीदारी के आधार पर उनके निष्पादन का मूल्यांकन करेगा और इन नियमों के नियम 87 के अधीन गठित चयन समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

13. बाल न्यायालय और निगरानी प्राधिकरणों के संबंध में प्रक्रिया.—(1) बोर्ड से प्रारंभिक निर्धारण प्राप्त हो जाने पर, बाल न्यायालय यह निर्णय ले सकेगा कि क्या वयस्क अथवा बालक के रूप में बालक के विचारण की आवश्यकता है और उपयुक्त आदेश पारित कर सकेगा।

(2) जिस मामले में बालक की आयु घोषित करने वाले बोर्ड के आदेश के विरुद्ध अधिनियम की धारा 101 की उप-धारा (1) के अधीन अपील दायर की गई हो, उस मामले में बाल न्यायालय पहले उक्त अपील पर निर्णय लेगा।

(3) जिस मामले में बोर्ड द्वारा किए प्राथमिक निर्धारण के निष्कर्षों के विरुद्ध अधिनियम की धारा 101 की उप-धारा (2) के अधीन अपील दायर की गई हो, उस मामले में बाल न्यायालय पहले उक्त अपील पर निर्णय लेगा।

(4) जहां अधिनियम की धारा 101 की उप-धारा (2) के अधीन अपील का निपटान इस निष्कर्ष के साथ हुआ हो कि वयस्क के रूप में बालक का विचारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वहां बाल न्यायालय, अधिनियम की धारा 19 और इन नियमों के उपबंधों के अनुसार मामले का निपटान करेगा।

(5) जहां अधिनियम की धारा 101 की उप-धारा (2) के अधीन अपील का निपटान इस निष्कर्ष के साथ हुआ हो कि वयस्क के रूप में बालक का विचारण किया जाना चाहिए, वहां बाल न्यायालय, बोर्ड से फाइल मंगवाएगा और इस अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अनुसार मामले का निपटान करेगा।

(6) बाल न्यायालय किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के समय इस बात के कारण अभिलिखित करेगा कि बालक का विचारण वयस्क के रूप में या बालक के रूप में किया जाना है।

(7) जहां बाल न्यायालय यह निर्णय लेता है कि वयस्क के रूप में बालक का विचारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है और मामले का निर्णय स्वयं करेगा, वहां:



- (i) बाल न्यायालय जांच कार्य इस प्रकार कर सकेगा, जैसे कि न्यायालय बोर्ड के रूप में कार्य कर रहा हो तथा अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अनुसार मामले का निपटान कर सकेगा।
 - (ii) बाल न्यायालय जांच कार्य करते समय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन समन वाले मामले में विचारण की प्रक्रिया का अनुपालन करेगा।
 - (iii) कार्यवाही बंद कमरे और बालक के अनुकूल माहौल में की जाएगी तथा विधि का उल्लंघन करने के लिए अभिकथित बालक का विचारण किसी ऐसे व्यक्ति के विचारण के साथ संयुक्त रूप से नहीं किया जाएगा, जो कि बालक नहीं है।
 - (iv) साक्षियों को परीक्षा के लिए प्रस्तुत किए जाने के समय बाल न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि जांच कार्य पूर्णतः प्रतिकूल कार्यवाही के रूप में न किया जाए तथा न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 165 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा।
 - (v) विधि का उल्लंघन करने वाले बालक की परीक्षा करने व उसका कथन अभिलिखित करने के समय बाल न्यायालय, बालक से बाल अनुकूल रीति से सवाल-जवाब करेगा, ताकि वह बालसहज हो सके और जिन अपराधों का आरोप उस पर लगाया गया है, न केवल उनके बारे में, बल्कि जिस घर, सामाजिक परिवेश में और प्रभाव के अधीन वह रहा, उन सभी के विषय में तथ्यों तथा परिस्थितियों का वर्णन बिना किसी भय के कर सके।
 - (vi) बाल न्यायालय द्वारा पारित निपटान आदेश में, संबंधित विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के लिए **प्ररूप 7** में व्यक्तिगत देखरेख योजना को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा। यह व्यक्तिगत देखरेख योजना उस बालक और यदि संभव हो तो उसके परिवार से विचार-विमर्श के आधार पर परिवीक्षा अधिकारी अथवा बाल कल्याण अधिकारी अथवा किसी मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठन द्वारा तैयार की जाएगी।
 - (vii) ऐसे मामलों में बाल न्यायालय, अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (1) व (2) के उपबंधों को अनुसार कोई आदेश पारित कर सकेगा।
- (8) जहां बाल न्यायालय यह निर्णय लेता है कि वयस्क के रूप में बालक का विचारण करने की आवश्यकता है, वहां:
- (i) बाल न्यायालय, सत्र न्यायालयों द्वारा विचारण की दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करेगा और बालक के अनुकूल माहौल बनाए रखेगा।
 - (ii) बाल न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश में, बालक के लिए **प्ररूप 7** में व्यक्तिगत देखरेख योजना को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाएगा। यह व्यक्तिगत देखरेख योजना उस बालक और यदि संभव हो तो उसके परिवार से विचार-विमर्श के आधार पर परिवीक्षा अधिकारी अथवा बाल कल्याण अधिकारी अथवा किसी मान्यताप्राप्त स्वैच्छिक संगठन द्वारा तैयार की जाएगी।
 - (iii) जहां बालक को अपराध में संलिप्त पाया गया है, वहां बालक को इक्कीस वर्ष की आयु तक के लिए सुरक्षित स्थान पर भेजा जा सकेगा।
 - (iv) बालक के सुरक्षित स्थान पर रहने के समय बालकी प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए परिवीक्षा अधिकारी या जिला बाल संरक्षण इकाई या कोई सामाजिक कार्यकर्ता **प्ररूप 13** में वार्षिक समीक्षा करेगा और रिपोर्टें बाल न्यायालय को भेजी जाएंगी।
 - (v) बाल न्यायालय व्यक्तिगत देखरेख योजना के कार्यान्वयन के लिए बालक की प्रगति और संस्था द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ आवधिक रूप से और हर तीन मास में कम से कम एक बार बालक को अपने समक्ष प्रस्तुत किए जाने का निर्देश भी दे सकेगा।
 - (vi) जब बालक की आयु इक्कीस वर्ष हो जाए और उसे संस्था में रहने की अवधि पूरी करनी हो तब बाल न्यायालय:
 - (क) यह मूल्यांकन करने के लिए बालसे विचार-विमर्श करेगा कि उसमें सुधारात्मक बदलाव आए हैं या नहीं और क्या वह बालसमाज का योगदानकारी सदस्य बन सकता है।
 - (ख) यदि आवश्यक हुआ तो परिवीक्षा अधिकारी या जिला बाल संरक्षण इकाई या सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा तैयार की गई बालक की प्रगति की आवधिक रिपोर्टों पर विचार करेगा और यदि संस्थागत व्यवस्था अपर्याप्त हो तो आगे सुधार के निर्देश देगा।
 - (ग) मूल्यांकन करने के बाद बालन्यायालय:



- (गक) बालको तुरंत छोड़ने;
- (गख) अच्छे व्यवहार के लिए बालको प्रतिभूति के साथ या बिना प्रतिभूति के मुचलका निष्पादित करने पर छोड़ने;
- (गग) बालक को छोड़ने और परिवर्तनकारी एवं सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण, प्रशिक्षुता, रोजगार, परामर्श और अन्य उपचारात्मक कार्यों के विषय में निर्देश जारी करने;
- (गघ) बालक को छोड़ने और उसके संस्था में रहने की शेष विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निगरानी प्राधिकारी नियुक्त करने का निर्णय कर सकेगा। जिस मामले में निगरानी प्राधिकारी नियुक्त किया जाए, उस मामले में वह प्राधिकारी बालक के लिए पुनर्वास कार्ड प्ररूप 14 में रखेगा।
- (vii) इस नियम के उप-नियम (vi) (ग) (गघ) के प्रयोजन के लिए :
- (क) परिवीक्षा अधिकारी या मामला कार्यकर्ता या बाल कल्याण अधिकारी या किसी उपयुक्त व्यक्ति को निगरानी प्राधिकारी नियुक्त किया जा सकता है।
- (ख) जिला बाल संरक्षण इकाई ऐसे व्यक्तियों की सूची रखेगी, जिन्हें निगरानी प्राधिकारी नियुक्त किया जा सकता है और यह सूची द्विवार्षिक अद्यतनीकरण के साथ बालन्यायालय को भेजी जाएगी।
- (ग) छोड़े जाने के बाद पहली तिमाही में बालपाक्षिक आधार पर या बाल न्यायालय के निर्देशानुसार अंतरालों पर निगरानी प्राधिकारी से मिलेगा। निगरानी प्राधिकारी बालक से परामर्श करके ऐसी बैठकों का समय और स्थान निर्धारित करेगा। निगरानी प्राधिकारी बालकी प्रगति के विषय में अपनी टिप्पणियां मासिक आधार पर बालन्यायालय को भेजेगा।
- (घ) पहली तिमाही समाप्त होने पर निगरानी प्राधिकारी बालक के लिए आगे अपेक्षित अनुवर्ती प्रक्रिया के विषय में सिफारिशें करेगा।
- (ङ) जहां छोड़े जाने के बाद, बालक को आपराधिक कार्यकलाप में प्रवृत्त होते या आपराधिक पूर्ववृत्त वाले लोगों से मेलजोल रखते हुए पाया जाए, वहां बालक को अगले आदेशों के लिए बालन्यायालय के समक्ष लाया जाएगा।
- (च) यदि यह पाया जाए कि अब बालक की और निगरानी किए जाने की आवश्यकता नहीं है तो निगरानी प्राधिकारी सिफारिशों के साथ विस्तृत रिपोर्ट बालन्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा और बाल न्यायालय निगरानी को समाप्त किए जाने या आगे जारी रखे जाने के लिए निर्देश जारी करेगा।
- (छ) पहली तिमाही के बाद बालनिगरानी प्राधिकारी द्वारा पहली तिमाही के अंत में की गई सिफारिशों के आधार पर बालन्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार अंतरालों पर निगरानी प्राधिकारी से मिलेगा और निगरानी प्राधिकारी अपनी रिपोर्ट बालन्यायालय को भेजेगा, जो कि हर तिमाही में उसकी समीक्षा करेगा।

14. अभिलेखों को नष्ट किया जाना.—विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक की दोष-सिद्धि से संबंधित अभिलेखों को अपील की अवधि समाप्त होने या सात वर्ष, जो भी अधिक हो, तक सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा और उसके बाद उन्हें यथास्थिति प्रभारी व्यक्ति या बोर्ड या बालन्यायालय द्वारा नष्ट किया जाएगा:

परंतु यह कि जघन्य अपराध के मामले में जहां अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (1) के खंड (i) के अधीन बालक को विधि का उल्लंघन करते पाया जाए, वहां ऐसे बालक की दोष-सिद्धि के संगत अभिलेखों को बालन्यायालय अपने पास रखेगा।

अध्याय 4

बाल कल्याण समिति

15. बाल कल्याण समिति की संरचना और सदस्यों की अर्हताएं.—(1) प्रत्येक जिले में एक या एक से अधिक समितियां होंगी, जिनका गठन राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा किया जाएगा।

(2) समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति इन नियमों के नियम 87 के अधीन चयन समिति की सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।



- (3) अध्यक्ष और सदस्यों की आयु पैंतीस वर्ष से अधिक होगी और उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य या कल्याण कार्यकलापों के क्षेत्र में बालकों के साथ कार्य करने का कम से कम सात वर्ष का अनुभव होगा या वे बाल मनोविज्ञान या मनश्चिकित्सा या सामाजिक कार्य या समाजविज्ञान या मानव विकास या विधि क्षेत्र में डिग्री के साथ व्यवसायरत कृतिक या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी होने चाहिएं।
- (4) समिति का कोई भी सदस्य अधिकतम दो कार्यकालों तक नियुक्ति के लिए पात्र होगा, जो कि लगातार नहीं होंगे।
- (5) चयन होने पर सभी व्यक्तियों को नियुक्ति की तारीख से साठ दिनों की अवधि में **नियम 89** के अधीन अनिवार्य प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- (6) अध्यक्ष और सदस्य किसी भी समय राज्य सरकार को एक मास का लिखित नोटिस देकर त्यागपत्र दे सकते हैं।
16. **समिति के नियम और प्रक्रिया.—**(1) समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को ऐसा बैठक भत्ता, यात्रा भत्ता और अन्य कोई भत्ता दिया जाएगा, जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए लेकिन यह भत्ता प्रत्येक बैठक के लिए 1500 रुपए से कम नहीं होगा।
- (2) समिति द्वारा किसी विद्यमान बाल देखरेख संस्था के दौरे को समिति की बैठक माना जाएगा।
- (3) समिति अपनी बैठकें बाल गृह के परिसर अथवा बाल गृह के निकट किसी स्थान अथवा देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के लिए अधिनियम के अधीन चलाई जा रही किसी संस्था के उपयुक्त परिसर में आयोजित की जाएंगी।
- (4) समिति यह सुनिश्चित करेगी कि जब सत्र जारी हो तब कोई भी ऐसा व्यक्ति कमरे में उपस्थित न रहे, जिसका मामले से कोई संबंध न हो।
- (5) समिति यह सुनिश्चित करेगी कि केवल उन व्यक्तियों को बैठक के दौरान उपस्थित रहने की अनुमति दी जाए, जिनकी उपस्थिति में बालसहज महसूस करे।
- (6) समिति का कम से कम एक सदस्य किसी आपात्कालिक मामले का संज्ञान लेने के लिए सदैव उपलब्ध रहेगा और ऐसे सदस्य द्वारा आवश्यक निर्देश जिले के विशेष किशोर पुलिस इकाई या स्थानीय पुलिस को दिए जाएंगे। इस प्रयोजन के लिए समिति का अध्यक्ष समिति के सदस्यों का मासिक ड्यूटी रोस्टर तैयार करेगा, जो कि रविवार और छुट्टी के दिनों सहित हर दिन उपलब्ध रहेंगे। यह रोस्टर सभी पुलिस थानों, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जिला न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट, बोर्ड, जिला बाल संरक्षण इकाई और विशेष किशोर पुलिस इकाई को परिचालित किया जाएगा।
- (7) समिति सभी कार्यदिवसों पर मजिस्ट्रेट न्यायालय के कार्य-समय के अनुरूप कम से कम छह घंटे अपनी बैठकें आयोजित करेगी, जब तक कि जिला विशेष में लंबित मामलों की संख्या कम न हो और संबंधित राज्य सरकार ने इस विषय में कोई आदेश जारी न किया हो:
- परंतु राज्य सरकार जिले में लंबित मामलों की संख्या, जिले के क्षेत्र या भू-भाग, जनसंख्या घनत्व या अन्य किसी कारक पर विधिवत विचार करने के बाद राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जिले में एक से अधिक समितियों का गठन कर सकती है।
- (8) देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालया बालकों की सूचना मिलने पर, यदि परिस्थितियां ऐसी हों कि बाल अथवा बालकों को समिति के समक्ष पेश नहीं किया जा सकता, समिति, बाल अथवा बालकों तक पहुंचने के लिए स्वतः जाएगी और ऐसे बाल अथवा बालकों हेतु सुविधाजनक स्थान पर अपनी बैठक आयोजित करेगी।
- (9) बालक से बात करते समय, समिति के सदस्य अपने आचरण के माध्यम से बालकों के अनुकूल तकनीकों का प्रयोग करेंगे।
- (10) समिति अपनी बैठकें बालक के अनुकूल परिसर में आयोजित करेगी, जो कि किसी भी प्रकार से न्यायालय कक्ष के समान नहीं दिखेगा और बैठने की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि समिति बालक से आमने-सामने बात कर सके।
- (11) समिति ऊंचे उठे हुए आसन पर नहीं बैठेगी और वहां कोई बाधाएं, जैसे कि साक्षियों का कठघरा या समिति और बालकों के बीच शलाका नहीं होंगी।
- (12) राज्य सरकार द्वारा समिति को अवसंरचना और कर्मचारी उपलब्ध कराए जाएंगे।
17. **समिति के अतिरिक्त कृत्य और उत्तरदायित्व .—**अधिनियम की धारा 30 के अधीन अपने कृत्यों और उत्तरदायित्व के अतिरिक्त, समिति अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो कृत्य करेगी, वे इस प्रकार होंगे:



- (i) समिति जिस भी मामले में कार्य करेगी, उस प्रत्येक मामले के सार के साथ-साथ दस्तावेज तैयार करना और मामले के विस्तृत अभिलेख प्ररूप 15 में रखना;
- (ii) समिति के परिसरों में किसी प्रमुख स्थान पर सुझाव पेटिका या शिकायत निपटान पेटिका रखना, ताकि बालकों और वयस्कों सभी को अपने सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और इन पेटिकाओं का संचालन जिला मजिस्ट्रेट या उसके अभिहित द्वारा किया जाएगा;
- (iii) देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के लिए अपनी अधिकारिता में चलाई जा रही बाल देखरेख संस्थाओं में बालसमितियों का निर्बाध कार्यकरण सुनिश्चित करना, ताकि उक्त बाल देखरेख संस्थाओं के कार्यों और प्रबंधन में बालकों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके;
- (iv) एक मास में कम से कम एक बार बाल सुझाव पुस्तिका की समीक्षा करना;
- (v) स्वयं को प्राप्त हुए देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के विषय में तिमाही सूचना प्ररूप 16 में मामलों के निपटान के स्वरूप, लंबित मामलों और ऐसे मामलों के लंबित रहने के कारणों के विषय में समस्त संगत ब्यौरे के साथ जिला मजिस्ट्रेट को भेजना;
- (vi) जहां कहीं आवश्यक हो, वहां देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों की प्रगति की निगरानी करने के लिए उन बालकों को पुनर्वास कार्ड प्ररूप 14 में जारी करना;
- (vii) रजिस्टर में आगे दर्शाए गए अभिलेखों को रखना:
- (क) किसी दिन सूचीबद्ध मामलों और अगली तारीख की प्रविष्टियां तथा समिति अपने समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले मामलों की दैनिक मामला सूची तैयार करना;
 - (ख) समिति के समक्ष लाए गए बालकों की प्रविष्टियां और विवरण तथा जिन बालदेखरेख संस्थाओं में बालकों को रखा गया उन संस्थाओं के ब्यौरे तथा जिन स्थानों पर बालकों को भेजा गया उन स्थानों के पते;
 - (ग) बंधपत्रों का निष्पादन;
 - (घ) संस्थाओं के दौरों सहित जाने-आने का विवरण;
 - (ङ.) दत्तकग्रहण के लिए मुक्त घोषित किए गए बालक;
 - (च) प्रायोजन में रखे गए या रखे जाने के लिए अनुशंसित बालक;
 - (छ) व्यक्तिगत या सामूहिक पालन-पोषण देखरेख में रखे गए बालक;
 - (ज) किसी अन्य समिति को भेजे गए या किसी अन्य समिति से प्राप्त हुए बालक;
 - (झ) बालक, जिनके संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई की जानी है;
 - (ञ) पश्चातवर्ती देखरेख में रखे गए बालक;
 - (ट) समिति का निरीक्षण अभिलेख;
 - (ठ) समिति की बैठकों के कार्यवृत्तों का अभिलेख;
 - (ड) प्राप्त हुए और भेजे गए पत्र;
 - (ढ) अन्य कोई अभिलेख या रजिस्टर, जिसकी समिति को आवश्यकता हो।
- (viii) इस नियम के खंड (vii) में सूचीबद्ध समस्त जानकारी का अंकनीय किया जाए और सॉफ्टवेयर राज्य सरकार द्वारा तैयार किया जाए।

अध्याय 5

देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के संबंध में प्रक्रिया



18. **समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना.—**(1) देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालको कार्य-समय के दौरान समिति के बैठक स्थल पर समिति के समक्ष और कार्य-समय के बाद ड्यूटी रोस्टर के अनुसार समिति के सदस्य के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा:

परंतु जहां बालक को समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, वहां स्वतः समिति बालक तक पहुंचने के लिए ऐसे बालक के स्थान तक जाएगी।

(2) जो कोई भी बालक को समिति के समक्ष प्रस्तुत करता है, वह प्ररूप 17 में रिपोर्ट करेगा, जिसमें बालक तथा जिन परिस्थितियों में वह पाया गया उन परिस्थितियों के ब्यौरे का उल्लेख किया जाएगा।

(3) यदि बालक की आयु दो वर्ष से कम है, जो चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ है, तो देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालक के संपर्क में आने वाला व्यक्ति या संगठन चौबीस घंटे के भीतर उस बालक की फोटो के साथ लिखित रिपोर्ट भेजेगा और उस बालक के चिकित्सीय रूप से स्वस्थ होते ही उसे इस आशय के प्रमाणपत्र के साथ समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(4) बालक से विचार-विमर्श करने के बाद समिति उस बालको उसके माता-पिता या संरक्षक के पास या जिस समिति के समक्ष बालक को प्रस्तुत किया गया हो, उस समिति के निकट बाल गृह होने पर ऐसे बालगृह में उस बालक को रखे जाने तथा ऐसा गृह मौजूद न होने की दशा में उस बालक को किसी उपयुक्त व्यक्ति या उपयुक्त संस्था में रखे जाने के निर्देश जारी कर सकेगी।

(5) समिति या कर्तव्य पर उपस्थित समिति का सदस्य बालक को बालगृह में रखे जाने के आदेश प्ररूप 18 में जारी करेगा।

(6) समिति या कर्तव्य पर उपस्थित समिति का सदस्य उनके समक्ष प्रस्तुत किए गए बालक की तात्कालिक चिकित्सीय जांच की आवश्यकता होने पर ऐसी जांच के आदेश जारी करेंगे।

(7) परित्यक्त या गुमशुदा या अनाथ बालक के मामले में जांच कार्य लंबित रहने के समय बालक की अंतरिम अभिरक्षा प्रदान करने के संबंध में आदेश जारी करने से पहले समिति यह देखेगी कि ऐसे बालक के विषय में जानकारी अभिहित पोर्टल पर अपलोड कर दी जाए।

(8) समिति यथास्थिति जांच कार्य लंबित रहने के समय या बालक के प्रत्यावर्तन के समय, उसके माता-पिता, संरक्षक या किसी उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख में बालक को रखने के लिए प्ररूप 19 में आदेश करते हुए ऐसे माता-पिता, संरक्षक या उपयुक्त व्यक्ति को प्ररूप 20 में वचनबंध पर हस्ताक्षर करने को कह सकेगी।

(9) जब कभी समिति किसी बालक को किसी संस्था में रखे जाने का आदेश देती है, तब जांच कार्य लंबित रहने के समय अल्पकालिक स्थापन के प्ररूप 18 में जारी किए गए आदेश की प्रति बाल देखरेख संस्था और बालक के माता-पिता, संरक्षक और पिछले अभिलेख के ब्यौरे के साथ ऐसी संस्था के प्रभारी अधिकारी को भेजी जाएगी। ऐसे आदेश की एक प्रति जिला बाल संरक्षण इकाई को भी भेजी जाएगी।

19. **जांच की प्रक्रिया.—**(1) समिति उन परिस्थितियों की जांच करेगी, जिनमें बालक को प्रस्तुत किया गया है, और तदनुसार ऐसे बालक को देखरेख और संरक्षण का जरूरतमंद बालक घोषित करेगी।

(2) यदि आवश्यक हुआ तो अधिनियम की धारा 94 के अनुसार आगे जांच कार्य लंबित रहने के समय समिति अपनी अधिकारिता का अभिनिश्चय करने के उद्देश्य से प्रथमदृष्टया बालक की आयु अवधारित करेगी।

(3) जब बालक को समिति के समक्ष लाया जाता है, तब समिति प्ररूप 21 में आदेश के माध्यम से अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (2) के अधीन सामाजिक अन्वेषण करने के लिए वह मामला किसी सामाजिक कार्यकर्ता या मामला कार्यकर्ता या बाल कल्याण अधिकारी या किसी मान्यताप्राप्त गैर-सरकारी संगठन को सौंपेगी।

(4) समिति उपयुक्त पुनर्वास योजना सहित व्यक्तिगत देखरेख योजना प्ररूप 7 में तैयार करने का निर्देश संबंधित व्यक्ति या संगठन को देगी। संस्थागत देखरेख में रहने वाले प्रत्येक बालक के लिए तैयार की जाने वाली यह व्यक्तिगत देखरेख योजना मामले के पूर्ववृत्त, बालक की परिस्थितियों और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के आधार पर उसके पूर्ण पुनर्वास और पुनर्संमेलन के उद्देश्य से तैयार की जाएगी।

(5) जांच कार्य से नैसर्गिक न्याय के आधारभूत सिद्धांतों की पूर्ति होगी और बालक एवं उसके माता-पिता या संरक्षक की जानकारी-प्राप्त भागीदारी सुनिश्चित होगी। बालक को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और उसकी आयु और परिपक्वता के स्तर के अनुरूप उसके विचारों को भी ध्यान में रखा जाएगा। समिति के आदेश लिखित रूप में होंगे और उनमें कारणों का उल्लेख किया जाएगा।

(6) समिति बालक से संवेदनशील और बालक के अनुकूल तरीके से सवाल-जवाब करेगी और किसी भी प्रतिकूल या आरोप लगाने वाले शब्दों या बालक की गरिमा या आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करेगी।



- (7) समिति **प्ररूप 19** के अनुसार बालक को उसके सर्वोत्तम हित में निर्मुक्त या उसका प्रत्यावर्तन करने से पहले दस्तावेजों और सत्यापन रिपोर्टों के माध्यम से अपनी संतुष्टि करेगी।
- (8) सामाजिक कार्यकर्ता या मामले के कार्यकर्ता या संस्था या किसी गैर-सरकारी संगठन के बाल कल्याण अधिकारी द्वारा किया जाने वाला सामाजिक अन्वेषण **प्ररूप 22** के अनुसार होगा और इसमें बालक की पारिवारिक स्थिति के मूल्यांकन का विस्तृत विवरण होना चाहिए तथा लिखित रूप में यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि क्या बालक के परिवार को उसका प्रत्यावर्तन उस बालक के सर्वोत्तम हित में होगा।
- (9) बालक को निर्मुक्त करने या उसका प्रत्यावर्तन करने से पहले समिति उस बालक और उसके माता-पिता अथवा संरक्षक को परामर्शदाता के पास भेज सकेगी।
- (10) समिति अपने समक्ष प्रस्तुत किए गए बालकों के समुचित अभिलेख रखेगी, जिनमें चिकित्सीय रिपोर्टें, सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट, कोई अन्य रिपोर्ट(टें) और बालक के विषय में समिति द्वारा पारित आदेश शामिल होंगे।
- (11) जांच कार्य के लंबित रहने के सभी मामलों में, समिति बालक को पेशी की अगली तारीख की जानकारी पिछली तारीख के बाद अधिकतम 15 दिनों की अवधि में देगी और ऐसी प्रत्येक तारीख को जांच कार्य कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता या मामले के कार्यकर्ता या बाल कल्याण अधिकारी से आवधिक स्थिति रिपोर्ट भी मांगेगी।
- (12) जांच कार्य के लंबित रहने के सभी मामलों में, समिति बालक को प्रस्तुत किए जाने की पहली तारीख से शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि सहित बालक के पुनर्वास के उपाय करने के निर्देश उस व्यक्ति या संस्था को देगी, जिसके पास बालको रखा गया है।
- (13) जब समिति की बैठक जारी न हो तब समिति के किसी एक सदस्य द्वारा लिए गए किसी निर्णय का अनुसमर्थन, समिति की अगली बैठक में किया जाएगा।
- (14) किसी मामले के अंतिम निपटान के समय, अध्यक्ष सहित कम से कम तीन सदस्य उपस्थित होंगे और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा इस रूप में कार्य करने के लिए अभिहित सदस्य उपस्थित होगा।
- (15) समिति एक निकाय के रूप में तालमेलपूर्ण ढंग से कार्य करेगी और इसलिए अपनी कोई उप-समिति गठित नहीं करेगी।
- (16) जहां किसी बालक को किसी अन्य जिले या राज्य या देश को प्रत्यावर्तित किया जाना हो, वहां समिति जिला बाल संरक्षण इकाई को यथापेक्षित आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के निर्देश देगी, जैसे कि अनापत्ति प्रमाणपत्र के लिए विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों और विदेश मंत्रालय से संपर्क करना, किसी अन्य जिले या राज्य या देश की समकक्ष समिति या किसी अन्य स्वैच्छिक संगठन से संपर्क करना, जहां बालको भेजा जाना है।
- (17) मामले के अंतिम निपटान के समय, समिति निपटान आदेश में यथास्थिति सामाजिक कार्यकर्ता या मामले के कार्यकर्ता या संस्था या किसी गैर-सरकारी संगठन के बालकल्याण अधिकारी द्वारा **प्ररूप 7** में तैयार की गई ऐसे बालकी व्यक्तिगत देखरेख योजना को शामिल करेगी।
- (18) मामले का अंतिम निपटान करते समय, समिति मामले के निपटान की तारीख से अधिकतम एक मास की अवधि में बालक के अनुवर्तन की तारीख देगी और उसके बाद छह मास की अवधि तक मास में एक बार तथा उसके बाद कम से कम एक वर्ष या ऐसी अवधि तक, जिसे समिति उपयुक्त समझे, हर तीन मास में एक बार अनुवर्तन की तारीख देगी।
- (19) जहां बालक किसी अन्य जिले का हो, वहां समिति आयु संबंधी घोषणा और मामले की फाइल तथा व्यक्तिगत देखरेख योजना संबंधित जिले की समिति को भेजेगी, जो कि व्यक्तिगत देखरेख योजना का अनुवर्तन इस प्रकार करेगी जैसे कि निपटान आदेश उसी ने पारित किया हो।
- (20) व्यक्तिगत देखरेख योजना की निगरानी निपटान आदेश पारित करने वाली समिति द्वारा इस प्रयोजनार्थ **प्ररूप 14** में जारी किए गए पुनर्वास कार्ड द्वारा की जाएगी और यह कार्ड व्यक्तिगत देखरेख योजना के कार्यान्वयन का अनुवर्तन करने वाली समिति के अभिलेख में शामिल होगा। ऐसा पुनर्वास कार्ड पुनर्वास-सह-स्थापन अधिकारी द्वारा रखा जाएगा।
- (21) देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालक के संबंध में समिति द्वारा पारित सभी आदेश बालक की गोपनीयता और निजता का विधिवत ध्यान रखते हुए अभिहित पोर्टल पर अपलोड भी किए जाएंगे।
- (22) जब कोई माता-पिता या संरक्षक अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (1) के अधीन किसी बालक को अभ्यर्पित करना चाहे, तब ऐसे माता-पिता या संरक्षक **प्ररूप 23** में समिति को आवेदन प्रस्तुत करेंगे। जिस मामले में ऐसे माता-पिता या संरक्षक निरक्षरता या अन्य किसी कारण से आवेदन प्रस्तुत न कर पाएं, उस मामले में समिति विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले विधिक

सहायता परामर्शी के माध्यम से उन्हें आवेदन प्रस्तुत करने में सहायता करेगी। अभ्यर्पण विलेख प्ररूप 24 के अनुसार निष्पादित किया जाएगा।

(23) समिति अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा 3 के अधीन जांच शीघ्रतापूर्वक कराएगी और अभ्यर्पण की तारीख से साठ दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद अभ्यर्पित बालक को दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित करेगी।

(24) अनाथ या परित्यक्त बालक के मामले में समिति बालक के माता-पिता या संरक्षकों को खोजने के सभी संभव प्रयास करेगी और ऐसी जांच पूरी होने पर, यदि यह सिद्ध हो जाता है कि बालक या तो ऐसा अनाथ या परित्यक्त है, जिसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है तो समिति उस बालक को दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित करेगी।

(25) विशेषीकृत दत्तकग्रहण अभिकरण सहित किसी बाल देखरेख संस्था को प्राप्त हुए परित्यक्त या अनाथ बालक के मामले में, ऐसा बालक चौबीस घंटे की अवधि में (यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर) प्ररूप 17 में रिपोर्ट के साथ समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और इस रिपोर्ट में बालक का विवरण और फोटो तथा उन परिस्थितियों का ब्यौरा दर्शाया जाएगा, जिन परिस्थितियों में वह बालप्राप्त हुआ और बाल देखरेख संस्था या विशेषीकृत दत्तकग्रहण एजेंसी द्वारा उसी अवधि में ऐसी रिपोर्ट की प्रति स्थानीय पुलिस को भी प्रस्तुत की जाएगी।

(26) समिति अधिनियम की धारा 36 के अधीन जांच के लंबित रहने के समय बालक के लिए अल्पावधिक स्थापन एवं अंतरिम देखरेख आदेश प्ररूप 18 में जारी करेगी।

(27) समिति अनाथ या परित्यक्त बालक के ब्यौरे को अपलोड कराते हुए, यह अभिनिश्चय करने के लिए अभिहित पोर्टल का प्रयोग करेगी कि क्या परित्यक्त या अनाथ बालक कोई गुमशुदा बालक है।

(28) समिति जोखिम कारकों पर विचार करने के बाद और बालक के सर्वोत्तम हित में उसके जन्मदाता माता-पिता या विधिक संरक्षक(कों) का पता लगाने के प्रयोजनार्थ बालक प्राप्त होने के समय से बहत्तर घंटे की अवधि में अनाथ या परित्यक्त बालक का ब्यौरा और फोटो व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय समाचार-पत्रों में प्रकाशित किए जाने का निर्देश दे सकेगी।

(29) समिति अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जांच करने के बाद परित्यक्त या अनाथ बालक को दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित करने वाला आदेश प्ररूप 25 में जारी करेगी और यह जानकारी प्राधिकरण को भेजेगी।

(30) जहां बालक के माता-पिता का पता लगा लिया जाता है, वहां बालक के प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया इन नियमों के नियम 82 के अनुसार होगी।

20. मामलों का लंबित रहना.—(1) समिति प्रत्येक मामले का 'मामला निगरानी पत्र' रखेगी और यदि किसी मामले में एक से अधिक बालक हों तो प्रत्येक बालक के लिए पृथक पत्र इस्तेमाल किया जाएगा। यह मामला निगरानी पत्र प्ररूप 26 में होगा। उक्त प्ररूप प्रत्येक मामले की फाइल में सबसे ऊपर रखा जाएगा और इसमें समय-समय पर अद्यतन ब्यौरा भरा जाएगा। जहां तक प्ररूप 26 में उल्लिखित 'जांच कार्य की प्रगति' का संबंध है, आगे दर्शाए गए बिंदुओं पर विचार किया जाएगा:

- (i) मामले के निपटान की समय-सीमा सुनवाई की पहली तारीख को निर्धारित की जाएगी;
- (ii) 'जांच कार्य की प्रगति' के स्तंभ संख्या (2) में निर्धारित तारीख वह बाहरी सीमा होगी, जिसके भीतर स्तंभ संख्या (1) में दर्शाए गए चरण संपन्न करने होंगे।

(2) समिति लंबित मामलों की समीक्षा के लिए जिला मजिस्ट्रेट को तिमाही रिपोर्ट प्ररूप 16 में प्रस्तुत करेगी।

(3) जिला मजिस्ट्रेट प्रत्येक तिमाही में एक बार निरीक्षण सहित समिति के कार्यकरण की समीक्षा और समिति की कार्यवाहियों में अध्यक्ष एवं सदस्यों की भागीदारी के आधार पर उनके निष्पादन का मूल्यांकन भी करेगा तथा इन नियमों के नियम 87 के अधीन गठित चयन समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

अध्याय 6

पुनर्वास और सामाजिक पुनर्संयोजन

21. बाल देखरेख संस्थाओं के रजिस्ट्रीकरण का तरीका.—(1) देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों या विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के लिए संस्थागत देखरेख सेवाएं चलाने वाली सभी संस्थाओं, चाहे वे संस्थाएं सरकार द्वारा या स्वैच्छिक संगठन द्वारा चलाई जा रही हों, को अधिनियम की धारा 41 की उप-धारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण किया जाएगा, चाहे वे संस्थाएं तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण या अनुज्ञप्ति-प्राप्त हों।

(2) ऐसी सभी संस्थाएं अपने नियमों, उप-नियमों, संगम-ज्ञापन, नियंत्रक निकाय, पदाधिकारियों की सूची, न्यासियों की सूची, पिछले तीन वर्षों के तुलन-पत्र, संस्था द्वारा प्रदान की गई सामाजिक या सार्वजनिक सेवा के अभिलेख इत्यादि प्रत्येक की एक प्रति के साथ प्ररूप 27 में अपना आवेदन और व्यक्ति या संगठन की ओर से पूर्व में दोष-सिद्धि के पिछले अभिलेख या किसी अनैतिक कार्य या बाल से दुर्व्यवहार या बाल श्रमिक के नियोजन में संलिप्तता के विषय में और यह घोषणा राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगी कि उन्हें केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है;

(3) राज्य सरकार यह सत्यापन करने के बाद कि अधिनियम और इन नियमों के अनुसार बालकों की देखरेख और संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन तथा आश्रय सुविधाओं, व्यावसायिक सुविधाओं और पुनर्वास के प्रावधान संस्था में मौजूद हैं, अधिनियम की धारा 41 की उप-धारा (1) के अधीन ऐसी संस्था को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्ररूप 28 में जारी कर सकेगी।

(4) जहां रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाली संस्था में पर्याप्त सुविधाएं मौजूद न हों, वहां राज्य सरकार अनंतिम रजिस्ट्रीकरण नहीं कर सकेगी और राज्य सरकार आवेदन प्राप्त होने की तारीख से एक मास समाप्त होने से पहले यह आदेश जारी करेगी कि वह संस्था अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के लिए भी पात्र नहीं है।

(5) रजिस्ट्रीकरण के आवेदन पर निर्णय लेते समय राज्य सरकार आगे दर्शाए गए तथ्यों पर विचार कर सकेगी:

- (i) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन संगठन का रजिस्ट्रीकरण;
- (ii) भौतिक अवसंरचना, जल तथा बिजली सुविधाओं, स्वच्छता और साफ-सफाई, मनोरंजन सुविधाओं के ब्यौरे;
- (iii) संगठन की वित्तीय स्थिति और पिछले तीन वर्षों के लेख के लेखा-परीक्षित विवरण के साथ दस्तावेजों का रखरखाव;
- (iv) संस्था या मुक्त आश्रय गृह चलाने का नियंत्रक निकाय का संकल्प;
- (v) नए आवेदकों के मामले में बालकों को चिकित्सीय, व्यावसायिक, शैक्षणिक, परामर्श इत्यादि जैसी सेवाएं प्रदान करने की योजना और मौजूदा संस्थाओं के मामले में प्रदान की जाने वाली ऐसी सेवाओं का ब्यौरा ;
- (vi) सुरक्षा, संरक्षा और परिवहन की व्यवस्थाएं;
- (vii) संगठन द्वारा चलाई जाने वाली अन्य सहायता सेवाओं का ब्यौरा;
- (viii) बालकों को आवश्यकता-आधारित सेवाएं प्रदान करने के लिए अन्य सरकारी, गैर-सरकारी, कॉर्पोरेट और अन्य सामुदायिक एजेंसियों के साथ लिंकेज तथा नेटवर्क का ब्यौरा;
- (ix) मौजूदा कर्मचारियों की अर्हताओं और अनुभव सहित उनका ब्यौरा;
- (x) विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण और उपलब्ध निधियों का ब्यौरा, यदि कोई हो;
- (xi) व्यक्ति या संगठन की ओर से पूर्व में दोष-सिद्धि के पिछले अभिलेख या किसी अनैतिक कार्य या बाल से दुर्व्यवहार या बाल श्रमिक के नियोजन में संलिप्तता के विषय में घोषणा;
- (xii) राज्य सरकार द्वारा यथा विहित कोई अन्य मानदंड।

(6) जहां अनंतिम रजिस्ट्रीकरण किया गया हो, वहां राज्य सरकार विस्तृत निरीक्षण करेगी या अधिनियम की धारा 41 की उप-धारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के बाद सुविधाओं, कर्मचारियों, अवसंरचना तथा अधिनियम और इन नियमों में यथा-निर्धारित देखरेख, संरक्षण, पुनर्वास और पुनर्समेकन सेवाओं के मानकों के अनुपालन तथा संस्था या संगठन के प्रबंधन की वार्षिक समीक्षा करेगी।

(7) यदि निरीक्षण या वार्षिक समीक्षा से यह ज्ञात हो कि अधिनियम और इन नियमों में यथा निर्धारित देखरेख, संरक्षण, पुनर्वास तथा पुनर्समेकन सेवाओं और संस्था के प्रबंधन के मानकों का अनुपालन असंतोषजनक है या सुविधाएं अपर्याप्त हैं, तो राज्य सरकार संस्था के प्रबंधन को किसी भी समय सूचना की तामील कर सकती है और सुनवाई का अवसर देने के बाद यथास्थिति विस्तृत निरीक्षण या वार्षिक समीक्षा की तारीख से साठ दिनों की अवधि में यह घोषणा कर सकती है कि संस्था या संगठन का रजिस्ट्रीकृत सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख से प्रत्याहृत या रद्द हो जाएगा और उक्त तारीख से वह संस्था अधिनियम की धारा 41 की उप-धारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत संस्था नहीं रह जाएगी।

(8) जब कोई संस्था अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत संस्था न रह जाए या उक्त उपबंध में यथा-निर्धारित समयावधि में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन न कर पाए या उसका अनंतिम रजिस्ट्रीकरण न किया जाए, तब उक्त संस्था का प्रबंधन राज्य सरकार करेगी या उसमें रखे गए बालकों को बोर्ड या समिति के आदेशानुसार अधिनियम की धारा 41 की उप-धारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी अन्य संस्था में स्थानांतरित किया जाएगा।

(9) सभी संस्थाओं के लिए रजिस्ट्रीकरण की अवधि समाप्त होने से तीन मास पूर्व रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन करना अनिवार्य होगा और यदि वे संस्था के रजिस्ट्रीकरण की अवधि समाप्त होने से पहले रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन नहीं कर पाते हैं, तो वह संस्था अधिनियम की धारा 41 की उप-धारा (1) और इस नियम के उप-नियम (8) के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत संस्था नहीं रह जाएगी।

(10) संस्था के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के आवेदन का निपटान वह आवेदन प्राप्त होने की तारीख से साठ दिनों की अवधि में किया जाएगा।

(11) रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के विषय में निर्णय उस वर्ष में की गई वार्षिक समीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिस वर्ष नवीकरण का आवेदन किया गया है।

(12) केंद्रीय सरकार आवेदनों की प्राप्ति और उन पर कार्रवाई करने तथा रजिस्ट्रीकरण करने और रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने के लिए मॉडल ऑनलाइन प्रणाली तैयार करने में सहायता करेगी तथा इस बीच राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मौजूदा प्रणालियां जारी रहेंगी।

22. मुक्त आश्रय गृह.—(1) राज्य सरकार स्वयं अथवा स्वैच्छिक या गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से मुक्त आश्रय गृह स्थापित कर सकेगी।

(2) मुक्त आश्रय गृह स्थापित करने को इच्छुक या पहले से मुक्त आश्रय गृह चला रहे सभी संगठन और व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के लिए राज्य सरकार को प्ररूप 27 में आवेदन करेंगे।

(3) आवेदक मुक्त आश्रय गृह खोलने की आवश्यकता की रिपोर्ट और उसके साथ उस स्थान पर बालकों की संख्या दर्शाने वाली बालकों की स्थिति का सर्वेक्षण प्रस्तुत करेंगे, जिस स्थान पर मुक्त आश्रय गृह स्थापित करने का प्रस्ताव है। समुचित पुलिस सत्यापन और यथावश्यक अन्य जांच कार्य के बाद उस संगठन या व्यक्ति का चयन मुक्त आश्रय गृह चलाने के लिए किया जा सकता है।

(4) मुक्त आश्रय गृहों का रजिस्ट्रीकरण, अधिनियम की धारा 41 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार प्ररूप 28 में किया जाएगा।

(5) मुक्त आश्रय गृहों में प्रदान की जाने वाली सेवाओं में भोजन, कपड़े धोने और शौचालय सुविधाओं तथा राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त समझी जाने वाली किसी अन्य सुविधा सहित दिवस देखरेख और रैन बसेरा सुविधाएं शामिल की जा सकेंगी।

(6) किसी मुक्त आश्रय गृह की क्षमता इतनी होनी चाहिए कि उसमें एक बार में पच्चीस बच्चों को रखा जा सके और उसमें रसोईघर, भोजन परोसने की सुविधाएं, स्नानगृह और शौचालय, लॉकर और मनोरंजन सुविधाएं शामिल होनी चाहिए।

(7) जिन मामलों में मुक्त आश्रय गृह की प्रभारी एजेंसी यह पाए कि किसी बालक को अल्पकालिक देखरेख और संरक्षण से बढ़कर चौबीस घंटे से अधिक के लिए देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है तो ऐसे बालक को आगे उपयुक्त उपायों के लिए समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।

(8) मुक्त आश्रय गृह देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद किसी भी बालक को किसी भी समय प्रवेश देने से मना नहीं करेंगे।

(9) प्रत्येक मुक्त आश्रय गृह अपने यहां सेवाएं पाने वाले बालकों के विषय में मासिक सूचना प्ररूप 29 में जिला बाल संरक्षण इकाई और समिति को भेजेगा।

23. पालन पोषण देखरेख.—(1) राज्य सरकार देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों को समिति के आदेश के माध्यम से संक्षिप्त या विस्तृत अवधि के लिए सामूहिक पालन पोषण देखरेख सहित पालन पोषण देखरेख में रख सकेगी।

(2) किसी जिले में पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई नोडल प्राधिकरण होगी।

(3) किसी बालक को पालन पोषण देखरेख में रखे जाने से संबंधित सभी निर्णय समिति द्वारा लिए जाएंगे। छह वर्ष या इससे अधिक आयु-वर्ग के बालकों को इन नियमों के नियम 44 के उप-नियम (1) में उल्लिखित परिस्थितियों में पालन पोषण देखरेख में रखे जाने पर विचार किया जा सकेगा। जहां तक संभव हो सके, छह वर्ष से कम आयु के बालकों को दत्तकग्रहण में रखा जाएगा।



- (4) समुदाय में रह रहे देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों को भी जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा प्ररूप 31 में तैयार की गई बाल अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर पालन पोषण देखरेख में रखे जाने पर विचार किया जा सकता है।
- (5) समिति पालन पोषण देखरेख के स्वरूप का निर्धारण करने से पहले बालक की व्यक्तिगत देखरेख योजना और बालक की आयु और परिपक्वता को विधिवत ध्यान में रखते हुए उसकी राय पर विचार करेगी। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान बालक को सूचित और तैयार किया जाएगा।
- (6) बालक की आवश्यकताओं के अनुसार पालन पोषण देखरेख अल्पकालिक या दीर्घकालिक हो सकती है। अल्पकालिक पालन पोषण देखरेख की अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (7) दीर्घकालिक पालन पोषण देखरेख की अवधि एक वर्ष से अधिक होगी। यह अवधि पालन पोषण देखरेख प्रदान करने वाले माता-पिता या सामूहिक पालन पोषण देखरेख व्यवस्था के साथ बालक की अनुकूलता के निर्धारण के आधार पर बालक की आयु अठारह वर्ष हो जाने तक समिति द्वारा समय-समय पर बढ़ाई जा सकती है।
- (8) प्रत्येक बालक के पारिवारिक परिवेश में बढ़ने के अधिकार को मान्यता प्रदान करते हुए, यदि संभव हो सके तो बालक को उसके जन्मदाता माता-पिता से पुनः मिलाने हर संभव प्रयास किया जाएगा।
- (9) बालक को पालन पोषण देखरेख में रखने से पहले समिति जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से पोषक परिवार की गृह अध्ययन रिपोर्ट प्ररूप 30 में प्राप्त करेगी।
- (10) विशेष जरूरतों वाले बालकों को या तो पोषक परिवार या सामूहिक पालन पोषण देखरेख में रखे जाने पर विचार किया जा सकेगा, परंतु यह कि पोषक परिवार की गृह अध्ययन रिपोर्ट में उस परिवार की उपयुक्तता का समर्थन किया गया हो या सामूहिक देखरेख व्यवस्था में ऐसे बालकों की देखरेख की सुविधाएं मौजूद हों।
- (11) सामूहिक पालन पोषण देखरेख में रखे गए बालकों की संख्या एक इकाई में पालन पोषण देखरेख प्रदाता के जैविक बालकों सहित आठ से अधिक नहीं होगी।
- (12) पोषक परिवार का चयन करते समय जिला बाल संरक्षण इकाई जिन मानदंडों पर विचार करेगी, वे इस प्रकार होंगे :
- पोषक माता-पिता भारतीय नागरिक होने चाहिए;
 - पोषक माता-पिता उस बालक का पालन पोषण करने के लिए इच्छुक होने चाहिए;
 - पोषक माता-पिता की आयु पैंतीस वर्ष से अधिक होनी चाहिए और उनका शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य उत्तम होना चाहिए;
 - आमतौर पर पोषक माता-पिता की आमदनी इतनी होनी चाहिए कि वे बालक की जरूरतों की पूर्ति कर सकें;
 - पोषक परिवार के परिसरों में रह रहे उस परिवार के सभी सदस्यों की चिकित्सीय रिपोर्टें प्राप्त की जानी चाहिए, जिनमें ह्यूमन इम्यूनो वायरस (एचआईवी), तपेदिक (टीबी) और हैपेटाइटिस बी इत्यादि शामिल हैं, ताकि यह अवधारित किया जा सके कि वे चिकित्सीय रूप से स्वस्थ हैं और
 - पोषक परिवार के पास पर्याप्त स्थान और आधारभूत सुविधाएं होनी चाहिए।
- (13) जिला बाल संरक्षण इकाई सामूहिक पालन पोषण देखरेख व्यवस्था का चयन करते समय आगे दर्शाए गए मानदंडों पर विचार करेगी:
- अधिनियम के अधीन सामूहिक व्यवस्था का रजिस्ट्रीकरण ;
 - समिति द्वारा उपयुक्त सुविधा के रूप में मान्यता प्रदान किया जाना;
 - बालसंरक्षण नीति की मौजूदगी; और
 - बालकों के लिए पर्याप्त स्थान और समुचित सुविधाएं।
- (14) पोषक परिवार या सामूहिक पालन पोषण व्यवस्था के चयन की प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएगी।



- (15) समिति बालक को पालन पोषण देखरेख में रखने का अंतिम आदेश **प्ररूप 32** में पारित करेगी, जिसमें बालक को पालन पोषण देखरेख में रखे जाने की अवधि विनिर्दिष्ट की जाएगी।
- (16) पोषक परिवार या सामूहिक पालन पोषण देखरेख प्रदाता बालक का की पालन पोषण देखरेख के लिए **प्ररूप 33** में वचनबद्ध पर हस्ताक्षर करेंगे।
- (17) जिला बाल संरक्षण इकाई पालन पोषण देखरेख में रखे गए प्रत्येक बालका अभिलेख **प्ररूप 34** में रखेगी।
- (18) समिति पोषक परिवारों या सामूहिक पालन पोषण देखरेख प्रदाताओं का मासिक निरीक्षण **प्ररूप 35** में करेगी, ताकि बालकी भलाई सुनिश्चित की जा सके।
- (19) पोषक परिवार या सामूहिक पालन पोषण देखरेख प्रदाता निम्नलिखित प्रदान करेंगे:
- पर्याप्त भोजन, वस्त्र, आश्रय और शिक्षा प्रदान करना;
 - बालक के समग्र शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए देखरेख, तथा उपचार उपलब्ध कराना;
 - शोषण, दुर्व्यवहार, क्षति, उपेक्षा और दुरुपयोग से संरक्षण सुनिश्चित करना;
 - आयु के अनुसार उपयुक्त मनोरंजन, पाठ्येत्तर कार्यकलापों, जैसे कि खेलकूद, संगीत, नृत्य, नाटक, कला इत्यादि की सुविधाएं उपलब्ध कराना;
 - बालक की रुचि के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना;
 - बालक की निजता और उसके जैविक परिवार या संरक्षक का आदर करना और यह स्वीकारना कि उनके विषय में प्रदान की गई कोई भी जानकारी गोपनीय है तथा बिना पूर्व-सहमति के किसी तीसरे पक्ष के समक्ष प्रकट नहीं की जाएगी;
 - आपात परिस्थितियों में उपचार कराना तथा समिति और जैविक परिवार को इस बात की जानकारी देना, जो कि आवश्यक होने पर उपयुक्त आदेश पारित कर सकेगी;
 - बालक के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए समिति के परामर्श से बालक और उसके जैविक परिवार के बीच सह्यता संपर्क;
 - बालक की प्रगति के विषय में जानकारी समय-समय पर समिति तथा बालक के जैविक परिवार को प्रदान करना तथा उनसे विचार-विमर्श करना तथा समिति के निर्देशानुसार बालक को समिति के समक्ष प्रस्तुत करना; और
 - यह सुनिश्चित करना कि बालक की स्थिति हमेशा ज्ञात रहे, जिसमें पते, छुट्टी की योजनाओं में बदलाव और बालक के भाग जाने की घटनाओं की सूचना समिति को देना शामिल है।

24. प्रायोजन.—(1) राज्य सरकार प्रायोजन कार्यक्रम तैयार करेगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

- व्यक्ति से व्यक्ति का प्रायोजन;
 - सामूहिक प्रायोजन;
 - सामुदायिक प्रायोजन;
 - प्रायोजन के माध्यम से परिवारों को सहायता; और
 - बालगृहों और विशेष गृहों को सहायता।
- (2) यह प्रायोजित कार्यक्रम जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा, जो किसी बालक के प्रायोजित के लिए इच्छुक व्यक्तियों या परिवारों का पैनेल उपलब्ध कराएगी।
- (3) इस पैनेल में शिक्षा, चिकित्सीय सहायता, पोषण, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि जैसे रुचि के क्षेत्रों तथा प्रायोजित के स्वरूप के अनुसार प्रायोजकों को सूचीबद्ध किया जाएगा।
- (4) जिला बाल संरक्षण इकाई यह पैनेल बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय को भेजेगी।

(5) बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय स्व-प्रेरणा से या इस विषय में आवेदन प्राप्त होने पर किसी बालक को प्रायोजन में रखे जाने पर विचार कर सकेंगे, जिसके लिए वे पैनल से यह सत्यापन करेंगे कि क्या ऐसे बालक की सहायता के लिए कोई प्रायोजक उपलब्ध है और उस बालक को प्रायोजित किए जाने का आदेश प्ररूप 36 में पारित कर सकेंगे।

(6) जिला बाल संरक्षण इकाई व्यक्तिगत प्रायोजन के मामले में अधिमानतः माता द्वारा संचालित किया जाने वाला खाता बालक के नाम से खोलेगी। धनराशि सीधे जिला बाल संरक्षण इकाई के बैंक खाते से बालक के बैंक खाते में अंतरित की जाएगी।

(7) प्रायोजन की अवधि आमतौर पर तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

25. संस्थागत देखरेख छोड़कर जाने वाले बालकों की पश्चात्तर्वी देखरेख.—(1) जिन बालकों को अठारह वर्ष की आयु हो जाने पर बाल देखरेख संस्थाओं को छोड़कर जाना पड़ता है, उन बालकों की शिक्षा की व्यवस्था करके, उन्हें रोजगार के योग्य कौशल सिखाकर तथा समाज की मुख्यधारा में उनके पुनर्संमेलन को सुकर बनाने के लिए उन्हें रहने का स्थान उपलब्ध कराकर उनके लिए कार्यक्रम राज्य सरकार तैयार करेगी।

(2) बाल देखरेख संस्था को छोड़कर जाने वाले किसी भी बालक को यथास्थिति समिति या बोर्ड या बालन्यायालय के प्ररूप 37 के अनुसार आदेश पर इक्कीस वर्ष की आयु होने तक तथा अपवादात्मक परिस्थितियों में इक्कीस वर्ष की आयु हो जाने पर और दो वर्ष तक पश्चात्तर्वी देखरेख प्रदान की जा सकेगी।

(3) जिला बाल संरक्षण इकाई शिक्षा, चिकित्सीय सहायता, पोषण, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि जैसे रुचि के क्षेत्र के अनुसार पश्चात्तर्वी देखरेख प्रदान करने को इच्छुक संगठनों, संस्थाओं और व्यक्तियों की सूची तैयार करेगी व रखेगी तथा उस सूची को बोर्ड या समिति और सभी बाल देखरेख संस्थाओं को उनके अभिलेख में रखे जाने के लिए भेजेगी।

(4) परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी या मामले का कार्यकर्ता निर्मुक्ति पश्चात योजना तैयार करेगा और उस योजना को बोर्ड या समिति को तब भेजेगा जब बालक द्वारा बाल देखरेख संस्था छोड़े जाने में दो मास का समय शेष हो तथा इस योजना में बालक की आवश्यकतानुसार ऐसे बालक के लिए पश्चात्तर्वी देखरेख की सिफारिश की जाएगी।

(5) बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय निर्मुक्ति पश्चात योजना की निगरानी करते समय पश्चात्तर्वी देखरेख कार्यक्रम की प्रभावोत्पादकता की जांच भी विशेषकर इस संदर्भ में करेंगे कि क्या इस कार्यक्रम का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा रहा है, जिसके लिए यह देखरेख प्रदान की गई है और ऐसे पश्चात्तर्वी देखरेख कार्यक्रम के परिणामस्वरूप बालक द्वारा की गई प्रगति की भी जांच करेंगे।

(6) पश्चात्तर्वी देखरेख कार्यक्रम में रखे गए बालकों को राज्य सरकार उनके आवश्यक खर्चों के लिए निधियां उपलब्ध कराएगी; ऐसी निधियां सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की जाएंगी।

(7) पश्चात्तर्वी देखरेख कार्यक्रम में प्रदान की जाने वाली सेवाओं में निम्नलिखित को शामिल किया जा सकेगा:

- (i) छह से आठ व्यक्तियों के समूहों के लिए अस्थायी आधार पर सामुदायिक सामूहिक आवास;
- (ii) व्यावसायिक प्रशिक्षण के दौरान वृत्तिका या उच्चतर शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति और व्यक्ति को रोजगार मिलने तक सहायता का उपबंध करना;
- (iii) राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम, भारतीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान और केंद्रीय और राज्य सरकारों के ऐसे अन्य कार्यक्रमों तथा कॉरपोरेट इत्यादि के साथ समन्वय से कौशल प्रशिक्षण और वाणिज्यिक स्थापनाओं में रोजगार दिलाने की व्यवस्था करना;
- (iv) ऐसे व्यक्तियों से उनकी पुनर्वास योजनाओं के विषय में विचार-विमर्श करने के लिए उनके साथ नियमित रूप से संपर्क में रहने वाले परामर्शदाता की व्यवस्था करना;
- (v) उनकी ऊर्जा को सकारात्मक माध्यम उपलब्ध कराने और उनके जीवन में आए संकटों से पार पाने में उनकी सहायता करने के लिए सर्जनात्मक कार्यकलापों की व्यवस्था करना;
- (vi) पश्चात्तर्वी देखरेख में रखे गए और उद्यमी कार्यकलापों की स्थापना के आकांक्षी व्यक्तियों के लिए ऋणों या सहायकी व्यवस्था; और
- (vii) राज्य अथवा संस्थागत सहायता के बिना जीवनयापन के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना।

- 26. बाल देखरेख संस्थाओं का प्रबंध और मानीटरी करना.**—(1) बाल देखरेख संस्थाओं के कार्मिकों की संख्या दायित्वों, पदों, कार्य-समय और जिन बालकों के लिए उन कार्मिकों को कार्य करना है, उन बालकों की श्रेणी के अनुसार अवधारित की जाएगी।
- (2) बाल देखरेख संस्था के कर्मचारी प्रभारी व्यक्ति के नियंत्रण और समग्र पर्यवेक्षण के अधीन होंगे, जो अधिनियम और इन नियमों की सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार आदेश द्वारा उनके विशिष्ट दायित्व तथा जिम्मेदारियां अवधारित करेगा।
- (3) कर्मचारियों की प्रत्येक श्रेणी में पदों की संख्या संस्था की क्षमता के आधार पर निर्धारित की जाएगी तथा संस्था की क्षमता में वृद्धि के अनुपात में यह संख्या भी बढ़ेगी।
- (4) यदि बाल देखरेख संस्थाओं में बालिकाएं रह रही हों तो केवल महिला प्रभारी और कर्मचारी नियुक्ति की जाएंगी।
- (5) बाल देखरेख संस्था से जुड़ा कोई भी व्यक्ति किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध न हुआ हो या किसी अनैतिक कार्य या बालक से दुर्यवहार या बाल श्रमिक के नियोजन या नैतिक अधमता के अपराध में संलिप्त न रहा हो या अपने कार्यकाल के दौरान किसी राजनैतिक दल का पदाधिकारी न रहा हो।
- (6) पुलिस के सत्यापन के बिना कोई भी व्यक्ति किसी बाल देखरेख संस्था में नियुक्त नहीं किया जाएगा और न ही कार्य करेगा।
- (7) सौ बालकों की क्षमता वाली संस्था में कर्मचारियों संबंधी सुझावपरक मानक इस प्रकार होंगे:

क्र.सं.	कार्मिक/कर्मचारिवृंद	संख्या
1.	प्रभारी व्यक्ति (अधीक्षक)	1
2.	परिवीक्षा अधिकारी/बाल कल्याण अधिकारी/मामला कार्यकर्ता (गैर-सरकारी संगठन) किसी बाल कल्याण अधिकारी को पुनर्वास-सह-स्थापन अधिकारी अभिहित किया जा सकेगा	3
3.	परामर्शदाता/मनोवैज्ञानिक/मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ	2
4.	हाउस मदर/हाउस फादर	4
5.	शिक्षक/ट्यूटर	2 (अंशकालिक)
6.	चिकित्सा अधिकारी (चिकित्सक)	1 (बुलाए जाने पर)
7.	अर्ध-चिकित्सीय कर्मचारी/स्टाफ नर्स/नर्सिंग अर्दली	1
8.	स्टोर कीपर-सह-लेखाकार	1
9.	कला और शिल्प और कार्यकलाप अध्यापक	1 (अंशकालिक)
10.	पीटी अनुशिक्षक-सह-योग प्रशिक्षक	1 (अंशकालिक)
11.	रसोइया	2
12.	सहायक	2
13.	हाउस कीपिंग	2
14.	वाहन चालक	1
15.	माली	1 (अंशकालिक)

- (8) जिन संस्थाओं में शिशुओं को रखा गया है, उन संस्थाओं के मामले में आवश्यकतानुसार आयाओं और अर्धचिकित्सीय कर्मचारियों की व्यवस्था की जाएगी।
- (9) बाल देखरेख संस्था के स्वरूप और अपेक्षा के अनुसार बालकों की संख्या, आयु-वर्ग, शारीरिक और मानसिक स्थिति, अपराध की श्रेणी के आधार पर पृथक्करण सुविधा और संस्था की संरचना को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा कार्मिक तैनात किए जाएंगे।
- (10) नियुक्त या तैनात किए जाने वाले सुरक्षा कार्मिक संवेदनशीलता वाले बालकों से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित और अभिमुखीकृत होंगे तथा अधिमानतः पूर्व-सैनिक या अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त कार्मिक या पुनर्स्थापन महानिदेशालय के माध्यम से होंगे।

(11) सुरक्षा कार्मिकों के पास शस्त्र या बंदूकें नहीं होंगी लेकिन वे आपात परिस्थिति से निपटने, हिंसा पर काबू पाने और बालकों को संस्था से भागने से रोकने, तलाशी और खोज तथा सुरक्षा निगरानी कार्यकलाप चलाने के लिए प्रशिक्षित और विशेष कौशलों से संपन्न होंगे।

27. उपयुक्त सुविधा.—(1) बोर्ड या समिति सरकार या किसी गैर-सरकारी संगठन द्वारा चलाई जा रही किसी संस्था या संगठन से आवेदन प्राप्त होने पर उस सुविधा को उपयुक्त सुविधा के रूप में मान्यता प्रदान करेंगे, परंतु यह कि उस सुविधा का प्रबंधक विशिष्ट प्रयोजन या सामूहिक पालन पोषण देखरेख के लिए किसी बालक को प्राप्त करने के लिए अस्थायी रूप से इच्छुक हो।

(2) मान्यता के लिए आवेदन के साथ नियमों, उप-नियमों, संगम-ज्ञापन, नियंत्रक निकाय, पदाधिकारियों की सूची, न्यासियों की सूची, पिछले तीन वर्षों के तुलन-पत्र, संस्था या संगठन द्वारा प्रदान की गई सामाजिक या सार्वजनिक सेवा के पिछले अभिलेख इत्यादि प्रत्येक की एक प्रति प्ररूप 38 में भेजी जाएगी।

(3) उपयुक्त सुविधा के रूप में मान्यता के लिए कोई सुविधा:

- (i) बालक की देखरेख और संरक्षण के आधारभूत मानकों की पूर्ति करेगी;
- (ii) अपने पास रखे गए बालक को आधारभूत सेवाएं प्रदान करेगी;
- (iii) अपने पास रखे गए किसी बालक से किसी भी प्रकार की क्रूरता या शोषण या उपेक्षा या किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं होने देगी; और
- (iv) बोर्ड या समिति द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन करेगी।

(4) बोर्ड या समिति यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित निरीक्षण और जांच के बाद कि इन नियमों के अनुसार बालकों की देखरेख और संरक्षण के लिए उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन तथा आश्रय सुविधाओं, व्यावसायिक सुविधाओं और पुनर्वास के विशेष संदर्भ में प्रावधान संस्था में मौजूद हैं तथा यथा उपलब्ध अन्य सामग्री पर विचार के आधार पर ऐसी संस्था या संगठन को उपयुक्त सुविधा के रूप में मान्यता प्ररूप 39 में प्रदान कर सकेंगे:

परंतु यह कि ऐसी संस्था या संगठन से जुड़ा कोई भी व्यक्ति किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध न हुआ हो या किसी अनैतिक कार्य या बालक से दुर्व्यवहार या बाल श्रमिक के नियोजन या नैतिक अधमता के अपराध में संलिप्त न रहा हो।

(5) बोर्ड या समिति किसी संस्था या संगठन की मान्यता के आवेदन पर निर्णय वह आवेदन प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिनों की अवधि में लेंगे।

(6) उपयुक्त सुविधा के रूप में किसी संस्था या संगठन की मान्यता आरंभ में तीन वर्षों की अवधि के लिए होगी, जिसे इस नियम के उप-नियम (4) के अनुसार आगे और तीन वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकेगा।

(7) यदि बोर्ड या समिति प्रदान की जा रही देखरेख और संरक्षण, या उस सुविधा में मौजूद दशाओं, या अधिनियम के अधीन मान्यता-प्राप्त संस्था या संगठन के प्रबंधन के मानक से संतुष्ट न हों या अधिनियम की धारा 54 के अधीन नियुक्त की गई निरीक्षण समिति की किसी प्रतिकूल रिपोर्ट पर या किसी अन्य कारण से वे किसी भी समय कारण सहित आदेश द्वारा उपयुक्त सुविधा के रूप में उस संस्था या संगठन की मान्यता को बोर्ड या समिति के आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से प्रत्याहृत कर सकेंगे और वह संस्था या संगठन अधिनियम और इन नियमों के अधीन उपयुक्त सुविधा नहीं रहेंगे।

(8) जहां बोर्ड या समिति द्वारा उपयुक्त सुविधा के रूप में मान्यता प्रत्याहृत कर ली गई हो, वहां इस तथ्य की सूचना बाल न्यायालय, विशेष किशोर पुलिस इकाई और जिला बाल संरक्षण इकाई को भेजी जाएगी तथा ऐसी संस्था या संगठन के पास रखे गए बालकों को बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय द्वारा किसी अन्य उपयुक्त सुविधा या किसी अन्य बाल देखरेख संस्था में स्थानांतरित किया जाएगा।

(9) बोर्ड या समिति द्वारा अनुमोदित सुविधाओं की सूची कार्यालय में रखी जाएगी और बाल न्यायालय, विशेष किशोर पुलिस इकाई और जिला बाल संरक्षण इकाई तथा राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी को भेजी जाएगी।

(10) किसी संस्था या संगठन को आगे दर्शाए गए प्रयोजनों के लिए उपयुक्त सुविधा के रूप में मान्यता प्रदान की जाएगी, जो कि इस प्रकार होंगे:

- (i) अल्पकालिक देखरेख;
- (ii) चिकित्सीय देखरेख उपचार और विशेषीकृत उपचार;
- (iii) मनश्चिकित्सीय और मानसिक स्वास्थ्य देखरेख;



- (iv) नशा-मुक्ति और पुनर्वास;
- (v) शिक्षा;
- (vi) व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास;
- (vii) गवाह संरक्षण; और
- (viii) सामूहिक पालन पोषण देखरेख।

(11) उपयुक्त सुविधा द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं इस प्रकार होंगी:

- (i) भोजन, वस्त्र, जल, स्वच्छता और साफ-सफाई;
- (ii) परामर्श सहित मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमलाप;
- (iii) प्रथमोपचार सहित चिकित्सीय सुविधाएं और विशेषीकृत उपचार में सहायता;
- (iv) सेतु शिक्षा और निरंतर शिक्षा सहित आयु के अनुसार उपयुक्त औपचारिक शिक्षा और जीवन कौशल शिक्षा; तथा
- (v) मनोरंजन, खेलकूद, ललित कलाएं और सामूहिक कार्यक्रमलाप।

(12) किसी बालक को उपयुक्त सुविधा में उतनी अवधि के लिए रखा जाएगा, जितनी अवधि बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय को उपयुक्त प्रतीत हो।

28. उपयुक्त व्यक्ति : (1) वह व्यक्ति जो आवश्यक अवधि के लिए किसी बच्चे को देखभाल, संरक्षण अथवा उपचार हेतु अस्थायी रूप से लेने के लिए उपयुक्त हो, बोर्ड अथवा समिति द्वारा एक उपयुक्त व्यक्ति के रूप में पता लगाया जाएगा।

(2) बोर्ड अथवा समिति बच्चे को लेने के लिए उनकी साख, सम्मान, विशेषज्ञता, व्यावसायिक अर्हताएं, बच्चों के साथ व्यवहार का अनुभव तथा उनकी इच्छा के आधार पर व्यक्तियों के पैनल को अभिज्ञात करे तथा इस अधिनियम के प्रयोजनों हेतु उपयुक्त व्यक्तियों के रूप में उनका पता लगाए :

परंतु ऐसा कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का आरोपी अथवा किसी अनैतिक कार्य अथवा बाल शोषण के कार्य अथवा बाल श्रम रोजगार अथवा नैतिक चरित्रहीनता के किसी अपराध में संलग्न नहीं होना चाहिए।

(3) बोर्ड अथवा समिति भी ऐसे व्यक्ति की साख का सत्यापन करने के बाद, तथा जहां कहीं संभव हो, ऐसे किसी व्यक्ति पर कराए गए पुलिस सत्यापन प्राप्त करने के पश्चात किसी बच्चे अथवा बच्चों के लिए आवश्यकता आधार पर एक उपयुक्त व्यक्ति के रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है।

(4) बोर्ड अथवा समिति, यदि उपलब्ध कराई गई देखभाल तथा संरक्षण के स्तर से अथवा किसी अन्य कारण से असंतुष्ट होने पर, किसी भी समय, बोर्ड अथवा समिति के आदेश पर विनिर्दिष्ट तारीख से एक उपयुक्त व्यक्ति के रूप में किसी व्यक्ति की मान्यता को वापस लेने के तर्कसंगत आदेश के द्वारा वापस ले सकता है।

(5) जहां किसी उपयुक्त व्यक्ति की मान्यता बोर्ड द्वारा अथवा समिति द्वारा वापस ली जाती है, इसकी सूचना बाल न्यायालय, विशेष किशोर पुलिस इकाई और जिला संरक्षण इकाई को भेजी जाएगी और ऐसे उपयुक्त व्यक्ति के पास रखे गए बच्चे को बोर्ड अथवा समिति अथवा बाल न्यायालय द्वारा किसी अन्य उपयुक्त व्यक्ति के अथवा उपयुक्त सुविधा के साथ अथवा किसी बाल देखभाल संस्था के पास रखा जाए।

(6) बोर्ड अथवा समिति द्वारा मान्यता प्राप्त उपयुक्त व्यक्तियों की सूची बोर्ड तथा समिति के कार्यालय और बाल न्यायालय में रखी जाएगी तथा विशेष किशोर पुलिस इकाई, जिला बाल संरक्षण इकाई और राज्य बाल संरक्षण सोसायटी को भेजी जाएगी।

(7) जहां बच्चे को दूरी तथा/अथवा विषम समय की वजह से किसी बाल देखभाल संस्था में नहीं भेजा जा सकता, बोर्ड अथवा समिति अथवा बाल न्यायालय, जहां कहीं अपेक्षित हो, ऐसे मामलों में बच्चे को एक उपयुक्त व्यक्ति के संरक्षण में रख सकता है।

(8) उपयुक्त व्यक्ति :

- (i) बच्चे को लेने की क्षमता तथा इच्छा रखेगा; तथा
- (ii) बच्चे की देखभाल और संरक्षण की बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराएगा।

(9) बच्चे की आवश्यकता के आधार पर तथा उपयुक्त व्यक्ति के परामर्श से बोर्ड अथवा समिति अथवा बाल न्यायालय बच्चे की उस अवधि को निर्धारित करेंगे जिसमें बच्चा उपयुक्त व्यक्ति के पास रहेगा।

(10) बच्चे को 30 दिन से अधिक अवधि के लिए किसी उपयुक्त व्यक्ति के संरक्षण में नहीं रखा जाएगा तथा ऐसे मामलों में जहां बच्चे को और अधिक देखभाल की जरूरत है, वहां समिति बच्चे के पालन-पोषण देखरेख प्लेसमेंट पर विचार कर सकती है अथवा बच्चे के लिए अन्य आवास विकल्पों पर विचार करे। ऐसे मामलों में जहां बच्चे की प्लेसमेंट अवधि 30 दिन से ज्यादा हो बोर्ड अथवा बाल न्यायालय बच्चे के संबंध में अगले आदेशों के लिए मामले को समिति को भेजें।

29. भौतिक अवसंरचना.—(1) प्रत्येक संस्था में आवास निम्नलिखित मानदंड के अनुसार होगा, अर्थात : -

(i) संप्रेषण गृह :

- (क) लड़कियों तथा लड़कों के लिए पृथक संप्रेषण गृह;
- (ख) शारीरिक और मानसिक स्थिति तथा किए गए अपराध की प्रकृति पर पर्याप्त ध्यान देते हुए उनके आयु वर्ग अधिमानतः 7-11 वर्ष, 12-16 वर्ष तथा 16-18 वर्ष के अनुसार बच्चों का वर्गीकरण तथा पृथक्कीकरण।

(ii) विशेष गृह :

- (क) 10 वर्ष से अधिक आयु की लड़कियों तथा 11 से 15 और 16-18 वर्ष के आयु वर्गों के लड़कों के लिए पृथक विशेष गृह;
- (ख) बच्चों की आयु और अपराध की प्रकृति तथा उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति के आधार पर वर्गीकरण तथा पृथक्कीकरण।

(iii) सुरक्षा का स्थान :

- (क) जघन्य अपराध करने के आरोपी 16-18 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों के लिए, जिनकी जांच लंबित है;
- (ख) जांच के समापन पर जघन्य अपराध में लिप्त पाए जाने वाले 16-18 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों के लिए;
- (ग) 18 वर्ष से कम आयु में किए गए अपराध के आरोपी 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए, जिनकी जांच लंबित है;
- (घ) जांच पूरी होने पर अपराध में लिप्त पाए जाने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए;
- (ङ) इस अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के खंड (छ) के अधीन बोर्ड के आदेशों के अनुसार बालकों के लिए।

(iv) बाल गृह :

- (क) जबकि 10 वर्ष से कम आयु के बाल और बालिकाएं एक ही गृह में रखे जा सकते हैं, 5-10 वर्ष की आयु वर्ग के लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक स्नान करने और सोने की सुविधाएं रखी जाएंगी;
- (ख) 7-11 वर्ष और 12-18 वर्ष के आयु वर्ग के लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक बाल गृह;
- (ग) शिशुओं के लिए उचित सुविधाओं के साथ छह वर्ष की आयु तक के बालकों के लिए पृथक सुविधाएं;

(2) बाल देखभाल संस्थाएं बाल अनुकूल होंगी तथा वे किसी भी प्रकार से कारावास अथवा हवालात जैसी नहीं दिखेंगी।

(3) प्रत्येक बाल देखभाल संस्था स्टॉफ और इनमें रह रहे बालकों दोनों के उपयोग के लिए इस अधिनियम की एक प्रति तथा राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को रखेगी।

(4) प्रत्येक बाल देखभाल संस्था में संस्था के प्रबंधन के लिए तथा गृह में प्रत्येक बालक की प्रगति की निगरानी के लिए एक प्रबंधन समिति होगी।

(5) कानून तोड़ने वाले बालकों के लिए तथा देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के लिए बाल देखभाल संस्थाएं प्रतिपादित मानदंड के अनुसार पृथक परिसरों से कार्य करेंगी।

(6) 50 बालकों वाली प्रत्येक संस्था में भवन अथवा आवास हेतु सुझाए गए मानदंड इस प्रकार हो सकते हैं :

(i)	2 शयनशाला (डोरमेटरी)	25 बालकों के लिए प्रत्येक 1000 वर्ग फुट की अर्थात 2000 वर्ग फुट
(ii)	2 कक्षाएं	25 बालकों के लिए 300 वर्ग फुट अर्थात 600 वर्ग फुट
(iii)	रोगी कक्ष/प्राथमिक उपचार कक्ष	प्रत्येक 10 बालकों हेतु 75 वर्ग फुट अर्थात 750 वर्ग फुट

(iv)	रसोई	250 वर्ग फुट
(v)	भोजन कक्ष	800 वर्ग फुट
(vi)	भंडार गृह	250 वर्ग फुट
(vii)	मनोरंजन कक्ष	330 वर्ग फुट
(viii)	पुस्तकालय	500 वर्ग फुट
(ix)	5 स्नान घर	प्रत्येक 25 वर्ग फुट अर्थात् 125 वर्ग फुट
(x)	8 शौचालय	प्रत्येक 25 वर्ग फुट अर्थात् 125 वर्ग फुट
(xi)	कार्यालय कक्ष	(क) 300 वर्ग फुट (ख) प्रभारी व्यक्ति कक्ष 200 वर्ग फुट
(xii)	परामर्श और मार्गदर्शन कक्ष	120 वर्ग फुट
(xiii)	कार्यशाला	प्रति प्रशिक्षु 75 वर्ग फुट की दर से 15 बालकों के लिए 1125 वर्ग फुट
(xiv)	प्रभारी व्यक्ति हेतु आवास	(क) प्रत्येक 250 वर्ग फुट के 2 कक्ष (ख) रसोई 75 वर्ग फुट (ख) स्नान घर सह शौचालय 50 वर्ग फुट
(xv)	किशोर न्याय बोर्ड अथवा बाल कल्याण समिति हेतु 2 कक्ष	प्रत्येक 300 वर्ग फुट अर्थात् 600 वर्ग फुट
(xvi)	खेल का मैदान	कुल बालकों की संख्या के अनुसार पर्याप्त क्षेत्र
	कुल	8495 वर्ग फुट



(7) प्रभारी व्यक्ति संस्था में रहेगा तथा उसे क्वार्टर उपलब्ध कराया जाएगा तथा यदि वह विधिमान्य कारणों से बाल देखभाल संस्था में रहने में समर्थ नहीं है, तो संस्था का कोई अन्य वरिष्ठ स्टाफ सदस्य संस्थान में रहेगा और बालकों की समग्र देखभाल का पर्यवेक्षण करने तथा किसी संकट अथवा आपातकाल के मामले में निर्णय लेने की स्थिति में होगा।

(8) दुर्घटनाओं से बचने के लिए उचित या फिसलन रहित फर्श रखने होंगे।

(9) उचित प्रकाश, सर्दियों में परिसर को गर्म रखने और गर्मियों में ठंडा करने के प्रबंध, वातायन, सुरक्षित पेयजल, साफ-सफाई वाले और जेंडर सुलभ और आयु अनुसार उचित तथा निश्कतता अनुकूल शौचालय तथा बार्बड तार की बाड़ वाली ऊंची दीवारें होंगी।

(10) इस अधिनियम के अधीन सभी संस्थाएं :

- प्राथमिक उपचार किट, रसोई घर में अग्निशामक, मनोरंजन कक्ष, व्यावसायिक प्रशिक्षण कक्ष, शयनागार, भंडार कक्ष तथा परामर्श कक्ष का प्रावधान करेंगी;
- इलेक्ट्रिकल स्थापनाओं की आवधिक जांच करेंगे;
- उचित भंडारण तथा खाद्य वस्तुओं की जांच सुनिश्चित करेंगी; तथा
- जल भंडारण तथा आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था के लिए उद्यत प्रबंध सुनिश्चित करेंगी।

(11) पृथक रूप से सक्षम बालकों को विशेष अवसरचक्रात्मक सुविधाएं तथा आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। ये सुविधाएं तथा उपकरण विशेषज्ञों अथवा अनुभवी व्यक्तियों के मार्गदर्शन में डिजाइन की जाएंगी।

(12) अन्य संभार और कार्यात्मक आवश्यकताएं, जिन्हें उपलब्ध कराया जाएगा, में निम्नलिखित शामिल होगा :

- कम्प्यूटर सेट;
- फोटोकापीयर;
- प्रिंटर, स्कैनर-सह-फैक्स;
- इंटरनेट सुविधा सहित दूरभाष;
- वेब कैमरा;
- पदाधिकारियों हेतु फर्नीचर, अभिलेख रखने की अलमारियां, वर्क स्टेशन, पहियादार कुर्सी तथा चिकित्सा कक्ष के लिए स्ट्रेचर्स;
- अध्ययन और भोजन हाल हेतु कुर्सियां तथा मेज
- प्रोजेक्टर।

30. कपड़े, बिस्तर, टायलेट्रीज तथा अन्य वस्तुएं.—(1) कपड़े तथा बिस्तर मापदंड और जलवायु की पारिस्थितियों अनुसार होंगे। प्रत्येक बालकी आवश्यकताओं तथा कपड़ों और बिस्तर हेतु न्यूनतम मानक इस प्रकार होंगे :-



क. बिस्तर		
क्र.सं.	वस्तु	प्रत्येक बालक को उपलब्ध कराई जाने वाली प्रमात्रा
1.	गद्दा	प्रवेश के समय 1 और तत्पश्चात् प्रत्येक वर्ष बाद 1
2.	सूती दरी	प्रवेश के समय 2 और तत्पश्चात् 2 वर्ष बाद 2
3.	बिछाने की सूती चादरें	प्रवेश के समय 2 और तत्पश्चात् 6 मास बाद 1
4.	तकिया (सूती)	प्रवेश के समय 1 और तत्पश्चात् 1 वर्ष बाद 1
5.	तकिया कवर	प्रवेश के समय 1 और तत्पश्चात् 1 वर्ष बाद 1
6.	सूती कंबल/खेस	प्रवेश के समय 2 और तत्पश्चात् 2 वर्ष बाद 1
7.	रूई भरी हुई रजाई	प्रवेश के समय 1 और तत्पश्चात् 1 वर्ष बाद 1 (ठंडे क्षेत्र में कंबलों के अलावा)
8.	मच्छरदानी	प्रवेश के समय 1 और तत्पश्चात् 6 मास बाद 1
9.	सूती तौलिया	प्रवेश के समय 2 और तत्पश्चात् प्रत्येक 3 मास बाद 1

ख. लड़कियों के लिए कपड़े		
क्र.सं.	वस्तु	प्रति बालप्रमात्रा
1.	स्कर्ट और ब्लाउज अथवा सलवार कमीज अथवा ब्लाउज और पेटिकोट सहित हॉफ साड़ी	आयु तथा क्षेत्रीय वरीयताओं पर निर्भर करते हुए लड़कियों के लिए प्रतिवर्ष 5 सेट
2.	उचित आयु के अनुसार अंतरीय	प्रति तिमाही 3 सेट
3.	सेनेटरी टॉवल्स	बड़ी लड़कियों के लिए प्रति वर्ष 12 पैक्स
4.	ऊनी स्वेटर्स (पूरी बाजू वाले)	प्रति वर्ष 2 स्वेटर
5.	ऊनी स्वेटर्स (आधी बाजू के)	प्रति वर्ष 2 स्वेटर
6.	ऊनी शाल	प्रति वर्ष 1
7.	रात्रि में पहनने के कपड़े	प्रति 6 मास में 2 सेट

ख. लड़कों के लिए कपड़े		
क्र.सं.	वस्तु	प्रति बालप्रमात्रा
1.	कमीज	प्रवेश के समय 2 तथा तत्पश्चात् प्रत्येक छह मास के बाद 1
2.	निकर	प्रवेश के समय 2 तथा छोटे बालकों के लिए तत्पश्चात् प्रत्येक छह मास के बाद 1
3.	पैंट	प्रवेश के समय 2 तथा बड़े बालकों के लिए प्रत्येक छह मास में 1
4.	आयु अनुसार उचित अंतरीय	प्रति तिमाही 3 सेट
5.	ऊनी जर्सियां (पूरी बाजू की)	वर्ष में 2
6.	ऊनी जर्सियां (आधी बाजू की)	वर्ष में 2
7.	ऊनी टोपियां	एक वर्ष में 1
8.	रात्रि में पहनने के लिए कुर्ता पायजामा	प्रत्येक छह मास 2 सेट

ग. विविध वस्तुएं		
1.	स्त्रीपर	प्रवेश के समय 1 जोड़ी तथा तत्पश्चात् प्रत्येक छह मास बाद
2.	खेल के जूते	प्रवेश के समय 1 जोड़ी तथा तत्पश्चात् प्रत्येक एक वर्ष बाद 1 जोड़ी
3.	स्कूल वर्दी	स्कूल जाने वाले बालकों हेतु प्रत्येक छह मास 2 सेट
4.	स्कूल बैग	स्कूल जाने वाले बालकों के लिए प्रति वर्ष 1
5.	स्कूल के जूते	स्कूल में प्रवेश के समय 1 जोड़ी तथा तत्पश्चात् प्रत्येक छह मास के बाद 1 जोड़ी
6.	रूमाल	प्रवेश के समय 2 तथा तत्पश्चात् प्रत्येक 2 मास के बाद 2
7.	जुराबें	प्रत्येक छः मास में 3 जोड़ी
8.	लेखन सामग्री	आवश्यकतानुसार



(2) उक्त विनिर्दिष्ट कपड़ों के अतिरिक्त, समारोह के अवसरों पर उपयोग करने हेतु प्रत्येक बालको तीन वर्षों में एक बार, एक सफेद कमीज, निकर अथवा पैंट एक जोड़ी, एक जोड़ी सफेद कैनवास के जूते तथा एक ब्लेजर उपलब्ध कराया जाएगा। लड़कियों के मामले में, एक सफेद हॉफ साड़ी अथवा एक सलवार कमीज अथवा एक सफेद स्कर्ट तथा एक सफेद ब्लाउज, एक जोड़ी सफेद कैनवास के जूते तथा ब्लेजर उपलब्ध कराया जाएगा।

(3) संस्था से संबद्ध प्रत्येक अस्पताल में, जहां भर्ती रोगियों की चारपाई का प्रावधान है, निम्नलिखित मानदंडों का अनुपालन किया जाता है :-

क्र.सं.	रात्रि के कपड़े तथा बिस्तर	आपूर्ति हेतु मापदंड
1.	गद्दा	3 वर्ष में प्रति बिस्तर एक
2.	बिछाने की सूती चादरें	प्रति वर्ष प्रति बिस्तर चार
3.	तकिया	प्रति दो वर्ष में प्रति बिस्तर एक
4.	तकिया कवर	प्रति वर्ष प्रति बिस्तर चार
5.	ऊनी कम्बल	प्रति 2 वर्ष में प्रति बिस्तर एक
6.	पायजामे तथा ढीली कमीजें (लड़कों हेतु अस्पताल की प्रकार की)	प्रति वर्ष प्रति बाल 3 जोड़ी
7.	लड़कियों के लिए स्कर्ट और ब्लाउज अथवा सलवार कमीज	प्रति वर्ष प्रति बाल 3 जोड़ी
8.	सूती दरी	प्रत्येक 3 वर्ष में प्रति बिस्तर एक

(4) टॉयलेट्री : बाल देखभाल संस्था के प्रत्येक निवासी को निम्नलिखित मानदंड के अनुसार तेल, साबुन तथा अन्य सामग्री जारी की जाएगी :

क्र.सं.	मद	प्रति बालक जारी की जाने वाली मात्रा
1.	बालों के बनाव श्रृंगार के लिए बालों का तेल	प्रति मास 100 एमएल
2.	प्रसाधन साबुन/हैंडवाश	प्रति मास 100 ग्राम की दो टिकिया
3.	टूथ ब्रश	प्रति 3 मास में 1
4.	टूथ पेस्ट	प्रति मास 100 ग्राम की (ट्यूब)
5.	कंधा	प्रत्येक 3 मास में एक
6.	शैम्पू सैशे	मास में 8 (10 मिलीग्राम/प्रति सैशे)
7.	बालों की क्लिप/बैंड	3 मास में 2 बैंड
8.	माश्चराइचर्स अथवा कोल्डक्रीम (सर्दियों में)	मास में 250 मिलीग्राम

(5) कपड़े और तौलिया, बिछाने वाली चट्टाई आदि धोने के लिए निम्नलिखित मापदंड अपनाए जाएंगे :

- (i) धुलाई का साबुन : एक मास के लिए 3 साबुन (125 ग्राम) अथवा समकक्ष कपड़े धोने का पाउडर;
- (ii) केवल सफेद कपड़ों के लिए अपेक्षित सीमा में कपड़ों को सफेद करने अथवा विरंजित करने का पाउडर।



अस्पताल के कपड़े धुलाई के समय अन्य कपड़ों के साथ मिलाए नहीं जाने चाहिए तथा यदि आवश्यक हो, तो अधीक्षक अस्पताल के कपड़ों की धुलाई के लिए अलग से उक्त मदें जारी कर सकता है। अधीक्षक यथापेक्षित कपड़े धोने की मशीनें लगवा सकता है।

(6) बाल देखभाल संस्थाओं को स्वास्थ्य और स्वच्छ स्थिति में बनाए रखने के लिए निम्नलिखित चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी :

क्र.सं.	मद	आपूर्ति का मापदंड
1.	झाड़ू	संस्था के क्षेत्र पर निर्भर रहते हुए प्रति मास 25 से 40
2.	कीटनाशक स्प्रे	संस्था के चिकित्सा की सलाह पर
3.	खटमल मारने की कारगर दवा	यथापेक्षित
4.	फिनाइल और साफ-सफाई का एसिड	संस्था के चिकित्सक की सलाहनुसार (दैनिक) साफ किए जाने वाले प्रक्षालन पात्र के क्षेत्र पर निर्भर
5.	मच्छर विकर्षक मशीन	पर्याप्त पटिट्टका वाला प्रति मास प्रतिदर्श 2

31. स्वच्छता और साफ-सफाई.—(1) प्रत्येक बाल देखभाल संस्था में निम्नलिखित सुविधाएं होंगी, नामतः

- (i) रसोई घर, शयनागार, मनोरंजन कक्षों आदि जैसे आसानी से पहुंचने वाले परिसरों में अनेक स्थलों पर पर्याप्त उपचारित पेयजल, जल शोधक लगाए जाएंगे;
- (ii) नहाने और कपड़े धोने, परिसर के रखरखाव और साफ-सफाई के लिए गर्म पानी सहित पर्याप्त पानी की व्यवस्था;
- (iii) नियमित रखरखाव सहित समुचित जल निकास प्रणाली;
- (iv) कचरे के निस्तारण की व्यवस्था;
- (v) मच्छरदानी अथवा विकर्षक उपलब्ध करारकर मच्छरों से संरक्षण;
- (vi) वार्षिक कीट नियंत्रण;
- (vii) सात बालकों के लिए कम से कम एक शौचालय के अनुपात में पर्याप्त रोशनी और हवादार शौचालयों की पर्याप्त संख्या;
- (viii) दस बालकों के लिए कम से कम एक स्नानागार के अनुपात में पर्याप्त रोशनी और हवादार स्नानागार की पर्याप्त संख्या;
- (ix) कपड़ों की धुलाई और उनके सूखने के लिए पर्याप्त स्थान;
- (x) धुलाई की मशीन जहां संभव हो,;
- (xi) साफ और मक्खियों के प्रवेश रहित रसोई और बर्तनों को धोने के लिए पृथक स्थान;
- (xii) प्रत्येक मास में दो बार बिस्तरों तथा नियमित आधार पर कपड़ों को सुखाना;
- (xiii) चिकित्सा केंद्र में साफ-सफाई का रखरखाव;
- (xiv) घर के सभी फर्शों को प्रतिदिन झाड़ना व पोंछना;
- (xv) प्रतिदिन शौचालयों और स्नानघरों को दो बार साफ करना अथवा धोना;
- (xvi) सब्जियों और फलों की उचित धुलाई तथा भोजन बनाने का स्वच्छ तरीका;
- (xvii) प्रत्येक भोजन बनाने के उपरांत रसोई स्लैब, फर्शों तथा गैस की सफाई;
- (xviii) प्रत्येक खाद्य वस्तु और अन्य आपूर्तियों की देखरेख के लिए साफ और कीटरहित भंडार;
- (xix) वर्ष में कम से कम एक बार बिस्तरों को संक्रमण रहित करना;
- (xx) सांसर्गिक अथवा संक्रामक रोग के मामले में प्रत्येक रोगी को छुट्टी मिलने के उपरांत रोगी कक्ष अथवा पृथक कक्ष का धूम्रीकरण;
- (xxi) चिकित्सा केंद्र में साफ-सफाई।

32. दिनचर्या : (1) प्रत्येक संस्थान में बाल समिति के परामर्श से किशोरों या बालकों के लिए दिनचर्या विकसित होगी, जिसे संस्थान में विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(2) दिनचर्या में अन्य बातों के साथ-साथ नियमित और अनुशासित जिंदगी, व्यक्तिगत साफ-सफाई, शारीरिक व्यायाम, योग, शैक्षणिक कक्षाएं, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सुव्यवस्थित मनोरंजन और खेल, नैतिक शिक्षा, सामूहिक क्रियाकलाप, प्रार्थना और सामुदायिक गायन और रविवारों और छुट्टियों तथा राष्ट्रीय छुट्टियों, त्योहारों, जन्मदिवसों के लिए विशेष कार्यक्रम होंगे।

33. पोषण और आहार मानक

संस्था, निम्नलिखित पोषण और आहार मानकों का अनुसरण करेगा, अर्थात :

- बालकों को नाश्ते सहित दिन में चार बार भोजन दिया जाएगा।
- संतुलित आहार तथा न्यूनतम पोषण मानकों के अनुसार स्वाद में भिन्नता सुनिश्चित करने के लिए पोषण विशेषज्ञ या चिकित्सक की सहायता से व्यंजन सूची तैयार की जाएगी।
- प्रत्येक संस्था नीचे यथा-विनिर्दिष्ट निर्धारित न्यूनतम पोषण मानकों और आहार मानकों का कड़ाई से पालन करेगी।

क्र.सं.	आहार की वस्तुओं के नाम	प्रतिदिन प्रति बालक मानक
1.	चावल/गेहूं/रागी/ज्वार	600 ग्राम, (16 से 18 वर्ष की आयु वर्ग को 700 ग्राम) जिसमें कम से कम या तो गेहूं या रागी या ज्वार या चावल हो।
2.	दाल/राजमा/चना	120 ग्राम
3.	खाद्य तेल	25 ग्राम
4.	प्याज	25 ग्राम
5.	नामक	25 ग्राम
6.	हल्दी	05 ग्राम
7.	धनिया बीज चूर्ण	05 ग्राम
8.	अदरक	05 ग्राम
9.	लहसून	05 ग्राम
10.	इमली/आमचूर्ण	05 ग्राम
11.	दूध (नाश्ते में)	150 ग्राम
12.	सूखी मिर्च	05 ग्राम
13.	पत्तेदार सब्जियां पत्ता रहित	100 ग्राम 130 ग्राम
14.	दही या छाछ	100 ग्राम/मिली लीटर
15.	सप्ताह में एक बार चिकन अथवा अंडा चार दिन	115 ग्राम
16.	गुड और मूंगफली अथवा पनीर (केवल शाकाहारी को)	सप्ताह में एक बार प्रत्येक को 60 ग्राम (पनीर 100 ग्राम)
17.	चीनी	40 ग्राम
18.	चाय/कॉफी	5 ग्राम
19.	सूजी/पोहा	150
20.	रागी	150 ग्राम
50 बालकों के लिए निम्नलिखित मर्दे प्रतिदिन		
21.	काली मिर्च	25 ग्राम
22.	जीरा बीज	25 ग्राम
23.	काला चना दाल	50 ग्राम

24.	सरसों बीज	50 ग्राम
25.	अजवायन	50 ग्राम
10 किलो चिकन चिकन दिवस के लिए		
26.	गरम मसाला	10 ग्राम
27.	कोपरा	150 ग्राम
28.	खसखस	150 ग्राम
29.	मूंगफली तेल	500 ग्राम
बीमार बालकों हेतु		
30.	ब्रेड	500 ग्राम
31.	दूध	500 ग्राम
32.	खिचड़ी	300 ग्राम
अन्य मदें		
33.	केवल कूकिंग हेतु एलपी गैस	



- (2) बालकों को अवकाशों, त्योहारों, खेलकूद और सांस्कृतिक दिवस तथा राष्ट्रीय उत्सव समारोह पर विशेष भोजन कराया जाएगा।
- (3) शिशुओं और बीमार बालकों को उनकी आहारिय अपेक्षा पर चिकित्सक की सलाहनुसार विशेष आहार प्रदान किया जाएगा।
- (4) लौह और फॉलिक एसिड संपूरकों की आवश्यकता सहित प्रत्येक बालकी जरूरत को ध्यान में रखा जाएगा।
- (5) दिन के लिए व्यंजन की सूची बाल समिति के परामर्श से तैयार की जाएगी तथा भोजन कक्ष में प्रदर्शित की जाएगी।
- (6) आहार में भिन्नता मौसमी तथा क्षेत्रीय भिन्नताओं के अनुसार हो सकती है, सुझायी गई आहार किस्में नीचे दी गई हैं :
- तूर (अरहर), मूंग (हरा चना) तथा चना (काबुली चना) अर्थात् दाल की किस्में वैकल्पिक रूप से दी जाएं;
 - गैर-शाकाहारी दिवसों पर शाकाहारी बालकों को या तो 80 ग्राम गुड़ और लड्डू के आकार में प्रति व्यक्ति 60 ग्राम मूंगफली या प्रत्येक अन्य स्वीट डिश या 100 ग्राम पनीर दी जाएगी;
 - मेथी (फेनूग्रीक), पालक (स्पीच), सरसों (सरसों की पत्तियां), गोंगुरा थोटकुरा अथवा कोई अन्य साग आदि जैसी पत्तेदार सब्जियां भी सप्ताह में एक बार दी जा सकती हैं। यदि किसी संस्था से कोई किचन गार्डन संबद्ध है तो पत्तेदार सब्जियां उगाई तथा दी जानी चाहिए तथा अधीक्षक को सब्जियों की विभिन्न किस्में देने की कोशिश करनी चाहिए तथा यह कोशिश करनी चाहिए कि ये सब्जियां कम से कम एक सप्ताह में दोहरायी नहीं जाएं;
 - मौसमी फल पर्याप्त मात्राओं में गैर-दोहराव तरीके से उपलब्ध कराए जाएंगे;
 - प्रभारी व्यक्ति व्यक्तिगत मामलों में जब उसके द्वारा आवश्यक समझा जाए अथवा संस्था के चिकित्सक की सलाह पर इस शर्त के अधीन कि निर्धारित मानक अधिक नहीं हैं। आहार के मानदंड में अस्थायी विकल्प बना सकता है।
- (7) भोजन का समय तथा सूची :
- (i) नाश्ता – 7.30 बजे (पूर्वाह्न) से 8.30 बजे पूर्वाह्न
- उपमा, गेहूं अथवा रागी से बनी चपातियां या अन्य कोई आहार;
 - गोंगुरा या ताजा करी पत्ता या ताजा धनिया या नारियल की चटनी तथा पुतनादाल आदि, दाल या सब्जी एक डिश के रूप में दी जा सकती;
 - दूध;
 - पर्याप्त मात्रा में कोई मौसमी फल
- (ii) दोपहर का भोजन 12.30 बजे से 1.30 बजे अपराह्न तथा रात्रि का भोजन – 7.00 अपराह्न – 8.00 अपराह्न
- चावल या चपातियां या दोनों का संयोजन;
 - सब्जी करी;



(ग) सांभर या दाल;

(घ) छाछ या दही

(8) अन्य

- (i) मौसम पर निर्भर करते हुए, प्रभारी व्यक्ति को खाद्य के वितरण के समय में परिवर्तन करने का विवेकाधिकार होगा;
- (ii) संस्था के चिकित्सक की सलाह पर या प्रभारी व्यक्ति के विवेकाधिकार पर, प्रत्येक रोगी बालजिसे नियमित भोजन लेने से मना किया जाता है, उसकी बीमारी को ध्यान में रखते हुए, रोगी बालक के लिए मानदंड अनुसार चिकित्सा आहार जारी किया जा सकता है;
- (iii) दूध, अंडे, चीनी तथा फलों जैसे पोषण का अतिरिक्त आहार नियमित आहार के अलावा संस्था के चिकित्सक की सलाह पर जारी किया जाएगा। वजन बढ़ाने अथवा अन्य स्वास्थ्य कारणों के लिए तथा दैनिक राशन की परिगणना के प्रयोजनार्थ बीमार बालको दिन में दिए जाने वाले निर्धारित आहार से बाहर रखा जाएगा।
- (iv) राष्ट्रीय त्योहारों तथा त्योहारों के अवसर पर समय-समय पर बाल देखभाल संस्था के प्रभारी व्यक्ति द्वारा निर्धारित दर पर बाल देखभाल संस्था में बालको विशेष दोपहर का भोजन अथवा रात्रि का भोजन उपलब्ध कराया जाए, जिसके अंतर्गत:
 - (क) गणतंत्र दिवस (26 जनवरी);
 - (ख) स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त);
 - (ग) महात्मा गांधी जन्मदिवस (2 अक्टूबर);
 - (घ) बाल दिवस (14 नवम्बर)
 - (ङ) राष्ट्रीय त्योहार;
 - (च) स्थानीय त्योहार;
 - (छ) बाल देखभाल संस्था का वार्षिक दिवस भी हैं।

34. चिकित्सा देखभाल.—(1) सभी बाल देखभाल संस्थाओं में, एक चिकित्सा अधिकारी बालकी नियमित चिकित्सा जांच और उपचार हेतु जब कभी आवश्यक होगा कॉल पर उपलब्ध कराया जाएगा।

(2) सभी बाल देखभाल संस्थाओं में नर्स या परा-चिकित्सीय 24 घंटे उपलब्ध कराया जाएगा।

(3) प्रत्येक बाल देखभाल संस्था :

- (i) प्रवेश के 24 घंटों के भीतर या विशेष मामलों में या चिकित्सा आपातकाल के दौरान, तुरंत, चिकित्सा अधिकारी द्वारा संस्था में दाखिल प्रत्येक बालकी चिकित्सा जांच की व्यवस्था करेगी।
- (ii) तबादले से पूर्व 24 घंटों के भीतर तबादले के समय चिकित्सा अधिकारी द्वारा बालकी चिकित्सा जांच की व्यवस्था करेगी।
- (iii) मासिक चिकित्सीय जांच के आधार पर प्रत्येक बालका चिकित्सा अभिलेख रखेगी तथा आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करेगी।
- (iv) यह सुनिश्चित करेगी कि चिकित्सा अभिलेखा में वजन और लंबाई का अभिलेख, बीमारी और उपचार तथा अन्य शारीरिक अथवा मानसिक समस्याओं का अभिलेख शामिल हो;
- (v) दंतों की जांच, आंखों की जांच तथा त्वचा समस्याओं के लिए स्क्रीनिंग तथा बालकों के उपचार सहित त्रैमासिक चिकित्सा जांच की सुविधाएं रखेगी;
- (vi) प्राथमिक उपचार किट रखने के लिए प्रत्येक संस्था तथा समस्त स्टाफ को प्राथमिक उपचार करने में प्रशिक्षित किया जाएगा;
- (vii) बालकों के प्रतिरक्षण टीकाकरण के लिए आवश्यक प्रबंध करेगी;
- (viii) सांसर्गिक अथवा संक्रामक रोगों के प्रकोप के मामले में निवारक उपाय करेगी;
- (ix) बीमार बालकों को स्थिर चिकित्सा पर्यवेक्षक के अधीन रखेगी;

- (x) बालक के माता-पिता या संरक्षक की पूर्व सहमति के बिना शल्य चिकित्सा तब तक नहीं करेगी जब तक माता-पिता को डूँढ़ पाना कठिन हो तथा चिकित्सा अधिकारी की राय में किसी बालकी स्थिति ऐसी है कि उसकी शल्य चिकित्सा में विलंब होने से बालको अनावश्यक पीड़ा, उसके स्वास्थ्य को क्षति पहुंचने की संभावना हो या संस्था के प्रभारी अधिकारी की इस आशय की लिखित सहमति प्राप्त किए बिना उसका शल्य उपचार नहीं करेगी;
- (xi) संस्था प्रत्येक बालक को नियमित परामर्श प्रदान करेगी या इसका प्रबंध करेगी या ऐसी सेवाएं, जिसके अंतर्गत संस्था के परिसर में परामर्श सत्रों के लिए पृथक कमरे भी हैं, विशिष्ट मानसिक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमों को सुनिश्चित करेगी;
- (xii) ऐसे बालक को, जिन्हें विशेष नशीले पदार्थों का सेवन छुड़ाने तथा पुनर्वास कार्यक्रम की जरूरत है, को अर्हता प्राप्त कार्मिकों द्वारा चलाए जा रहे उपयुक्त केंद्रों में भेजेगी, जहां इन कार्यक्रमों में संबंधित बालक की आयु, लिंग तथा अन्य विनिर्देशों को अपनाया जाएगा;

(4) पूर्ण रक्त गणना (सीबीसी), यूरिन रूटीन, एचआईवी, वीडिआरएल, हेपेटाइटिस बी तथा हेपेटाइटिस सी जांचें तथा एलर्जी या नशीले पदार्थों की लत का आधारभूत अन्वेषण बालकी जांच करने के बाद चिकित्सक के सुझाव अनुसार संस्था में प्रवेश के समय सभी बालकों के लिए आयोजित किया जाएगा।

(5) बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय के आदेशानुसार यदि अपेक्षित होगी तो गर्भावस्था या यौनिक अपराधों के पीड़ितों की बीमारियों की जांच ऐसे मामलों में जिला बाल संरक्षण इकाई, यदि आवश्यक हुआ तो गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन को सुसाध्य बनाएगी।

(6) जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से राज्य सरकार चिकित्सा अधिकारी की अनुशंसा पर आनुवांशिक समस्याओं, प्रतिरक्षण-समझौता बीमारियों, शारीरिक तथा मानसिक अक्षमताओं जैसी विशेष समस्याओं के निदान किए गए बालकों हेतु व्यवस्था करेगी। ये बाल विशेष देखभाल गृहों अथवा अस्पतालों में रखे जाएंगे तथा आवश्यक चिकित्सकीय/ मनोवैज्ञानिक तथा मानसिक सहायता या उपचार उपलब्ध कराया जाएगा।

(7) कौमार्यता प्राप्त कर चुकी सभी लड़कियों में लौह की कमी का पता लगाने के लिए स्वास्थ्य मूल्यांकन किया जाएगा। यदि आवश्यक हुआ तो आहार आवश्यक आहारीय योजना तथा दवाएं, विशेषज्ञ तथा नियुक्त चिकित्सक द्वारा निर्धारित की जाएंगी।

(8) प्रत्येक बालकी मानसिक-सामाजिक रूपरेखा का बाल देखभाल संस्था द्वारा रखरखाव किया जाएगा तथा इसे प्रत्येक मास अद्यतन किया जाएगा। जब आवश्यक होगा विशेष प्रेक्षणों का अभिलेख रखा जाएगा। संस्था का प्रभारी व्यक्ति सुनिश्चित करेगा कि की गई अनुशंसाओं का विधिवत अनुपालन हो।

35. मानसिक स्वास्थ्य : (1) किसी संस्था में माहौल शोषण से मुक्त रखा जाना चाहिए ताकि बालअपनी परिस्थितियों का सामना कर सकें तथा वे फिर से आत्मविश्वास प्राप्त कर सकें।

(2) किसी संस्था में बालकों की देखभाल में लगे सभी व्यक्ति वातावरण को अनुकूल बनाने में भाग लेंगे तथा चिकित्सकों के साथ सहयोग करेंगे।

(3) दोनों प्रकार के परिवेश आधारित अंतःक्षेप, जो बालकों के लिए समर्थ परिवेश और व्यक्तिगत चिकित्सा उपलब्ध करा रहे हैं, प्रत्येक बालक के लिए जरूरी है तथा इसे सभी संस्थाओं को उपलब्ध कराया जाएगा।

स्पष्टीकरण : इस उपनियम के प्रयोजन के लिए परिवेश आधारित अंतःक्षेप पुनः निरोग होने की एक प्रक्रिया है जो किसी संस्था में संस्कृति और परिवेश को समर्थ बनाने के लिए प्रारंभ होती है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि प्रत्येक बालकी योग्यताओं का पता लगाया जाता है तथा उनके पास चुनाव करने और अपनी जिंदगी के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार है और इस प्रकार, वे विश्वास करते हैं तथा अपने नकारात्मक अनुभवों से परे अपना विकास और पहचान स्थापित करते हैं और ऐसे अंतःक्षेप का बालक पर महत्वपूर्ण भावनात्मक प्रभाव होता है।

(4) व्यक्तिगत चिकित्सा एक विशेषीकृत प्रक्रिया है तथा प्रत्येक संस्था इसके लिए महत्वपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य अंतःक्षेप की व्यवस्था करेगी।

(5) प्रत्येक संस्था बालक के लिए विशेषीकृत तथा नियमित व्यक्तिगत चिकित्सा के लिए प्रशिक्षित परामर्शदाताओं की सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए, जो बालमार्गदर्शन केंद्रों, मनोविज्ञान और मनः चिकित्सा विभागों जैसे बाह्य अभिकरणों अथवा इस तरह के सरकारी और गैर-सरकारी अभिकरणों से भी प्राप्त की जा सकती हैं।

(6) प्रत्येक मामले की फाइल में मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं को रखा जाएगा तथा इसे प्रत्येक बालक के लिए देखभाल योजना में सम्मिलित किया जाएगा।

(7) किसी भी बालक के प्रशिक्षित मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन तथा रोग निदान किए बिना मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए दवा नहीं दी जाएगी।



(8) केवल प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मचारिवृंद द्वारा बालकों को दवाएं दी जाएंगी तथा न कि गृह के अन्य किसी स्टाफ द्वारा।

36. शिक्षा : (1) प्रत्येक संस्था सभी बालकों को उनकी आयु या सामर्थ्य के अनुसार, आवश्यकतानुसार, संस्था के भीतर या बाहर शिक्षा प्रदान करेगी।

(2) शैक्षणिक अवसर, जिनमें विद्यालय, त्रिज विद्यालय, मुक्त विद्यालय, अनौपचारिक शिक्षा तथा जहां आवश्यकता हो, विशेष शिक्षाविदों से शिक्षा शामिल है, उपलब्ध कराए जाएंगे।

(3) जहां कहीं आवश्यक हो, संस्थाओं के विद्यालय जाने वाले बालकों को अतिरिक्त प्रशिक्षण सेवा प्रदान की जाएगी। यह सेवा स्वयं सेवकों को प्रोत्साहित करके अथवा प्रशिक्षण केंद्रों से संपर्क करके प्रदान की जाएगी।

(4) विशेषीकृत प्रशिक्षकों और विशेषज्ञों को शारीरिक अथवा मानसिक विशेष जरूरतों वाले बालकों की शैक्षणिक जरूरतों की पूर्ति करने हेतु नियुक्त किया जाएगा। व्यक्तिगत देखभाल योजना में सीखने की विकृति की पहचान की जाएगी और मूल्यांकन किया जाएगा तथा सूचना दी जाएगी। प्रशिक्षित व्यावसायिकों द्वारा बालको और सहायता दी जाएगी।

(5) शिक्षा कार्यक्रम और बालकों की उपस्थिति की विनियामकता सुनिश्चित की जाएगी।

(6) बालकों को छात्रवृत्ति, अनुदान और स्कीमें तथा प्रायोजकता प्राप्त करने में समर्थ होना चाहिए।

37. व्यावसायिक प्रशिक्षण : (1) प्रत्येक बाल देखभाल संस्था बालकों को बाल देखभाल संस्था के भीतर अथवा बाहर उनकी आयु, प्रकृति, अभिरुचि, और योग्यता के अनुसार लाभदायक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करेगी।

(2) व्यावसायिक प्रशिक्षण में व्यावसायिक चिकित्सा, कौशल और अभिरुचि आधारित प्रशिक्षण शामिल होगा, जिसका उद्देश्य पाठ्यक्रम के समापन पर उपयुक्त प्लेसमेंट करना है। व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने वाले वरीय रूप में सरकारी मान्यताप्राप्त संस्थान पाठ्यक्रम के समापन पर एक प्रमाणपत्र देंगे।

(3) जहां व्यावसायिक प्रशिक्षण बाली देखभाल संस्था के परिसर से बाहर देने की पेशकश की जाती है, वहां बालकों, विशेषकर उन बालकों को, जो जोखिम में हैं, उचित सुरक्षा आयोजना और सेवाओं के साथ ऐसे कार्यक्रमों हेतु मार्गरक्षण किया जाएगा।

(4) कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी बालकों का अभिलेख रखा जाएगा तथा प्रत्येक बालद्वारा की गई प्रगति की समीक्षा की जाएगी। इस संबंध में रिपोर्ट, तिमाही आधार पर प्रस्तुत की जाएगी।

38. मनोरंजन सुविधाएं : (1) मनोरंजन सुविधाओं में इंडोर खेल और आउटडोर खेल, योग तथा ध्यान लगाना, संगीत, टेलीविजन, पिकनिक और बाहर ले जाना, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बागबानी और पुस्तकालय आदि शामिल किए जाएं।

(2) आउटडोर खेल-कूदों और खेलों के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराया जाएगा।

(3) पिकनिक और बाहर घूमने जाने में शिक्षा मेला अथवा विज्ञान मेला, संग्रहालय, तारामंडल, वनस्पति बगीचा, जीवजन्तु बगीचा आदि शामिल किए जाएं।

(4) त्योहारों पर अथवा राष्ट्रीय उत्सवों पर प्रतिभा दिखाने के लिए प्रत्येक तिमाही में एक बार सांस्कृतिक कार्यक्रम या खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी।

(5) पुस्तकालय में बाल अनुकूल वातावरण रखा जाएगा। क्षेत्रीय भाषा, में पुस्तकें, अखबार, बालकों की पत्रिकाएं, पहेली पुस्तकें, तस्वीर पुस्तकें, ब्रेल लिपि में पुस्तकें, ऑडियो और वीडियो उपकरण आदि होंगे।

(6) बालकों को एक माली द्वारा दी जा रही तकनीकी जानकारी के साथ बागबानी के लिए घर में स्थान उपलब्ध कराया जाएगा।

(7) प्रत्येक बालक को स्वस्थ करने वाली प्रक्रिया में वृद्धि करने के लिए मनोरंजन कार्यक्रमों की सूची में संगीत, नृत्य और कला चिकित्सा को सम्मिलित किया जा सकता है।

(8) कार्यक्रमों की नियमितता को, यदि आवश्यक हो तो संस्थाओं और गैर-सरकारी संगठनों की सहायता से बनाए रखा जाएगा तथा यथास्थिति, बोर्ड अथवा समिति अथवा बाल न्यायालय को तिमाही आधार पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

39. प्रबंधन समिति : (1) प्रत्येक बाल देखभाल संस्था में संस्था के प्रबंधन के लिए तथा प्रत्येक बालक की प्रगति के मानीटरी करने के लिए एक प्रबंधन समिति होगी।

(2) व्यक्तिगत देखभाल योजनाओं के अनुसार उचित देखभाल और उपचार सुनिश्चित करने के संबंध में, बालकों का, उनकी आयु, अपराध की प्रकृति अथवा अपेक्षित देखभाल की प्रकार, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तथा देखभाल में रहने की अवधि के आधार पर समूह बनाया जाएगा।



(3) प्रबंधन समिति में निम्नानुसार शामिल होंगे :-

- (i) जिला बाल संरक्षण अधिकारी (जिला बाल संरक्षण इकाई) – अध्यक्ष;
- (ii) भार साधक व्यक्ति – सदस्य सचिव;
- (iii) परिवीक्षा अधिकारी अथवा बाल कल्याण अधिकारी अथवा मामला कार्यकर्ता – सदस्य;
- (iv) चिकित्सा अधिकारी – सदस्य;
- (v) मनोचिकित्सक अथवा परामर्शदाता – सदस्य;
- (vi) कार्यशाला पर्यवेक्षक अथवा व्यावसायिक अनुदेशक – सदस्य;
- (vii) अध्यापक – सदस्य;
- (viii) बोर्ड अथवा समिति के सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य – सदस्य;
- (ix) प्रत्येक बाल समिति से दो बाल प्रतिनिधि – सदस्य;
- (x) अध्यक्ष की सहमति से कोई अन्य विशेष आमंत्रित व्यक्ति।

(4) प्रबंधन समिति की, निम्नलिखित पर विचार-विमर्श करने तथा समीक्षा के लिए प्रत्येक मास में कम से कम एक बार बैठक होगी :

- (i) संस्था में देखभाल, आवास, कार्यकलाप के क्षेत्र तथा पर्यवेक्षण के प्रकार अर्थात् अपेक्षित अंतःक्षेप;
- (ii) चिकित्सा सुविधाओं और उपचार;
- (iii) भोजन, पानी, स्वच्छता और साफ-सफाई की स्थितियां;
- (iv) मानसिक स्वास्थ्य अंतःक्षेप;
- (v) बालकों की अलग-अलग समस्याओं तथा संस्थागत समायोजन;
- (vi) व्यक्तिगत देखभाल योजनाओं की तिमाही समीक्षा;
- (vii) विधायी सहायता सेवाओं का प्रावधान;
- (viii) रोजगार के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और अवसर;
- (ix) शिक्षा और जीवन कौशल विकास कार्यक्रम;
- (x) सामाजिक समायोजन, मनोरंजन, समूह कार्य कार्यकलापों, मार्गदर्शन और परामर्श देना;
- (xi) आवासीय कार्यक्रमों की बालकों की जरूरतों के लिए प्रगति, समायोजन और उपातरण;
- (xii) पश्च देखभाल सेवाओं के सहयोग से दो वर्षों की अवधि में, निर्मुक्ति पश्चात् अथवा पुनर्स्थापन के पश्चात् पुनर्वास कार्यक्रम की योजना तथा यथास्थिति अनुवर्ती कार्रवाई;
- (xiii) निर्मुक्ति पूर्व अथवा पुनर्स्थापन पूर्व तैयारी;
- (xiv) निर्मुक्ति अथवा पुनर्स्थापन;
- (xv) निर्मुक्ति पश्चात् अथवा पुनर्स्थापन के पश्चात् अनुवर्ती कार्रवाई;
- (xvi) उपलब्ध अवसरचना और सेवाओं सहित देखभाल के न्यूनतम मानक;
- (xvii) दैनिक दिनचर्या;
- (xviii) शिक्षा, व्यावसायिक क्रियाकलापों, मनोरंजन और अभिरुचि जैसी बालक के आवासीय जीवन में सामुदायिक भागीदारी तथा स्वैच्छिक प्रतिभागिता;
- (xix) इस अधिनियम और नियमों के अधीन विधिवत हस्ताक्षरित या मोहरयुक्त यथापेक्षित सभी रजिस्ट्रों को संस्था द्वारा रखरखाव करना, तथा मासिक समीक्षा बैठकों में रजिस्ट्रों की जांच करना तथा सत्यापित करना;
- (xx) बालकों की समितियों से संबंधित मामले; और
- (xxi) अन्य कोई विषय जिसे भारसाधक व्यक्ति उठाना चाहे।



- (5) प्रबंधन समिति प्रत्येक संस्था में एक शिकायत और निवारण तंत्र की स्थापना करेगी तथा कार्यालय सेट-अप से पृथक बालकों की सुगमता से पहुंच वाले स्थान पर तथा बालकों के आवास अथवा कमरों अथवा शयन कक्ष के नजदीक प्रत्येक संस्था में बालकों के लिए सुझाव पेटिका लगाई जाएगी।
- (6) बालकों की सुझाव पेटिका की चाबी प्रबंधन समिति के अध्यक्ष की अभिरक्षा में रहेगी तथा बाल समितियों के सदस्यों की उपस्थिति में प्रबंधन समिति के अध्यक्ष अथवा जिला बाल संरक्षण इकाई के प्रतिनिधि द्वारा प्रत्येक सप्ताह इसकी जांच की जाएगी।
- (7) यदि कोई समस्या अथवा सुझाव हो, जिस पर तुरंत ध्यान देना अपेक्षित हो, तो प्रबंधन समिति का अध्यक्ष इस पर विचार-विमर्श करने तथा आवश्यक कार्रवाई करने के लिए प्रबंधन समिति की आपात बैठक बुला सकता है।
- (8) आपातकालीन बैठकें करने का कोरम बाल समितियों के दो सदस्य, यथास्थिति, प्रबंधन समिति का अध्यक्ष, बोर्ड या समिति का सदस्य तथा बाल देखभाल संस्था का भारसाधक व्यक्ति सहित पांच सदस्य होंगे।
- (9) संस्था के भारसाधक व्यक्ति के विरुद्ध गंभीर आरोप अथवा शिकायत के मामले में, वह आपातकालीन बैठक का हिस्सा नहीं होगा तथा प्रबंधन समिति का अन्य उपलब्ध सदस्य, उसके स्थान पर बैठक में सम्मिलित किया जाएगा।
- (10) सुझाव पेटिका के माध्यम से प्राप्त सभी सुझाव तथा आपातकालीन बैठक में लिए गए निर्णयों के परिणामस्वरूप की गई कार्रवाई अथवा की जाने वाली अपेक्षित कार्रवाई प्रबंधन समिति की मासिक बैठकों में विचार-विमर्श तथा पुनर्विलोकन के लिए रखी जाएगी।
- (11) प्रत्येक संस्था जहां प्रबंधन समिति द्वारा शिकायत तथा की गई कार्रवाई विधिवत अभिलेख की जाती है तथा ऐसी कार्रवाई और अनुवर्ती कार्रवाई प्रबंधन समिति की प्रत्येक मासिक बैठक के उपरांत बाल समितियों को सम्प्रेषित की जाएगी।
- (12) बोर्ड अथवा समिति मास में कम से कम एक बार बालकों की सुझाव पेटिका की पुनर्विलोकन करेगी।
- (13) शिकायत पेटिका समिति के अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सुलभ कराई जाएगी।

40. बाल समिति : (1) बालकों के लिए प्रत्येक संस्था के प्रभारी व्यक्ति बालकों के 6 से 10, 11 से 15 वर्ष तथा 16 से 18 वर्ष के विभिन्न आयु वर्गों हेतु बाल समितियों की स्थापना को सुकर कराएंगे तथा यह बाल समितियां केवल बालकों के लिए गठित की जाएंगी।

(2) ऐसी बाल समितियां को निम्नलिखित कार्यकलापों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा :

- (i) संस्था की स्थिति का सुधार;
- (ii) अनुपालन की जा रही देखभाल के मानकों की समीक्षा करना ;
- (iii) दैनिक दिनचर्या तथा आहार मापदंड तैयार करना;
- (iv) शैक्षणिक, व्यावसायिक और मनोरंजन योजनाओं का विकास करना;
- (v) प्रबंधन संकट में परस्पर सम्मान करना तथा परस्पर सहायता करना;
- (vi) समकक्षों और देखभालकर्ताओं द्वारा शोषण की रिपोर्ट करना;
- (vii) बाल पेपरों अथवा न्यूजलेटरों अथवा पेंटिंग, अथवा संगीत अथवा थियेटर के माध्यम से उनके विचारों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति;
- (viii) प्रबंधन समिति के माध्यम से संस्था से संस्था का प्रबंधन।

(3) भारसाधक व्यक्ति सुनिश्चित करेगा कि प्रतिमास बाल समिति की बैठक की जाए तथा उनके कार्यकलापों और कार्यवाहियों के अभिलिखित करने के लिए एक रजिस्टर का रखरखाव करेगा और इसे मासिक बैठकों में प्रबंधन समिति के समक्ष रखा जाएगा।

(4) भारसाधक व्यक्ति सुनिश्चित करेगा कि बाल समितियों को अनिवार्य सहायता तथा सामग्रियां, जिनमें लेखन सामग्री, स्थान तथा कारगर कार्यकरण के लिए मार्गदर्शन शामिल है, उपलब्ध कराई जाती हैं।

(5) भारसाधक व्यक्ति जहां तक व्यवहार्य होगा, बाल समितियों की स्थापना करने तथा कार्यकरण हेतु बाल प्रतिभागिता विशेषज्ञों अथवा स्थानीय स्वैच्छिक संगठनों से सहायता मांग सकता है।

(6) स्थानीय स्वैच्छिक संगठन अथवा बाल प्रतिभागिता विशेषज्ञ निम्नलिखित में बाल समितियों की सहायता मांगेंगे :

- (i) चुनावों को आयोजित करने के लिए आयोजित किए जाने की प्रक्रिया की युक्ति निकालने में तथा उनके नेताओं को चुनना;
- (ii) चुनावों और मासिक बैठकों का आयोजन करना;
- (iii) बाल समितियों के कार्यकरण हेतु नियम बनाना तथा इनका पालन करना;
- (iv) अभिलेखों और बाल सुझाव पुस्तिका तथा अन्य प्रासंगिक दस्तावेज का रखरखाव करना; और

(v) कोई अन्य अभिनव कार्यकलाप।

(7) प्रबंधन समिति बाल समितियों की स्थापना तथा कार्यकरण पर भारसाधक व्यक्ति से रिपोर्ट मांगेगा, अपनी मासिक बैठकों में इन रिपोर्टों की समीक्षा करेगी तथा आवश्यक कार्रवाई करेगा अथवा इन्हें बोर्ड या समिति के समक्ष रखेगा, जहां कहीं आवश्यक हो।

41. निरीक्षण : (1) राज्य सरकार, राज्य और जिला स्तर पर निरीक्षण समिति का गठन करेगी।

(2) राज्य निरीक्षण समिति में अधिकतम राज्य सरकार से सात सदस्य अर्थात्: बोर्ड या समिति, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण, चिकित्सा और अन्य विशेषज्ञ, स्वैच्छिक संगठन तथा प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता सम्मिलित होंगे। सचिव, राज्य बाल संरक्षण समिति में राज्य निरीक्षण समिति का अध्यक्ष होगा।

(3) राज्य निरीक्षण समिति प्ररूप 46 में राज्य में बालआवास की अधिनियम की धारा 21 की उपधारा(2) के अधीन यथापरिभाषित बाल देखभाल संस्थाओं का निरीक्षण करेगी।

(4) राज्य निरीक्षण समिति यह तय करने के लिए कि संस्था देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के हाउसिंग के लिए है, संस्था में रहने वाले बालकों का यादृच्छिक निरीक्षण करेगी।

(5) राज्य निरीक्षण समिति अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए विभाग के सचिव को रिपोर्ट भेजेगी।

(6) राज्य निरीक्षण समिति, अधिनियम के उपबंधों तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार संस्थाओं के सुधार और विकास के लिए अनुशंसाएं करेगी तथा इसे उपयुक्त कार्रवाई के लिए राज्य बाल संरक्षण समिति अथवा जिला बाल संरक्षण इकाई को भेजेगी।

(7) राज्य निरीक्षण समिति अपने बालकों को कल्याण सुनिश्चित करने तथा उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए उनसे बातचीत करेगा।

(8) जिला निरीक्षण समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी :

- (i) बोर्ड या समिति का सदस्य;
- (ii) सदस्य सचिव के रूप में जिला बाल संरक्षण अधिकारी;
- (iii) चिकित्सा अधिकारी;
- (iv) बाल अधिकारों, देखभाल, संरक्षण और कल्याण में कार्यरत सिविल समिति का एक सदस्य;
- (v) एक मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ जिसे बालकों के साथ कार्य करने का अनुभव हो।

(9) जिला निरीक्षण समिति प्ररूप 46 में सभी बाल देखभाल संस्थाओं का निरीक्षण करेगी।

(10) जिले में आवास सुविधाओं का निरीक्षण प्रत्येक तीन मास से कम से कम एक बार किया जाएगा।

(11) जिला निरीक्षण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई अथवा राज्य सरकार को निष्कर्षों को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी तथा अधिनियम के उपबंधों तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार बाल देखभाल संस्थाओं में सुधार और विकास हेतु सुझाव भी देगी।

(12) जिला निरीक्षण समिति संस्था में अपने दौरे में बालकों का कल्याण सुनिश्चित करने तथा प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए उनसे बातचीत करेगी।

42. मूल्यांकन : (1) प्रतिष्ठित अकादमिक संस्थाओं, विश्वविद्यालयों के सामाजिक कार्य के स्कूल, प्रबंधन संस्थाओं, विशेष रूप से इस प्रयोजनार्थ गठित बहु-अनुशासनात्मक समिति आदि जैसी संस्थाओं तथा अभिकरणों के माध्यम से तीन वर्ष में एक बार केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बोर्ड, समिति, विशेष किशोर पुलिस इकाइयों, रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं, अथवा मान्यताप्राप्त उपयुक्त सुविधाओं तथा व्यक्तियों के कार्यकरण का मूल्यांकन किया जाएगा।

(2) उक्त उप-नियम (1) के अनुसार मूल्यांकन के निष्कर्ष विभिन्न संरचनाओं के कामकाज को सुदृढ़ करने तथा सुधार करने के संबंध में केंद्रीय तथा राज्य सरकारों में शेयर किए जाएंगे।

अध्याय-7

दत्तकग्रहण

43. दत्तक संबंधित रिपोर्ट करना : (1) बालदेखभाल समिति, दत्तक विनियमनों में उपलब्ध प्ररूपों में ऑनलाइन प्राधिकरण के निर्णय हेतु लंबित मामलों तथा दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित बालकों से संबंधित आंकड़े भेजेगी तथा जिला बालसंरक्षण इकाइयों की सहायता से संबंधित राज्य दत्तक ग्रहण से संसाधन अभिकरणों को भी ये आंकड़े उपलब्ध कराएगी।

44. बालक जो दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित किए जाने के बाद दत्तक ग्रहण नहीं किए गए हैं, पोषण देखरेख के लिए पात्र होंगे : (1) बालकों के निम्नलिखित प्रवर्गों का निम्नलिखित परिस्थितियों में पोषण देख-रेख के लिए विचार किया जाएगा :

- (i) दत्तक ग्रहण हेतु विधिक रूप से मुक्त समितियों द्वारा विचार किए जा रहे 0-6 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों तथा उन बालकों जिन्हें दत्तक ग्रहण हेतु विधिक रूप से मुक्त घोषित किया गया है, को जहां तक संभव होगा। पोषण देखरेख के लिए रखने पर विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे बालकों को दत्तक ग्रहण विनियमों के अनुसार दत्तक ग्रहण के माध्यम से एक स्थायी परिवार उपलब्ध कराया जाएगा।
- (ii) यदि 6 से 8 वर्षों की आयु वर्ग के दत्तक ग्रहण बालकों को दो वर्षों की अवधि में देश के भीतर या देश के बाहर दत्तक ग्रहण के लिए कोई परिवार नहीं मिलता है तो इसके बाद उन्हें बाल कल्याण समिति द्वारा दत्तक ग्रहण हेतु विधिक रूप से मुक्त घोषित किया जाता है, ऐसे बालजिला बाल संरक्षण इकाई अथवा विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरणों की अनुशंसा पर समिति द्वारा यथास्थिति परिवार पोषण देखरेख अथवा समूह पोषण देखरेख, जैसा भी मामला हो, में रखे जाने के लिए पात्र होंगे।
- (iii) जिला बाल संरक्षण इकाई अथवा विशेषीकृत दत्तकग्रहण अभिकरण की अनुशंसा पर समिति द्वारा 8 से 18 वर्षों की आयु वर्ग के बालको को, जो विधिक रूप से दत्तकग्रहण के लिए मुक्त हैं, एक वर्ष की अवधि में जिनका किसी संबंधित दत्तकग्राही माता-पिता द्वारा चयन न किया गया हो, यथास्थिति परिवार पोषण देखरेख अथवा समूह पोषण देखरेख में रखे जाने के पात्र होंगे।
- (iv) आयु को न देखते हुए विशेष आवश्यकताओं वाले बालक जिनको एक वर्ष के भीतर देश के भीतर अथवा विदेश में दत्तक ग्रहण के लिए कोई परिवार नहीं मिलता है बाद में उन्हें बाल कल्याण समिति द्वारा दत्तक ग्रहण हेतु विधिक रूप से मुक्त किया जाता है, ऐसे बालजिला बाल संरक्षण इकाई अथवा विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी की अनुशंसा पर समिति द्वारा परिवार जिला बाल संरक्षण इकाई अथवा विशेषीकृत दत्तकग्रहण अभिकरण की अनुशंसा पर समिति द्वारा परिवार पोषण देखरेख अथवा समूह पोषण देखरेख में रखे जाने के पात्र होंगे, बशर्ते परिवार पोषण देखरेख की गृह अध्ययन रिपोर्ट उनकी उपयुक्तता में सहायता करे तथा ऐसे बालकों की देखरेख की सुविधाएं हों।
- (v) जहां बालक दत्तक ग्रहण पूर्व पोषण देखरेख के स्थान पर न्यूनतम पांच वर्षों तक किसी परिवार पोषण देखरेख में रहा है, पोषण देखरेख करने वाला परिवार दत्तक ग्रहण के लिए आवेदन कर सकता है तथा उस बालको दत्तक ग्रहण हेतु विधिक रूप से मुक्त घोषित होने के बाद तथा बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली में रजिस्ट्रीकरण होने के बाद दत्तक ग्रहण विनियम में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बालदत्तक ग्रहण करने को वरीयता दी जाएगी।

45. न्यायालय से पूर्व प्रक्रिया : (1) संबंधित न्यायालय से दत्तक ग्रहण आदेश प्राप्त करने की प्रक्रिया दत्तक ग्रहण विनियम में उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) न्यायालय दत्तक ग्रहण आदेश के लिए आवेदन के प्रयोजनार्थ सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 कर 5) तथा साक्ष्य अधिनियम, 1872 में निर्धारित प्रक्रिया के लिए बाध्य नहीं होगी। किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 तथा दत्तक ग्रहण विनियम में यथानिर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

46. आवेदनों के निपटारे की अवधि : (1) न्यायालय अधिनियम की धारा 61 की उप-धारा (2) में यथा प्रदत्त, आवेदन को भरने की तारीख से दो मास की अवधि में दत्तक ग्रहण आदेश देने हेतु आवेदन का निपटारा करेगा तथा जहां ऐसे मामलों में सामान्यतः क्षेत्राधिकार रखने वाले संबंधित न्यायालय का न्यायाधीश एक मास से अधिक अवधि तक उपलब्ध न हो, जब तक वहां ये आवेदन अन्य ज्येष्ठतम न्यायाधीश द्वारा निर्धारित समय-सीमा में निपटाए जाएंगे।

(2) बालक की पहचान को अनावृत्त करते हुए दत्तक ग्रहण संबंधी कोई सूचना अन्यथा न्यायालय आदेश को दत्तक ग्रहण विनियम में नियत को छोड़कर निजी किसी पोर्टल पर अपलोड नहीं की जाएगी।

47. दत्तक बालक के संरक्षण के विशेष उपबंध : दत्तक बालक के साथ किए गए किसी अपराध के मामले से अन्य बालकों पर लागू विधि के अनुसार निपटा जाएगा।

48. विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण से बालदेखरेख संस्थाओं का संपर्क : दत्तक ग्रहण के प्रयोजनार्थ विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरणों के साथ बाल देखरेख संस्थाओं का संपर्क इस अधिनियम की धारा 66 के उपबंधों प्रावधानों तथा दत्तक ग्रहण विनियम द्वारा शासित किया जाएगा।

49. प्राधिकरण के अतिरिक्त कृत्य: (1) प्राधिकरण इस अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कृत्य के अलावा निम्नलिखित कृत्यों के अनुपालन को निष्पादित करेगा; अर्थात्:

- (i) प्राधिकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण अथवा केंद्रीय प्राधिकरण अथवा संबंधित सरकारी विभाग अथवा भारतीय राजनीतिक मिशन के माध्यम से किसी अनिवासी भारतीय अथवा भारत के विदेशी नागरिक अथवा विदेश में रहने वाले विदेशी से आवेदन प्राप्त करना तथा इस अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (5) के अधीन प्रक्रिया करना;



- (ii) इस अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (12) के संबंध में किसी विदेशी अथवा एक वर्ष अथवा इससे अधिक प्रणाली भारत में रह रहे भारत के विदेशी नागरिक तथा जो भारत से किसी बालको दत्तक ग्रहण में रुचि रखता हो, से आवेदन प्राप्त करना तथा प्राप्त आवेदनों को आगे प्रक्रियाधीन करना;
- (iii) देश के भीतर दत्तक ग्रहण के सभी मामलों में अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करना;
- (iv) देश के भीतर दत्तक ग्रहण के संबंध में बालसंरक्षण और सहयोग पर 1993 में हेग अभिसमय के अनुच्छेद 23 के अधीन अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण मामले में पुष्टिकरण प्रमाणपत्र जारी करना;
- (v) भारत के अप्रवासन प्राधिकरण तथा अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण मामलों के बारे में बालक के प्रापक देश को सूचित करना;
- (vi) दत्तक ग्रहण प्रणाली में पारदर्शिता के लिए बालदत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली का रखरखाव करना;
- (vii) राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरणों, जिला बालसंरक्षण इकाइयों, विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरणों तथा दत्तक ग्रहण और संबंधित मामलों के अन्य हितधारकों को प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं, अभिज्ञता दौरों, परामर्शों, सम्मेलनों, सेमिनारों तथा अन्य क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से सहायता तथा मार्गदर्शन प्रदान करना;
- (viii) सरकारों तथा राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरणों में समन्वय करना तथा उन्हें दत्तक ग्रहण संबंधित मामलों में सलाह देना;
- (ix) निम्नलिखित से संबंधित समान मानक तथा संकेतक स्थापित करना :
 - (क) अनाथ, परित्यक्त और छोड़े गए बालकों तथा नातेदारी दत्तक ग्रहण से संबंधित दत्तक ग्रहण प्रक्रिया;
 - (ख) विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरणों तथा बालदेखभाल संस्थाओं में गुणवत्तापरक बालदेखभाल मानक;
 - (ग) सेवा प्रदाताओं का प्रबोधन तथा पर्यवेक्षण;
 - (घ) दत्तक ग्रहण के मामले में दस्तावेज का मानकीकरण;
 - (ङ) दत्तक ग्रहण को सुगम बनाने हेतु ऑनलाइन आवेदनों सहित सुरक्षापाय तथा नैतिक पद्धतियां।
- (x) दत्तक ग्रहण संबंधी मामलों पर अनुसंधान, दस्तावेजीकरण और प्रकाशन निकालना।
- (xi) बालदत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली में दत्तक ग्रहण के प्रयोजनार्थ बालकों तथा संबंधित दत्तकग्राही माता-पिता से संबंधित एक व्यापक केंद्रित आंकड़ा आधार का रखरखाव करना;
- (xii) बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली में दत्तक ग्रहण में रखे गए बालकों तथा दत्तकग्राही माता-पिता से संबंधित व्यापक केंद्रित आंकड़ा आधार का रख-रखाव करना;
- (xiii) स्वयं द्वारा अथवा इससे संबद्ध निकायों के माध्यम से दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए परासमर्थन, जागरूकता और सूचना, शिक्षा तथा संचार कार्यकलापों का निष्पादन करना;
- (xiv) हेग दत्तक ग्रहण अभिसमय के अधीन जहां कहीं आवश्यक हो, विदेशी केंद्रीय प्राधिकरणों के साथ द्विपक्षीय करार करना; और
- (xv) अनिवासी भारतीयों अथवा भारत के विदेशी नागरिकों अथवा भारतीय बालकों के अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण के लिए विदेशी संबंधित दत्तक ग्राही माता-पिता के आवेदनों को प्रक्रिया में लाने के लिए विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरणों को प्राधिकृत करना।

50. प्राधिकरण की संचालन समिति के सदस्यों की नियुक्ति की निबंधन और शर्तें : (1) प्राधिकरण की संचालन समिति के सदस्य के रूप में चयनित अथवा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले व्यक्तियों की निम्नलिखित पात्रताएं होंगी :

- (i) भारतीय नागरिक होना;
- (ii) उसकी आयु 25 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष से अधिक न हो तथा इस अधिनियम की धारा 69 की उपधारा (1) के खंड (ड.) के अनुसार दत्तकग्राही सदस्य के लिए, न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी;
- (iii) प्रवृत्त समय में किसी विधि के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष अथवा दंडादिष्ट न हो; और
- (iv) केंद्रीय अथवा राज्य सरकार, अथवा केंद्रीय अथवा राज्य सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रण में किसी निकाय अथवा निगम से हटाया अथवा पदच्युत न किया गया हो।

(2) इस अधिनियम की धारा 69 की उपधारा (1) के खंड (घ) में सदस्य चक्रानुक्रम आधार पर विभिन्न अंचलों से लिए जाएंगे।



(3) संचालन समिति के सदस्यों के चयन के प्रयोजनार्थ शामिल अंचल और राज्य समय-समय पर अंतर-राज्य परिषद तथा पूर्वोत्तर परिषद द्वारा बनाए गए समूह के अनुसार होंगे। किन्हीं आंचलिक परिषदों में सम्मिलित न किए गए राज्य औद्योगिक सामिप्य में आने वाले अंचल में सम्मिलित किए जाएंगे।

(4) राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण से सदस्य का निम्नलिखित के आधार पर विचाराधीन अंचल के राज्य से चयन किया जाएगा :

- (i) राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण द्वारा आयोजित विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरणों के निरीक्षणों की संख्या;
- (ii) विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरणों की तिमाही बैठकें आयोजित करने तथा बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली में ऐसी बैठकों के कार्यवृत्तों को अपलोड करने में नियमितता;
- (iii) संबंधित जिला बालसंरक्षण इकाइयों के माध्यम से विशेषीकृत दत्तकग्रहण अभिकरणों में राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरणों द्वारा रखे गए आंकड़ा सत्यनिष्ठा का स्तर;
- (iv) हितधारकों की क्षमता निर्माण राज्यों में दत्तकग्रहण के संवर्धन हेतु राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरणों के प्रचार जागरूकता कार्यक्रमों का स्तर;
- (v) राज्य में अन्य हितधारकों तथा प्राधिकरण के साथ समन्वय का स्तर।

(5) चयनित राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण का राज्य सरकार के विभाग के सचिव द्वारा संचालन समिति में प्रति निर्धारित किया जाएगा। संबंधित अधिकारी का रैंक उप-सचिव अथवा संयुक्त निदेशक, राज्य सरकार से कम का नहीं होना चाहिए।

(6) विशेषीकृत दत्तकग्रहण अभिकरणों के सदस्य बालदत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली में उपलब्ध निम्नलिखित मानदंड के अनुसार तथा प्राधिकरण में उपलब्ध अभिलेख के अनुसार चयन किया जाएगा।

- (i) दत्तकग्रहण में दिए गए बालकों की संख्या;
- (ii) बालदत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली में निष्पादन और आंकड़ा सत्यनिष्ठा;
- (iii) दत्तकग्रहण में रखे गए बालकों की प्रगति का अनुवर्तन;
- (iv) अभिलेख रखना तथा दस्तावेजीकरण करण;
- (v) बालदेखभाल मानक; तथा
- (vi) अभिकरण के विरुद्ध कदाचार की शिकायत का सिद्ध न होना।

(7) विशेषीकृत दत्तकग्रहण अभिकरणों का उनके यथास्थिति प्रधान अथवा अध्यक्ष अथवा महासचिव अथवा सचिव अथवा प्रबंधकर्ता न्यासी अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक, द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाएगा।

(8) परिवार विधि में अधिवक्ता अथवा प्रोफेसर की श्रेणी के सदस्यों का चयन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त प्रत्येक प्रवर्ग से दो नामों के साथ, चार नामों के संयुक्त पैनल से किया जाएगा।

(9) अधिनियम की धारा 69 की उपधारा (1) खंड (ड.) और (च) के अधीन चयन समिति के सदस्यों का किसी समिति द्वारा चयन अथवा नामनिर्देशित किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :

- (i) सचिव, महिला और बाल विकास मंत्रालय अध्यक्ष के रूप में;
- (ii) महिला और बाल विकास मंत्रालय में प्राधिकरण के प्रभारी अपर सचिव अथवा संयुक्त सचिव सदस्य के रूप में;
- (iii) महिला और बाल विकास की मंत्री द्वारा यथानामित बाल संरक्षण के क्षेत्र में एक अतिरिक्त विशेषज्ञ सदस्य के रूप में; और
- (iv) सदस्य संयोजक के रूप में, संचालन समिति का सदस्य सचिव।

(10) पदेन सदस्यों से भिन्न संचालन समिति के सदस्य महिला और बाल विकास मंत्री के अनुमोदन से नियुक्त किए जाएंगे।

(11) पदेन सदस्य से भिन्न, संचालन समिति के सदस्यों का कार्यकाल, यदि सदस्य ने त्यागपत्र न दिया हो अथवा उसे हटाया न गया हो अथवा 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर, को छोड़कर उनकी नियुक्ति की तारीख से 2 वर्ष का होगा।

(12) एक गैर-पदेन सदस्य द्वितीय अवधि के लिए पात्र नहीं होगा।

(13) किसी रिक्ति के मामले में, राज्य सरकार से उसी प्रवर्ग से कार्यकाल की शेष अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट अथवा चुना जाएगा।

(14) प्राधिकरण की संचालन समिति का गैर-पदेन सदस्य एक सदस्यता से विरत हो जाएगा यदि :

- (i) वह सदस्य के रूप में त्यागपत्र देता है; अथवा
- (ii) उस पर जिसमें उसने सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व किया है, के आधार पर स्थिति रखने से विरत हो जाता है; अथवा



(iii) उसे निम्नलिखित आधारों पर हटाया गया हो :

- (क) दिवालिया के रूप विनिर्णीत होने पर; अथवा
- (ख) नैतिक चरित्रहीनता के आपराधिक मामले में दोषी होने पर; अथवा
- (ग) संचालन समिति के अध्यक्ष की अनुमति के बिना संचालन समिति की तीन निरंतर बैठकों में भाग लेने में विफल रहने पर; अथवा
- (घ) प्राधिकरण की रूचियां, दत्तकग्रहण कार्यालय के उद्देश्यों के खिलाफ कार्य करता हुआ पाया जाने तथा यथा लागू विनियमनों का पालन न करता पाया जाने पर; अथवा
- (ङ) मीडिया अथवा किसी अन्य अभिकरण को अध्यक्ष की पूर्व सूचना अथवा प्राधिकार के बिना संचालन समिति की बैठकों में विचार-विमर्शों अथवा कार्य अथवा किसी दस्तावेज के किसी लेनदेन अथवा इस प्रयोजनार्थ उनकी सूचना देने में संलिप्त पाया जाने पर, अथवा
- (च) किसी स्रोत जो प्राधिकरण के कार्यों और उद्देश्यों के प्रतिकूल स्थितियों व दायित्वों में अंतर्वलित है, से दान स्वीकार करते हुए पाया जाने पर।

(15) राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण के अलावा गैर-पदेन सदस्य संचालन समिति की बैठक में भाग लेने के लिए केंद्रीय सरकार के नियमों के अनुसार प्रति बैठक 1000 रुपए बैठक शुल्क, इकांनामी क्लास के हवाई जहाज के किराए का यात्रा भत्ता, होटल आवास तथा भोजन पर हुए व्यय को लेने का पात्र होगा।

51. प्राधिकरण की संचालन समिति के कार्य का लेनदेन : (1) प्राधिकरण की संचालन समिति की मास में एक बार बैठक की जाएगी।

(2) संचालन समिति के कार्य का संव्यवहार अत्यावश्यकता के मामले में परिपत्र द्वारा भी आयोजित किया जा सकता है तथा कार्य के ऐसे संव्यवहार का वही प्रभाव होगा जो औपचारिक बैठक में कार्य संव्यवहार हुआ था।

(3) संचालन समिति की बैठक अध्यक्ष के अनुमोदन से सदस्य सचिव द्वारा बुलाई जाएगी।

(4) बैठक की सूचना बैठक की वास्तविक तारीख से कम से कम सात दिन पूर्व सदस्य सचिव द्वारा सूचित की जाएगी।

(5) संचालन समिति की अत्यधिक सामान्य बैठक अध्यक्ष द्वारा किसी भी समय बुलाई जा सकती है।

(6) बैठक के कोरम में संचालन समिति के पांच सदस्य होंगे।

(7) बैठक की इसके अध्यक्ष द्वारा अध्यक्षता की जाएगी तथा उसकी अनुपस्थिति में, अध्यक्ष द्वारा एक सदस्य नामनिर्दिष्ट अथवा अभिहित किया जाएगा।

(8) संचालन समिति में सभी निर्णय विशेष आमंत्रित व्यक्तियों यदि कोई हों, को छोड़कर उपस्थित सदस्यों के बहुमत से लिए जाएंगे।

(9) मतों के बराबर होने पर, अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देगा।

(10) बैठक का कार्यवृत्त अध्यक्ष द्वारा इसका अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत सदस्य सचिव द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा।

(11) संचालन समिति के कारबार के संचालन के सम्पादन से संबंधित कोई अन्य विषय जब कभी आवश्यक होगा, संचालन समिति द्वारा अंगीकृत प्रक्रिया द्वारा शासी होगा।

52. प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट : मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा विधिवत प्राधिकृत प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा किसी अन्य अधिकारी की ओर से वित्तीय वर्ष जिससे रिपोर्ट संबंधित है का अनुसरण करते हुए 30 जून को अथवा इससे पूर्व अधिनियम की धारा 71 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट को तैयार करेगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन तैयार वार्षिक रिपोर्ट संचालन समिति द्वारा अनुमोदन के उपरांत मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित तथा अधिप्रमाणित किया जाएगा।

53. अधिकरण का लेखा-जोखा तथा लेखापरीक्षा : प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्राधिकरण के लेखाओं का वार्षिक विवरण मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा प्राधिकरण के ऐसे अधिकारी जिसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी की ओर से प्राधिकृत किया गया हो, द्वारा तैयार किया जाएगा।

(2) प्राधिकरण वित्तीय वर्ष के शेष भाग के दौरान हुए व्यय तथा होने की संभावना वाले व्यय की तिमाही समीक्षाएं केंद्रीय सरकार को भेजेगा।

(3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्राधिकरण के लेखाओं के रखरखाव, वित्तीय विवरण तथा विवरणियों के संकलन का पर्यवेक्षण करेगा तथा साथ सुनिश्चित रहेगा कि प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा करने के प्रयोजनार्थ नियंत्रक और महालेखाकार के कार्यालय द्वारा अपेक्षित

प्राधिकरण और महालेखाकार के कार्यालय द्वारा अपेक्षित प्राधिकरण की सभी लेखाबहियों, संबंधित वाउचरों और अन्य दस्तावेज तथा कागजात उस कार्यालय के निपटान पर रखता है।

(4) प्राधिकरण के लेखाओं का समय-समय पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा विहित रूपविधानों में रखरखाव किया जाएगा।

(5) लेखाओं की वार्षिक विवरणी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित तथा अधिप्रमाणित किया जाएगा।

(6) प्राधिकरण के लेखाओं की वार्षिक विवरणी अनुवर्ती वर्ष जिससे लेखाओं का वार्षिक विवरणी अनुवर्ती वर्ष जिससे लेखा संबंधित है, 30 जून को अथवा इससे पूर्व नियंत्रक महालेखापरीक्षक के कार्यालय को प्रस्तुत करेगा, जो प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा करेगा तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(7) प्राधिकरण, लेखापरीक्षा, इसमें उल्लिखित किसी चूक अथवा अनियमितता की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर तथा इसके द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में केंद्रीय सरकार तथा नियंत्रक महालेखापरीक्षक के कार्यालय को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

अध्याय-8

बालकों के विरुद्ध अपराध

54. बालकों के विरुद्ध अपराधों के मामले में प्रक्रिया : (1) किसी बालक के विरुद्ध अपराध की शिकायत बालक, परिवार, संरक्षक, बालक के मित्र अथवा अध्यापक, चाइल्डलाइन सेवा अथवा किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था अथवा संबंधित संगठन द्वारा की जा सकती है।

(2) किसी बालक के विरुद्ध संज्ञेय अपराध के संबंध में सूचना की प्राप्ति पर, पुलिस तुरंत प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (प्रा.सू.रि.) दर्ज करेगी।

(3) किसी बालक के विरुद्ध गैर-संज्ञेय अपराध की सूचना की प्राप्ति पर, पुलिस को दैनिक बही में प्रविष्टि करेगी जिसे तुरंत संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 155 की उप-धारा (2) के अधीन सीधी उचित कार्रवाई करेगा।

(4) बालक के विरुद्ध अपराधों के सभी मामलों में, बालकल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।

(5) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई प्रतिबद्ध अपराध यथास्थिति विशेषीकृत दत्तकग्रहण अभिकरण, समिति अथवा बोर्ड, सहित, किसी बालदेखभाल संस्था द्वारा किया जाता है, तो बाल देखभाल संस्था अथवा किसी अन्य बाल देखभाल संस्था में विशेषीकृत दत्तकग्रहण अभिकरण अथवा विशेषीकृत दत्तकग्रहण अभिकरण में पूर्व में रखे गए बालकों के साथ रखने तथा ऐसी संस्था अथवा अभिकरण की मान्यता को हटाने तथा रजिस्ट्रीकरण को निरस्त करने की सिफारिश करने के लिए उपर्युक्त आदेश कर सकता है।

(6) जहां इस अधिनियम तथा नियमों के अधीन किसी अपराध के लिए प्र.सू.रि. विशेषीकृत दत्तकग्रहण अभिकरण सहित किसी बाल देखभाल संस्था में कार्यरत व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज की जाती है तो ऐसे किसी व्यक्ति को आपराधिक मामले के लंबित रहने के दौरान बालकों सहित प्रत्यक्ष रूप से काम से निकाला जाएगा।

(7) जहां किसी व्यक्ति को इस अधिनियम और नियमों के अधीन सेवा से पदच्युत किया गया हो अथवा दोषी पाया गया हो, उसे नियुक्ति से अयोग्य ठहराया जाएगा।

(8) किसी भी मामले में किसी बालक को पुलिस हवालात अथवा जेल में बंद नहीं किया जाएगा।

(9) बालक और उसके परिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधीन परा-विधिक स्वयंसेवक सुलभ कराए जाएंगे।

(10) भोजन, कपड़े, आपातकालीन चिकित्सा सेवा, परामर्श, मनोचिकित्सक सहायता की जरूरतों के संबंध में बालक की तात्कालिक आवश्यकता का मूल्यांकन किया जाएगा तथा इन्हें पुलिस स्टेशन में बालक को तुरंत उपलब्ध कराया जाएगा।

(11) जब कोई बालयौनिक शोषण के अध्यधीन हो, बालक को नजदीक के यथास्थिति जिला अस्पताल अथवा वन-स्टाप क्रसिस सेंटर, यदि स्थानीय रूप से उपलब्ध हों, भेजा जा सकता है।

(12) बालकों की प्रतीक्षा के लिए तथा अपना बयान और साक्षात्कार देने वाले बालकों के लिए पृथक स्थल की सुविधा सहित प्रत्येक न्यायालय परिसर में विशेष बालकक्ष; पृथक प्रवेश, जहां संभव हो; जहां कहीं संभव हो बालकों से बातचीत के लिए वीडियो कानफ्रेंसिंग; पुस्तकों, खेलों आदि जैसे बालकों के मनोरंजन का प्रावधान किया जाए। पीड़ित बालकों की सुनवाई अथवा साक्ष्य के अलावा बयान और साक्षात्कार बालकक्ष में बालअनुकूल प्रक्रिया के माध्यम से अभिलिखित किए जाएंगे।

(13) निम्नलिखित शर्तों को सुनिश्चित करते हुए पीड़ित व्यक्ति/साक्षी बालक का कथन अथवा साक्षात्कार लिया जाएगा :

- (i) मजिस्ट्रेट बालक के कक्ष अथवा यदि संभव हो, गृह अथवा संस्था जहां वह रह रहा है बालक के आवास स्थल में आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 164 के अधीन बालक का कथन अभिलिखित करेगा।
- (ii) बालक द्वारा दिए गए अनुसार कथन अक्षरशः अभिलिखित किया जाएगा।



(iii) आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार, ऑडियो-वीडियो साधनों द्वारा भी कथन अभिलिखित किया जा सकता है।

(iv) माता-पिता अथवा संरक्षक अथवा सामाजिक कार्यकर्ता बालक के साथ होंगे।

(14) विधिक सेवा प्राधिकरण सुनवाई पूर्व परामर्श देने बालक के कथन को अभिलिखित करने हेतु एक सहायक व्यक्ति अथवा परा-विधिक स्वयंसेवक उपलब्ध करा सकता है तथा बालक के कथन को अभिलिखित करने के लिए बालक का साथ देने हेतु जो अग्रिम रूप में न्यायालय तथा न्यायालय पर्यावरण से बालक को परिचित कराएगा, तथा जहां बालक को न्यायालय आने के अनुभव से व्याकुल हुआ पाया जाता है तो सहायक व्यक्ति अथवा परा-विधिक स्वयंसेवक अथवा विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बालक की ओर से दिए गए आवेदन पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के लिए आदेश न्यायालय द्वारा पारित किया जा सकता है।

(15) यदि बालपीडित अथवा साक्षी जिले अथवा राज्य अथवा देश से संबंधित नहीं है, बालक का कथन अथवा साक्षात्कार अथवा अभिसाक्ष्य वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से भी अभिलेख किया जा सकता है।

(16) जहां वीडियो कांफ्रेंसिंग संभव नहीं है, सभी आवश्यक आवास, बालक के लिए यात्रा व्यय तथा बालक का साथ देने के लिए संरक्षक को राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा यथार्थ के अनुसार प्रदान किया जाएगा।

(17) बालसाक्षी गवाहों के साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए प्रत्येक न्यायालय परिसर में अतिसंवेदनशील साक्षियों के लिए पृथक कमरे अभिहित किए जाएंगे।

(18) जहां तक संभव होगा, बालक से संबंधित सुनवाई के दौरान, बालअनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित मानदंडों का अनुपालन किया जाएगा।

- (i) माता-पिता अथवा संरक्षक (कों) हर समय (क्योंकि बालक के सर्वोत्तम हित में है) बालक के साथ रहेंगे। यदि उक्त व्यक्ति हितों की अनदेखी करता है, तो बालक की पसंद पर अन्य व्यक्ति अथवा उपयुक्त व्यक्ति अथवा अभिज्ञात उपयुक्त संस्था का प्रतिनिधि अथवा समिति अथवा न्यायालय द्वारा नियुक्त मनोचिकित्सक न्यायालय के अनुमोदन से हर समय बालक के साथ रहेगा।
- (ii) जहां कहीं आवश्यक होगा बालक को मनोचिकित्सकीय परामर्श को उपलब्ध कराया जाएगा।
- (iii) ऐसी स्थिति में जहां माता-पिता अथवा संरक्षक अपराध में लिप्त हैं अथवा जहां बालक ऐसे किसी स्थान पर रह रहा हो जहां बालक को और अधिक आघात लगने का जोखिम हो, तो इसे न्यायालय के ध्यान में लाया जाता है अथवा स्वयं अपने प्रस्ताव पर न्यायालय बालक को ऐसी अभिरक्षा अथवा देखभाल से बाहर लाए जाने अथवा ऐसी स्थिति से निकालने के लिए निर्देश देगा तथा बालक को तुरंत समिति के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- (iv) बालक के साथ अपराधों के संबंध में पीडित की आयु के निर्धारण हेतु, अधिनियम के अधीन, इस अधिनियम की धारा 94 के अधीन बोर्ड तथा समिति हेतु अधिदेशित इन प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा।
- (v) उपयोग की गई भाषाओं से बालक को परिचित कराया जाएगा तथा यदि आवश्यक हो अनुवादक तथा विशेष शिक्षा देने वाले उपलब्ध कराए जाएंगे।
- (vi) बालक का बयान अभिलेख करने से पूर्व, न्यायालय सुनिश्चित करें कि बालस्वैच्छिक बयान देने में समर्थ है।
- (vii) एकमात्र, बालक की आयु के आधार पर सुनवाई में साक्ष्य के रूप में बालक के किसी बयान की उपेक्षा न की जाए।
- (viii) बालक के साक्षात्कार में अनुमेय इमेज अथवा बयान बालक के मानसिक अथवा शारीरिक हित के प्रति नुकसानदायक नहीं होने चाहिए।
- (ix) साक्षात्कार में अनुमेय प्रश्न, साक्षात्कार का समय बालक को भारस्वरूप न लगे तथा बालक का ध्यान आकर्षित करने के लिए उपयुक्त हो।
- (x) छोटे बालकों अथवा अन्यत्र अक्षम बालक के मामले में, बातचीत के वैकल्पिक तौर तरीके तथा साक्ष्य संग्रहण जिसमें डॉट-डपट करना कम हो, अंगीकार किए जाने चाहिए।
- (xi) न्यायालय यह सुनिश्चित करे कि सुनवाई के दौरान किसी भी सूत्र पर बालक दोषी के सम्मुख न आए।
- (xii) गवाए गए दिनों हेतु स्कूल से विशेष अनुमति तथा उपचारात्मक कक्षाओं के लिए प्रबंध स्कूल प्राधिकाारियों द्वारा सुनिश्चित किए जाएं।

(19) बालक को, जैसा की मामला हो, का प्रतिनिधित्व :

- (i) उसकी पसंद के वकील, अथवा
- (ii) पब्लिक प्रोसिक्युटर, अथवा



(iii) विधायी सेवा प्राधिकरण द्वारा तय किए गए अथवा पैनल में रखे गए वकील द्वारा।

(20) न्यायालय के समस्त कार्मिकों तथा संबंधित अन्य में बालकों की विशेष जरूरतों तथा बालअधिकारों पर संचेतना पैदा की जाए।

(21) सुनवाई की प्रक्रिया के उपरांत :

(i) बालक अथवा संरक्षक को न्यायिक कार्यवाही के निर्णय तथा इसके प्रस्ताव की सूचना दी जानी चाहिए।

(ii) बालक अथवा संरक्षक को उनके विधायी विकल्पों के बारे में अवगत कराया जाना चाहिए।

55. अधिनियम की धारा 75 के अधीन अपराध के मामले में प्रक्रिया : (1) इस अधिनियम की धारा 75 तथा इस नियम के प्रयोजनार्थ, किसी बालक का विवाह करना बालक के साथ क्रूरता समझा जाएगा। विवाह किए जाने वाले बालक के जोखिम की सूचना की प्राप्ति पर, पुलिस अथवा इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत अथवा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 (2007 का 6) के अधीन कोई अधिकारी बालक को उपयुक्त निर्देशों तथा पुनर्वास उपायों के लिए समिति के सम्मुख प्रस्तुत करेगी।

(2) जहां किसी बालक के साथ क्रूरता का कार्य किसी बाल देखरेख संस्था, अथवा किसी स्कूल में अथवा बालक को रखे गए किसी देखभाल और संरक्षण के किसी स्थान पर होता है तो बालक के सर्वोत्तम हित को समझते हुए बालक तथा अथवा माता-पिता अथवा संरक्षकों से परामर्श के उपरांत बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय बालक के लिए वैकल्पिक पुनर्वास उपलब्ध कराएगा।

(3) तुरंत चिकित्सा अवधान की अपेक्षा बाल अधिनियम के अधीन आने वाले बालक को इस संबंध में बोर्ड अथवा समिति द्वारा दिए गए निर्देश पर किसी अस्पताल अथवा क्लीनिक अथवा सुविधा के अधीन निःशुल्क अपेक्षित चिकित्सा देखभाल और उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। तुरंत चिकित्सा उपलब्ध कराने में हुई विफलता जिसके कारण गंभीर चोट, अनिवर्त्य क्षति अथवा जीवन जाने की आशंका अथवा मृत्यु हुई हो बालक के प्रति जानबूझकर की गई लापरवाही समझा जाएगा तथा विस्तृत जांच के बाद बोर्ड अथवा समिति के निर्देश पर अधिनियम की धारा 75 के अधीन क्रूरता के समतुल्य होगा।

(56) अधिनियम की धारा 77 के अधीन अपराध की दशा में प्रक्रिया : (1) जब कभी कोई बालमदान्ध करने वाली शराब अथवा स्वापक नशीले पदार्थों अथवा मनःप्रभावी पदार्थों अथवा तम्बाकू उत्पादों के प्रभाव में अथवा लत में, बिक्री के प्रयोजनार्थ सहित, पाया जाता हो, तो पुलिस इस बात की जांच करेगी कि बालक किस प्रकार से ऐसे मदान्ध करने वाली शराब अथवा स्वापक नशीले पदार्थों अथवा मनःप्रभावी पदार्थों अथवा तम्बाकू उत्पादों के प्रभाव में आया अथवा लत पड़ी तथा तुरंत प्र.सू.रि. दर्ज करेगी।

(2) वह बालक जिसको स्वापक नशीले पदार्थ अथवा मनःप्रभावी पदार्थ का सेवन कराया गया है अथवा इनके प्रभाव में आया पाया जाता है, उसे या तो बोर्ड या समिति, यथास्थिति, के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए तथा बोर्ड या समिति बालक के पुनर्वास तथा नशे को छुड़ाने के संबंध में उचित आदेश पारित करेगी।

(3) यदि कोई बालमदान्ध करने वाली शराब अथवा तम्बाकू उत्पादों का आदि पाया जाता है, बालक को समिति के सम्मुख पेश किया जाएगा जो बालक की नशे की लत छुड़ाने और इस प्रयोजन के लिए, अभिज्ञात उपयुक्त सुविधा में बालक के स्थानांतरण सहित पुनर्वास के लिए निर्देश पारित करेगी।

(4) यदि कोई बालमदान्ध करने वाली शराब अथवा स्वापक नशीले पदार्थ अथवा मनःप्रभावी पदार्थ अथवा तम्बाकू उत्पाद किसी बाल देखभाल संस्था में लेते हुए पाया जाता है, तो बालक को तुरंत बोर्ड या समिति के सम्मुख पेश किया जाएगा। केवल उन मामलों को छोड़कर जहां बालबोर्ड या समिति के सम्मुख पेश किए जाने की स्थिति में न हो तथा तुरंत चिकित्सा की जानी अपेक्षित हो।

(5) बोर्ड स्वयं या समिति से प्राप्त शिकायत पर तुरंत प्र.सू.रि. दर्ज करने के लिए पुलिस को निर्देश जारी करेगा।

(6) बोर्ड अथवा समिति उन परिस्थितियां, जिनमें ऐसे उत्पाद बाल देखभाल संस्था में प्रविष्ट हुए तथा बालक तक पहुंच के बारे में जांच के उपयुक्त निर्देश भी जारी करेगी तथा चूक करने वाले पदाधिकारियों तथा बाल देखभाल संस्थान के खिलाफ उचित कार्रवाई की अनुशंसा करेगी।

(7) यथास्थिति, बोर्ड अथवा समिति बालक को किसी दूसरी बाल देखभाल संस्था में स्थानांतरण, जैसा भी मामला हो, के लिए भी निर्देश जारी करेगी।

(8) मदान्ध करने वाली शराब, तम्बाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानों को अपनी दुकान पर प्रमुख स्थान पर एक संदेश प्रदर्शित करना चाहिए कि किसी बालक को मदान्ध करने वाली शराब या तम्बाकू उत्पाद देना और बेचना एक दंडनीय अपराध है जिसमें 7 वर्ष तक का सक्षम कारावास तथा एक लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकेगा, से दंडनीय होगा।

(9) सभी तम्बाकू उत्पाद और मदान्ध करने वाली शराब पर अवश्य ही संदेश प्रदर्शित होना चाहिए कि किसी बालक को मदान्ध करने वाली शराब अथवा तम्बाकू उत्पाद देना और बेचना एक दंडनीय अपराध है जिसमें 7 वर्ष तक का कठोर कारावास और जुर्माना जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, से दंडनीय होगा।

(10) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत अथवा मान्यताप्राप्त किसी बाल देखभाल संस्था के अथवा किसी समिति अथवा बोर्ड के कार्यालय के 200 मीटर के भीतर मदान्ध करने वाली शराब, स्वापक नशे के पदार्थ अथवा मनःप्रभावी पदार्थ अथवा तम्बाकू उत्पादों को देना अथवा बेचना इस अधिनियम की धारा 77 के अधीन अपराध समझा जाएगा।

57. अधिनियम की धारा 78 के अधीन अपराध के मामले में प्रक्रिया : (1) जब कभी कोई बालमदान्ध करने वाली शराब, स्वापक नशीली दवाएं या मनःप्रभावी पदार्थ बेचता, ले जाता, आपूर्ति करता या तस्करी करता पाया जाता है तो पुलिस इस बात की जांच करेगी कि बालक पर कैसे और किसके संग मदान्ध करने वाली शराब, स्वापक नशीली दवाओं अथवा मनःप्रभावी पदार्थों की लत पड़ी तथा तुरंत प्र.सू.रि. दर्ज करेगी।

(2) कोई बालक जो अधिनियम की धारा 78 के अधीन अपराध करने का अभिकथित है, उसे बोर्ड के सम्मुख पेश किया जाएगा, यदि बाल देखभाल और संरक्षण का जरूरतमंद है तो उसे बोर्ड, समिति के पास भेजेगा।

58. अधिनियम की धारा 80 के अधीन अपराध के मामले में प्रक्रिया : (1) जहां कोई अनाथ, परित्यक्त या छोड़ा गया बालक इस अधिनियम में यथा प्रदत्त प्रक्रियाओं और नियमों का अनुपालन किए बिना दत्तकग्रहण के प्रयोजनार्थ पेश अथवा दिया अथवा लिया जाता है तो पुलिस स्व-प्रेरणा से अथवा इस संबंध में सूचना की प्राप्ति पर तुरंत प्र.सू.रि. दर्ज करेगी।

(2) वह बालक जिसे दत्तकग्रहण के प्रयोजनार्थ दिया अथवा लिया गया है, को तुरंत समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा जो ऐसे बालकों को किसी विशेषीकृत दत्तकग्रहण अभिकरण में रखने सहित बालक को पुनर्वास हेतु उचित निर्देश पारित करेगी।

(3) जहां कहीं किसी मान्यताप्राप्त विशेषीकृत दत्तकग्रहण अभिकरण अथवा ऐसे किसी अभिकरण से संबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिनियम की धारा 80 के अधीन कोई अपराध किया जाता है, तो समिति किसी अन्य बाल देखभाल संस्था अथवा विशेषीकृत दत्तकग्रहण अभिकरण में रखे गए बालकों को विशेषीकृत दत्तकग्रहण अभिकरण में रखने हेतु भी उचित आदेश पारित कर सकती है।

59. अधिनियम की धारा 81 के अधीन अपराध के मामले में प्रक्रिया : (1) किसी बालक को बेचने अथवा खरीदने के बारे में सूचना प्राप्त होने पर, पुलिस अविलंब प्र.सू.रि. दर्ज करेगी।

(2) प्राधिकरण द्वारा तैयार दत्तकग्रहण विनियमों के अधीन यथा अनुमति प्राप्त को छोड़कर दत्तकग्रहण के विचार से किसी संबंधित दत्तकग्राही माता-पिता (ओं) अथवा बालक के माता-पिता अथवा संरक्षक अथवा विशेषीकृत दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा दत्तकग्रहण शुल्क अथवा सेवा प्रभार अथवा बाल देखभाल संपत्ति के विषय में कोई भुगतान अथवा परितोषिक देना या देने पर सहमत होना, प्राप्त करना अथवा प्राप्त करने पर सहमत होना इस अधिनियम की धारा 81 तथा इस नियम के अधीन अपराध समझा जाएगा।

(3) बेचने अथवा खरीदने के अधीन कोई बालक अविलंब समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा, जो उस बालक के पुनर्वास के लिए उचित आदेश पारित करेगी।

(4) जहां किसी माता-पिता अथवा बालक के संरक्षक अथवा वास्तविक प्रभार रखने वाले व्यक्ति अथवा बालक के अभिरक्षक द्वारा इस अधिनियम की धारा 81 के अधीन कोई अपराध किया जाता है। समिति यथास्थिति, किसी बाल देखभाल संस्था अथवा उपयुक्त संस्था अथवा किसी उपयुक्त व्यक्ति के साथ, बालक को रखने के लिए उपयुक्त आदेश पारित करेगा।

(5) जहां विशेषीकृत दत्तकग्रहण अभिकरण अथवा किसी अस्पताल अथवा नर्सिंग होम अथवा मातृत्व गृह अथवा ऐसी किसी संस्था अथवा अभिकरण से संबद्ध व्यक्ति द्वारा अधिनियम की धारा 81 के अधीन कोई अपराध किया जाता है, तो समिति ऐसी बालदेखभाल संस्था अथवा विशेषीकृत दत्तकग्रहण अभिकरण अथवा अस्पताल अथवा नर्सिंग होम अथवा मातृत्व गृह में रखे गए अन्य बालकों को यथास्थिति किसी अन्य बालदेखभाल संस्था अथवा विशेषीकृत अभिकरण अथवा अस्पताल अथवा नर्सिंग होम अथवा मातृत्व गृह, में रखने के उचित आदेश पारित कर सकती है।

(6) समिति, राज्य सरकार से अनुंशसा करेगी कि लागू समय के लिए किसी विधि के अधीन ऐसे अभिकरण या संस्था का रजिस्ट्रीकरण या मान्यता या ऐसे किसी अस्पताल या नर्सिंग होम या मातृत्व गृह या ऐसे संबद्ध व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण या लाइसेंस भी वापस लिया जाएगा।

60. इस अधिनियम की धारा 82 के अधीन अपराध के मामले में प्रक्रिया : (1) इस अधिनियम की धारा 82 के अधीन बालक को शारीरिक दंड देने की शिकायत, बालक द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी अन्य द्वारा दी जा सकती है।

(2) प्रत्येक बालक देखभाल संस्था शारीरिक दंड की शिकायतें प्राप्त करने के लिए अपने भवन में एक प्रमुख स्थल पर शिकायत पेटिका रखेगी।

(3) शिकायत पेटिका मास में एक बार जिला बाल संरक्षण इकाई के प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोली जाएगी।

(4) ऐसी सभी शिकायतें बाल देखभाल संस्था के नजदीक प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष तुरंत प्रस्तुत की जाएंगी तथा तत्संबंधी प्रतियां बोर्ड या समिति को भेजी जाएंगी।

- (5) न्यायिक मजिस्ट्रेट संबंधित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा मामले को जांच के लिए देगा तथा कोई शिकायत प्राप्त होने पर उचित उपाय करेगा।
- (6) बोर्ड या समिति, बालक जिसने शिकायत की है अथवा जो शारीरिक दंड के अधीन रहा है, के सर्वोत्तम हित में, उसे अन्य बाल देखभाल संस्था में स्थानांतरित करने पर विचार कर सकती है।
- (7) जहां प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट यह पाता है कि संस्था का प्रबंधन इस अधिनियम की धारा 82 की उपधारा (3) के अधीन जांच में सहयोग अथवा न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं कर रहा है, वहां प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या तो स्वयं अपराध का संज्ञान लेगा अथवा प्र.सू.रि. के रजिस्ट्रीकरण का निर्देश देगा तथा संस्था के प्रबंधन के भारसाधक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेगा।
- (8) जहां बोर्ड अथवा समिति अथवा राज्य सरकार बालदेखभाल संस्था में शारीरिक दंड की किसी घटना के संबंध में संस्था के प्रबंधन को कोई निर्देश जारी करता है, प्रबंधन इनका पालन करेगा।
- (9) गैर-अनुपालन के मामले में, बोर्ड स्वयं या समिति या राज्य सरकार की शिकायत पर इस अधिनियम की धारा 82 की उपधारा (3) के अधीन प्र.सू.रि. का प्रत्यक्ष रजिस्ट्रीकरण करेगा।
- (10) जहां अथवा इस अधिनियम की धारा 82 की उपधारा 21(2) के अधीन कोई व्यक्ति सेवा से पदच्युत अथवा बालकों के साथ सीधे कार्य करने से विवर्जित किया गया हो, बालक को शारीरिक दंड देने के अपराध का दोषी पाया जाता है तो उसे इस अधिनियम तथा नियमों के अधीन आगे कहीं नियुक्ति से निरहित होगा।

अध्याय-9

विविध

- 61. किसी बाल देखभाल संस्था के भारसाधक व्यक्ति के कर्तव्य :** (1) भारसाधक व्यक्ति की प्राथमिक जिम्मेदारी बाल देखभाल संस्था का रखरखाव करना तथा बालकों को देखभाल और संरक्षण उपलब्ध कराना है।
- (2) भारसाधक व्यक्ति जब कभी बालकों या कर्मचारिवृंद द्वारा अपेक्षित होगा उपलब्ध कराए जाने वाले परिसर में रहेगा तथा जहां परिसर में आवास की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी वहां उसे बाल देखभाल संस्था में ऐसा आवास उपलब्ध कराया जाने तक, बाल देखभाल संस्था के अत्यधिक सामीप्य वाले स्थान पर रहेगा।
- (3) प्रभारी व्यक्ति के साधारण कर्तव्य और कृत्य में निम्नलिखित शामिल होंगे :
- (i) अधिनियम के प्रावधानों तथा इसके अधीन कराए गए नियमों और आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना;
 - (ii) बोर्ड अथवा समिति अथवा बाल न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना;
 - (iii) बालकों को घर जैसा माहौल देना तथा प्यार, स्नेह, देखभाल और उनकी चिंता करना;
 - (iv) बालकों का विकास और कल्याण का प्रयास करना;
 - (v) बालकों और स्टाफ के अनुशासन और कल्याण का पर्यवेक्षण और प्रबोधन करना;
 - (vi) यथास्थिति, प्रशिक्षण और उपचार कार्यक्रमों अथवा सुधारात्मक कार्यकलापों, सहित सभी कार्यकलापों, कार्यालयों तथा आप्रेशनों की योजना बनाना, कार्यान्वयन तथा समन्वय करना;
 - (vii) संस्था के चिकित्सा अधिकारी की सलाह पर सांसारिक अथवा संक्रामक रोगी से पीड़ित किसी बालक को पृथक रखना;
 - (viii) जहां कहीं अपेक्षित हो किसी बालक को पृथक रखना;
 - (ix) दैनिक दिनचर्या, कार्यकलापों का प्रेक्षण और अनुवर्ती कार्यवाही सुनिश्चित करना;
 - (x) गृह में स्थानीय तथा राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करना;
 - (xi) बालकों के लिए दौरे या सैर अथवा पिकनिक आयोजित करना;
 - (xii) प्रत्येक सप्ताह यथास्थिति, बोर्ड अथवा समिति को, बालदेखभाल संस्था में प्ररूप 40 में बालकों की सूची भेजना तथा यदि किसी बालक को बोर्ड अथवा समिति के सम्मुख प्रस्तुत करने की कोई तारीख नहीं दी जाती है तो इसे बोर्ड अथवा समिति के ध्यान में लाना;
 - (xiii) कर्मिकों को कर्तव्यों का आवंटन;
 - (xiv) बालदेखभाल संस्था में देखभाल के मानकों का रखरखाव करना;



- (xv) उचित भंडारण तथा भोजन और परोसे गए भोजन का निरीक्षण करना;
- (xvi) बालदेखभाल संस्था के भवनों और परिसरों का रखरखाव करना;
- (xvii) गृह में उचित साफ-सफाई बनाए रखना;
- (xviii) परिसर में दुर्घटना और अग्निशामक उपाय, आपदा प्रबंधन उपलब्ध कराना तथा साथ ही प्राथमिक उपचार किट रखना;
- (xix) पानी के भंडारण, पावर बैक-अप, इन्वर्टरों, जनरेटरों के लिए अतिरिक्त प्रबंध करना;
- (xx) उपकरण की सावधानीपूर्वक हैंडलिंग सुनिश्चित करना;
- (xxi) उपयुक्त सुरक्षा उपाय नियोजित करना;
- (xxii) बालदेखभाल संस्थाओं के दैनिक निरीक्षण और दौरों सहित आवधिक निरीक्षण आयोजित करना;
- (xxiii) आकस्मिकताओं की पूर्ति करने हेतु शीघ्र कार्रवाई करना;
- (xxiv) सभी अनुशासनिक मामलों की शीघ्र, दृढ़ और पर्याप्त हैंडलिंग सुनिश्चित करना;
- (xxv) मामलों फाइलों का उचित तथा समय से रखरखाव सुनिश्चित करना;
- (xxvi) इस अधिनियम और इन नियमों के अधीन अपेक्षित सभी अभिलेखों और रजिस्ट्रों का रखरखाव करना;
- (xxvii) बजट तैयार करना तथा वित्तीय मामलों पर नियंत्रण रखना;
- (xxviii) इन नियमों के नियम 39 के अधीन स्थापित प्रबंधन समिति की बैठकें आयोजित करना तथा आवश्यक सहायता प्रदान करना;
- (xxix) इन नियमों के नियम 39 के अधीन स्थापित प्रबंधन समिति द्वारा सभी अभिलेखों तथा रजिस्ट्रों का मासिक सत्यापन सुनिश्चित करना;
- (xxx) जब कभी आवश्यक हो राज्य बालसंरक्षण समिति तथा जिला बालसंरक्षण समिति के साथ संपर्क बनाना, समन्वय तथा सहयोग करना;
- (xxxi) यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक बालक को विधिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है तथा निशुल्क विधिक सहायता और अन्य आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जिला बाल संरक्षण इकाई अथवा जिला अथवा राज्य विधायी सेवा प्राधिकरण में विधिक -सह-परीवीक्षा अधिकारी के साथ समन्वय;
- (xxxii) बोर्ड अथवा समिति अथवा बाल न्यायालय के समक्ष ऐसी उपस्थिति की तारीख को बालक की प्रस्तुति को सुनिश्चित करना तथा सुनिश्चित करना कि उक्त प्रयोजनार्थ तारीखें अभिलिखित की जाती हैं।

(4) भारसाधक व्यक्ति जितना संभव होगा बाल देखभाल संस्था का निरीक्षण करेगा परंतु किसी दिन में दो बार से अन्यून। वह अपने निरीक्षण के समय का अभिलेख रखेगा तथा साथ ही इस प्रयोजनार्थ विशेषकर निम्नलिखित के संबंध में रखी गई एक पृथक पुस्तिका में अपनी टिप्पणियां भी दर्ज करेगा :

- (i) साफ-सफाई तथा स्वच्छता का रखरखाव;
- (ii) आदेश का अनुरक्षण;
- (iii) भोजन की गुणवत्ता तथा मात्रा;
- (iv) खाद्य वस्तुओं तथा अन्य प्रदायों की साफ-सफाई का अनुरक्षण;
- (v) चिकित्सा केंद्र में साफ-सफाई तथा चिकित्सा देखभाल के प्रावधान;
- (vi) बालकों तथा कर्मचारिवृंद का व्यवहार;
- (vii) सुरक्षा प्रबंधन, और
- (viii) फाइलों, रजिस्ट्रों तथा पुस्तकों का रखरखाव

(5) भारसाधक व्यक्ति की जानकारी में आने वाली किसी अनियमितता की जांच की जाएगी और समाधान किया जाएगा तथा की गई कार्रवाई की तारीख, समय और प्रकृति पुस्तिका में दर्ज की जाएगी।

(6) जहां तात्कालिक प्रकृति की कोई समस्या का दो दिवसों में कोई समाधान नहीं किया गया हो, तो बोर्ड अथवा समिति अथवा जिला बाल संरक्षण इकाई को सूचित किया जाएगा।

(7) यदि भारसाधक व्यक्ति अवकाश पर है अथवा उपलब्ध न हो, भारसाधक व्यक्ति का कर्तव्य भारसाधक व्यक्ति द्वारा यथा अभिहित बालकल्याण अधिकारी द्वारा निष्पादित किया जाएगा।

62. बालकल्याण अधिकारी अथवा मामला कार्यकर्ता के कर्तव्य : (1) प्रत्येक बालकल्याण अधिकारी अथवा बाल देखभाल संस्था में मामला कार्यकर्ता बोर्ड अथवा समिति अथवा बाल न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का कार्यान्वयन करेगा।

(2) बालकल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता बालक के पुनर्वास और सामाजिक पुनर्संमेलन तथा आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं तथा संगठनों के साथ संपर्क स्थापित करेगा।

(3) बालकल्याण अधिकारी संस्था किसी बालक को लेने के लिए बालदेखभाल संस्था में उपलब्ध मामला कार्यकर्ता उसे मित्र बनाने और उसकी सुगमता को दृष्टिगत रखते हुए लिए गए बालक के साथ बातचीत करेगा तथा बालक प्राप्त करने की प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करेगा।

(4) पुलिस अथवा बालकल्याण पुलिस अधिकारी से सूचना की प्राप्ति पर अथवा बालदेखभाल संस्था में बालक के पहुंचने पर बालकल्याण अधिकारी अथवा मामला कार्यकर्ता बालव्यक्तिगत साक्षात्कारों के माध्यम से तुरंत बालकों की सामाजिक जांच करना और उसके परिवार, सदस्यों, सामाजिक अभिकरणों तथा अन्य स्रोतों से पूर्ववर्ती तथा बालक का परिवार इतिहास की जांच करता है तथा जो भी प्रासंगिक सामग्री हो, ऐसी अन्य सामग्री को एकत्र करता है तथा 15 दिन के भीतर बोर्ड अथवा समिति अथवा बाल न्यायालय को सामाजिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(5) बालदेखभाल संस्था में सभी बालक बालकल्याण अधिकारी अथवा मामला कार्यकर्ता मामला को सौंपे जाएंगे तथा ऐसा बालकल्याण अधिकारी अथवा मामला कार्यकर्ता बालक की देखभाल और विकास अर्थात् सभी पहलुओं, बालक के बारे में बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय को रिपोर्ट करने अथवा बालदेखभाल संस्था में बालअभिलेखों का रखरखाव करने में उसको सौंपे गए बालक के लिए जिम्मेदार होगा।

(6) बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता को बालक को सौंपे जाने पर, बालकल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता निम्नलिखित कार्य करेगा :

- (i) बालक की मामला फाइल तैयार करना;
- (ii) संरक्षात्मक अभिरक्षा कार्ड का रखरखाव करना;
- (iii) बालक का चिकित्सा अभिलेख तैयार करना और उसका रखरखाव करना और सुनिश्चित करना कि बालक का उपचार बाधित अथवा उपेक्षित न हो;
- (iv) बालक की सुरक्षा, कल्याण और विकास सुनिश्चित करने; बाल देखरेख संस्था में जीवन के साथ समंजन के लिए बालक की सहायता करने के लिए बालक से प्रत्येक दिन मिलना। नए लिए गए बालक के साथ दिन में एक बार से अधिक बार मुलाकात की जाएगी;
- (v) बालक की शिक्षा, व्यावसायिक स्थिति और कौशल और भावनात्मक स्थिति का पता लगाने के लिए शुरुआत के पांच दिनों में बालक के बारे में सूचना एकत्रित करना;
- (vi) जरूरी चिकित्सा और मानसिक जांच कराना, बालक का मूल्यांकन और परीक्षा कराना;
- (vii) रिपोर्टों का अध्ययन करना और बालक और उसके परिवार के सदस्यों के परामर्श से लंबित जांच की अवधि के दौरान बालक की केस फाइल में लगाने के लिए प्ररूप 7 में व्यक्तिगत देखरेख योजना तैयार करना । बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता, जैसा भी वह इस संबंध में उचित समझे, परामर्शदाता, मनोवैज्ञानिक या ऐसे अन्य व्यक्ति से परामर्श कर सकता है;
- (viii) व्यक्तिगत देखरेख योजना के मुताबिक, बालक के लिए एक दिनचर्या तैयार की जाए और बालक को समझा दी जाए;
- (ix) यह सुनिश्चित करना कि बालक तैयार की गई दिनचर्या की गतिवियों का अनुपालन करे और इस संबंध में देखभाल कर्ताओं से समय पर रिपोर्ट लेना;
- (x) व्यक्तिगत देखरेख योजना के कार्यान्वयन और कारगरता की आवधिक समीक्षा करना और यदि आवश्यक हो, प्रबंधन समिति के अनुमदन से प्ररूप 7 में व्यक्तिगत देखरेख योजना और/या दिनचर्या में उचित आशोधन करना;
- (xi) बालक की समस्याओं को हल करना और गृह में जीवन में उनकी कठिनाइयों का सहानुभूतिपूर्वक निपटान करना;



- (xii) बालक से संबंधित अभिविन्यास, निगरानी, शिक्षा, व्यावसायिक एवं पुनर्वास कार्यक्रमों में भागीदारी करना और उन्हें सौंपे गए बालकों के संबंध में स्कूलों में अभिभावक शिक्षक बैठकों में उपस्थिति रहना;
- (xiii) बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय की कार्यवाही में उपस्थिति रहना और सभी सूचनाएं उपलब्ध कराना और सभी रिपोर्टें जिनकी मांग की गई हो, दाखिल करना;
- (xiv) आयु की घोषणा का आदेश प्राप्त होने पर, बालक की आयु के संबंध में अभिलेख में, यदि कोई परिवर्तन अपेक्षित हो, आवश्यक परिवर्तन करना और बालक की मामला फाइल में उक्त आदेश की प्रति लगाना;
- (xv) रिहाई-पूर्व कार्यक्रम में भागीदारी करना और बालक की संपर्क स्थापित करने में सहायता करना जो रिहाई के बाद बालक को भावनात्मक और सामाजिक समर्थन प्रदान कर सकता;
- (xvi) बालक को रिहाई के बाद उनसे संपर्क बनाए रखना और उन्हें सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना;
- (xvii) उनके पर्यवेक्षण के अधीन बालक के आवास का और ऐसे बालक के नियोजन के स्थान या स्कूल जिसमें वह पढ़ाई कर रहा हो, का भी नियमित दौरा करना और पाक्षिक या अन्यथा जैसा भी निदेश दिया गया हो, रिपोर्टें प्रस्तुत करना;
- (xviii) बालक को जहां कहीं भी संभव हो, यथास्थिति, बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय से, जैसा भी, बाल देखरेख संस्था तक बालक के साथ जाना;
- (xix) बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय के समक्ष बालक को पेश करने या चिकित्सा उपचार की अगली तारीख का अभिलेख रखना और यह सुनिश्चित करना कि उक्त तारीख को बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय के समक्ष या चिकित्सा उपचार के लिए बालको पेश किया जाए;
- (xx) समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रों का रखरखाव करना;
- (xxi) बाल देखरेख संस्था के प्रभारी अधिकारी द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।
- (7) बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता जिसे बाल देखरेख संस्था के परिसर की दैनिक सफाई को जांचने का कार्य सौंपा गया है, ऐसी जांच दिन में दो बार करेगा, पहली सुबह की सफाई के बाद और दूसरी शाम की सफाई के बाद। बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता गृह-व्यवस्था रजिस्टर में इसका उल्लेख करेगा।
- (8) बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता जिसे दैनिक खाना पकाने के कार्य को जांचने का कार्य सौंपा गया है, प्रत्येक आहार के बारे में आहार रजिस्टर में इसका उल्लेख करेगा।
- 63. गृह माता या गृह पिता के कर्तव्य :-**—(1) प्रत्येक गृह पिता या गृह माता प्रभारी व्यक्ति के निर्देशों का पालन करेगा/करेगी।
- (2) गृह पिता या गृह माता के साधारण कर्तव्य, कार्य और उत्तरदायित्व निम्नलिखित होंगे:
- बाल देखरेख संस्था में प्रत्येक बालक के साथ प्यार और स्नेह के साथ व्यवहार करना;
 - बालक की उचित देखरेख करना और उसका कल्याण सुनिश्चित करना;
 - प्रत्येक बालक को उसकी प्राप्ति पर कपड़ों, प्रसाधन सामग्री और दैनिक उपयोग के लिए अपेक्षित ऐसी अन्य वस्तुओं जैसी सभी आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराएगा;
 - मानक और बालक की जरूरतों के अनुसार खाद्य आपूर्ति और सामान की पुनःपूर्ति करना;
 - बालक को के बीच अनुशासन बनाए रखना;
 - यह सुनिश्चित करना कि बालव्यक्तिगत सफाई और स्वच्छता बनाए रखें;
 - अनुरक्षण और सफाई की देखभाल करना और आस-पास स्वच्छता बनाए रखना;
 - प्रत्येक बालक की दैनिक दिनचर्या का दक्षतापूर्वक रीति से कार्यान्वयन और इसमें बालकों की सहभागिता सुनिश्चित करना;
 - बाल देखरेख संस्था में सुरक्षा और संरक्षा की देखभाल करना;



- (x) बालकों का, वे जब कभी बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय के समक्ष पेश होने के अलावा अन्य किसी प्रयोजन से बाल देखरेख संस्था से बाहर जाते हैं, मार्गरक्षण कराना;
- (xi) प्रभारी अधिकारी को रिपोर्ट करना और बाल कल्याण अधिकारी को सौंपे गए बालक के बारे में बाल कल्याण अधिकारी को सूचित करना;
- (xii) उनके कर्तव्यों से संबंधित रजिस्ट्रों का रखरखाव करना; और
- (xiii) बाल देखरेख संस्था के प्रभारी अधिकारी द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

64. परिवीक्षा अधिकारी के कर्तव्य :—(1) अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (1) के खंड (ii) के अधीन पुलिस या बाल कल्याण अधिकारी से सूचना प्राप्त होने पर, बोर्ड से किसी औपचारिक आदेश की प्रतीक्षा किए बिना, परिवीक्षा अधिकारी बालकी उन परिस्थितियों की जांच करेगा जो बोर्ड द्वारा जांच पर प्रभाव डालती हैं और बोर्ड को **प्ररूप 6** में सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(2) सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट में उत्तेजक और गंभीरता कम करने वाले कारकों सहित जोखिम का मूल्यांकन जिसमें उन परिस्थितियों को विशेष रूप से स्पष्ट किया गया हो जिनमें अवैध व्यापार करने वाले या दुरुपयोगकर्ताओं, वयस्क गिरोहों, नशीली दवाओं का सेवन करने वालों का पड़ोस में रहना, हथियारों तथा नशीली दवाओं तक पहुंच, आयु अनुचित व्यवहार और सूचना तथा सामग्री के प्रति अरक्षितता की जानकारी दी जाएगी।

(3) परिवीक्षा अधिकारी, बोर्ड द्वारा दिए गए सभी निदेशों का पालन करेगा और निम्नलिखित कर्तव्यों, कार्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेगा :

- (i) **प्ररूप 6** में बालक का सामाजिक अन्वेषण करना;
- (ii) बोर्ड या बाल न्यायालय की कार्यवाही में उपस्थित रहना और जब कभी अपेक्षित हो, रिपोर्ट प्रस्तुत करना;
- (iii) बालक की समस्याओं को स्पष्ट करना और संस्थागत जीवन में उनकी कठिनाइयों को हल करना;
- (iv) अभिविन्यास, निगरानी, शिक्षा, व्यावसायिक और पुनर्वास कार्यक्रमों में भाग लेना;
- (v) बालक और भारसाधक अधिकारी के बीच सहयोग और समझदारी स्थापित करना;
- (vi) बालक की परिवार के साथ संपर्क विकसित करने में सहायता करना और परिवार के सदस्यों को भी सहायता प्रदान करना;
- (vii) रिहाई-पूर्व कार्यक्रमों में भाग लेना और बालक को ऐसे संपर्क स्थापित करने में सहायता करना जो बालक को रिहाई के बाद भावनात्मक और सामाजिक समर्थन प्रदान कर सकते हैं;
- (viii) सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट प्राप्त करने, पर्यवेक्षण और अनुवर्तन के लिए अन्य जिलों और राज्यों के परिवीक्षा अधिकारियों के साथ संपर्क स्थापित करना;
- (ix) बालकों के पुनर्वास और सामाजिक पुनर्संमेलन को सुकर बनाने और आवश्यक अनुवर्तन सुनिश्चित करने के लिए स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं और संगठनों से संपर्क स्थापित करना;
- (x) बालक की रिहाई के पश्चात् नियमित अनुवर्ती कार्रवाई और उनकी सहायता और मार्गदर्शन करना और समाज की मुख्य धारा में उनकी वापसी को समर्थ और सुकर बनाना;
- (xi) बालक के लिए व्यक्तिगत देखरेख योजना और रिहाई पश्चात् योजना तैयार करना;
- (xii) परिवीक्षा में रखे गए बालकों का व्यक्तिगत देखरेख योजना के अनुसार पर्यवेक्षण करना;
- (xiii) उनके पर्यवेक्षणाधीन बालक के आवास और नियोजन के स्थान या ऐसे विद्यालय का जिसमें बालक अध्ययन कर रहा है, नियमित दौरा करना और **प्ररूप 10** में आवधिक रिपोर्टें प्रस्तुत करना;
- (xiv) जहां कहीं संभव हो, बोर्ड के कार्यालय से, यथास्थिति, प्रेक्षण गृह, विशेष गृह, सुरक्षा का स्थान या उपयुक्त सुविधा तक बालक के साथ जाना;



- (xv) सुरक्षा के स्थान में बालकों की प्रगति का आवधिक आधार पर मूल्यांकन करना और मनो-सामाजिक सहित रिपोर्ट तैयार करना और उसे बाल न्यायालय को अग्रेषित करना;
- (xvi) निगरानी प्राधिकारी के रूप में, जहां कहीं बाल न्यायालय द्वारा ऐसी नियुक्ति की गई हो, कार्यों का निर्वहन करना;
- (xvii) उसके दैनिक कार्यकलापों जैसे कि उसके द्वारा किए गए दौरों, उसके द्वारा तैयार की गई सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट, उसके द्वारा किया गया अनुवर्तन और उसके द्वारा तैयार की गई पर्यवेक्षण रिपोर्टों का अभिलेख रखने के लिए एक डायरी या रजिस्टर का रखरखाव करना;
- (xviii) सामुदायिक सेवाओं के विकल्प अभिनिर्धारित करना और बालकों के पुनर्वास और सामाजिक पुनर्संयोजन को सुकर बनाने के लिए स्वैच्छिक क्षेत्र के साथ संपर्क स्थापित करना; और
- (xix) सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

65. पुनर्वास-सह-स्थापन अधिकारी :—(1) सभी बाल देखरेख संस्थाओं में, सुरक्षा के स्थान सहित, पुनर्वास-सह-स्थापन अधिकारी अभिहित किया जाएगा।

(2) पुनर्वास-सह-स्थापन अधिकारी के पास समाज कार्य या मानव संसाधन प्रबंधन में मास्टर डिग्री और पुनर्वास, रोजगार सृजन और संसाधन संघटन के क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

(3) पुनर्वास-सह-स्थापन अधिकारी निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगा:

- (i) उपयुक्त तंत्र के माध्यम से और बालकल्याण अधिकारी, मामला कार्यकर्ता, परामर्शदाता और व्यावसायिक अनुदेशक के साथ परामर्श से बालदेखरेख संस्थाओं में स्थापन किए गए बालकों के कौशल और अभिक्षमता अभिनिर्धारित करना;
- (ii) ऐसी सभी अभिकरण को जो पाठ्यक्रम के अंत में कार्य स्थापन के साथ व्यावसायिक और प्रशिक्षण सेवाएं प्रदान करती हैं, अभिनिर्धारित करना और उनसे संपर्क विकसित करना;
- (iii) स्व-रोजगार के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और सहायता प्रायोजित करने के लिए संसाधनों को संघटित करने के लिए व्यक्तियों, कोर्पोरेटों, मान्यता प्राप्त संगठनों और निधियन करने वाली अन्य अभिकरणों का नेटवर्क बनाना;
- (iv) बाल देखरेख संस्थाओं में आयु, अभिक्षमता, रुचि और क्षमता के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण इकाइयों की स्थापना करने के लिए व्यक्तियों, कोर्पोरेटों, मान्यता प्राप्त संगठनों और निधियन करने वाली अन्य अभिकरणों की सहायता करना और उनके साथ समन्वय करना;
- (v) व्यावसायिक अनुदेशकों को संघटित करना जो बाल देखरेख संस्थाओं में प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन करने के लिए सेवाएं प्रदान करते हैं;
- (vi) स्व-रोजगार के लिए उद्यमशील कौशल विकसित करना और वित्तीय और विपणन समर्थन सुकर बनाना;
- (vii) अपराध की प्रकृति और बालकी निजी विशेषताओं को ध्यान में रखकर पुनर्वास योजनाएं तैयार करना ;
- (viii) प्ररूप 14 में पुनर्वास कार्ड का रखरखाव करना और बालक द्वारा की गई प्रगति की नियमित आधार पर निगरानी करना और प्रबंधन समिति को ऐसी रिपोर्टें प्रस्तुत करना;
- (ix) शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा होने पर प्रमाणपत्र प्राप्त करने में बालको सुगम बनाना;
- (x) प्रत्येक पात्र और प्रशिक्षित बालक का उपयोगी स्थापन सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करना;
- (xi) केंद्रीय और राज्य सरकार के अधीन उपलब्ध पुनर्वास कार्यक्रमों और सेवाओं के बारे में कार्यशालाएं आयोजित करना, और ऐसी स्कीमों और सेवाओं के बारे में जागरूकता का प्रसार करना और पहुंच सुकर बनाना;
- (xii) बालक को उपयोगी और जिम्मेवार नागरिक बनने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए व्यक्तित्व विकास, जीवन कौशल विकास, सामंजस्य कौशल, तनाव प्रबंधन और अन्य व्यावहारिक कौशलों पर कार्यशालाएं आयोजित करना; और

- (xiii) बालकों की नियमित निगरानी करने और यथापेक्षित कोई अन्य सहायता प्रदान करने के लिए उन अभिकरणों का नियमित दौरा करना जहां उनका स्थापन किया गया है।



66. कार्मिक अनुशासन :- (1) कर्तव्य की कोई उपेक्षा, नियमों और आदेशों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और भारसाधक व्यक्ति द्वारा गलती करने वाले कर्मचारी के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी या कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी।

- (2) बाल देखरेख संस्था का कोई भी कर्मचारी बाल देखरेख संस्था के भीतर किसी अनधिकृत स्थान पर उपस्थित नहीं होगा।
- (3) बाल देखरेख संस्था का कोई भी कर्मचारी संस्था में कोई भी निषिद्ध वस्तु नहीं लाएगा।
- (4) बाल देखरेख संस्था का कोई भी कर्मचारी, भले ही उस समय वह झूटी पर हो अथवा न हो, बाल देखरेख संस्था के परिसर में शराब, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू जैसा कोई व्यसनकारी पदार्थ अथवा कोई अन्य नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करेगा अथवा किसी मादक पदार्थ के नशे में झूटी के लिए रिपोर्ट नहीं करेगा।
- (5) बाल देखरेख संस्था का कोई भी कर्मचारी किसी भी बालक को कोई वस्तु नहीं बेचेगा या लाभ के लिए किराए पर नहीं देगा या ऐसे बालक या उसके माता-पिता के साथ कोई व्यवसाय नहीं करेगा।
- (6) बाल देखरेख संस्था का कोई भी कर्मचारी बाल देखरेख संस्था के परिसर में अपमानजनक या अशिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करेगा या आयु-अनुपयुक्त विषय पर चर्चा नहीं करेगा या अश्लील सामग्री नहीं देखेगा या अश्लील साहित्य नहीं पढ़ेगा।

67. सुरक्षा उपाय :- (1) बाल देखरेख संस्था में रखे गए बालकों की श्रेणी, बालकों के आयु वर्ग, बाल देखरेख संस्था का प्रयोजन और बालको और बालसे जोखिम को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक बाल देखरेख संस्था में पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मियों को नियुक्त करेगा।

- (2) सुरक्षा कर्मियों को नियुक्त करते समय, पुनर्वास महानिदेशक के माध्यम से या उनके द्वारा अनुसंधित अभिकरणों द्वारा भर्ती किए गए भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- (3) लड़कियों को रखने वाली बाल देखरेख संस्था में, बाल देखरेख संस्था के भीतर महिला सुरक्षा गार्ड लगाए जाएंगे और पुरुष सुरक्षा गार्डों को बाहर से सुरक्षा के लिए लगाए जाएंगे।
- (4) किसी भी आपातकालीन परिस्थिति के लिए सुरक्षा कर्मियों को रिजर्व में भी रखा जाएगा।
- (5) भारसाधक व्यक्ति सुनिश्चित करेगा कि हर समय निम्नलिखित सहित पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं :
- (i) सुरक्षा भारसाधक और विभाग के परामर्श से भारसाधक व्यक्ति द्वारा अभिनिर्धारित किए जाने वाले सभी स्थानों पर अलग-अलग पालियों में पर्याप्त संख्या में गार्ड तैनात किए जाएंगे।
 - (ii) कोई भी बालक जो रात में चिकित्सा समस्या या किसी अन्य समस्या की शिकायत करता है, संबंधित देखरेखकर्ता को रिपोर्ट करेगा। देखरेखकर्ता यथा अपेक्षित ऐसे आवश्यक उपाय करेगा और आपात स्थिति में संबंधित चिकित्सा अधिकारी या प्रभारी व्यक्ति को, जैसी भी आवश्यकता हो, सूचित करेगा जो तत्काल उपयुक्त उपाय करेगा।
 - (iii) भारसाधक व्यक्ति द्वारा झूटी रोस्टर तैयार किया जाएगा और बाल देखरेख संस्था परिसर में कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर प्रदर्शित किया जाएगा।
- (6) प्रत्येक देखरेखकर्ता या गृह का अन्य कर्मचारी, यदि उसे बालकों में अशांति की किसी घटना या संभावना का पता चलता है, उसे बिना समय गंवाए भारसाधक व्यक्ति के संज्ञान में लाएगा जो स्थिति की आवश्यकता के अनुसार आवश्यक उपाय करेगा और ऐसी सूचना या घटना की जानकारी के साथ-साथ उसके द्वारा किए गए उपायों की जानकारी लिखित में बोर्ड या समिति को देगा।
- (7) भार साधक व्यक्ति बाल देखरेख संस्था का रात में, जितने अंतराल पर संभव हो सके, लेकिन सप्ताह में एक बार से अन्यून नहीं, औचक निरीक्षण करेगा। वह इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा रखे जा रहे रजिस्टर में अपने निरीक्षण के समय को अभिलेख करेगा और अपनी टिप्पणियां भी लिखेगा।
- (8) बाल देखरेख संस्था के बाहर अशांति के मामले में, पाली प्रभारी तत्काल संबंधित पुलिस स्टेशन को सूचना देगा।
- (9) बाल देखरेख संस्था के भीतर हिंसा या अशांति के मामले में, पाली भारसाधक, भारसाधक व्यक्ति की अनुमति से पुलिस की सहायता लेगा। पाली भारसाधक पहले बालकों को चेतावनी जारी करेगा।

(10) प्राकृतिक आपदा या आग या ऐसी किसी दुर्घटना के मामले में, पाली भारसाधक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा बालदेखरेख संस्थाओं के लिए यथा विकसित आपदा प्रबंधन नवाचार के अनुसार बालकों के निकास और सुरक्षा के लिए उपयुक्त उपाय करेगा।

(11) उक्त उपायों का अनुपालन करने के लिए अधिकारियों, बालकों और गाड़ों को तैयार करने के लिए भारसाधक व्यक्ति पूर्व में नोटिस दिए बिना मास में एक बार व्यवहारिक अभ्यास का आयोजन किया जाएगा।

(12) बालकों की निजता और गरिमा को ध्यान में रखते हुए बाल देखरेख संस्था के सभी प्रवेश और निकास के सभी बिंदुओं, स्वागत कक्ष, गलियारों, रसोई, रसोई-भंडार या भंडार कक्ष, शयनागार, शौचालयों के प्रवेश एवं निकास बिंदुओं जैसे प्रमुख बिन्दुओं पर बंद परिपथ टेलीविजन कैमरों को लगाया जाए।

(13) प्रत्येक बाल देखरेख संस्था में पर्याप्त संख्या में स्कैनर और मेटल डिटेक्टर लगाए जाएं।

68. तलाशी और अभिग्रहण.—(1) प्रभारी व्यक्ति और गृह के प्राधिकृत अधिकारी यदि आवश्यक हो, तलाशी लेगा और निषिद्ध वस्तुओं को, यदि पाई जाती हैं, अभिग्रहण करेगा।

(2) अभिग्रहण के मामले में निम्न प्रक्रिया होगी:

- (i) तलाशी के दौरान पाई गई कोई भी निषिद्ध वस्तु भारसाधक अधिकारी द्वारा अभिग्रहण की जाएगी और ऐसी जब्ती की सूची तैयार की जाएगी;
- (ii) बालक से या शयनागार में हथियार, शस्त्र, हथियार के रूप में उपयोग किए जा सकने वाली वस्तुओं या आपराधिक गतिविधियों के लिए औजार या मादक पदार्थ पाए जाने के मामले में, भारसाधक अधिकारी ऐसी वस्तुओं की उपस्थिति और ऐसे कृत्य के लिए जिम्मेवार व्यक्तियों का पता लगाने के लिए जांच करेगा;
- (iii) भारसाधक अधिकारी इस संबंध में पुलिस को रिपोर्ट देगा और शीघ्रतिथीय बोर्ड या समिति को सूचित करेगा;
- (iv) बोर्ड ऐसी रिपोर्ट या समिति द्वारा अग्रेषित की गई रिपोर्ट पर अभिग्रहण की गई वस्तुओं के निस्तारण के लिए उपयुक्त कार्रवाई शुरू कर कर सकता है;
- (v) राज्य सरकार जिम्मेवार व्यक्ति के विरुद्ध, यदि ऐसा व्यक्ति बाल देखरेख संस्था का अधिकारी है या उस अभिकरण जिसके द्वारा वह व्यक्ति नियुक्त किया गया है या बाल देखरेख संस्था के विरुद्ध उचित कार्रवाई करेगी;
- (vi) जिम्मेवार बालक के संबंध में कार्रवाई अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार की जाएगी।

(3) अभिग्रहण की गई सभी वस्तुओं को, इस बात की संतुष्टि होने के बाद कि अभिग्रहण की गई वस्तुओं की किसी अधिकारी के विरुद्ध किसी जांच या विभागीय कार्यवाही के लिए या किसी आपराधिक अन्वेषण और कार्यवाही में जरूरत नहीं होगी, सक्षम न्यायालय के आदेश पर नष्ट या निस्तारित कर दिया जाएगा।

69. बालकों का संस्थागत प्रबंधन.—

क. (1) प्रत्येक बालक को बाल देखरेख संस्था के अधिकारी या बालक को प्राप्त करने के लिए प्रभारी व्यक्ति द्वारा विधिवत् प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा, जिसे प्राप्तकर्ता अधिकारी कहा जाएगा, प्राप्त किया जाएगा।

(2) प्राप्तकर्ता अधिकारी बालक की पहचान के संबंध में स्वयं का समाधान करेगा और किसी भी संदेह की दशा में, प्राप्तकर्ता अधिकारी तुरंत प्रभारी अधिकारी को सूचित करेगा जो अविलंब बोर्ड या समिति को सूचित करेगा और बालक को बिना किसी देरी के बोर्ड या समिति के समक्ष पेश करेगा।

ख. बाल देखरेख संस्था में आवास के प्रकार.—(1) कानून का उल्लंघन करने वाले बालकों के मामले में, बाल देखरेख संस्था में बालकों के आवास तीन प्रकार के हैं:

- (i) संरक्षणात्मक अभिरक्षा;
- (ii) रात भर का संरक्षणात्मक आवास;



(iii) पुनर्वासि आवास।

(2) देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के मामले में, बाल देखरेख संस्था में बालकों के आवास दो प्रकार के हैं:

(i) रात भर का संरक्षणात्मक आवास;

(ii) पुनर्वासि आवास।

ग. संरक्षणात्मक अभिरक्षा .—(1) ऐसे आवास के लिए बोर्ड द्वारा विधिवत् हस्ताक्षर किया हुआ प्रपत्र 41 में संरक्षणात्मक अभिरक्षा कार्ड या बाल न्यायालय द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ अभिरक्षा वारंट अपेक्षित होता है।

(2) ऐसे आवास की अवधि बोर्ड या बाल न्यायालय यथा निदेशित या उनके द्वारा समय-समय पर यथा विस्तारित होगी।

(3) ऐसा आवास जांच के लंबन के दौरान होगा।

घ. रात भर का संरक्षणात्मक आवास.—(1) ऐसे आवास का प्रयोजन बालक को आवास प्रदान करना और एक विकल्प प्रदान करके उसे पुलिस स्टेशन या किसी अन्य अनुपयुक्त स्थान पर पूरी रात रखने से निवारित करना है।

(2) ऐसा आवास रात के 20.00 बजे के बाद और अगले दिन 14.00 बजे तक हो सकता है।

(3) प्राप्त करने वाले अधिकारी को बाल कल्याण अधिकारी द्वारा रात भर के संरक्षणात्मक आवास के लिए भेजे गए लिखित आवेदन पर बालक को बाल देखरेख संस्था में एक रात के आवास की अनुमति दी जाएगी। आवेदन के साथ उन परिस्थितियों को जिनमें बालक को पकड़ा या पाया गया है और बालक की चिकित्सा स्थिति दर्शाने वाले सुसंगत दस्तावेजों की प्रति होगी।

(4) बालक की पहचान के बारे में समाधान होने पर, प्राप्तकर्ता अधिकार द्वारा बालक को प्राप्त किया जाएगा और प्ररूप 42 तीन प्रतियों में भरा जाएगा। प्ररूप की एक प्रति बाल देखरेख संस्था के अभिलेख के रूप में रखी जाएगी, एक प्रति बाल कल्याण अधिकारी को दी जाएगी और तीसरी प्रति बोर्ड या संबंधित समिति को उनके अभिलेख के लिए अग्रेषित की जाएगी।

(5) बालक को अगले दिन प्ररूप में दिए गए समय पर बाल कल्याण अधिकारी के प्रभार में सौंप दिया जाएगा और प्ररूप की प्रति में उक्त बाल कल्याण अधिकारी से प्राप्ति ली जाएगी।

(6) यदि बाल कल्याण अधिकारी निर्दिष्ट समय पर बालक का प्रभार नहीं लेता है, बाल देखरेख संस्था के प्रभारी अधिकारी द्वारा ऐसे तथ्यों का उल्लेख करते हुए रिपोर्ट के साथ बालको संबंधित बोर्ड या समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(7) यह टिप्पणी करते हुए कि बालक को रात भर के संरक्षणात्मक आवास के लिए प्राप्त किया गया है, बालक के व्यौरे, प्रवेश और छुट्टी रजिस्टर में प्रविष्ट किए जाएंगे।

(8) बालक की शारीरिक रूप से तलाशी ली जाएगी और उसका सभी व्यक्तिगत सामान, यदि कोई पाया जाता है, बाल कल्याण अधिकारी को जिसने बालक को प्रस्तुत किया है, सौंप दिया जाएगा और वह सभी वस्तुओं का अभिग्रहण करेगा और ऐसे अभिग्रहण की एक प्रति प्राप्तकर्ता अधिकारी को देगा।

(9) बालक को, यदि वह भूखा है, तो उसकी प्राप्ति के समय पर ध्यान दिए बिना, खाने एवं पीने के लिए भोजन प्रदान किया जाएगा।

(10) बालक को यथास्थिति स्वागत शयनागार या पृथक्करण इकाई में, रात के लिए रखा जाएगा।

ङ. पुनर्वासि आवास .—(1) बालको ऐसे आवास के लिए समिति द्वारा बाल गृह में और बोर्ड या बाल न्यायालय द्वारा विशेष गृह या सुरक्षित स्थान में भेजा जाएगा।

(2) बालक को प्रपत्र 14 में पुनर्वासि कार्ड जारी किया जाएगा जिसमें बालक के आवास की अवधि का उल्लेख होगा जब तक कि बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय द्वारा उस संबंध में विशिष्ट आदेश के द्वारा अवधि को कम न किया गया हो।

च. बालक को प्राप्त करते समय अपनाई जाने वाली प्रक्रिया .—(1) प्राप्तकर्ता अधिकारी बालक को प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन करेगा :



- (i) बालक का पूरा व्यक्तिगत ब्यौरा प्रवेश और छुट्टी रजिस्टर में प्रविष्ट किया जाएगा। पुनर्वास आवास के मामले में, बालक की रिहाई की तारीख भी लिखी जाएगी;
 - (ii) बालक को तलाशी की आवश्यकता और प्रक्रिया को स्पष्ट करने के बाद और शिष्टता और सम्मान का पूरा ध्यान रखते हुए उसकी तलाशी ली जाएगी और सभी व्यक्तिगत सामान का इन नियमों के **नियम 72** में यथा उल्लिखित रीति से निपटान किया जाएगा। बालिका की तलाशी महिला कर्मचारी द्वारा ही ली जाएगी;
 - (iii) बालक को, यदि वह भूखा है, उसकी प्राप्ति के समय पर ध्यान दिए बिना, खाने एवं पीने के लिए भोजन प्रदान किया जाएगा;
 - (iv) बालक को खराब स्वास्थ्य, चोट, मानसिक बीमारी, रोग या व्यसन जिसके लिए तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, चिकित्सा देखरेख प्रदान की जाएगी;
 - (v) बालक को विशेषरूप से चिह्नित शयनागार या वार्ड या अस्पताल में, यदि उसके ऐसे संक्रामक या संचारी रोग से ग्रस्त होने की संभावना है जिसके लिए विशेष देखरेख और सावधानी की जरूरत है, विलग किया जाएगा;
 - (vi) बालक से परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थिति होना, परिवार के सदस्यों से संपर्क करने जैसी किसी तत्काल और अविलंब आवश्यकता के बारे में पूछा जाएगा। प्राप्तकर्ता अधिकारी द्वारा इसके बारे में एक टिप्पणी या यह तथ्य कि ऐसी कोई जरूरत नहीं है, लिखा जाएगा और और बाल कल्याण अधिकारी मामले कार्यकर्ता जिसको बाल सौंपा गया है, प्रस्तुत करेगा। वही टिप्पण बालकी केस फाइल में भी रखा जाएगा।
- (2) बाल देखरेख संस्था में प्राप्त किए गए प्रत्येक बालक को पहले चौदह दिनों तक इस प्रयोजन के लिए विशेषरूप से बनाए गए शयनागार में या पृथक्करण इकाई में रखा जाएगा ताकि बालक, बाल देखरेख संस्था के जीवन में समंजित हो सके।

छ. बालक को प्राप्त करने के बाद अपनाई जाने वाली प्रक्रिया .—(1) यदि बालक रात में प्राप्त किया जाता है, उसी दिन या अगले दिन निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी :

- (i) बालक का फोटो लिया जाएगा। एक फोटो बालक की केस फाइल में रखा जाएगा और दूसरा बालक के ब्यारे के साथ सूचक कार्ड में चिपकाया जाएगा। एक प्रति क्रमांकित एलबम में रखी जाएगी और फोटो की एक प्रति बोर्ड या समिति को भेजने के साथ-साथ जिला बाल संरक्षण इकाई को भेजी जाएगी और इस प्रयोजन के लिए नामनिर्दिष्ट पोर्टल पर अपलोड की जाएगी;
- (ii) बालक को स्नान कराया जाए और उसे साफ कपड़े प्रदान किए जाएं। देखरेखकर्ता इन नियमों के **नियम 30** के अनुसार बालक को प्रसाधन वस्तुएं, कपड़ों का नया सैट, बिस्तर और अन्य सामग्री एवं उपकरण देगा, जिनकी एक सूची उसकी केस फाइल में रखी जाएगी। सामानों की इन नियमों के **नियम 30** के अनुसार समय-समय पर पुनःपूर्ति की जाएगी;
- (iii) बाल कल्याण अधिकारी या मामले कार्यकर्ता नए भर्ती किए गए प्रत्येक बालक को बाल देखरेख संस्था और इसके कार्यक्रम से, विशेषकर निम्नलिखित क्षेत्रों से, परिचित कराएगा:-

- (क) व्यक्तिगत स्वास्थ्य, स्वच्छता और सफाई;
- (ख) बाल देखरेख संस्था का अनुशासन और आचरण संहिता;
- (ग) दैनिक नियमित कार्यक्रमलाप और सहजात वार्तालाप; और
- (घ) बाल देखरेख संस्था में अधिकार, उत्तरदायित्व और कर्तव्य।

- (iv) बालक का चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा जो बालक के स्वास्थ्य की स्थिति और उसके शरीर पर कोई घाव या चिह्न और कोई अन्य टिप्पणी जिसे चिकित्सा अधिकारी ठीक समझे, को अभिलिखित करेगा और जिसकी एक प्रति बालक के चिकित्सा अभिलेख में रखी जाएगी;
- (v) प्रभारी अधिकारी द्वारा बालको बाल कल्याण अधिकारी या मामले कार्यकर्ता समानुदेशित करेगा।



ज. बालक को प्राप्त करने के चौदह दिन के भीतर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया .— (1) नियत बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता जितनी बार संभव हो सके, बाल से वार्तालाप करेगा।

(2) बालक को प्राप्त करने के दो दिन के भीतर, यदि अपेक्षित हो, उसके लिए पुनर्वास योजना तैयार करने में सहायता करने के लिए उसके व्यक्तित्व और जरूरतों का मूल्यांकन करने के लिए उसकी शारीरिक, चिकित्सीय, मनोवैज्ञानिक स्थिति और उसकी व्यसन स्थिति समझने के लिए चिकित्सकों के पैनल द्वारा उसकी जांच की जाए।

(3) बालक को समानुदेशित किया गया बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता बालक के परिवार के सदस्यों के साथ भी, जहां कहीं उपलब्ध हैं, वार्तालाप करेगा। एक मामला पूर्ववृत्त प्ररूप 43 में तैयार किया जाएगा और बालक की केस फाइल में रख जाएगा। इसके लिए जानकारी बालक के माता-पिता या अभिभावकों, घर, स्कूल, मित्रों, नियोक्ता और समुदाय सहित सभी संभव और उपलब्ध स्रोतों के माध्यम से एकत्रित की जाएगी।

(4) बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता अन्य तकनीकी कर्मचारियों की सहायता से आयोजित की गई परीक्षाओं और साक्षात्कारों के आधार पर बालक के शैक्षिक स्तर और उसकी व्यावसायिक अभिरुचि का मूल्यांकन करेगा। इस संबंध में, बाहरी विशेषज्ञों और समुदाय आधारित कल्याण अभिकरणों, मनोवैज्ञानिकों, मनोचिकित्सकों, बाल मार्ग दर्शन चिकित्सालयों, अस्पतालों और अन्य सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के साथ आवश्यक संपर्क स्थापित किए जाएंगे।

झ. पहले चौदह दिन की समाप्ति पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया .—(1) बालक को नियमित शयनागारों में से एक में स्थानांतरित किया जाएगा और शयनागार में एक विशिष्ट बिस्तर, अलमारी और अध्ययन मेज दी जाएगी।

(2) शयनागार का समानुदेशन निम्नलिखित के आधार पर किया जाएगा:

- (i) आयु;
- (ii) बालक द्वारा या उसके विरुद्ध किए गए अपराध की प्रकृति;
- (iii) बालक की शारीरिक और मानसिक स्थिति;
- (iv) बालकों को जिन्हें विशेष देखरेख की जरूरत है, अलग शयनागार में रखा जाएगा।

(3) बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता द्वारा बालक के मामला पूर्ववृत्त, शिक्षा एवं व्यावसायिक अभिरुचि के आधार पर प्ररूप 7 बालक में व्यक्तिगत देखरेख योजना तैयार की जाएगी। पुनर्वास आवास के मामले में, देखरेख योजना आवास की संपूर्ण अवधि के लिए निरूपित की जाएगी और पुनर्वास के लिए सेतु पाठ्यक्रम, औपचारिक, अनौपचारिक या सतत् शिक्षा सहित बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय द्वारा दिया गया कोई या सभी निदेश आवश्यक रूप से शामिल किए जाएंगे।

(4) बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता व्यक्तिगत देखरेख योजना की समीक्षा करेगा और अपनी स्वयं की टिप्पणियों, बाल और उसके शिक्षकों या अनुदेशकों के साथ वार्तालाप और गृह पिता या गृह माता से प्राप्त फीडबैक के आधार पर प्ररूप 14 में पुनर्वास कार्ड में अपना मत लिखेगा।

(5) बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता बाल देखरेख संस्था में बालक के सामने आई कोई भी कठिनाई का कठिनाई को दूर करने के लिए किए गए उपायों के बारे में टिप्पण के साथ अभिलेख भी रखेगा।

(6) बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता उसी प्रकार बाल देखरेख संस्था में सुविधाओं के बारे में बाल द्वारा की गई शिकायत के साथ-साथ उस पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पण के साथ अभिलेख रखेगा।

(7) व्यक्तिगत देखरेख योजना की शुरुआत के तीन मास में प्रत्येक पखवाड़े में और उसके बाद प्रत्येक मास में समीक्षा की जाएगी। इसकी कारगरता और अपर्याप्तता के बारे में ऐसे मत के कारणों के साथ रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

ब. तीन मास बाद अपनाई जाने वाली प्रक्रिया .—(1) बालकी व्यक्तिगत देखरेख योजना में लिखित उद्देश्यों और लक्ष्यों के विशेष संदर्भ में बालक की प्रगति की जांच की जाएगी। बालक की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और प्ररूप 14 में पुनर्वास कार्ड में लिखी जाएगी।

(2) तिमाही प्रगति रिपोर्ट को प्रबंधन समिति के अवलोकनार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) प्रबंधन समिति द्वारा विचार-विमर्श के बाद, व्यक्तिगत देखरेख योजना में उपयुक्त रूप से संशोधन किया जाएगा। बालक की दिनचर्या और बालक के पुनर्वास के प्रति उपागम में भी उपयुक्त रूप से संशोधन किया जाएगा। ऐसी संशोधित देखरेख योजना और दिनचर्या का अभिलेख बालक की केस फाइल में रखा जाएगा। प्रगति की समीक्षा की जाएगी और प्ररूप 14 में पुनर्वास कार्ड में रिकार्ड की जाएगी।

ट. रिहाई-पूर्व योजना .—(1) रिहाई-पूर्व योजना का सु-विचारित कार्यक्रम और बाल गृहों, विशेष गृहों और सुरक्षा के स्थान से छुट्टी किए गए मामलों का अनुवर्तन बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय के निदेशों के अनुसार सभी संस्थाओं में आयोजित किया जाएगा।

(2) बालक द्वारा बिना अनुमति के बाल देखरेख संस्था छोड़ने या संस्था के भीतर कोई अपराध करने की स्थिति में, प्रभारी अधिकारी द्वारा पुलिस और परिवार को, यदि पता हो, सूचना दी जाएगी और बालक को खोजने के लिए किए गए प्रयासों सहित, यदि बालक लापता है, परिस्थितियों की विस्तृत रिपोर्ट बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय को, जैसा भी मामला हो, भेजी जाएगी।

ठ. बाल देखरेख संस्था में दिनचर्या .—(1) प्रत्येक बालक, बाल देखरेख संस्था के किसी भी अधिकारी या गृह के प्रतिनिधि के आदेश का पालन करेगा और हमेशा अनुशासित रहेगा।

(2) प्रत्येक संस्था में बाल समिति के परामर्श से तैयार की गई एक दिनचर्या होगी जिसे संस्था में विभिन्न स्थानों पर विशिष्टता से प्रदर्शित किया जाएगा।

(3) दिनचर्या में अन्य बातों के साथ-साथ विनियमित और अनुशासित जीवन, व्यक्तिगत स्वास्थ्य और सफाई, शारीरिक व्यायाम, योगा, शैक्षणिक कक्षाएं, व्यावसायिक प्रशिक्षण, संगठित मनोरंजन एवं खेल, नैतिक शिक्षा, सामूहिक कार्यक्रम, प्रार्थना और सामुदायिक गायन और रविवार और छुट्टियों के लिए विशेष कार्यक्रम शामिल होंगे।

ड. बालक का व्यवहार .—(1) बाल देखरेख संस्था में बालक अच्छे व्यवहार के नियमों और मानकों का अनुपालन करने के लिए अभिविन्यस्त और प्रशिक्षित होंगे।

(2) प्रत्येक अस्वीकार्य व्यवहार का बालकल्याण समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए बालसे स्पष्टीकरण देने को कहा जाएगा। बालसमिति उचित कार्रवाई करने के लिए प्रभारी अधिकारी को अनुशंसा कर सकती है। प्रभारी अधिकारी द्वारा चौबीस घंटे के भीतर रिपोर्ट की प्रति जिसमें घटना का विवरण और उस पर की गई कार्रवाई समाविष्ट होगी, बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय को प्रस्तुत की जाएगी। रिपोर्ट की एक प्रति ऐसी घटनाओं के निवारण के लिए दीर्घकालीन कार्यनीति की आयोजना बनाने के लिए प्रबंधन समिति के समक्ष भी प्रस्तुत की जाएगी।

(3) रिपोर्ट की एक प्रति संबंधित बालक की केस फाइल में रखी जाएगी।

(4) प्रभारी अधिकारी बालसमिति की अनुशंसाओं और बालक की सुरक्षा और सम्मान पर पूरा ध्यान देते हुए उल्लंघन के मामलों से उपयुक्त रूप से निपटेगा।

(5) प्रभारी अधिकारी स्थिति से निपटने के लिए परामर्शदाता या बाल कल्याण अधिकारी या केस वर्कर, बाल देखरेख संस्था से संबद्ध किसी गैर-सरकारी संगठन की सहायता ले सकता है।

(6) असाधारण अच्छा व्यवहार दर्शाने वाले बालक पर प्रभारी व्यक्ति द्वारा उपयुक्त पुरस्कार और प्रसुविधा देने के लिए विचार किया जाएगा और बालक की केस फाइल में इसके बारे में टिप्पण रखा जाएगा।

ढ. अस्वीकार्य व्यवहार से निपटने की रीति .—(1) की गई कार्रवाई उल्लंघन की प्रकृति और मात्रा और बालक की आयु के अनुरूप होगी और निम्नलिखित में से कोई एक हो सकती है :

(i) औपचारिक चेतावनी;

(ii) गृह व्यवस्था से संबंधित कार्य सौंपना;

(iii) लेखन आरोपण अर्थात् बार-बार यह लिखना कि वह व्यवहार की पुनरावृत्ति न करे; और

(iv) विशेषाधिकारों अर्थात् टेलीविज़न देखने की अनुमति, बाहरी कार्यक्रमों के लिए जाने की अनुमति, खेल और मनोरंजन और अन्य मुख्य कार्यक्रमों का समपहरण।



(2) कोई भी बालक शारीरिक दंड या बालक के सम्मान को प्रभावित करने वाले अपमानजनक व्यवहार सहित किसी भी मानसिक उत्पीड़न से दंडित नहीं किया जाएगा।

ण. असाधारण अच्छा व्यवहार .—निम्नलिखित को अच्छा व्यवहार माना जाएगा, अर्थात् :

- (i) एक माह से अधिक की अवधि में आंका गया, अनुशासन के नियमों का पालन करना और दिनचर्या का अनुपालन करना;
- (ii) किसी अन्य बालक को अस्वीकार्य व्यवहार करने से रोकना या हिंसा का निवारण करना;
- (iii) चेतावनी देकर कोई दुर्घटना घटित होने से रोकना, आपदा के मामले में अन्य बालकों को निकालना;
- (iv) व्यवस्था बनाए रखने में बाल देखरेख संस्था के किसी अधिकारी की सहायता करना। गृह प्रतिनिधियों के लिए, ऐसी परिस्थितियों में जो आपात स्थिति में विकसित हो सकती हैं, चेतावनी देने से पहले के व्यवहार पर विचार किया जाएगा;
- (v) अशांति फैलाने या भाग जाने की किसी योजना के बारे में बालकल्याण अधिकारी को सूचना देना;
- (vi) कोई प्रतिषिद्ध या निषिद्ध वस्तु के बारे में प्रभारी अधिकारी को सूचना देना या;
- (vii) अभिघात से बाहर निकलने में दूसरे बालकी सहायता करना;
- (viii) अपनी शिक्षा जारी रखने की परीक्षा, या व्यावसायिक या पुनर्वास पाठ्यक्रमों में असाधारण प्रदर्शन करना;
- (ix) सकारात्मक और अनुकूलनीय व्यवहार;
- (x) कोई अन्य अच्छा व्यवहार जो प्रभारी अधिकारी द्वारा असाधारण पाया गया हो।

त. असाधारण व्यवहार बनाए रखने के लिए पुरस्कार और प्रसुविधा .—प्रभारी अधिकारी द्वारा संस्था के प्रबंधन द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली दरों पर पुरस्कार बालको अच्छे कार्य और अच्छे व्यवहार के लिए प्रोत्साहन के रूप में प्रदान किया जाएगा और रिहाई के समय वह पुरस्कार उस बालको लेने के लिए आने वाले उसके माता-पिता अथवा अभिभावक या बालको स्वयं रसीद प्राप्त करने के बाद दिया जाएगा।

70. प्रतिषिद्ध वस्तुएं .—(1) कोई भी व्यक्ति बाल देखरेख संस्था में प्रतिषिद्ध वस्तुएं नहीं लाएगा, अर्थात्:-

- (i) किसी भी प्रकार की स्वापक वस्तुएं, मनःप्रभावी पदार्थ, शराब, गांजा, भांग, अफीम, स्मैक आदि;
- (ii) सभी विस्फोटक, जहरीले पदार्थ, तेजाब और रसायन, चाहे वह तरल या ठोस किसी भी रूप में हों;
- (iii) सभी आग्नेयास्त्र, अस्त्र-शस्त्र या हथियार, चाकू और कटाई के सभी उपकरण और वस्तुएं जो किसी भी प्रकार के हथियार के रूप में उपयोग लाई जा सकती हैं;
- (iv) सभी अश्लील सामग्री;
- (v) डोरी, रस्सी, जंजीर और किसी भी प्रकार के सामान जो डोरी या रस्सी या जंजीर के रूप में उपयोग लाया जा सकता है;
- (vi) लकड़ी, बांस, डंडा, लाठी, सीढ़ी, ईंट, पत्थर और किसी भी प्रकार की मिट्टी;
- (vii) ताश और जुआ खेलने की अन्य सामग्री;
- (viii) तम्बाकू से बनी वस्तुएं, पान मशाला या इसी प्रकार की वस्तु;
- (ix) दवाइयां जो विशिष्टरूप से विनिर्दिष्ट नहीं की गई हैं;
- (x) इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य कोई वस्तु।

(2) सभी सोना-चांदी, धातु, सिक्के, आभूषण, गहने, मुद्रा नोट, प्रतिभूतियां और मोबाइल फोन, डिजिटल कैमरा, आई-पैड आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों सहित सभी प्रकार की मूल्यवान वस्तुएं सुरक्षित अभिरक्षा में जमा की जाएंगी।

(3) प्रतिषिद्ध वस्तुओं का निपटान इन नियमों के **नियम 72** के अनुसार किया जाएगा।

71. तलाशी लेने और निरीक्षण के समय पाई गई वस्तुएं :- (1) प्रभारी अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि संस्था में प्राप्त किए जाने वाले प्रत्येक बालकी तलाशी ली जाए, उसके व्यक्तिगत सामान का निरीक्षण किया जाए और और उसके पास पाए गए किसी धन या मूल्यवान वस्तु को उस प्रभारी अधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाए। बालिकाओं की तलाशी के मामले में, महिला कर्मचारी द्वारा ही तलाशी ली जाएगी। किसी भी बालक के पास पाए धन, बहुमूल्य वस्तुओं और अन्य वस्तुओं का अभिलेख प्रत्येक संस्था में "व्यक्तिगत सामान रजिस्टर" में रखा जाएगा जिसमें वस्तुओं का विवरण अतिविष्ट होगा।

(2) व्यक्तिगत सामान रजिस्टर में प्रत्येक बालक के संबंध में की गई प्रविष्टियां एक साक्षी की उपस्थिति में बालको पढ़कर सुनाई जाएंगी और ऐसी प्रविष्टियों के सही होने के प्रतीक के रूप में साक्षी के हस्ताक्षर लिए जाएंगे और इन प्रविष्टियों पर प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षर किए जाएंगे।

72. वस्तुओं का निपटान :- (1) बालक के धन या मूल्यवान वस्तुओं का निम्नलिखित रीति से निपटान किया जाएगा, अर्थात :

- (i) संस्था में बालक को प्राप्त करने पर, प्रभारी अधिकारी बालक की धनराशि को बालक के खाते में जमा कराएगा;
- (ii) मूल्यवान और अन्य वस्तुएं, यदि कोई हैं, सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जाएंगी;
- (iii) जब ऐसे बालक को एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानांतरित किया जाता है, तब उसका धन, मूल्यवान और अन्य वस्तुएं, संपूर्ण और सही विवरण के साथ, बालक के साथ उस संस्था के प्रभारी अधिकारी को स्थानांतरित किए जाएंगे, जिसमें उस बालक का स्थानांतरण किया गया है;
- (iv) ऐसे बालक की रिहाई समय, सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई उसकी मूल्यवान और अन्य वस्तुएं और बालक के नाम में जमा धनराशि यथास्थिति उसके माता-पिता या अभिभावक को, सौंपी जाएगी और इस विषय में रजिस्टर में प्रविष्टि की जाएगी और माता-पिता या अभिभावक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे;
- (v) जब संस्था में किसी बालक की मृत्यु हो जाती है, तब मृतक द्वारा छोड़ी गई मूल्यवान और अन्य वस्तुएं और बालक के नाम में जमा धनराशि प्रभारी अधिकारी द्वारा बालक के माता-पिता या अभिभावक को सौंपी जाएगी;
- (vi) ऐसे व्यक्ति से ऐसी धनराशि, मूल्यवान और अन्य वस्तुओं की प्राप्ति की रसीद ली जाएगी; और
- (vii) यदि बालक की मृत्यु या उसके भाग जाने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर कोई दावेदार उपस्थित नहीं होता है, तो बालक की मूल्यवान और अन्य वस्तुएं और उसके नाम में जमा धनराशि का इन नियमों के **नियम 39** के अधीन प्रबंधन समिति द्वारा लिए गए विनिश्चय के अनुसार निपटान किया जाएगा।

73. मामले की फाइल का रखरखाव :- (1) बाल देखरेख संस्था में सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई प्रत्येक बालक की मामला फाइल गोपनीय होगी।

(2) मामला फाइल को बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय के अवलोकन के लिए पेशी की प्रत्येक तारीख पर बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) मामला फाइल में निम्नलिखित जानकारी होगी अर्थात्:

- (i) पुलिस रिपोर्ट सहित बोर्ड या समिति के समक्ष बालक को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति या अभिकरण की रिपोर्ट ;
- (ii) बालक के द्वारा या उसके विरुद्ध किए गए अपराध के मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट या रोजनामचे की प्रति;
- (iii) फोटो पहचान पत्र, यदि उपलब्ध हो;
- (iv) मामला कार्यकर्ता या बाल कल्याण अधिकारी की नियुक्ति का आदेश;
- (v) मामला इतिवृत्त प्रपत्र;
- (vi) बालक की किसी तात्कालिक जरूरत की रिपोर्ट;



- (vii) प्रभारी अधिकारी, परिवीक्षा अधिकारी या बालकल्याण अधिकारी, परामर्शदाता और मामला कार्यकर्ता की रिपोर्ट;
- (viii) किसी पिछली संस्था में रखी गई बालकी केस फाइल, यदि कोई हो तो;
- (ix) बालक से प्रारंभिक वार्तालाप की रिपोर्ट, उसके परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, समुदाय, मित्रों से प्राप्त जानकारी और विविध स्रोतों से प्राप्त जानकारी;
- (x) बालक, उसके परिवार आदि के बारे में आगे की जानकारी का स्रोत;
- (xi) कर्मचारियों से प्राप्त पर्यवेक्षण रिपोर्ट;
- (xii) चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त यथास्थिति नियमित स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट, नशामुक्ति कार्यक्रम की प्रगति रिपोर्ट;
- (xiii) मनो-सामाजिक प्रोफाइलिंग, नियमित परामर्श रिपोर्टें, जहां कहीं लागू हो, मानसिक स्वास्थ्य अंतर्क्षेप की कोई अन्य;
- (xiv) बुद्धिलब्धि (आई.क्यू.) परीक्षा रिपोर्ट, अभिरुचि परीक्षा रिपोर्ट, ज्ञानात्मक मूल्यांकन, शैक्षणिक या व्यावसायिक परीक्षाओं की, यदि आयोजित की गई हैं, रिपोर्ट;
- (xv) प्रशिक्षण और उपचार कार्यक्रम और विशेष सावधानियां रखे जाने के संबंध में अनुदेश;
- (xvi) व्यक्तिगत सामान रजिस्टर की प्रति;
- (xvii) बालक की आयु घोषित करने वाले आदेश की प्रति;
- (xviii) प्रदान की गई छुट्टियां और अन्य विशेषाधिकार;
- (xix) पुनर्वास कार्ड ;
- (xx) तिमाही प्रगति रिपोर्ट;
- (xxi) यथा विहित रिहाई-पूर्व कार्यक्रम, रिहाई के उपरांत योजना और अनुवर्ती योजना सहित व्यक्तिगत देखरेख योजना और उनमें आशोधन;
- (xxii) देखरेख योजना की कारगरता के बारे में पाक्षिक और मासिक रिपोर्ट;
- (xxiii) बालक के सामने आ रही कठिनाइयों का अभिलेख और उनका समाधान;
- (xxiv) बालक की शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई का रिकार्ड;
- (xxv) बालक द्वारा दिया गया फीडबैक;
- (xxvi) छुट्टी और पर्यवेक्षणाधीन रिहाई;
- (xxvii) ऐसे मुलाकाती की रिपोर्ट जो बालक से मुलाकात करते समय आपत्तिजनक या प्रतिषिद्ध वस्तुओं के साथ पाया गया हो;
- (xxviii) ऐसी वस्तुएं रखने के बारे में बालक की रिपोर्ट और इस बारे में की गई कार्रवाई रिपोर्ट;
- (xxix) किसी अस्वीकार्य व्यवहार एवं परिणाम की रिपोर्ट;
- (xxx) किसी असाधारण व्यवहार एवं परिणाम की रिपोर्ट;
- (xxxi) विशेष उपलब्धियां और नियमों का उल्लंघन, यदि कोई हो;
- (xxxii) बालक को पुरस्कार या उसके उपार्जन का टिप्पण और बालक या उसके माता-पिता या अभिभावक की प्राप्ति;
- (xxxiii) रिहाई या वापसी आदेश;
- (xxxiv) अनुरक्षण आदेश, यदि कोई हो;



- (xxxv) पुनर्वास अंतःक्षेप आवास के अंतर्गत बालकों के मामले में रिहाई की अनुपालना रिपोर्ट;
- (xxxvi) रिहाई नहीं किए जा रहे बालकी रिपोर्ट और बालकी गैर-रिहाई के संबंध में जारी किए गए निदेशों की अनुपालना रिपोर्ट;
- (xxxvii) अनुवर्ती रिपोर्टें;
- (xxxviii) वार्षिक फोटो;
- (xxxix) बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय के निदेशानुसार रिहाई उपरांत मामलों की अनुवर्ती रिपोर्ट;
- (xl) बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय द्वारा बसलक के मामले में मांगी किसी अन्य रिपोर्ट की प्रति; और
- (xli) टिप्पणियों, यदि कोई हों।
- (4) बालक के चिकित्सा अभिलेख में उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति, व्यसन की स्थिति और उपचार आदि के बारे में बालककी सभी रिपोर्टें और अभिलेख अंतर्विष्ट होंगे।
- (5) केस फाइल के रखरखाव का उत्तरदायित्व बाल कल्याण अधिकारी या संबंधित मामला कार्यकर्ता का होगा।
- (6) संस्था द्वारा रखी गई सभी मामलों की फाइलें कम्प्यूटरीकृत की जाएगी और राज्य सरकार इसके लिए उचित प्रक्रिया विकसित करेगी।
- 74. बालकों से मिलना और उनसे सूचना का आदान प्रदान करना :-** (1) बाल देखरेख संस्था में प्रत्येक बालको उसके रिश्तेदारों से सप्ताह में एक बार मिलने की अनुमति होगी:
- परंतु विशिष्ट मामलों में, जहां माता-पिता या अभिभावक दूसरे राज्य या जिला से लंबी दूरी की यात्रा करके आए हैं, प्रभारी अधिकारी ऐसे माता-पिता या अभिभावकों को, उनकी पहचान की पुष्टि होने पर और उनके बारे में बालक के साथ दुर्व्यवहार या उसका शोषण करने में उनकी संलिप्तता की कोई रिपोर्ट नहीं है, परिसर में प्रवेश करने और उनके बच्चों से अन्य दिनों में मिलने की अनुमति दे सकता है।
- (2) नए प्राप्त किए गए बालको उसके माता-पिता या अभिभावक या परिवार के सदस्य से उनके पहले भ्रमण पर किसी भी दिन मिलने की अनुमति होगी।
- (3) ऐसे माता-पिता या अभिभावकों या रिश्तेदारों को जहां ऐसे आगंतुकों की बालक के साथ हिंसा, दुर्व्यवहार या उसका शोषण करने में या प्रतिषिद्ध वस्तुओं के लाने में संलिप्तता पाई गई है, बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय द्वारा प्रदत्त स्पष्ट अनुमति के सिवाय और जब ऐसी मुलाकात बालक के परामर्शदाता द्वारा विशेषरूप से निदेशित नहीं की गई हो, मिलने की कोई अनुमति नहीं होगी।
- (4) प्रत्येक बालको अपने माता-पिता या अभिभावक या रिश्तेदारों को सप्ताह में दो पत्र लिखने की अनुमति होगी। आवश्यक लेखन और डाक सामग्री प्रभारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
- (5) प्रभारी अधिकारी बालद्वारा या बालको लिखे गए किसी भी पत्र को पढ़ सकेगा और ऐसे कारणों से जिन्हें बालकी केस फाइल में लिखा जाएगा, पत्र को सुपर्द करने या आगे भेजने से मना कर सकेगा। इसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी और प्रबंधन समिति के समक्ष रखी जाएगी। रिपोर्ट की एक प्रति केस फाइल में रखी जाएगी और दूसरी प्रति बोर्ड या बाल न्यायालय या समिति को भेजी जाएगी।
- (6) प्रत्येक बालको यथास्थिति बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय में, जैसा भी मामला हो, देने के प्रयोजन से कोई भी लिखित संप्रेषण लाने की अनुमति होगी और इसके लिए उसे लेखन सामग्री आदि उपलब्ध कराई जाएगी।
- (7) प्रभारी अधिकारी, बालकल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता या परिवीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में बालको सप्ताह में एक बार दूरभाष पर उसके माता-पिता या अभिभावकों से बातचीत करने की अनुमति दे सकता है और ऐसे कालों का विधिवत् अभिलेख रखा जाएगा।
- (8) बालसे मुलाकात करने का इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति, मुलाकात से पहले प्रमाण के साथ अपना नाम व पता बताएगा जिसे आगंतुक पुस्तिका में लिखा जाएगा और आगंतुक द्वारा उसमें हस्ताक्षर किए जाएंगे। आगंतुक के पते एवं फोटो पहचान पत्र की प्रति मुलाकात से पहले ली जाएगी और संस्था द्वारा रख ली जाएगी। यदि आगंतुक अपना विवरण प्रकट नहीं करता है, उसे मुलाकात करने से मना कर दिया जाएगा।



- (9) आगंतुक मुख्य द्वारा पर तलाशी के लिए स्वयं को प्रस्तुत करेगा, महिला आगंतुक की तलाशी केवल महिला कर्मचारी द्वारा ली जाएगी।
- (10) प्रत्येक मुलाकात बाल देखरेख संस्था के कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता या परिवीक्षा अधिकारी की उपस्थिति में की जाएगी जो होने वाली किसी भी अनियमितता के लिए जिम्मेवार होगा और जो इस प्रकार उपस्थिति रहेगा कि वह पक्षों के बीच गुजरने वाली किसी भी आपत्तिजनक या प्रतिषिद्ध वस्तु को देखने और रोकने में समर्थ है।
- (11) प्रत्येक बालक की मुलाकात से पहले और बाद में आगंतुक की उपस्थिति में सावधानीपूर्वक तलाशी ली जाएगी। बालक के पास मुलाकात के लिए जाने से पहले कोई भी वस्तु नहीं होनी चाहिए।
- (12) यदि बैठक से पहले ली गई तलाशी में कोई आपत्तिजनक या प्रतिषिद्ध वस्तु पाई जाती है:
- उक्त वस्तु जब्त कर लिया जाएगा;
 - प्रभारी व्यक्ति बालक तक वस्तु को पहुंचाने के लिए जिम्मेवार व्यक्ति(यों) का पता लगाने के लिए जांच करेगा;
 - यदि जिम्मेवार व्यक्ति बाल देखरेख संस्था के कर्मचारियों में से हैं, उनके विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी; और
 - जांच की विस्तृत रिपोर्ट और इसका परिणाम विभाग और बोर्ड या सक्षम दाण्डिक क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय को अग्रेषित किया जाएगा।
- (13) यदि बैठक के बाद ली गई तलाशी में कोई आपत्तिजनक या प्रतिषिद्ध वस्तु पाई जाती है तो:
- वस्तु जब्त कर ली जाएगी;
 - किसी गैर-कानूनी वस्तु के पाये जाने के मामले में, जिसमें कानूनी कार्यवाही किया जाना न्यायसंगत हो, वस्तु और आगंतुक को निरुद्ध कर लिया जाएगा और पुलिस को सूचना दी जाएगी। आगंतुक और ऐसी वस्तु को पुलिस को सौंप दिया जाएगा;
 - ऐसे आगंतुक के बारे में रिपोर्ट तैयार की जाएगी और बालकी केस फाइल में रखी जाएगी;
 - घटना की एक रिपोर्ट को बोर्ड या सक्षम दाण्डिक क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय को अग्रेषित किया जाएगा; और
 - रिपोर्ट की प्रति बालकी केस फाइल में रखी जाएगी।
- (14) कोई भी बालक जो मुलाकात के विशेषाधिकार का दुरुपयोग करता है, ऐसी अवधि के लिए जिसके लिए प्रभारी अधिकारी निदेश दे सकता है, उस अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। इसकी रिपोर्ट बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय को भेजी जाएगी और इसकी प्रति बालकी केस फाइल में रखी जाएगी।
- (15) प्रत्येक बालक को निम्नलिखित के अधीन रहते हुए कानूनी परामर्शदाता से संवाद करने का हक होगा:
- तलाशी और जब्ती के नियम सभी कानूनी परामर्शदाताओं पर भी लागू होंगे;
 - ऐसा प्रत्येक साक्षत्कार गृह के अधिकारी की नजर में होगा, यद्यपि वह सुरक्षित दूरी पर होगा ताकि वह सुनने के दायरे से बाहर रहे;
 - बालक के अधिवक्ता की हैसियत से उसका साक्षत्कार लेने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय द्वारा सत्यापित वकालतनामा की एक प्रति के साथ अपना नाम, पता और नामांकन संख्या देते हुए लिखित में आवेदन करेगा;
 - किसी भी बालक को जो अधिवक्ता नहीं होने का दावा करता है, विधिक सहायता अधिवक्ताओं से मिलने की अनुमति होगी जो सामान्य कार्य प्रणाली में बाल देखरेख संस्था का दौरा करते हैं।
- 75. बालक की मृत्यु :-** (1) बाल देखरेख संस्था में किसी बालकी मृत्यु होने अथवा आत्महत्या का कोई मामला होने की दशा में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी :
- संस्था को यह सुनिश्चित करना होगा कि मृत्यु समीक्षा और शव परीक्षण की कार्यवाही यथाशीघ्र की जाए।



- (ii) किसी प्राकृतिक कारण से या रोगग्रस्त होने के कारण किसी बालक की मृत्यु की दशा में, प्रभारी अधिकारी चिकित्सा अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त करेगा जिसमें मृत्यु का कारण दर्शाया जाएगा और मृत्यु के बारे में लिखित सूचना तत्काल निकटवर्ती पुलिस थाने, बोर्ड या समिति और उस बालक के माता-पिता या अभिभावकों या रिश्तेदारों को भेजी जाएगी।
- (iii) मामला कार्यकर्ता या परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी द्वारा प्रभारी अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी को तुरंत सूचना दी जाएगी और प्रभारी अधिकारी तत्काल निकटवर्ती पुलिस थाने, बोर्ड या समिति और मृतक बालक के माता-पिता या अभिभावकों या रिश्तेदारों को सूचित करेगा।
- (iv) यदि बाल देखरेख संस्था में प्रवेश पाने के चौबीस घंटे के भीतर किसी बालक की मृत्यु हो जाती है, तो बाल देखरेख संस्था का प्रभारी अधिकारी पुलिस और जिला चिकित्सा अधिकारी या निकटवर्ती सरकारी अस्पताल और ऐसे बालक के माता-पिता या अभिभावकों या रिश्तेदारों को अविलम्ब सूचित करेगा।
- (v) बाल देखरेख संस्था के प्रभारी अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी उस बालक की मृत्यु की परिस्थितियां रिकार्ड करेंगे और संबंधित मजिस्ट्रेट, पुलिस, बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय और जिला चिकित्सा अधिकारी या निकटवर्ती सरकारी अस्पताल, जिसमें निरीक्षण और मृत्यु के कारण की जांच के लिए बालक के शव को भेजा गया हो, एक रिपोर्ट भेजेंगे और प्रभारी अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी मृत्यु के कारण के विषय में अपने विचार, यदि कोई हों, भी अभिलिखित करेंगे और इसे संबंधित मजिस्ट्रेट और पुलिस को देंगे।
- (vi) बाल देखरेख संस्था का प्रभारी अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी ऐसे किसी बालक की मृत्यु के कारणों और अन्य व्यौरों के संबंध में पुलिस या मजिस्ट्रेट द्वारा की जाने वाली किसी भी जांच के लिए उपलब्ध रहेंगे।
- (vii) जैसे ही मृत्यु समीक्षा पूरी हो जाती है, बालक का शव उसके माता-पिता या अभिभावक या रिश्तेदारों को सौंपा जाएगा या किसी दोवदार के उपस्थिति न होने की दशा में भविष्य में संदर्भ के लिए बालका फोटोग्राफ रखने के बाद उस बालक के ज्ञात धर्म के अनुसार बाल देखरेख संस्था के प्रभारी अधिकारी की देखरेख में उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा।

76. बालक से दुर्व्यवहार और उसका शोषण :- (1) प्रत्येक संस्था में यह सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जाएगी कि संस्था में किसी भी बालक के साथ कोई दुर्व्यवहार, उपेक्षा और दुराचार न हो और इसमें उन कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा जो दुर्व्यवहार, उपेक्षा और दुराचार का अर्थ और इनके प्रारंभिक संकेतों को और इन दुर्व्यवहारों से कैसे निपटते हैं, जानते हैं।

(2) किसी भी संस्था में बालकों की देखरेख और संरक्षण के उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा बालकों की उपेक्षा सहित उनके साथ शारीरिक, लैंगिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार की दशा में निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी अर्थात् :

- (i) दुर्व्यवहार और शोषण की घटनाओं की सूचना प्राप्त होने पर संस्था के किसी भी कर्मचारी द्वारा यह रिपोर्ट तत्काल प्रभारी अधिकारी को की जाएगी ;
- (ii) जब शारीरिक, लैंगिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार के आरोप की जानकारी प्रभारी अधिकारी को होती है, बोर्ड या समिति के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जो परिणामस्वरूप, विशेष अन्वेषण का आदेश देगी ;
- (iii) बोर्ड या समिति ऐसे मामले को दर्ज करने, ऐसी घटनाओं का सम्यक संज्ञान लेने और आवश्यक अन्वेषण करने के लिए स्थानीय पुलिस थानो या विशेष किशोर पुलिस इकाई को निदेश देगी;
- (iv) बोर्ड या समिति यह सुनिश्चित करने के सभी आवश्यक उपाय करेंगी कि जांच पूरी हो और पीड़ित बालक को विधिक सहायता के साथ-साथ परामर्श उपलब्ध कराए जाएं;
- (v) बोर्ड या समिति ऐसे बालक को किसी अन्य संस्था या सुरक्षा के स्थान या उपयुक्त व्यक्ति को स्थानांतरित करेगी ;
- (vi) संस्था का प्रभारी अधिकारी प्रबंधन समिति के अध्यक्ष को भी सूचित करेगा और घटना और उस पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की रिपोर्ट की एक प्रति प्रबंधन समिति की अगली बैठक में उसके समक्ष प्रस्तुत करेगा ;

- (vii) संस्थाओं में बालकों की बाबत किए गए किसी अन्य अपराध की दशा में, बोर्ड या समिति उसका संज्ञान लेगी और स्थानीय पुलिस थाना या विशेष किशोर पुलिस इकाई द्वारा किए जाने वाले आवश्यक अन्वेषण की व्यवस्था करेगी;
- (viii) बोर्ड या समिति दुर्यवहार और शोषण के तथ्यों की जांच करने के लिए प्रत्येक संस्था में गठित बाल समिति से परामर्श करने के साथ-साथ संस्था में बालकों के दुर्यवहार और शोषण के मामलों से निपटने से संबंधित स्वेच्छिक संगठनों, बाल अधिकार के विशेषज्ञों, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों या संकट मध्यक्षेप केंद्रों से सहायता प्राप्त कर सकेगी।

77. रजिस्ट्रों का रखरखाव:- (1) कॉलम (3) में उल्लिखित व्यक्ति अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन स्तंभ (2) में उल्लिखित रजिस्ट्रों का जिसका अभिरक्षक स्तंभ (4) में उल्लिखित व्यक्ति होगा, निम्नानुसार रखरखाव करेगा:

सारणी

क्र.सं. (1)	रजिस्टर और प्ररूप (2)	द्वारा रखरखाव किए जाएंगे (3)	अभिरक्षक (4)
1.	प्रवेश और छुट्टी रजिस्टर जो अभिरक्षा की प्रकृति में परिवर्तन संसूचित करेगा	बाल कल्याण अधिकारी/केस कार्यकर्ता/प्राप्तकर्ता अधिकारी	प्रभारी अधिकारी
2.	कर्मचारियों और बालकों की उपस्थिति रजिस्टर	पाली प्रभारी	प्रभारी अधिकारी
3.	बजट विवरण फाइल	प्रभारी अधिकारी	प्रभारी अधिकारी
4.	प्रत्येक बालक की केस फाइल	बाल कल्याण अधिकारी/केस कार्यकर्ता	प्रभारी अधिकारी
5.	रोकड़ बही	लेखा अधिकारी/खजांची	प्रभारी अधिकारी
6.	बालक सुझाव पुस्तिका	बालक समिति	प्रभारी अधिकारी
7.	परामर्श रजिस्टर	परामर्शदाता	प्रभारी अधिकारी
8.	नशा मुक्ति कार्यक्रम नांमांकन और प्रगति रजिस्टर	बाल कल्याण अधिकारी/केस कार्यकर्ता	प्रभारी अधिकारी
9.	प्रभार सौंपने का रजिस्टर	पाली प्रभारी	प्रभारी अधिकारी
10.	गृह व्यवस्था और सफाई रजिस्टर	गृह माता-पिता	प्रभारी अधिकारी
11.	निरीक्षण पुस्तिका	प्रभारी अधिकारी	प्रभारी अधिकारी
12.	विधिक सेवा रजिस्टर	बाल कल्याण अधिकारी/केस कार्यकर्ता	प्रभारी अधिकारी
13.	पुस्तकालय रजिस्टर	शिक्षक	प्रभारी अधिकारी
14.	लोग बुक	चालक	प्रभारी अधिकारी
15.	भोजन रजिस्टर/पोषण आहार फाइल	गृह माता-पिता	पाली प्रभारी
16.	प्रत्येक बालक की चिकित्सा फाइल	स्टाफ नर्स	प्रभारी अधिकारी
17.	बैठक पुस्तिका	बाल कल्याण अधिकारी/केस कार्यकर्ता	प्रभारी अधिकारी
18.	बालक समितियों की कार्यवृत्त रजिस्टर	बाल कल्याण अधिकारी/केस कार्यकर्ता	प्रभारी अधिकारी
19.	प्रबंधन समिति की कार्यवृत्त रजिस्टर	प्रभारी अधिकारी	प्रभारी अधिकारी
20.	आदेश पुस्तिका	प्रभारी अधिकारी	प्रभारी अधिकारी

21.	व्यक्तिगत सामान रजिस्टर	बाल कल्याण अधिकारी/केस कार्यकर्ता	प्रभारी अधिकारी
22.	प्रस्तुति रजिस्टर	परिवीक्षा अधिकारी/बाल कल्याण अधिकारी/केस कार्यकर्ता	प्रभारी अधिकारी
23.	कर्मचारी संचालन रजिस्टर	सुरक्षा प्रभारी	प्रभारी अधिकारी
24.	स्टॉक रजिस्टर	स्टोर कीपर-सह-लेखाकार	प्रभारी अधिकारी
25.	आगंतुक पुस्तिका	सुरक्षा गार्ड	मुख्य द्वारपाल

78. खुलापन और पारदर्शिता :- (1) समस्त बाल देखरेख संस्थाओं को बोर्ड या समिति या प्रभारी अधिकारी की अनुमति से आगंतुकों के लिए खोला जाएगा। बोर्ड या समिति या प्रभारी अधिकारी स्वैच्छिक संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, अनुसंधानकर्ताओं, चिकित्सकों, शिक्षाविदों को अंदर आने की अनुमति दे सकते हैं और उसी तरह ऐसे अन्य व्यक्तियों को प्रबंधन समिति बालकों की सुरक्षा, कल्याण और हित का ध्यान रखते हुए उपयुक्त समझे, अनुमति दे सकती है।

(2) जहां उप-नियम (1) में निर्दिष्ट अनुमति प्रभारी अधिकारी द्वारा दी जाती है, वह राज्य यथास्थिति बाल संरक्षण सोसायटी और बोर्ड या समिति, जैसा भी मामला हो, के लिए भी ऐसी अनुमति की मासिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें बोर्ड या समिति से प्राप्त आदेश शामिल होंगे।

(3) बाल देखरेख संस्था का प्रभारी अधिकारी संस्था में स्थितियों में सुधार करने या बालक की सहायता करने के लिए स्थानीय समुदाय और निगमों को सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करेगा।

(4) प्रभारी अधिकारी आगंतुकों की टिप्पणियों का अभिलेख रखने के लिए आगंतुक पुस्तिका रखेंगे।

(5) प्रभारी अधिकारी बालकों की गरिमा बनाए रखने के लिए आगंतुकों को सूचित करने के सभी उपाय करेगा।

79. बाल देखरेख संस्था से बालक की रिहाई :- (1) बाल देखरेख संस्था का प्रभारी अधिकारी बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय द्वारा यथा आदेशित आवास की अवधि की समाप्ति पर रिहा किए जाने वाले बालकों के मामलों का रोजर रखेगा।

(2) बालक की रिहाई और रिहाई की सही तारीख की समयोचित सूचना बालक के माता-पिता या अभिभावक को दी जाएगी और माता-पिता या अभिभावक को उस तारीख को बालक का प्रभार लेने के लिए बाल देखरेख संस्था में बुलाया जाएगा और यदि आवश्यक हो, माता-पिता या अभिभावक की दोनों ओर की यात्रा और बालक की बाल देखरेख संस्था से यात्रा के वास्तविक व्यय का भुगतान बालक की रिहाई के समय प्रभारी अधिकारी द्वारा माता-पिता या अभिभावक को किया जाएगा।

(3) यदि माता-पिता या अभिभावक, नियत तारीख को आने में और बालक का यथास्थिति प्रभार लेने में असफल रहते हैं, बालक को बाल देखरेख संस्था के मार्गरक्षी द्वारा ले जाया जाएगा; और बालिका के मामले में, उसे महिला मार्गरक्षी द्वारा ले जाया जाएगा जो उसे उसके माता-पिता/अभिभावक की अभिरक्षा में सौंपेगी।

(4) रिहाई या छुट्टी के समय, बालक को उपयुक्त कपड़ों का सैट और आवश्यक प्रसाधन सामग्री दी जा सकेगी।

(5) जब बालक अठारह वर्ष की आयु का हो जाता है, उसका स्थापन, यदि वह पात्र है, , बालक की सहमति और बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय के अनुमोदन के अधीन, परवर्ती देखरेख कार्यक्रम में किया जा सकेगा।

(6) यदि रिहाई की तारीख रविवार या सार्वजनिक अवकाश वाले दिन पड़ती है, तो बालक को उससे पूर्वगामी दिन छुट्टी दे दी जाएगी और छुट्टी रजिस्टर में इस संबंध में एक प्रविष्टि की जाएगी।

(7) बाल देखरेख संस्था का प्रभारी अधिकारी उपयुक्त मामलों में, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत दरों पर यथास्थिति निर्वाह धन और रेल और/या सड़क किराया, का भुगतान कर सकेगा।

(8) जहां किसी बालिका के पास रिहाई के बाद जाने का कोई स्थान नहीं होता है और वह आवास की अवधि का समाप्ति के बाद भी बाल देखरेख संस्था में रुकने का अनुरोध करती है, प्रभारी अधिकारी, बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय के अनुमोदन के अधीन, सीमित समय के लिए जब तक उस बालिका द्वारा कोई अन्य उपयुक्त व्यवस्था नहीं कर ली जाती है, उसके आवास को अनुमति दे सकेगा।

80. ऐसे रोगों से जिनके लिए अनुमोदित स्थान में दीर्घकालिक चिकित्सा उपचारकी जरूरत होती है, पीड़ित बाल और बालका स्थानांतरण जो मानसिक रूप से रोगग्रस्त है या अल्कोहल या अन्य नशीली दवाइयों का आदी है :- (1) बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय ऐसे बालक को जो मानसिक रूप से रोगग्रस्त है या अल्कोहल या अन्य नशीली दवाइयों या किसी अन्य मादक पदार्थ का आदी है जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति में व्यवहारगत परिवर्तन होते हैं, ऐसी अवधि या उसके आवास की शेष अवधि के लिए जो ऐसे बालक को बालक के उपचार के लिए यथा आवश्यक है, उपयुक्त सुविधा में भेजेगा जिसे चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ द्वारा प्रमाणित किया गया है या प्रभारी अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता द्वारा अनुशंसा की गई है।

(2) जब बालरोग या शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से ठीक हो गया हो, बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय ऐसे बालको उस देखरेख में जहां से उसे उपचार के लिए हटाया गया था, वापस रखे जाने का आदेश देगा और यदि उस बालको और अधिक समय तक देखरेख में रखा जाना आवश्यक नहीं है, तो बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय उसकी छुट्टी करने का आदेश कर सकेगा।

(3) राज्य सरकार व्यसनी बालकों के लिए उपयुक्त आयु समूहों के आधार पर अलग समेकित पुनर्वास केंद्रों की स्थापना करेगी।

81. बालक का स्थानांतरण:- (1) जांच के दौरान, यदि यह पाया जाता है कि बालक बोर्ड या समिति के कार्यक्षेत्र से बाहर के स्थान का है, तो बोर्ड या समिति बालक के स्थानांतरण का आदेश करेगी और आदेश की एक प्रति जिसमें ऐसे स्थानांतरण के कारणों एवं परिस्थितियों को लेखबद्ध किया जाएगा, राज्य सरकार और जिला बाल संरक्षण इकाई को भेजेगी।

(2) तदनुसार जिला बाल संरक्षण इकाई :

- (i) उपयुक्त बोर्ड या समिति को, जिसके कार्यक्षेत्र में वह क्षेत्र आता है जहां बोर्ड या समिति द्वारा बालक के स्थानांतरण का आदेश किया गया है, स्थानांतरण की सूचना भेजेगी; और
- (ii) संस्था के प्रभारी अधिकारी को जहां बालक को स्थानांतरण आदेश के समय देखरेख और संरक्षण के लिए रखा गया है, सूचना की एक प्रति भेजेगी।

(3) बालक का मार्गरक्षण आदेश में यथा विनिर्दिष्टित: स्थान या व्यक्ति तक सरकारी व्यय पर किया जाएगा और दैनिक आधार पर यात्रा भत्ते का निर्धारण बोर्ड या समिति द्वारा किया जाएगा जिसका भुगतान राज्य की उस जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा किया जाएगा जिसने बालक का स्थानांतरण किया है।

(4) ऐसे स्थानांतरण पर, बालक की केस फाइल और उसके अभिलेख बालक के साथ भेजे जाएंगे।

(5) जहां बालक दूसरे देश का नागरिक है, बोर्ड या समिति के समक्ष बालक को प्रस्तुत करने पर बोर्ड या समिति तत्काल राज्य सरकार को सूचित करेगी जो गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के परामर्श से, जैसा भी मामला हो, शीघ्र बालक के प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया शुरू करेगी।

(6) प्रत्यावर्तन को अंतिम रूप दिया जाना लंबित रहने की अवधि के दौरान, बालक को बालक देखरेख संस्था में रखा जाएगा।

(7) दूसरे देश में बालक के प्रत्यावर्तन का व्यय संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

82. वापस भेजा जाना और अनुवर्तन:- (1) बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय, बालक और उसके माता-पिता या अभिभावक की सुनवाई के बाद और माता-पिता या अभिभावक होने का दावा करने वाले व्यक्तियों की पहचान के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने के बाद बाल देखरेख संस्था में रखे गए बालक की रिहाई के लिए प्ररूप 44 में आदेश देगी।

(2) बालक को वापस भेज जाने का आदेश पारित करते समय, बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय उपयुक्त मामले में बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय के निदेश पर तैयार की गई गृह अध्ययन रिपोर्ट सहित परिवीक्षा अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता या बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता की रिपोर्टों और बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज या रिपोर्ट पर विचार करेगा।

(3) वापस भेजे जाने के आदेश में परिवीक्षा अधिकारी या सामाजिक कार्यकर्ता या बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता या गैर-सरकारी संगठन द्वारा तैयार की व्यक्तिगत देखरेख योजना सम्मिलित की जाएगी।

(4) बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय, बालक को वापस भेजे जाने का निदेश देते समय, जहां कहीं आवश्यक है, प्ररूप 45 में मार्गरक्षण के लिए आदेश पारित करेगा।



- (5) पुलिस के अतिरिक्त, बोर्ड या समिति, बालक को परिवार में वापस भेजे जाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों का सहयोग लेगी।
- (6) बालिकाओं के मामले में, बालिका को महिला अभिरक्षा दल के साथ भेजा जाएगा।
- (7) बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय द्वारा वापस भेजे जाने के आदेश की प्रति के साथ-साथ मार्गरक्षण आदेश की प्रति जिला बाल संरक्षण इकाई का भेजी जाएगी जो यात्रा और अन्य आकस्मिक खर्चों सहित बालक को वापस भेजे जाने के लिए राशि प्रदान करेगी।
- (8) जब कोई बालक परिवार में वापस जाने की अनिच्छा प्रकट करता है, तो बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय इसके कारणों का पता लगाने के लिए बालक के साथ वार्तालाप करेगा और इस बात को दर्ज करेगा और बालक को परिवार में वापस जाने के लिए न तो बाध्य किया जाएगा और न ही समझाया जाएगा। बालक को ऐसी स्थिति में भी परिवार में वापस नहीं भेजा जाएगा जहां बाल कल्याण अधिकारी या सामाजिक कार्यकर्ता या मामला कार्यकर्ता या गैर-सरकारी संगठन यह सिद्ध करता हो कि बालक का परिवार में वापस जाना उसके हित में नहीं है। बालक को ऐसे परिवार में भी वापस नहीं भेजा जाएगा जहां माता-पिता या अभिभावक बालक को वापस स्वीकार करने से इंकार करते हैं। ऐसे सभी मामलों में, बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय पुनर्वास के वैकल्पिक साधन प्रदान करेगा।
- (9) व्यक्तिगत देखरेख योजना के भाग के रूप में परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता या सामाजिक कार्यकर्ता या गैर-सरकारी संगठन द्वारा एक अनुवर्ती योजना तैयार की जाएगी।
- (10) अनुवर्ती रिपोर्ट में बालक को वापस भेजने के बाद उसकी स्थिति और बालक की असुरक्षा में आगे और कमी लाने के लिए आवश्यक उपायों का उल्लेख होगा।

83. किशोर न्याय निधि :- (1) राज्य सरकार इस अधिनियम और इन नियमों के अधीन आने वाले बालकों के कल्याण और पुनर्वास के लिए किशोर न्याय निधि नामक निधि का सृजन करेगी।

- (2) राज्य सरकार किशोर न्याय निधि के लिए पर्याप्त बजट आवंटन करेगा।
- (3) किशोर न्याय निधि में दान, स्वैच्छिक अभिदान, अंशदान या निगम सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत निधि, चाहे किसी विशेष प्रयोजन के लिए या बिना किसी विशेष प्रयोजन के, प्राप्त कर सकेगी और ऐसी निधि सीधे किशोर न्याय निधि में जमा की जाएगी।
- (4) किशोर न्याय निधि का राज्य सरकार द्वारा उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जा सकेगा अर्थात् :-
 - (i) बाल देखरेख संस्थाओं की स्थापना और संचालन ;
 - (ii) बाल देखरेख संस्थाओं में बालकों के कल्याण के लिए अभिनव कार्यक्रमों को सहायता ;
 - (iii) विधिक सहायता और समर्थन का सुदृढीकरण ;
 - (iv) उद्यमशीलता सहायता, कौशल विकास या व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना ;
 - (v) अठारह वर्ष की आयु का होने पर बाल देखरेख संस्था छोड़कर जा रहे बालकों का एक मुस्त निर्वहन सहायता प्रदान करना ;
 - (vi) ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने संस्थागत देखरेख में अठारह वर्ष की आयु पार कर ली है, जीवन की मुख्यधारा में पुनर्समेकन को समर्थन देने के लिए छोटे व्यापार शुरू करने के लिए पूंजी और अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए देखरेख सुविधाएं और उद्यमशीलता निधि प्रदान करना ;
 - (vii) पालन-पोषण देखरेख, प्रायोजकता और परवर्ती देखरेख प्रदान करना ;
 - (viii) उग्रवादी समूहों और वयस्क समूहों से छूटे बच्चों सहित विशेष परिस्थितियों में रह रहे बालकों का पुनर्वास ;
 - (ix) बालक को विचारण और वापस भेजे जाने के लिए यात्रा के व्यय को वहन करना, पुलिस सहित मार्गरक्षकों के व्यय सहित ;
 - (x) बाल अनुकूल पुलिस थानों, बोर्डों, न्यायालयों और समितियों का सृजन करना ;
 - (xi) बालकों की जरूरतों को समझने के लिए माता-पिता और देखरेखकर्ताओं की क्षमता निर्माण ;
 - (xii) बालअधिकारों और बालकों के विरुद्ध होन वाले अपराधों पर जागरूकता विकास कार्यक्रम ;



- (xiii) बालकों के विरुद्ध अपराधों को पहचानने और उनकी रिपोर्ट करने के लिए समुदाय आधारित बालसंरक्षण कार्यक्रमों को तैयार करना ;
 - (xiv) इस अधिनियम के अंतर्गत समाविष्ट किए गए बालकों के लिए विशेषज्ञ व्यावसायिक सेवाएं, परामर्शदाता, अनुवादक, दुभाषिया, विशेष शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता, मानसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, व्यावसायिक प्रशिक्षक आदि प्रदान करना ;
 - (xv) बाल देखरेख संस्थाओं में रहनेवाले बालकों सहित इस अधिनियम के अंतर्गत समाविष्ट किए गए बालकों को मनोरंजन सुविधाएं और उनके लिए पाठ्यक्रम संबंधी अतिरिक्त कार्यकलाप ;
 - (xvi) कैंसर से पीड़ित बालकों को प्रशामक देखरेख और उनके माता-पिता को ठहरने की सुविधाएं ; और
 - (xvii) इस अधिनियम और इन नियमों में शामिल किए बालक के समग्र संवृद्धि, विकास और कल्याण को समर्थन देने के लिए कोई अन्य कार्यक्रम या कार्यकलाप ।
- (5) किशोर न्याय निधि का रखरखाव और संचालन इस अधिनियम से संबंधित राज्य सरकार के विभाग द्वारा राज्य बाल संरक्षण सोसायटी के माध्यम से किया जाएगा ।
- (6) राज्य सरकार के अनुमोदन से राज्य बाल संरक्षण सोसायटी किशोर न्याय निधि के उपयोग का नियमन करने के लिए वित्तीय नियमों को अंगीकार करेगी ।

84. राज्य बालसंरक्षण सोसायटी :- (1) राज्य बाल संरक्षण सोसायटी निम्नलिखित कार्य करेगी अर्थात् :

- (i) राज्य में अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के कार्यान्वयन की निगरानी और अधिनियम के अधीन अभिकरणों और संस्थाओं का पर्यवेक्षण और उन्हें मानीटर करना ;
- (ii) बालकों की देखरेख और संरक्षण से संबंधित बाधाओं, मुद्दों और शिकायतों को हल करना ;
- (iii) यह सुनिश्चित करना कि इस अधिनियम और इन नियमों के अधीन स्थापित सभी संस्थाएं अपने स्थान पर हैं और उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन कर रही हैं ;
- (iv) विभिन्न जिलों में संस्थाओं के कार्यकरण पर विभिन्न जिला बाल संरक्षण इकाइयों से प्राप्त रिपोर्टों की समीक्षा करना और जहां कहीं आवश्यक है, बालकों के संरक्षण को सुकर बनाने के लिए कार्रवाई करना और जिला बालसंरक्षण इकाइयों के कार्यकरण की मानीटर करना ;
- (v) पालन-पोषण देखरेख, प्रायोजकता और परवर्ती देखरेख के लिए कार्यक्रम तैयार करना ;
- (vi) बाल देखरेख संस्थाओं में और अन्य संस्थागत देखरेख के अधीन मृत्यु या आत्महत्या के मामलों की जांच करना, रिपोर्टें मंगाना और सिफारिशें करना ;
- (vii) राज्य और केंद्रीय सरकार के संबंधित विभागों और अन्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की राज्य बाल संरक्षण सोसायटियों से अंतर-विभागीय समन्वय और संपर्क सुनिश्चित करना ;
- (viii) इस अधिनियम और इन नियमों के दक्षतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए कार्य कर रहे सिविल समाज के संगठनों के साथ नेटवर्क और समन्वय करना ;
- (ix) संस्थागत देखरेख और परिवार आधारित गैर-संस्थागत देखरेख में सभी बालकों का राज्य स्तरीय डाटा बेस का रखरखाव करना और इसका तिमाही आधार पर अद्यतनीकरण करना ;
- (x) राज्य स्तर पर बालदेखरेख संस्थाओं, विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरणों, मुक्त आश्रयों, उपयुक्त व्यक्तियों और उपयुक्त सुविधाओं, पंजीकृत पोषक माता-पिता, प्रायोजकों, परवर्ती देखरेख संगठनों और अन्य संस्थाओं के डाटा बेस का रखरखाव ;
- (xi) राज्य स्तर पर चिकित्सा और परामर्श केंद्रों, नशा-मुक्ति केंद्रों, अस्पतालों, मुक्त विद्यालयों, शिक्षा सुविधाओं, प्रशिक्षुता और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और केंद्रों, प्रदर्शन कला, ललित कला जैसी मनोरंजन सुविधाओं और विशेष जरूरतों वाले बालकों के लिए सुविधाओं और ऐसी अन्य सुविधाओं के डाटा बेस का रखरखाव;



- (xii) राज्य सरकार द्वारा स्थापित किशोर न्याय निधि को मानीटर करना और संचालित करना जिसमें यथास्थिति जिला बाल संरक्षण इकाइयों, विशेष किशोर पुलिस इकाइयों और पुलिस थानों को, निधियों का संवितरण शामिल है ;
 - (xiii) राज्य बाल संरक्षण सोसायटी द्वारा प्राप्त की गई सभी निधियों जैसे कि किशोर न्याय निधि, केंद्र और राज्य सरकार की स्कीमों के अंतर्गत निधियां, के लिए अलग-अलग खातों का रखरखाव करना और उनकी लेखा परीक्षा कराना ;
 - (xiv) अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के विभिन्न पहलुओं पर विशेषकर विद्यमान संस्थागत ढांचों, पुनर्वास उपायों, शास्तियों, बालकों के बेहतर संरक्षण की प्रक्रियाओं के बारे लोगों में जागरूकता विकसित करना ;
 - (xv) पक्षकारों के प्रशिक्षण और उनकी क्षमता निर्माण सहित अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए कार्यक्रम आयोजित और संचालित करना ;
 - (xvi) बाल संरक्षण पर अनुसंधान कार्यक्रम कराना ;
 - (xvii) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और विधि महाविद्यालयों के साथ समन्वय करना ; और
 - (xviii) अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के दक्षतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए कोई अन्य कार्य ।
- (3) राज्य बाल संरक्षण सोसायटी का सदस्य-सचिव राज्य में अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के कार्यान्वयन के लिए नोडल अधिकारी होगा ।

85. जिला बाल संरक्षण इकाई :- (1) जिला बाल संरक्षण इकाई निम्नलिखित कार्य करेगी अर्थात् :

- (i) बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए गए कानून का उल्लंघन करने वाले बालकों के बारे में बोर्ड द्वारा भेजी गई तिमाही सूचना की रिपोर्टों और समिति द्वारा भेजी गई तिमाही रिपोर्टों का रखरखाव ;
- (ii) बालकों के लिए व्यक्तिगत या सामूहिक परामर्श और सामुदायिक सेवाओं की व्यवस्था करना ;
- (iii) जघन्य अपराध करने के लिए कानून का उल्लंघन करने वाले सोलह से अठारह वर्ष की आयु वर्ग के बालकों के लिए बाल न्यायालय के निदेश पर तैयार की गई व्यक्तिगत देखरेख योजना का अनुवर्तन करना ;
- (iv) सुरक्षित स्थान पर रखे गए बालकों की प्रत्येक वर्ष समीक्षा करना और बाल न्यायालय को रिपोर्ट अग्रेषित करना ;
- (v) ऐसे व्यक्तियों की जिन्हें मानीटर प्राधिकारी के रूप नियुक्त किया जा सकता है सूची का रखरखाव करना और ऐसे व्यक्तियों की सूची को बाल न्यायालय को भेजना जिसका प्रत्येक दो वर्ष पर अद्यतनीकरण किया जाएगा ;
- (vi) बाल देखरेख संस्थाओं से भाग गए बालकों का अभिलेख रखना ;
- (vii) जोखिम में रह रहे परिवारों और देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों की पहचान करना ;
- (viii) कठिन परिस्थितियों में रह रहे बालकों की संख्या का मूल्यांकन करना और कठिन परिस्थितियों में रह रहे बालकों की प्रवृत्ति और स्वरूप का मानीटर करने के लिए जिला-विशिष्ट डाटा बेस तैयार करना ;
- (ix) संसाधन निदेशिका तैयार करने और समय-समय पर समितियों और बोर्डों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए जिला स्तर पर बालकों से संबंधित सभी सुविधाओं का नियतकालिक और नियमित मानचित्र तैयार करना ;
- (x) बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय के आदेशों के अनुसार प्रायोजन, पालन-पोषण देखरेख और परवर्ती देखरेख सहित गैर-संस्थागत कार्यक्रमों का कार्यान्वयन सुकर बनाना ;
- (xi) बालकों के परिवार में उनकी वापस भेजे जाने के सभी स्तरों पर बालकों का स्थानांतरण सुकर बनाना ;
- (xii) अंतर-विभागीय समन्वय सुनिश्चित करना और राज्य सरकार के संबंधित विभागों और राज्य की राज्य बालसंरक्षण सोसायटी और राज्य की अन्य जिला बाल संरक्षण इकाइयों से संपर्क बनाना ;
- (xiii) अधिनियम के अधीन कार्य कर रहे नागरिक समाज के संगठनों के साथ नेटवर्क बनाना और समन्वय करना ;
- (xiv) बाल देखरेख संस्थाओं में और अन्य संस्थागत देखरेख के अधीन मृत्यु या आत्महत्या के मामलों की जांच करना, रिपोर्टें मंगाना



और कार्रवाई करना और राज्य बाल संरक्षण सोसायटी को रिपोर्ट प्रस्तुत करना ;

- (xv) बाल सुझाव पेटिका में मिली बालकों की शिकायतों और उनके सुझावों की जांच करना और उपयुक्त कार्रवाई करना ;
 - (xvi) बाल देखरेख संस्थाओं की प्रबंधन समितियों में प्रतिनिधि होना ;
 - (xvii) संस्थागत देखरेख में गुमशुदा बालकों के जिला स्तरीय डाटा बेस का रखरखाव करना और उसे नामनिर्दिष्ट पोर्टल पर अपलोड करना और मुक्त आश्रयों की सुविधा ले रहे बालकों और पालन-पोषण देखरेख में रखे गए बालकों के जिला स्तरीय डाटा बेस का रखरखाव करना ;
 - (xviii) जिला स्तर पर बाल देखरेख संस्थाओं, विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरणों, मुक्त आश्रयों, उपयुक्त व्यक्तियों और उपयुक्त सुविधाओं, पंजीकृत पोषक माता-पिता, परवर्ती देखरेख संगठनों और संस्थाओं आदि के डाटा बेस का रखरखाव करना और उसे बोर्डों या समितियों या बालन्यायालयों, जैसा भी मामला हो, और राज्य बाल संरक्षण सोसायटी को अग्रेषित करना ;
 - (xix) जिला स्तर पर चिकित्सा और परामर्श केंद्रों, नशा-मुक्ति केंद्रों, अस्पतालों, मुक्त विद्यालयों, शिक्षा सुविधाओं, प्रशिक्षुता और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और केंद्रों, प्रदर्शन कला, ललित कला जैसी मनोरंजन सुविधाओं और विशेष जरूरतों वाले बालकों के लिए सुविधाओं और ऐसी अन्य सुविधाओं के डाटा बेस का रखरखाव करना और उसे बोर्डों या समितियों या बालन्यायालयों और राज्य बालसंरक्षण सोसायटी को अग्रेषित करना ;
 - (xx) जिला स्तर पर विशेष शिक्षकों, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों, अनुवादक, दुभाषिया, परामर्शदाता, मनोवैज्ञानिकों या मनः-सामाजिक कार्यकर्ताओं और अन्य विशेषज्ञों, जिन्हें कठिन परिस्थितियों में रह रहे बालकों के साथ कार्य करने का अनुभव है, सुविधाओं के डाटा बेस का रखरखाव करना और उसे बोर्डों या समितियों या बालन्यायालयों और राज्य बालसंरक्षण सोसायटी को अग्रेषित करना ;
 - (xxi) जागरूकता विकसित करना और अधिनियम के अधीन पक्षकारों के प्रशिक्षण और उनकी क्षमता निर्माण सहित अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए कार्यक्रमों का आयोजन और संचालन करना ;
 - (xxii) अधिनियम की प्रगति और कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए जिला स्तर पर सभी पक्षकारों की तिमाही बैठकें आयोजित करना ;
 - (xxiii) राज्य बाल संरक्षण सोसायटी को मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना ;
 - (xxiv) बोर्ड या समिति में रिक्त पदों के बारे में, ऐसे पद रिक्त होने से छह माह पूर्व, राज्य सरकार को सूचित करना ;
 - (xxv) जांच समितियों की रिपोर्टों की समीक्षा करना और पक्षकारों के बीच समन्वय करके उठाए गए मुद्दों को हल करना ;
 - (xxvi) समितियों और बोर्डों को सचिवालयी कर्मचारी प्रदान करना ;
 - (xxvii) बाल देखरेख संस्थाओं के कार्यक्रमों में सुधार के लिए समुदाय और निगमों के साथ संपर्क सहित अधिनियम के दक्षतापूर्ण कार्यान्वयन के लिए सभी अन्य आवश्यक कार्य।
- (2) जिला बाल संरक्षण अधिकारी जिले में अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के कार्यान्वयन के लिए नोडल अधिकारी होगा ।
- 86. विशेष किशोर पुलिस इकाई :-** (1) राज्य सरकार बालकों से संबंधित पुलिस के सभी कृत्यों का समन्वय करने के लिए प्रत्येक जिला और शहर में विशेष किशोर पुलिस इकाई गठित करेगी ।
- (2) केंद्रीय सरकार आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल या राजकीय रेलवे पुलिस के लिए विशेष किशोर पुलिस इकाई गठित करेगी और जहां कहीं विशेष किशोर पुलिस इकाई गठित नहीं की जा सकती है, वहां पर रेलवे सुरक्षा बल या राजकीय रेलवे पुलिस के कम से कम एक अधिकारी को बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ।
- (3) बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों और विशेष किशोर पुलिस इकाई के अन्य पुलिस अधिकारियों को बालकों से संबंधित मामलों से निपटने के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण और अभिविन्यास दिया जाएगा ।



- (4) नामनिर्दिष्ट बाल कल्याण पुलिस अधिकारी का स्थानांतरण और तैनाती अन्य पुलिस थानों की विशेष किशोर पुलिस इकाइयों या जिला इकाई में की जा सकेगी।
- (5) बालकों से वार्तालाप करने वाला पुलिस अधिकारी जहां तक संभव हो सादा कपड़ों में होगा और वर्दी में नहीं होगा और बालिकाओं के साथ पेश आने के लिए महिला पुलिस कर्मियों को लगाया जाएगा।
- (6) बाल कल्याण पुलिस अधिकारी या कोई अन्य पुलिस अधिकारी विनम्र और सौम्य तरीके से बात करेगा और बालकी गरिमा और उसका आत्म सम्मान बनाए रखेगा।
- (7) जहां कहीं ऐसे प्रश्न पूछे जाने हैं जो बालको असहज बना सकते हैं, ऐसे प्रश्नों को विनम्र तरीके से पूछा जाएगा।
- (8) जब किसी बालक के विरुद्ध अपराध के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाती है, प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति शिकायतकर्ता और पीड़ित बालको दी सौंपी जाएगी और अन्वेषण पूरा होने के बाद, अन्वेषण की रिपोर्ट और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की एक प्रति शिकायतकर्ता या उसकी ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति को सौंपी जाएगी।
- (9) किसी भी अभियुक्त या संभावित अभियुक्त को बालक के संपर्क में नहीं आने दिया जाएगा और जहां पीड़ित और कानून का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति दोनों ही बालक हैं, उन्हें एक दूसरे के संपर्क में नहीं लाया जाएगा।
- (10) विशेष किशोर पुलिस इकाई के पास निम्नलिखित की सूची होगी :
 - (i) इसके विधिवत क्षेत्राधिकार में बोर्ड और बाल कल्याण समिति, बैठक के उनके स्थान, बैठक के घंटे, बोर्ड के मुख्य मजिस्ट्रेट और सदस्यों के नाम और संपर्क ब्यौरों, समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम और संपर्क ब्यौरों और बोर्ड और समिति के सामने अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ; और
 - (ii) इसके विधिवत क्षेत्राधिकार में बाल देखरेख संस्थाओं और उपयुक्त सुविधाओं के संपर्क ब्यौरों।
- (11) विशेष किशोर पुलिस इकाई और बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के नाम और संपर्क ब्यौरे पुलिस थानों, बाल देखरेख संस्थाओं, समितियों, बोर्डों और बाल न्यायालयों के प्रमुख भाग में प्रदर्शित किए जाएंगे।
- (12) विशेष किशोर पुलिस इकाई उसके क्षेत्राधिकार में बालकों के कल्याण से संबंधित मामलों में जिला बाल संरक्षण इकाई, बोर्ड और समिति के निकट समन्वय में कार्य करेगी।
- (13) विशेष किशोर पुलिस इकाई बालकों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ समन्वय करेगी।

87. चयन समिति और इसकी अवसंरचना :- (1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए चयन समिति का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे अर्थात् :

- (i) संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से अध्यक्ष के रूप में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ;
 - (ii) पदेन सदस्य सचिव के रूप में अधिनियम का कार्यान्वयन कर रहे विभाग का एक प्रतिनिधि जो कि निदेशक के स्तर से नीचे का न हो ;
 - (iii) दो अलग-अलग प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों जो क्रमशः बाल विकास और बाल संरक्षण के क्षेत्र में कम से कम सात वर्ष से कार्य कर रहे हों लेकिन किसी भी बालसंस्था का प्रबंधन या संचालन नहीं कर रहे हों, के दो प्रतिनिधि ;
 - (iv) शैक्षणिक निकायों या विश्वविद्यालयों, अधिमानतः समाज कार्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, बाल विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, विधि संकाय से दो प्रतिनिधि जिनके पास बालकों से संबंधित मुद्दों पर कार्य करने का कम से कम सात वर्ष अनुभव हो; और
 - (v) राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का एक प्रतिनिधि।
- (2) समिति अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद अधिकतम तीन मास की अवधि तक बनी रहेगी जिस समय तक नई समिति गठित हो जाएगी।
- (3) यदि चयन समिति में कोई पद रिक्त होता है, तो सदस्य सचिव अधिनियम का कार्यान्वयन करने वाले विभाग को सूचित करेगा जो शेष अवधि के लिए रिक्त पद भरने के लिए शीघ्रातिशीघ्र कार्रवाई करेगा।



- (4) चयन समिति की बैठक के लिए कोरम अध्यक्ष और सदस्य सचिव सहित चार सदस्यों से कम नहीं होगा।
- (5) चयन समिति का सदस्य सचिव चयन समिति की बैठकें ऐसे समय पर आहूत करेगा जो चयन समिति के कार्यों को सुकर बनाने और करने के लिए आश्यक हो।
- (6) सदस्य सचिव चयन प्रक्रिया और चयन समिति की अन्य सभी बैठकों के कार्यवृत्तों को रखेगा।
- (7) चयन समिति के अध्यक्ष और गैर-सरकारी सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित बैठक शुल्क और यात्रा भत्ते का भुगतान किया जाएगा।
- (8) चयन समिति के कार्यकरण और कार्यों के निष्पादन से संबंधित सभी पत्राचार सदस्य सचिव के कार्यालय को संबोधित किए जाएंगे जो उन्हें चयन समिति के समक्ष रखेगा।
- (9) चयन से संबंधित सभी अभिलेख संबंधित राज्य सरकार की वेबसाइट पर डाले जाएंगे।

88. समिति और बोर्डों के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन :- (1) सदस्य सचिव पदधारी द्वारा पदभार छोड़ने के छह मास पहले से रिक्त होने वाले पद को भरने की प्रक्रिया शुरू करेगा :

परंतु यदि पद समिति के अध्यक्ष या बोर्ड या समिति के सदस्य द्वारा त्यागपत्र देने या उसकी मृत्यु होने के कारण रिक्त होता है तो चयन समिति का सदस्य सचिव ऐसे रिक्त पद को भरने की प्रक्रिया तत्काल शुरू करेगा।

- (2) बोर्ड के सदस्यों या समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए, राज्य सरकार चयन समिति के सदस्य सचिव के माध्यम से स्थानीय और राष्ट्रीय समाचार पत्रों में और अधिनियम का कार्यान्वयन करने वाले विभाग की वेबसाइट पर सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करेगी।
- (3) सदस्य सचिव प्राप्त हुए सभी आवेदनों की संवीक्षा करेगा और उन आवेदनों को जो पात्रता की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, चयन समिति के समक्ष रखेगा।
- (4) चयन समिति योग्यता, बालकों के साथ कार्य करने के अनुभव और अभ्यर्थी के साथ व्यक्तिगत वार्तालाप के आधार पर अभ्यर्थियों का मूल्यांकन करेगी।
- (5) चयन समिति द्वारा चयनित सदस्य :
 - (i) ऐसे पूर्णकालिक पद का धारक नहीं होना चाहिए, जो अधिनियम और इन नियमों के अनुसार बोर्ड या समिति के कार्य के लिए व्यक्ति को आवश्यक समय और ध्यान देने की अनुमति न देता हो ;
 - (ii) बोर्ड या समिति के सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी बाल देखरेख संस्था से जुड़ा न हो ;
 - (iii) अपने कार्यकाल के दौरान किसी राजनैतिक पद का पदाधिकारी न हो ;
 - (iv) दिवालिया न हो।
- (6) जिस मामले में चयन समिति को यथास्थिति बोर्ड या समिति के सदस्यों के कार्यकाल के नवीकरण के आवेदन पर विचार करने की आवश्यकता हो, उस मामले में चयन समिति आगे दर्शाए गए मानदंडों के आधार पर आवेदन का मूल्यांकन करेगी, अर्थात् : :
 - (i) विनिर्दिष्ट प्ररूप के अनुसार जिला न्यायाधीश या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए सदस्य के नियमित तिमाही निष्पादन मूल्यांकन, जिनकी प्रति सदस्य सचिव द्वारा चयन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी ;
 - (ii) कार्यकाल के विस्तार का आवेदन करनेवाले व्यक्ति के विरुद्ध चयन समिति को यदि कोई शिकायत प्राप्त हुई हो तो वह शिकायत ; और
 - (iii) ऐसे आवेदक के साथ विचार-विमर्श।
- (7) चयन समिति बोर्ड के सदस्यों या समितिके अध्यक्ष या सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए, जैसा भी मामला हो, मूल्यांकन प्रक्रिया और मानदंडों के आधार पर पैनल में से नामों का चयन और सिफारिश राज्य सरकार को करेगी।



- (8) नामों के पैनल की सिफारिश करते समय चयन समिति समिति के अध्यक्ष, समिति के सदस्यों और बोर्ड के सदस्यों के पदों के लिए अलग-अलग पैनल तैयार करेगी।
- (9) चयन समिति प्रत्येक पद के लिए तीन नामों का पैनल तैयार करेगी, जोकि एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।
- (10) अंतिम रूप से निर्धारित नामों की सूची पर चयन के समय मौजूद चयन समिति के सभी सदस्य विधिवत हस्ताक्षर करेंगे और सदस्य सचिव अंतिम रूप से तैयार सूची को नियुक्ति के लिए राज्य सरकार को भेजेंगे। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में यथास्थिति एक या एक से अधिक बोर्डों या समितियों का गठन चयन समिति की सिफारिशों की प्राप्ति की तारीख से दो मास की अवधि में राजपत्र में अधिसूचना द्वारा करेगी।
- (11) ऐसे रिक्त पदों को भरने के लिए, जो ऐसी अवधि में बोर्ड या समिति के कार्यकाल के दौरान या तो चयनित व्यक्तियों द्वारा नियुक्ति की तारीख से निर्धारित समय के भीतर उपस्थित नहीं होने के कारण या अन्यथा रिक्त पदों को भरने के लिए नामों पर विचार करने के लिए पैनल में दिए गए नाम एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होंगे जिसे छह मास की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा जहां पर नया पैनल उस समय तक तैयार नहीं किया गया है।
- (12) यदि बोर्ड या समिति में कोई पद रिक्त होता है, जिला बाल संरक्षण इकाई ऐसे रिक्त पद को भरने के लिए राज्य सरकार को सूचित करेगी।
- (13) राज्य सरकार जिला बाल संरक्षण इकाई से ऐसी सूचना प्राप्त होने के तीन मास की अवधि के भीतर चयन समिति द्वारा अनुशंसा किए गए नामों के पैनल के आधार पर रिक्त पदों को भरेगी।
- (14) यदि बोर्ड या समिति के किसी सदस्य के विरुद्ध कोई शिकायत की जाती है, तो राज्य सरकार, न्यायिक अधिकारियों से संबंधित शिकायतों के अलावा, आवश्यक जांच करागी; न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें कार्रवाई के लिए उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को अग्रेषित की जाएंगी।
- (15) राज्य सरकार एक मास की अवधि के भीतर जांच पूरी करेगी और दो मास के भीतर उपयुक्त कार्यवाही करेगी।
- (16) यदि संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज होता है, सरकार यथोचित जांच के बाद ऐसी अवधि के लिए नियुक्ति को निलंबित कर सकती है।

89. बालकों से ब्यौहार कर रहे कार्मिकों का प्रशिक्षण:- (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किए गए और कर्मचारीवृंद के प्रत्येक प्रवर्ग के कार्मिकों को उनके कानूनी उत्तरदायित्वों और विनिर्दिष्ट कार्य अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण देगी।

- (2) प्रशिक्षण कार्यक्रम में निम्नलिखित सम्मिलित होगा:
- अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों की प्रस्तावना ;
 - बाल कल्याण, देखरेख, संरक्षण और बालअधिकार पर अभिविन्यास ;
 - नए भर्ती किए गए कार्मिकों को प्रतिस्थापना प्रशिक्षण ;
 - पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और कौशल उन्नयन कार्यक्रम, प्रलेखीकरण और अच्छी पद्धतियों की साझेदारी ; और
 - सम्मेलन, संगोष्ठियां और कार्यशालाएं।
- (3) कार्मिकों की निम्नलिखित श्रेणियों को कम से कम पंद्रह दिन का प्रशिक्षण लेना होगा अर्थात्:-

क्र.सं.	कार्मिक
1.	बाल न्यायालयों के कर्मचारी और किशोर न्याय बोर्डों के मुख्य मजिस्ट्रेट
2.	किशोर न्याय बोर्डों के सदस्य
3.	बाल कल्याण समितियों के अध्यक्ष और सदस्य
4.	बाल कल्याण पुलिस अधिकारी और विशेष किशोर पुलिस इकाइयों के अन्य पुलिस अधिकारी
5.	राज्य बाल संरक्षण सोसायटियों और राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरणों के कार्यक्रम प्रबंधक और

	कार्यक्रम अधिकारी
6.	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरणों के कर्मचारी
7.	जिला बाल संरक्षण इकाइयों के विधि-सह-परिवीक्षा अधिकारी और बालदेखरेख संस्थाओं के परिवीक्षा अधिकारी
8.	जिला बाल संरक्षण इकाइयों और राज्य बाल संरक्षण सोसायटियों के कर्मचारी
9.	बाल देखरेख संस्थाओं के प्रभारी अधिकारी (मुक्त आश्रयों सहित)



(4) राज्य सरकार अन्य कर्मिकों को जैसे कि सामाजिक कार्यकर्ताओं, बाल कल्याण अधिकारियों, केस वर्कर्स, पुनर्वास सह स्थापन अधिकारियों, देखरेखकर्ताओं, बालदेखरेख संस्थाओं के गृह पिताओं और गृह माताओं, बालदेखरेख संस्थाओं के सुरक्षा कर्मियों और अन्य कर्मचारियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं, सेतु पाठ्यक्रम के शिक्षकों, पहुंच कार्यकर्ताओं और सामुदायिक स्वयंसेवकों, विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरणों के सामाजिक कार्यकर्ताओं, विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरणों के निदेशकों या प्रभारियों, अधिनियम के अधीन बालदेखरेख संस्थाओं को चलाने के लिए पंजीकृत संगठनों के मुख्य कार्यकर्ताओं, मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सकों, मनोवैज्ञानिकों, मनोचिकित्सकों, मानसिक रोगी सामाजिक कार्यकर्ताओं, विधिक सेवा के अधिवक्ताओं, अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन गठित समितियों और सोसायटियों के सदस्यों को भी प्रशिक्षण प्रदान करेगी।

(5) राज्य सरकार, राज्य या जिला स्तर पर पक्षकारों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते समय, यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य बालसंरक्षण सोसायटी द्वारा विकसित किए जाने वाले प्रशिक्षण मॉड्यूल और प्रशिक्षण मैनुयल देश भर में प्रशिक्षण प्रक्रिया में एकरूपता बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान या अपेक्षित विशेषज्ञता वाली संस्थाओं के परामर्श से तैयार किए जाएं।

(6) राज्यों की न्यायिक अकादमी मुख्य मजिस्ट्रेटों के प्रशिक्षण के लिए बालमनेविज्ञान, बालअनुकूल प्रक्रियाओं के उपयोग और बाल अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने, बालकों की देखरेख, उनके संरक्षण और पुनर्वास पर प्रशिक्षण मॉड्यूल और प्रशिक्षण मैनुयल तैयार कर सकती है और राज्य स्तर पर ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर सकती है।

(7) राज्यों की पुलिस अकादमी राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के परामर्श से पुलिस और बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए बालमनेविज्ञान, बालअनुकूल प्रक्रियाओं के उपयोग और बालअनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने, बालकों की देखरेख, उनके संरक्षण और पुनर्वास पर प्रशिक्षण मॉड्यूल और प्रशिक्षण मैनुयल तैयार कर सकती है और राज्य स्तर पर ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर सकती है।

(8) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विधिक सेवा के अधिवक्ताओं और अर्ध विधायी स्वयंसेवकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगी।

(9) राज्य बालसंरक्षण सोसायटी अपेक्षित विशेषज्ञता वाली संस्थाओं के परामर्श से परिवीक्षा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगी।

(10) केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरणों और राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरणों के कर्मचारियों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण मॉड्यूल और मैनुयल विकसित कर सकता है और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर सकता है।

90. लंबित मामले :- (1) किसी भी बालक को इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के फायदों से वंचित नहीं रख जाएगा।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट फायदे ऐसे सभी व्यक्तियों को उपलब्ध होंगे जो अपराध घटित होने के समय बाल थे, यद्यपि वे जांच या विचारण लंबित होने के दौरान बालक नहीं रहे हैं।

(3) कानून का उल्लंघन करने वाले बालक के कारावास या आवास या सजा की अवधि की संगणना करते समय, ऐसी सभी अवधियां की जो बालक ने अभिरक्षा, निरोध, आवास या कारावास की सजा में पहले ही बिता चुका है, न्यायालय या बोर्ड के अंतिम आदेश में समाविष्ट की गई आवास या निरोध या कारावास की सजा की अवधि के रूप में गणना की जाएगी।

91. राष्ट्रीय बालअधिकार संरक्षण आयोग और राज्य बालअधिकार संरक्षण आयोग द्वारा मानीटरी :- (1) बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कृत्यों के अलावा, केंद्र और राज्य सरकार के परामर्श से राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोगों आदि निम्नलिखित कृत्य संपादित करेगा अर्थात् :

- (i) अधिनियम के अधीन सृजित की गई संस्थाओं की संरचनाओं की समीक्षा ;
- (ii) बालअधिकारों और जेंडर संवेदनशीलता पर सूचना, शिक्षा और संप्रेषण (आईईसी) सामग्री का विकास ;
- (iii) बालकों के सुधार और पुनर्वास के लिए नवाचारों का विकास ;
- (iv) बालकों के विरुद्ध अपराधों जैसे कि नशीली दवाओं का दुरुपयोग, अवैध मानव व्यापार, बालकों का यौन दुरुपयोग और बाल विवाह सहित बालकों का शोषण और बालकों के विरुद्ध हिंसा के अन्य रूपों की पहचान करने और रिपोर्ट करने के बारे में जागरूकता विकास ;
- (v) उन्नत संरक्षण के लिए अपराधों की पहचान करने और रिपोर्ट करने सहित बालकों के विरुद्ध अपराधों के बारे में पंचायती राज संस्थाओं और नगर निगमों के लिए संचेतना कार्यशालाओं का आयोजन ;
- (vi) पीड़ित बाल या साक्षियों और उनके परिवारों के अधिकारों के विस्तृत वर्णन के साथ और स्थानीय भाषा में उपयोगी जानकारी सहित सूचना सामग्री विकसित करना जिसे पीड़ित और उसके परिवार को उपलब्ध कराना ;
- (vii) राज्य बालसंरक्षण सोसायटी, राष्ट्रीय जन सहयोग बाल विकास संस्थान आदि के साथ पक्षकारों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करना ।

92. गुमशुदा बालक के बारे में जांच :- (1) गुमशुदा बालक एक ऐसा बालक है जिसके ठिकाने की उसके माता-पिता, कानूनी अभिभावक या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को जिसे बालक की अभिरक्षा विधिक रूप से सौंपी गई है, गायब होने की परिस्थितियां या कारण कुछ भी हों, जानकारी नहीं है और उसे जब तक ढूंढ नहीं लिया जाता है या उसकी सुरक्षा और कल्याण को स्थापित नहीं किया जाता है, गुमशुदा और देखरेख और संरक्षण का जरूरतमंद बालक माना जाएगा

- (2) जब किसी बालक के बारे में जो गुमशुदा है, शिकायत प्राप्त होती है, पुलिस तत्काल एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करेगी ।
- (3) पुलिस बाल कल्याण अधिकारी को सूचित करेगी और बालक को खोजने के लिए त्वरित कार्रवाई के लिए विशेष किशोर पुलिस इकाई को प्रथम सूचना रिपोर्ट अग्रेषित करेगी ।
- (4) पुलिस निम्नलिखित करेगी :
 - (i) गुमशुदा बालक का नवीनतम फोटोग्राफ प्राप्त करेगी और जिला गुमशुदा व्यक्ति इकाई, गुमशुदा व्यक्ति दल, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो/मीडिया आदि के लिए प्रतियां बनाएंगी ;
 - (ii) नामनिर्दिष्ट पोर्टल पर प्ररूप भरेगी ;
 - (iii) विशेष रूप से बनाए गए 'गुमशुदा व्यक्ति सूचना प्रपत्र' को भरेगी और तत्काल गुमशुदा व्यक्ति दल, जिला गुमशुदा व्यक्ति इकाई, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और अन्य संबंधित संस्थाओं को भेजेगी ;
 - (iv) नामनिर्दिष्ट पोर्टल पर प्रासंगिक सूचना अपलोड करने के बाद गुमशुदा बालक के माता-पिता या अभिभावक के पता और संपर्क फोन नम्बरों के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति डाक/ईल द्वारा निकटवर्ती विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजेगी ;
 - (v) गुमशुदा बालक के फोटो और शारीरिक व्यौरे के साथ पर्याप्त संख्या में बालक की गुमशुदगी की सूचनाओं को प्रकाशन के लिए भेजने के लिए तैयार करेगी ;
 - (vi) गुमशुदा बालक के फोटो और व्यौरे को (क) प्रमुख समाचार पत्रों (ख) टेलीविज़न/ इलैक्ट्रॉनिक मीडिया (ग) स्थानीय केबल टेलीविज़न नेटवर्क और सोशल मीडिया में प्रकाशित या प्रसारित कर व्यापक प्रचार-प्रसार करेगी और बाद में बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय, जैसा भी मामला हो, द्वारा अनुसमर्थन के लिए प्रस्तुत करेगी ;



- (vii) लाउड स्पीकरों के उपयोग और बालक की गुमशुदगी की सूचनाओं का वितरण करके और प्रमुख स्थानों पर चस्पा करके आस-पास के क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार करेगी। सूचना को लोगों में फैलाने के लिए सोशल नेटवर्क पोर्टलों, संक्षिप्त संदेश सेवा अलर्ट और सिनेमा घरों में स्लाइडों का उपयोग किया जा सकता है ;
- (viii) शहर और कस्बे के सभी केंद्रों अर्थात् रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों, हवाई अड्डों, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों और अन्य प्रमुख स्थानों पर बालक की गुमशुदगी की सूचनाओं का वितरण ;
- (ix) रुचि के क्षेत्रों और स्थानों जैसे कि सिनेमा घरों, शॉपिंग मालों, पार्कों, मनोरंजन पार्कों, गेम्स पार्लरों में खोजना और ऐसे क्षेत्रों को जहां गुमशुदा और भाग के गए बालबार-बार आते-जाते हैं, अभिनिर्धारित करना और उन पर नजर रखना ;
- (x) उस क्षेत्र के, जहां से बालक गुमशुदा होने की सूचना मिली है, आस-पास के क्षेत्र में और सभी संभावित मार्गों और बस स्टैंडों, रेलवे स्टेशनों जैसे परागमन गंतव्य बिंदुओं और अन्य स्थानों पर लगे क्लोज सर्किट टेलीविज़न कैमरों की रिकार्डिंग को स्कैन करेगी ;
- (xi) निर्माणाधीन स्थलों, अनुप्रयुक्त भवनों, अस्पतालों और औषधालयों, चाइल्डलाइन सेवाओं, और अन्य स्थानीय पहुंच कार्यकर्ताओं, रेलवे पुलिस, और अन्य स्थानों पर पूछताछ करना ;
- (xii) गुमशुदा बालकों के ब्यौरे पड़ोसी राज्यों के जिला अपराध रिकार्ड ब्यूरो और सीमावर्ती पुलिस थानों के थाना अधिकारियों और उनके क्षेत्राधिकार में आने वाली सभी पुलिस चौकियों के प्रभारियों को भेजेगी और संबंधितों से नियमित वार्तालाप करेगी ताकि अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
- (5) जहां बालक को चार मास की अवधि के भीतर खोजा नहीं जा सकता है, मामले के अन्वेषण को जिला की मानव अवैध व्यापार रोधी इकाई को हस्तांतरित किया जाएगा जो अन्वेषण में हुई प्रगति के बारे में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रत्येक तीन मास में रिपोर्ट भेजेगा।
- (6) जब बालक को खोज लिया जाता है :
- उसे उपयुक्त निदेश के लिए बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय, जैसा भी मामला हो, के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ;
 - पुलिस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को रिपोर्ट भेजेगी जो बालक और उसके परिवार को परामर्श और समर्थन सेवाएं प्रदान करेगा ; और
 - पुलिस जांच करेगी कि क्या बालक के साथ इस अधिनियम या किसी अन्य कानून के अंतर्गत कोई अपराध हुआ है और यदि ऐसा है तो तदनुसार कार्यवाही की जाएगी।
- (7) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार इन नियमों को प्रभावी बनाने के लिए जांच की रीति के लिए उपयुक्त मानक प्रचालन प्रक्रियाएं तैयार कर सकेगी।

93. अधिनियम और नियमों का गैर-अनुपालन :- कोई अधिकारी/संस्था, सांविधिक निकाय आदि, जो इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करने में असफल रहता है, राज्य सरकार यथोचित जांच के बाद ऐसे अधिकारी/संस्था, सांविधिक निकाय आदि के विरुद्ध कार्यवाही करेगी और साथ-साथ अधिनियम के दक्षतापूर्ण कार्यान्वयन के लिए कृत्यों के निर्वहन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करेगी।

94. निरसन :- जी.एस.आर. 679 (ई) तारीख 26 अक्टूबर, 2007 के द्वारा अधिसूचित और जी.एस.आर. 903 (ई) तारीख 26 दिसम्बर, 2011 के द्वारा यथा संशोधित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2007 को इसके द्वारा निरस्त किया जाता है :

परंतु यह कि इन नियमों की अधिसूचना से पूर्व 2007 के नियमों के उपबंधों के अधीन की गई कार्रवाई या जारी किया गया आदेश, जहां तक वह नियमों के उपबंधों से असंगत नहीं हैं, इन नियमों के उपबंधों के अधीन की गई या जारी किया गया समझा जाएगा।

प्ररूप-I

[नियम 8 (1), 8(5)]



प्राथमिकी/डी.डी. संख्या _____

धारा के अधीन _____

पुलिस स्टेशन _____

तारीख और समय _____

अन्वेषण अधिकारी का नाम _____

सी.डब्ल्यू.पी.ओ. का नाम _____

1. नाम _____

2. पिता/माता/संरक्षक का नाम _____

3. आयु/जन्म की तारीख _____

4. पता _____

5. धर्म

(i) हिन्दु (ओसी/बीसी/एससी/एसटी)

(ii) मुस्लिम/ईसाई/ अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

6. यदि बालक विकलांग है:

(i) सुनने में अक्षम

(ii) बोलने में अक्षम

(iii) शारीरिक रूप से विकलांग

(iv) मानसिक रूप से निःशक्त

(v) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

7. परिवार के व्यौरे

क्र. सं.	नाम तथा नातेदारी	आयु	लिंग	शिक्षा	व्यवसाय	आय	स्वास्थ्य की स्थिति	मानसिक रूग्णता का इतिहास (यदि कोई हो)	व्यसन (यदि कोई हों)

8. घर छोड़ने के कारण _____

9. क्या अपराधों में परिवार के सदस्यों के लिप्त होने का पूर्ववृत्त है, यदि कोई हो।

हां/नहीं



10. बालक की आदतें

	क	ख
(i)	धूमपान	(i) टी.वी./फिल्में देखना
(ii)	शराब का सेवन करना	(ii) अंतरंग खेल/बहिरंग खेल खेलना
(iii)	औषधियों का उपयोग विनिर्दिष्ट करें	(iii) पुस्तकें पढ़ना
(iv)	जुआ खेलना	(iv) ड्राइंग/पेंटिंग/एक्टिंग/गायन
(v)	भीख मांगना	(v) कोई अन्य
(vi)	कोई अन्य	

11. रोजगार के ब्यौरे, यदि कोई हों _____

12. आय के उपयोजन:

(i) परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए परिवार को भेजी

हां	नहीं
हां	नहीं

(ii) स्वयं द्वारा निम्नलिखित के लिए उपयोग की गई :

- (क) : पहनावा सामग्री हां/नहीं
- (ख) : जुए के लिए हां/नहीं
- (ग) : शराब के लिए हां/नहीं
- (घ) : औषधियों के लिए हां/नहीं
- (ड.) : धूमपान के लिए हां/नहीं
- (च) : बचत हां/नहीं

13. बालक की शिक्षा के ब्यौरे :

- (i) निरक्षर
- (ii) पांचवीं कक्षा तक अध्ययन
- (iii) पांचवीं कक्षा तक अध्ययन लेकिन कक्षा आठ से कम
- (iv) कक्षा आठ तक अध्ययन लेकिन कक्षा दस से कम
- (v) कक्षा दस से अधिक पढ़ाई की

14. स्कूल छोड़ने का कारण :

- (i) पिछली कक्षा जिसमें पढ़ रहा था, फेल हुआ
- (ii) स्कूल के कार्यकलापों में रुचि का अभाव
- (iii) अध्यापकों का उपेक्षा पूर्ण व्यवहार
- (iv) समकक्ष – समूह का प्रभाव



- (v) अर्जन और परिवार की मदद करना
- (vi) माता-पिता की असामयिक मृत्यु
- (vii) स्कूल में उत्पीड़न
- (viii) स्कूल का कड़ा वातावरण
- (ix) अनुपस्थिति के उपरांत स्कूल से भाग जाना
- (x) नजदीक में आयु के अनुकूल स्कूल का अभाव
- (xi) स्कूल में दुर्व्यवहार
- (xii) स्कूल में अपमान
- (xiii) शारीरिक दंड
- (xiv) शिक्षण का माध्यम
- (xv) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

15. पिछला स्कूल जहां अध्ययन किया उसके ब्यौरे :

- (i) निगम/नगर-निगम/पंचायत
- (ii) सरकारी/अनु.जा.कल्याण स्कूल/पिछड़ा वर्ग कल्याण स्कूल
- (iii) प्राइवेट प्रबंधन
- (iv) एन. सी. एल. पी. के अन्तर्गत विद्यालय

16. व्यावसायिक प्रशिक्षण, यदि कोई हो _____

17. अधिकांश मित्र :

- (i) शिक्षित
- (ii) निरक्षर
- (iii) उसी आयु वर्ग के
- (iv) आयु में बड़े
- (v) आयु में छोटे
- (vi) एक ही लिंग के हैं
- (vii) अन्य लिंग के हैं
- (viii) लतें
- (ix) आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं

18. क्या बालक किसी दुर्व्यवहार के अध्यधीन रहा है :- हां/नहीं



क्र.सं.	दुर्व्यवहार के प्रकार	अभ्युक्ति
1.	मौखिक दुर्व्यवहार - माता-पिता/सहोदर भाई-बहन/नियोक्ता/अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	
2.	शारीरिक दुर्व्यवहार (कृपया निर्दिष्ट करें)	
3.	लैंगिक दुर्व्यवहार/माता-पिता/सहोदर/भाई-बहन/नियोक्ता/अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	
4.	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	

19. क्या बालक किसी अन्य अपराध का पीड़ित है

हां/नहीं

20. क्या बालक का इस्तेमाल किसी गैंग द्वारा अथवा वयस्कों द्वारा अथवा वयस्कों के गुप द्वारा किया जा रहा है अथवा बालक को औषधियों के वितरण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है ?

हां/नहीं

21. माता-पिता की उपेक्षा अथवा अधिक संरक्षण अथवा हमउम्र गुप के प्रभाव आदि जैसे तथाकथित अपराध का कारण :

22. वे परिस्थितियां जिनमें बालक को पकड़ा गया _____

23. बालक से प्राप्त हुए सामान का ब्यौरा _____

24. अपराध में बालक की तथाकथित भूमिका _____

25. बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के सुझाव _____

बाल कल्याण पुलिस अधिकारी
द्वारा हस्ताक्षरित

प्ररूप – 2

[नियम 8 (7)]



उस माता-पिता अथवा संरक्षक अथवा उपयुक्त व्यक्ति की वचनबद्धता जिसे जांच के लंबन के दौरान अंतरिम अभिरक्षा दी गई है।

मैं _____ (नाम) मकान नं. गली _____ गांव/शहर _____ जिला _____ राज्य _____ का निवासी, यह घोषणा करता हूँ कि मैं _____ (बालक का नाम) आयु _____ का उत्तरदायित्व बोर्ड के आदेशों के अंतर्गत निम्नलिखित निबंधन और शर्तों के अधीन लेने को तैयार हूँ :-

1. कि मैंने स्वयं की, सही, प्रामाणिक पहचान तथा पते के प्रमाण उपाबद्ध कर दिए हैं।
2. कि मैं जब कभी अपेक्षित होगा, बोर्ड के समक्ष उसे प्रस्तुत करने की वचनबद्धता देता हूँ।
3. कि जितने समय तक बालक मेरी अभिरक्षा में रहेगा उसके कल्याण और उसकी शिक्षा के लिए सर्वोत्तम करूँगा और उसके रख-रखाव के लिए उपयुक्त उपबंध करूँगा।
4. कि उसकी बीमारी की स्थिति में, उसे नजदीकी अस्पताल में उपयुक्त चिकित्सा जांच दिलवाई जाएगी और स्वस्थता प्रमाण पत्र के साथ उसकी रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।
5. कि मैं यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करूँगा कि बालक किसी भी प्रकार दुर्व्यवहार/उपेक्षा/शोषण के अधीन नहीं होगा।
6. कि यदि उसके आचरण के लिए आगे पर्यवेक्षण देखरेख अथवा संरक्षण की जरूरत होगी तो बोर्ड को तुरंत सूचित करूँगा।
7. कि यदि बालक मेरी निगरानी अथवा नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो मैं बोर्ड को तत्काल सूचित करूँगा।

.....20 ... , के.....दिन

वचनबद्धता निष्पादित
करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर

(मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए)
किशोर न्याय बोर्ड

प्ररूप-3

[नियम-10 (1) (iii)]

पर्यवेक्षण आदेश



जब बालक को पुलिस स्टेशन की तारीख : 20..... की प्र.सू.रि. /डी.डी. संख्या..... की जांच के लंबन के दौरान उचित व्यक्ति/उचित संस्था/परिवीक्षा अधिकारी की देखरेख में रखा गया है।

जबकि _____ (बालक का नाम) पर अपराध करने का अभिकथन किया गया है और उक्त _____ द्वारा बांड के निष्पादन पर _____ (नाम) _____ (पता) की देखरेख के अंतर्गत रखा गया है और बोर्ड संतुष्ट है कि उक्त बाल के साथ व्यवहार करने संबंधी आदेश पारित करते हुए पर्यवेक्षक के अधीन रखने के लिए कार्रवाई करना उचित है।

अतः यह आदेश दिया जाता है कि उक्त बालक को _____ के अंतर्गत पर्यवेक्षण के लिए _____ निम्नलिखित शर्तों के अधीन _____ की अवधि के लिए रखा जाए :-

1. कि बालक _____ की अवधि के लिए _____ पर रहेगा तथा निदेशानुसार बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा।
2. कि बालक को बोर्ड की अनुमति के बगैर _____ के जिला क्षेत्र से बाहर नहीं जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
3. कि बालक को ऐसे व्यक्तियों के साथ सहयोजित नहीं होने दिया जाएगा जो नकारात्मक रूप से उसको प्रभावित करते हों।
4. कि व्यक्ति जिसकी देखरेख में बालक को रखा गया है, वह बालक की उपयुक्त देखरेख, शिक्षा और कल्याण की व्यवस्था करेगा।
5. कि उस व्यक्ति द्वारा निवारक उपाय किए जाएंगे जिसकी देखरेख में बालक को यह देखने के लिए रखा गया है कि बालक ऐसा कोई अपराध नहीं करता है जो भारत में किसी भी कानून के अधीन दंडनीय हो।
6. कि बालक की स्वापक अथवा मनःप्रभावी पदार्थ अथवा अन्य मादक-द्रव्यों को लेने से रोकथाम की जाएगी। जिस व्यक्ति के अधीन बालक को पर्यवेक्षण में रखा जाएगा, वह व्यक्ति ऐसे कृत्य के बारे में बोर्ड को सूचित करेगा।

तारीख20 _____

(हस्ताक्षर)

प्रधान मजिस्ट्रेट/सदस्य किशोर न्याय बोर्ड

टिप्पण : अतिरिक्त शर्तें, यदि कोई हों, को किशोर न्याय बोर्ड द्वारा अंतःस्थापित किया जा सकेगा।

प्ररूप – 4

जांच के लंबन के दौरान किसी बालक को बाल देखरेख संस्था में रखने का आदेश



सेवा में,

प्रभारी अधिकारी

तारीख.....20_____को दिन (बालका नाम), पुत्र/पुत्री _____आयु _____निवासी,
 का प्र.सू.रि. / डी.डी.सं. पुलिस स्टेशन में संलिप्त होने का अधिकथन किया गया है, को किशोर न्याय बोर्ड द्वारा आदेश
 दिया जाता है कि बालक को _____की अवधि के लिए _____नामक बाल देखरेख संस्था (पर्यवेक्षण गृह/सुरक्षा का स्थान) में
 रखा जाए।

आपको यह प्राधिकृत किया जाता है तथा आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त बालक को अपने उत्तरदायित्व में लें और
 बालक को बाल देखरेख संस्था (पर्यवेक्षण गृह/सुरक्षा का स्थान) पर रखा जाए तथा विधि के अनुसार उक्त आदेश के क्रियान्वित किए जाने
 हेतु जब भी निदेश दिया जाए, बालकको प्रस्तुत किया जाए।

सुनवाई की अगली तारीख _____

मेरे द्वारा किशोर न्याय बोर्ड की सील।

हस्ताक्षर

तारीख:

प्रधान मजिस्ट्रेट/सदस्य किशोर न्याय बोर्ड

प्ररूप – 5

[नियम 10(2)]

सामाजिक जांच रिपोर्ट के लिए आदेश

प्र.सू.रि. संख्या _____

धारा के अधीन _____

पुलिस स्टेशन _____

सेवा में,

परिवीक्षा अधिकारी/स्वैच्छिक अथवा गैर-सरकारी संगठन का प्रभारी व्यक्ति ।



_____ (बालक का नाम) पुत्र/पुत्री _____ आयु _____ निवासी _____ को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है ।

आपको एतद्वारा निर्देश दिया जाता है कि उक्त बालक द्वारा तथाकथित अपराध के सामाजिक पूर्ववृत्त, पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा परिस्थितियों की जांच कर लें और अपनी सामाजिक जांच-पड़ताल रिपोर्ट _____ को अथवा _____ से पूर्व, अथवा बोर्ड द्वारा आपको दिए गए समय के अंदर प्रस्तुत करें।

आपको यह भी निर्देश दिया जाता है कि बाल-मनोविज्ञान, मानसिक उपचार अथवा परामर्शी अथवा अन्य किसी विशेषज्ञ से, यदि आवश्यक हो, परामर्श कर लें और अपनी सामाजिक जांच रिपोर्ट के साथ ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

हस्ताक्षर

तारीख :

प्रधान मजिस्ट्रेट/सदस्य किशोर न्याय बोर्ड

प्ररूप – 6

[नियम 10 (9), 11(2), 64(1), 64(3)(i)]

सामाजिक जांच रिपोर्ट

कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए

क्रम संख्या _____

किशोर न्याय बोर्ड, _____ (पता) को प्रस्तुत ।

परिवीक्षा अधिकारी/स्वैच्छिक/गैर-सरकारी संगठन _____ (व्यक्ति का नाम)

प्राथमिकी संख्या _____

धारा के अंतर्गत _____

पुलिस स्टेशन _____

तथाकथित अपराध की प्रकृति: लघु गंभीर जघन्य

1. नाम _____
2. आयु/तारीख/जन्म का वर्ष _____
3. लिंग _____
4. जाति _____
5. धर्म _____
6. पिता का नाम _____
7. माता का नाम _____
8. संरक्षक का नाम _____
9. स्थायी पता _____
10. पते का लैंडमार्क _____



11. पिछले आवास का पता _____
12. पिता/माता/पारिवारिक सदस्य की सम्पर्क संख्या _____
13. क्या बालविकलांग है :-
- (i) श्रवण अक्षमता
- (ii) वाणी अक्षमता
- (iii) शारीरिक निःशक्तता
- (iv) मानसिक रूप से अक्षम
- (v) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

14. परिवार के ब्यौरे

क्र. सं.	नाम तथा नातेदारी	आयु	लिंग	शिक्षा	व्यवसाय	आय	स्वास्थ्य की स्थिति	मानसिक रूग्णता का पूर्ववृत्त (यदि कोई हो)	व्यसन (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

15 क्या बालक अथवा व्यक्ति विवाहित है, पति-पत्नी/बच्चों का नाम, आयु तथा ब्यौरा –

16 परिवार के सदस्यों का आपस में संबंध

- i) पिता तथा माता _____ मैत्रीपूर्ण/गैर-मैत्रीपूर्ण/जानकारी नहीं
- ii) पिता तथा बालक _____ मैत्रीपूर्ण/गैर-मैत्रीपूर्ण/जानकारी नहीं
- iii) माता तथा बालक _____ मैत्रीपूर्ण/गैर-मैत्रीपूर्ण/जानकारी नहीं
- iv) पिता तथा सहोदर बहन-भाई _____ मैत्रीपूर्ण/गैर-मैत्रीपूर्ण/जानकारी नहीं
- v) माता तथा सहोदर बहन-भाई _____ मैत्रीपूर्ण/गैर-मैत्रीपूर्ण/जानकारी नहीं
- vi) बालक तथा सहोदर बहन-भाई _____ मैत्रीपूर्ण/गैर-मैत्रीपूर्ण/जानकारी नहीं
- vii) बालक तथा दादा-दादी (पैतृक/मातृक) _____ मैत्रीपूर्ण/गैर-मैत्रीपूर्ण/जानकारी नहीं

17 अपराधों में परिवार के सदस्यों की भागीदारी यदि कोई हो :

क्र.सं.	नातेदारी	अपराध की प्रकृति	मामले कानूनी स्थिति की	गिरफ्तारी यदि कोई की गई हो	कारावास की अवधि	दिया गया दण्ड
	पिता					
	सौतेला पिता					
	माता					
	सौतेली माता					

	भाई					
	बहन					
	अन्य					
	(i) चाचा/चाची					
	(ii) दादा/दादी/नाना/ नानी					



18 बालक तथा परिवार की धर्म के प्रति अभिवृत्ति _____

19 वर्तमान जीवन-निर्वाह की परिस्थितियां _____

20 महत्व के अन्य कारण, यदि कोई हो _____

21 (i) बालक की आदतें (जैसा भी लागू हो करें)

क	ख
क) धूमपान	(छ) टी.वी./फिल्में देखना
ख) शराब का सेवन	(ज) अंतरंग/बहिरंग खेल खेलना
ग) स्वापक का प्रयोग (निर्दिष्ट करें)	(झ) पुस्तकें पढ़ना
घ) जुआ खेलना	(ञ) धार्मिक कार्यक्रमलाप
ज) भीख मांगना	(ट) ड्राईंग/पेंटिंग/एक्टिंग/गायन
च) अन्य कोई	(ठ) अन्य कोई

(ii) पाठ्येत्तर रुचियां _____

(iii) उत्कृष्ट विशेषताएं तथा व्यक्तित्व विशेषताएं _____

22 घर में अनुशासन के प्रति बालक की राय तथा प्रतिक्रिया _____

23 बालक के रोजगार के ब्यौरे यदि कोई हों _____

24 आय के ब्यौरे तथा आय- उपयोग करने का तरीका _____

25 कार्य-अभिलेख (व्यावसायिक रुचियों को छोड़ने के कारण, नौकरी अथवा नियोक्ता के प्रति अभिवृत्ति) _____

26 बालक की शिक्षा के ब्यौरे _____

i) निरक्षर

ii) कक्षा V तक अध्ययन

iii) कक्षा V से ऊपर बल्कि कक्षा V II से नीचे अध्ययन किया

iv) कक्षा V II से ऊपर बल्कि कक्षा X से नीचे अध्ययन किया

v) कक्षा X से ऊपर अध्ययन किया

27 बालक के प्रति कक्षा के साथियों की अभिवृत्ति (रवैया) :

28 बालक के प्रति शिक्षकों तथा साथियों की अभिवृत्ति (रवैया) :

29 स्कूल छोड़ने के कारण (हां/नहीं करें जैसा भी लागू हो)



- (i) पिछली कक्षा जिसमें अध्ययन कर रहा था, फेल हुआ
- (ii) स्कूल के कार्यकलापों में रुचि का अभाव
- (iii) शिक्षकों का उपेक्षा पूर्ण रुख
- (iv) समकक्ष – समूह का अभाव
- (v) कमाना और परिवार की मदद करना
- (vi) माता-पिता की असामयिक मृत्यु
- (vii) स्कूल में डराना धमकाना
- (viii) स्कूल का कड़ा वातावरण
- (ix) स्कूल से अनुपस्थिति तथा स्कूल से भाग जाना
- (x) नज़दीक में आयु के उपयुक्त स्कूल नहीं होना।
- (xi) स्कूल में दुर्व्यवहार
- (xii) स्कूल में अपमान
- (xiii) शारीरिक दंड
- (xiv) शिक्षण का माध्यम
- (xv) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

30 पिछला स्कूल, जहां अध्ययन किया, उसके व्यौरे

- i) निगम/नगर-निगम/पंचायत
- ii) सरकारी/अनु.जा. कल्याण स्कूल/पि.वर्ग कल्याण स्कूल
- iii) प्राइवेट प्रबंधन
- iv) एन. सी. एल. पी. के अन्तर्गत विद्यालय

31 व्यावसायिक प्रशिक्षण, यदि कोई हो _____

32 अधिकांश मित्र :-

- (i) शिक्षित
- (ii) निरक्षर
- (iii) उसी आयु वर्ग के
- (iv) आयु में बड़े
- (v) आयु में छोटे
- (vi) एक ही लिंग के हैं
- (vii) अन्य लिंग के हैं
- (viii) व्यसनी



(ix) आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं

33 बालक की मित्रों के प्रति अभिवृत्ति _____

34 बालक के प्रति मित्रों की अभिवृत्ति _____

35 बालक के प्रति पड़ोसियों का प्रेक्षण _____

36 पड़ोस के बारे में प्रेक्षण (बालक पर पड़ोस के प्रभाव का आंकलन करने के लिए)

37 क्या बालक किसी दुर्व्यवहार के अध्यधीन रहा है : हां/नहीं

क्र.सं.	दुर्व्यवहार का प्रकार	अभ्युक्ति
1	मौखिक दुर्व्यवहार/माता-पिता/सहोदर-भाई-बहन/ नियोक्ता/ अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	
2	शारीरिक दुर्व्यवहार (कृपया निर्दिष्ट करें)	
3	लैंगिक दुर्व्यवहार/माता-पिता/सहोदर-भाई-बहन/नियोक्ता/ अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	
4	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	

38 क्या बालक किसी अपराध का पीड़ित है हां/नहीं

39 क्या बालक का इस्तेमाल किसी गैंग द्वारा अथवा वयस्कों द्वारा अथवा वयस्कों के समूह द्वारा किया जा रहा है अथवा बालको स्वापक के वितरण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।

हां/नहीं

40 क्या बालक की प्रवृत्ति घर से भागने की है, यदि कोई हो, हां/नहीं

41 वे परिस्थितियां जिनमें बालक को गिरफ्तार किया गया था

42 अपराध में बालक की तथाकथित भूमिका

43 तथाकथित अपराध का कारण

(i) माता-पिता की उपेक्षा

(ii) माता-पिता का अति संरक्षण

(iii) माता-पिता का आपराधिक व्यवहार

(iv) माता-पिता का प्रभाव (नकारात्मक)

(v) हम उम्र समूह का प्रभाव

(vi) बुरी आदतें (स्वापक/मदिरा खरीदना)

(vii) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)

44 क्या बालक को पहले भी किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है, यदि हां तो बाल देखरेख संस्था में आवास सहित व्यौरे दें।

हां/नहीं

45 पिछली संस्थानिक /मामला पूर्ववृत्त तथा वैयक्तिक देखरेख योजना, यदि कोई हो।

46 बालक का शारीरिक रूप:

47 बालक के स्वास्थ्य की स्थिति (चिकित्सा जांच रिपोर्ट सहित, यदि लागू हो) :



48 बालक की मानसिक स्थिति :

49 अन्य कोई टिप्पणी

जांच का परिणाम

1. भावनात्मक कारण _____
2. शारीरिक स्थिति _____
3. बुद्धिमत्ता _____
4. सामाजिक तथा आर्थिक कारक _____
5. समस्याओं के सुझाए गए कारण _____
6. अपराध के कारणों/कारणों में अंशदायी कारकों का विश्लेषण _____
7. परामर्श किए गए विशेषज्ञों की राय _____
8. परिवीक्षा अधिकारी/बाल-कल्याण अधिकारी/ सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा पुनर्वास के संबंध में सिफारिश _____

परिवीक्षा अधिकारी/बाल कल्याण अधिकारी/

सामाजिक कार्यकर्ता के हस्ताक्षर

मुहर तथा सील

जहां उपलब्ध हो

प्ररूप- 7

[नियम 11(3), 13(7)(vi), 13(8)(ii), 19(4), 19(17), 62(6)(vii), 62(6)(x), 69 I (3)]

वैयक्तिक देखरेख योजना (वै.दे.यो.)

कानून का उल्लंघन करने वाला बालक/देखरेख तथा संरक्षण की आवश्यकता रखने वाला बालक

(जो लागू हो उसे सही करें)

मामला कार्यकर्ता/बाल कल्याण अधिकारी/परिवीक्षा अधिकारी का नाम.....

वै.दे.यो. तैयार करने की तारीख.....

20.....का मामला/प्रोफाइल संख्या.....

प्र.सू.रि. संख्या

धारा के अंतर्गत (अपराध का प्रकार), कानून का उल्लंघन करने वाले बालकों के मामलों में लागू.....

पुलिस स्टेशन.....

बोर्ड अथवा समिति का पता.....

भर्ती संख्या (यदि बालसंस्था में है).....



भर्ती की तारीख (यदि बालसंस्था में है).....

बालक का प्रवास (जैसा लागू हो, भरें)

- I. अल्प कालिक (6 मास तक)
- II. मध्यम कालिक (6 मास से एक वर्ष)
- III. दीर्घकालिक (1 वर्ष से अधिक)

क. व्यक्तिगत ब्यौरे (संस्था में बालककी भर्ती पर बालक/माता-पिता/दोनों द्वारा उपलब्ध कराया जाए)

1. बालक का नाम
2. आयु/जन्म की तारीख.....
3. लिंग: बालक/बालिका.....
4. पिता का नाम :.....
5. माता का नाम :
6. राष्ट्रियता.....
7. धर्म.....
8. जाति.....
9. बोली जाने वाली भाषा.....
10. शिक्षा का स्तर.....
11. बालक के बचत खाते के ब्यौरे, यदि कोई हों
12. बालक की आय तथा समान के ब्यौरे, यदि कोई हों.....
13. बालक द्वारा प्राप्त किए गए पुरस्कारों/इनामों के ब्यौरे, यदि कोई हों.....
14. मामला पूर्ववृत्त, सामाजिक जांच रिपोर्ट तथा बालक के साथ बातचीत के परिणाम के आधार पर निम्नलिखित चिंता के क्षेत्रों तथा मध्यक्षेपों के ब्यौरे दें:

क्र.सं.	श्रेणी	चिंता के क्षेत्र	प्रस्तावित मध्यक्षेप
1.	देखरेख तथा संरक्षण से बालककी प्रत्याशा		
2.	स्वास्थ्य तथा पोषण जरूरतें		
3.	भावात्मक तथा मनोवैज्ञानिक सहायता जरूरतें		
4.	शैक्षिक तथा प्रशिक्षण जरूरतें		
5.	फुरसत, सृजनात्मक तथा खेल		
6.	आसक्ति तथा अंतर-वैयक्तिक संबंध		

7.	धार्मिक विश्वास		
8.	सभी प्रकार के दुर्व्यवहार, उपेक्षा तथा गलत बरताव से स्वयं देखरेख तथा संरक्षण के लिए जीवन-कौशल-प्रशिक्षण		
9.	स्वतंत्र आजीविका कौशल		
10.	अन्य ऐसा कोई महत्वपूर्ण अनुभव जैसे अवैध व्यापार, घरेलू हिंसा, पैतृक-उपेक्षा, स्कूल में भयभीत होना आदि जिसने बालक के विकास पर प्रभाव डाला हो (कृपया निर्दिष्ट करें)।		



ख. बालक की प्रगति रिपोर्ट (पहले 3 मास के लिए प्रत्येक पखवाड़े में तैयार की जाए तथा तत्पश्चात् मास में एक बार तैयार की जाए)

[टिप्पण: प्रगति रिपोर्ट के लिए भिन्न-भिन्न शीट का प्रयोग करें]

- परिवीक्षा अधिकारी/मामला कार्यकर्ता/बाल कल्याण अधिकारी का नाम.....
- रिपोर्ट की अवधि.....
- भर्ती संख्या.....
- बोर्ड अथवा समिति.....
- प्रोफाइल संख्या.....
- बालक का नाम.....
- बालक के रहने की अवधि (जैसा प्रयोज्य हो, भरे)
 - अल्पकालिक (6 मास तक)
 - मध्यम कालिक (6 मास से एक वर्ष)
 - दीर्घकालिक (1 वर्ष से अधिक)
- साक्षात्कार का स्थान तारीख.....
- रिपोर्ट की अवधि के दौरान बालक का साधारण आचरण तथा प्रगति

.....

.....
- इस प्ररूप के भाग-क के बिंदु 14 में यथाउल्लिखित प्रस्तावित मध्यक्षेपों के संबंध में की गई प्रगति।

क्र.सं.	श्रेणी	प्रस्तावित मध्यक्षेप	बालक की प्रगति
1.	देखरेख तथा संरक्षण से बालक की प्रत्याशा		
2.	स्वास्थ्य तथा पोषण जरूरतें		
3.	भावनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक सहायक जरूरतें		



4.	शैक्षिक तथा प्रशिक्षण जरूरतें		
5.	फुरसत, सृजनात्मक तथा खेल		
6.	आसक्ति तथा अंतर-वैयक्तिक संबंध		
7.	धार्मिक विश्वास		
8.	स्वयं देखरेख तथा सभी प्रकार के दुर्व्यवहार, उपेक्षा तथा गलत बरताव से संरक्षण के लिए जीवन-कौशल-प्रशिक्षण		
9.	स्वतंत्र आजीविका कौशल		
10.	अन्य ऐसा कोई महत्वपूर्ण अनुभव जिसका बालक के विकास पर प्रभाव पड़ा हो, जैसे अवैध व्यापार, घरेलू हिंसा, पैतृक-उपेक्षा, स्कूल में भयभीत होना आदि (कृपया विनिर्दिष्ट करें)।		

11. समिति या बोर्ड अथवा बाल न्यायालय के समक्ष कोई कार्यवाही।

- I. बंध-पत्र की शर्तों में फेरफार
- II. बालक के निवास में परिवर्तन
- III. अन्य मामले, यदि कोई है

12. पर्यवेक्षण की अवधिको पूरी की गई।

पर्यवेक्षण का परिणाम, टिप्पणी के साथ

माता-पिता अथवा संरक्षक अथवा उपयुक्त व्यक्ति का नाम तथा पता जिसकी देखरेख में बालक को पर्यवेक्षण समाप्त होने के बाद रहना है

रिपोर्ट की तारीख.....परिवीक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर.....

ग. निर्मुक्त होने से पूर्व रिपोर्ट (निर्मुक्त होने से 15 दिन पूर्व तैयार की जाए)

1. स्थानान्तरण के स्थान के ब्यौरे तथा स्थानान्तरित स्थान निर्मुक्त करने में उत्तरदायी संबंधित प्राधिकारी
2. विभिन्न संस्थाओं/परिवार में बालक के स्थापन के ब्यौरे
3. लिए गए प्रशिक्षण तथा अर्जित कौशल
4. बालक की अंतिम प्रगति रिपोर्ट (संलग्न की जाए, कृपया भाग-ख देखें)
5. बालक की पुनर्वास तथा पुन स्थापन की योजना (बालक की प्रगति रिपोर्टों के संदर्भ में तैयार की जाए)

क्र.सं.	श्रेणी	बालक के पुनर्वास तथा प्रत्यावर्तन की योजना
1.	देखरेख तथा संरक्षण से बालक की प्रत्याशा	
2.	स्वास्थ्य तथा पोषण जरूरतें	
3.	भावनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक सहायक जरूरतें	
4.	शैक्षिक तथा प्रशिक्षण जरूरतें	
5.	फुरसत, सृजनात्मक तथा खेल	

6.	आसक्ति तथा अंतर-वैयक्तिक संबंध	
7.	धार्मिक विश्वास	
8.	सभी प्रकार के दुर्यवहार, उपेक्षा तथा गलत बरताव से स्वयं देखरेख तथा संरक्षण के लिए जीवन-कौशल-प्रशिक्षण	
9.	स्वतंत्र आजीविका कौशल	
10.	अन्य कोई	



6. निर्मुक्त होने/स्थानान्तर/संप्रत्यावर्तन की तारीख.....
7. अनुरक्षो की मांग, यदि अपेक्षित हो.....
8. अनुरक्षा की पहचान का प्रमाण – जैसे कि चालन अनुज्ञप्ति, आधार कार्ड आदि.....
9. संभव नियोजन/प्रयोज्यता सहित अनुशंसित पुनर्वास योजना
10. रिहाई-पश्च अनुवर्ती कार्रवाई के लिए परिवीक्षा अधिकारी/गैर-सरकारी संगठन के ब्यौरे-.....
11. रिहाई-पश्च अनुवर्ती कार्रवाई के लिए पहचाने गए गैर-सरकारी संगठन के साथ समझौता ज्ञापन (एक प्रति लगाए).....
12. प्रायोज्यता अभिकरण/वैयक्तिक प्रायोजक के ब्यौरे, यदि कोई हो.....
13. प्रायोज्यता अभिकरण तथा वैयक्तिक प्रायोजक के बीच समझौता ज्ञापन (एक प्रति लगाए).....
14. निर्मुक्ति से पूर्व चिकित्सा जांच रिपोर्ट
15. अन्य कोई जानकारी.....

घ. बालक की निर्मुक्ति पश्च /पुन स्थापन रिपोर्ट

1. बैंक खाते की स्थिति : बंद/ अंतरित
2. बालक की आय तथा माल-असबाब : बालक को अथवा उसके माता-पिता/संरक्षक को सौंपा गया
माता-पिता/संरक्षक— हां/नहीं
3. परिवीक्षा अधिकारी बालक की रिहाई-पश्च अनुवर्ती कार्रवाई के लिए पहचाने गए बालकल्याण अधिकारी/मामला कार्यकर्ता/सामाजिक कार्यकर्ता/गैर-सरकारी संगठन की प्रथम बातचीत की रिपोर्ट
4. पुनर्वास तथा पुनःस्थापन योजना के संदर्भ में की गई प्रगति.....
5. बालक के प्रति परिवार का व्यवहार/अभिवृत्ति.....
6. बालक का सामाजिक वातावरण, विशेष रूप से पड़ोसियों/समाज का रुख.....
7. बालक अर्जित कौशल का उपयोग किस प्रकार कर रहा है.....
8. क्या बालक को एक स्कूल अथवा किसी व्यवसाय में दाखिल किया गया है? स्कूल/संस्थान/अन्य किसी अभिकरण का नाम तथा तारीख दें।
.....हां/नहीं
9. क्रमशः दो मास तथा छह मास के बाद बालक के साथ बातचीत पर दूसरी तथा तीसरी अनुवर्ती कार्रवाई की रिपोर्ट



10. सामाजिक मुख्य धारा के प्रति प्रयास/इसके बारे में बालककी राय/विचार

11. पहचान पत्र तथा प्रतिकर

[अनुदेश : कृपया वास्तविक दस्तावेजों के साथ सत्यापन करें]

पहचान पत्र	वर्तमान स्थिति (कृपया जो लागू हो उस पर सही का निशान लगाएं)		की गई कार्रवाई
	हां	नहीं	
जन्म प्रमाण पत्र			
स्कूल प्रमाण पत्र			
जाति प्रमाण पत्र			
बी.पी.एल. कार्ड			
विकलांगता का प्रमाण पत्र			
प्रतिरक्षण कार्ड			
राशन कार्ड			
आधार कार्ड			
सरकार से प्रतिकर प्राप्त हुआ			

परिवीक्षा अधिकारी/बाल कल्याण अधिकारी/ मामला कार्यकर्ता के हस्ताक्षर

मुहर तथा सील जहां उपलब्ध हो

प्ररूप 8

[नियम 11(6)]

माता-पिता/संरक्षक/योग्य व्यक्ति जिसकी देखरेख में कानून का उल्लंघन करने वाले बालक को रखा गया है

द्वारा निष्पादित की जाने वाली वचनबद्धता/बंध पत्र

जबकि, मैंमाता-पिता, संरक्षक, रिश्तेदार, योग्य व्यक्ति की हैसियत से जिसकी देखरेख में.....(बालका नाम) को किशोर-न्याय बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए आदेश दिया गया है, को उक्त बोर्ड द्वारा रुपये...../- (रुपये.....) की राशि की जमानत के साथ अथवा बगैर जमानत के एक वचनबद्धता/बंध-पत्र निष्पादित करने का निदेश दिया गया है, मैं एतद्वारा उक्तके अच्छे व्यवहार तथा तंदुरुस्ती के लिए स्वयं को उत्तरदायी मानता हूँ और से प्रभावी वर्षों की अवधि के लिए निम्नलिखित शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य करता हूँ।

1. कि मैं परिवीक्षा अधिकारी के माध्यम से किशोर न्याय बोर्ड को लिखित में पूर्व सूचित किए बगैर अपने निवास के स्थान में परिवर्तन नहीं करूँगा;
2. कि मैं बोर्ड की लिखित में अनुमति पूर्व में प्राप्त किए गए बगैर किशोर न्याय बोर्ड के क्षेत्राधिकार की सीमाओं से उक्त बालक को नहीं हटाऊँगा;
3. कि मैं उक्त बालक को प्रतिदिन स्कूल/ऐसे व्यवसाय में भेजूँगा जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए गए हैं जब तक कि उन परिस्थितियों जो नियंत्रण से बाहर हों, ऐसा करने से रोका जाए ;



4. कि मैं परिवीक्षा अधिकारी की सहायता से वैयक्तिक देखरेख योजना को निष्ठापूर्वक प्रभावी करूँगा;
5. कि मैं जब कभी भी बोर्ड को आवश्यकता हुई, बोर्ड को तत्काल रिपोर्ट करूँगा और जब कभी भी बालक को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के निदेश दिए जाएंगे बालक को प्रस्तुत करूँगा;
6. कि मैं उक्त बालक को अपनी देखरेख में बोर्ड के समक्ष पेश करूँगा, यदि वह बोर्ड के आदेशों का पालन नहीं करता/करती है अथवा उसका व्यवहार मेरे नियंत्रण से बाहर हो जाता है;
7. कि मैं यदि बालक नियंत्रण/उत्तरदायित्व से बाहर हो जाता है तो मैं बोर्ड को रिपोर्ट करूँगा;
8. कि मैं परिवीक्षा अधिकारी को अनिवार्य सहायता प्रदान करूँगा ताकि वह पर्यवेक्षण के कर्तव्यों को पूरा कर सकें;

यहां चूक करने की स्थिति में, मैं यह वचन देता हूँ कि मैं बोर्ड के समक्ष उपस्थित होऊँगा और सरकार को रुपये (रुपये.....) स्वयं देने के लिए बाध्य होऊँगा।

20 के दिन तारीख

वचनबद्धता/बंध पत्र निष्पादित करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर

(मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए)

प्रधान मजिस्ट्रेट/ सदस्य किशोर न्याय बोर्ड

किशोर न्याय बोर्ड द्वारा अतिरिक्त शर्तें, यदि कोई हों, उन्हें उपयुक्त रूप से क्रम संख्या देकर शामिल कर लिया जाए;

(जहां जमानतियों के साथ बंध-पत्र निष्पादित किया जाता, इसे शामिल किया जाए)

मैं/हम के (पूरे विवरणों के साथ निवास का स्थान) एतद्वारा उक्त..... के लिए (वचनबद्धता/बंध-पत्र निष्पादित करने वाले व्यक्ति का नाम) जमानती/जमानतियों के रूप में स्वयं घोषित करते हैं कि मैं/हम इस वचनबद्धता/बंध-पत्र की निबंधन तथा शर्तों का पालन करूँगा/करेंगे। यदि..... (अनुबंध निष्पादित करने वाले का नाम) द्वारा कोई चूक करने की स्थिति में मैं/हम स्वयं/हम स्वयं संयुक्त रूप से अथवा पृथकरूप से एतद्वारा की उपस्थिति में 20..... के दिन तारीख को रुपये (..... रुपये) की राशि सरकार को जुर्माने के रूप में देंगे।

जमानती (तियों) के हस्ताक्षर

(मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए)

प्रधान मजिस्ट्रेट/ सदस्य, किशोर न्याय बोर्ड

प्ररूप-9

[नियम 11(7)]

बालक द्वारा व्यक्तिगत बंध पत्र



चूंकि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धाराके अंतर्गत किशोर न्याय बोर्डद्वारा यह आदेश दिया गया है कि मुझे निवासी..... (मकान नं., सड़क, गांव/शहर-तहसील, जिला राज्य का पूरा ब्यौरा दें) को आगे दर्शाई गई शर्तों का अनुपालन करने के लिए मेरे द्वारा व्यक्तिगत बंध पत्र भरे जाने पर मेरे मूल निवास स्थान पर वापस भेज दिया जाए। इसलिए अब मैं सत्यनिष्ठा से वचन देता हूँ कि..... अवधि के दौरान इन शर्तों का पालन करूँगा।

मैं स्वयं को निम्नलिखित से आबद्ध करता हूँ :

1.अवधि के दौरान सामान्यतया उस गांव/शहर/जिले को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा जहां मुझे भेजा जा रहा है और उक्त बोर्ड की पूर्वानुमति के बिना न तो लौटूँगा और न ही उक्त जिले से बाहर कहीं जाऊँगा ;
2. उक्त अवधि के दौरान मैं उस गांव/शहर अथवा जिले में स्कूल में व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जाऊँगा, जहां मुझे भेजा जा रहा है;
3. उक्त जिले में अन्य कहीं स्थित स्कूल में/व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जाने की स्थिति में, मैं उक्त बोर्ड को अपने सामान्य निवास स्थान की सूचना दूँगा।

मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मुझे उपर्युक्त शर्तों की जानकारी है, जिन्हें, मुझको पढ़कर सुनाया/समझाया गया है और मैं इन्हें स्वीकार करता हूँ।

(बालक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान)

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तें(बालक का नाम) को पढ़कर सुनाई/समझा दी गई हैं तथा उसने इन्हें ऐसी शर्तों के रूप में स्वीकार किया है, जिन पर उसे सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जा सकता है।

तदनुसार यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त बालक को(तारीख) को छोड़/रिहा कर दिया गया है।

हस्ताक्षर

प्रधान मजिस्ट्रेट/सदस्य किशोर न्याय बोर्ड

प्ररूप - 10

[नियम 11(9) और 64 (3) (xiii)]

परिवीक्षा पर निर्मुक्त बालक की सामयिक रिपोर्ट



जब एक बालक को परिवीक्षा पर निर्मुक्त किया जाता है तब परिवीक्षा अधिकारी द्वारा आवधिक रिपोर्ट प्राथमिकी संख्या..... पुलिस स्टेशन.....द्वारा के अधीन बनामके मामले में

जबकि (बालक का नाम).....आयु.....को.....(तारीख) को कानून का उल्लंघन करने वाला बालक पाया गया है और उसे (माता-पिता/संरक्षक/योग्य व्यक्ति/उपयुक्त-सुविधा की देखरेख में और उसे.....के (परिवीक्षा अधिकारी का नाम) पर्यवेक्षण में रखा गया है।

पंजीकरण संख्या नाम:-	आयु (अनुमानतः) पिता का नाम:-	लिंग-बालक/बालिका धर्म:-
शिक्षा: - न्यायालय की अगली तारीख :-	व्यावसायिक प्रशिक्षण यदि कोई हो नियोजन, यदि कोई है	भाषा(ओं) का ज्ञान भर्ती की तारीख (योग्य व्यक्ति/योग्य सुविधा के मामले में)

मामले का ब्यौरा तथा सार

.....

.....

.....

1. आरंभिक ब्यौरे :

- I. दौरे की तारीख :/...../.....
- II. माता-पिता/संरक्षक का नाम.....
- III. गृह में रहने वाले उन अन्य वयस्कों के नाम जिनके साथ परिवीक्षा अधिकारी ने बातचीत की :
 - क.
 - ख.
 - ग.

2. प्रेक्षण :



- I. बालक का व्यवहार.....
- II. बालक के शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति/जरूरतें तथा परिवार :.....
- III. परिवार के साथ बालक के अंतर-व्यक्तिगत संबंध.....
- IV. मित्रों के साथ बालक के अंतर-व्यक्तिगत संबंध.....
- V. परिवार में सुरक्षा तथा पर्यवेक्षण.....
- VI. बालक के समक्ष आई कठिनाइयां.....
- VII. परिवार द्वारा सामना की गई कठिनाइयां.....
- VIII. घर में परिवर्तन.....
- IX. बालक द्वारा लिया गया व्यावसायिक – प्रशिक्षण, यदि कोई हो
- X. बालक का समाज विरोधी कार्यकलापों अथवा हानिकारक कार्यकलापों में लिप्त होना (उदाहरण के लिए डराना धमकाना, हिंसात्मक-प्रकोप, तोड़ फोड़, स्वयं-हानि, मिथ्यावादी, अवज्ञा, आवेगशील, सहानुभूति का अभाव, यौन विकृति कार्य आदि का प्रदर्शित हो सकता है).....
- XI. पिछली बार किसी समाज विरोधी व्यवहार अथवा हानिकारक कार्यकलापों के बाद बीता गया समय

3. स्कूल/व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र का दौरा

- I. स्कूल/केंद्र का नाम.....
- II. अध्यापक/प्रधानाचार्य जिससे भेंट हुई.....
- III. प्रेक्षण किया गया कोई असामान्य व्यवहार.....
- IV. बालक की प्रगति के संबंध में प्राप्त हुई जानकारी.....
- V. बालक के प्रति हम उम्मीदों की अभिवृत्ति.....
- VI. हम उम्मीदों के प्रति बालक की अभिवृत्ति

4. रोजगार के स्थान का दौरा:

- I. कार्य की प्रकृति.....
- II. कार्य के घंटे.....
- III. कार्य के प्रति बालक की अभिवृत्ति.....
- IV. किसी श्रम कानून, कम मजदूरी अथवा रोकी गई मजदूरी, यदि पाया गया है, का उल्लंघन और नियोक्ता के विरुद्ध की गई कार्रवाई.....
- V. पाया गया कोई अपसामान्य व्यवहार.....

5. क्या आपने बालक के साथ प्राइवेट रूप से बोलने में समय बिताया है? हां ☐ नहीं ☐

यदि नहीं तो कारण बताएं.....

6. वैयक्तिक देखरेख के अंतर्गत (पुनर्वास और पुनःस्थापन योजना के अनुसार प्रगति).....



7. वैयक्तिक देखरेख योजना के अंतर्गत पुनर्वास तथा पुनःस्थापन योजना में आशोधन के लिए सिफारिशें :

द्वारा तैयार किया गया :

(परिवीक्षा अधिकारी /...../.... (तारीख)

योजना : अगले दौरे की तारीख :

कार्रवाई का मुद्दा यदि कोई हो :

(हस्ताक्षर)

(परिवीक्षा अधिकारी)

प्ररूप 11

[नियम 12(1)]

मामला मानीटरी शीट

(यदि बच्चों की संख्या एक से अधिक हो तो अलग कागज़ का प्रयोग करें)

किशोर-न्याय बोर्ड, जिला

मामला सं..... से संबंधित

मामले का नाम:

पुलिस थाना	तिथि
धारा	प्र.सू.रि. /जीडी/डीडी संख्या.....
परिवीक्षा अधिकारी का नाम	जांच अधिकारी का नाम
वकील का नाम	बाल कल्याण पुलिस अधिकारी का नाम
(वकील न किए जाने की स्थिति में सरकारी वकील उपलब्ध कराएं)	

अपराध की श्रेणी

गौण

(अधिकतम 3 वर्ष तक की कैद)

गंभीर

(अधिकतम दंड : 3 से 7 वर्ष तक कैद)

जघन्य

(न्यूनतम दंड : 7 वर्ष तक कैद या इससे अधिक)

पुलिस द्वारा जांच पूरी होने पर दं.प्र.सं. की धारा 173 के अधीन अंतिम रिपोर्ट	तिथि	
आगामी जांच के प्रावधानों पर रिपोर्ट, यदि कोई हो	तिथि	
दं.प्र.सं. की धारा 251 के अंतर्गत नोटिस	तिथि	
अभियोजन साक्ष्य (.....से को) (साक्ष्यों की संख्या के आधार पर तिथियां निरंतर निश्चित की जा सकती)	तिथि	
दं.प्र.सं.की धारा 281 के अंतर्गत किशोर का वक्तव्य(कथन)	तिथि	
प्रतिवादी साक्ष्य	तिथि	
पृथक देखरेख योजना (सांस्थानिक देखरेख अधीन बच्चे के मामले में, प्रवेश के एक मास के भीतर, पृथक देखभाल योजना तैयार की जाए।	तिथि	
अंतिम तर्क	तिथि	
निपटान(अंतिम)आदेश	तिथि	
निपटान आदेश के पश्चात समीक्षा	तिथि	

हस्ताक्षरकर्ता
किशोर-न्याय बोर्ड

प्ररूप 12

[नियम 12(2)]

किशोर-न्याय बोर्ड की त्रैमासिक रिपोर्ट

जिला:

..... से तक की अवधि की त्रैमासिक रिपोर्ट

किशोर-न्याय बोर्ड का विवरण:

क्रम सं.	विवरण	नियुक्ति की तिथि	किस प्रशिक्षण में भाग लिया
	प्रधान मजिस्ट्रेट		
	सदस्य 1		
	सदस्य 2		

प्रधान मजिस्ट्रेट द्वारा आश्रय गृहों का दौरा

दौरे निरीक्षण की तिथि :

आश्रय गृह का नाम :

टिप्पणः

प्रधान मजिस्ट्रेट द्वारा कारागार का दौरा

दौरे की तिथि:

क्या कोई बच्चा पाया गया :

कार्रवाई :



तिमाही के दौरान दर्ज मामले

	गौण	गंभीर	जघन्य	कुल
मामलों की सं.				
बच्चों की संख्या				
जमानत पर रिहा बच्चों की संख्या।				
प्रेक्षण गृहों में भेजे गये बच्चों की संख्या				
ऐसे मामलों की संख्या जिनमें निर्धारित समय में प्राथमिक रिपोर्टें प्रस्तुत की गईं।				

लंबित मामले

मामले की किस्म	पुराने मामले	नये मामले	निपटान	वर्तमान में लंबित मामले			
				4मास से कम	4 से 6 मास तक	6 मास से एक वर्ष तक	एक वर्ष से अधिक
गौण							
गंभीर							
जघन्य							
कुल							

अंतिम आदेश

अंतिम रूप से जारी आदेशों की संख्या

निपटान किए गए	अन्य कि.न्या.बो. को स्थानांतरित	मृत्यु के कारण बंद किए गए	विदेशों को प्रेषित	बाल न्यायालयों को स्थानांतरित	उपशमित घोषित एवं फाइल समानुद्घेषित	नियम के अंतर्गत समाप्त/बंद किए गए (प्रस्तुति/पेशी उपरांत प्रक्रिया)	निर्मुक्त किए गए/ अपराधिक विवरण

							
बालकों द्वारा अपराध किए जाने की स्थिति में निपटान संबंधी आदेशों के प्रकार (आदेशों की संख्या का उल्लेख करें)							

प्राप्त शिकायत/सुझाव, यदि कोई हो और की गई कार्रवाई।
बोर्ड की टिप्पणी / सुझाव क. प्रधान जिला अधिकारी. _____ ख. सदस्य: 1 _____ ग. सदस्य: 2 _____

प्रधान मजिस्ट्रेट	सदस्य- 1	सदस्य- 2
-------------------	----------	----------

प्ररूप 13

[नियम 13(8)(iv)]

सुरक्षा के स्थान पर बच्चे की आवधिक समीक्षा

.....बनामके मामले में
 प्र.सू.रि. सं..... पुलिस थाना
द्वाराएं.....

..... (बालक का नाम), तारीख
को आयु, तारीख को विधि के विरुद्ध कार्य करते हुए
 पाया गया है और उसे(सुरक्षा स्थान का नाम) में रखा गया है।

सुरक्षा स्थान में प्रवेश करने की तिथि –

समीक्षा अवधि: से..... तक

बालका नाम

पिता का नाम



भर्ती की तिथि

अगली सुनवाई की तिथि

1. मामले का विवरण और सारांश

.....

.....

2. वैयक्तिक देखरेख योजना (प्रतिलिपि संलग्न करें)

.....

.....

.....

3. वैयक्तिक देखरेख योजना के अनुसार पाक्षिक प्रगति:.....

.....

4. नये हितों का विवरण ?

.....

5. बालक द्वारा की गई सामाजिक मन:स्थिति में प्रगति: (सामाजिक मन:स्थिति विशेषज्ञ की सहायता से तैयार की जाए

.....

I. मानसिक स्थिति का मूल्यांकन

क. रूप (देखा गया) - संभव विवरण: • रंग-ढंग, वस्त्र, बनाव-श्रृंगार.

ख. व्यवहार (अनुभव किया गया) - संभव विवरण: • शिष्टता, हाव-भाव संकेत, मन:स्थिति क्रिया-कलाप, अभिव्यक्ति, आंख मिलाना, आज्ञा/अनुरोध का अनुसरण करने की योग्यता, ज़ोर ज़बरदस्ती या विवशताएं।

II. अभिवृत्ति(अनुभव की गई) - संभाव्य निरूपक: • सहयोगात्मक, उग्र, खुला, घुन्ना, बहानेबाज, शंकालू, उदासीन, अनमना, एकाग्र, रक्षात्मक.

III. अभिज्ञता का स्तर (अनुभव किया गया) - संभाव्य निरूपक • चौकस, सतर्क, शिथिल, आलसी, भावशून्य, निष्क्रिय, भ्रमित, वैचारिक दृष्टि से अस्थिर .

IV. अभिमुखता (जांच) - संभावित प्रश्न • “आपका पूरा नाम क्या है?” • “हम कहां पर हैं (तल, भवन, शहर, देश, और राज्य)?” • “आज के दिन का पूरा विवरण (तिथि, मास, वर्ष, सप्ताह का दिन, और वर्ष का मौसम)?” • “हम किस स्थिति में हैं, इसे आप कैसे बयां करेंगे?”

V. बोलचाल और भाषा (अनुभव की गई) क. मात्रा - संभाव्य निरूपक: • बातूनी, सहज, शांत ख. दर - संभाव्य निरूपक: • तीव्र, धीमा, सामान्य, दबाव-अधीन. ग. आवाज़ (शैली).

VI. भावदशा अथवा मिज़ाज़(जांच की गई): स्थिर आंतरिक स्थिति का अवलोकन- संभावित प्रश्न: • “आप कैसा महसूस कर रहे हैं ?” • “क्या आपको निरुत्साहित किया/दबाव में रखा/नीचा दिखाया गया है?” • “क्या आप बाद में उत्प्रेरित/खुशहाल/वास्तविकता से ऊपर/नियंत्रण से बाहर हुए हैं?” • “क्या आप कभी नाराज़/चिढ़चिढ़े हुए हैं?”

VII. प्रभाव(अनुभव किया गया): आन्तरिक स्थिति की अभिव्यक्ति देखी गई ।

VIII. सोच विचार या चिंतन प्रक्रिया(जांच/अनुभव की गई): तर्क, प्रासंगिकता, संघटन, साक्षात्कार के दौरान सामान्य प्रश्नों के उत्तरों में प्रवाह और सामंजस्य - संभाव्य निरूपक: निदेशित लक्ष्य, परिस्थितिजनक, लचर-संबंध, असामंजस्यपूर्ण, बहानेबाज, परिश्रमपूर्वक.



- IX. विचार विषय (पूछा/अनुभव किया गया)
- X. आत्मघाती और हिंसक – मूल्यांकन
- XI. आंतरिक नज़रिया (पूछा/अनुभव किया गया) –
- XII. ध्यान (पूछा/अनुभव किया गया) –
- XIII. ग्लानि/पश्चाताप : उपस्थित/ अनुपस्थित

6. शिक्षा/व्यावसायिक पुनर्वास कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति।

- कार्यक्रम के लिए प्रेरणा
- सहयोगात्मक स्तर
- नियमितता
- कार्य/निष्पादन की गुणवत्ता

7. व्यक्ति पर सांस्थानिक प्रभाव

8. मूल्यांकन/आवधिक अनुवर्ती कार्रवाई का दृष्टिकोण

लोक सुरक्षा के साथ, कार्यक्रमों/सुविधाओं में उपचार और पुनर्वास की इच्छा तथा प्रतिभागिता की योग्यता,

सिफारिश (व्यक्ति को छोड़ दिया जाए या शर्तों पर छोड़ा जाए या उसे अभी संस्थान में रखना आवश्यक है, का औचित्य विवरण सहित)

तिथि : / /

स्थान :

नाम :

पदनाम :

हस्ताक्षर :

सिफारिश/निष्कर्ष:

हस्ताक्षर / मुहर

तैयारकर्ता:

(परिवीक्षा अधिकारी/... (तिथि)

प्ररूप 14



[नियम 7 (ii), 13(8)(vi)(ग) (गघ), 17(vi), 19(20), 65(3)(viii), 69(2), 69(4), 69(1), 69(3)]

पुनर्वास कार्ड

प्र.सू.रि. /मामला सं.

धारा:

पुलिस थाना

अपराध की किस्म : गौण, गंभीर, जघन्य, (विधि के विरुद्ध बच्चे के मामले में)

परिवीक्षा अधिकारी का नाम/बाल कल्याण अधिकारी/पुनर्वास एवं स्थापन अधिकारी:

.....

बालक का नाम :

आयु:

लिंग:

पिता का नाम:

माता का नाम:

भर्ती संख्या.

भर्ती की तिथि:

अस्थायी छूट/छूट की तिथि :

वैयष्टिक देखरेख योजना के अंतर्गत प्राप्त सेवाएं-

संकेतक	बालकी देखरेख और बचाव संबंधी अपेक्षाएं योजना :
प्रथम मास	परिणाम : योजना :
दूसरे मास	परिणाम :
तीसरे मास	योजना :
चौथे मास	परिणाम :



प्रथम मास	स्वास्थ्य एवं पोषण योजना : परिणाम :
दूसरे मास	योजना : परिणाम :
तीसरे मास	योजना : परिणाम :
चौथे मास	योजना : परिणाम :
पूर्ण एवं मनोवैज्ञानिक सहायता की आवश्यकता	
प्रथम मास	योजना : परिणाम :
दूसरे मास	योजना : परिणाम : योजना :
तीसरे मास	परिणाम :
	योजना :

चौथे मास	परिणाम :	
शिक्षा और प्रशिक्षण	योजना :	
प्रथम मास	परिणाम :	
दूसरे मास	योजना :	
	परिणाम :	
	योजना :	
तीसरे मास	परिणाम :	
	योजना :	
चौथे मास	परिणाम :	
मौज-मस्ती, सृजन और खेलकूद	योजना :	
प्रथम मास	परिणाम :	
दूसरे मास	योजना :	
	परिणाम :	
तीसरे मास	योजना :	
	परिणाम :	
	योजना :	
चौथे मास	परिणाम :	
संबद्ध और अंतर-वैयक्तिक संबंध	योजना :	
प्रथम मास	परिणाम :	
	योजना :	
दूसरे मास	परिणाम :	



तीसरे मास	योजना :
चौथे मास	परिणाम : योजना :
प्रथम मास	योजना :
दूसरे मास	परिणाम :
तीसरे मास	योजना :
चौथे मास	परिणाम :
प्रथम मास	स्वतंत्र रूप से जीने का कौशल योजना :
दूसरे मास	योजना :
तीसरे मास	परिणाम : योजना :
	परिणाम :

चौथे मास	योजना :	
प्रथम मास	परिणाम : मानव दुर्व्यपार, घरेलु हिंसा, माता पिता द्वारा उपेक्षा विद्यालयों में डराना धमकाना आदि जैसे महत्वपूर्ण अनुभव जिसने बच्चे के विकास को प्रभावित किया हो। योजना :	
दूसरे मास	योजना :	
तीसरे मास	परिणाम : योजना :	
चौथे मास	परिणाम :	

बालक कों को दी जाने वाली अन्य सेवाएं, जैसे मुआवजा, अन्य फायदे आदि

प्रमाणित मनोविज्ञानी की विस्तृत मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन रिपोर्ट, पुर्नवास कार्ड के साथ संलग्न की जाए।

कथित मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने के कारण और रिपोर्ट की तिथि (अस्थायी छूट/ छूट / या कोई अन्य)

वैयष्टिक देखरेख योजना के कथित पहलुओं की दृष्टि से बच्चे द्वारा की गई समग्र प्रगति।

बच्चे द्वारा स्वीकार्यता तथा अपने कार्यों और उसके परिणामों को समझना।

बच्चे द्वारा सुधार करने की इच्छा।

बच्चे का व्यवहार और आचरण।

कानून विरोधी कार्य करने पर बाल देखरेख संस्थान में न रखे गए बच्चे के मामले में परिवार या पड़ोसी द्वारा बताया गया कोई अपराध जो बच्चे द्वारा किया गया हो।

हस्ताक्षरकर्ता

कि.न्या.बो./ बा.क.स.

प्रपत्र 15

[नियम 17 (i)]

बाल कल्याण समिति द्वारा अनुरक्षित मामले का सारांश



मामला सं.....

मामले का अभिलेख

1. बच्चे का नाम
2. पिता/माता/संरक्षक का नाम (यदि उपलब्ध हो).....
3. बच्चे को प्रस्तुत करने की तिथि
4. बच्चे को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम
5. अनुवर्ती कार्रवाईयों की तिथियों का विवरण (समिति के समक्ष बच्चे से संबंधित)
6. बा.क.स. द्वारा पारित आदेश(लागू पर सही का निशान लगाएं)
 - I. घोषणा कि बच्चे को देखरेख और सुरक्षा की आवश्यकता है।
 - II. बच्चे की आयु का पता लगाना।
 - III. चिकित्सा जांच।
 - IV. आंतरिक अभिरक्षा।
 - V. उद्घोषणा (माता-पिता, संरक्षक या मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति द्वारा, यदि लागू हो)।
 - VI. मामले संबंधी कार्यकर्ता और एनजीओ आदि की नियुक्ति के आदेश।
 - VII. क्षतिपूर्ति/मजदूरी की वसूली (यदि लागू हो) के लिए आदेश।
 - VIII. स्थानांतरण आदेश।
 - IX. अंतिम आदेश (जांच निष्कर्ष)
 - X. कोई अन्य आदेश.
7. चिकित्सा अभिलेख आयु जांच सहित समग्र रूप से
8. सामाजिक जांच रिपोर्ट, प्रपत्र 22 में।
9. वैयक्तिक देखरेख योजना के अधीन प्रपत्र 7.
10. पुनर्वास कार्ड, प्रपत्र 14.....
11. मामले का विवरण, प्रपत्र 43.....
12. प्रायोज्यता/पालन-पोषण देखरेख/ गोद लेने संबंधी सेवाओं(यदि लागू हों) के संबंध में सभी विवरण, दस्तावेज़ और अभिलेख

तिथि:

स्थान :

(हस्ताक्षर)

बाल कल्याण समिति

प्ररूप 16

[नियम 17(v), 20(2)]

बाल कल्याण समिति की तिमाही रिपोर्ट



जिला

..... से..... तक की अवधि की तिमाही रिपोर्ट.

बा.क.स. का विवरण

क्रम संख्या	विवरण	नियुक्ति की तिथि	किन प्रशिक्षणों में भाग लिया
	अध्यक्ष		
	सदस्य 1		
	सदस्य 2		
	सदस्य 3		
	सदस्य 4		

बा.क.स. के पास मामलों का विवरण

क्रम संख्या	तिमाही के आरंभ में मामलों की संख्या	तिमाही के दौरान प्राप्त मामलों की संख्या	तिमाही के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या	तिमाही के अंत में लंबित मामलों की संख्या	लंबित होने के कारण

अंतिम आदेश

तिमाही के दौरान पारित अंतिम आदेशों की कुल संख्या

माता-पिता /संरक्षक/ स्वस्थ व्यक्ति /उपयुक्त संस्थान को जारी	अन्य बा.क.स. को स्थानांतरित	बा.सं.सं. में ठहरने के लिए आदेशित	विदेश को प्रेषित	कानूनी तौर पर गोद लेने के लिए मुक्त घोषित	पालन-पोषण देखरेख /प्रायोजन/पाश्चातिक देखभाल के लिए आदेशित	प्र.सू.रि. दर्ज करने के लिए कि.न्या.बो. को सिफारिश की गई	पात्र होने की स्थिति में बालक को प्रतिपूर्ति संबंधी प्रक्रिया आरंभ

अध्यक्ष/सदस्य द्वारा बाल-गृहों की दौरा

दौरे की तिथि:

बाल-गृह का नाम और पता:

समिति की टिप्पणी/सुझाव.....

अध्यक्ष के हस्ताक्षर

मुहर

प्ररूप 17

[नियम 18(2), 19(25)]



बच्चे को समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के समय पेश की जाने वाली रिपोर्ट

मामला सं.....

बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया

प्रस्तुत करने की तिथि प्रस्तुत करने का समय

प्रस्तुत करने का स्थान

1. बच्चे का प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का विवरण :

- I. व्यक्ति का नाम
- II. उम्र.....
- III. लिंग.....
- IV. पता
- V. संपर्क फोन संख्या
- VI. व्यवसाय/पदनाम.....
- VII. संगठन/बा.सं.सं./एसएए का नाम

2. प्रस्तुत किया गया बालक:

- I. नाम (यदि कोई है).....
- II. आयु (आयु लिखें/शकल सूरत के आधार पर आयु लिखें)
- III. लैंगिकता
- IV. पहचान चिह्न.....
- V. बच्चे की भाषा

3. माता-पिता/ संरक्षक का विवरण (यदि उपलब्ध हो):

- I. नाम
- II. आयु.....
- III. पता.....
- IV. संपर्क(फोन)संख्या.....
- V. व्यवसाय.....

4. स्थान जहां बच्चा प्राप्त हुआ.....



5. उस व्यक्ति का विवरण जिसके साथ बच्चा पाया गया :

- I. नाम
- II. आयु.....
- III. पता.....
- IV. संपर्क(फोन)संख्या.....
- V. व्यवसाय.....

6. बच्चा किन परिस्थितियों में पाया गया ?

7. बच्चे पर किसी भी प्रकार के अपराध/दुराचार का बच्चे द्वारा किया गया दोषारोपण.....

8. बच्चे की शारीरिक स्थिति

9. प्रस्तुति के समय बच्चे का सामान

10. बच्चे के बा.सं.सं./एसएए में आने की तिथि और समय

11. बच्चे के परिवार को खोजने के लिए किए गए तुरत प्रयास ?

12. क्या बच्चे की चिकित्सा जांच की गई है ?

13. क्या पुलिस को सूचित किया गया है ?

बच्चे के हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान

बच्चे को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान

पुलिस-स्थानीय पुलिस/विशेष किशोर अपराध पुलिस इकाई/पदेन बाल कल्याण पुलिस अधिकारी/रेलवे पुलिस/परिवीक्षा अधिकारी/सार्वजनिक सेवा का कोई भी कर्मचारी/समाज कल्याण संगठन/सामाजिक कार्यकर्ता/बा.सं.सं. के प्रभारी व्यक्ति/एसएए/कोई भी नागरिक/ स्वयं बालक अथवा बालिका(जो भी लागू हो, भरा जाए)

प्ररूप 18

[नियम 18 (5), 18 (9) और 19 (26)]

बालक को किसी संस्था में भेजने संबंधी आदेश

(बाल गृह/उपयुक्त सुविधा/एसएए)

मामला सं.....

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी,

जबकि बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय(देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत देख-रेख और बचाव अधीन

..... (बालक का नाम), सपुत्र/सुपुत्री श्री.....,

आयु..... निवासी..... को, मास



....., 201 ..केदिन,अवधि के लिए, बाल गृह/एसएए/उपयुक्त सुविधा
.....में रखने का आदेश जारी करती हैं।

उपर्युक्त आदेश का कानूनानुसार अनुपालनार्थ, आपको कथित बालक को अपने प्रभार (उत्तरदायित्व) में लेने तथा उसे बाल गृह/उपयुक्त सुविधा/एसएए में रखने के लिए प्राधिकृत किया जाता है। अनाथ या परित्यक्त बालक का मामला होने पर संबंधित कर्मचारी/अधिकारी इसका विवरण बाल खोज/संबंधित वेब-पोर्टल पर अपलोड करेगा।

मेरे हस्ताक्षर और बाल कल्याण समिति की मुहर के अधीन।

तारीख

(हस्ताक्षर)

अध्यक्ष/ सदस्य

बाल कल्याण समिति

अनुलग्नक:

आदेश की प्रति गृह का विवरण तथा पिछला अभिलेख, मामले का इतिहास और वैयक्तिक देखरेख योजना, जो भी लागू हो:

प्ररूप 19

[नियम 18(8), (19(7))]

जांच के लंबन की स्थिति में,

बालक को माता-पिता, संरक्षक या उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख में रखने के लिए आदेश

.....20 का मामला सं.

..... के संबंध में

तारीखको पाया गया है किके लिए देखरेख आवश्यक है तथा(नाम).....(पता) के द्वारा प्रतिज्ञा पत्र भरने पर पर्यवेक्षण में रखा जाता है और समिति संतुष्ट है कि बालक को उसके पर्यवेक्षण में रखने संबंधी आदेश जारी करना हितकर होगा।

बालक को सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत करने के कारण :.....

आदेश दिए जाते हैं कि कथित बालक.....(नाम) को

.....(अवधि) के लिए (पता) के पर्यवेक्षण में रखा जाए। इसके लिए निम्न शर्तें होंगी:

1. आवश्यक होने पर प्रतिज्ञा-पत्र भरने वाला कथित व्यक्ति समिति को बालक के साथ-साथ आदेश और भरे गये प्रतिज्ञा पत्र की प्रति प्रस्तुत करेगा।
2. बालक.....अवधि के लिएपर रहेगा।
3. बालक.....को समिति की अनुमति के बिनाके जिला अधिकार क्षेत्र को छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
4. बालक नियमित तौर विद्यालय /व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र पर जाएगा। बालक नियमित तौरविद्यालय /व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र पर (यदि पहले से बताया गया हो) विद्या/प्रशिक्षण प्राप्त करेगा।
5. बालक की देखभाल करने वाला व्यक्ति बालक की उचित देखभाल शिक्षा और कल्याण की व्यवस्था करेगा।



6. बालक को अवांछित तत्वों से मेल जोल बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी तथा तथा उसे कानून के विरुद्ध कोई भी काम करने से रोका जाएगा।
7. बालक को किसी नशीले पदार्थ या मादक द्रव्यों के उपयोग से बचा के रखना होगा।
8. उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन के लिए समिति द्वारा समय-समय पर दिए गए निदेशों का अनुसरण करना होगा।

तारीख

(हस्ताक्षर)

अध्यक्ष/ सदस्य

बाल कल्याण समिति

बाल कल्याण समिति द्वारा निर्धारित अन्य कोई भी शर्त, शामिल की जा सकती है।

प्ररूप 20

[नियम 18(8)]

माता-पिता , संरक्षक या उपयुक्त व्यक्ति द्वारा

घोषणा-पत्र

मैं, निवासी मकान नंबर.....गली
 ,गांव/नगर..... जिलाराज्य
एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि बाल कल्याण समिति,..... के आदेशानुसार निम्न
 शर्तों के आधार पर(बच्चे का नाम).....(आयु) को मैं, अपनी देख-
 रेख में लेने का इच्छुक हूँ :

1. यदि उसका आचरण असंतोषजनक होगा तो मैं तुरंत समिति को सूचित करूंगा ।
2. जब तक वह मेरी देखरेख में रहेगा, मैं कथित बाल के कल्याण और शिक्षा की अपनी ओर से उत्तम व्यवस्था करूंगा तथा उसके पालन पोषण के उपयुक्त प्रबंध करूंगा।
3. उसके रूग्ण होने की स्थिति में नज़दीकी अस्पताल में उचित चिकित्सा करवाऊंगा।
4. समिति द्वारा समय-समय पर निर्धारित शर्तों का अनुपालन करूंगा तथा इनके अनुपालन के बारे में समिति को सूचित करता रहूंगा ।
5. मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि यथावश्यक होने पर उसे समिति के समक्ष प्रस्तुत करूंगा ।
6. बालक के मेरे प्रभार या नियंत्रण से बाहर हो जाने की स्थिति में, समिति को तुरंत सूचित करूंगा।

तारीख _____

(हस्ताक्षर)

बाल कल्याण समिति के समक्ष हस्ताक्षरित

प्ररूप 21

[नियम 19(3)]

देखरेख तथा संरक्षण की आवश्यकता रखने वाले बालक के लिए सामाजिक जांच के आदेश



सेवा में,

बाल कल्याण अधिकारी/सामाजिक कार्यकर्ता/मामले से संबंधित कार्यकर्ता/गृह-प्रभारी/गैर सरकारी संगठन का प्रतिनिधि

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 31(2) के अंतर्गत.....(बालक का नाम) , आयु.....(लगभग) सपुत्र/सुपुत्री.....निवासी.....से संबंधित एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसे किशोर न्यायालय(बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 31 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है, प्राप्त हुई है

आपको निदेश दिए जाते हैं कि उपर्युक्त बालक के संबंध में प्रपत्र 22 के अनुसार सामाजिक जांच की जाए। आपको यह भी निदेश दिए जाते हैं कि कथित बालक की सामाजिक-आर्थिक तथा पारिवारिक पृष्ठभूमि की भी जांच-पड़ताल की जाए।

आपको निदेश दिए जाते हैं कि सामाजिक जांच रिपोर्ट(तारीख) को या इससे पूर्व प्रस्तुत कर दी जाए।

तारीख:

(हस्ताक्षर)

अध्यक्ष/ सदस्य

बाल कल्याण समिति

प्ररूप 22

नियम 19(8)

देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता रखने वाले बालक के लिए सामाजिक जांच रिपोर्ट

क्र.सं.

बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत

मामला सं.....

बाल कल्याण अधिकारी/समाज सेवक/मामला कार्यकर्ता/ गृह के प्रभारी व्यक्ति/गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि द्वारा तैयार की गई सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट।

देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालक का विवरण:

1. नाम
2. आयु/तारीख/जन्म का वर्ष
3. लिंग.....
4. जाति
5. धर्म
6. पिता का नाम



7. माता का नाम.....
8. अभिभावक का नाम
9. स्थाई पता.....
10. पते का लैंडमार्क.....
11. पिछले निवास का पता
12. पिता/माता/परिवार के सदस्य का संपर्क नं.
13. यदि बालक विकलांग हो : हां/नहीं
 - (i) श्रवण अक्षमता
 - (ii) वाक् अक्षमता
 - (iii) शारीरिक निःशक्तता
 - (iv) मानसिक रूप से अक्षम
 - (v) अन्य (कृपया उल्लेख करें)

14. परिवार के व्यौरे :

क्र.सं.	नाम तथा संबंध	आयु	लिंग	शिक्षा	व्यवसाय	आय	स्वास्थ्य की स्थिति	मानसिक रुग्णता का पूर्ववृत्त	व्यसन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)



15. परिवार के बीच संबंध

i पिता तथा माता	सौहार्दपूर्ण/कटुतापूर्ण/अज्ञात
ii पिता तथा बालक	सौहार्दपूर्ण/कटुतापूर्ण/अज्ञात
iii माता तथा बालक	सौहार्दपूर्ण/कटुतापूर्ण/अज्ञात
iv पिता तथा सहोदर	सौहार्दपूर्ण/कटुतापूर्ण/अज्ञात
v माता तथा सहोदर	सौहार्दपूर्ण/कटुतापूर्ण/अज्ञात
vi बालक तथा सहोदर	सौहार्दपूर्ण/कटुतापूर्ण/अज्ञात
vii बालक तथा नातेदार	सौहार्दपूर्ण/कटुतापूर्ण/अज्ञात

16. बालक यदि विवाहित है तो पत्नी और बच्चों के नाम, आयु तथा व्यौरे :

17. परिवार के सदस्यों द्वारा अपराधों में शामिल होने का पूर्ववृत्त, यदि कोई हो :-

क्र. सं.	नातेदारी	अपराध का स्वरूप	मामले को कानूनी स्थिति	की गई गिरफ्तारी यदि हुई है	परिरोध की अवधि	दिया गया दंड
1	पिता					
2	सौतेला पिता					
3	माता					
4	सौतेली माता					
5	भाई					
6	बहन					
7	अन्य (चाचा/चाची/दादा/दादी					

18. धर्म के प्रति मनोवृत्ति.....

19. रहन-सहन की वर्तमान परिस्थितियां

20. अन्य कोई महत्वपूर्ण कारण, यदि कोई है.....



21. बालक की आदतें

- | | |
|--|------------------------------|
| (क) | (ख) |
| (i) धूम्रपान | (i) दूरदर्शन/सिनेमा देखना |
| (ii) मद्यपान | (ii) इंडोर/आउटडोर खेल खेलना |
| (iii) नशीली दवाओं का सेवन करना (विनिर्दिष्ट करे) | (iii) पुस्तकें पढ़ना |
| (iv) जुआ खेलना | (iv) धार्मिक गतिविधियां |
| (v) भिक्षा मांगना | (v) आरेखण/रंगसाजी/अभिनय/गायन |
| (vi) कोई अन्य | (vi) कोई अन्य |

22. पाठ्येत्तर रूचियां.....

23. उत्कृष्ट विशेषताएं तथा व्यक्तित्व - विशेषताएं.....

24. बालक का शैक्षणिक व्यौरा (जो भी प्रयोज्य हो उसे ✓ करें)

- (i) अशिक्षित
- (ii) पांचवी कक्षा तक अध्ययन
- (iii) पांचवी कक्षा से अधिक परंतु आठवी से कम अध्ययन
- (iv) आठवी कक्षा से अधिक परंतु दसवी से कम अध्ययन
- (v) दसवी कक्षा से अधिक अध्ययन

25. बालक की शिक्षा के व्यौरे जिसमें वह विगत में पढ़ा था (जो भी प्रयोज्य हो उसे ✓ करें)

- क. निगम/नगर निगम/पंचायत
- ख. सरकारी/अनुसूचित जाति कल्याण स्कूल/पिछड़ा वर्ग कल्याण स्कूल
- ग. निजी प्रबंधन
- घ. एन. सी. एल. पी. के अन्तर्गत विद्यालय

26. बालक के प्रति कक्षा के साथियों का व्यवहार.....

27. बालक के प्रति शिक्षक तथा साथियों का व्यवहार.....

28. विद्यालय छोड़ने के कारण (जो भी प्रयोज्य हो उसे ✓ करें)

- क. अंतिम बार अध्ययनरत कक्षा में अनुत्तीर्ण होना
- ख. विद्यालय के कार्यकलापों में रुचि की कमी
- ग. शिक्षकों का उदासीन रुझान
- घ. संगी साथियों का प्रभाव
- ड. परिवार के लिए अर्जन तथा समर्थन



- च. माता-पिता की अचानक मृत्यु
- छ. स्कूल में भयाभिभूत
- ज. विद्यालय का सख्त माहौल
- झ. विद्यालय से भागने के कारण अनुपस्थित
- ञ. समीप के स्कूल का स्तर उपयुक्त नहीं है
- ट. स्कूल में दुर्व्यवहार
- ठ. विद्यालय में अवमानना
- ड. शारीरिक दंड
- ढ. शिक्षा का माध्यम
- ण. अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

- 29. व्यावसायिक प्रशिक्षण, यदि कोई हो.....
- 30. रोजगार के ब्यौरे, यदि कोई हो.....
- 31. आय के उपयोग के ब्यौरे.....
- 32. कार्य का अभिलेख (व्यावसायिक रुचियों को छोड़ने के कारण, नौकरी अथवा नियोक्ताओं के प्रति व्यवहार).....
- 33. अधिकांश मित्र है (जो प्रयोज्य हो उसे ✓ करें)
 - (क) शिक्षित
 - (ख) अशिक्षित
 - (ग) एक ही आयु वर्ग
 - (घ) आयु में बड़े
 - (ङ) आयु में छोटे
 - (च) एक ही लिंग के
 - (छ) दूसरे लिंग के
 - (ज) व्यसन वाले
 - (झ) आपराधिक पृष्ठभूमि वाले
- 34. मित्रों के प्रति बालक का व्यवहार.....
- 35. बालक के प्रति मित्रों का व्यवहार.....
- 36. आस पड़ोस के बारे में प्रेक्षण (बालक पर आस-पड़ोस को प्रभाव का मूल्यांकन करना).....
- 37. बालक की मानसिक स्थिति (वर्तमान में तथा विगत में)
- 38. बालक की शारीरिक स्थिति (वर्तमान में तथा विगत में)



39. बालक की स्वास्थ्य स्थिति

- (i) श्वसन संबंधी दोष- पाया गया/अज्ञात/नहीं पाया गया
- (ii) बहुरापन संबंधी दोष- पाया गया/अज्ञात/नहीं पाया गया
- (iii) नेत्र रोग संबंधी दोष- पाया गया/अज्ञात/नहीं पाया गया
- (iv) दंत रोग संबंधी दोष- पाया गया/अज्ञात/नहीं पाया गया
- (v) हृदय रोग संबंधी दोष- पाया गया/अज्ञात/नहीं पाया गया
- (vi) चर्म रोग संबंधी दोष- पाया गया/अज्ञात/नहीं पाया गया
- (vii) यौन संक्रमित रोग संबंधी दोष- पाया गया/अज्ञात/नहीं पाया गया
- (viii) तन्त्रिका संबंधी रोग संबंधी दोष- पाया गया/अज्ञात/नहीं पाया गया
- (ix) मानिसक विकलांगता संबंधी दोष- पाया गया/अज्ञात/नहीं पाया गया
- (x) शारीरिक विकलांगता संबंधी दोष- पाया गया/अज्ञात/नहीं पाया गया
- (xi) मूत्रीय क्षेत्र संक्रमण संबंधी दोष- पाया गया/अज्ञात/नहीं पाया गया
- (xii) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

40. क्या बालक को कोई व्यसन है? हां/नहीं

41. बालसमिति के समक्ष लाने से पूर्व किसके साथ रह रहा था?

- (i) माता पिता – माता/पिता/दोनों
- (ii) सहोदर –
- (iii) संरक्षक – संबंध
- (iv) मित्र
- (v) बेसहारा
- (vi) रात्रिकालीन आश्रय गृह
- (vii) अनाथालय/होस्टल/ऐसे अन्य गृह
- (viii) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

42. घर से भागने के लिए बालक का पूर्ववृत्त/प्रवृत्ति, यदि कोई हो

43. घर में अनुशासन के प्रति माता-पिता का रुख तथा बालक की प्रतिक्रिया

44. परिवार छोड़ने के कारण (जो प्रयोज्य है उसे ✓ करें)

- (i) माता-पिता(ओं)/संरक्षक(कों)/सौतेले माता-पिता(ओं) द्वारा दुर्व्यवहार
- (ii) रोजगार की तलाश में
- (iii) संगी साथियों का प्रभाव



(iv) माता-पिता की असमर्थता

(v) माता-पिता का आपराधिक व्यवहार

(vi) माता-पिता से पृथक्

(vii) माता-पिता की अचानक मृत्यु

(viii) निर्धनता

(ix) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

45. क्या बालक किसी अपराध का शिकार है हां/नहीं

46. बालक पर हुए दुर्व्यवहार के प्रकार (जो प्रयोज्य उसे ✓ करें)

(i) मौखिक दुर्व्यवहार – माता-पिता/सहोदर/नियोक्ता/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

(ii) शारीरिक दुर्व्यवहार

(iii) यौन दुर्व्यवहार – माता-पिता/सहोदर/नियोक्ता/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

(iv) अन्य - माता-पिता/सहोदर/नियोक्ता/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

47. बालक पर हुए दुर्व्यवहार के प्रकार (जो प्रयोज्य है उसे ✓ करें)

(i) भोजन न देना – माता-पिता/सहोदर/नियोक्ता/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

(ii) निर्दयता से पिटाई करना - माता-पिता/सहोदर/नियोक्ता/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

(iii) क्षति कारित - माता-पिता/सहोदर/नियोक्ता/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

(iv) निरुद्ध रखना - माता-पिता/सहोदर/नियोक्ता/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

(v) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) - माता-पिता/सहोदर/नियोक्ता/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

48. बालक का शोषण

(i) बिना वेतन दिए काम कराना

(ii) न्यूनतम मजदूरी देकर अधिक काम कराना

(iii) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

49. क्या बालक को लाया गया था अथवा बेचा गया था अथवा उपाप्त किया गया था अथवा किसी दुर्व्यापार हेतु सौदा (अवैध व्यापार) किया गया था? हां/नहीं

50. क्या बालक को भिक्षा मांगने के काम में लगाया गया है? हां/नहीं

51. क्या बालक का इस्तेमाल किसी गिरोह अथवा वयस्कों अथवा वयस्कों के समूह द्वारा अथवा मादक पदार्थ के वितरण के लिये किया जाता है? हां/नहीं

52. पिछला संस्थागत/मामला पूर्ववृत्त और वैयक्तिक देखरेख योजना, यदि कोई हो

53. अपराधकर्ता के ब्यौरे (जैसे कि नाम, आयु, संपर्क नंबर, पते के ब्यौरे, शारीरिक विशेषताएं, परिवार, शामिल मध्यस्थ व्यक्ति के साथ संबंध, क्या उसी गांव से अन्य कोई बालकर्ता के द्वारा भेजा गया है जिससे दुर्व्यवहार किया जाता हो/उत्पीड़ित किया जाता हो, बालक अपराधकर्ता के संपर्क में किस प्रकार आया)

54. अपराधकर्ता के प्रति बालक का रवैया



55. क्या पुलिस को सूचित किया गया है

56. अपराधकर्ता के विरुद्ध की गई कार्रवाई, यदि कोई हो

57. अन्य कोई टिप्पणी

जांच में प्रेक्षण

1. भावनात्मक कारण
2. शारीरिक स्थिति
3. समझ
4. सामाजिक तथा आर्थिक कारण
5. समस्याओं के लिए सुझाए गए कारण
6. मामले का विश्लेषण जिसमें अपराध के कारण/सहयोगी कारण शामिल हैं
7. देखरेख तथा संरक्षण के लिए बालक की जरूरतों के कारण
8. विशेषज्ञ जिनसे परामर्श किया गया, उनकी राय
9. मनःसामाजिक विशेषज्ञ का मूल्यांकन
10. धार्मिक कारण
11. बालक को परिवार को वापिस दिए जाने के लिए, बालक का जोखिम विश्लेषण
12. पिछले संस्थागत/मामले का पूर्ववृत्त और वैयक्तिक देखरेख योजना, यदि कोई हो
13. बालक की मनोवैज्ञानिक सहायता पुनर्वास तथा पुनःएकीकरण के संबंध में बाल कल्याण अधिकारी/मामला वर्कर/सामाजिक वर्कर की सिफारिश तथा सुझाई गई योजना

(हस्ताक्षर)

(नियुक्त किए गए व्यक्ति के)

प्ररूप 23

[नियम 19(22)]

बालक को अभ्यर्पित करने के लिए आवेदन

तारीख.....

सेवा में,

बाल कल्याण समिति

जिला

मैं/हम (आवेदक/कों, का नाम) (बालक के साथ संबंध).... वर्ष की आयु के हैं का अभिप्राय बाल कल्याण समिति के समक्ष (बालक का नाम) को अभ्यर्पित करने का है, क्योंकि..... (अभ्यर्पण के कारण)

मुझे/हमें पूरा संज्ञान है और बाल कल्याण समिति के समक्ष आवेदन कर रहा हूँ/रहे हैं। (बालक का नाम) को अभ्यर्पित करने के निर्णय के निर्णय के लिए मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया है अथवा अनुचित रूप से प्रभावित नहीं किया है। यदि बच्चे को दत्तकग्रहण के लिए दे दिया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। बालक को अभ्यर्पित करने के परिणामों से मैं पूरी तरह अवगत हूँ।

(आवेदक (कों) के पूरे हस्ताक्षर)

अंगूठे का निशान (यदि बाल कल्याण समिति उचित समझती हो)

नाम तथा पता

.....

(अध्यक्ष/सदस्य के हस्ताक्षर)

जिसके समक्ष यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है

समिति का उपस्थित सदस्य :

तारीख.....

समय.....

स्थान.....

प्रपत्र 24

[नियम 19(22)]

बालक अथवा बालकों को अभ्यर्पित करने के लिए व्यक्ति की घोषणा

मामला संख्या

मैं/हम (पारिवारिक नाम/पहला नाम) निवासी..... कारणों से, वर्ष के बालक(नाम) जिसकी जन्म की तारीख है, को अभ्यर्पित करते हैं।

- (ii) मैं/हम अपने बालक अथवा बच्चों को अपनी ओर से बगैर किसी जबरदस्ती, दबाव, धमकी, भुगतान, विचार, किसी प्रकार के मुआवजे के अभ्यर्पित कर रहा हूँ/रहे हैं।
- (iii) मुझे/हमें विवक्षा के बारे में परामर्श दिया गया है और यह जानकारी दी गई है कि मैं/हम इस अभ्यर्पण विलेख के 60 वें दिन तक अपनी सहमति वापिस ले सकता हूँ/सकते हैं, जिसके बाद मेरी/हमारी सहमति अपरिवर्तनीय होगी और मेरा/हमारा बालक/बच्चे पर कोई दावा नहीं होगा।
- (iv) मुझे/हमें अभ्यर्पण की विवक्षाओं के बारे में जानकारी दे दी गई है और इस तथ्य की जानकारी है कि अभ्यर्पण विलेख की तारीख से 60वें दिन के बाद, मेरे/हमारे बालक अथवा बच्चों के बीच मेरे/हमारे कानूनी माता-पिता बालक के संबंध समाप्त कर दिए जाएंगे



- (v) मैं/हम समझता हूँ/समझते हैं कि हमारे बालक का दत्तक ग्रहण भारत में अथवा विदेश में रहने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा किया जाए और इस प्रयोजन हेतु उन्हें मेरी/हमारी सहमति दी जाए
- (vi) मैं/हम समझता हूँ/समझते हैं कि मेरे/हमारे बालक के दत्तक ग्रहण से दत्तक ग्राही माता-पिता(ओं) के साथ स्थायी माता-पिता संबंध स्थापित होंगे और बालक को वापिस लेने को दावा नहीं किया जा सकता।
- (vii) मैं/हम चाहता हूँ/चाहते हैं/नहीं चाहता हूँ/नहीं चाहते हैं (कृपया जो प्रयोज्य हो, उस पर ✓ का निशान लगाएं) अपनी पहचान नहीं चाहता हूँ/चाहते हैं और जब हमारा बालक मूल खोज के लिए लौटता है तो उसे मेरी/हमारा पता न बताया जाए।
- (viii) मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने उपर्युक्त कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है और उन्हें पूरी तरह समझ गए हैं।
.....को..... में किया गया।

(अभ्यर्पित करने वाले व्यक्ति(यों) के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान)

2. साक्षी द्वारा घोषणा

हम अधोहस्ताक्षरी ने उपर्युक्त अभ्यर्पण के लिए गवाही दी है।

(क) : पहले साक्षी के हस्ताक्षर, उसका नाम तथा पता

.....
.....

(ख) : दूसरे साक्षी के हस्ताक्षर, उसका नाम तथा पता

.....
.....

3. बाल कल्याण समिति का प्रमाणन

हम एतद्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि व्यक्ति तथा साक्षी (नाम) अथवा पहचान किए इस तारीख को मेरे समक्ष उपस्थित हुए और इस दस्तावेज को मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षरित किया।

बाल कल्याण समिति के सदस्यों/अध्यक्ष के हस्ताक्षर तथा सील

प्रपत्र – 25

नियम 19(29)

दत्तक ग्रहण के लिए

बालक को कानूनी रूप से दत्तक ग्रहण योग्य घोषित करने संबंधी प्रमाण पत्र

1. किशोर न्याय (बालकों) की देखरेख तथा संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 38 के अधीन..... बाल कल्याण समिति में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए इस समिति के आदेश संख्या तारीख द्वारा विशिष्टता प्राप्त दत्तक ग्रहण एजेंसी/बाल देखरेख संस्था (नाम तथा पता) की देखरेख में रखा गया बाल..... जन्म तिथि को निम्नलिखित के आधार पर कानूनी रूप से दत्तक ग्रहण के योग्य घोषित किया जाता है

- यथास्थिति परिवीक्षा अधिकारी/बाल कल्याण अधिकारी/सामाजिक कार्मिक/मामला कार्मिक/अन्य
- इस समिति के समक्ष (तारीख) के जैविक माता-पिता(ओं) अथवा कानूनी संरक्षक द्वारा निष्पादित अभ्यर्पण का विलेख

- इस आशय से संबंधित जिला बाल कल्याण संरक्षण यूनिट और बाल देखरेख संस्था अथवा विशिष्टता प्राप्त अभिकरण द्वारा प्रस्तुत की गई घोषणा कि उन्होंने अधिनियम की धारा 40(1) के अंतर्गत यथा-अपेक्षित पुनः स्थापन के प्रयास किए हैं, नियम तथा दत्तक ग्रहण विनियम लेकिन उक्त घोषणा की तारीख तक जैविक माता-पिता अथवा कानूनी संरक्षक के रूप में किसी ने उनसे बालका दावा करने के लिए संपर्क नहीं किया है।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि

जैविक माता-पिता/कानूनी संरक्षक, जहां उपलब्ध हो, को उनकी सहमति के प्रभाव से अवगत कराते हुए परामर्श दिया गया है जिसमें बालक का स्थापन अथवा दत्तक ग्रहण भी शामिल हैं, जिसके परिणामस्वरूप बालक और उसके मूल परिवार के बीच कानूनी संबंध समाप्त हो जाएगा।

जैविक माता-पिता/कानूनी संरक्षक ने अपनी-अपनी सहमति, अपेक्षित विधिक प्रपत्र में मुक्त रूप से दी है और ये सहमतियां किसी भी प्रकार के भुगतान अथवा मुआवजे से प्रेरित नहीं हैं और माता की सहमति (जहां लागू हो) बालक के जन्म के बाद ही दी गई है।

विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण/बाल देखरेख संस्था, जिसे उक्त बच्चे की जिम्मेदारी सौंपी गई है, केयरिंग्स में बच्चों का फोटोग्राफ तथा अन्य आवश्यक व्यौरे भेजेगी तथा अधिनियम एवं दत्तक ग्रहण के विनियमों में विहित प्रक्रिया के अनुसार ऐसे बच्चों को दत्तक ग्रहण में रखेगी।

हस्ताक्षर

समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य

(बाल कल्याण समिति की मुहर)

तारीख :

स्थान :

सेवा में : संबंधित बाल देखरेख संस्था/विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसी/जिला बाल संरक्षण इकाई –सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु

प्रपत्र 26

[नियम 20(1)]

समिति द्वारा मामले की मॉनीटरी के लिए प्रमाण पत्र

मामले की मॉनीटरी के लिए प्रमाण पत्र

(एक से अधिक बालक होने पर अलग कागज़ का प्रयोग किया जाए)

बाल कल्याण समिति, जिला

मामला सं के संबंध में।

मामले का नाम:

पुलिस थाना.....	तिथि.....
धाराएं:.....	प्र.सू.रि. /जीडी/डीडी सं.
परिवीक्षा अधिकारी का नाम	जांच अधिकारी का नाम.....

बालक की विशिष्टियां

नाम	माता-पिता/ संरक्षक, संपर्क फोन नं. सहित	वर्तमान पता	स्थायी पता

--	--	--	--



समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की तिथि एवं समय
प्रथम बार प्रस्तुत करने की तिथि एवं समय
दं.प्र.स. की धारा 54 के अधीन चिकित्सा जांच की तिथि(यदि कोई हो)
आयु निर्धारण अपराध की तिथि को आयु निर्धारण की तिथि:- आयु निर्धारण में लिया गया समय :- निर्धारणकर्ता समिति समिति वह साक्ष्य जिस पर निर्भर किया गया है : दस्तावेज चिकित्सा

बालक का स्थापन	
बाल गृहों में	के पर्यवेक्षण में भेजा गया (संस्थान का नाम)
.....सेतक.	

जांच प्रगति

(मामले के निपटान के लिए प्रथम पेशी के दिन की समय अनुसूची)

कार्रवाई	निर्धारित तिथि	वास्तविक तिथि
आयु निर्धारण	तारीख	
सामाजिक जांच रिपोर्ट (प्रपत्र सं.22)	तारीख	
आगामी जांच के उपबंधों पर रिपोर्ट, यदि कोई हो	तारीख	
बालक का वचन	तारीख	
पृथक देखरेख योजना (सांस्थानिक देखरेख अधीन बच्चे के मामले में, प्रवेश के एक माह के भीतर, पृथक देखभाल योजना तैयार की जाए।	तारीख	
निपटान(अंतिम)आदेश	तारीख	
निपटान आदेश के पश्चात समीक्षा	तारीख	

हस्ताक्षरकर्ता
बाल कल्याण समिति

प्रपत्र 27

[नियम 21(2) और 22 (2)]

किशोर न्याय (बाल देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत

बाल देखरेख संस्थान के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र



1. बाल देखरेख संस्थान का प्रस्ताव करने वाले आवेदक/संस्थान का विवरण:

- I. संस्था का प्रकार
- II. संस्था/संगठन का नाम
- III. सुसंगत अधिनियम के अधीन संस्थान/संगठन के पंजीकरण की तिथि और संख्या (संलग्न करें—पंजीकरण से तथा संबंधित दस्तावेज और उप-नियम, संस्था का ज्ञापन)
- IV. संस्था/संगठन चलाने के लिए अवधि की वैधता तिथि
- V. आवेदक/संस्थान/संगठन का पूरा पता
- VI. एसटीडी कोड/ दूरभाष संख्या.....
- VII. एसटीडी कोड/ फैक्स संख्या
- VIII. ई-मेल पता
- IX. क्या यह संगठन अखिल भारतीय स्तर का है यदि हां तो अन्य राज्यों में इसकी शाखाओं का पता दें.....
- X. क्या इससे पूर्व संस्था/संगठन का पंजीकरण करने से मना किया गया है ? जी हां/नहीं
- XI. बा.सं.सं. के तौर पर रद्द किये जाने वाले आवेदन की संदर्भ संख्या
(क) मनाही की तारीख.....
(ख) किस विभाग द्वारा पंजीकरण करने के लिए मना किया गया है.....
- XII. बा.सं.सं. के रूप में पंजीकरण न करने के कारण.....

2. प्रस्तावित बाल देखरेख संस्थान का विवरण

- I. प्रस्तावित बाल देखरेख संस्था का नाम
- II. बाल देखरेख संस्था की किस्म/प्रकार.....
- III. बाल देखरेख संस्था या संगठन का पूरा पता स्थान स्थिति सहित
- IV. एसटीडी कोड/ टेलीफोन सं.....
- V. एसटीडी कोड / फैक्स सं.....
- VI. ई-मेल पता

3. पहुंचने का रास्ता (प्रस्तावित बाल देखरेख संस्था का नाम और दूरी):

- I. मुख्य मार्ग
- II. बस स्टैंड.....
- III. रेलवे स्टेशन.....
- IV. कोई अन्य पहचान.....

4. संरचना

- I. कमरों की संख्या(पैमाइश सहित).....
- II. शौचालयों की संख्या(पैमाइश सहित).....
- III. पाकशालाओं की संख्या (पैमाइश सहित)
- IV. चिकित्सा कक्षों की संख्या
- V. भवन के नक्शे की एक प्रति संलग्न करें (भवन की प्रमाणित रुपरेखीय योजना)...
- VI. अप्रत्याशित आपदा से निपटने के लिए किस प्रकार के प्रबंध किए गए हैं?:



- I. आग
- II. भूकंप
- III. कोई अन्य व्यवस्था
- IV. पेय जल का प्रबंध
- V. सफाई और स्वच्छता की व्यवस्था:
- VI. कृमि/कीटाणु नाश/नियंत्रण
- VII. कचरे का निपटान
- VIII. भंडारण क्षेत्र
- IX. कोई अन्य व्यवस्था
- X. किराया करार/ भवन अनुरक्षण आकलन(जो भी लागू हो) (किराया करार की प्रति संलग्न करें)

5. संस्थान/ संगठन की क्षमता

- I. बालकों की संख्या (0-6 वर्ष) गृह में उपस्थित, (यदि कोई हों)
- II. बालकों की संख्या (6-10 वर्ष) गृह में उपस्थित, (यदि कोई हों)
- III. बालकों की संख्या (11-15 वर्ष) गृह में उपस्थित, (यदि कोई हों)
- IV. बालकों की संख्या (16-18 वर्ष) गृह में उपस्थित, (यदि कोई हों)
- V. व्यक्तियों की संख्या (18-21 वर्ष) गृह में उपस्थित, (यदि कोई हों)

6 क्या बाल कल्याण समिति ने किशोर न्याय बोर्ड को संस्थान में उपस्थित बालकों के बारे में सूचना दे दी है हां/नहीं.

7. उपलब्ध सुविधाएं

- I. शिक्षा सुविधा
- II. प्रस्तावित स्वास्थ्य जांच प्रबंध, जांच की आवृत्ति एवं जांच के प्रकार
- III. कोई अन्य सुविधा जो बालकके संपूर्ण विकास पर बुरा प्रभाव डालेगी।

8. स्टाफ व्यवस्था

- I. स्टाफ सूची का ब्यौरा
- II. स्टाफ की शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव
- III. संगठन के साझेदार
- IV. संगठन के प्रभारी का नाम

9. आवेदक की पृष्ठभूमि (संस्था/संगठन)

- I. पिछले 2 वर्षों में संगठन की मुख्य गतिविधियां/क्रियाकलाप
(क) (वार्षिक रिपोर्ट की प्रगति संलग्न करें)
- II. संलग्न फार्म में प्रबंध समिति/शासकीय निकाय के सदस्यों की अध्ययन सूची संलग्न करें (वार्षिक बैठक के संकल्प की प्रति लगाएं)
- III. परिसंपत्तियों की सूची/संगठन की अवसंरचना
- IV. क्या संगठन विदेश सहयोग (नियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत पंजीकृत है (पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करें) पिछले दो वर्षों के दौरान प्राप्त विदेशी सहयोग का विवरण (प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न करें)
- V. पिछले दो वर्षों के दौरान प्राप्त विदेशी सहयोग का ब्यौरा (संबंधित दस्तावेज संलग्न)
- VI. अनुदान सहायता की निधि के अन्य स्रोतों की सूची (यदि कोई हो) स्कीम/परियोजना/उद्देश्य –राशि आदि के साथ पृथक रूप से।
- VII. अभिकरण के वर्तमान बैंक खाता का विवरण, ब्रांच कोड, खाता संख्या सहित
- VIII. क्या अभिकरण प्रस्तावित अनुदान के लिए पृथक खाता खोलने की इच्छुक है ?
- IX. पिछले तीन वर्षों के खातों की प्रतिलिपि संगलन करें। :



I.लेखापरीक्षक की रिपोर्ट
II.आय और व्यय लेखा
III.प्राप्ति एवं भुगतान लेखा
IV.संगठन का तुलन- पत्रक.

मैंने किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 का अध्ययन कर लिया है।

मैं घोषणा करता हूँ कि संगठन से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को इससे पूर्व दण्डित नहीं किया गया है या वह एक किसी अनैतिक कार्य या किसी ऐसे बालक बाल दुर्व्यावहार या बाल श्रम नियोक्ता कार्य में संलग्न रहा है और संगठन को किसी भी समय केंद्र या राज्य सरकार की सूची से बाहर नहीं किया गया है।

.....(संगठन/संस्थान का नाम) ने किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 के अंतर्गत, बाल देखरेख संस्थान के पंजीकरण हेतु सभी अपेक्षाओं की पूर्ति कर दी है।

मैं, इस संबंध में शपथ लेता हूँ कि मैं केन्द्र/राज्य सरकार के अधिनियम, नियमों, दिशानिर्देशों और अधिसूचनाओं में निर्धारित शर्तों का अनुपालन करूँगा।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर :

नाम:.....

पदनाम.....

पता.....

जिला.....

तिथि.....

कार्यालय मुहर:

हस्ताक्षर:

साक्षी नंबर .1:

साक्षी नंबर .2:

प्ररूप 28

[नियम 21(3) और 22 (4)]

पंजीकरण प्रमाणपत्र

(किशोर न्याय अधिनियम की धारा 41 के अधीन)

प्ररूप सं 27 के अनुसार प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने के पश्चात, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 41(1) के अंतर्गत,तारीख से, बाल देखरेख संस्थान के तौर पर.....वर्ष की अवधि तक के लिए वैध पंजीकरण सं प्रदान किया जाता है

.....बालकों की क्षमता वाला यह संस्थान, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 तथा केंद्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर बनाए गए नियमों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा

.....201 कादिन

(हस्ताक्षर)

मुहर

नाम व पदनाम.....

फार्म 29

{ नियम 22(9) }

जि.बा.सं.ई. को मुक्त आश्रय द्वारा प्रस्तुत मासिक रिपोर्ट



1. मुक्त आश्रय का नाम :
2. प्रभारी का नाम :
3. पंजीकरण की संख्या :
4. मुक्त आश्रय का पता :
5. रिपोर्ट की अवधि :
6. को उपलब्ध बच्चों का व्यौरा

क्रम सं.	बाल/ बालिका का नाम	पिता का नाम	बालक/ बालिका का पता, यदि उपलब्ध हो	भर्ती की तारीख	दाखिले के कारण	रहने की अवधि	उपलब्ध सुविधाएं	बा.क .स. के समक्ष पेशी	टिप्पणी, यदि कोई हो

7. माह के दौरान भर्ती हुए बच्चों की कुल संख्या :
8. माह के अंतिम दिन मुक्त आश्रय में बालकों की कुल संख्या :
9. उन बालकों की संख्या जिन्होंने माह के दौरान मुक्त आश्रय की सुविधाओं का उपयोग किया :
10. उन बालकों में से ऐसे बालकों की संख्या जिन्होंने माह के दौरान सेवाओं का उपयोग किया :

हस्ताक्षर
मुक्त आश्रय का प्रभारी

फार्म 30

{नियम 23(9)}

संभावित पालक माता पिता के घर की अध्ययन रिपोर्ट

- पंजीकरण की तारीख -
- आधार कार्ड संख्या: -
- सामाजिक कार्यकर्ता का नाम -
- घर के दौरे की तारीख -

संभावित मात-पिता द्वारा प्रारूप का भाग-1 भरा जाएगा और भाग - II का शेष हिस्सा सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा संभावित गोद लेने वाले/ पालक माता पिता की उपयुक्तता के बारे में अपनी टिप्पणियों के साथ मूल्यांकन रिपोर्ट करने के लिए भरा जाएगा

भाग -I स्व मूल्यांकन

क. संभावित पालक माता-पिता और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में सूचना

पालक माता-पिता का विवरण	
पूरा नाम	
जन्म-तिथि और आयु	
जन्म स्थान	
ई-मेल आई डी सहित पूरा पता (वर्तमान एवं स्थायी पता)	
पहचान साक्ष्य	
धर्म	
भाषा/एं	
विवाह की तारीख	
वर्तमान शैक्षणिक योग्यता	
रोजगार/व्यवसाय	
वर्तमान नियोक्ता /कारोबारी प्रतिष्ठान का नाम एवं पता	
वार्षिक आय	
स्वास्थ्य की स्थिति	

ख. पारिवारिक पृष्ठभूमि संबंधी सूचना

(1) निम्नलिखित सूचनाओं के साथ संभावित पालक माता-पिता की सामाजिक हैसियत और पृष्ठभूमि का संक्षिप्त विवरण दें :

आवेदक/कों के माता-पिता के बारे में ब्यौरा		
	पिता	माता
पूरा नाम		
आयु		
राष्ट्रीयता /नागरिकता		
व्यवसाय		

पूर्व व्यवसाय		
वर्तमान निवास		



- (2) कृपया अपने संबंधित प्रत्येक/सभी बच्चों (गोद लिए / जैविक) के नाम सहित उनके लिंग, शैक्षणिक स्थिति (के.जी. प्रारम्भिक, इत्यादि) और जन्म-तिथि का ब्यौरा देकर निम्नलिखित तालिका को पूरा करें:

बच्चे का नाम	लिंग	जन्म-तिथि	शैक्षणिक स्थिति

- (3) यदि अन्य सदस्य भी रह रहे हों तो कृपया उनके संबंध में निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें :

नाम	संबंध का स्वरूप	आयु	लिंग	व्यवसाय

- (4) कृपया यह वर्णन करें कि आपका पालक देखभाल संबंधी व्यवहार परिवार के सदस्यों (दादा-दादी ,बच्चों, रिश्तेदारों और अन्य लोगों पर) को किस प्रकार से प्रभावित करेगा.

ग. व्यवसाय /रोजगार का ब्यौरा (पिछले 05 वर्ष की व्यावसायिक जीविका) :

पालक पिता			
संगठन	नियोक्ता का ब्यौरा नाम एवं पता	कार्य पद / स्थिति	से तक

पालक माता			
संगठन	नियोक्ता का ब्यौरा नाम एवं पता)	कार्य पद/ स्थिति	से तक



घ वित्तीय स्थिति : (अपनी सभी स्रोतों से आय जैसे बचत, निवेश, खर्च और अन्य देयताओं और ऋण आदि का प्रलेखों सहित संक्षेप में विवरण दें) :

.....

ङ घर और आस पड़ोस का विवरण (घर में जगह की स्थिति का ब्यौरा और पड़ोसियों से संबंध)

(1) आपके घर में कितने कमरे हैं और बच्चे के खेलने की जगह की उपलब्धता बताएं.....

(2) कृपया उस पड़ोस का उल्लेख करें जहां आप रहते हैं और उस पहलु को भी शामिल करें जिसे आप बच्चे के लिए उपयोगी मानते हैं।

च . पालक माता पिता का देखभाल के लिए व्यवहार और प्रयोजन :

(1) कृपया उन शब्दों पर घेरा लगाएं जिन्हें आप उस दृष्टि से सर्वोत्तम मानते हैं कि जिस वजह से पालन-पोषण देखभाल करना चाहते हैं: यदि लागू हो तो एक से अधिक विकल्प पर घेरा लगा सकते हैं. :

क) अपने अन्य बच्चों के लिए साथी उपलब्ध कराना ;

ख) बच्चे को खुशहाल घर देना;

ग) अन्य, कृपया उल्लेख करें

(2) कृपया उस कथन पर घेरा लगाएं जिसे आप उस दृष्टि से सर्वोत्तम मानते हैं कि फोस्टर देखभाल व्यवस्था से आपके अन्य बच्चों के जीवन में सुधार आएगा. यदि लागू हो तो एक से अधिक विकल्प पर घेरा लगा सकते हैं. :

क) वे अकेलापन कम महसूस करेंगे ;

ख) वे अधिक उदार बन सकेंगे

ग) वे अधिक सुस्पष्ट बनेंगे;

घ) लागू नहीं, क्योंकि मेरा कोई अन्य शिशु नहीं है;

ङ) अन्य, कृपया स्पष्ट करें:

छ) पालन-पोषण देखभाल के प्रति दादा-दादी / परिवार के अन्य सदस्यों, रिश्तेदारों एवं महत्वपूर्ण महानुभावों का व्यवहार (पालन-पोषण के प्रति अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों की उस राय का वर्णन करें जो बच्चे के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती हो :



ज. बच्चे के लिए संभावित पालक माता-पिता की भावी योजना और परिवार में पालन-पोषण :

1. कृपया उल्लेख करें कि बच्चे की देखभाल और जीवन की अन्य प्रतिबद्धताओं जैसे काम-काज आदि की कैसे व्यवस्था करेंगे

(2) जब आप कार्य पर हों या परिवार के काम से घर बाहर हों तो बच्चे के देखभाल की जिम्मेदारी कौन लेगा. (घरेलू सहायक, दादा-दादी पत्नी/पति)

(3) कृपया पिता के रूप रूप में स्व अनुशासन दृष्टिकोण का वर्णन करें.

(4) अगर पालन-पोषण बच्चे को परिवार में तालमेल बैठाने में दिक्कत होती है तो परिवार में उस बदलाव को आसान बनाने के लिए किए जाने वाले उपायों का उल्लेख करें

(5) अगर बच्चे को तालमेल बैठाने में दिक्कत बनी रहती है तो क्या आप परिवार के साथ विचार विनिमय करने के लिए तैयार होंगे

क) हां ख) नहीं

(6) क्या आप पोषित बालक के उच्चतर व्यावसायिक अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता हेतु तत्पर हैं?

क) हां ख) नहीं

झ. तैयारी और प्रशिक्षण (विचार-विनिमय के उन सत्रों का व्यौरा दें जो फोस्टर देखभाल, बाल देखभाल, बच्चे की जरूरतों का इंतजाम करने आदि और उनकी क्षमता, ट्रेनिंग और /अथवा उनकी विशेष जरूरतों, यदि कोई हों, सहित पर संभावित पालक माता - पिता द्वारा प्रशिक्षण लिया गया हो

ज. स्वास्थ्य स्थिति (मानसिक/भावात्मक और शारीरिक) कृपया आवेदक/कों, यदि कोई हो, की मानसिक और शारीरिक स्थिति का विवरण दें अगर परिवार के सदस्य किसी विशेष बीमारी, परिस्थिति या सिंड्रोम से ग्रस्त हो तो इस बात का उल्लेख करें कि परिवार किस प्रकार से उसका सामना करता है और यह कैसे प्रस्तावित फोस्टर देखभाल को प्रभावित कर सकता है.

(1) क्या आप या आपकी/आपके पति/पत्नी किसी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त रहे हैं? यदि हां, तो कृपया व्यौरा दें .

(2) क्या आप या आपकी/आपके पति/पत्नी का इस समय मनोवैज्ञानी /मनश्चिकित्सक द्वारा उपचार करा रहे है?

(3) क्या आप इस समय विदित दवाई ले रहे हैं.

(4) क्या इस समय आपके घर में किसी बच्चे की बीमारी का इलाज चल रहा है .

(5) क्या आपके परिवार के सभी सदस्यों की सेहत और अस्पताल में रहने का बीमा है।

संभावित पालक माता-पिता के हस्ताक्षर

तारीख

भाग-II:

सामाजिक कार्यकर्ता की मूल्यांकन रिपोर्ट

(मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा प्रयोग किया जाए)

(अभिकरणों/प्राधिकारियों द्वारा टेम्पलेट में दी गई सूचना/तथ्यों को गोपनीय रखा जाए)

1. तथ्यात्मक मूल्यांकन

1. क्या आपने भाग-1 के टेम्पलेट में वर्णित तथ्यों/विषयवस्तु की जांच कर ली है?

a. हां/नहीं

2. क्या आप प्रलेखों में वर्णित तथ्यों के बारे में और दौरे व साक्षात्कार के समय टिप्पणियों से संतुष्ट हैं?

हां/नहीं

2. मनःसामाजिक मूल्यांकन :

I. संभावित पालक माता-पिता से विचार-विमर्श

II. क्या आपने संभावित पालक माता-पिता से अलग-अलग और संयुक्त रूप से विचार-विमर्श किया है?

III. क्या संभावित पालक माता-पिता बच्चे का पालन-पोषण करने के लिए भली भांति तैयार है?

2.2 घर के दौरे के निष्कर्ष

I. संभावित पालक माता-पिता के घर का आपने कब दौरा किया था? और आपके दौरे के समय कौन-कौन सदस्य उपस्थित थे ?

II. घर के दौरे के दौरान आपने किस-किस से विचार-विमर्श किया था?

III. क्या आपने किसी पड़ोसी/रिश्तेदार से मुलाकात की? विचार-विमर्श के बारे में विस्तृत विवरण दें.

IV. क्या बच्चे के लिए घर का वातावरण प्रेरणात्मक है?

V. क्या संभावित पालक माता-पिता पालन-पोषण करने के लिए भली-भांति तैयार हैं?

VI. क्या संभावित पालक माता-पिता को बच्चे को गोद लेने या किसी अन्य मुद्दे के बारे में कोई संदेह है? क्या आपने उनके संदेहों का निवारण कर दिया है ?

2.3 पारिवारिक सदस्यों से विचार-विमर्श

I. क्या आपने संभावित पालक माता-पिता के परिवार के अन्य सदस्यों से विचार-विमर्श किया है ? उनकी प्रस्तावित पालक देखभाल के बारे में क्या राय है ? क्या वे पालक देखभाल व्यवस्था के बारे में सकारात्मक हैं?

II. क्या परिवार में कोई अन्य सदस्य है/हैं जिनसे आप बातचीत नहीं कर सके और वह प्रस्तावित पालन पोषण में बहुत बेहतर भूमिका निभा सकता था। यदि ऐसा है तो आपकी कैसी बातचीत रही ? उनके विचार आप अपनी योजना में लेना चाहेंगे

III. क्या आपने घर में उपस्थित बड़े बच्चों के साथ पालन-पोषण करने वाले भावी माता-पिता के बारे में बातचीत की है? यदि हां तो उसका विवरण दें।

IV. क्या आपने परिवार के सदस्यों में प्रतिकूल टिप्पणियां तो नहीं सुनीं? यदि हां तो पालन-पालन प्रक्रिया में उनका कितना प्रभाव पड़ सकता है?

2.4 वित्तीय क्षमता

I. पालन-पोषण करने वाले भावी माता-पिता की वित्तीय स्थिति के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या वे वित्तीय दृष्टि से एक अन्य सदस्य को अपने परिवार में शामिल करने में सक्षम हैं?



- II. क्या आपने इस अवस्था में कोई संदेहास्पद हुई वित्तीय स्थिति पायी? क्या आप उनके लिए किसी वित्तीय सहायता की सिफारिश करते हैं?

2.5 शारीरिक एवं भावनात्मक क्षमता

- I. क्या पालन-पोषण करने वाले भावी माता-पिता, बालककी देखभाल करने में शारीरिक एवं भावात्मक दृष्टि से सक्षम हैं?
- II. क्या पालन-पोषण करने वाले भावी माता-पिता या परिवार के किसी अन्य सदस्य में शारीरिक या मानसिक तौर पर कोई ऐसी बात की है जिससे संबंधित बालपर कोई बुरा प्रभाव पड़ने वाला हो? यदि हां तो उसका विवरण दें।
- III. क्या पालन-पोषण करने वाले भावी माता-पिता, बालककी देखभाल करने में भावात्मक दृष्टिकोण से पूरी तरह तैयार हैं?

3. पालन-पोषण के लिए सिफारिश

3.1 क्या देखभाल करने के लिए आप पालन-पोषण करने वाले भावी माता-पिता की सिफारिश करते हैं। पालन-पोषण करने वाले माता-पिता के लिए सिफारिश संबंधी अपने विचार और तर्क का उल्लेख करें।

3.2 यदि आप, देखभाल करने के लिए पालन-पोषण करने वाले भावी माता-पिता की सिफारिश नहीं करते हैं तो इस निष्कर्ष/निर्णय का उचित कारण बताएं।

हस्ताक्षर, नाम, पदनाम, और सरकारी मुहर

फार्म 31

[नियम 23(4)]

बाल अध्ययन रिपोर्ट

बाल अध्ययन रिपोर्ट

क्र.सं.	मद	प्रत्युत्तर
1	मूल्यांकन की तारीख	
2	निर्दिष्ट करने का स्रोत	
3	बालक का फोटोग्राफ जिसे समय-समय पर अद्यतन किया जाएगा	
बालक का व्यौरा		
4	बालक का नाम	
5	जन्मतिथि	
6	जन्म का स्थान	
7	आयु	
8	राष्ट्रियता	

9	धर्म	
10	शिक्षा	
11	मातृभाषा	
12	वर्तमान पता	
13	आधार कार्ड संख्या	
14	संपर्क ब्यौरा क) लैंड लाइन ख) मोबाइल	
15	स्थापन विवरण यदि बालसंस्था से है क) स्थापन की तारीख ख) बालक का नाम एवं स्थायी पता ग) परिवार छोड़ने का कारण	बालक का दत्तकग्रहण नहीं किया गया है
16	स्थापन का कारण यदि बालसंस्थान से है	माता अथवा माता-पिता दोनों कारागार में हैं माता-पिता चिरकालिक बीमारी से पीड़ित हैं निष्क्रिय परिवार (अर्थात् मादक पदार्थों का दुरुपयोग, घरेलू हिंसा आदि) माता-पिता अलग होने की प्रक्रिया में हैं माता-पिता कानूनी अभिरक्षा के विवाद की प्रक्रिया में हैं प्राकृतिक आपदा अन्य

मैं सामाजिक कार्यकर्ता प्रमाणित करता हूँ कि बाल.....के बारे में इस प्ररूप में दी गई सूचना सही है।

हस्ताक्षर :

स्थान :

नाम :

तारीख :

पदनाम :

प्ररूप 32

[नियम 23(15)]

परिवार में पालन-पोषण संबंधी देखभाल अथवा सामूहिक पालन पोषण संबंधी देखभाल का आदेश



श्री तथा श्रीमती का पुत्र/पुत्री (नाम एवं पता) जिसकी आयु लगभग है, को किसी परिवार की देखरेख तथा संरक्षण की जरूरत है। श्री तथा श्रीमती निवासी (पूरा पता एवं संपर्क नम्बर) को वैयक्तिक देखरेख योजना, बाल अध्ययन रिपोर्ट और गृह अध्ययन रिपोर्ट पर विचार करने के बाद पालन पोषण संबंधी देखभाल स्थापन के लिए उपयुक्त घोषित किया जाता है।

अथवा

बाल देखरेख संस्था (नाम एवं पता) को वैयक्तिक देखरेख योजना और बाल अध्ययन रिपोर्ट पर विचार करने के बाद पालन पोषण संबंधी देखभाल स्थापन के लिए उपयुक्त घोषित किया जाता है।

बाल (नाम) को उक्त बाल कल्याण अधिकारी/सामाजिक कार्यकर्ता (नाम तथा संपर्क नम्बर) की देखरेख में अवधि के लिए पालन पोषण देखभाल में स्थापन किया जाता है।

अध्यक्ष/ सदस्य

बाल कल्याण समिति

प्ररूप 33

[नियम 23(16)]

पालन पोषण करने वाले परिवार/सामूहिक पालन पोषण देखभाल करने वाले संगठन द्वारा वचनबंध

मैं/हम निवासी, मकान नं. गली गांव/शहर जिला राज्य/ संगठन द्वारा (पता) पर चलाए जा रहे पालन पोषण देखरेख गृह से संबद्ध देखरेख प्रदाता एतद्वारा घोषित करता/करती हूँ/करते हैं कि मैं/हम निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों के अधीन बाल कल्याण समिति के आदेशों के अनुसार (बालक का नाम) आयु की देखरेख का दायित्व संभालने का/की इच्छुक हूँ/के इच्छुक हूँ :

I. यदि बालक का आचरण असंतोषजनक हुआ तो मैं/हम तत्काल समिति को सूचित करूंगा/करूंगी/करेंगे।

II. जब तक यह बालक मेरी/हमारी देखरेख में रहेगा तब तक मैं/हम उसके कल्याण एवं शिक्षा के लिए यथासंभव प्रयास करूंगा/ करूंगी/ करेंगे और उसके समुचित देखरेख की व्यवस्था करूंगा/ करूंगी/ करेंगे।

III. उसके रोग ग्रस्त होने पर उसका निकटवर्ती अस्पताल में समुचित उपचार कराया जाएगा और समिति के समक्ष इसकी रिपोर्ट और उसके स्वस्थ होने की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

IV. मैं/हम पते में कोई परिवर्तन के बारे में समिति को सूचित करूंगा/करूंगी/करेंगे।

V. मैं/हम यह सुनिश्चित करने का यथासंभव प्रयास करूंगा/करूंगी/करेंगे कि बालक के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न हो।

VI. मैं/हम समिति द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करने के लिए सहमति देता/देती हूँ/देते हैं।

VII. मैं/हम, जब कभी आवश्यक होगा बालक को समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का वचन देता/देती हूँ/देते हैं।

VIII. मैं/हम बालक के मेरे प्रभार अथवा नियंत्रण से बाहर जाने पर समिति को तत्काल सूचित करने का वचन देता/देती हूँ/देते हैं।

..... तारीख माह

दो गवाहों के हस्ताक्षर और पता

आवेदक (कों) के हस्ताक्षर

(मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए)

अध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समिति

प्ररूप 34

[नियम 23(17)]



पालन पोषण देखरेख में बालक का अभिलेख

क) मामला सं.

ख) बालक का नाम.....

ग) आयु.....

घ) लिंग.....

ड.) बाल देखरेख संस्था का नाम व पता, यदि कोई हो, जहां से बालक को पालन पोषण देखरेख में दिया गया है

.....

च) वैयक्तिक देखरेख योजना

छ) निर्दिष्ट करने का कोई अन्य स्रोत.....

ज) पालन पोषण देखरेख में स्थापन किए गए बालक का फोटो सहित ब्यौरा, पालन पोषण देखरेख प्रदाता/माता-पिता, जैविक माता-पिता, यदि उपलब्ध हो, का ब्यौरा

झ) स्थापन का ब्यौरा – स्थापन की तारीख एवं अवधि सहित व्यक्तिगत अथवा सामूहिक देखरेख

ञ) जहां कहीं लागू हो फोटो सहित जैविक परिवार की गृह अध्ययन रिपोर्ट

ट) फोटो सहित पारिवारिक – व्यक्तिगत अथवा सामूहिक पालन पोषण देखरेख की गृह अध्ययन रिपोर्ट

ठ) बाल अध्ययन रिपोर्ट

ड) बाल कल्याण समिति का पता

ढ) बालक को पालन पोषण देखरेख में स्थापन करने वाली समिति के आदेश का विवरण

ण) बालक, पालन पोषण करने वाले परिवार, जैविक परिवार, यदि उपलब्ध हो, के साथ किए गए प्रत्येक दौर के अभिलेख (संख्या एवं प्रमुख विवरण)

त) निगरानी, देखरेख योजना के अनुपालन की सीमा एवं गुणवत्ता, बाल विकास के महत्वपूर्ण लक्ष्य बालक की शैक्षिक प्रगति और पारिवारिक वातावरण में कोई परिवर्तन सहित स्थापन की सभी समीक्षाओं का रिकार्ड

थ) स्थापन के विस्तार अथवा समाप्ति के मामले में, समाप्ति की तारीख एवं कारण का रिकार्ड

द) पालन पोषण करने वाले परिवार को बच्चे को देने की तारीख :

ध) प्रदान की गई वित्तीय सहायता, यदि कोई हो

न) नियुक्त किए गए मामला कार्यकर्ता का नाम

प्ररूप 35

[नियम 23(18)]

पालन पोषण करने वाले परिवारों/समूह पालन पोषण देखरेख का मासिक निरीक्षण
(जो लागू हो उसे भरें)



निरीक्षण की तारीख :

क) नाम :

ख) जन्मतिथि एवं आयु :

ग) लिंग

घ) नियोजन की तारीख

1. पालन पोषण करने वाले माता-पिता का व्यौरा

क) पालन पोषण करने वाले माता-पिता का नाम

ख) पता

ग) संपर्क व्यौरा

i) लैंडलाइन :

ii) मोबाइल :

घ) आधार कार्ड संख्या :

ड.) माता-पिता का फोटो

(नवीनतम फोटो

(नवीनतम फोटो

लगाएं)

लगाएं)

3. पोषक बालक के साथ बातचीत

क)	परिवार का एक हिस्सा होते हुए बालकका अनुभव (क्या बालककी शारीरिक, भावनात्मक एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित देखभाल हुई है, के संदर्भ में) वर्णन करें। I. स्वास्थ्य संसूचक क) स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति ख) अस्वस्थता का कोई अभिलेख ग) बालकका किया जा रहा कोई अन्य उपचार II. भावनात्मक	प्रसन्न एवं सुसमंजित समंजन की प्रक्रिया में कुसमंजित
ख)	बालक अपने अध्ययन में कैसा निष्पादन कर रहा है? (i) बालक द्वारा पिछली परीक्षा में प्राप्त किए गए	



	ग्रेड/अंकों के संदर्भ में जांच करें, (ii) पालन पोषण करने वाले माता-पिता बालक से उसके अध्ययन, अतिरिक्त सहगामी क्रियाओं के बारे में नियमित वार्तालाप करते हैं, (iii) क्या वे अभिभावक शिक्षक संघ की बैठकों में भाग लेते हैं?	हां नहीं कभी-कभी हां नहीं कभी-कभी
ग)	i) माता-पिता (पालन-पोषण करने वाले) बालक के साथ अकेले अथवा अपने स्वयं के बच्चों के साथ कितना समय बिताते हैं। ii) वे परिवार के रूप में एक साथ समय कैसे और किस लिए बिताते हैं? iii) क्या पोषक बालक पालन-पोषण करने वाले माता-पिता के साथ उन समस्याओं को साझा करता है जिनको वह या तो घर पर, स्कूल में, पड़ोस में सामना कर रहा है या भावनात्मक रूप से खुश नहीं है?	वार्तालाप करते समय भोजन करते समय खेलते समय टीवी देखते समय स्कूल जाते समय साथ-साथ गृह कार्य करते समय अन्य (उल्लेख करें) हां नहीं कभी-कभी
घ)	क्या बालक को पालन-पोषण करने वाले माता-पिता के बच्चों से समर्थन मिलता है? (क्या वे आपस में एक दूसरे की सहायता करते हैं)	हां नहीं
ड.)	क्या ऐसी कोई घटना घटित हुई है जो पोषक बालक को उसके प्रति भेदभाव महसूस कराती हो?	हां नहीं
च)	क्या कोई ऐसी घटना/घटनाएं हुई हैं जिसने तुम्हें असहज बना दिया हो?	हां नहीं
	i) वह तरीका जिससे आपको पालन-पोषण करने वाले माता-पिता/बड़े भाई-बहन/किसी अन्य सदस्य ने छुआ हो।	हां नहीं
	ii) वार्तालाप जो पालन-पोषण करने वाले माता-पिता/बड़े भाई-बहन/किसी अन्य सदस्य ने आपके साथ किया हो।	हां नहीं
	iii) कोई सामग्री-दृश्य/मुद्रित, जिसे आपको देखने अथवा पढ़ने के लिए बाध्य किया गया हो।	हां नहीं
	iv) क्या आपके साथ किसी भी समय यौन प्रहार अथवा दुर्व्यवहार किया था?*	हां नहीं

	*यदि उत्तर “हां” में है, बालक को हटाने के लिए तत्काल उपाय किए जाने चाहिए और उसे सुरक्षा के स्थान पर भेजा जाए और बालक को चिकित्सा एवं मनो-सामाजिक उपचार दिया जाए। ** पालन पोषण देखरेख प्रदान करने वालों और अभिभावकों के विरुद्ध निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाए। ***क्या उसी प्रकार का व्यवहार उनके जैविक बालक के साथ भी किया जा रहा है? तो जैविक बालक को भी देखरेख और संरक्षण का जरूरतमंद बालक माना जाए और उचित कार्रवाई की जाए।	हां	नहीं
छ)	क्या बालक अपने मूल परिवार के साथ संपर्क रखता है (टेलीफोन, पत्रों, दौरे के द्वारा)। उल्लेख करें	हां	नहीं
ज)	क्या आपको पालन-पोषण करने वाले माता-पिता द्वारा किसी भी समय पीटा गया है?	हां	नहीं
झ)	क्या आपके साथ इस तरीके से बात की गई है कि आप अपमानित महसूस करते हैं?	हां	नहीं
ञ)	क्या आपसे घरेलू काम कराया जाता है?	हां	नहीं
ट)	क्या पालन-पोषण करने वाले माता-पिता के जैविक बच्चों से भी वही घरेलू काम कराया जाता है?	हां	नहीं

5. पालन-पोषण करने वाले माता-पिता के साथ बातचीत

क)	परिवार में बालक के व्यवहार (भावनात्मक हित) के बारे में माता-पिता के विचार	प्रसन्न एवं सुसंयोजित समंजन की प्रक्रिया में कुसंयोजन
ख)	घर और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ उसके समंजन के बारे में धारणा	प्रसन्न एवं सुसंयोजित समंजन की प्रक्रिया में कुसंयोजन
ग)	आप बालक को अनुशासित कैसे बनाते हैं?	बालक को समझाकर डांटकर, दंड देकर

घ)	व्यवहार की क्या विशेषताएं हैं जो चिंता का विषय हैं और आप अभिभावक के रूप में उनसे कैसे निपटते हैं?	बालक को पीटकर अन्य तरीके (उल्लेख करें) सहयोग का अभाव समंजन का अभाव अंतर्मुखी आक्रामक अभिव्यक्तिशील न होना कोई अन्य
ड.)	क्या आप पोषक बालक और जैविक बच्चों के साथ समय बिताते हैं? विवरण दें।	हां नहीं कभी-कभी
च)	बालक की शिक्षा एवं अन्य प्रतिभाओं की प्रगति के बारे में विचार i) बालक स्कूल में अच्छा कर रहा है ii) यदि बालक स्कूल में अच्छा नहीं कर रहा है, क्या आपने क) बालक से ख) स्कूल के शिक्षक से कारणों का पता लगाया है iii) क्या आप अभिभावक शिक्षक संघ की बैठकों में भाग लेते हैं?	हां नहीं हां नहीं हां नहीं कभी-कभी
छ)	क्या पालन-पोषण करने वाले माता-पिता बालक की ओर से निर्णय लेते समय उससे परामर्श करते हैं?	हां नहीं कभी-कभी
ज)	बालक पालन-पोषण करने वाले माता-पिता के निर्णयों के प्रति अपनी स्वीकृति/अस्वीकृति कैसे दर्शाता है?	प्रसन्नता से निर्णय स्वीकार करना निर्णय स्वीकार करना लेकिन अप्रसन्न रहना निर्णय स्वीकार करने से मना करना और आक्रामक व्यवहार दिखाना
झ)	क्या पालन-पोषण करने वाले माता-पिता बालक के सामाजिक नेटवर्क के बारे में जानते हैं?	हां नहीं
ञ)	पड़ोसियों, स्कूल के दोस्तों एवं शिक्षकों के साथ बालक के सामाजिक संबंध के बारे में विचार	अच्छी एवं नियमित बातचीत आवधिक बातचीत
ट)	बालक के लिए उनकी क्या योजना है? (लिखी जाए)	

ठ)	क्या पोषक बालक अपने मूल परिवार के साथ संपर्क रखता है? (टेलीफोन, पत्रों, भ्रमण के द्वारा)। उल्लेख करें।	हां नहीं कभी-कभी
ड)	पोषक बालक के बैंक खाते का अभिभावक के रूप में कौन देखभाल करता है?	



6. पालन-पोषण करने वाले माता-पिता के जैविक बच्चों के साथ बातचीत :

क)	ऐसे कार्य जो वे पोषक बालक के साथ करते हैं	भोजन करना खेलना टीवी देखना स्कूल जाना गृह कार्य साथ करना
ख)	क्या वे आपस में और पोषक बालक के साथ झगड़ा करते हैं? यदि हां, कितनी बार, किन मुद्दों पर और वे इसे कैसे हल करते हैं। कृपया लिखें।	हां नहीं कभी-कभी
ग)	आप कैसा अनुभव करते हैं जब आपके माता-पिता पोषक बालक के प्रति प्यार, दुलार एवं अपनापन दिखाते हैं?	प्रसन्न अप्रसन्न गुस्सा ईर्ष्या

7. स्कूल के शिक्षकों के साथ बातचीत :

क)	स्कूल में बालक के शैक्षणिक निष्पादन के बारे में सूचना (यह देखने के लिए कि बालक ने कोई प्रगति की है प्रगति कार्ड के साथ सत्यापित करें)	अच्छा उचित संतोषजनक खराब
ख)	शिक्षक की टिप्पणी : यदि बालक ने उसके पालन-पोषण करने वाले माता-पिता के साथ समंजन कर लिया है	प्रसन्न एवं सुसमंजित समंजन की प्रक्रिया में कुसमंजित

ग)	क्या पालन-पोषण करने वाले माता-पिता अभिभावक शिक्षक बैठकों में भाग लेते हैं?	हां कभी-कभी	नहीं
घ)	क्या वे बालक की पढ़ाई में रुचि रखते हैं? (उसकी अकादमिक उपलब्धियां, शिक्षकों एवं सहपाठियों के साथ उसके संबंधों के बारे में पूछकर)	हां उदासीन	नहीं
ड.)	स्कूल में बालक के व्यवहार के बारे में टिप्पणी (शिक्षकों, सहपाठियों के साथ उसके संबंध)	प्रसन्न एवं सुसमंजित समंजन की प्रक्रिया में कुसमंजित	
च)	स्कूल में बालक के कोई चिंता। यदि हां, तो ब्यौरा दें।		



8. जन्मदाता माता-पिता के साथ बातचीत :

क)	क्या जन्मदाता माता-पिता ने अपने बालक के साथ संपर्क बनाए रखा है (टेलीफोन पर बातचीत, पत्रों एवं दौरो के द्वारा)? कितने अंतराल पर?	हां कभी-कभी	नहीं
ख)	क्या बालक उनसे मिलकर प्रसन्न था?	हां उनसे मुलाकात के समय अशांत	नहीं
ग)	क्या बालक ने उनके समक्ष पोषण उसके देखरेख कर्ताओं/अभिभावकों/परिवार के बारे में कोई मुद्दा उठाया था?	हां	नहीं
घ)	क्या उनकी बालक के हितों के बारे में पालन-पोषण करने वाले परिवार के साथ कोई बातचीत हुई है?	हां कभी-कभी	नहीं
ड.)	बालक को वापस प्राप्त करने के लिए परिवार की स्थिति	परिवार इच्छुक है और बालक को वापस प्राप्त करने की स्थिति में है। परिवार अनिच्छुक है और बालक को वापस प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है। परिवार बालक को वापस प्राप्त करने का अनिच्छुक है।	
च)	पालन-पोषण देखरेखकर्ताओं से बालक को वापस प्राप्त करने के लिए उन्हें सहायता देने में सरकार अथवा किसी अन्य अभिकरण से कोई सहायता प्राप्त हुई है (यदि हां, तो ब्यौरा दें)	हां	नहीं

9. पड़ोसियों के साथ बातचीत

क)	पड़ोसी द्वारा किसी बालक के पालन-पोषण करने के बारे में जानकारी	हां	नहीं
ख)	पालन-पोषण करने वाले परिवार का बालक के प्रति मनोवृत्ति एवं व्यवहार के बारे में सूचना	सकारात्मक एवं प्रसन्न उदासीन मनोवृत्ति नकारात्मक मनोवृत्ति पोषक बालक के प्रति दुर्व्यवहार	
ग)	परिवार के सदस्यों और पोषक बालक अथवा पड़ोस एवं पोषक बालक के बीच कोई झगड़ा अथवा मुद्दा देखा गया (यदि हां, तो ब्यौरा दें)	हां	नहीं

द्वारा तैयार

हस्ताक्षर

प्ररूप 36

[नियम 24(5)]

प्रायोजक के स्थापन का आदेश

श्री..... तथा/अथवा श्रीमती.....का/की पुत्र अथवा पुत्री को शिक्षा/स्वास्थ्य/पोषण/अन्य विकासात्मक जरूरतों (कृपया विनिर्दिष्ट करें) हेतु प्रायोजक सहायता की जरूरत वाले बालक के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है। जिला बालक संरक्षण इकाई को एतद्वारा उक्त बालक को(दिवसों/मास) की अवधि के लिए एक बार की प्रायोजक सहायता के रूप मेंरुपये प्रति मास/.....रुपये निर्मुक्त करने और आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए और उक्त प्रयोजन के लिए बालक के नामपर एक बैंक खाता खोलने जिसका संचालन..... किया जाएगा, का निदेश दिया जाता है।

बाल न्यायालय/मुख्य मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड

अध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समिति

प्ररूप 37

[नियम 25(2)]

उत्तरवर्ती देखभाल के लिए सपुर्दगी आदेश

.....(बालक का नाम) सुपुत्र/सुपुत्री श्री , दिनांककोवर्ष की आयु पूरी कर लेगा। पुनर्वास और पुनर्समेकन तथा विशेष रूप से.....(उद्देश्य/प्रयोजन) हेतु उत्तरवर्ती देखभाल के लिए उसे,..... (संगठन का नाम) के सपुर्द किया जाता है। संगठन के प्रभारी को निदेश दिए जाते हैं कि वह बालक/बालिका की देखभाल करे तथा उसे उसके पुनर्वास व पुनर्समेकन के लिए गंभीरतापूर्वक सभी अवसर प्रदान करे। बालक/बालिका को ऐसे अवसर केवल 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक या समाज में पुनःसमेकन होने तक जो भी पहले हो, प्रदान किए जाएंगे। संगठन प्रभारी, बाल/किशोर/किशोरी की स्थिति की अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट बाल कल्याण समिति को भेजेगा।

राज्य/जिला बाल देखरेख इकाई को निदेश दिए जाते हैं कि उक्त व्यक्ति की,(दिन/माह) तक देख भाल के लिए तथा उपर्युक्त प्रयोजन हेतु आवश्यक अनुवर्ती कार्यों के लिए,उपर्युक्त व्यक्ति के नाम बैंक में खाता खोलेगा।

बाल न्यायालय/मुख्य मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड/

अध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समिति

प्रतिलिपि: राज्य/जिला बाल संरक्षण इकाई या राज्य सरकार का संबंधित विभाग

प्ररूप 38

[नियम 27(2)]

सामूहिक पालन-पोषण देखरेख सहित सही सुविधा हेतु आवेदन

1.	संस्था/अभिकरण/संगठन का ब्यौरा जो सही सुविधा के रूप में मान्यता प्राप्त करना चाहता है	
1.क	संस्था/अभिकरण/संगठन का नाम	
1.ख	प्रासंगिक अधिनियम के अंतर्गत संस्था/संगठन की पंजीकरण संख्या और पंजीकरण की तारीख (पंजीकरण के प्रासंगिक दस्तावेज़, उपनियम, संघ का ज्ञापन संलग्न करें)	
1.ग	आवेदन/संस्था/संगठन का पूरा पता	
1.घ	एसटीडी कोड/ टेलीफोन नम्बर	
1.ङ.	एसटीडी कोड/फैक्स नम्बर	
1.च	ई-मेल का पता	
1.छ	क्या संगठन अखिल भारतीय स्तर का है, यदि हां तो अन्य राज्यों में अपनी शाखाओं के पते दें	
1.ज	क्या संगठन को पहले मान्यता देना अस्वीकृत कर दिया गया था? यदि हां I. आवेदन का संदर्भ नम्बर जिसके फलस्वरूप मान्यता अस्वीकृत कर दी गई थी II. अस्वीकरण की तारीख III. किसने मान्यता अस्वीकृत की थी IV. मान्यता अस्वीकृत करने के कारण	
2.	प्रस्तावित सही सुविधा का ब्यौरा :	
2.क	प्रस्तावित सही सुविधा का पूरा पता/स्थान	
2.ख	एसटीडी कोड/ टेलीफोन नम्बर	
2.ग	एसटीडी कोड/फैक्स नम्बर	
2.घ	ई-मेल	
3.	संपर्क (नाम और प्रस्तावित सही सुविधा से दूरी):	
3.क	मुख्य सड़क	
3.ख	बस-स्टैंड	
3.ग	रेलवे स्टेशन	
3.घ	कोई अन्य निशान	
4.	अवसंरचना :	
4.क	कमरों की संख्या (माप के साथ उल्लेख करें)	
4.ख	शौचालयों की संख्या (माप के साथ उल्लेख करें)	
4.ग	रसोई घरों की संख्या (माप के साथ उल्लेख करें)	

4.घ	रोगी कक्षों की संख्या	
4.ड.	भवन के ब्लू प्रिंट की प्रति संलग्न करें (भवन का प्रामाणित नक्शा)	
4.च	अप्रत्याशित आपदाओं से निपटने के लिए व्यवस्था, व्यवस्था के प्रकार का भी उल्लेख किया जाए : I. आग II. भूकंप III. कोई अन्य व्यवस्था	
4.छ	पेयजल की व्यवस्था लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग (पीएचई) विभाग का प्रमाण पत्र संलग्न करें	
4.ज	साफ-सफाई एवं स्वच्छता बनाए रखने के लिए व्यवस्था : I. कीट नियंत्रण II. कचरा निस्तारण III. भण्डारण क्षेत्र IV. कोई अन्य व्यवस्था	
4.झ	किराया करारनामा/भवन अनुरक्षण (जो भी लागू हो) (किराया करारनामा की प्रति संलग्न करें)	
5.	सही सुविधा की क्षमता	
6.	उपलब्ध सुविधाएं (उस प्रयोजन पर निर्भर करेंगी जिसके लिए सही सुविधा के रूप में मान्यता दी जानी है)	
6.ग	कोई अन्य सुविधा जो बालक के समग्र विकास पर प्रभाव डालेगी	
7.	कर्मचारी	
7.क	कर्मचारियों की विस्तृत सूची	
7.ख	भागीदार संगठन का नाम	
8.	आवेदक की पृष्ठभूमि	
8.क	पिछले दो वर्षों के दौरान संगठन के महत्वपूर्ण कार्यकलाप	
8.ख	संलग्न प्रारूप में प्रबंधन समिति/शासी निकाय के सदस्यों की अद्यतन सूची (वार्षिक बैठक का संकल्प संलग्न करें)	
8.ग	संगठन की परिसंपत्तियों/अवसंरचना की सूची	
8.घ	यदि संगठन विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत पंजीकृत है (पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
8.ड.	पिछले दो वर्षों के दौरान प्राप्त विदेशी अभिदाय का व्यौरा (प्रासंगिक दस्तावेज़ संलग्न करें)	
8.च	स्कीम/परियोजना का नाम, प्रयोजन, राशि आदि (अलग-अलग) के साथ निधियन कर रहे सहायतानुदान के अन्य स्रोतों की सूची (यदि कोई हो)	
8.छ	शाखा कोड, खाता संख्या दर्शाते हुए अभिकरण के मौजूदा बैंक खाते का व्यौरा	
8.ज	क्या अभिकरण प्रस्तावित अनुदान के लिए अलग से बैंक खाता खोलने के लिए सहमत है	
8.झ	पिछले तीन वर्षों के लेखों की फोटोप्रति संलग्न करें : I. लेखा परीक्षारिपोर्ट II. आय एवं व्यय खाता III. प्राप्ति एवं भुगतान खाता IV. संगठन का तुलन पत्र	

मैंने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 पढ़ लिए हैं और समझ लिए हैं।

.....(संगठन/संस्था का नाम) ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 के अंतर्गत सही सुविधा के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए सभी अपेक्षाओं को पूरा कर लिया है।

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि संगठन से संबद्ध कोई भी व्यक्ति पहले दोषसिद्ध नहीं किया गया है अथवा बाल दुर्व्यवहार के किसी कार्य में अथवा बाल श्रमिकों के नियोजन में अथवा नैतिक चरित्रहीनता से जुड़े किसी अपराध में संलिप्त रहा है और कि संगठन को किसी भी समय केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है।

मैं केंद्रीय/राज्य अधिनियम, नियम, दिशानिर्देशों और इस संबंध में जारी अधिसूचनाओं द्वारा निर्धारित सभी शर्तों का अनुपालन करने का वचन देता हूँ।

मैं समय-समय पर किशोर न्याय बोर्ड अथवा बाल कल्याण समिति द्वारा पारित किए गए आदेशों का अनुपालन करने का वचन देता हूँ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम :

पता :

जिला :

तारीख :

कार्यालय मुहर :

हस्ताक्षर :

गवाह नं. 1:

गवाह नं. 2:

प्ररूप 39

[नियम 27(4)]

सामूहिक पालन-पोषण देखरेख सहित उपयुक्त सुविधा की मान्यता का प्रमाण पत्र

दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद औरको संस्था के निरीक्षण के आधार पर (संस्था का नाम) को सेवर्ष के लिए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत उपयुक्त सुविधा के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

उक्त सुविधा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 और उपयुक्त सरकार द्वारा समय-समय पर निरूपित किए गए विनियमों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगी।

उक्त सुविधा किशोर न्याय बोर्ड अथवा बाल कल्याण समिति द्वारा समय-समय पर पारित किए गए आदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगी।

तारीख.....

(हस्ताक्षर)

(मुहर)

तारीख.....

(हस्ताक्षर)

अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति/ प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड

प्ररूप 40

[नियम 61(3)(xii)]

बोर्ड अथवा समिति को बाल देखरेख संस्था द्वारा साप्ताहिक आधार पर प्रस्तुत किए जाने वाले बालकों की सूची



बाल देखरेख संस्था का ब्यौरा :

क्र.सं.	बालक का नाम	प्राथमिकी/डीडी/मामला संख्या	पुलिस थाना	अगली पेशगी की तारीख

सप्ताह के दौरान भर्ती किए गए बालकों की कुल संख्या

सप्ताह के दौरान छोड़े गए बालकों की कुल संख्या.....

.....को संस्था में बालकों की कुल संख्या

हस्ताक्षर

बाल देखरेख संस्था का प्रभारी व्यक्ति

तारीख

प्ररूप 41

[नियम 69 (ग) (1)]

संरक्षण अभिरक्षा कार्ड

1. बालक का नाम :
2. बालक की आयु:
3. माता का नाम :
4. पिता का नाम :
5. माता-पिता/अभिभावक का पता
6. संगठन/संस्था द्वारा प्राप्ति की तारीख :
7. बालक को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम एवं संपर्क ब्यौरा :
8. जांच की तारीख :

आपको प्राधिकृत किया और निदेश दिया जाता है कि अपनी बाल देखभाल संस्था में उक्त नाम के बालक को प्राप्त करें और जे.जे. अधिनियम, 2015 के तहत संरक्षण अभिरक्षा के लिए उसे अपनी निगरानी में रखें।

और बालक तारीख..... को पेश करें।

मुनवाई की अगली तारीख

(हस्ताक्षर)

प्रधान न्यायाधीश / सदस्य,

किशोर न्याय बोर्ड

प्ररूप 42

[नियम 69 (घ) (4)]

रातभर का संरक्षण प्रवास



..... (बालक का नाम) को आज पकड़ा गया है। (संस्था का नाम) में रातभर के संरक्षण प्रवास की जरूरत हेतु रखा जाता है।

उक्त बालक को (बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, पुलिस स्टेशन) के द्वारा पेश किया गया है। बालक को संरक्षण प्रवास में रखने के लिए अपेक्षित आवेदन बालक की समान्य सेहत स्थिति, जिसे संस्था के प्रभारी व्यक्ति द्वारा विधिवत अनुशीलन किया गया है, वर्णित चिकित्सा रिपोर्ट के साथ लाया गया है।

उक्त बालक को बजे संस्था में लाया गया है और संबंधित अधिकार क्षेत्र के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को अगले दिन बजे (समय बताएं) या उससे पहले सुपुर्द कर दिया जाएगा।

बालक की व्यक्तिगत वस्तुओं की गहन छानबीन की गई है और निम्नलिखित वस्तुएं (यदि कोई हो) संबंधित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को सौंप दी गई हैं।

अगर संबंधित बाल कल्याण अधिकारी नियत समय पर बालक को अभिरक्षा में लेने की रिपोर्ट करने में असफल होता है तो ऐसे बालक को बाल न्याय मण्डल/बाल कल्याण समिति के समक्ष संस्था के प्रभारी अधिकारी द्वारा शीघ्र पेश किया जाएगा।

प्रतिलिपि:

1. बाल कल्याण पुलिस अधिकारी
2. बोर्ड / समिति
3. संस्था का प्रभारी व्यक्ति

आज तारीख _____ का _____ 20

(हस्ताक्षर)

संस्था का प्रभारी व्यक्ति

(हस्ताक्षर)

बाल कल्याण पुलिस अधिकारी

प्ररूप 43

[नियम 69 (ज) (3)]

बालक का जीवनवृत्त

(बाल देखभाल संस्था के लिए)



यहाँ अद्यतन
फोटो चस्पा करें

केस/प्रोफाइल सं०

तारीख एवं समय

क. वैयक्तिक ब्यौरा

- नाम
- पुरुष/महिला (उपयुक्त श्रेणी पर चिन्ह अंकित करें)
- भर्ती के समय आयु
- वर्तमान आयु
- श्रेणी (जो लागू हो उस पर चिन्ह अंकित करें) :
 - I. परिवार से अलग हुआ
 - II. परिव्यक्त/भगोड़ा
 - III. शोषण व हिंसा से पीड़ित (ब्यौरा दें)
 - IV. भाग जाना
 - V. अन्य कोई
- धर्म
 - I. हिन्दू (अन्य जाति/पि. जा./अ. जा./अ. ज. जा.)
 - II. मुस्लिम/ईसाई/अन्य (कृपया स्पष्ट करें)
- मूल जिला/राज्य
- निवास का विवरण
 - I. कंक्रीट भवन/कच्चा घर
 - II. तीन शयन कक्ष/ दो शयन कक्ष/ एक शयन कक्ष कोई अलग कमरा नहीं
 - III. स्वयं का /किराये पर
- किशोर को किसके द्वारा बाल कल्याण समिति/बाल न्याय बोर्ड के समक्ष लाया गया (जो लागू हो उस पर चिन्ह लगाएं)
 - I. पुलिस-स्थानीय पुलिस/विशेष बाल अपराध पुलिस इकाई/नामित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी/रेलवे पुलिस/ महिला पुलिस
 - II. परिवीक्षा अधिकारी
 - III. समाज कल्याण संगठन
 - IV. सामाजिक कार्यकर्ता
 - V. अभिभावक/संरक्षण (कृपया संबंध बताएं)
 - VI. अन्य लोक सेवक



VII. अन्य कोई उत्साही नागरिक

VIII. स्वयं किशोर/किशोरी

- परिवार छोड़ने के कारण

I. माता-पिता/अभिभावक/सौतेल माता-पिता द्वारा दुर्व्यवहार

II. रोजगार की तलाश में

III. समान आयु के किशोरों से प्रभावित

IV. माता-पिता की अक्षमता

V. माता-पिता का आपराधिक व्यवहार

VI. माता-पिता का अलग हो जाना

VII. माता-पिता की मृत्यु

VIII. गरीबी

IX. अन्य (कृपया स्पष्ट करें)

- बालक के साथ हुए अपशब्द का स्वरूप

I. मौखिक दुर्व्यवहार - माता-पिता/भाई-बहन/नियोक्ता/अन्य(कृपया स्पष्ट करें)

II. शारीरिक प्रताड़न

III. यौन शोषण माता-पिता/भाई-बहन/नियोक्ता/अन्य(कृपया स्पष्ट करें)

IV. अन्य - माता-पिता/भाई-बहन/नियोक्ता/अन्य(कृपया स्पष्ट करें)

- बालक के साथ हुए दुर्व्यवहार का स्वरूप.

I. खाना न देना - माता-पिता/भाई-बहन/नियोक्ता/अन्य(कृपया स्पष्ट करें)

II. क्रूरता पूर्वक मार-पीट - माता-पिता/भाई-बहन/नियोक्ता/अन्य(कृपया स्पष्ट करें)

III. चोट ग्रस्त हो जाना - माता-पिता/भाई-बहन/नियोक्ता/अन्य(कृपया स्पष्ट करें)

IV. बंदी बनाना - माता-पिता/भाई-बहन/नियोक्ता/अन्य(कृपया स्पष्ट करें)

V. अन्य(कृपया स्पष्ट करें)

- बालक द्वारा सामना किया गया शोषण

I. बिना किसी भुगतान के अत्यधिक कार्य कराना

II. लंबे समय तक काम करने पर भी नाम-मात्र की मज़दूरी

III. अन्य(कृपया स्पष्ट करें)

- भर्ती होने से पहले बालक की सेहत की स्थिति

i)	श्वसन विकार	- पाया गया/ज्ञात नहीं/नहीं पाया गया
ii)	श्रवण विकार	- पाया गया/ज्ञात नहीं/नहीं पाया गया
iii)	आंखों का रोग	- पाया गया/ज्ञात नहीं/नहीं पाया गया
iv)	दांतों की बीमारी	- पाया गया/ज्ञात नहीं/नहीं पाया गया
v)	हृदय रोग	- पाया गया/ज्ञात नहीं/नहीं पाया गया
vi)	त्वचा रोग	- पाया गया/ज्ञात नहीं/नहीं पाया गया
vii)	यौन संक्रमण बीमारी	- पाया गया/ज्ञात नहीं/नहीं पाया गया
viii)	तंत्रिका विकृति	- पाया गया/ज्ञात नहीं/नहीं पाया गया
ix)	मानसिक अपंगता	- पाया गया/ज्ञात नहीं/नहीं पाया गया

x)	शारीरिक विकलांगता	- पाया गया/ज्ञात नहीं/नहीं पाया गया
xi)	मूत्र संक्रमण	- पाया गया/ज्ञात नहीं/नहीं पाया गया
xii)	अन्य(कृपया स्पष्ट करें)	- पाया गया/ज्ञात नहीं/नहीं पाया गया



15. भर्ती से पहले बालक किसके साथ रह रहा:

- I. माता-पिता – माता/पिता/दोनों
- II. भाई-बहन/सगे-संबंधी के साथ
- III. अभिभावक - संबंधी
- IV. मित्र – मंडली
- V. सड़क पर
- VI. रैन बसेरा
- VII. अनाथालय/हॉस्टल/आश्रम
- VIII. अन्य(कृपया स्पष्ट करें)

16. बालक से मुलाकात करने हेतु माता-पिता के दौरे

संस्था में आगमन से पहले – निरंतर/कभी कभार/एकाध बार/कभी नहीं

संस्था में भर्ती हो जाने के बाद - निरंतर/कभी कभार/एकाध बार/कभी नहीं

17. बालक का अपना माता-पिता के पास जाना

संस्था में आगमन से पहले – निरंतर/कभी कभार/एकाध बार /त्यौहार के दिनों में/गर्मियों की छुट्टियों के दौरान /जब कभी बीमार होने पर/कभी नहीं

संस्था में भर्ती हो जाने के बाद - निरंतर/कभी कभार/एकाधवार /त्यौहार के दिनों में/गर्मियों की छुट्टियों के दौरान /जब कभी बीमार होने पर/कभी नहीं

18. माता-पिता के साथ पत्राचार

संस्था में आगमन से पहले – निरंतर/कभी कभार/एकाधवार/त्यौहार के दिनों में/गर्मियों की छुट्टियों के दौरान /जब कभी बीमार होने पर/कभी नहीं

संस्था में भर्ती हो जाने के बाद - निरंतर/कभी कभार/एकाधवार/त्यौहार के दिनों में/गर्मियों की छुट्टियों के दौरान /जब कभी बीमार होने पर/कभी नहीं

19. विकलांगता का ब्यौरा

20 परिवार का स्वरूप : परिवार/संयुक्त परिवार/खंडित/परिवार/एकल माता-पिता

21. पारिवारिक सदस्यों के बीच संबंध

I.	माता एवं पिता	स्नेहपूर्ण/अस्नेहपूर्ण/मालूम नहीं
II.	पिता एवं बालक	स्नेहपूर्ण/अस्नेहपूर्ण/मालूम नहीं
III.	माता एवं बालक	स्नेहपूर्ण/अस्नेहपूर्ण/मालूम नहीं
IV.	पिता एवं भाई बहन	स्नेहपूर्ण/अस्नेहपूर्ण/मालूम नहीं

V.	माता एवं भाई बहन	स्नेहपूर्ण/अस्नेहपूर्ण/मालूम नहीं
VI.	बालक एवं भाई बहन	स्नेहपूर्ण/अस्नेहपूर्ण/मालूम नहीं
VII.	बालक एवं सगे संबंधियों	स्नेहपूर्ण/अस्नेहपूर्ण/मालूम नहीं



22. परिवार के सदस्यों द्वारा किए अपराध, यदि कोई हों, का व्यौरा

क्र.सं.	संबंध	अपराध का स्वरूप	मामले की विधिक स्थिति	गिरफ्तारी, यदि कोई हुई हो	गिरफ्तारी की अवधि	दिया गया दंड
1.	पिता					
2.	सौतेला पिता					
3.	माता					
4.	सौतेली माता					
5.	भाई					
	(क)					
	(ख)					
	(ग)					
	(घ)					
6.	बहन					
	(क)					
	(ख)					
	(ग)					
	(घ)					
7.	बालक					
8.	अन्य (चाचा/चाची/दादा-दादी)					

23. परिवार की अपनी परिसम्पत्तियाँ:

- I. भू-सम्पत्तियाँ (कृपया क्षेत्रफल बताएं)
- II. घरेलू सामान – गाय/भैंस/पशु ।
- III. वाहन – दुपहिया/तीन पहिया/चौपहिया/लारी, बस, कार, ट्रैक्टर, जीप)
- IV. अन्य (कृपया उल्लेख करें)



24. परिवार के सदस्यों की वैवाहिक स्थिति:

i)	माता-पिता	परम्परागत/विशेष विवाह
ii)	भाई	परम्परागत/विशेष विवाह
iii)	बहन	परम्परागत/विशेष विवाह

25 परिवार के सदस्यों के सामाजिक कार्य कलाप:

- I. सामाजिक और धार्मिक कार्यों में भाग लेना
- II. सांस्कृतिक कार्यों में भाग लेना
- III. सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में शामिल न होना
- IV. मालूम नहीं

26. भर्ती से पहले किशोर के प्रति अभिभावकों द्वारा देखभाल:

- I. अति सुरक्षा
- II. स्नेहपूर्ण
- III. शिष्ट
- IV. गुस्सैल
- V. अशिष्ट
- VI. निराकृत

किशोरावस्था ब्यौरा (12 वर्ष से 18 वर्ष के बीच)

27. बालक का किस आयु में यौवनागम हुआ?

28. अपराधी प्रकृति का ब्यौरा, यदि कोई हो

- I. चोरी-चकारी
- II. जेब काटना
- III. ताड़ीशराबी बेचना
- IV. नशा करना
- V. गौण अपराध
- VI. गंभीर अपराध
- VII. जघन्य अपराध
- VIII. उपरोक्त में से कोई नहीं
- IX. अन्य (कृपया उल्लेख करें)

29. अपराधी प्रवृत्ति के कारण

- I. माता-पिता की अपेक्षा
- II. माता-पिता की जरूरत से अधिक सुरक्षा



- III. माता-पिता का आपराधिक व्यवहार
 IV. माता-पिता का नकारात्मक प्रभाव
 V. समान आयु वर्ग का प्रभाव – ड्रग/शराब खरीदना
 VI. अन्य (कृपया उल्लेख करें)

30. आदतें

	क		ख
i)	धूमपान	i)	टीवी/फिल्म देखना
ii)	मदिरापन	ii)	आंतरिक/मैदानी खेल खेलना
iii)	ड्रग सेवन	iii)	पुस्तकें पढ़ना
iv)	जुआ खेलना	iv)	धार्मिक कार्य
v)	भीख मांगना	v)	ड्राइंग/पेंटिंग/गीत-गायन
vi)	अन्य कोई	vi)	अन्य कोई

रोजगार ब्यौरा

31. बालक सुधार गृह में प्रवेश से पहले किशोर का रोजगार ब्यौरा

क्रमांक	रोजगार का ब्यौरा	समय और अवधि	प्राप्त मजदूरी
i)	कूली		
ii)	कूड़ा बीनना		
iii)	मेकनिक		
iv)	होटल में कार्य		
v)	चाय की दुकान में कार्य		
vi)	जूतों की पालिश		
vii)	घरेलू कार्य		
viii)	अन्य (उल्लेख करें)		

आय के उपयोग का ब्यौरा:

32. पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने हेतु भेजना

- I. परिधान सामाग्री के लिए
 II. जुआ खेलने के लिए
 III. वैश्यवृत्ति के लिए
 IV. शराब के लिए



- V. ड्रग के लिए
- VI. धूम्रपान के लिए
- VII. बचत

33. बचत का व्यौरा

- I. नियोक्ता के पास
- II. दोस्तों के पास
- III. बैंक/डाकघर
- IV. अन्य (उल्लेख करें)

34. काम-काज के समय की अवधि

- I. छः घंटे से कम
- II. छः घंटे से आठ घंटे के बीच
- III. आठ घंटे से अधिक

शैक्षिक व्यौरा

35. बाल गृह में प्रवेश से पूर्व बालक की शिक्षा का व्यौरा

- I. अनपढ़
- II. पांचवीं कक्षा तक अध्ययन
- III. पांचवीं से अधिक किंतु आठवीं से कम कक्षा तक अध्ययन
- IV. आठवीं से अधिक किंतु दसवीं से कम कक्षा तक अध्ययन
- V. दसवीं तक या इससे ऊपर

36. विद्यालय छोड़ने के कारण

- I. आखिरी अध्ययन करने वाली कक्षा में अनुत्तीर्ण
- II. विद्यालय के कार्य कलापों में रुचि की कमी
- III. अध्यापकों का उदासीन व्यवहार
- IV. समान आयु समूह के किशोरों से प्रभावित
- V. परिवार के लिए कमाना और सहयोग
- VI. माता पिता की अचानक मृत्यु
- VII. विद्यालय का सख्त बतारण
- VIII. विद्यालय से भाग कर गैर हाजिर रहना
- IX. आस पास समान आयु का उपयुक्त स्कूल न होना
- X. अन्य (कृपया उल्लेख करें)

37. जिस विद्यालय में अंतिम बार अध्ययन किया की उस विद्यालय का व्यौरा

- I. नगरनिगम /नगरपालिका /पंचायत



II. सरकारी /अजा कल्याण विद्यालय /पिछड़ी जाति कल्याण

III. निजी प्रबंधन

38. शिक्षा का माध्यम:हिंदी /अंग्रेजी /उर्दू /तमिल /मलयालम /कन्नड /तेलुगू /मराठी /गुजराती /बंगाली /अन्य भाषा (कृपया उल्लेख करें)

39. बाल गृह में भर्ती हो जाने बाद प्रवेश की तारीख से आज की तारीख तक प्राप्त शिक्षा

वर्षों की संख्या पढाई की कक्षा

उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण

40. बाल-गृह में भर्ती की तारीख से आज तक प्राप्त व्यावसायिक प्रशिक्षण

वर्षों की संख्या

व्यवसायिक पाठ्यक्रम का नाम

प्राप्त प्रवीणता

प्रमाणीकरण का ब्यौरा?

41. बाल-गृह में प्रवेश की तारीख से आज तक अतिरिक्त शैक्षणिक कार्य कलाप

i) स्काउट

I. खेल कूद (कृपया उल्लेख करें)

II. एथलेटिक्स (कृपया उल्लेख करें)

III. ड्राईंग

IV. पेंटिंग

V. अन्य (कृपया उल्लेख करें)

चिकित्सा पूर्ववृत्त

42. भर्ती के समय ऊंचाई और वजन :

43. शारीरिक स्थिति:

44. बालक का चिकित्सा पूर्ववृत्त:

45. माता-पिता /संरक्षक का चिकित्सा इतिहास :

46. बालक की सेहत की वर्तमान स्थिति:

क्रमांक सं.	वार्षिक टिप्पणी	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही
	पुनर्जांच की तारीख				
	ऊंचाई				
	वजन				
	प्रदत्त पोषक आहार				
	तनाव				
	दांत				

	कान/नाक/गला				
	आंख				



47. ऊंचाई और वजन का चार्ट

तारीख, माह, और वर्ष	ऊंचाई	स्वीकार्य वजन	वास्तविक वजन

सामाजिक इतिहास

48. बाल गृह में भर्ती से पूर्व मित्र मण्डली का व्यौरा :

- I. सहयोगी
- II. स्कूल का मित्र
- III. पड़ोसी
- IV. अन्य (कृपया विवरण दें)

49. बालक के अधिकतर मित्र हैं

- I. शिक्षित
- II. अशिक्षित
- III. समान आयु समूह
- IV. अन्य आयु में
- V. आयु में बड़े
- VI. एक समान लिंग
- VII. विपरीत लिंग

50. समूह की सदस्यता का (कृपया स्पष्ट विवरण)

- I. सिनेमा प्रेमी लोगों से जुड़ाव
- II. धार्मिक समूह से संबद्धता
- III. कला और खेल कूद से सम्बद्धता
- IV. गिरोह से संबद्धता
- V. स्वैच्छिक सामाजिक सेवा समूह से संबद्धता
- VI. अन्य (कृपया उल्लेख करें)

51. समूह/संघ में बालक की स्थिति

- I. नेता
- II. द्वितीय स्तर का नेता
- III. मध्य स्तर का कार्यकर्ता



IV. सामान्य सदस्य

52. समूह की सदस्यता लेने का उद्देश्य :

- I. सामाजिक कार्यकलाप के लिए
- II. विश्राम के लिए समय बिताना
- III. आनंद के लिए कार्यकलाप खोजना
- IV. पथभ्रष्ट कार्यकलापों के लिए
- V. अन्य (कृपया स्पष्ट करें)

53. समूह/संघ का व्यवहार

- I. सामाजिक मानदंडों का आदर और नियमों का पालन
- II. मानदंडों की अवहेलना में रुचि
- III. नियमों के उल्लंघन में रुचि

54. समूह के सदस्यों से मिलने का स्थान

- I. आमतौर पर नियत स्थान पर
- II. स्थान निरन्तर बदलता रहता है
- III. कोई विशेष स्थान नहीं
- IV. मिलने का स्थान सुविधा के अनुरूप तय किया जाता है

55. उस समय समाज की प्रतिक्रिया जब पहली बार बालक परिवार से अलग रहा /हुआ

- I. सहयोगात्मक
- II. नकारात्मक
- III. दुर्व्यवहार
- IV. खराब बरताव
- V. शोषण

56. बालक के प्रति प्रतिक्रिया

- I. नम्र
- II. सख्त
- III. आक्रामक और दुर्भावनापूर्ण
- IV. शोषण युक्त
- V. खराब बर्ताव

57. बालक के प्रति आम जनता का रुख

बालक का इतिहास

- | | |
|------|------------------|
| I. | शिक्षा |
| II. | सेहत |
| III. | पेशेवर प्रशिक्षण |
| IV. | विविध कार्यकलाप |
| V. | अन्य |

बालक अभिमुखीकरण के बाद बाल कल्याण अधिकारी / परिवीक्षा अधिकारी के सुझाव और अभिमुखीकरण के प्रति प्रतिक्रिया .

बाल कल्याण अधिकारी / परिवीक्षा अधिकारी / मामला कार्यकर्ता / सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा अनुवर्तन
प्रबंधन समिति द्वारा केस इतिहास की तिमाही समीक्षा

प्रभारी / बाल कल्याण अधिकारी / परिवीक्षा अधिकारी

प्ररूप 44**{नियम 82 (1)}****निर्मुक्त सह पुनःस्थापन आदेश**

बालक/बालिका का नाम..... .पुत्र/पुत्रीश्री..... निवासी..... . प्रकरण सं./प्रोफाइल सं. जिसे किशोर न्याय (बालक की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा के तहत बाल न्याय बोर्ड /बाल न्यायालय/बाल कल्याण समिति द्वारा दिनांक को की अवधि के लिए संप्रेषण गृह/सुरक्षित स्थल/विशेष गृह/ बाल गृह में रखे जाने के आदेश दिए थे और जो अब संस्था मेंस्थान पर है, को निदेश दिए जाते हैं कि उसके प्रवास की शेष अवधि के दौरान के कारण से उक्त.....संस्था और पर्यवेक्षण तथा प्राधिकार से विमुक्त किया जाए.

यह आदेश यहां नीचे वर्णित शर्तों के अधीन दिया जाता है और जिसका किसी भी प्रकार से उल्लंघन किए जाने पर इस आदेश को वापस ले लिया जाएगा.

तारीख :

हस्ताक्षर

किशोर न्याय बोर्ड /बाल न्यायालय /बाल कल्याण समिति

स्थान:

शर्तें :

1. निर्मुक्त व्यक्ति को प्रस्थान करेगा और बाल गृह अथवा उपयुक्त सुविधा संप्रेषण गृह में नजरबंदी /विशेष गृह /सुरक्षित स्थल में उसके प्रवास की अवधि की अवधि के समाप्त होने तकके पर्यवेक्षण और प्राधिकार में तब तक रहेगा जब तक माफी को शीघ्रता से से निरस्त नहीं कर दिया जाता है.

2. वह..... की सहमति के बिना उस स्थान अन्य किसी स्थान , जो उक्त के द्वारा नामक हो सकता है, स्वयं को अलग नहीं करेगा

3. वह समय पाबंदी और विद्यालय / किसी कार्य / व्यवसाय में नियमित उपस्थिति के बारे में या अन्य प्रकार के उक्त.....से प्राप्त हुए ऐसे अनुदेश का पालन करेगा.

4. वह किसी अपराध में शामिल नहीं रहेगा और वह..... की संतुष्टि के अनुरूप संयमी और मेहनती जिंदगी बिताएगा.

6. उपरोक्त किसी शर्त के भंग हो जाने की स्थिति में इसके द्वारा प्रदान की गई संस्थान में प्रवास की अवधि की माफी की उक्त शर्त निरस्त कर दी जाएगी और ऐसे निरस्त किए जाने से उस पर किशोर न्याय (बालक की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 97 के तहत कार्रवाई की जाएगी

मैं इसके द्वारा अभिस्वीकृति देता हूं कि मैं उपरोक्त शर्तों से अवगत हूं और उन शर्तों को पढ़ा गया और मुझे स्पष्ट किया गया है तथा मैं उनको स्वीकार करता हूं.

निर्मुक्त बालक के हस्ताक्षर / चिन्ह

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तें (बालक का नाम) के सामने पढ़ी गईं और स्पष्ट की गईं और कि वह उन शर्तों को स्वीकार करता/करती है जिन पर उसका /उसकी निर्मुक्ति उन्मोचित हो सकती है.

तदनुसार प्रमाणित किया जाता है कि उक्त बालतारीख.....को विनिर्मुक्त कर दिया गया है.

प्रमाणित करने वाले प्राधिकारी अर्थात् संस्था के प्रभारी व्यक्ति

के हस्ताक्षर और पदनाम

प्रारूप 45

{ नियम 82 (4) }

मार्गरक्षा आदेश

प्रकरण संख्या

.....बाल/ बालिका के मामले में

आयु लगभग दर्ज की गई

बाल/ बालिका के माता-पिता के स्थान पर रहने की सूचना है.

इसलिए वह समुचित पुलिस / मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संगठन की देख-रेख मेंकी अभिरक्षा में भेजे.

उपरोक्त वर्णित पते अथवा उस अन्य स्थल जो बच्चे द्वारा दर्शाया जाए, पर उक्त बालक/बालिका के माता पिता अथवा नजदीकी सगे संबंधियों की तलाश करने और सौंपने , अगर उन माता पिता अथवा सगे संबंधी की तलाश नहीं हो पाती है या उनकी तलाश तो हो जाती है किंतु वे बालक बालिका को लेने के लिए इच्छुक नहीं हों तो बालक बालिका को उक्त जिले के बाल गृह, सुरक्षा स्थल, संप्रेषण गृह के प्रभारी की अभिरक्षा में रखा जाए और उपरोक्त बालक बालिका को अगले आदेश के लिए संबंधित बाल कल्याण समिति /किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जाए.

अनिर्णीत अभिरक्षण के समय उपरोक्त बालक/ बालिका बाल गृह, सुरक्षा स्थल, संप्रेषण गृह, के वर्तमान निवास में रहेगा. राज्य/जिला बाल सुरक्षा इकाई अथवा पुलिस विभाग अथवा मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संगठन / चाइल्डलाइन उनके द्वारा इस आदेश के मिलने की तारीख से कम से कम 15 दिन में शीघ्रता से अवश्य व्यवस्था करेगा और उपरोक्त बालक/ बालिका को उसके पूर्वोक्त निवास स्थल पर भेजा जाएगा.



आज दिनांक को 20

अध्यक्ष / सदस्य

बाल कल्याण समिति

किशोर न्याय बोर्ड

प्रतिलिपि:

1. प्रभारी व्यक्ति, बाल देखभाल संस्था
2. जिला बाल संरक्षण इकाई अथवा गैर सरकारी संगठन चाइल्डलाइन
.....को जन्मे.....नाबालिग का आदेश प्रोफाइल सं.

प्ररूप 46

[नियम 41(3) और 41(9)]

निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षण

(जो लागू हो उसे भरें)

दौरे की तारीख दौरे का समय

बालगृह का निरीक्षण करने वाले अधिकारियों के नाम:

1.
2.
3.

क. समान्य सूचना:

- I. संगठन का नाम और पता:

.....
.....

- II. पंजीकरण सं० (किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत):

i. जारी करने की तारीख:

ii. समाप्ति की तारीख:

- III. सी. सी. आई का पूरा पता:

.....
.....

i.



- IV. अधिकारी/प्रभारी व्यक्ति का नाम:
- V. सम्पर्क सं० ई मेल
-

vi. गृह का स्वरूप (कृपया चिन्ह अंकित करें):

संप्रेषण गृह/विशेष गृह/सुरक्षा स्थल/बाल गृह/मुक्त आश्रय गृह(कृपया स्पष्ट करें):

vii यदि राज्य सरकार से सहायता प्राप्त/का सहयोग प्राप्त हो तो उस विभाग का नाम

viii यदि सरकार द्वारा चलाया जाता है:

ख. बाल गृह की स्थिति

- (i) गृह की स्वीकृत क्षमता
- (ii) क्या 10 वर्ष से कम आयु के बालक/ बालिकाओं को एक ही गृह में रखा जाता है
- हाँ नहीं

यदि हां तो आज की तारीख में ऐसे बच्चों की संख्या

- (iii) क्या 05 से 10 वर्ष की आयु समूह के बालक/ बालिकाओं को नहाने और सोने की अलग-अलग सुविधाएं राखी जाती है
- हाँ नहीं

(iv) क्या बच्चों को नीचे दिए गए समूह में अलग-अलग बनाए गए हैं?

I. 7-11 वर्ष:

II. 12-18 वर्ष

III. क्या वहाँ 0-5 वर्ष की आयु समूह के बच्चे हैं? हाँ नहीं

यदि हो, संख्या सूचित करें:

IV. क्या वहाँ 18 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे हैं?

हाँ नहीं

यदि हो, संख्या सूचित करें:

- V. क्या वर्तमान मास में नए दाखिले हुए हैं
- VI. उन बच्चों की संख्या जो वहाँ से चले गए/विमुक्त हुए
- VII. मास के दौरान बा.न्या.बो./बा.क.स. द्वारा संदर्भित बच्चों की संख्या
- VIII. मास के दौरान बा.न्या.बो./बा.क.स. के समक्ष पेश किए बच्चों की संख्या
- IX. पिछले मास के अंतिम दिन को बच्चों की संख्या
- X. विशेष जरूरतों वाले बच्चों की संख्या, यदि कोई हो, ब्यौरा दें
- XI. उनके पुनर्वास के लिए की गई व्यवस्था:
- XII. क्या प्रत्येक बच्चे के लिए अलग अलग योजना तैयार की जाती है ?

हाँ नहीं



ग. आधारभूत जरूरतें:

- भवन:
- किराये पर:..... स्वयं का
- क्या प्रवेश द्वार पर सी सी टी वी संस्थापित है
हाँ नहीं
- सुरक्षा पर्याप्त अपर्याप्त
- बच्चों को रखने के लिए समुचित जगह:
हाँ नहीं

उपलब्ध जगह :

कमरों/डोरमेट्री की संख्या	ब्यौरा
रुग्ण/चिकित्सा ईकाई की व्यवस्था	
परामर्श कक्ष	
बच्चों के लिए मनोरंजन/कार्यकक्ष • क्या केबिल नेटवर्क सहित टी वी सैट उपलब्ध है • क्या बच्चों को अक्सर टी वी देखने की अनुमति दी जाती है • क्या बच्चों को इंडोर गेम खेलते हैं • उनके लिए कौन-कौन से खेल उपलब्ध हैं • क्या बच्चे आउटडोर गेम खेलते हैं • क्या उनको खेलने के लिए उपकरण/सहायक उपकरण उपलब्ध हैं • क्या वो पिकनिक/भ्रमण के लिए जाते हैं • क्या उनको प्रतिष्ठित व्यक्तियों से बातचीत करते हैं • क्या बच्चों के लिए मनोरंजन कक्ष उपलब्ध है	हाँ नहीं शाम के वक्त या कभी भी हाँ नहीं आयु वार उपयुक्त खेल उपलब्ध है या नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं
रसोई/भोजन कक्ष	
• क्या भोजन बनाने की जगह और भोजन कक्ष अलग अलग है • क्या बच्चों को अलग-अलग थाली, मग और गिलास मिलता है	हाँ नहीं

• क्या खाना बनाने के बर्तन पर्याप्त और साफ सुथरे हैं • क्या बच्चों के लिए फ्रिज उपलब्ध है • क्या बच्चों के लिए ओवन उपलब्ध है • क्या रसोई में गैस स्टोव उपलब्ध है • क्या चिमनी उपलब्ध है • गैस सिलेंडर को रखने की व्यवस्था है • धुलाई, खाना बनाने के लिए पर्याप्त जल आपूर्ति • पीने के पानी की जल उपलब्धता (आर ओ) • क्या खाना मशीन या रसोइये द्वारा बनाया जाता है		हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं
बच्चों के लिए शौचालय और स्नानघर की संख्या		
• फ्लेश चलता है • वाशबैसन में नल काम करते हैं • क्या फर्श फिसलनभरा है • पानी निकासी साफ है • पानी निकासी बंद रहती है • कपड़े/तौलिये लटकाने के लिए जगह है		हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं
• जाले (मकड़ी आदि के) हटाए जाते हैं • दरवाजे पर लैंच है • दरवाजे में झांकने के लिए छेद है • बच्चों को बार-बार नहाने की अनुमति है • पर्याप्त जल उपलब्ध है • पर्याप्त संख्या में बाल्टी और मग • व्यक्तिगत शौचालय उपलब्ध है • क्या वाशिंग पाउडर और साबुन दिया जाता है • क्या बच्चे अपने कपड़े स्वयं धोते हैं • क्या धोबी उपलब्ध है • क्या वाशिंग मशीन ठीक ठाक काम करती है	दिन में एक बार या एक से अधिक	हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं
बाह्य गतिविधियों के लिए खुली जगह		
कक्षा		

व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए जगह	
--------------------------------	--

**परिसर**

- क्या निवास में बाल सुलभ इन्डोर उपलब्ध है? हां नहीं
- झाड़ू/पोछन कार्य क्या अक्सर किया जाता है दिन में दो बार अथवा कई बार
- क्या कक्षा की पढाई के दौरान सफाई कार्य में बच्चों को शामिल किया जाता है? हां नहीं
- क्या बच्चों के लिए कूलर/हीटर की सुविधा उपलब्ध है? हां नहीं
- क्या दरवाजे और खिड़कियां भली भांति ठीकठाक रखे जाते हैं? हां नहीं
- क्या कमरे/डोमेंट्रीज अच्छे हवादार हैं? हां नहीं?
- जब बिजली न हो तो क्या बत्ती और पंखों की वैकल्पिक व्यवस्था है? हां
- क्या खुली जगह साफ सुथरी, आकर्षक और बाल सुलभ सुविधायुक्त है? हां नहीं

बच्चों को प्रदान किए गए कपडे / बिस्तर/ लाकर्स/प्रसाधन:

- क्या साइज और मौसम के अनुसार कपडे दिए जाते हैं ? हां नहीं
- अंतः वस्त्र बदलने की आवधिकता हां नहीं
- नए कपडों की सिलाई करवाई जाती है / सिले- सिलाए लाये जाते हैं? सिले हुए / सिलवाये हुए
- क्या अलग अलग गद्दे दिए जाते हैं? हां नहीं
- क्या अलग अलग तकिये दिये जाते हैं? हां नहीं
- क्या गद्दे और तकिये साफ सुथरे हैं. हां नहीं
- क्या बच्चों के पास अलग अलमारी है. हां नहीं
- क्या चादर और खेस उपलब्ध हैं ? हां नहीं
- क्या सर्दियों में कम्बल उपलब्ध हैं ? हां नहीं
- आगमन पर प्रदान किए सैट्स की संख्या एक / दो / तीन /चार
- नए कपडे प्रदान करने की आवधिकता मासिक / तिमाही
- क्या ये सैट्स एक ही रंग या अलग अलग रंग के होते हैं? एक /अलगा अलग रंग
- क्या बच्चों को अपनी व्यक्तिगत वस्तुएं रखने के लिए लाकर्स प्रदान किए जाते हैं? हां नहीं
- बच्चों को प्रदान की गई अन्य वस्तुएं :
-
-

**घ. बच्चों को प्रदान की गई सेवाएं:**

- चिकित्सा सुविधाएं / स्वास्थ्य कार्ड रखना:
- पोषक आहार / विशेष भोजन:
- साफ पीने के पानी की व्यवस्था :

- बच्चों की दिनचर्या:

समय	कार्य कलाप /समय सारणी
सुबह	
दिन में दोपहर	
शाम	
देर शाम / रात	

- शिक्षा (औपचारिक शिक्षा /एन एफ ई / जीवन कौशल प्रशिक्षण



- कम्प्यूटर / इंटरनेट / फोन
- क्या इंटरनेट के साथ कम्प्यूटर की सुविधा उपलब्ध है? हां नहीं
- क्या यह सुविधा क्रियाशील है? हां नहीं
- क्या बच्चों को इस सुविधा का इस्तेमाल करने की सुविधा अनुमति है? हां नहीं
- क्या टेलीफोन केवल कार्यालयीन उपयोग है? हां नहीं
- क्या बच्चों को टेलीफोन का उपयोग करने की अनुमति है? हां नहीं
- क्या फोन के नजदीक बाल टेलीफोन सं.1098 प्रदर्शित है ? हां नहीं
- परामर्श /मार्गदर्शन सेवाएं /विशेष शिक्षक / फिजियोथैरेपी आदि सेवाएं प्रदान की जाती हैं.
.....
.....
.....
- व्यावसायिक प्रशिक्षण :
.....
.....
- मनोरंजन सुविधाएं :
.....
.....
.....
- अन्य अभिकरणों/विभागों से विकसित संबंध:
.....
.....
.....
- गुमशुदा बाल ट्रैक कार्यक्रम का कार्यावयन:
- गुमशुदा बाल ट्रैक वेबसाइट में बच्चों की प्रविष्टियां:
.....
- प्रदान किया गया उपयोगिता पास बर्ड:
.....
- प्रारम्भ किए अन्य कार्यक्रम और कार्यकलाप:
.....
.....

ड. कर्मचारी ब्यौरा:

क्र.सं.	नाम	पदनाम	सेवारंभ की तारीख	दौरे के समय उपस्थिति	अभ्युक्ति
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

13					
14					



च. बाल समिति /प्रबंधन समिति

हां नहीं

- बाल समिति का गठन
- आयुवार बाल समिति का गठन :
- बाल समिति की बैठकों की आवधिकता :

.....

हां नहीं

- प्रबंधन समिति का गठन : हां या नहीं
- प्रबंधन समिति के गठन की तारीख और आयोजित बैठकों की आवधिकता

छ.. रिकार्ड अनुरक्षण :

कर्मचारी उपस्थिति रजिस्टर	
बाल उपस्थिति रजिस्टर	
केंद्रीय प्रवेश रजिस्टर	
व्यक्तिगत देखभाल योजना सहित व्यक्तिगत केस फाइल	
सी डब्ल्यू सी /जे जे बी के साथ पत्राचार	
बालक सुझाव बही बालक सुझाव पेटी चिकित्सा फाइल /चिकित्सा कार्ड	
व्यक्तिगत वस्तु रजिस्टर	

प्रबंधन समिति – कार्यवृत्त रजिस्टर	
बाल समिति – कार्यवृत्त रजिस्टर	
पोषक आहार/भोजन फाइल	
अन्य कोई रखा गया रिकार्ड	

टिप्पणी / अभ्युक्ति:

.....

निरीक्षक समिति के सदस्य का नाम एवं हस्ताक्षर

निरीक्षक समिति के सदस्य का नाम एवं हस्ताक्षर:

निरीक्षक समिति के सदस्य का नाम एवं हस्ताक्षर

निरीक्षक समिति के सदस्य का नाम एवं हस्ताक्षर

.....

[फा. सं. 1-02/2016- बाल कल्याण –II]

रश्मि सक्सेना साहनी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st September, 2016

G.S.R. 898.—In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of section 110 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016), the Central Government hereby makes the following model rules, namely:-

CHAPTER – I**PRELIMINARY**

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Model Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— (1) In these model rules, unless the context otherwise requires, -

- (i) “Act” means the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016);
- (ii) “Authority” means the Central Adoption Resource Authority constituted under section 68 of the Act;
- (iii) “Case Worker” means a representative from a registered voluntary or non-governmental organisation who shall accompany the child to the Board or the Committee and may perform such tasks as may be assigned to him by the Board or the Committee;
- (iv) “Child Adoption Resource Information and Guidance System” means an online system for facilitating and monitoring the adoption programme;
- (v) “Child Study Report” means the report which contains details about the child, such as his date of birth and social background;
- (vi) “community service” means service rendered by children in conflict with law who are above the age of fourteen years and includes activities like maintaining a park, serving the elderly, helping at a local hospital or nursing home, serving disabled children, serving as traffic volunteers etc.
- (vii) “Form” means the forms annexed to these rules;
- (viii) “Home Study Report” means a report containing details of prospective adoptive parents or foster parents, and shall include social and economic status, family background, description of home and atmosphere, and health status;
- (ix) “individual care plan” is a comprehensive development plan for a child based on age and gender specific needs and case history of the child, prepared in consultation with the child, in order to restore the child’s self-esteem, dignity and self-worth and nurture him into a responsible citizen and accordingly the plan shall address the following, including but not limited to, needs of a child, namely:-
 - (a) health and nutrition needs, including any special needs;
 - (b) emotional and psychological needs;
 - (c) educational and training needs;
 - (d) leisure, creativity and play;
 - (e) protection from all kinds of abuse, neglect and maltreatment;
 - (f) restoration and follow up;
 - (g) social mainstreaming;
 - (h) life skill training.
- (x) “in country adoption” means adoption of a child by a citizen of India residing in India;



- (xi) "Medical Examination Report" means the report of a child given by a duly licensed physician;
 - (xii) "Person-in-charge" means a person appointed for the control and management of the Child Care Institution;
 - (xiii) "POCSO" means the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (32 of 2012);
 - (xiv) "rehabilitation-cum-placement officer" means an officer designated in every Child Care Institution for the purpose of rehabilitation of children;
 - (xv) "Selection Committee" means a committee constituted by the State Government under **rule 87** of these rules;
 - (xvi) "social background report" means the report of a child in conflict with law containing the background of the child prepared by the Child Welfare Police Officer;
 - (xvii) "social investigation report" means the report of a child containing detailed information pertaining to the circumstances of the child, the situation of the child on economic, social, psycho-social and other relevant factors, and the recommendation thereon;
 - (xviii) "Social worker" means a person with post graduate degree in Social Work or Sociology or Psychology or Child Development or a graduate with minimum seven years of experience in child education and development or protection issues, who is engaged by a Child Care Institution or authorised by District Child Protection Unit or State Child Protection Society or State Adoption Resource Agency or Central Adoption Resource Authority for preparing social investigation report or individual care plan of the child, child study report, home study report of prospective adoptive parent or foster parents, rendering post-adoption services, and performing any other functions as assigned to such person under the Act or these rules;
- Explanation: For the purposes of this definition, it is clarified that the qualifications of the social worker member of the Board shall be as under section 4 of the Act.
- (xix) "special educator" shall have the same meaning as assigned to it in the Protection of Children from Sexual Offences Rules, 2012;
 - (xx) "State Child Protection Society" means a society constituted under section 106 of the Act;
- (2) All words and expressions defined in the Act and used, but not defined in these rules, shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

CHAPTER – II

JUVENILE JUSTICE BOARD

- 3. Board.-** There shall be one or more Boards in each district to be constituted by the State Government through a notification in the Official Gazette.
- 4. Composition of the Board.-** (1) The Board shall consist of a Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of First Class having at least three years experience to be designated as the Principal Magistrate of the Board and two social worker members, of whom one shall be a woman, forming a Bench.
- (2) The social worker members shall be appointed by the State Government on the recommendations of the Selection Committee constituted under these rules.
- (3) The social worker members shall not be less than thirty five years of age and shall have at least seven years of experience of working with children in the field of education, health, or welfare activities, or should be a practicing professional with a degree in child psychology or psychiatry or sociology or in the field of law.
- (4) As far as possible, the two social worker members so selected for a Board shall be from different fields.
- (5) All members of the Board including the Principal Magistrate, shall be given induction training and sensitisation within a period of sixty days from the date of appointment.

5. Term of Members of the Board .- (1) The term of the social worker member of the Board shall not be more than for a period of three years from the date of appointment.

(2) A social worker member of the Board shall be eligible for appointment of maximum of two terms, which shall not be continuous.

(3) The members may resign at any time, by giving one month's notice in writing to the State Government.

(4) Any vacancy in the Board shall be filled by appointment of another person from the panel of names prepared by the Selection Committee.

6. Sittings of the Board.- (1) The Board shall hold its sittings in the premises of an observation home or at a place in proximity to the observation home or, at a suitable premise in any Child Care Institution meant for children in conflict with law run under the Act, and in no circumstances shall the Board operate from within any court or jail premises.

(2) The Board shall ensure that no person(s) un-connected with the case remains present in the room when the case is in progress.

(3) The Board shall ensure that only those person(s), in the presence of whom the child feels comfortable, are allowed to remain present during the sitting.

(4) The Board shall hold its sittings in a child-friendly premises which shall not look like a court room in any manner and the sitting arrangement should be such to enable the Board to interact with the child face to face.

(5) While communicating with the child, the Board shall use child friendly techniques through its conduct and shall adopt a child friendly attitude with regard to body language, facial expression, eye contact, intonation and volume of voice while addressing the child.

(6) The Board shall not sit on a raised platform and there shall be no barriers, such as witness boxes or bars between the Board and the child.

(7) The Board shall sit on all working days for a minimum of six hours commensurate with the working hours of a Magistrate Court, unless the case pendency is less in a particular district and the State Government issues an order in this regard, or the State Government may, by notification in the Official Gazette constitute more than one Board in a district after giving due consideration to the pendency of the cases, area or terrain of the district, population density or any other consideration.

(8) When the Board is not sitting, a child in conflict with law may be produced before an individual member of the Board. For the said purpose, one member of the Board shall always be available or accessible to take cognizance of any matter of emergency and necessary directions required to deal with the emergency situation shall be given by such member to the Special Juvenile Police Unit or the local police of the district. The Principal Magistrate shall draw up a monthly duty roster of the members who shall be so available and accessible every day, including on Sundays and holidays. The roster shall be circulated in advance to all the police stations, the Chief Judicial Magistrate/ Chief Metropolitan Magistrate, the District Judge, the District Magistrate, the Committees, the District Child Protection Unit and the Special Juvenile Police Unit.

(9) The social worker members of the Board shall be paid not less than Rs. 1500/- per sitting which shall include sitting allowance, travel allowance and any other allowance, as the State Government may prescribe.

(10) The Board shall be provided infrastructure and staff by the State Government.

7. Functions of the Board.- (1) The Board shall perform the following additional functions, namely:

- (i) whenever necessary, the Board shall provide a translator or interpreter or special educator who shall be paid not less than Rs.1500 per day and in case of translator, not exceeding Rs.100 per page. For the said purpose, the District Child Protection Unit shall maintain a panel of translators, interpreters and special educators who shall forward the same to the Board, the qualifications of the translator, interpreter and special educator shall be as prescribed under the POCSO Act, 2012 and rules framed thereunder;

- (ii) wherever required issue rehabilitation card in **Form 14** to the child in conflict with law to monitor the progress made by the child;
- (iii) wherever required, pass appropriate orders for re-admission or continuation of the child in school where the child has been disallowed from continuing his education in a school on account of the pendency of the inquiry or the child having stayed in a Child Care Institution for any length of time;
- (iv) interact with Boards in other districts to facilitate speedy inquiry and disposal of cases through due process of law, including sending a child for the purpose of an inquiry or rehabilitation to a Board in another district or State;
- (v) inspect Child Care Institutions for children in conflict with law, issue directions in cases of any noticeable lapses, suggest improvements, seek compliance and recommend suitable action, including against any employee found in dereliction of duty to the District Child Protection Unit;
- (vi) maintain a suggestion box or grievance redressal box in the premises of the Board at a prominent place to encourage inputs from children and adults alike which shall be operated by the nominee of the Principal Magistrate;
- (vii) ensure smooth functioning of Children's Committees in the Child Care Institutions for children in conflict with law, for realising children's participation in the affairs and management of such Child Care Institutions;
- (viii) review the Children's suggestion book at least once in a month;
- (ix) ensure that the Legal cum Probation Officer in the District Child Protection Unit and the State or District Legal Aid Services Authority extends free legal services to a child; and
- (x) deploy, if necessary, the services of student volunteers or non-governmental organisation volunteers for para-legal and other tasks such as contacting the parents of child in conflict with law and collecting relevant social and rehabilitative information about the child.

CHAPTER III

PROCEDURE IN RELATION TO CHILDREN IN CONFLICT WITH LAW

8. Pre-Production action of Police and other Agencies.-(1) No First Information Report shall be registered except where a heinous offence is alleged to have been committed by the child, or when such offence is alleged to have been committed jointly with adults. In all other matters, the Special Juvenile Police Unit or the Child Welfare Police Officer shall record the information regarding the offence alleged to have been committed by the child in the general daily diary followed by a social background report of the child in **Form 1** and circumstances under which the child was apprehended, wherever applicable, and forward it to the Board before the first hearing:

Provided that the power to apprehend shall only be exercised with regard to heinous offences, unless it is in the best interest of the child. For all other cases involving petty and serious offences and cases where apprehending the child is not necessary in the interest of the child, the police or Special Juvenile Police Unit or Child Welfare Police Officer shall forward the information regarding the nature of offence alleged to be committed by the child along with his social background report in **Form 1** to the Board and intimate the parents or guardian of the child as to when the child is to be produced for hearing before the Board.

(2) When a child alleged to be in conflict with law is apprehended by the police, the police officer concerned shall place the child under the charge of the Special Juvenile Police Unit or the Child Welfare Police Officer, who shall immediately inform:

- (i) the parents or guardian of the child that the child has been apprehended along with the address of the Board where the child will be produced and the date and time when the parents or guardian need to be present before the Board;
- (ii) the Probation Officer concerned, that the child has been apprehended so as to enable him to obtain information regarding social background of the child and other material circumstances likely to be of assistance to the Board for conducting the inquiry; and
- (iii) a Child Welfare Officer or a Case Worker, to accompany the Special Juvenile Police Unit or Child

Welfare Police Officer while producing the child before the Board within twenty- four hours of his apprehension.

(3) The police officer apprehending a child alleged to be in conflict with law shall:

- (i) not send the child to a police lock-up and not delay the child being transferred to the Child Welfare Police Officer from the nearest police station. The police officer may under sub-section (2) of section 12 of the Act send the person apprehended to an observation home only for such period till he is produced before the Board i.e. within twenty-four hours of his being apprehended and appropriate orders are obtained as per **rule 9** of these rules;
- (ii) not hand-cuff, chain or otherwise fetter a child and shall not use any coercion or force on the child;
- (iii) inform the child promptly and directly of the charges levelled against him through his parent or guardian and if a First Information Report is registered, copy of the same shall be made available to the child or copy of the police report shall be given to the parent or guardian;
- (iv) provide appropriate medical assistance, assistance of interpreter or a special educator, or any other assistance which the child may require, as the case may be;
- (v) not compel the child to confess his guilt and he shall be interviewed only at the Special Juvenile Police Unit or at a child-friendly premises or at a child friendly corner in the police station, which does not give the feel of a police station or of being under custodial interrogation. The parent or guardian, may be present during the interview of the child by the police;
- (vi) not ask the child to sign any statement; and
- (vii) inform the District Legal Services Authority for providing free legal aid to the child.

(4) The Child Welfare Police Officer shall be in plain clothes and not in uniform.

(5) The Child Welfare Police Officer shall record the social background of the child and circumstances of apprehending in every case of alleged involvement of the child in an offence in **Form 1** which shall be forwarded to the Board forthwith. For gathering the best available information, it shall be necessary upon the Special Juvenile Police Unit or the Child Welfare Police Officer to contact the parent or guardian of the child.

(6) A list of all designated Child Welfare Police Officers, Child Welfare Officers, Probation Officers, Para Legal Volunteers, District Legal Services Authorities and registered voluntary and non-governmental organisations in a district, Principal Magistrate and members of the Board, members of Special Juvenile Police Unit and Childline Services with contact details shall be prominently displayed in every police station.

(7) When the child is released in a case where apprehending of the child is not warranted, the parents or guardians or a fit person in whose custody the child alleged to be in conflict with law is placed in the best interest of the child, shall furnish an undertaking on a non-judicial paper in **Form 2** to ensure their presence on the dates during inquiry or proceedings before the Board.

(8) The State Government shall maintain a panel of voluntary or non-governmental organisations or persons who are in a position to provide the services of probation, counselling, case work and also associate with the Police or Special Juvenile Police Unit or the Child Welfare Police Officer, and have the requisite expertise to assist in physical production of the child before the Board within twenty-four hours and during pendency of the proceedings and the panel of such voluntary or non-governmental organisations or persons shall be forwarded to the Board.

(9) The State Government shall provide funds to the police or Special Juvenile Police Unit or the Child Welfare Police Officer or Case Worker or person for the safety and protection of children and provision of food and basic amenities including travel cost and emergency medical care to the child apprehended or kept under their charge during the period such children are with them.

9. Production of the child alleged to be in conflict with law before the Board.-(1) When the child alleged to be in conflict with law is apprehended, he shall be produced before the Board within twenty-four hours of his being apprehended, along with a report explaining the reasons for the child being apprehended by the police.

(2) On production of the child before the Board, the Board may pass orders as deemed necessary, including sending the child to an observation home or a place of safety or a fit facility or a fit person.

(3) Where the child produced before the Board is covered under section 83 of the Act, including a child who has surrendered, the Board may, after due inquiry and being satisfied of the circumstances of the child, transfer the child to the Committee as a child in need of care and protection for necessary action, and or pass appropriate directions for rehabilitation, including orders for safe custody and protection of the child and transfer to a fit facility recognised for the purpose which shall have the capacity to provide appropriate protection, and consider transferring the child out of the district or out of the State to another State for the protection and safety of the child.

(4) Where the child alleged to be in conflict with law has not been apprehended and the information in this regard is forwarded by the police or Special Juvenile Police Unit or Child Welfare Police Officer to the Board, the Board shall require the child to appear before it at the earliest so that measures for rehabilitation, where necessary, can be initiated, though the final report may be filed subsequently.

(5) In case the Board is not sitting, the child alleged to be in conflict with law shall be produced before a single member of the Board under sub-section (2) of section 7 of the Act.

(6) In case the child alleged to be in conflict with law cannot be produced before the Board or even a single member of the Board due to child being apprehended during odd hours or distance, the child shall be kept by the Child Welfare Police Officer in the Observation Home in accordance with rule 69 D of these rules or in a fit facility and the child shall be produced before the Board thereafter, within twenty-four hours of apprehending the child.

(7) When a child is produced before an individual member of the Board, and an order is obtained, such order shall be ratified by the Board in its next meeting.

10. Post-production processes by the Board.- (1) On production of the child before the Board, the report containing the social background of the child, circumstances of apprehending the child and offence alleged to have been committed by the child as provided by the officers, individuals, agencies producing the child shall be reviewed by the Board and the Board may pass such orders in relation to the child as it deems fit, including orders under sections 17 and 18 of the Act, namely:

- (i) disposing of the case, if on the consideration of the documents and record submitted at the time of his first appearance, his being in conflict with law appears to be unfounded or where the child is alleged to be involved in petty offences;
- (ii) referring the child to the Committee where it appears to the Board that the child is in need of care and protection;
- (iii) releasing the child in the supervision or custody of fit persons or fit institutions or Probation Officers as the case may be, through an order in **Form 3**, with a direction to appear or present a child for an inquiry on the next date; and
- (iv) directing the child to be kept in the Child Care Institution, as appropriate, if necessary, pending inquiry as per order in **Form 4**.

(2) In all cases of release pending inquiry, the Board shall notify the next date of hearing, not later than fifteen days of the first summary inquiry and also seek social investigation report from the Probation Officer, or in case a Probation Officer is not available the Child Welfare Officer or social worker concerned through an order in **Form 5**.

(3) When the child alleged to be in conflict with law, after being admitted to bail, fails to appear before the Board, on the date fixed for hearing, and no application is moved for exemption on his behalf or there is not sufficient reason for granting him exemption, the Board shall, issue to the Child Welfare Police Officer and the Person-in-charge of the Police Station directions for the production of the child.

(4) If the Child Welfare Police Officer fails to produce the child before the Board even after the issuance of the directions for production of the child, the Board shall instead of issuing process under section 82 of the Code of Criminal Procedure, 1973 pass orders as appropriate under section 26 of the Act.

(5) In cases of heinous offences alleged to have been committed by a child, who has completed the age of sixteen years, the Child Welfare Police Officer shall produce the statement of witnesses recorded by

him and other documents prepared during the course of investigation within a period of one month from the date of first production of the child before the Board, a copy of which shall also be given to the child or parent or guardian of the child.

(6) In cases of petty or serious offences, the final report shall be filed before the Board at the earliest and in any case not beyond the period of two months from the date of information to the police, except in those cases where it was not reasonably known that the person involved in the offence was a child, in which case extension of time may be granted by the Board for filing the final report.

(7) When witnesses are produced for examination in an inquiry relating to a child alleged to be in conflict with law, the Board shall ensure that the inquiry is not conducted in the spirit of strict adversarial proceedings and it shall use the powers conferred by section 165 of the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872) so as to interrogate the child and proceed with the presumptions in favour of the child.

(8) While examining a child alleged to be in conflict with law and recording his statement during the inquiry under section 14 of the Act, the Board shall address the child in a child-friendly manner in order to put the child at ease and to encourage him to state the facts and circumstances without any fear, not only in respect of the offence which has been alleged against the child, but also in respect of the home and social surroundings, and the influence or the offences to which the child might have been subjected to.

(9) The Board shall take into account the report containing circumstances of apprehending the child and the offence alleged to have been committed by him and the social investigation report in **Form 6** prepared by the Probation Officer or the voluntary or non- governmental organisation, along with the evidence produced by the parties for arriving at a conclusion.

10 A. Preliminary assessment into heinous offences by Board.- (1) The Board shall in the first instance determine whether the child is of sixteen years of age or above; if not, it shall proceed as per provisions of section 14 of the Act.

(2) For the purpose of conducting a preliminary assessment in case of heinous offences, the Board may take the assistance of psychologists or psycho-social workers or other experts who have experience of working with children in difficult circumstances. A panel of such experts may be made available by the District Child Protection Unit, whose assistance can be taken by the Board or could be accessed independently.

(3) While making the preliminary assessment, the child shall be presumed to be innocent unless proved otherwise.

(4) Where the Board, after preliminary assessment under section 15 of the Act, passes an order that there is a need for trial of the said child as an adult, it shall assign reasons for the same and the copy of the order shall be provided to the child forthwith.

11. Completion of Inquiry.- (1) Where after preliminary assessment under section 15 of the Act, in cases of heinous offences allegedly committed by a child, the Board decides to dispose of the matter, the Board may pass any of the dispositional orders as specified in section 18 of the Act.

(2) Before passing an order, the Board shall obtain a social investigation report in **Form 6** prepared by the Probation Officer or Child Welfare Officer or social worker as ordered, and take the findings of the report into account.

(3) All dispositional orders passed by the Board shall necessarily include an individual care plan in **Form 7** for the child in conflict with law concerned, prepared by a Probation Officer or Child Welfare Officer or a recognised voluntary organisation on the basis of interaction with the child and his family, where possible.

(4) Where the Board is satisfied that it is neither in the interest of the child himself nor in the interest of other children to keep a child in the special home, the Board may order the child to be kept in a place of safety and in a manner considered appropriate by it.

(5) Where the Board decides to release the child after advice or admonition or after participation in group counselling or orders him to perform community service, necessary direction may also be issued by the Board to the District Child Protection Unit for arranging such counselling and community service.

(6) Where the Board decides to release the child in conflict with law on probation and place him under

the care of the parent or the guardian or fit person, the person in whose custody the child is released may be required to submit a written undertaking in **Form 8** for good behaviour and well-being of the child for a maximum period of three years.

(7) The Board may order the release of a child in conflict with law on execution of a personal bond without surety in **Form 9**.

(8) In the event of placement of the child in a fit facility or special home, the Board shall consider that the fit facility or special home is located nearest to the place of residence of the child's parent or guardian, except where it is not in the best interest of the child to do so.

(9) The Board, where it releases a child on probation and places him under the care of parent or guardian or fit person or where the child is released on probation and placed under the care of fit facility, it may also order that the child be placed under the supervision of a Probation Officer who shall submit periodic reports in **Form 10** and the period of such supervision shall be maximum of three years.

(10) Where it appears to the Board that the child has not complied with the probation conditions, it may order the child to be produced before it and may send the child to a special home or place of safety for the remaining period of supervision.

(11) In no case, the period of stay in the special home or the place of safety shall exceed the maximum period provided in clause (g) of sub-section (1) of section 18 of the Act.

12. Pendency of Inquiry.- (1) For the purpose of sub-section (3) of section 16 of the Act, the Board shall maintain a 'Case Monitoring Sheet' of every case and every child in **Form 11**. The said **Form** shall be kept at the top of each case file and shall be updated from time to time. The following points shall be considered so far as 'progress of inquiry' mentioned in **Form 11** is concerned:

- (i) time schedule for disposal of the case shall be fixed on the first date of hearing;
- (ii) scheduled date given in column No. (2) of 'progress of inquiry' shall be the outer limit within which the steps indicated in column (1) are to be completed.

(2) The Board shall submit a quarterly report in **Form 12** about the pendency of the cases, visits to Homes etc. to the following:

- (i) Chief Judicial Magistrate or Chief Metropolitan Magistrate;
- (ii) District Magistrate.

(3) The District Judge shall conduct an inspection of the Board once every quarter and appraise the performance of the members of the Board on the basis of their participation in the proceedings of the Board and submit a report to the Selection Committee constituted under **rule 87** of these rules.

13. Procedure in relation to Children's Court and Monitoring Authorities.-

(1) Upon receipt of preliminary assessment from the Board the Children's Court may decide whether there is need for trial of the child as an adult or as a child and pass appropriate orders.

(2) Where an appeal has been filed under sub-section (1) of section 101 of the Act against the order of the Board declaring the age of the child, the Children's Court shall first decide the said appeal.

(3) Where an appeal has been filed under sub-section (2) of section 101 of the Act against the finding of the preliminary assessment done by the Board, the Children's Court shall first decide the appeal.

(4) Where the appeal under sub-section (2) of section 101 of the Act is disposed of by the Children's Court on a finding that there is no need for trial of the child as an adult, it shall dispose of the same as per section 19 of the Act and these rules.

(5) Where the appeal under sub-section (2) of section 101 of the Act is disposed of by the Children's Court on a finding that the child should be tried as an adult the Children's Court shall call for the file of the case from the Board and dispose of the matter as per the provisions of the Act and these rules.

(6) The Children's Court shall record its reasons while arriving at a conclusion whether the child is to be treated as an adult or as a child.

(7) Where the Children's Court decides that there is no need for trial of the child as an adult, and that it shall decide the matter itself:

- (i) It may conduct the inquiry as if it were functioning as a Board and dispose of the matter in accordance with the provisions of the Act and these rules.
- (ii) The Children's Court, while conducting the inquiry shall follow the procedure for trial in summons case under the Code of Criminal Procedure, 1973.
- (iii) The proceedings shall be conducted in camera and in a child friendly atmosphere, and there shall be no joint trial of a child alleged to be in conflict with law, with a person who is not a child.
- (iv) When witnesses are produced for examination the Children's Court shall ensure that the inquiry is not conducted in the spirit of strict adversarial proceedings and it shall use the powers conferred by section 165 of the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872).
- (v) While examining a child in conflict with law and recording his statement, the Children's Court shall address the child in a child-friendly manner in order to put the child at ease and to encourage him to state the facts and circumstances without any fear, not only in respect of the offence which is alleged against the child, but also in respect of the home and social surroundings and the influence to which the child might have been subjected.
- (vi) The dispositional order passed by the Children's Court shall necessarily include an individual care plan in **Form 7** for the child in conflict with law concerned, prepared by a Probation Officer or Child Welfare Officer or recognized voluntary organisation on the basis of interaction with the child and his family, where possible.
- (vii) The Children's Court, in such cases, may pass any orders as provided in sub-sections (1) and (2) of section 18 of the Act.

(8) Where the Children's Court decides that there is a need for trial of the child as an adult:

- (i) It shall follow the procedure prescribed by the Code of Criminal Procedure, 1973 of trial by sessions and maintaining a child friendly atmosphere.
- (ii) The final order passed by the Children's Court shall necessarily include an individual care plan for the child as per **Form 7** prepared by a Probation Officer or Child Welfare Officer or recognized voluntary organisation on the basis of interaction with the child and his family, where possible.
- (iii) Where the child has been found to be involved in the offence, the child may be sent to a place of safety till the age of twenty-one years.
- (iv) While the child remains at the place of safety, there shall be yearly review by the Probation Officer or the District Child Protection Unit or a social worker in **Form 13** to evaluate the progress of the child and the reports shall be forwarded to the Children's Court.
- (v) The Children's Court may also direct the child to be produced before it periodically and at least once every three months for the purpose of assessing the progress made by the child and the facilities provided by the institution for the implementation of the individual care plan.
- (vi) When the child attains the age of twenty-one years and is yet to complete the term of stay, the Children's Court shall:
 - (a) interact with the child in order to evaluate whether the child has undergone reformative changes and if the child can be a contributing member of the society.
 - (b) take into account the periodic reports of the progress of the child, prepared by the Probation Officer or the District Child Protection Unit or a social worker, if needed and further direct that institutional mechanism if inadequate be strengthened.



- (c) After making the evaluation, the Children's Court may decide to:
 - (ca) release the child forthwith;
 - (cb) release the child on execution of a personal bond with or without sureties for good behaviour;
 - (cc) release the child and issue directions regarding education, vocational training, apprenticeship, employment, counselling and other therapeutic interventions with a view to promoting adaptive and positive behaviour etc.;
 - (cd) release the child and appoint a monitoring authority for the remainder of the prescribed term of stay. The monitoring authority, where appointed shall maintain a Rehabilitation Card for the child in **Form 14**.
- (vii) For the purpose of sub-rule (vi) (c) (cd) of this rule:
 - (a) A Probation Officer or Case Worker or Child Welfare Officer or a fit person may be appointed as a monitoring authority.
 - (b) The District Child Protection Unit shall maintain a list of such persons who can be engaged as monitoring authorities which shall be sent to the Children's Court along with bi-annual updates.
 - (c) The child shall for the first quarter after release, meet with the monitoring authority on a fortnightly basis or at such intervals as may be directed by the Children's Court. The monitoring authority shall fix a time and venue for such meetings in consultation with the child. The monitoring authority will forward its observations on the progress of the child on a monthly basis to the Children's Court.
 - (d) At the end of the first quarter the monitoring authority shall make recommendations regarding the further follow up procedure required for the child.
 - (e) Where the child, after release is found to be indulging in criminal activities or associating with people with criminal antecedents, he shall be brought before the Children's Court for further orders.
 - (f) If it is found that the child no longer requires to be monitored, the monitoring authority shall place the detailed report with recommendations before the Children's Court which shall issue further directions either terminating the monitoring or for its continuation.
 - (g) After the first quarter, the child shall meet the monitoring authority at such intervals as may be directed by the Children's Court based on the recommendations made by the monitoring authority at the end of the first quarter and the monitoring authority shall forward its report to the Children's Court which shall review the same every quarter.

14. Destruction of records.- The records of conviction in respect of a child in conflict with law shall be kept in safe custody till the expiry of the period of appeal or for a period of seven years, and no longer, and thereafter be destroyed by the Person-in-charge or Board or Children's Court, as the case may be:

Provided that in case of a heinous offence where the child is found to be in conflict with law under clause (i) of sub-section (1) of section 19 of the Act, the relevant records of conviction of such child shall be retained by the Children's Court.

CHAPTER IV

CHILD WELFARE COMMITTEE

15. Composition and Qualifications of Members of the Committee.- (1) There shall be one or more Committees in each district to be constituted by the State Government through a notification in the Official Gazette.

(2) The Chairperson and members of the Committee shall be appointed by the State Government on the recommendation of the Selection Committee under **rule 87** of these rules.

(3) The Chairperson and the members shall be above the age of thirty-five years and shall have a minimum of seven years of experience of working with children in the field of education, health, or welfare

activities, or should be a practicing professional with a degree in child psychology or psychiatry or social work or sociology or human development or in the field of law or a retired judicial officer.

(4) A member of the Committee shall be eligible for appointment of maximum of two terms, which shall not be continuous.

(5) All persons, on selection shall mandatorily be given training under **rule 89** within a period of sixty days from the date of appointment.

(6) The Chairperson and the members may resign at any time by giving one month's notice in writing to the State Government.

16. Rules and Procedures of Committee.- (1) The Chairperson and members of the Committee shall be paid such sitting allowance, travel allowance and any other allowance, as the State Government may prescribe but not less than Rs.1500 /- per sitting.

(2) A visit to an existing Child Care Institution by the Committee shall be considered as a sitting of the Committee.

(3) The Committee shall hold its sittings in the premises of a children's home or, at a place in proximity to the children's home or, at a suitable premises in any institution run under the Act for children in need of care and protection.

(4) The Committee shall ensure that no person(s) un-connected with the case remains present in the room when the session is in progress.

(5) The Committee shall ensure that only those person(s), in the presence of whom the child feels comfortable, shall be allowed to remain present during the sitting.

(6) At least one member of the Committee shall always be available or accessible to take cognizance of any matter of emergency and issue necessary directions to the Special Juvenile Police Unit or local police of the district. For this purpose the Chairperson of the Committee shall draw up a monthly duty roster of the Committee members who shall be available and accessible every day, including on Sundays and holidays. The roster shall be circulated in advance to all the police stations, the Chief Judicial Magistrate/Chief Metropolitan Magistrate, the District Judge, the District Magistrate, the Board, the District Child Protection Unit and the Special Juvenile Police Unit.

(7) The Committee shall sit on all working days for a minimum of six hours commensurate with the working hours of a magistrate court, unless the case pendency is less in a particular district and the State Government concerned issues an order in this regard:

Provided that the State Government may, by notification in the Official Gazette constitute more than one Committee in a district after giving due consideration to the pendency of the cases, area or terrain of the district, population density or any other consideration.

(8) On receiving information about a child or children in need of care and protection, who cannot be produced before the Committee, the Committee shall reach out to the child or children and hold its sitting at a place that is convenient for such child or children.

(9) While communicating with the child, the Committee members shall use child friendly techniques through their conduct.

(10) The Committee shall hold its sittings in a child-friendly premises which shall not look like a court room in any manner and the sitting arrangement should be such to enable the Committee to interact with the child face to face.

(11) The Committee shall not sit on a raised platform and there shall be no barriers, such as witness boxes or bars between the Committee and the children

(12) The Committee shall be provided infrastructure and staff by the State Government.

17. Additional Functions and Responsibilities of the Committee.- In addition to the functions and responsibilities of the Committee under section 30 of the Act, the Committee shall perform the following functions to achieve the objectives of the Act, namely:

- (i) document and maintain detailed case record along with a case summary of every case dealt by the Committee in **Form 15**;
- (ii) maintain a suggestion box or grievance redressal box at a prominent place in the premises of the Committee to encourage inputs from children and adults alike which shall be operated by the District Magistrate or his nominee;
- (iii) ensure smooth functioning of Children's Committees in the Child Care Institutions for children in need of care and protection within its jurisdiction, for realising children's participation in the affairs and management of the said Child Care Institutions;
- (iv) review the Children's Suggestion Book at least once a month;
- (v) send quarterly information in **Form 16** about children in need of care and protection received by it to the District Magistrate with all relevant details on nature of disposal of cases, pending cases and reasons for such pendency;
- (vi) wherever required, issue rehabilitation card in **Form 14** to children in need of care and protection to monitor their progress;
- (vii) maintain the following records in a register:
 - (a) entries of the cases listed in a day and next date and the Committee shall prepare a daily cause list of the cases before it;
 - (b) entries and particulars of children brought before the Committee and details of the Child Care Institution where the children are placed or the address where the children are sent;
 - (c) execution of bonds;
 - (d) movement including visits to institutions;
 - (e) children declared legally free for adoption;
 - (f) children recommended for or placed in sponsorship;
 - (g) children placed in individual or group foster care;
 - (h) children transferred to or received from another Committee;
 - (i) children for whom follow up is to be done;
 - (j) children placed in after care;
 - (k) inspection record of the Committee;
 - (l) record of Minutes of the meetings of the Committee;
 - (m) correspondence received and sent;
 - (n) any other record or register which the Committee may require.
- (viii) All information listed in clause (vii) of this rule may be digitised and a software may be developed by the State Government.

CHAPTER V

PROCEDURE IN RELATION TO CHILDREN IN NEED OF CARE AND PROTECTION

18. Production before the Committee.- (1) Any child in need of care and protection shall be produced before the Committee during the working hours at its place of sitting and beyond working hours before the member as per the duty roster:

Provided that where the child cannot be produced before the Committee, the Committee shall reach out to the child where the child is located.

(2) Whoever produces the child before the Committee shall make a report in **Form 17** containing the particulars of the child as well as the circumstances in which the child was received or found.

(3) In case of a child less than two years of age, who is medically unfit, the person or the organisation who comes in contact with the child in need of care and protection shall send a written report along with the photograph of the child to the Committee within twenty-four hours and produce the child before the Committee as soon as the child is medically fit along with a medical certificate to that effect.

(4) The Committee after interaction with the child may issue directions for placing the child with the parent or guardian or Children's Home, where such Home is available in the vicinity of the Committee before which the child is produced, and in the absence of such Home, to direct the placing of the child in safe custody of a fit person or a fit facility.

(5) The Committee or the member on duty shall issue the order for placing the child in Children's Home in **Form 18**.

(6) The Committee or the member on duty shall order immediate medical examination of the child produced before the Committee or the member on duty, if such examination is needed.

(7) In the case of abandoned or lost or orphaned child, the Committee, before passing an order granting interim custody of the child pending inquiry, shall see that, the information regarding such child is uploaded on a designated portal.

(8) The Committee may, while making an order in **Form 19** for placing a child under the care of a parent, guardian or fit person, pending inquiry or at the time of restoration, as the case may be, direct such parent, guardian or fit person to enter into an undertaking in **Form 20**.

(9) Whenever the Committee orders a child to be kept in an institution, it shall forward to the Person-in-charge of such institution, a copy of the order of short term placement pending inquiry in **Form 18** with particulars of the Child Care Institution and parents or guardian and previous record. A copy of such order shall also be forwarded to the District Child Protection Unit.

19. Procedure for inquiry.- (1) The Committee shall inquire into the circumstances under which the child is produced and accordingly declare such child to be a child in need of care and protection.

(2) The Committee shall, *prima facie* determine the age of the child in order to ascertain its jurisdiction, pending further inquiry as per section 94 of the Act, if need be.

(3) When a child is brought before the Committee, the Committee shall assign the case to a social worker or Case Worker or Child Welfare Officer or to any recognised non-governmental organisation for conducting the social investigation under sub-section (2) of section 36 of the Act through an order in

Form 21.

(4) The Committee shall direct the person or organisation concerned to develop an individual care plan in **Form 7** including a suitable rehabilitation plan. The individual care plan prepared for every child in the institutional care shall be developed with the ultimate aim of the child being rehabilitated and re-integrated based on the case history, circumstances and individual needs of the child.

(5) The inquiry shall satisfy the basic principles of natural justice and shall ensure the informed participation of the child and the parent or guardian. The child shall be given an opportunity to be heard and his opinion shall be taken into consideration with due regard to his age and level of maturity. The orders of the Committee shall be in writing and contain reasons.

(6) The Committee shall interview the child sensitively and in a child friendly manner and will not use adversarial or accusatory words or words that adversely impact the dignity or self-esteem of the child.

(7) The Committee shall satisfy itself through documents and verification reports, before releasing or restoring the child, as per **Form 19**, in the best interest of the child.

(8) The social investigation conducted by a social worker or Case Worker or Child Welfare Officer of the institution or any non-governmental organisation shall be as per **Form 22** and must provide an assessment of the family situation of the child in detail, and explain in writing whether it will be in the best interest of the child to restore him to his family.

- (9) Before the Committee releases or restores the child, both the child as well as the parents or guardians may be referred to the Counsellor.
- (10) The Committee shall maintain proper records of the children produced before it including medical reports, social investigation report, any other report(s) and orders passed by the Committee in regard to the child.
- (11) In all cases pending inquiry, the Committee shall notify the next date of appearance of the child not later than fifteen days of the previous date and also seek periodic status report from the social worker or Case Worker or Child Welfare Officer conducting investigation on each such date.
- (12) In all cases pending inquiry, the Committee shall direct the person or institution with whom the child is placed to take steps for rehabilitation of the child including education, vocational training, etc., from the date of first production of the child itself.
- (13) Any decision taken by an individual member, when the Committee is not sitting, shall be ratified by the Committee in its next sitting.
- (14) At the time of final disposal of a case, there shall be at least three members present including the Chairperson, and in the absence of Chairperson, a member so nominated by the Chairperson to act as such.
- (15) The Committee shall function cohesively as a single body and as such shall not form any sub-committees.
- (16) Where a child has to be sent or repatriated to another district or state or country the Committee shall direct the District Child Protection Unit to take necessary permission as may be required, such as approaching the Foreigners Regional Registration Offices and Ministry of External Affairs for a no-objection certificate, contacting the counterpart Committee, or any other voluntary organisation in the other district or state or country where the child is to be sent.
- (17) At the time of final disposal of the case, the Committee shall incorporate in the order of disposal, an individual care plan in **Form 7** of such child prepared by the social worker or Case Worker or Child Welfare Officer of the institution or any non-governmental organisation, as the case may be.
- (18) While finally disposing of the case, the Committee shall give a date for follow-up of the child not later than one month from the date of disposal of the case and thereafter once every month for the period of first six months and thereafter every three months for a minimum of one year or till such time as the Committee deems fit.
- (19) Where the child belongs to a different district, the Committee shall forward the age declaration, case file and the individual care plan to the Committee of the district concerned which shall likewise follow-up the individual care plan as if it had passed such disposal order.
- (20) The individual care plan shall be monitored by means of a rehabilitation card in **Form 14** issued for the purpose by the Committee passing the disposal order and which shall form part of the record of the Committee which follow up the implementation of the individual care plan. Such rehabilitation card shall be maintained by the Rehabilitation- cum -Placement Officer.
- (21) All orders passed by the Committee in respect of a child in need of care and protection shall also be uploaded on the designated portal with due regard to the confidentiality and privacy of the child.
- (22) When a parent or guardian, wishes to surrender a child under sub-section (1) of section 35 of the Act, such parent or guardian shall make an application to the Committee in **Form 23**. Where such parent or guardian is unable to make an application due to illiteracy or any other reason, the Committee shall facilitate the same through the Legal Aid Counsel provided by the Legal Services Authority, the deed of surrender shall be executed as per **Form 24**.
- (23) The inquiry under sub-section 3 of section 35 of the Act shall be concluded by the Committee expeditiously and the Committee shall declare the surrendered child as legally free for adoption after the expiry of sixty days from the date of surrender.

(24) In case of orphan or abandoned child, the Committee shall make all efforts for tracing the parents or guardians of the child and on completion of such inquiry, if it is established that the child is either an orphan having no one to take care, or abandoned, the Committee shall declare the child legally free for adoption.

(25) In case an abandoned or orphan child is received by a Child Care Institution including a Specialised Adoption Agency, such a child shall be produced before the Committee within twenty-four hours (excluding the time necessary for the journey) along with a report in **Form 17** containing the particulars and photograph of the child as well as the circumstances in which the child was received by it and a copy of such report shall also be submitted by the Child Care Institution or a Specialised Adoption Agency to the local police station within the same period.

(26) The Committee shall issue an order in **Form 18** for short term placement and interim care of the child, pending inquiry under section 36 of the Act.

(27) The Committee shall use the designated portal to ascertain whether the abandoned child or orphan child is a missing child while causing the details of the orphan or the abandoned child to be uploaded.

(28) The Committee, after taking into account the risk factors, and in the best interest of the child, may direct the publication of the particulars and photograph of an orphan or abandoned child in national newspapers with wide circulation within seventy two hours from the time of receiving the child for the purposes of tracing out the biological parents or the legal guardian(s).

(29) The Committee, after making inquiry as per the provisions of the Act, shall issue an order in **Form 25** declaring the abandoned or orphan child as legally free for adoption and send the same information to the Authority.

(30) Where the parents of the child are traced, the procedure for restoration of the child shall be as per **rule 82** of these rules.

20. Pendency of cases.- (1) The Committee shall maintain a 'Case Monitoring Sheet' of every case and in case there is more than one child in one case, a separate sheet shall be used for each child. The case monitoring sheet shall be in **Form 26**. The said Form shall be kept at the top of each case file and shall be updated from time to time. The following points shall be considered so far as 'progress of inquiry' mentioned in **Form 26** is concerned:

- (i) time schedule for disposal of the case should be fixed on the first date of hearing;
- (ii) scheduled date given in column (2) of 'progress of inquiry' shall be the outer limit within which the steps indicated in column (1) is to be completed.

(2) The Committee shall submit a quarterly report to District Magistrate in **Form 16** for review of pendency of cases.

(3) The District Magistrate shall review the functioning of the Committee including by inspection once every quarter and also appraise the performance of the Chairperson and the members of the Committee on the basis of their participation in the proceedings of the Committee and submit a report to the Selection Committee constituted under **rule 87** of these rules.

CHAPTER VI

REHABILITATION AND SOCIAL RE-INTEGRATION

21. Manner of Registration of Child Care Institutions.- (1) All institutions running institutional care services for children in need of care and protection or children in conflict with law, whether run by the government or voluntary organisation, shall be registered under sub-section (1) of section 41 of the Act, irrespective of being registered or licensed under any other Act for the time being in force.

(2) All such institutions shall make an application in **Form 27** together with a copy each of rules, bye-laws, memorandum of association, list of governing body, office bearers, list of trustees, balance sheet of preceding three years, statement of past record of social or public service provided by the institution to the State Government and a declaration from the person or the organisation regarding any previous conviction record or involvement in any immoral act or in an act of child abuse or employment of child labour or that it has not been black listed by the Central or State Government;

(3) The State Government shall after verifying that provisions exist in the institution for the care and protection of children, health, education, boarding and lodging facilities, vocational facilities and rehabilitation as per the Act and the rules, may issue a registration certification to such institution under sub-section (1) of section 41 of the Act in **Form 28**.

(4) The State Government, may not grant provisional registration where adequate facilities do not exist in the institution applying for registration and the State Government shall issue an order before the expiry of one month from the date of receipt of the application that the institution is not entitled for even provisional registration.

(5) The State Government, while taking a decision on the application for registration, may consider the following namely:

- (i) registration of the organisation under any law for the time being in force;
- (ii) details of physical infrastructure, water and electricity facilities, sanitation and hygiene, recreation facilities;
- (iii) financial position of the organization and maintenance of documents along with audited statement of accounts for the previous three years;
- (iv) resolution of the Governing Body to run the institution or an open shelter;
- (v) plan to provide services for children such as medical, vocational, educational, counselling, etc., in case of new applicants and details of such services provided in case of existing institutions ;
- (vi) arrangements of safety, security and transportation;
- (vii) details of other support services run by the organisation;
- (viii) details of linkages and networking with other governmental, non-governmental, corporate and other community based agencies on providing need-based services to children;
- (ix) details of existing staff with their qualification and experience;
- (x) details of registration under Foreign Contribution Regulation Act and funds available, if any;
- (xi) a declaration from the person or the organisation regarding any previous conviction record or involvement in any immoral act or in an act of child abuse or employment of child labour;
- (xii) any other criteria as prescribed by the State Government.

(6) The State Government shall conduct a detailed inspection where provisional registration has been granted or review annually after registration under sub-section (1) of section 41 of the Act, of the facilities, staff, infrastructure and compliance with the standards of care, protection, rehabilitation and reintegration services and management of the institution or the organisation as laid down under the Act and the rules.

(7) If the inspection or the annual review reveals that there is unsatisfactory compliance with the standards of care, protection, rehabilitation and reintegration services and management of the institution as laid down under the Act and the rules or the facilities are inadequate, the State Government may, at any time, serve notice on the management of the institution and after giving an opportunity of being heard, declare within a period of sixty days from the date of the detailed inspection or annual review as the case may be, that the registration of the institution or organisation, shall stand withdrawn or cancelled from a date specified in the notice and from the said date, the institution shall cease to be an institution registered under sub-section (1) of section 41 of the Act.

(8) When an institution ceases to be an institution registered under the Act or has failed to apply for registration within the time frame laid down in the said provision or has not been granted provisional registration, the said institution shall be managed by the State Government or the children placed therein shall be transferred by the order of the Board or the Committee, to some other institution, registered under sub-section (1) of section 41 of the Act.

(9) All institutions shall be bound to seek renewal of registration three months prior to the expiry of the period of registration and in case of their failure to seek renewal of registration before the expiry of the

period of registration of the institution, the institution shall cease to be an institution registered under sub-section (1) of section 41 of the Act and provisions of sub-rule (8) of this rule shall apply.

(10) An application for renewal of registration of an institution shall be disposed of within sixty days from the date of receipt of application.

(11) The decision on renewal of registration shall be based on the annual review done in the year in which the renewal is sought.

(12) The Central Government shall facilitate developing a model online system for receipt and processing of applications and grant or cancellation of registration and in the interim the systems existing in the States and Union Territories shall continue.

22. Open Shelter.- (1) The State Government may establish open shelters by itself or through voluntary or non-governmental organisations.

(2) All organisations and persons who wish to establish open shelters or already running open shelters shall, make an application in **Form 27** to the State Government for registration.

(3) The applicants shall submit a report of the need for opening such open shelters along with a survey on the status of children indicating the number of children where the open shelter is proposed to be established. After proper police verification and other inquiry as deemed necessary, the organisation or person may be selected for running the open shelter.

(4) The open shelters shall be registered as provided under sub-section (1) of section 41 of the Act in **Form 28**.

(5) The services provided in the open shelters may include day care and night residential facilities including food, washing facilities and toilets, and any other facility as the State Government may deem fit.

(6) The capacity of an open shelter should be such as to accommodate twenty-five to fifty children at one time and should include a kitchen, dining facilities, bathrooms and toilets, lockers and recreational facilities.

(7) In cases where, the agency in charge of the Open Shelter finds that a child may require more than short term care and protection exceeding twenty- four hours, such child may be produced before the Committee for appropriate further steps.

(8) The open shelter shall not refuse admission to any child in need of care and protection at any time.

(9) Each open shelter shall send monthly information in **Form 29** to the District Child Protection Unit and the Committee regarding the children availing the services of the open shelter.

23. Foster Care.- (1) The State Government may place children in need of care and protection in foster care including group foster care through order of the Committee for a short or extended period of time.

(2) The District Child Protection Unit shall be the nodal authority for implementing the foster care programme in a district.

(3) All decisions related to placement of a child in foster care shall be taken by the Committee. Children in the age group of six years and above may be considered for placement in foster care in the circumstances mentioned in sub-rule (1) of **rule 44** of these rules. Children below six years of age shall be, as far as possible placed in adoption.

(4) Children in need of care and protection who are living in community may also be considered for placement in foster care based on the child study report in **Form 31** prepared by the District Child Protection Unit.

(5) The Committee shall take into consideration the individual care plan and the opinion of the child before deciding the nature of foster care with due regard to his age and maturity. The child shall be informed and prepared throughout the process.

(6) Foster care may be for short term or long term depending upon the needs of the child. The duration of short term Foster care shall be for a period of not more than one year.

(7) Long term foster care, shall be for a period exceeding one year. This can be periodically extended by the Committee till the child attains eighteen years of age on the basis of assessment of the compatibility of the child with the foster care parents or in a group foster care setting.

(8) Recognising that every child has the right to grow in a family environment, every attempt shall be made to reunite the child with his biological family, if possible.

(9) The Committee before placing the child in foster care shall obtain a Home Study Report of the foster family through the District Child Protection Unit in **Form 30**.

(10) Children with special needs may be considered either for placement in foster family or group foster care, provided the Home Study Report of the foster family supports their fitness or group setting has facilities for care of such children.

(11) The number of children placed under group foster care shall not exceed eight children in one unit including biological children of the foster caregiver.

(12) The District Child Protection Unit, while selecting foster family shall consider the following, namely:

- (i) both the spouses must be Indian citizens;
- (ii) both the spouses must be willing to foster the same child;
- (iii) both the spouses must be above the age of thirty-five years and must be in good physical, emotional and mental health;
- (iv) ordinarily the foster family should have an income with which they are able to meet the needs of the child;
- (v) medical reports of all the members of the foster family residing in the premises should be obtained including reports for Human Immuno Deficiency Virus (HIV), Tuberculosis (TB) and Hepatitis B etc. to determine that they are medically fit; and
- (vi) the foster family should have adequate space and basic facilities.

(13) The District Child Protection Unit, while selecting Group foster care setting shall consider the following illustrative criteria:

- (i) registration of the group setting under the Act;
- (ii) recognition as a fit facility by Committee;
- (iii) existence of child protection policy; and
- (iv) sufficient space and proper amenities for children.

(14) The process for selection of Foster family or Group foster setting shall be notified by the State Government.

(15) The Committee shall pass the final order in **Form 32** for placing the child in foster care, specifying the period for which the child is placed in foster care.

(16) The foster family or group foster care giver shall sign an undertaking for foster-care of the child in **Form 33**.

(17) The District Child Protection Unit shall maintain a record of each child in foster care in **Form 34**.

(18) The Committee shall conduct monthly inspection of the foster families or foster care givers in **Form 35** to check the well-being of the child.

(19) The foster family or group foster care giver shall:

- (i) provide adequate food, clothing and shelter and education;
- (ii) provide care, support and treatment for child's overall physical, emotional and mental health;
- (iii) ensure protection from exploitation, maltreatment, harm, neglect and abuse;

- (iv) provide age appropriate facilities for recreation, extra-curricular activities such as sports, music, dance, drama, art, etc.;
- (v) provide vocational training according to the interests of the child;
- (vi) respect the privacy of the child and his biological family or guardian, and acknowledge that any information provided about them is confidential and is not to be disclosed to another party without prior consent;
- (vii) provide treatment in emergent situations and inform the Committee and biological family about the same which may pass appropriate orders wherever necessary;
- (viii) support contact between the child and his biological family in consultation with the Committee keeping in view the best interest of the child;
- (ix) share and discuss the information pertaining to the progress of the child periodically with the Committee and biological family of the child and produce the child before the Committee as and when directed by the Committee; and
- (x) ensure that the child's whereabouts are known at all times, including reporting any changes of address, holiday plans and any episodes of running away of the child to the Committee.

24. Sponsorship.- (1) The State Government shall prepare sponsorship programmes, which may include:

- (i) individual to individual sponsorship;
- (ii) group sponsorship;
- (iii) community sponsorship;
- (iv) support to families through sponsorship; and
- (v) support to Children Homes and Special Homes

(2) The sponsorship programme shall be implemented by the District Child Protection Unit which shall provide a panel of persons or families or organisations interested in sponsoring a child.

(3) The panel will list sponsors according to the area of interest such as education, medical support, nutrition, vocational training etc., and the nature of sponsorship.

(4) The District Child Protection Unit shall forward the panel to the Board or the Committee or the Children's Court.

(5) The Board or the Committee or the Children's Court may suo motu, or on an application received in that behalf, consider the placement of a child under sponsorship for which purpose it shall verify from the panel whether a sponsor is available to support such child and pass an order for placement of the child under sponsorship in **Form 36**.

(6) The District Child Protection Unit, in case of individual sponsorship, shall open an account in the name of the child to be operated preferably by the mother. The money shall be transferred directly from the bank account of the District Child Protection Unit to the bank account of the child.

(7) The duration of the sponsorship shall not ordinarily exceed three years.

25. After Care of Children Leaving Institutional Care.- (1) The State Government shall prepare a programme for children who have to leave Child Care Institutions on attaining eighteen years of age by providing for their education, giving them employable skills and placement as well as providing them places for stay to facilitate their re-integration into the mainstream of society.

(2) Any child who leaves a Child Care Institution may be provided after care till the age of twenty-one years on the order of the Committee or the Board or the Children's Court, as the case may be, as per **Form 37** and in exceptional circumstances, for two more years on completing twenty-one years of age.

(3) The District Child Protection Unit shall prepare and maintain a list of organisations, institutions and individuals interested in providing after care as per their area of interest such as education, medical support, nutrition, vocational training etc. and the same shall be forwarded to the Board or the Committee and all Child Care Institutions for their record.

(4) The Probation Officer or the Child Welfare Officer or Case Worker or social worker, shall prepare a post release plan and submit the same to the Board or the Committee, two months before the child is due to leave the Child Care Institution, recommending after care for such child, as per the needs of the child.

(5) The Board or the Committee or the Children's Court, while monitoring the post release plan will also examine the effectiveness of the aftercare programme, particularly whether it is being utilized for the purpose for which it has been granted and the progress made by the child as a result of such after-care programme.

(6) Children who are placed in after care programme, shall be provided funds by the State Government for their essential expenses; such funds shall be transferred directly to their bank accounts.

(7) The services provided under the after-care programme may include:

- (i) community group housing on a temporary basis for groups of six to eight persons;
- (ii) provision of stipend during the course of vocational training or scholarships for higher education and support till the person gets employment;
- (iii) arrangements for skill training and placement in commercial establishments through coordination with National Skill Development Programme, Indian Institute for Skill Training and other such Central or State Government programmes and corporates, etc.;
- (iv) provision of a counsellor to stay in regular contact with such persons to discuss their rehabilitation plans;
- (v) provision of creative outlets for channelising their energy and to tide over the crisis periods in their lives;
- (vi) arrangement of loans and subsidies for persons in after-care, aspiring to set up entrepreneurial activities; and
- (vii) encouragement to sustain themselves without State or institutional support.

26. Management and Monitoring of Child Care Institutions.- (1) The personnel strength of a Child Care Institution shall be determined according to the duty, posts, hours of duty and category of children that the staff is meant to cater to.

(2) The staff of the Child Care Institution shall be subject to control and overall supervision of the Person-in-charge who by order, shall determine their specific duties and responsibilities in keeping with the statutory requirements of the Act and these rules.

(3) The number of posts in each category of staff shall be fixed on the basis of capacity of the institution and shall proportionately increase with the increase in the capacity of the institution.

(4) In case of Child Care Institutions housing girls, only female Person-in charge and staff shall be appointed.

(5) Any person associated with a Child Care Institution should not have been convicted of an offence or have been involved in any immoral act or in act of child abuse or employment of child labour or in an offence involving moral turpitude or hold any office in any political party during his tenure.

(6) No person shall be appointed to or work in a Child Care Institution without police verification.

(7) The suggested staffing pattern for an institution with a capacity of 100 children may be as below:

S. No	Personnel/ Staff	Number
1.	Person-in-charge (Superintendent)	1
2.	Probation Officer/Child Welfare Officer/Case Workers (NGOs) A Child Welfare Officer may be designated as Rehabilitation-cum-Placement Officer	3
3.	Counselor/ Psychologists/mental health expert	2
4.	House Mother/ House Father	4
5.	Educator/ Tutor	2(Part time)
6.	Medical Officer (Physician)	1 (on call)
7.	Para-medical staff/ Staff Nurse/Nursing Orderly	1
8.	Store Keeper cum Accountant	1
9.	Art & Craft & activity teacher	1(Part time)
10.	PT Instructor-cum-Yoga trainer	1(Part time)
11.	Cook	2
12.	Helper	2
13.	House keeping	2
14.	Driver	1
15.	Gardener	1(Part time)

(8) In case of institutions housing infants, provision for ayahs and paramedical staff shall be made as per need.

(9) The security personnel shall be deployed as per nature and requirement of the Child Care Institution, taking into consideration strength of the children, age groups, physical and mental status, segregation facility based on the nature of offence and structure of the Institution.

(10) The security personnel to be engaged or appointed shall be adequately trained and oriented to deal with the children with sensitivity preferably ex-servicemen or retired para-military personnel or through Director General of Resettlement.

(11) The security personnel shall not be with arms or guns but have training and special skills to handle a crisis situation, control violence and escape of children from the institution, conduct search and frisking and security surveillance.

27. Fit Facility.- (1) The Board or the Committee shall on an application from any institution or organisation run by Government or non-governmental organisation, recognise the facility as a fit facility provided the manager of that facility is willing temporarily to receive a child for a specific purpose or for group foster care.

(2) An application in **Form 38** for recognition shall be accompanied with a copy each of rules, bye-laws, memorandum of association, list of governing body, office bearers, list of trustees, balance sheet of the preceding three years, statement of past record of social or public service provided by the institution or organisation.

(3) Any facility for recognition as a fit facility shall:

- (i) meet the basic standards of care and protection to the child;
- (ii) provide basic services to any child placed with it;
- (iii) prevent child placed with it to any form of cruelty or exploitation or neglect or abuse of any kind; and
- (iv) abide by the orders passed by the Board or the Committee.

(4) The Board or the Committee, after proper inspection and inquiry to ensure that provisions exist in the institution for the care and protection of children with reference to their health, education, boarding and lodging facilities, vocational facilities and rehabilitation as per the rules, and consideration of such other material as may be available, may grant recognition to such institution or organisation as a fit facility in **Form 39:**

Provided that any person associated with such institution or organisation should not have been convicted of an offence or have been involved in any immoral act or in act of child abuse or employment of child labour or in an offence involving moral turpitude.

(5) A decision on the application for recognition of an institution or organisation shall be taken by the Board or the Committee within a period of fifteen days from the date of receipt of the application.

(6) The recognition to an institution or an organisation as a fit facility shall be initially for a period of three years which may be renewed for a further period of three years in accordance with sub-rule (4) of this rule.

(7) The Board or the Committee may, if dissatisfied with the standard of care and protection provided, or conditions prevailing in the facility, or the management of the institution or the organisation recognised under the Act or on an adverse report made by an inspection committee appointed under section 54 of the Act, or for any other reason, at any time, by a reasoned order, withdraw the recognition of the institution or the organisation as a fit facility and from the date specified in the order of the Board or the Committee, the institution or the organisation shall cease to be a fit facility recognized under the Act and the rules.

(8) Where the recognition of a fit facility is withdrawn by the Board or the Committee, intimation of the same shall be sent to the Children's Court, Special Juvenile Police Unit and District Child Protection Unit and the children placed with such an institution or organisation may be placed by the Board or the Committee or the Children's Court to another fit facility or any other Child Care Institution.

(9) A list of fit facilities approved by the Board or the Committee shall be kept in that office and be sent to the Children's Court, Special Juvenile Police Unit, the District Child Protection Unit and the State Child Protection Society.

(10) An institution or organisation shall be recognised as a fit facility for purposes which may include:

- (i) short term care;
- (ii) medical care treatment and specialised treatment;
- (iii) psychiatric and mental health care;
- (iv) de-addiction and rehabilitation;
- (v) education;
- (vi) vocational training and skill development;
- (vii) witness protection; and
- (viii) group foster care.

(11) The services to be provided by the fit facility may include:

- (i) food, clothing, water, sanitation and hygiene;
- (ii) mental health interventions including counselling;
- (iii) medical facilities including first aid and to facilitate specialised treatment;
- (iv) formal age appropriate education including bridge education and continuing education and life skill education; and
- (v) recreation, sports, fine arts and group work activities.

(12) The placement of a child in a fit facility shall be for a period as deemed fit by the Board or the Committee or the Children's Court.

28. Fit Person.- (1) Any individual who is fit to temporarily receive a child for care, protection or treatment, for a period as may be necessary, may be recognised by the Board or the Committee as a fit person.

(2) The Board or the Committee may identify a panel of persons on the basis of their credentials, respectability, expertise, professional qualifications, experience of dealing with children and their willingness to receive the child and shall recognise them as fit persons for the purposes of the Act:

Provided that such a person should not have been accused of an offence under the Act or have been involved in any immoral act or in act of child abuse or employment of child labour or in an offence involving moral turpitude.

(3) The Board or the Committee may also appoint any person as a fit person on need basis for a child or children after verifying the credentials of such person, and wherever possible, after getting police verification done on such a person .

(4) The Board or the Committee may, if dissatisfied with the standard of care and protection provided or for any other reason, at any time, by a reasoned order withdraw the recognition of the person as a fit person from the date specified in the order of the Board or the Committee.

(5) Where the recognition of a fit person is withdrawn by the Board or the Committee, intimation of the same shall be sent to the Children's Court, Special Juvenile Police Unit and District Child Protection Unit and the child placed with such a fit person may be placed by the Board or the Committee or the Children's Court to another fit person or with a fit facility or any Child Care Institution.

(6) A list of fit persons recognised by the Board or the Committee shall be kept in the office of the Board and the Committee and the Children's Court and be sent to the Special Juvenile Police Unit, the District Child Protection Unit and the State Child Protection Society.

(7) The Board or the Committee or the Children's Court may place the child with a fit person in cases wherever required, including where the child cannot be sent to a Child Care Institution due to distance and/or odd time.

(8) The fit person shall:

- i) have the capacity and willingness to receive the child; and
- ii) provide basic services for care and protection of the child.

(9) The Board or the Committee or the Children's Court, depending on the need of the child and in consultation with the fit person shall determine the period for which a child shall remain with the fit person.

(10) The child shall not be placed with a fit person for a period exceeding thirty days and in such cases where the child requires further care, the Committee may consider the placement of the child in foster care or may consider other rehabilitative alternatives for the child. The Board or the Children's Court in such cases where the period of placement of the child may exceed thirty days, refer the matter to the Committee for further orders in respect of the child.

29. Physical infrastructure.- (1) The accommodation in each institution shall be as per the following criteria, namely:-

(i) Observation Home:

- (a) separate observation homes for girls and boys;
- (b) classification and segregation of children according to their age group preferably 7-11 years, 12-16 years and 16-18 years, giving due consideration to physical and mental status and the nature of the offence committed.

(ii) Special Home:

- (a) separate special homes for girls above the age of 10 years and boys in the age groups of 11 to 15 and 16 to 18 years;
- (b) classification and segregation of children on the basis of age and nature of offences and their mental and physical status.

(iii) Place of Safety:

- (a) for children in the age group of 16 to 18 years alleged to have committed heinous offence pending inquiry;
- (b) for children in the age group of 16 to 18 years found to be involved in heinous offence upon completion of inquiry;
- (c) for persons above 18 years alleged to have committed offence when they were below the age of 18 years pending inquiry;
- (d) for persons above 18 years found to be involved in offence upon completion of inquiry;
- (e) for children as per the orders of the Board under clause (g) of sub-section (1) of section 18 of the Act.

(iv) Children's Home:

- (a) while children of both sex below 10 years may be kept in the same home, separate bathing and sleeping facilities shall be maintained for boys and girls in the age group of 5-10 years;
- (b) separate children's homes for boys and girls in the age group of 7-11 years and 12- 18 years;
- (c) separate facilities for children upto the age of six years with appropriate facilities for infants.

(2) The Child Care Institutions shall be child-friendly and in no way shall they look like a jail or lock-up.

(3) Every Child Care Institution shall keep a copy of the Act and the rules framed by the State Government, for use by both the staff and children residing therein.

(4) Each Child Care Institution shall have a Management Committee for the management of the institution and monitoring the progress of every child in the home.

(5) The Child Care Institutions for children in conflict with law and children in need of care and protection shall function from separate premises as per the criteria elaborated.

(6) The suggested norms for building or accommodation in each institution with 50 children may be as under:

(i)	2 Dormitories	Each 1000 Sq.ft. for 25 children i.e. 2000 Sq. ft.
(ii)	2 Class rooms	300Sq.ft. for 25 children i.e. 600 Sq. ft.
(iii)	Sickroom/First aid room	75 Sq.ft. per children for 10 i.e. 750 Sq. ft.
(iv)	Kitchen	250 Sq. ft.
(v)	Dining hall	800 Sq. ft.
(vi)	Store	250 Sq.ft.
(vii)	Recreation room	300 Sq.ft.
(viii)	Library	500 Sq.ft.
(ix)	5 Bathroom	25 Sq.ft. each i.e. 125 Sq. ft.
(x)	8 Toilets	25 Sq. ft. i.e. 200 Sq.ft.
(xi)	Office rooms	(a) 300 Sq.ft. (b) Person-in-charge room 200 Sq.ft.
(xii)	Counselling and Guidance room	120 Sq.ft.
(xiii)	Workshop	1125 Sq. ft. for 15 children @ of 75 Sq.ft. per trainee
(xiv)	Residence for Person-in-charge	(a) 2 rooms of 250 Sq.ft. each (b) Kitchen 75 Sq.ft. (b) bathroom cum toilet 50 Sq. ft.
(xv)	2 rooms for Juvenile Justice Board or Child Welfare Committee	300 Sq. ft each i.e. 600 Sq.ft.
(xvi)	Playground	Sufficient area according to total number of children
	Total	8495 Sq.ft.

(7) The Person-in-charge shall stay within the institution and be provided with quarters and in case he is not able to stay in the Child Care Institution for valid reasons, any other senior staff member of the institution shall stay in the institution and be in a position to supervise the overall care of the children and take decisions in the case of any crisis or emergency.

(8) There shall be proper and non-slippery flooring for preventing accidents.

(9) There shall be adequate lighting, heating and cooling arrangements, ventilation, safe drinking water, clean and accessible gender and age appropriate and disabled friendly toilets and high walls with barbed wire fencing.

(10) All institutions under the Act shall:

- (i) make provision of first-aid kit, fire extinguishers in kitchen, recreation room, vocational training room, dormitories, store rooms and counselling room;
- (ii) conduct periodic inspection of electrical installations;
- (iii) ensure proper storage and inspection of articles of food; and
- (iv) ensure stand-by arrangements for water storage and emergency lighting.

(11) Special infrastructural facilities and necessary equipment shall be provided to differently-abled children. Such facilities and equipment shall be designed under the guidance of specialists or experts.

(12) Other logistical and functional requirements which would be provided may include:

- (i) computer sets;
- (ii) photocopiers;
- (iii) printer, scanner cum fax;
- (iv) telephone with internet facility;
- (v) web cam;
- (vi) furniture for officials, record keeping cabinets, work stations, wheel chair and stretchers for medical room;
- (vii) chairs and tables for study and dining hall;
- (viii) projector.

30. Clothing, Bedding, Toiletries and other Articles.- (1) The clothing and bedding shall be as per the scale and climatic conditions. The requirements of each child and the minimum standards for clothing and bedding shall be as under:

A. BEDDING		
S. No.	Article	Quantity to be provided per child
1.	Mattress	1 at the time of admission and subsequently 1 after every 1 year.
2.	Cotton Durry	2 at the time of admission and subsequently 2 after every 2 years.
3.	Cotton bed sheets	2 at the time of admission and subsequently 1 after every 6 months.
4.	Pillow (Cotton stuffed)	1 at the time of admission and subsequently 1 after every 1 year.
5.	Pillow covers	1 at the time of admission and subsequently 1 after every 1 year.
6.	Cotton blankets/ Khes	2 at the time of admission and subsequently 1 after every 2 years.

7.	Cotton filled quilt	1 at the time of admission and subsequently 1 after every 2 years (in cold region in addition to the blankets).
8.	Mosquito net	1 at the time of admission and subsequently 1 after every 6 months.
9.	Cotton towels	2 at the time of admission and subsequently 1 after every 3 months.

B. Clothing for Girls		
S. No.	Article	Quantity per child
1.	Skirts and Blouse or Salwar Kameez or Half Sari with Blouse and Petticoat	5 sets per year for girls depending on age and regional preferences.
2.	Age appropriate undergarments	3 sets every quarter.
3.	Sanitary Towels	12 packs per year for older girls.
4.	Woollen Sweaters (full sleeves)	2 sweaters yearly.
5.	Woollen Sweaters (Half sleeves)	2 sweaters yearly.
6.	Woollen Shawls	1 per year.
7.	Nightwear	2 sets every 6 months.
B. Clothing for Boys		
S. No.	Article	Quantity per child
1.	Shirts	2 at the time of admission and subsequently 1 after every 6 months.
2.	Shorts	2 at the time of admission and subsequently 1 after every 6 months for younger boys.
3.	Pants	2 at the time of admission and subsequently 1 after every 6 months for older boys.
4.	Age appropriate undergarments	3 sets every quarter.
5.	Woollen jerseys(full sleeves)	2 yearly.
6.	Woollen jerseys (half sleeves)	2 yearly.
7.	Woollen Caps	1 in 1 year.
8.	Kurta Pyjama for night wear	2 sets every 6 months.

C. Miscellaneous Articles		
1.	Slippers	1 pair at the time of admission and subsequently after every 6 months.
2.	Sports shoes	1 pair at the time of admission and subsequently 1 pair after every 1 year.
3.	School uniform	2 sets every six months for children attending schools.
4.	School bag	1 every year for children attending schools.
5.	School shoes	1 pair at the time of admission in school and subsequently 1 pair after every 6 months.
6.	Handkerchiefs	2 at the time of admission and subsequently 2 after every 2 months.
7.	Socks	3 pairs every six months.
8.	Stationery	As per need.

(2) In addition to the clothing specified above, each child shall be provided, once in three years, with a suit consisting of one white shirt, one pair of shorts or pants, one pair of white canvas shoes and one blazer for use during ceremonial occasions. In the case of girls it shall be one white half sari or one salwar kameez or one white skirt and one white blouse, a pair of white canvas shoes and a blazer.

(3) In every hospital attached to the institution where there is provision for in-patient cots, the following scale has to be followed:

S. No.	Night clothing and bedding	Scale for supply
1.	Mattress	One per bed per 3 years.
2.	Cotton bed sheets	Four per bed per year.
3.	Pillows	One per bed per two year.
4.	Pillow covers	Four per bed per year.
5.	Woollen blankets	One per bed per 2 years.
6.	Pyjamas and loose shirts (hospital type for boys)	3 pairs per child per year.
7.	Skirts and blouses or salwar kameez for girls	3 pairs per child per year.
8.	Cotton durry	One per bed per three years.

(4) Toiletry: Every resident of the Child Care Institution shall be issued oil, soap and other material as per the following scale:

S. No.	Items	Quantity to be issued per child
1.	Hair Oil for grooming the hair	100 ml per month.
2.	Toilet soap/handwash	2 bars of 100gm per month.
3.	Tooth brush	1 in every 3 months.
4.	Toothpaste	100gm (a tube) per month.
5.	Comb	1 in every 3 month.
6.	Shampoo sachets	8 in a month (10ml/ per sachet).
7.	Bathing soap	2 bars of 125gm per month.
8.	Hair clip/ band	2 bands in 3 month.
9.	Moisturiser or cold cream (during winters)	250 ml in a month.

(5) For washing of clothes and towels, bed-sheet, etc., the following scale may be followed:

- (i) washing soap: 3 soaps for one month (125 gms) or equivalent washing powder;
- (ii) whitening or bleaching agent to the extent required only for white clothing.

The hospital clothing shall not be mixed with other clothing at the time of washing and if necessary, the Superintendent can issue the above items separately for washing of hospital clothing. The superintendent may get installed washing machines, as required.

(6) The following items shall be provided for maintaining the Child Care Institutions in a healthy and sanitary condition:

S. No.	Items	Scale of Supply
1.	Broom stick	25 to 40 per month depending on the area of the institution.
2.	Pesticide spray	As per the institution doctor's advice.
3.	Effective bugs killing agent	As required.
4.	Phenyl and cleaning acid	Depending on the area of lavatories to be (daily) cleaned as per institution doctor's advice.
5.	Mosquito repellent machines	2 per room per month with adequate fillets.

31. Sanitation and Hygiene.- (1) Every Child Care Institution shall have the following facilities, namely:

- (i) sufficient treated drinking water; water filters or RO shall be installed at multiple locations in the premises for easy access such as kitchen, dormitory, recreational rooms etc.;
- (ii) sufficient water including hot water for bathing and washing clothes, maintenance and cleanliness of the premises;
- (iii) proper drainage system with regular maintenance;
- (iv) arrangements for disposal of garbage;
- (v) protection from mosquitoes by providing mosquito nets or repellants;
- (vi) annual pest control;
- (vii) sufficient number of well-lit and airy toilets with proper fittings in the proportion of at least one toilet for seven children;
- (viii) sufficient number of well-lit and airy bathrooms with proper fittings in the proportion of at least one bath room for ten children;
- (ix) sufficient space for washing and drying of clothes;
- (x) washing machine wherever possible;
- (xi) clean and fly-proof kitchen and separate area for washing utensils;
- (xii) sunning of bedding twice every month and clothing on regular basis;
- (xiii) maintenance of cleanliness in the Medical Centre;
- (xiv) daily sweeping and wiping of all floors in the home;
- (xv) cleaning or washing of the toilets and bathrooms twice everyday;
- (xvi) proper washing of vegetables and fruits and hygienic manner of preparing food;
- (xvii) cleaning of the kitchen slabs, floor and gas after every meal;
- (xviii) clean and pest proof store for maintaining food articles and other supplies;
- (xix) disinfection of the beddings at least once a year;
- (xx) fumigation of a sick room or isolation room after every discharge in case of contagious or infectious disease; and
- (xxi) cleanliness in medical centre.

32. Daily Routine.- (1) Every Child Care Institution shall have a daily routine for children developed in consultation with the Children's Committees, which shall be prominently displayed at various places within the Child Care Institution.

(2) The daily routine may provide, *inter alia*, for a regulated and disciplined life, personal hygiene and cleanliness, physical exercise, yoga, educational classes, vocational training, organised recreation and games, moral education, group activities, prayer and community singing and special programmes for Sundays and holidays and national holidays, festive days, birthdays.

33. Nutrition and Diet Scale.—(1) The following nutrition and diet scale shall be followed by the Child Care Institutions, namely:

- (i) the children shall be provided four meals in a day including breakfast;
- (ii) the menu shall be prepared with the help of a nutritional expert or doctor to ensure balanced diet and variety in taste as per the minimum nutritional standard and diet scale;
- (iii) every Child Care Institution shall strictly adhere to the minimum nutritional standard and diet scale suggested as specified below:

S.No.	Name of the articles of diet	Scale per head per day
1.	Rice/Wheat/Ragi/Jowar	600 gms, (700 gms for 16-18 yrs age) of which atleast 100 gms to be either Wheat or Ragi or Jowar or Rice.
2.	Dal/ Rajma/ Chana	120 gms.
3.	Edible Oil	25 gms.
4.	Onion	25 gms.
5.	Salt	25 gms.
6.	Turmeric	05 gms.
7.	Coriander Seed Powder	05 gms.
8.	Ginger	05 gms.
9.	Garlic	05 gms.
10.	Tamarind/ Mango powder	05 gms.
11.	Milk (at breakfast)	150 ml.
12.	Dry Chillies	05 gms.
13.	Vegetables Leafy Non – leafy	100 gms. 130gms.
14.	Curd or Butter Milk	100 gms/ml.
15.	Chicken once a week or Eggs 4 days	115 gms.
16.	Jaggery& Ground Nut Seeds or Paneer (vegetarian only)	60 gms each (100 gms for paneer) Once in a week.
17.	Sugar	40 gms.
18.	Tea/Coffee	5gm.
19.	Sooji/Poha	150 gms.
20.	Ragi	150 gms.
Following items for 50 Children per day		
21.	Pepper	25 gms.
22.	Jeera Seeds	25 gms.
23.	Black Gram dal	50 gms.
24.	Mustard Seeds	50 gms.
25.	Ajwain Seeds	50 gms.
On Chicken Day for 10 Kg. of Chicken		
26.	Garam Masala	10 gms.
27.	Kopra	150 gms.
28.	KhasKhas	150 gms.
29.	Groundnut Oil	500 gms.

	For Sick Children	
30.	Bread	500 gms.
31.	Milk	500 ml.
32.	Khichadi	300 gms.
	Other Items	
33.	LP Gas for Cooking only	

(2) Children may be provided special meals on holidays, festivals, sports and cultural day and celebration of national festival.

(3) Infants and sick children shall be provided special diet according to the advice of the doctor on their dietary requirement.

(4) The requirement of each child shall also be taken into account including need for iron and folic acid supplements.

(5) The menu for the day shall be prepared in consultation with the Children's Committee and shall be displayed in the dining hall.

(6) Variation in diet may be as per seasonal and regional variations, a suggested diet variation is given below:-

(i) varieties of dal e g., Toor (Arhar), Moong (Green Gram) and Chana (Bengal Gram) may be given alternatively;

(ii) on non-vegetarian days, vegetarian children shall be issued with either 60 gms of jaggery and 60 gms of groundnut seeds per head in the shape of laddus or any other sweet dish or 100 gms paneer;

(iii) leafy vegetables such as Fenugreek (Methi), Spinach (Palak), Sarson (Mustard leaves) Gongura/Thotakura or any other saag etc., may also be issued once in a week. If a kitchen garden is attached to any institution, leafy vegetables, should be grown and issued and the Superintendent should try to issue variety of vegetables and see that the same vegetable is not repeated for at least a period of one week;

(iv) seasonal fruits shall be provided in a non-repetitive manner in sufficient quantities;

(v) the Person-in-charge may make temporary alterations in the scale of diet in individual cases when considered necessary by him, or on the advice of the doctor of the institution subject to the condition that the scale laid down is not exceeded.

(7) Meal Timing and Menu:

(i) Breakfast – 7.30 a.m. to 8.30 a.m.

(a) upma or chapattis made of wheat or ragi or any other dish;

(b) chutneys from Gongura or fresh curry leave or fresh coriander or Coconut and Putnadal etc., dal or vegetable may be issued as a dish;

(c) milk;

(d) any seasonal fruit in sufficient quantity.

(ii) Lunch at 12.30 to 1.30 P.M. and Dinner – 7.00 P.M. – 8.00 P.M

(a) rice or Chapattis or combination of both;

(b) vegetable curry;

(c) sambar or dal;

(d) butter milk or curd.

(8) Others:

(i) depending on the season, the Person-in-charge shall have the discretion to alter the time for distribution of food;

(ii) on the advice of the institution's doctor or at the discretion of the Person-in-charge, every sick child who is prevented from taking regular food, on account of his ill-health, may be issued with medical diet as per the scale for sick children;

(iii) extra diet for nourishment like milk, eggs, sugar and fruits shall be issued to the children on the advice of the institution doctor in addition to the regular diet, to gain weight or for other health reasons and for the purpose of calculation of the daily ration, the sick children shall be excluded from the day's strength;

(iv) special lunch or dinner may be provided to the children at the Child Care Institution at the rate fixed by the Person-in-charge of the Child Care Institution, from time to time on national festivals and festival occasions, including:

- (a) Republic Day (26th January);
- (b) Independence Day (15th August);
- (c) Mahatma Gandhi's Birth day (2nd October);
- (d) Children's Day (14th November);
- (e) National festivals;
- (f) Local festivals;
- (g) Annual Day of the Child Care Institution.

34. Medical Care.- (1) In all Child Care Institutions, a medical officer shall be made available on call whenever necessary for regular medical check up and treatment of children.

(2) A nurse or a para medic shall be available round the clock in all Child Care Institutions.

(3) Every Child Care Institution may:

- (i) arrange for medical examination of each child admitted in an institution by the Medical Officer within twenty- four hours of admission and in special cases or medical emergencies immediately;
- (ii) arrange for a medical examination of child by the Medical Officer at the time of transfer within twenty four hours before transfer;
- (iii) maintain a medical record of each child on the basis of monthly medical check-up and provide necessary medical facilities;
- (iv) ensure that the medical record includes weight and height record, any sickness and treatment, and other physical or mental problems;
- (v) have facilities for quarterly medical check-ups including dental check-up, eye testing and screening for skin problems and for treatment of children;
- (vi) every institution to have first aid kit and all staff be trained in handling first aid;
- (vii) make necessary arrangements for the immunization of children;
- (viii) take preventive measures in the event of out-break of contagious or infectious diseases;
- (ix) keep sick children under constant medical supervision;
- (x) not carry out any surgical intervention in a hospital on any child without the previous consent of his parent or guardian, unless the parent or guardian cannot be contacted and the condition of the child is such that any delay would, in the opinion of the medical officer, involve unnecessary suffering or injury to the health of the child or danger to life, or without obtaining a written consent to this effect from the Person-in-charge of the institution;

- (xi) provide or arrange for regular counselling of every child and ensure specific mental health interventions for those in need of such services, including separate rooms for counselling sessions within the premises of the institution and referral to specialised mental health centres, where necessary; and
 - (xii) refer such children who require specialised drug de-addiction and rehabilitation programme, to an appropriate centre administered by qualified persons where these programmes shall be adopted to the age, gender and other specifications of the child concerned.
- (4) Baseline investigation of Complete Blood Count (CBC), Urine Routine, HIV, VDRL, Hepatitis B and Hepatitis C tests and allergy or addiction to drugs shall be conducted for all children at the time of entry into the institution as suggested by the doctor after examining the child.
- (5) Test for pregnancy or diseases for victims of sexual offences shall be conducted, if required by the order of the Board or the Committee or the Children's Court. In such cases the District Child Protection Unit shall facilitate following of the procedures laid down in the Medical Termination of Pregnancy Act, 1971, if so needed.
- (6) The State Government through the District Child Protection Unit shall make provisions for those children diagnosed with special problems such as hormonal problems, immuno-compromised diseases, physical and mental disabilities on the recommendation of the medical officer. The children shall be kept in special care homes or hospitals and avail necessary medical/ psychiatric and psychological support or treatment.
- (7) All girls who have attained puberty shall undergo health assessment to detect iron deficiency. Necessary dietary plan and medicines shall be prescribed by the nutritionist and appointed doctor, if need be.
- (8) A psycho- social profile of every child shall be maintained by the Child Care Institution and updated every month. Special observations may be recorded, when required. Person-in-charge of the institution shall ensure that any recommendations made shall be duly complied with.
- 35. Mental Health.-** (1) The environment in an institution shall be free from abuse, allowing children to cope with their situation and regain confidence.
- (2) All persons involved in taking care of the children in an institution shall participate in facilitating an enabling environment and work in collaboration with the therapists as needed.
- (3) Milieu based interventions and individual therapy are must for every child and shall be provided in all institutions.
- Explanation.— For the purpose of this sub-rule, “milieu based intervention” is a process of recovery, which starts through providing an enabling culture and environment in an institution so as to ensure that each child’s abilities are discovered and they have choices and right to take decisions regarding their life and thus, develop and identify beyond their negative experiences, such intervention which has a critical emotional impact on the child.
- (4) Individual therapy is a specialised process and each institution shall make provisions for it as a critical mental health intervention.
- (5) Every institution shall have the services of trained counselors or collaboration with external agencies such as child guidance centres, psychology and psychiatric departments or similar Government and non-Governmental agencies, for specialised and regular individual therapy for the child,
- (6) The recommendations of mental health experts shall be maintained in every case file, as required.
- (7) No child shall be administered medication for mental health problems without a psychological evaluation and diagnosis by trained mental health professionals.
- (8) Medicines should be administered to the children only by trained medical staff and not by any other staff of the Home.
- 36. Education.-**(1) Every institution shall provide education to all children according to the age and ability, both inside the institution or outside, as per requirement.

(2) There shall be a range of educational opportunities including, mainstream inclusive schools, bridge school, open schooling, non formal education and learning where needed.

(3) Wherever necessary, extra coaching shall be made available to school going children in the institutions by encouraging volunteer services or tying up with coaching centres or tutors.

(4) Specialised trainers and experts shall be appointed to cater to the educational needs of children with special needs either physical or mental. Learning disorders shall be identified, assessed and reported in the Individual Care Plan. Further assistance shall be given to the child by trained professionals.

(5) Regularity of the education programme and attendance of the children shall be ensured.

(6) Children should be able to avail scholarships, grants and schemes and sponsorships.

37. Vocational Training.- (1) Every Child Care Institution shall provide gainful vocational training to children according to their age, aptitude, interest and ability, both inside or outside the Child Care Institution.

(2) Vocational training shall include occupational therapy, skill and interest based training, aimed at suitable placement at the end of the course. The institute, preferably government recognised, providing vocational training shall give a certificate, on the completion of the course.

(3) Where vocational training is offered outside the premises of the Child Care Institution, children shall be escorted for such programmes with proper security planning and services, particularly for children who are at risk.

(4) A record shall be maintained for all children attending the programmes and the progress made by each child shall be reviewed. The report in that regard shall be submitted to the Board or the Committee or the Children's Court, as the case may be, on a quarterly basis.

38. Recreational Facilities.- (1) Recreational facilities may include indoor and outdoor games, yoga and meditation, music, television, picnic and outings, cultural programmes, gardening and library, etc.

(2) Sufficient space shall be made available for outdoor sports and games.

(3) Picnic and outings may include education fair or science fair, museum, planetarium, botanical garden, zoological garden, etc.

(4) Cultural event or sports competition shall be held once in a quarter to showcase talent on festivals or on days of national festivals.

(5) Library shall have child friendly environment. There shall be books in regional language, newspapers, children's magazines, puzzle books, picture books, books in braille, audio and video devices, etc.

(6) Space in the home shall be made available for gardening with technical input being given by a gardener to the children.

(7) Music, dance and art therapy may be included in the list of recreational activities to enhance the healing process of each child.

(8) Regularity of the activities shall be maintained with support of institutions and non-governmental organisation, if needed and a report shall be submitted on quarterly basis to the Board or the Committee or the Children's Court, as the case may be.

39. Management Committee.- (1) Every Child Care Institution shall have a Management Committee for the management of the institution and monitoring the progress of every child.

(2) In order to ensure proper care and treatment as per the individual care plans, children shall be grouped on the basis of age, nature of offence or kind of care required, physical and mental health and length of stay.

(3) The Management Committee shall comprise of:

- (i) District Child Protection Officer (District Child Protection Unit)- Chairperson;
- (ii) Person-in-charge - Member-Secretary;

- (iii) Probation Officer or Child Welfare Officer or Case Worker – Member;
 - (iv) Medical Officer – Member;
 - (v) Psychologist or Counsellor – Member;
 - (vi) Workshop Supervisor or Vocational Instructor– Member;
 - (vii) Teacher – Member;
 - (viii) Social Worker Member of the Board or the Committee – Member;
 - (ix) two child representatives from each of the Children's Committees – Members;
 - (x) any other special invitee with the consent of the Chairperson.
- (4) The Management Committee shall meet at least once every month to consider and review:
- (i) care in the institution, housing, area of activity and type of supervision or interventions required;
 - (ii) medical facilities and treatment;
 - (iii) food, water, sanitation and hygiene conditions;
 - (iv) mental health interventions;
 - (v) individual problems of children and institutional adjustment;
 - (vi) quarterly review of individual care plans;
 - (vii) provision of legal aid services;
 - (viii) vocational training and opportunities for employment;
 - (ix) education and life skills development programmes;
 - (x) social adjustment, recreation, group work activities, guidance and counselling;
 - (xi) progress, adjustment and modification of residential programmes to the needs of the children;
 - (xii) planning post-release or post-restoration rehabilitation programme and follow up for a period of two years in collaboration with after care services, as the case may be;
 - (xiii) pre-release or pre-restoration preparation;
 - (xiv) release or restoration;
 - (xv) post release or post-restoration follow-up;
 - (xvi) minimum standards of care, including infrastructure and services available;
 - (xvii) daily routine;
 - (xviii) community participation and voluntary participation in the residential life of children such as education, vocational activities, recreation and hobby;
 - (xix) all registers as required under the Act and the rules maintained by the institution, duly stamped and signed and to check and verify the registers in the monthly review meetings;
 - (xx) matters concerning Children's Committees; and
 - (xxi) any other matter which the Person-in-charge may like to bring up.
- (5) The Management Committee shall set up a complaint and redressal mechanism in every institution and a Children's Suggestion Box shall be installed in every institution at a place easily accessible to children away from the office set up and closer to the residence or rooms or dormitories of the children.
- (6) The key of the Children's Suggestion Box shall remain in the custody of the Chairperson of the Management Committee and shall be checked every week by the Chairperson of the Management Committee or his representative from District Child Protection Unit, in the presence of the members of the Children's Committees.

(7) If there is a problem or suggestion that requires immediate attention, the Chairperson of the Management Committee shall call for an emergency meeting of the Management Committee to discuss and take necessary action.

(8) The quorum for conducting emergency meetings shall be five members, including two members of Children's Committees, Chairperson of the Management Committee, Member of the Board or the Committee, as the case may be, and the Person-in-charge of the Child Care Institution.

(9) In the event of a serious allegation or complaint against the Person-in-charge of the institution, he shall not be part of the emergency meeting and another available member of the Management Committee shall be included in his place.

(10) All suggestions received through the suggestion box and action taken as a result of the decisions made in the emergency meeting or action required to be taken shall be placed for discussion and review in the monthly meeting of the Management Committee.

(11) A Children's Suggestion Book shall be maintained in every institution where the complaints and action taken by the Management Committee are duly recorded and such action and follow up shall be communicated to the Children's Committees after every monthly meeting of the Management Committee.

(12) The Board or Committee shall review the Children's Suggestion Book at least once a month.

(13) The complaint box shall be accessible by the Chairperson of the Committee or any other person authorised by him.

40. Children's Committees.- (1) Person-in-charge of every institution for children shall facilitate the setting up of children's committees for different age groups of children, that is in the age group of 6 to 10 years, 11 to 15 years and 16 to 18 years and these children's committees shall be constituted solely by children.

(2) Such children's committee shall be encouraged to participate in following activities:

- (i) improvement of the condition of the institution;
- (ii) reviewing the standards of care being followed;
- (iii) preparing daily routine and diet scale;
- (iv) developing educational, vocational and recreation plans;
- (v) respecting each other and supporting each other in managing crisis;
- (vi) reporting abuse and exploitation by peers and caregivers;
- (vii) creative expression of their views through wall papers or newsletters or paintings or music or theatre;
- (viii) management of institution through the Management Committee.

(3) The Person-in-charge shall ensure that the children's committees meet every month and maintain a register for recording their activities and proceedings, and place it before the Management Committee in their monthly meetings.

(4) The Person-in-charge shall ensure that the children's committees are provided with essential support and materials including stationary, space and guidance for effective functioning.

(5) The Person-in-charge may, as far as feasible, seek assistance from local voluntary organisations or child participation experts for the setting up and functioning of the children's committees.

(6) The local voluntary organisation or child participation expert shall support the children's committees in the following:

- (i) electing their leaders and in devising the procedure to be followed for conducting the elections;
- (ii) conducting the elections and monthly meetings;
- (iii) framing rules for the functioning of children's committees and following it;
- (iv) maintaining records and Children's Suggestion Book and other relevant documents; and
- (v) any other innovative activity.

(7) The Management Committee shall seek a report from the Person-in-charge on the setting up and functioning of the children's committees, review these reports in their monthly meetings and take necessary action or place the same before the Board or the Committee, wherever required.

41. Inspection.- (1) The State Government shall constitute State and district level inspection committees.

(2) The State Inspection Committee shall comprise of a maximum of seven members from among the State Government, namely the Board or Committee, the State Commission for the Protection of Child Rights, the State Human Rights Commission, State Adoption Resource Agency, medical and other experts, voluntary organisations and reputed social workers. The Member-Secretary, State Child Protection Society shall be the Chairperson of the State Inspection Committee.

(3) The State Inspection Committee shall carry out inspections of the Child Care Institutions as defined under sub-section (21) of section (2) of the Act housing children in the State in **Form 46**.

(4) The State Inspection Committee shall carry out random inspections of the institutions housing children to determine whether such institution is housing children in need of care and protection.

(5) The State Inspection Committee shall submit report to the Secretary of the Department implementing the Act.

(6) The State Inspection Committee shall make recommendations for improvement and development of the Institutions in accordance with the provisions of the Act and the rules made thereunder and shall forward the same to the State Child Protection Society or the District Child Protection Unit for appropriate action.

(7) The State Inspection Committee shall interact with the children during visits to the institution to determine their well-being and to get their feedback.

(8) The District Inspection Committee shall comprise of following members:

- (i) Member of the Board or the Committee;
- (ii) District Child Protection Officer as the Member Secretary;
- (iii) Medical Officer;
- (iv) one member of the civil society working in the area of child rights, care, protection and welfare;
- (v) one mental health expert who has experience of working with children.

(9) The District Inspection Committee shall inspect all Child Care Institutions in the district in **Form 46**.

(10) The inspection of the facilities housing children in the district shall be carried out at least once every three months.

(11) The District Inspection Committee shall submit the report of the findings to the District Child Protection Unit or the State Government and shall also make suggestions for improvement and development of the Child Care Institutions in accordance with the provisions of the Act and the rules made thereunder.

(12) The District Inspection Committee shall interact with the children during the visits to the institution to determine their well-being and to elicit their feedback.

(13) The District Child Protection Unit shall take necessary follow up action on the report of the District Inspection Committee.

42. Evaluation.- (1) The evaluation of functioning of the Board, Committee, special juvenile police units, registered institutions, or recognised fit facilities and persons under the Act may be done by the Central Government or the State Government once in three years through institutions and agencies such as reputed academic institutions, schools of social work of Universities, Management Institutions, multi-disciplinary Committee especially constituted for the purpose etc.

(2) The findings of the evaluation as per sub-rule (1) above shall be shared between the Central and State Governments in order to strengthen and improve the functioning of different structures.

CHAPTER VII**ADOPTION**

43. Adoption Related Reporting.- (1) The Child Welfare Committees shall, furnish the data relating to children declared legally free for adoption and cases pending for decision to the Authority online in the formats provided in the Adoption Regulations and also to the respective State Adoption Resource Agencies, with the assistance of the District Child Protection Units.

44. Children who are not being adopted after being declared legally free for adoption may be eligible for Foster Care.- (1) The following categories of children may be considered for Foster Care in following circumstances:

(i) Children in the age group of 0 to 6 years who are being considered by the Committee as legally free for adoption and those who have been declared legally free for adoption shall not as far as possible be considered for placement in foster care. Such children shall be provided a permanent family through adoption as per Adoption Regulations.

(ii) If adoptable children between the age of 6 to 8 years do not get a family either in in-country adoption or in inter-country adoption within a period of two years after they are declared legally free for adoption by Child Welfare Committee, such children to be eligible to be placed in family foster care or group foster care, as the case may be, by the Committee on the recommendation of District Child Protection Unit or Specialised Adoption Agency.

(iii) Children in the age group of 8 to 18 years, who are legally free for adoption but have not been selected by any Prospective Adoptive Parent (PAP) for one year to be eligible to be placed in family foster care or group foster care, as the case may be, by the Committee on the recommendation of District Child Protection Unit or Specialised Adoption Agency.

(iv) Children with special needs, irrespective of the age, who do not get a family either in in-country adoption or in inter-country adoption within a period of one year after they are declared legally free for adoption by Child Welfare Committee, such children to be eligible to be placed in family foster care or group foster care, as the case may be, by the Committee on the recommendation of District Child Protection Unit or Specialised Adoption Agency, provided the Home Study Report of the foster family supports their fitness and group setting has facilities for care of such children.

(v) Where the child has remained with a foster family for a minimum of five years other than in pre-adoption foster care, the foster family may apply for adoption and shall be given preference to adopt the child after the child has been declared legally free for adoption and after registering in Child Adoption Resource Information and Guidance System and according to procedures laid down in Adoption Regulations.

45. Procedure before the Court.- (1) The procedure for obtaining an Adoption Order from the court concerned would be as provided in Adoption Regulations.

(2) The Court, for the purpose of an application for adoption order, shall not be bound by the procedure laid down in the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) and Evidence Act, 1872. The procedure, as laid down in the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 and Adoption Regulations shall be followed.

46. Period for disposal of applications.- (1) The Court shall dispose of an application for making an adoption order within a period of two months from the date of filing of the application, as provided under sub-section (2) of section 61 of the Act and where the judge of the court concerned ordinarily exercising jurisdiction in such matters is not available for a period of more than one month, the applications shall be disposed of within stipulated time by other senior most judge.

(2) No information or Court order regarding adoption disclosing the identity of the child shall be uploaded on any portal except as may be stipulated in Adoption Regulations.

47. Special provision for protection of adopted children.- Any case of offence committed against adopted child shall be dealt as per the law applicable to any other child.

48. Linkage of Child Care Institutions to Specialised Adoption Agencies.—Linkage of Child Care Institutions with Specialized Adoption Agencies for the purpose of adoption shall be governed by the provisions of section 66 of the Act and Adoption Regulations.

49. Additional Functions of the Authority.—(1) The Authority shall perform the following functions, in addition to the functions specified in sub-section (1) of section 68 of the Act, namely:

- (i) receive applications of a non-resident Indian or overseas citizen of India or a foreigner living abroad through authorised adoption agency or Central Authority or the Government Department concerned or an Indian Diplomatic Mission and process the same in terms of sub-section (5) of section 59 of the Act;
- (ii) receive and process applications received from a foreigner or an overseas citizen of India residing in India for one year or more, and who is interested in adopting a child from India in terms of sub-section (12) of section 59 of the Act;
- (iii) issue no-objection certificate in all cases of inter-country adoptions;
- (iv) issue conformity certificate in the inter-country adoption cases under Article 23 of the 1993 Hague Convention on Protection of Children and Cooperation in respect of Inter-Country Adoption;
- (v) intimate the immigration authorities of India and the receiving country of the child about the inter-country adoption cases;
- (vi) maintain Child Adoption Resource Information and Guidance System for transparency in the adoption system;
- (vii) provide support and guidance to State Adoption Resource Agencies, District Child Protection Units, Specialised Adoption Agencies and other stakeholders of adoption and related matters, through trainings, workshops, exposure visits, consultations, conferences, seminars and other capacity building programmes;
- (viii) coordinate with State Governments and the State Adoption Resource Agencies and advise them in adoption related matters;
- (ix) establish uniform standards and indicators, relating to-
 - (a) adoption procedure related to orphan, abandoned and surrendered children and also related to relative adoptions;
 - (b) quality child care standards in specialised adoption agencies and child care institutions;
 - (c) monitoring and supervision of service providers;
 - (d) standardisation of documents in cases of adoptions;
 - (e) safeguards and ethical practices including online applications for facilitating hassle-free adoptions.
- (x) conduct research, documentation and publication on adoption related matters;
- (xi) maintain a comprehensive centralised database relating to children and prospective adoptive parents for the purpose of adoption in Child Adoption Resource Information and Guidance System;
- (xii) maintain a confidential centralised database relating to children placed in adoption and adoptive parents in the Child Adoption Resource Information and Guidance System;
- (xiii) carry out advocacy, awareness and information, education, and communication activities for promoting adoption either by itself or through its associated bodies;
- (xiv) enter into bilateral agreements with foreign Central Authorities, wherever necessary under the Hague Adoption Convention; and
- (xv) authorise foreign adoption agencies to process applications of non-resident Indians or overseas citizen of India or foreign prospective adoptive parents for inter-country adoption of Indian children.

50. Terms and conditions of appointment of Members of the Steering Committee of the Authority.- (1) A person for being selected or nominated as a member of the Steering Committee of the Authority shall:

- (i) be an Indian national;
- (ii) not be below the age of twenty-five years and above the age of sixty years, and for the member who is an adoptee as per clause (e) of sub-section (1) of section 69 of the Act, the minimum age would be twenty-one years;
- (iii) not have been convicted or sentenced to imprisonment for an offence under any law for the time being in force; and
- (iv) not have been removed or dismissed from service of the Central or State Government or a body or corporation owned or controlled by Central or State Government.

(2) The members in clause (d) of sub-section (1) of section 69 of the Act, shall be from different zones on rotation basis.

(3) The zones and the States covered for the purpose of selection of the members of the Steering Committee shall be as per the grouping made by Inter-State Council and North-Eastern Council from time to time. The States not covered in any of the zonal councils shall be included in the zone having geographical proximity.

(4) The member from the State Adoption Resource Agency would be selected from the State of the zone under consideration on the basis of:

- (i) number of inspections of Specialised Adoption Agencies conducted by the State Adoption Resource Agency;
- (ii) regularity in conducting the quarterly meetings of the Specialised Adoption Agencies and uploading of the minutes of such meetings in the Child Adoption Resource Information and Guidance System;
- (iii) level of data integrity maintained by the State Adoption Resource Agency among the Specialised Adoption Agencies through the District Child Protection Units concerned;
- (iv) capacity building of stakeholders as well as publicity awareness activities of State Adoption Resource Agency for the promotion of adoption in the State; and
- (v) level of coordination with other stakeholders in the State as well as with the Authority.

(5) The selected State Adoption Resource Agency would be represented in the Steering Committee by the Secretary of the Department of the State Government dealing with adoption or his representative not below the rank of Deputy Secretary or Joint Director of the State Government.

(6) The members of the Specialised Adoption Agencies would be selected as per the following criteria available in the Child Adoption Resource Information and Guidance System and as per the record available with the Authority:

- (i) the number of children given in adoption;
- (ii) performance and data integrity in the Child Adoption Resource Information and Guidance System;
- (iii) follow-up of the progress of children placed in adoption;
- (iv) record keeping and documentation;
- (v) child care standards; and
- (vi) no proven complaint of malpractice against the agency.

(7) The Specialised Adoption Agencies shall be represented by their President or Chairperson or General Secretary or Secretary or Managing Trustee or Director or Manager, as the case may be.

(8) The selection of the member from the category of advocate or professor in family law shall be from a combined panel of four names, with two names from each category, received from the National Legal Services Authority.

(9) The members of the Steering Committee, under clause (e) and (f) of sub-section (1) of section 69 of the Act, shall be selected or nominated by a Committee comprising of:

- (i) Secretary, Ministry of Women and Child Development as the Chairperson;
- (ii) Additional Secretary or Joint Secretary in-charge of the Authority in the Ministry of Women and Child Development as member;
- (iii) one external expert in the field of child protection as nominated by the Minister for Women and Child Development, as member; and
- (iv) Member Secretary of the Steering Committee, as the Member-Convener.

(10) The members of the Steering Committee other than *ex-officio* members shall be appointed with the approval of the Minister for Women and Child Development.

(11) The tenure of the members of the Steering Committee, other than the *ex-officio* members shall be two years from the date of appointment, unless the member resigns or is removed or attains the age of sixty years.

(12) A non-*ex-officio* member shall not be eligible for a second term.

(13) In case of any vacancy, a new member will be nominated or selected for the remaining period of the tenure from the same State from the same category.

(14) A non-*ex-officio* member of the Steering Committee of the Authority shall cease to be a member if:

- (i) he resigns as a member, or
- (ii) he ceases to hold the position by virtue of which he has been represented as a member; or
- (iii) he is removed on the following grounds:
 - (a) on being adjudged as an insolvent, or
 - (b) is convicted of a criminal offence involving moral turpitude, or,
 - (c) fails to attend three consecutive meetings of the Steering Committee without the leave of the Chairperson of the Steering Committee, or
 - (d) is found working against the objectives of the adoption programme, the interests of the Authority and is found to be not following the regulations as applicable, or
 - (e) is found divulging any transaction of business or deliberations in the meetings of the Steering Committee or any document or information circulated to them for the purpose, to media or any other agency, without the prior approval or authorisation of the Chairperson, or
 - (f) is found accepting benefaction from any source that involves conditions or obligations that are contrary to the mandates and objectives of the Authority.

(15) A non-*ex-officio* member other than State Adoption Resource Agency shall be entitled to a sitting fee of Rs.1,000/- per sitting, for attending a meeting of the Steering Committee, travelling allowance in economy class air fare, hotel accommodation and food bill as per the Central Government Rules.

51. Transaction of business of the Steering Committee of the Authority.- (1) The Steering Committee of the Authority shall meet once in a month.

(2) The transaction of business of the Steering Committee may also be convened by circulation in case of urgency and such transaction of business shall have the same effect as if it had been transacted at a formal meeting.

(3) A meeting of the Steering Committee shall be convened by the Member- Secretary with the approval of the Chairperson.

(4) The meeting notice shall be issued by the Member-Secretary at least seven working days before the actual date of the meeting.

- (5) An extra ordinary meeting of the Steering Committee may be convened by the Chairperson at any time.
- (6) Five members of the Steering Committee shall form the quorum for the meeting.
- (7) The meeting shall be presided over by the Chairperson and in his absence, a member nominated or designated by the Chairperson.
- (8) All decisions in the Steering Committee shall be taken by majority of the members present excluding the special invitees, if any.
- (9) In case of tie, the Chairperson shall have the casting vote.
- (10) The minutes of the meeting will be authenticated by the Member-Secretary after obtaining the approval of the same by the Chairperson.
- (11) Any other matter relating to the transaction of business of the Steering Committee shall be governed by the procedure adopted by the Steering Committee, whenever required.

52. Annual Report of the Authority.- (1) The Chief Executive Officer or any other officer of the Authority duly authorised by the Chief Executive Officer in this behalf shall cause to be prepared the annual report of the Authority under sub-section (1) of section 71 of the Act on or before the 30th day of June following the financial year to which that report relates.

(2) The annual report prepared under sub-rule (1) shall, after approval by the Steering Committee be signed and authenticated by the Chief Executive Officer.

53. Accounts and audit of the Authority.- (1) The annual statement of accounts of the Authority for every financial year shall be prepared by the Chief Executive Officer or such officer of the Authority as may be authorised by the Chief Executive Officer in this behalf.

(2) The Authority shall forward to the Central Government quarterly reviews of expenditure incurred and the expenditure likely to be incurred during the remaining part of the financial year.

(3) The Chief Executive Officer shall supervise the maintenance of the accounts of the Authority, the compilation of financial statement and returns and shall also ensure that all account books, connected vouchers and other documents and papers of the Authority required by the office of the Comptroller and Auditor General for the purpose of auditing the accounts of the Authority are placed at the disposal of that office.

(4) The accounts of the Authority shall be maintained in the formats prescribed by the office of the Comptroller and Auditor General of India from time to time.

(5) The annual statement of accounts shall be signed and authenticated by the Chief Executive Officer.

(6) The annual statement of accounts of the Authority shall be submitted to the office of the Comptroller and Auditor General on or before the 30th of June of the following year to which the accounts relate, which shall audit the accounts of the Authority and submit the audit report.

(7) The Authority shall, within thirty days of the receipt of the audit report, remedy any defect or irregularity pointed out therein, and submit its report to the Central Government and to the office of the Comptroller and Auditor General about the action taken by it.

CHAPTER VIII

OFFENCES AGAINST CHILDREN

54. Procedure in cases of offences against children.- (1) A complaint of an offence against a child may be made by child, family, guardian, friend or teacher of the child, childline services or any other individual or institutions or organisation concerned.

(2) On receipt of information in respect of a cognizable offence against a child, the police shall register a First Information Report (FIR) forthwith.

(3) On receipt of information of a non-cognizable offence against a child, the police shall make an entry in the Daily Diary which shall be transmitted to the Magistrate concerned forthwith who shall direct appropriate action under sub-section (2) of section 155 of the Code of Criminal Procedure, 1973.

(4) In all cases of offences against children, the investigation shall be conducted by the Child Welfare Police Officer.

(5) Where any offence under the Act is committed by a Child Care Institution including a Specialised Adoption Agency, the Committee or the Board as the case may be, may pass appropriate orders for placing the children already placed with the Child Care Institution or the Specialised Adoption Agency in any other Child Care Institution or Specialised Adoption Agency and recommending the cancellation of the registration and withdrawal of recognition of such institution or agency.

(6) Where an FIR is registered against a person working with a Child Care Institution including Specialised Adoption Agency for any offence under the Act and the rules, such a person shall be debarred from working directly with the children during the pendency of the criminal case.

(7) Where a person has been dismissed from service or is convicted of an offence under the Act and the rules, he shall stand disqualified from any further appointment.

(8) In no case a child shall be placed in a police lock-up or lodged in a jail.

(9) The child and his family shall be provided access to paralegal volunteers under the District Legal Service Authority.

(10) An immediate need assessment of the child will be conducted in terms of the need for food, clothing, emergency medical care, counselling, psychological support and the same shall be immediately extended to the child at the police station.

(11) Where a child has been subjected to sexual abuse, the child may be referred to the nearest District Hospital or One-Stop Crisis Centre, as the case may be, if locally available.

(12) Special children's rooms may be designated in every Court Complex with facility for separate space for children waiting and children who are giving their statement or interview; separate entrances, wherever feasible; video-conferencing facilities for interacting with children, wherever possible; provision for entertainment for children such as books, games, etc. Statements and interviews, other than during trial of children who are, victims, or witnesses, shall be recorded through child friendly procedure in a children's room.

(13) The statement or the interview of the victim/ witness child shall be conducted while ensuring the following conditions:

(i) The Magistrate shall record the statement of the child under section 164 of the Code of Criminal Procedure, 1973 in the Children's room or, if possible in the child's place of residence including, home or institution where he or she is residing.

(ii) The statement shall be recorded verbatim as spoken by the child.

(iii) The statement may also be recorded by audio-visual means as per the provisions of sub-section (1) of section 164 of the Code of Criminal Procedure, 1973.

(iv) The child may be accompanied by parent or guardian or social worker.

(14) The Legal Services Authority may provide a support person or para legal volunteer for pre-trial counselling and to accompany the child for recording of the statement who shall also familiarize the child with the Court and Court environment in advance, and where the child is found to have been disturbed by the experience of coming to the Court, orders for video-conferencing may be passed by the Court, on an application moved by the support person or para-legal volunteer or by the Legal Services Authority, on behalf of the child.

(15) If the child victim or witness does not belong to the District or State or Country, the statement or interview or deposition of the child may also be recorded through video conferencing.



(16) Where video-conferencing is not possible, all necessary accommodation, travel expenses for the child and a guardian accompanying the child will be provided as per actuals by the State Government or Union Territory Administration.

(17) Separate rooms for vulnerable witnesses may be designated in every Court Complex to record the evidence of child witnesses.

(18) During a trial involving children, as far as possible, the following norms may be followed to ensure a child-friendly atmosphere:

(i) Parents or guardian(s) shall accompany the child at all times (only if it is in the best interest of the child). If the said person has a conflict of interest, another person of the child's choice, or fit person, or representative of the fit institution identified, or psychologist appointed by the Committee or Court, shall accompany the child at all times, on approval of the Court.

(ii) Psychological counselling may also be provided to the child wherever necessary.

(iii) In a situation where parents or guardians may have been involved in the commission of the crime, or where the child is living in a place where the child is at risk of further trauma, and the same is brought to the notice of the Court, or the Court on its own motion shall direct the child to be taken out of the custody or care, or out of such situation and the child should be immediately produced before the Committee.

(iv) For the age determination of the victim, in relation to offences against children under the Act, the same procedures mandated for the Board and the Committee under section 94 of the Act to be followed.

(v) The language(s) used to be familiar to the child and if needed translators and special educators to be made available.

(vi) Before the statement of the child is recorded, the Court to ensure that the child is capable of making a voluntary statement.

(vii) No statement of the child to be disregarded as evidence in the trial solely on the basis of the age of the child.

(viii) Images or statements admissible in the interview of the child not to be detrimental to the mental or physical well-being of the child.

(ix) Length and questions admissible at the interview not to be taxing and to be suitable to the attention span of the child.

(x) In case of young children, or otherwise incapacitated child, alternative methods of interaction and evidence collection that is less intimidating to be adopted.

(xi) The Court to ensure that at no stage during trial, the child comes face to face with the accused.

(xii) Special permission from school and arrangement for remedial classes for days lost to be ensured by the school authorities.

(19) The child may be represented, as the case may be, by:

(i) a lawyer of his choice, or,

(ii) public prosecutor, or,

(iii) a lawyer designated or empanelled by the Legal Services Authority.

(20) All functionaries of the Court and others concerned may be sensitised on the special needs of children and child rights.

(21) After the process of trial:

(i) The child or guardian should be informed of the decision of the judicial proceeding and its implication.

(ii) The child or guardian should be made aware of his legal options.

55. Procedure in case of offence under section 75 of the Act.- (1) For the purposes of section 75 of the Act and this rule, giving a child in marriage shall be considered as cruelty to the child. On receipt of

information of risk of a child being given in marriage, the police or any officer authorised under the Act or under the Prohibition of Child Marriage Act, 2006 (6 of 2007), shall produce the child before the Committee for appropriate directions and rehabilitative measures.

(2) Where an act of cruelty to a child takes place in a Child Care Institution, or a school, or in any other place of care and protection to the child, considering the best interest of the child, the Board or the Committee or the Children's Court after consultation with the child and or parents or guardians shall provide alternative rehabilitation for the child.

(3) A child covered under the Act requiring immediate medical attention shall be provided with required medical care and treatment by a hospital or clinic or facility upon a direction of the Board or the Committee made in this regard, free of cost. A failure to respond immediately resulting in serious injury, irreversible damage or threat to life or death shall be deemed to be wilful neglect of the child and shall tantamount to cruelty under section 75 of the Act on the direction of the Board or the Committee after a detailed inquiry.

56. Procedure in case of offence under section 77 of the Act.-(1) Whenever a child is found to be under the influence of, or in possession of intoxicating liquor or narcotic drugs or psychotropic substances or tobacco products, including for the purpose of sale, the police shall enquire as to how the child came under the influence of, or possession of such intoxicating liquor or narcotic drugs or psychotropic substances or tobacco products and shall register an FIR forthwith.

(2) The child who has been administered narcotic drugs or psychotropic substances or is found under the influence of the same may be produced either before the Board or the Committee as the case may be, and the Board or the Committee shall pass appropriate orders regarding rehabilitation and de-addiction of the child.

(3) In case of a child found to be addicted to intoxicating liquor or tobacco products, the child shall be produced before the Committee which shall pass directions for rehabilitation including de-addiction of the child and transfer the child to a fit facility identified for the purpose.

(4) In case any child is found to have been administered intoxicating liquor or narcotic drugs or psychotropic substances or tobacco products in a Child Care Institution, the child shall be produced immediately before the Board or the Committee, except in such cases where the child is not in a position to be produced before the Board or the Committee and requires immediate medical attention.

(5) The Board, shall on its own or on complaint received from the Committee, issue directions to the police to register an FIR immediately.

(6) The Board or the Committee shall also issue appropriate directions for inquiry as to the circumstances in which such product entered the Child Care Institution and reached the child and shall recommend appropriate action against the erring officials and the Child Care Institution.

(7) The Board or the Committee may also issue directions for transfer of the child to another Child Care Institution as the case may be.

(8) Any shop selling intoxicating liquor, tobacco products, must display a message at a prominent place on their shop that giving or selling intoxicating liquor or tobacco products to a child is a punishable crime with upto seven years of rigorous imprisonment and a fine of upto one lakh rupees.

(9) All tobacco products and intoxicating liquor must display a message that giving or selling intoxicating liquor or tobacco products to a child is a punishable crime with upto seven years of rigorous imprisonment and a fine of upto one lakh rupees.

(10) Giving or selling of intoxicating liquor, narcotic drugs or psychotropic substances or tobacco products within 200 meters of a Child Care Institution or any other home registered or recognised under the Act, or the office of a Committee or a Board shall be deemed to be an offence under section 77 of the Act.

57. Procedure in case of offence under section 78 of the Act.-(1) Whenever a child is found to be vending, carrying, supplying or smuggling an intoxicating liquor, narcotic drug, or psychotropic substance, the police shall enquire how and from whom the child came into possession of the intoxicating liquor, narcotic drug, or psychotropic substance and shall register an FIR forthwith.

(2) A child who is alleged to have committed an offence under section 78 of the Act shall be produced before the Board, which may transfer the child to the Committee, if the child is also in need of care and protection.

58. Procedure in case of offence under section 80 of the Act.—(1) Where any orphan, abandoned or surrendered child, is offered or given or received for the purpose of adoption without following the procedures as provided in the Act and the rules, the police shall, suomotu, or on receipt of information in that regard register an FIR forthwith.

(2) A child who has been so offered, given or received for the purpose of adoption shall be produced before the Committee forthwith which shall pass appropriate directions for rehabilitation of the child, including placing such child in a Specialised Adoption Agency.

(3) Wherever any offence under section 80 of the Act is committed by a recognised Specialised Adoption Agency or by a person associated with such an agency, the Committee may also pass appropriate orders for placing the other children placed with the Specialised Adoption Agency in any other Child Care Institution or Specialised Adoption Agency.

59. Procedure in case of offence under section 81 of the Act.—(1) On receipt of information about the selling or buying of a child, the police shall register an FIR forthwith.

(2) Giving or agreeing to give, receiving or agreeing to receive any payment or reward in consideration of adoption, except as permitted under the adoption regulations framed by the Authority, towards the adoption fees or service charge or child care corpus by any prospective adoptive parent(s) or parent or guardian of the child or the Specialised Adoption Agency shall amount to an offence under section 81 of the Act and this rule.

(3) A child, who has been subjected to buying or selling, shall be produced before the Committee forthwith which shall pass appropriate orders for the rehabilitation of the child.

(4) Where any offence under section 81 of the Act is committed by a parent or a guardian of the child or any other person having actual charge or custody of the child, the Committee shall pass appropriate orders for placing the child in a Child Care Institution or fit institution or with a fit person, as the case may be.

(5) Where any offence under section 81 of the Act is committed by a Child Care Institution including Specialised Adoption Agency or by a hospital or nursing home or maternity home, or a person associated with such an institution or agency, the Committee may also pass appropriate orders for placing the other children placed with such Child Care Institution or Specialised Adoption Agency or hospital or nursing home or maternity home in any other Child Care Institution or Specialised Adoption Agency or hospital or nursing home or maternity home, as the case may be.

(6) The Committee shall recommend to the State Government that the registration or recognition of such agency or institution or the registration or license of such a hospital or nursing home or maternity home or such associated person under any law for the time being in force shall also be withdrawn.

60. Procedure in case of offence under section 82 of the Act.—(1) A complaint of subjecting a child to corporal punishment under section 82 of the Act may be made by the child or any one on his behalf.

(2) Every Child Care Institution shall have a complaint box at a prominent place in the building to receive complaints of corporal punishment.

(3) The complaint box will be opened in the presence of a representative of the District Child Protection Unit once a month.

(4) All such complaints shall be forthwith presented before the Judicial Magistrate of First Class nearest to the Child Care Institution and copies thereof shall be forwarded to the Board or the Committee.

(5) The Judicial Magistrate shall get the case investigated by the Child Welfare Police Officer concerned and take appropriate measures on receipt of a complaint.

(6) The Board or the Committee may consider transferring the child to another Child Care Institution in the best interest of the child who has made the complaint or who has been subjected to corporal punishment.

(7) Where the Judicial Magistrate First Class finds that the management of the institution is not cooperating with the inquiry or complying with the orders of the court under sub-section (3) of section 82 of the Act, the Judicial Magistrate First Class will either take cognizance of the offence himself or direct the registration of FIR and proceed against the person in-charge of the management of the institution.

(8) Where the Board or the Committee or the State Government issues any directions to the management of the institution in respect of any incident of corporal punishment in the child care institution, the management shall comply with the same.

(9) In the event of non-compliance, the Board on its own or on the complaint of the Committee or the State Government shall direct the registration of an FIR under sub-section (3) of section 82 of the Act.

(10) Where a person has been dismissed from service or debarred from working directly with children or is convicted of an offence of subjecting a child to corporal punishment under sub-section (2) of section 82 of the Act, he shall stand disqualified from any further appointment under the Act and the rules.

CHAPTER IX

MISCELLANEOUS

61. Duties of the Person-in-charge of a Child Care Institution.- (1) The primary responsibility of the Person-in-charge is of maintaining the Child Care Institution and of providing care and protection to the children.

(2) The Person-in-charge shall stay within the premises to be readily available as and when required by the children or the staff and in case where an accommodation is not available in the premises, he shall stay at a place in close proximity to the Child Care Institution till such time such accommodation is made available within the premises of the Child Care Institution.

(3) The general duties and functions of the Person-in-charge shall include, to:-

- (i) ensure compliance with the provisions of the Act and the rules and orders made thereunder;
- (ii) ensure compliance with the orders of the Board or the Committee or the Children's Court;
- (iii) provide homely and enabling atmosphere of love, affection, care and concern for children;
- (iv) strive for the development and welfare of the children;
- (v) supervise and monitor discipline and well-being of the children and the staff;
- (vi) plan, implement and coordinate all activities, programmes and operations, including training and treatment programmes or correctional activities as the case may be;
- (vii) segregate a child suffering from contagious or infectious diseases on the advice of the medical officer of the institution;
- (viii) segregate a child wherever required;
- (ix) ensure observance and follow-up of daily routine activities;
- (x) organize local and national festivals in the home;
- (xi) organize trips or excursions or picnics for children;
- (xii) send a list of children in **Form 40** in the Child Care Institution to the Board or the Committee, as the case may be, every week and bring to the notice of the Board or the Committee, if no date is given for the production of any child before the Board or the Committee;
- (xiii) allocate duties to personnel;
- (xiv) maintain standards of care in the Child Care Institution;
- (xv) ensure proper storage and inspection of food stuffs as well as food served;
- (xvi) maintain the buildings and premises of the Child Care Institution;
- (xvii) maintain proper hygiene in the home;

- (xviii) provide accident and fire preventive measures, disaster management within the premises and also keep first aid kit;
 - (xix) make stand-by arrangements for water storage, power back-up, inverters, generators;
 - (xx) ensure careful handling of equipment;
 - (xxi) employ appropriate security measures;
 - (xxii) conduct periodical inspections, including daily inspection and rounds of the Child Care Institutions;
 - (xxiii) take prompt action to meet emergencies;
 - (xxiv) ensure prompt, firm and considerate handling of all disciplinary matters;
 - (xxv) ensure proper and timely maintenance of the case files;
 - (xxvi) maintain all records and registers required under the Act and these rules;
 - (xxvii) prepare the budget and maintain control over financial matters;
 - (xxviii) organise the meetings of the Management Committee set up under **rule 39** of these rules and provide necessary support;
 - (xxix) ensure monthly verification of all records and registers by the Management Committee set up under **rule 39** of the rules;
 - (xxx) liaise, co-ordinate and co-operate with the State Child Protection Society and the District Child Protection Unit as and when required;
 - (xxxi) co-ordinate with the legal cum Probation Officer in the District Child Protection Unit or the District or State Legal Services Authority to ensure that every child is legally represented and provided free legal aid and other necessary support.
 - (xxxii) ensure the production of the child before the Board or the Committee or the Children's Court on the date of such production and to ensure that the dates for the said purpose are recorded.
- (4) The Person-in-charge shall inspect the Child Care Institution as often as possible but not less than twice a day. He shall make a record of the timings of his inspection and also note his observations in a separate book maintained for the purpose, especially with regard to:
- (i) maintenance of hygiene and sanitation,
 - (ii) maintenance of order,
 - (iii) quality and quantity of food,
 - (iv) hygienic maintenance of food articles and other supplies,
 - (v) hygiene in the medical centre and provisions for medical care,
 - (vi) behaviour of the children and staff,
 - (vii) security arrangements, and
 - (viii) maintenance of files, registers and books.

(5) Anything irregular that comes to the notice of the Person-in-charge shall be enquired into and resolved and the date, time and nature of the action taken shall be noted in the book.

(6) Where a problem of urgent nature has not been resolved within two working days, the Board or the Committee or the District Child Protection Unit shall be informed.

(7) In case the Person-in-charge is on leave or otherwise not available, the duties of the Person-in-charge shall be performed by the Child Welfare Officer as designated by the Person-in-charge.

62. Duties of the Child Welfare Officer or Case Worker.- (1) Every Child Welfare Officer or Case Worker in the Child Care Institution shall carry out all directions given by the Board or the Committee or the Children's Court.

(2) The Child Welfare Officer or Case Worker shall establish linkages with voluntary workers and organisations to facilitate rehabilitation and social re-integration of the children and to ensure the necessary follow up.

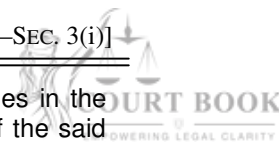
(3) The Child Welfare Officer or Case Worker available in the Child Care Institution at the time of receiving a child shall interact with the child received with a view to put the child at ease and befriend him and shall supervise the process of receiving of the child.

(4) On receipt of information from the police or Child Welfare Police Officer or on arrival of a child in the Child Care Institution, the Child Welfare Officer or Case Worker shall forthwith conduct social investigation of the child through personal interviews with the child and his family members, social agencies and other sources, inquire into antecedents and family history of the child and collect such other material as may be relevant, and submit the Social Investigation Report to the Board or the Committee or the Children's Court, within fifteen days.

(5) All the children in the Child Care Institution shall be assigned to a Child Welfare Officer or Case Worker and such Child Welfare Officer or Case Worker shall be responsible for the child assigned to him in all respects viz. care and development of the child, reporting to the Board or the Committee or the Children's Court about the child or maintaining the child's record in the Child Care Institution.

(6) Upon assignment of the child to a Child Welfare Officer or Case Worker, the Child Welfare Officer or Case Worker shall:

- (i) Prepare the case file of the child;
- (ii) Maintain the Protective Custody Card;
- (iii) Prepare and maintain the medical record of the child and ensure that the treatment of the child is not interrupted or neglected;
- (iv) Meet the child every day to ensure his safety, welfare and development; assist the child to adjust to the life in the Child Care Institution. A newly received child shall be met more often than once a day;
- (v) Gather information about the child within the initial five days to ascertain the child's education, vocational status and aptitude and emotional status;
- (vi) Have the necessary medical or mental tests, assessments and examinations of the child conducted;
- (vii) Study the reports and prepare in consultation with the child and his family members, an individual care plan for the child in **Form 7** for the period pending inquiry, to be placed in the case file of the child. The Child Welfare Officer or Case Worker may consult the counsellor, psychologists or such other person as he deems fit in this regard;
- (viii) In keeping with the individual care plan, a daily routine shall be developed for the child and explained to him;
- (ix) Ensure that the child adheres to the routine activities so developed and take timely reports from the caregivers in this respect;
- (x) Review periodically the implementation and effectiveness of the individual care plan and if necessary, suitably modify the individual care plan in **Form 7** and/or the routine activities of the child with the approval of the Management Committee;
- (xi) Resolve the problems of the child and deal compassionately with their difficulties in life in the Home;
- (xii) Participate in the orientation, monitoring, education, vocational and rehabilitation programmes in respect of the child and attend parent teacher meetings in schools in respect of children assigned to them;
- (xiii) Attend proceedings of the Board or the Committee or the Children's Court and furnish all information and file all reports that may be called for;



- (xiv) On receiving the copy of the order of declaration of age, to make the necessary changes in the record as regards the age of the child if any change is required and to place the copy of the said order in the case file of the child;
 - (xv) Participate in the pre-release programme and help the child to establish contact which can provide emotional and social support to the child after the release;
 - (xvi) Maintain contact with the children after their release and extend help and guidance to them;
 - (xvii) Visit regularly the residence of the child under their supervision and also places of employment or school attended by such child and submit fortnightly reports or as otherwise directed;
 - (xviii) Accompany the child wherever possible from the Board or the Committee or the Children's Court to Child Care Institution as the case may be;
 - (xix) Maintain record of the next date of production of the child before the Board or the Committee or the Children's Court or for medical treatment and ensure the production of the child before the Board or the Committee or the Children's Court or for medical treatment on the said date;
 - (xx) Maintain the registers as may be specified from time to time;
 - (xxi) Any other duty assigned by the Person-in-charge of the Child Care Institution.
- (7) The Child Welfare Officer or Case Worker who has been assigned the duty of verifying the daily cleaning in the premises of Child Care Institution shall do so twice a day, one after the morning cleaning and the other after the evening cleaning. The Child Welfare Officer or Case Worker shall make a note of the same in the House-keeping register.
- (8) The Child Welfare Officer or Case Worker who has been assigned the duty of verifying the daily cooking shall make a note of the same in the Meals Register, in respect of every meal.

63. Duties of the House Mother or House Father.- (1) Every house father or house mother shall abide by the directions of the Person-in-charge.

(2) The general duties, functions and responsibilities of a house father or house mother shall be as follows:

- (i) handle every child in the Child Care Institution with love and affection;
- (ii) take proper care of the child and ensure his welfare;
- (iii) provide each child upon his reception with all necessary supplies like clothing, toiletries and such other items required for daily usage.;
- (iv) replenish the provisions or supplies as per scale and need of the child;
- (v) maintain discipline among the children;
- (vi) ensure that the children maintain personal cleanliness and hygiene;
- (vii) look after maintenance, sanitation and maintain hygienic surroundings;
- (viii) implement the daily routine of every child in an effective manner and ensure the participation of the children;
- (ix) look after safety and security arrangements in the Child Care Institution;
- (x) escort the children whenever they go out of the Child Care Institution for purposes other than production before the Board or the Committee or the Children's Court;
- (xi) report to the Person-in-charge and to the Child Welfare Officer about the child assigned to the Child Welfare Officer;
- (xii) maintain the registers, relevant to their duties; and
- (xiii) any other duty as may be assigned by the Person-in-charge of the Child Care Institution.

64. Duties of a Probation Officer.- (1) On receipt of information from the Police or Child Welfare Police Officer under clause (ii) of sub-section (1) of section 13 of the Act, without waiting for any formal order from the Board, the Probation Officer shall inquire into the circumstances of the child as may have bearing on the inquiry by the Board and submit a social investigation report in **Form 6** to the Board.

(2) The social investigation report should provide for risk assessment, including aggravating and mitigating factors highlighting the circumstances which induced vulnerability such as traffickers or abusers being in the neighbourhood, adult gangs, drug users, accessibility to weapons and drugs, exposure to age inappropriate behaviours, information and material.

(3) The Probation Officer shall carry out the directions given by the Board and shall have the following duties, functions and responsibilities:

- (i) To conduct social investigation of the child in **Form 6**;
- (ii) To attend the proceedings of the Board and the Children's Court and to submit reports as and when required;
- (iii) To clarify the problems of the child and deal with their difficulties in institutional life;
- (iv) To participate in the orientation, monitoring, education, vocational and rehabilitation programmes;
- (v) To establish co-operation and understanding between the child and the Person-in-charge;
- (vi) To assist the child to develop contacts with family and also provide assistance to family members;
- (vii) To participate in the pre-release programme and help the child to establish contacts which could provide emotional and social support to the child after release;
- (viii) To establish linkages with Probation Officers in other Districts and States for obtaining social investigation report, supervision and follow-up.
- (ix) To establish linkages with voluntary workers and organisations to facilitate rehabilitation and social reintegration of children and to ensure the necessary follow-up;
- (x) Regular post release follow-up of the child extending help and guidance, enabling and facilitating their return to social mainstreaming;
- (xi) To prepare the individual care plan and post release plan for the child;
- (xii) To supervise children placed on probation as per the individual care plan;
- (xiii) To make regular visits to the residence of the child under his supervision and places of employment or school attended by such child and submit periodic reports as per **Form 10**;
- (xiv) To accompany children where ever possible, from the office of the Board to the observation home, special home, place of safety or fit facility as the case may be;
- (xv) To evaluate the progress of the children in place of safety periodically and prepare the report including psycho-social and forward the same to the Children's Court;
- (xvi) To discharge the functions of a monitoring authority where so appointed by the Children's Court;
- (xvii) To maintain a diary or register to record his day to day activities such as visits made by him, social investigation reports prepared by him, follow up done by him and supervision reports prepared by him;
- (xviii) To identify alternatives of community services and to establish linkages with voluntary sector for facilitating rehabilitation and social reintegration of children; and
- (xix) Any other task as may be assigned.

65. Rehabilitation-cum-Placement Officer.- (1) A Rehabilitation-cum- Placement Officer shall be designated in all Child Care Institutions, including place of safety.

(2) The Rehabilitation-cum-Placement Officer may have a Masters Degree in Social Work or Human Resource Management and at least three years experience in the field of rehabilitation, employment creation and resource mobilisation.

(3) The Rehabilitation-cum- Placement Officer to perform the following functions:

- (i) Identify the skills and aptitude of the children placed in Child Care Institutions through appropriate mechanism and in consultation with the Child Welfare Officer, Case Worker, Counsellor and Vocational instructor;
- (ii) Identify and develop linkages with all such agencies that offer vocational and training services with job placement at the end of the course;
- (iii) Network with persons, corporates, recognised non-governmental organisations and other funding agencies to mobilise resources for sponsoring training program and support for self-employment;
- (iv) Facilitate and coordinate with agencies, individuals, corporates, recognised non-governmental organisations and other funding agencies to set up vocational training units or workshops in Child Care Institutions as per age, aptitude, interest and ability;
- (v) Mobilise voluntary vocational instructors who render services to carry out the training sessions in the Child Care Institutions;
- (vi) Inculcate entrepreneurial skills and facilitate financial and marketing support for self-employment;
- (vii) Prepare rehabilitation plans keeping in mind the nature of the offence and the personality traits of the child;
- (viii) Maintain the Rehabilitation Card in **Form 14** and monitor the progress made by the child on regular basis and submit such progress reports to the Management Committee;
- (ix) Facilitate the child to get certificates on completion of the education or vocational training courses;
- (x) Make efforts for ensuring effective placement of each eligible and trained child;
- (xi) Organise workshops on Rehabilitation programmes and services available under Central and State Government Schemes, spread awareness and facilitate access to such schemes and services;
- (xii) Organise workshops on personality development, life skill development, coping skills and stress management and other soft skills to encourage the child to become a productive and responsible citizen; and
- (xiii) Conduct regular visits to the agencies where the children are placed to monitor their progress and provide any other assistance as may be required.

66. Staff Discipline.- (1) Any dereliction of duty, violation of rules and orders shall be viewed seriously and strict disciplinary action shall be taken or recommended by the Person-in-charge against the erring officials.

(2) No staff of the Child Care Institution shall be present at an unauthorised location within the Child Care Institution.

(3) No staff of the Child Care Institution shall bring any prohibited article into the Institution.

(4) No staff of the Child Care Institution shall consume any addictive substances like liquor, bidi, cigarette, tobacco or any other psychotropic substance within the premises of the Child Care Institution, whether on duty at the relevant time or not or shall report for duty under the influence of any intoxicating substance.

(5) No staff of the Child Care Institution shall sell or let for gain any article to any child or have any business dealings with such child or his parent or guardian.

(6) No staff of the Child Care Institution shall use any abusive or vulgar language or discuss age-inappropriate topics or watch pornographic material or read obscene literature in the premises of the Child Care Institution.

67. Security measures.- (1) Adequate number of security personnel shall be engaged in every Child Care Institution keeping in mind the category of children housed in the Child Care Institution, age group of children and the purpose of the Child Care Institution and the risk factor to and from the child.

(2) While engaging security personnel, preference shall be given to ex-servicemen recruited through the Directorate General of Resettlement or agencies recommended by them.

(3) In Child Care Institutions housing girls, female security guards would be provided for the security inside the Child Care Institution and male security guards may be engaged for the security of the Child Care Institution from outside.

(4) Security personnel should also be available in reserve for any emergency situation.

(5) The Person-in-charge shall ensure that appropriate security measures are employed at all times, including the following:

(i) There shall be sufficient number of guards at all times in different shifts to be posted at the points to be identified by the Person-in-charge in consultation with security in-charge and the Department.

(ii) Any child, who complains of a medical problem or any other problem at night, shall report to the caregiver concerned. The caregiver shall take such necessary steps as may be required and in case of emergency shall inform the medical officer concerned or the Person-in-charge as the need may be, who shall immediately take appropriate steps.

(iii) A duty roster shall be prepared and displayed at some prominent place in the premises of the Child Care Institution by the Person-in-charge.

(6) Every caregiver or other staff of the Home, if he comes to know of any incident or probability of unrest amongst the children, shall bring the same to the notice of the Person-in-charge without any loss of time, who shall take necessary steps as the situation demands and shall inform the Board or the Committee of such information or incident as well as the steps taken by him, in writing.

(7) The Person-in-charge shall make surprise visits to the Child Care Institution during the night as frequently as possible, but not less than once a week. He shall make a record of the timings of his visit and also note his observations in the register maintained by him in that regard.

(8) In a case of disturbance outside the Child Care Institution, the shift in-charge shall immediately inform the police station concerned.

(9) In a case of violence or disturbance inside the Child Care Institution, the shift in-charge shall take assistance of the police with the permission of the Person-in-charge. The shift in-charge shall first issue a warning to the children.

(10) In case of a natural disaster or fire or any such calamity, the shift in-charge shall take suitable steps for evacuation and safety of the children as per the Disaster Management Protocol as developed by the State Disaster Management Authority for Child Care Institutions.

(11) To prepare the officers, children and guards to follow the above steps, a practice drill shall be held once a month, without previous notice by the Person-in-charge.

(12) Closed Circuit Television cameras may be installed at all key points such as all entry and exit points to the Child Care Institution, reception, corridors, kitchen, pantry or store room, dormitories, entry and exit points of the washrooms with due regard to the privacy and dignity of the children.

(13) Adequate number of scanners and metal detectors may be provided in every Child Care Institution.

68. Searches and Seizures.- (1) The Person-in-charge or other authorised functionary of the Home may conduct searches if required, and seize prohibited articles, if found.

(2) The procedure in case of seizures shall be as under:

(i) any prohibited article found during the search, shall be seized by the Person-in-charge and a list of such seizure prepared;

- (ii) in case of arms, weapons, articles capable of being used as weapons or tools for criminal activities or addictive substances being found from a child or dormitory, the Person-in-charge shall conduct an inquiry to ascertain the presence of such articles and the persons responsible for such act;
- (iii) the Person-in-charge shall furnish his report in this respect to the police and inform the Board or the Committee at the earliest;
- (iv) the Board may initiate appropriate action upon such report or on the report forwarded by the Committee for disposal of the seized articles;
- (v) the State Government shall take appropriate action against the person responsible, if such person is an officer of the Child Care Institution or against the agency through whom the said person has been engaged or the Child Care Institution;
- (vi) the child responsible shall be dealt with in accordance with the Act and the rules made thereunder.

(3) All the articles seized shall be destroyed or disposed of having regard to the nature of the articles, on the orders of the competent court, after being satisfied that the seized articles are not required in any inquiry or departmental action against any officer or in any criminal investigation and proceedings.

69. Institutional Management of Children.-

A. (1) Every child shall be received by the Person-in-charge of the Child Care Institution or such other official duly authorised by the Person-in-charge to receive a child, referred to as the Receiving Officer.

(2) The Receiving Officer shall satisfy himself as regards the identity of the child and in case of any doubt, the Receiving Officer shall promptly inform the Person-in-charge who shall forthwith inform the Board or the Committee and produce the child before the Board or the Committee without any delay.

B. Types of Stay at the Child Care Institution.- (1) In case of children in conflict with law, there are three types of stay of children at the Child Care Institution:

- (i) protective custody;
- (ii) overnight protective stay;
- (iii) rehabilitation stay.

(2) In case of children in need of care and protection, there are two types of stay of children at the Child Care Institution:

- (i) overnight protective stay;
- (ii) rehabilitation stay.

C. Protective Custody.- (1) A Protective Custody Card in **Form 41** duly signed by the Board or a custody warrant duly signed by the Children's Court is required for such stay.

(2) Duration of such stay shall be as directed by the Board or the Children's Court and as extended from time to time by them.

(3) Such a stay shall be during the pendency of the inquiry.

D. Overnight Protective Stay.- (1) The purpose of the stay is to provide shelter to the child and prevent his being kept overnight at the police station or at any other unsuitable place by providing an alternative.

(2) Such stay may be only after 20:00 hrs in the night and till 14:00 hrs on the following day.

(3) A child shall be permitted to stay at the Child Care Institution for one night on an application seeking overnight protective stay of the child moved by the Child Welfare Police Officer in writing to the Receiving Officer. The application shall be accompanied with a copy of the relevant documents showing the circumstances in which the child was apprehended or found and the medical condition of the child.

(4) Upon being satisfied about the identity of the child, the child may be received by the Receiving Officer and **Form 42** shall be filled in triplicate. One copy of the form shall be retained as record of the Child

Care Institution, one copy shall be handed over to the Child Welfare Police Officer and the third copy shall be forwarded to the Board or the Committee concerned for their record.

(5) The child shall be handed over to the charge of the Child Welfare Police Officer the next day at the time stated in the form under receipt by the said Child Welfare Police Officer in the copy of the form.

(6) In case of the Child Welfare Police Officer not taking the charge of the child at the designated time, the child shall be produced before the Board concerned or the Committee by the Person-in-charge of the Child Care Institution with a report stating such fact.

(7) The particulars of the child shall be entered in the admission and discharge register, noting that the child has been received for overnight protective stay.

(8) The child shall be searched physically and all his personal belongings, if any that are found, shall be handed over to the Child Welfare Police Officer who has produced the child and who shall seize the articles and furnish a copy of such seizure to the Receiving Officer.

(9) The child shall be provided food to eat and drink, if the child is hungry, irrespective of the time of receiving such child.

(10) The child shall be placed for the night in the reception dormitory or the segregation unit as the case may be.

E. Rehabilitation Stay.- (1) A child may be sent to the Children's Home by the Committee for such a stay and to the special home or the place of safety by the Board or the Children's Court.

(2) The child shall be issued the Rehabilitation Card in **Form 14** which shall state the duration of stay of the child, unless the duration is shortened by a specific order in that respect by the Board or the Committee or the Children's Court.

F. Procedure to be adopted at the time of receiving the child.- (1) The Receiving Officer shall follow the following procedure at the time the child is received:

- (i) a full personal description of the child shall be entered in the admission and discharge register. In case of rehabilitation stay, the date of release of the child shall also be noted;
- (ii) the child shall be searched after explaining the requirements and the process, and with due regard to decency and dignity and all the personal belongings shall be dealt with as stated in **rule 72** of these rules. A girl child shall be searched only by a female member of the staff;
- (iii) the child shall be provided food to eat and drink if the child is hungry, irrespective of the time of receiving such child;
- (iv) the child shall be provided medical care in case of ill-health, injury, mental ailment, disease or addiction requiring immediate attention;
- (v) the child shall be segregated in specially earmarked dormitory or ward or hospital in case he is suspected to be suffering from contagious or infectious disease requiring special care and caution;
- (vi) the child shall be asked about any immediate and urgent needs like appearing in an examination or interview, contacting family members. A note of the same or of the fact that no such need is present shall be made by the Receiving Officer and put up before the Child Welfare Officer or Case Worker to whom the child is assigned. The said note shall be placed in the case file of the child.

(2) Every child received in the Child Care Institution shall be kept for the first fourteen days of his stay in the reception dormitory made specifically for the purpose or the segregation unit, so that the child adjust to the life in the Child Care Institution.

G. Procedure to be adopted after the child is received.- (1) The following procedure shall be adopted on the same day or the next day if the child is received in the night:

- (i) photograph of the child shall be taken. One photograph shall be kept in the case file of the child and another shall be fixed on the index card with the particulars of the child. A copy shall be kept in an album serially numbered and a copy of the photograph shall be sent to the Board or the Committee as well as to the District Child Protection Unit and be uploaded on the designated portal set up for the purpose;

(ii) the child may have a bath and be provided fresh clothes. The caregiver shall issue the child toiletry items, new sets of clothes, bedding and other outfit and equipment as per **rule 30** of these rules, a list of which shall be kept in his case file. The provisions will be replenished from time to time as per **rule 30** of these rules;

(iii) the Child Welfare Officer or Case Worker shall familiarise every newly admitted child with the Child Care Institution and its functioning, particularly in the following areas:-

- (a) personal health, hygiene and sanitation;
- (b) discipline of the Child Care Institution and code of behaviour;
- (c) daily routine activities and peer interaction; and
- (d) rights, responsibilities and obligations within the Child Care Institution.

(iv) the child shall be examined by the medical officer, who shall record the state of health of the child, and of any wound or mark on his person and any other observation which the medical officer thinks fit and a copy of which shall be placed in the medical record of the child;

(v) a Child Welfare Officer or Case Worker shall be assigned to the child by the Person-in-charge.

H. Procedure to be adopted during the first fourteen days of receiving the child.-(1) The assigned Child Welfare Officer or Case Worker shall interact with the child as often as possible.

(2) Within two days of the receipt of the child, if required, he may be examined by a panel of doctors to understand his physical, medical, psychological state and his state of addiction, if any, for assessment of his personality and requirements to assist in the rehabilitation plan to be prepared for him.

(3) The Child Welfare Officer or Case Worker assigned to the child shall also interact with the family members of the child, where available. A case history in **Form 43** shall be prepared and maintained in the case file of the child. Information for the same may be collected through all possible and available sources including the parents or guardians, home, school, friends, employer and community of the child.

(4) The Child Welfare Officer or Case Worker shall assess the educational level and vocational aptitude of the child on the basis of tests and interviews, conducted with the assistance of other technical staff. Necessary linkages, in this respect, shall be established with outside specialists and community based welfare agencies, psychologist, psychiatrist, child guidance clinic, hospital and other Government and non-governmental organisations.

I. Procedure to be adopted on the expiry of the first fourteen days.-(1) The child shall be shifted to one of the regular dormitories and assigned a specific bed, cabinet and study table in that dormitory.

(2) Assignment of the dormitory shall be done on the basis of:

- (i) age;
- (ii) nature of offence committed by or against the child;
- (iii) physical and mental status of the child;
- (iv) children, requiring special care, shall be kept in a different dormitory.

(3) An individual care plan in **Form 7** of the child shall be prepared by the Child Welfare Officer or Case Worker on the basis of the child's case history, education and vocational aptitude. In case of rehabilitation stay, the care plan shall be formulated for the complete period of the stay and shall necessarily include any and all directions given by the Board or the Committee or the Children's Court towards the rehabilitation including bridge courses, formal, informal or continuing education.

(4) The Child Welfare Officer or Case Worker shall review the individual care plan and note his opinion in the rehabilitation card in **Form 14** on the basis of his own observations, interaction with the child and his teachers or instructors and the feedback received from the house father or house mother.

(5) The Child Welfare Officer or Case Worker shall also maintain a record of any difficulty faced by the child during his stay at the Child Care Institution with a note of the steps taken to resolve the difficulty.

(6) The Child Welfare Officer or Case Worker shall similarly keep a record of the complaints made by the child with regard to the facilities in the Child Care Institution with a note of the steps taken thereon.

(7) The individual care plan shall be reviewed every fortnight during the initial three months and thereafter, every month. A report of its effectiveness or inadequacy shall be prepared with reasons for such opinion.

J. Procedure to be adopted after three months.- (1) The progress of the child shall be examined, with specific reference to the aims and targets noted in the individual care plan for the child. The progress of the child shall be reviewed and noted in the rehabilitation card in **Form 14**.

(2) The quarterly progress report shall be placed before the Management Committee for perusal and consideration.

(3) After deliberation by the Management Committee, the individual care plan shall be appropriately modified. The routine of the child and the approach towards rehabilitation of the child shall also be suitably modified. Record of such modified care plan and daily routine shall be maintained in the case file of the child. The progress shall be reviewed and recorded in the rehabilitation card in **Form 14**.

K. Pre-release planning.- (1) A well-conceived programme of pre-release planning and follow up of cases discharged from Children's Homes, special homes and places of safety shall be organised in all institutions as per the directions of the Board or the Committee or the Children's Court.

(2) In the event of a child leaving the Child Care Institution without permission or committing an offence within the institution, the information shall be sent by the Person-in-charge to the police and the family, if known; and the detailed report of circumstances along with the efforts to trace the child if the child is missing, shall be sent to the Board or the Committee or the Children's Court, as the case may be.

L. Daily Routine in the Child Care Institution.- (1) Every child shall obey the order of an officer of the Child Care Institution or house representative and shall remain under discipline.

(2) Every institution shall have a daily routine for the children in consultation with the Children's Committee, which shall be prominently displayed at various places within the institution.

(3) The daily routine shall include, inter alia, for a regulated and disciplined life, personal hygiene and cleanliness, physical exercise, yoga, educational classes, vocational training, organised recreation and games, moral education, group activities, prayer and community singing and special programmes for Sundays and holidays.

M. Behaviour of the Child.- (1) The children in the Child Care Institution will be oriented and trained to follow the rules and standards of good behaviour.

(2) Every unacceptable behaviour shall be taken note of by the Children's Committee and the child found in violation of rules may be made to give an explanation. The Children's Committee may recommend appropriate action to the Person-in-charge. A copy of the report containing the description of the incident and the action taken thereupon shall be submitted to the Board or the Committee or the Children's Court by the Person-in-charge within twenty-four hours. A copy of same shall also be placed before the Management Committee for planning a long term strategy for prevention of such incidents.

(3) A copy of the report shall be kept in the case file of the child concerned.

(4) The Person-in-charge may deal with the violation appropriately giving due consideration to the recommendation of the Children's Committee and the safety and dignity of the child.

(5) The Person-in-charge may seek the assistance of the counsellor or the Child Welfare Officer or Case Worker, any non-governmental organisation associated with the Child Care Institution in dealing with the situation.

(6) A child showing exceptionally good behaviour shall be considered for appropriate reward or benefits by the Person-in-charge and note of the same shall be placed in the case file of the child.

N. Manner of dealing with unacceptable behaviour.- (1) The action taken shall be commensurate with the nature and degree of violation and the age of the child and may be any of the following:

- (i) formal warning;

- (ii) assignment of house-keeping tasks;
 - (iii) imposition writing i.e. writing a number of times that he shall not repeat the behaviour; and
 - (iv) forfeiture of privileges viz. permission to watch television, permission to go for outdoor activity, sports and recreation and other preferred activity;
- (2) No child shall be subject to corporal punishment or any mental harassment including humiliating behaviour affecting the dignity of the child.

O. Exceptional Good behaviour.- The following shall be considered good behaviour, namely:-

- (i) following the rules of discipline and adhering to the routine, assessed over a period of a month;
- (ii) preventing, any other child from indulging in any unacceptable behaviour or preventing violence;
- (iii) preventing any mishap by raising an alarm, evacuating other children in case of disaster;
- (iv) assisting any officer of the Child Care Institution in maintaining order. For the House representatives, in situations that may develop into an emergency, the behaviour before the sounding of the alarm would be considered;
- (v) informing the Child Welfare Officer of any plan of creating unrest or of escape;
- (vi) inform the Person-in-charge about any prohibited article or contraband;
- (vii) helping another child to come out of his trauma;
- (viii) performing exceptionally well in an examination in continuation of his studies, or vocational or rehabilitation courses;
- (ix) positive and adaptive behaviour;
- (x) any other good behaviour as found exceptional by the Person-in-charge.

P. Reward or Benefits for maintaining exceptional behaviour.- The rewards to a child, at such rates as may be fixed by the management of the institution from time to time, may be granted by the Person-in-charge as an encouragement for good work and good behaviour and at the time of release, the reward shall be handed over after obtaining a receipt from the parent or the guardian, who comes to take charge of the child or child himself.

70. Prohibited Articles.- (1) No person shall bring into the Child Care Institution the following prohibited articles, namely:-

- (i) intoxicants of any description, psychotropic substances, liquor, ganja, bhang, opium, smack etc;
- (ii) all explosives, poisonous substances, acid and chemicals, whether fluid or solid of whatever description;
- (iii) all arms, ammunition and weapons, knives and cutting implements of every kind and articles which are capable of being used as a weapon of whatever description;
- (iv) all obscene matter;
- (v) string, rope, chains and all materials which are capable of being converted into string or rope or chains, of whatever description;
- (vi) wood, bamboo, club, stick, ladder, bricks, stones and earth of every description;
- (vii) playing cards or other implements for gambling;
- (viii) tobacco items, pan masala or similar item;
- (ix) medicine that has not been specifically prescribed;
- (x) any other article specified in this behalf by the State Government by a general or special order.

(2) All bullion, metal, coin, jewellery, ornaments, currency notes, securities and articles of value of every description including electronic items such as mobile phone, digital camera, i-pad, etc., shall be deposited in safe custody.

(3) The disposal of the prohibited articles shall be as per **rule 72** of these rules.

71. Articles found on search and inspection.- (1) The Person-in-charge shall ensure that every child received in the institution is searched, his personal belongings inspected and money or any valuables found with the child is kept in the safe custody of the Person-in-charge. In case of search of a female child, the search shall be carried out by female staff only. In every institution, a record of money, valuables and other articles found with a child shall be maintained in the "Personal Belongings Register" which shall contain a description of the articles.

(2) The entries made in the Personal Belongings Register, relating to each child, shall be read over to the child in the presence of a witness, whose signature shall be obtained in token of the correctness of such entries and it shall be countersigned by the Person-in-charge.

72. Disposal of articles.- (1) The money or valuables belonging to a child shall be disposed of in the following manner, namely:

- (i) on receipt of a child in an institution, the Person-in-charge shall deposit the money belonging to the child in the bank account of the child;
- (ii) the valuables, and other articles, if any, shall be kept in safe custody;
- (iii) when such child is transferred from one institution to another, all his money, valuables and other articles, shall be transferred along with the child to the Person-in-charge of the institution to which he has been transferred together with a full and correct statement of the description thereof;
- (iv) at the time of release of such child, all valuables and other articles kept in safe custody and the money deposited in the name of the child shall be handed over to the parent or guardian, as the case may be, with an entry made in this behalf in the register and signed by the parent or the guardian;
- (v) when a child in an institution dies, the valuables and other articles left by the deceased and the money deposited in the name of the child shall be handed over by the Person-in-charge to the parent or guardian of the child;
- (vi) a receipt shall be obtained from such person for having received such money, valuables and other articles; and
- (vii) if no claimant appears within a period of six months from the date of death or escape of a child, the valuables and other articles and money deposited in the name of the child shall be disposed of as per the decision taken by Management Committee under **rule 39** of these rules.

73. Maintenance of case file.- (1) The case file of each child maintained in the Child Care Institution in safe custody shall be confidential.

(2) The case file shall be produced before the Board or the Committee or the Children's Court on every date of production of the child for perusal of the Board or the Committee or the Children's Court.

(3) The case file shall contain the following namely:

- (i) report of the person or agency who produced the child before the Board or Committee including the report of the police;
- (ii) copy of FIR or DD entry in case of offence committed by or against the child;
- (iii) photo ID, if available;
- (iv) order of assignment of the Case Worker or Child Welfare Officer;
- (v) case history form;
- (vi) report of any urgent need of the child;
- (vii) reports of the Person-in-charge, Probation Officer or Child Welfare Officer, counsellor and

caseworker;

- (viii) the case file of the child maintained in any previous institution, if any;
- (ix) report of the initial interaction with the child, information from family members, relatives, community, friends and miscellaneous information;
- (x) source of further information about the child, his family etc.;
- (xi) observation reports from staff members;
- (xii) regular health status reports from Medical Officer, drug de-addiction progress reports, as the case may be;
- (xiii) psycho-social profiling, regular counselling reports, any other mental health intervention report, wherever applicable;
- (xiv) report of Intelligence Quotient (I.Q) testing, aptitude testing, cognitive assessment, educational or vocational tests, if conducted;
- (xv) instructions regarding training and treatment programme and special precautions to be taken;
- (xvi) copy of the personal belongings register;
- (xvii) copy of order declaring the age of the child;
- (xviii) leave and other privileges granted;
- (xix) Rehabilitation Card;
- (xx) quarterly progress report;
- (xxi) individual care plan, including pre-release programme, post release plan and follow-up plan as prescribed and modifications therein;
- (xxii) fortnightly and monthly report of the effectiveness of the care plan;
- (xxiii) record of difficulties faced by the child and their resolution;
- (xxiv) record of the complaints of the child and action taken on them;
- (xxv) feedback given by the child;
- (xxvi) leave of absence or release under supervision;
- (xxvii) report about a visitor visiting the child being found to have objectionable or prohibited articles;
- (xxviii) report of the child having such articles and action taken on the same;
- (xxix) report of any unacceptable behaviour and outcome;
- (xxx) report of any exceptional behaviour and outcome;
- (xxxi) special achievements and violation of rules, if any;
- (xxxii) note of the rewards or earnings of the child and receipt by the child or his parent or guardian;
- (xxxiii) release or restoration order;
- (xxxiv) escort order, if any;
- (xxxv) compliance report of release in case of children under rehabilitation intervention stay;
- (xxxvi) report of the child not being released and compliance report of the directions issued on non-release of a child;
- (xxxvii) follow-up reports;
- (xxxviii) annual photograph;
- (xxxix) follow-up report of post release cases as per the direction of the Board or the Committee or the

Children's Court;

(xl) copy of any other report called by the Board or the Committee or the Children's Court in respect of the child; and

(xli) remarks, if any.

(4) The medical record of a child shall contain all reports and records of the child regarding the status of his physical and mental health, addiction status and treatment, etc.

(5) It shall be the responsibility of the Child Welfare Officer or Case Worker concerned to maintain the case file.

(6) All the case files maintained by the institutions may be computerised and the State Government may develop appropriate processes for the same.

74. Visits to and communication with children.- (1) Every child in the Child Care Institution may be permitted to have one meeting in a week with his relatives:

Provided that in special cases, where parents or guardians have travelled a long distance from another State or District, the Person-in-charge may allow the parents or guardians entry into the premises and a meeting with their children on other days on confirmation of their identity and they being reported not to have been involved in subjecting the child to abuse and exploitation.

(2) A newly received child shall be permitted to meet his parent or guardian or family member on their first visit on any day.

(3) No meeting shall be permitted with the parent or guardian or relatives where such visitors have been found to be involved in subjecting the child to violence, abuse and exploitation or carrying any prohibited articles, except with the express permission granted by the Board or the Committee or the Children's Court or when such meeting has been specifically directed by the counsellor of the child.

(4) Every child shall be allowed to write two letters in a week to his parent or guardian or to his relatives. Necessary stationery and postage for the letters shall be provided by the Person-in-charge.

(5) The Person-in-charge may peruse any letter written by or to the child and may for reasons to be noted in the case file of the child, refuse to deliver or issue the letter. A report of the same shall be prepared and placed before the Management Committee. A copy of the report shall be retained on the case file and another copy shall be sent to the Board or the Children's Court or the Committee.

(6) Every child shall be allowed to bring any written communication for the purpose of handing over to the Board or the Committee or the Children's Court, as the case may be, and be provided stationery, etc. for the same.

(7) The Person-in-charge may allow a child to speak with his parents or guardians on telephone once a week under supervision of the Child Welfare Officer or Case Worker or Probation Officer and record shall be duly maintained of such calls.

(8) Every person desiring to meet the child shall, before the meeting, disclose his name and address with proof, which shall be noted in the visitors register and signed by the visitor. Copy of the photo identity card containing the address and a photograph of the visitor to be taken before the meeting, shall be retained by the institution. If the visitor refuses to disclose his particulars, he shall be denied the meeting.

(9) The visitor shall, submit himself for a search at the main gate, female visitors shall be searched by female staff only.

(10) Every meeting shall take place in the presence of the Child Welfare Officer or Case Worker or Probation Officer of the Child Care Institution, who shall be responsible for any irregularity that occurs and who shall be so placed that he is able to see and to prevent any objectionable or prohibited article being passed between the parties.

(11) Every child shall be carefully searched before and after the meeting in the presence of visitor. The child should not be having anything with him before he goes for the meeting.

(12) If any objectionable or prohibited article is found in the search conducted before the meeting:



- (i) the said article shall be seized;
 - (ii) the Person-in-charge shall conduct an inquiry to know the identity of the person(s) responsible for the article reaching the child;
 - (iii) if the person(s) responsible are from the staff of the Child Care Institution, appropriate action will be initiated against them; and
 - (iv) a detailed report of the inquiry and its result shall be forwarded to the Department and the Board or court of competent criminal jurisdiction.
- (13) If any objectionable or prohibited article is found in the search conducted after the meeting:
- (i) the article shall be seized;
 - (ii) in case of any illegal article being found warranting legal action, the article and the visitor shall be detained and the police informed. The visitor and such article shall be handed over to the police;
 - (iii) a report of such visitor shall be prepared and placed in the case file of the child;
 - (iv) a report of the incident shall be forwarded to the Board or court of competent criminal jurisdiction; and
 - (v) copy of the report shall be placed in the case file of the child.
- (14) Any child who abuses the privilege of meeting shall be denied the same for such period as the Person-in-charge may direct. A report of the same shall be sent to the Board or the Committee or the Children's Court and a copy shall be retained in the case file of the child.
- (15) Every child shall be entitled to communicate with his legal counsel provided that:
- (i) the rules of search and seizure shall apply to all legal counsels also;
 - (ii) every such interview shall take place within the sight of a home official, though at a safe distance so as to be out of hearing;
 - (iii) the person wishing to have an interview with the child in the capacity of his advocate shall apply in writing, giving his name, address and enrolment number with a copy of a vakalatnama, duly attested by the Board or the Committee or the Children's Court;
 - (iv) any child who claims to have no counsel shall be permitted to meet the legal aid counsels who visit the Child Care Institution in the normal course.

75. Death of a Child.- (1) On the occurrence of any case of death or suicide of a child in a Child Care Institution, the procedure to be adopted shall be as under:

- (i) The institution must ensure that an inquest and post-mortem examination is held at the earliest.
- (ii) In case of natural death or death due to illness of a child, the Person-in-charge shall obtain a report of the Medical Officer stating the cause of death and a written intimation about the death shall be given immediately to the nearest Police Station, Board or Committee and the parents or guardians or relatives of the child.
- (iii) Immediate information shall be given by the case-worker or Probation Officer or Child Welfare Officer to the Person-in-charge and the Medical Officer and the Person-in-charge shall immediately inform the nearest police station, Board or Committee and parents or guardians or relatives of the deceased child.
- (iv) If a child dies within twenty-four hours of his admission to the Child Care Institution, the Person-in-charge of the Child Care Institution shall report the matter to the police and the District Medical Officer or the nearest Government hospital and the parents or guardians or relatives of such child without delay.
- (v) The Person-in-charge and the Medical Officer of the Child Care Institution shall record the circumstances of the death of the child and send a report to the concerned Magistrate, the police, the Board or the Committee or the Children's Court and the District Medical Officer or the nearest Government hospital where the dead body of the child is sent for examination and determination of the cause of death and the person-in charge and the Medical Officer shall also record in writing

their views on the cause of death, if any, and submit it to the concerned Magistrate and to the police.

- (vi) The Person-in-charge and the Medical Officer at the Child Care Institution shall make themselves available for any inquiry initiated by the police or the Magistrate regarding the cause of death and other details regarding such child.
- (vii) As soon as the inquest is over, the body of the child shall be handed over to the parent or guardian or relatives or, in the absence of any claimant, the last rites shall be performed under the supervision of the Person-in-charge of the Child Care Institution in accordance with the known religion of the child after retaining a photograph of the child for future reference.

76. Abuse and Exploitation of the Child.- (1) Every institution shall evolve a system of ensuring that there is no abuse, neglect and maltreatment and shall include the staff who is aware of what constitutes abuse, neglect and maltreatment, and their early indication and how to respond to these abuses.

(2) In the event of any physical, sexual or emotional abuse, including neglect of children in an institution by those responsible for care and protection, the following action shall be taken namely:

- (i) the incidents of abuse and exploitation shall be reported by any staff member of the institution immediately to the Person-in-charge on receiving such information;
- (ii) when an allegation of physical, sexual or emotional abuse comes to the knowledge of the Person-in-charge, a report shall be placed before the Board or Committee, who in turn shall, order for special investigation;
- (iii) the Board or Committee shall direct the local police station or Special Juvenile Police Unit to register a case, take due cognizance of such incidents and conduct necessary investigation;
- (iv) the Board or Committee shall take necessary steps to ensure completion of inquiry and provide legal aid as well as counselling to the child victim;
- (v) the Board or Committee shall transfer such a child to another institution or place of safety or fit person, as the case may be;
- (vi) the Person-in-charge of the institution shall also inform the Chairperson of the Management Committee and place a copy of the report of the incident and subsequent action taken in its next meeting;
- (vii) in the event of any other crime committed in respect of children in institutions, the Board or Committee shall take cognizance and arrange for necessary investigation to be carried out by the local police or Special Juvenile Police Unit;
- (viii) the Board or Committee may consult Children's Committee setup in each institution to enquire into the fact of abuse and exploitation as well as seek assistance from voluntary organisations, child rights experts, mental health experts or crisis intervention centres in dealing with matters of abuse and exploitation of children in an institution.

77. Maintenance of Registers.- (1) The persons mentioned in column (3) shall maintain registers and forms under the Act and the rules made thereunder in column (2) whose custodian shall be the persons mentioned in column (4) thereof as under:

Table

S.No. (1)	Register and forms (2)	To be maintained by (3)	Custodian (4)
1.	Admission and Discharge Register which will indicate change of nature of custody.	Child Welfare Officer/Case Worker/Receiving Officer	Person-in-charge
2.	Attendance Registers for staff and children.	Shift Incharge	Person-in-charge
3.	Budget Statement file.	Person-in-charge	Person-in-charge

4.	Case file of each child.	Child Welfare Officer or Case Worker	Person-in-charge
5.	Cash Book.	Accounts Officer/Cashier	Person-in-charge
6.	Children's Suggestion Book.	Children's Committee	Person-in-charge
7.	Counselling Register.	Counsellor	Person-in-charge
8.	Drug de-addiction programme enrolment and progress register.	Child Welfare Officer/ Case Worker	Person-in-charge
9.	Handing over Charge Register.	Shift Incharge	Person-in-charge
10.	House-keeping and Sanitation Register.	House Parent	Person-in-charge
11.	Inspection Book.	Person-in-charge	Person-in-charge
12.	Legal Services Register.	Child Welfare Officer/ Case Worker	Person-in-charge
13.	Library Register.	Teacher	Person-in-charge
14.	Log Book.	Driver	Person-in-charge
15.	Meals Register/Nutrition Diet File.	House Parent	Shift Incharge
16.	Medical File of each child.	Staff Nurse	Person-in-charge
17.	Meeting Book.	Child Welfare Officer/ Case Worker	Person-in-charge
18.	Minutes Register of Children's Committees.	Child Welfare Officer/ Case Worker	Person-in-charge
19.	Minutes Register of Management Committee.	Person-in-charge	Person-in-charge
20.	Order Book.	Person-in-charge	Person-in-charge
21.	Personal Belongings Register.	Child Welfare Officer/Case Worker	Person-in-charge
22.	Production Register	Probation Officer/ Child Welfare Officer/ Case Worker	Person-in-charge
23.	Staff Movement Register.	Incharge of Security	Person-in-charge
24.	Stock Register.	Store keeper cum accountant	Person-in-charge
25.	Visitor's Book	Security Guards	Main Gate's Keeper

78. Openness and Transparency.- (1) All Child Care Institutions shall be open to visitors with the permission of the Board or the Committee or the Person-in-charge, who may allow voluntary organisations, social workers, researchers, doctors, academicians, and such other persons as the Management Committee may permit or consider appropriate keeping in view the security, welfare and the interest of the children.

(2) Where permission referred to in sub-rule(1) is given by the Person-in-charge, he shall make a monthly report of such permission including the orders received from the Board or the Committee to the State Child Protection Society and also to the Board or the Committee, as the case may be.

(3) The Person-in-charge of the Child Care institution shall encourage active involvement of the local community and corporates in improving the condition in the institution or support the child.

(4) The Person-in-charge shall maintain a visitors' book to record the remarks of the visitors.

(5) The Person-in-charge shall take all steps to inform the visitors to maintain the dignity of children.

79. Release of a child from a Child Care Institution.- (1) The Person-in-charge of the Child Care Institution shall maintain a roster of the cases of children to be released on the expiry of the period of stay as ordered by the Board or the Committee or the Children's Court.

(2) The timely information of the release of a child and of the exact date of release shall be given to the parent or guardian and the parent or guardian shall be called to the Child Care Institution to take charge of the child on that date and if necessary, the actual expenses of the parent's or guardian's journey both ways and of the child's journey from the Child Care Institution shall be paid to the parent or guardian by the Person-in-charge at the time of the release of the child.

(3) If the parent or guardian, as the case may be, fails to come and take charge of the child on the appointed date, the child shall be taken by the escort of the Child Care Institution; and in case of a girl, she shall be escorted by a female escort who shall hand over the custody to her parent/guardian.

(4) At the time of release or discharge, a child may be provided with a set of suitable clothing and essential toiletries.

(5) When the child attains the age of eighteen years, he may be placed, if eligible, in an aftercare programme, subject to the consent of the child and the approval of the Board or the Committee or the Children's Court.

(6) In case the date of release falls on a Sunday or a public holiday, the child may be discharged on the preceding day with an entry to that effect being made in the register of discharge.

(7) The Person-in-charge of the Child Care Institution may in appropriate cases, order the payment of subsistence money, at such rates as may be fixed from time to time, by the State Government, and the railway and/or road fares, as the case may be.

(8) Where a girl child has no place to go after release and requests for stay in the Child Care Institution after the period of stay is over, the Person-in-charge may, subject to the approval of the Board or the Committee or the Children's Court, allow her stay only for a limited period till the time, some other suitable arrangement is made by her.

80. Child suffering from disease requiring prolonged medical treatment in an approved place and transfer of a child who is mentally ill or addicted to alcohol or other drugs.- (1) The Board or the Committee or the Children's Court may send the child to a fit facility for such period as may be certified by a medical officer or mental health expert or on the recommendation of the Person-in-charge or Probation Officer or Child Welfare Officer or Case Worker, as necessary for proper treatment of the child who is mentally ill or addicted to alcohol or drugs or any other substance which lead to behavioural changes in a person for the remainder of the term for which he has to stay.

(2) When the child is cured of the disease or physical or mental health problems, the Board or the Committee or the Children's Court may, order the child to be placed back in the care from where the child was removed for treatment and if the child no longer requires to be kept under further care, the Board or the Committee or the Children's Court may order him to be discharged.

(3) The State Government may set up separate Integrated Rehabilitation Centres for child addicts on the basis of appropriate age groups.

81. Transfer of Child.- (1) During the inquiry, if it is found that the child hails from a place outside the jurisdiction of the Board or the Committee, the Board or the Committee shall order the transfer of the child and send a copy of the order stating the reasons for and circumstances of such transfer to the State Government and District Child Protection Unit.

(2) The District Child Protection Unit shall accordingly:

- (i) send the information of transfer to the appropriate Board or the Committee having jurisdiction over the area where the child is ordered to be transferred by the Board or Committee; and
- (ii) send a copy of the information to the Person-in-charge of the institution where the child is to be placed for care and protection at the time of the transfer order.

(3) The child shall be escorted at Government expenses to the place or person as specified in the order and a travelling allowance on a per day basis shall be determined by the Board or the Committee which shall be paid by the District Child Protection Unit of the State which has transferred the child.

(4) On such transfer, case file and records of the child shall be sent along with the child.

(5) Where the child is a national of another country, the Board or the Committee shall inform the State Government immediately on the production of the child before the Board or the Committee which may initiate the process for repatriation of the child immediately in consultation with Ministry of Home Affairs and Ministry of External Affairs, as the case may be.

(6) During the period pending the finalisation of the repatriation, the child shall be kept in a Child Care Institution.

(7) The expenses for the repatriation of the child to another country shall be borne by the State Government concerned.

82. Restoration and Follow-up.- (1) The Board or the Committee or the Children's Court may make an order in **Form 44** for the release of the child placed in a Child Care Institution after hearing the child and his parents or guardian, and after satisfying itself as to the identity of the persons claiming to be the parents or the guardian.

(2) While passing an order for restoration of the child, the Board or the Committee or the Children's Court shall take into account the reports of the Probation Officer, social worker or Child Welfare Officer or Case Worker or non-governmental organisation, including report of a home study prepared on the direction of the Board or the Committee or the Children's Court in appropriate cases, and any other relevant document or report brought before the Board or the Committee or the Children's Court.

(3) The order of restoration shall include an individual care plan prepared by the Probation Officer or the social worker or the Child Welfare Officer or Case Worker or non-governmental organisation.

(4) The Board or the Committee or the Children's Court, while directing restoration of the child, may pass order for an escort in **Form 45**, where necessary.

(5) Besides police, the Board or the Committee may seek collaboration with non-governmental organisations to accompany the child back to the family for restoration.

(6) In case of girls, the child shall necessarily be accompanied by female escorts.

(7) The copy of the restoration order along with a copy of the order for escort shall be forwarded by the Board or the Committee or the Children's Court to the District Child Protection Unit which shall provide funds for the restoration of the child, including travel and other incidental expenses.

(8) When a child expresses his unwillingness to be restored back to the family, the Board or the Committee or the Children's Court shall interact with the child to find out the reasons for the same and record the same and the child shall not be coerced or persuaded to go back to the family. The child may also not be restored back to the family where the social investigation report prepared by the Child Welfare Officer or the social worker or the Case Worker or the non-governmental organisation establishes that restoration to family may not be in the interest of the child. The child would also not be restored back to the family where the parents or guardians refuse to accept the child back. In all such cases, the Board or the Committee or the Children's Court may provide alternative means for rehabilitation.

(9) A follow-up plan shall be prepared as part of the individual care plan by the Probation Officer or the Child Welfare Officer or the Case Worker or the social worker or the non-governmental organisation.

(10) The follow-up report shall state the situation of the child post restoration and the measures necessary in order to reduce further vulnerability of the child.

83. Juvenile Justice Fund.- (1) The State Government shall create a fund called the Juvenile Justice Fund for the welfare and rehabilitation of the children dealt with under the Act and the rules.

(2) The State Government shall make adequate budgetary allocations towards the Juvenile Justice Fund.

(3) The Juvenile Justice Fund may receive donations, voluntary contributions, subscriptions or funds under Corporate Social Responsibility, whether or not for any specific purpose, and shall be directly credited to the Juvenile Justice Fund.

(4) The Juvenile Justice Fund may be utilised by the State Government for the following purposes, namely:-

- (i) establishment and administration of Child Care Institutions;
- (ii) supporting innovative programmes for the welfare of the children in the Child Care Institutions;
- (iii) strengthening of legal assistance and support;
- (iv) providing entrepreneurial support, skill development training or vocational training;
- (v) providing lump-sum subsistence support to children leaving Child Care Institution on attaining the age of eighteen years;
- (vi) providing after care facilities and entrepreneurship fund for providing capital and infrastructure to persons who have crossed the age of eighteen within institutionalized care, for starting up small businesses to support reintegration into mainstream life;
- (vii) providing support for foster care, sponsorship and after care;
- (viii) rehabilitation of children in special circumstances including children released from militant groups and adult groups;
- (ix) meeting the expenses of travel for trial and restoration of children, including the expenses of the escorts including police;
- (x) creating child friendly police stations, Boards, courts and Committees;
- (xi) Capacity building for parents and caregivers to understand needs of children;
- (xii) awareness generation programmes on child rights and offences against children;
- (xiii) creating community-based child protection programmes to identify and report offences against children;
- (xiv) providing specialised professional services, counselors, translators, interpreters, special educators, social workers, mental health workers, vocational trainers etc. for the children covered under the Act;
- (xv) providing recreational facilities and extra-curricular activities for the children covered under the Act including those in Child Care Institutions;
- (xvi) palliative care for cancer affected children and stay facilities for their parents; and
- (xvii) any other programme or activity to support the holistic growth, development and well-being of a child covered under the Act and the rules.

(5) The Juvenile Justice Fund shall be maintained and administered by Department of the State Government dealing with the implementation of this Act through the State Child Protection Society.

(6) The State Child Protection Society, with the approval of the State Government shall adopt financial rules to govern the utilisation of the Juvenile Justice Fund.

84. State Child Protection Society.- (1) The State Child Protection Society shall perform the following functions namely:

- (i) overseeing the implementation of the Act and the rules framed thereunder in the State and supervision and monitoring of agencies and institutions under the Act;
- (ii) addressing road-blocks, issues, complaints received regarding care and protection of children;
- (iii) ensure that all institutions set up under the Act and the rules are in place and performing their assigned duties;
- (iv) reviewing reports received from various District Child Protection Units on the functioning of institutions in various districts and take action to facilitate the protection of children wherever necessary and monitoring the functioning of the District Child Protection Units;
- (v) develop programmes for foster care, sponsorship and after-care;
- (vi) inquire into, seek reports and make recommendations in cases of death or suicide in Child Care Institutions and under other institutional care;
- (vii) ensure inter-department coordination and liaising with the relevant departments of the State and Central Governments and State Child Protection Societies of other States or Union Territories;
- (viii) networking and coordinating with civil society organisations working for the effective implementation of the Act and the rules;
- (ix) maintaining a state level database of all children in institutional care and family based non-institutional care and updating it on a quarterly basis;
- (x) maintaining a database of Child Care Institutions, Specialised Adoption Agencies, open shelters, fit persons and fit facilities, registered foster parents, sponsors, after care organisations and other institutions at the State level;
- (xi) maintaining a database of medical and counselling centres, de-addiction centres, hospitals, open schools, education facilities, apprenticeship and vocational training programmes and centres, recreational facilities such as performing arts, fine arts and facilities for children with special needs and other such facilities at the State level;
- (xii) monitoring and administering the Juvenile Justice Fund set up by the State Government including disbursement of funds to the District Child Protection Units, Special Juvenile Police Units and police stations, as the case may be;
- (xiii) maintaining separate accounts for all funds received by the State Child Protection Society such as the Juvenile Justice Fund, funds under Schemes of Central and State Government and getting the same audited;
- (xiv) generate awareness among public on various aspects of the Act and the rules made thereunder specifically the existing institutional framework, rehabilitation measures, penalties, procedures for better protection of children;
- (xv) organise and conduct programmes for the implementation of the Act including training and capacity building of stakeholders;
- (xvi) commission research programmes on child protection;
- (xvii) co-ordinate with State Legal Services Authority and law schools; and
- (xviii) any other function for the effective implementation of the Act and the rules made thereunder.

(3) The Member- Secretary of the State Child Protection Society shall be the Nodal Officer in the State for the implementation of the Act and the rules.

85. District Child Protection Unit.- (1) The District Child Protection Unit shall perform following functions, namely:

- (i) maintain report of quarterly information sent by the Board about children in conflict with law produced before the Board and the quarterly report sent by the Committee;
- (ii) arrange for individual or group counselling and community service for children;
- (iii) conduct follow up of the individual care plan prepared on the direction of the Children's Court for children in the age group of sixteen to eighteen years found to be in conflict with law for committing heinous offence;
- (iv) conduct review of the child placed in the place of safety every year and forward the report to the Children's Court;
- (v) maintain a list of persons who can be engaged as monitoring authorities and send the list of such persons to the Children's Court along with bi-annual updates;
- (vi) maintain record of run- away children from Child Care Institutions;
- (vii) identify families at risk and children in need of care and protection;
- (viii) assess the number of children in difficult circumstances and create district-specific databases to monitor trends and patterns of children in difficult circumstances;
- (ix) periodic and regular mapping of all child related services at district for creating a resource directory and making the information available to the Committees and Boards from time to time;
- (x) facilitate the implementation of non-institutional programmes including sponsorship, foster care and after care as per the orders of the Board or the Committee or the Children's Court;
- (xi) facilitate transfer of children at all levels for their restoration to their families;
- (xii) ensure inter-departmental coordination and liaise with the relevant departments of the State Government and State Child Protection Society of the State and other District Child Protection Units in the State;
- (xiii) network and coordinate with civil society organisations working under the Act;
- (xiv) inquire into, seek reports and take action in cases of death or suicide in child care institutions and under other institutional care and submit the reports to the State Child Protection Society;
- (xv) look into the complaints and suggestions of the children as contained in the children's suggestion box and take appropriate action;
- (xvi) be represented on the Management Committees within the Child Care Institutions;
- (xvii) maintain a district level database of missing children in institutional care and uploading the same on designated portal and of children availing the facility of Open Shelter and of children placed in foster care;
- (xviii) maintain a database of child care institutions, specialised adoption agencies, open shelter, fit persons and fit facilities, registered foster parents, after care organisations and institutions etc. at the district level and forward the same to the Boards, the Committees, the Children's Courts and the State Child Protection Society, as the case may be;
- (xix) maintain a database of medical and counselling centres, de-addiction centres, hospitals, open schools, education facilities, apprenticeship and vocational training programmes and centres, recreational facilities such as performing arts, fine arts and facilities for children with special needs and other such facilities at the district level and forward the same to the Boards, the Committees, the Children's Courts and the State Child Protection Society;
- (xx) maintain a database of special educators, mental health experts, translators, interpreters, counsellors, psychologists or psycho-social workers or other experts who have experience of working with children in difficult circumstances at the district level and forward the same to the Boards and the Committees and the Children's Court and the State Child Protection Society;



- (xxi) generate awareness and organise and conduct programmes for the implementation of the Act including training and capacity building of stakeholders under the Act;
 - (xxii) organise quarterly meeting with all stakeholders at district level to review the progress and implementation of the Act;
 - (xxiii) submit a monthly report to the State Child Protection Society;
 - (xxiv) notify the State Government about a vacancy in the Board or the Committee six months before such vacancy arises;
 - (xxv) review reports submitted by Inspection Committees and resolve the issues raised through coordination among the stakeholders;
 - (xxvi) provide secretarial staff to the Committees and the Boards;
 - (xxvii) all other functions necessary for effective implementation of the Act including liaising with community and corporates for improving the functioning of Child Care Institutions.
- (2) The District Child Protection Officer shall be the Nodal Officer in the district for the implementation of the Act and the rules.

86. Special Juvenile Police Unit.- (1) The State Government shall constitute a Special Juvenile Police Unit in each district and city to co-ordinate all functions of police related to children.

(2) The Central Government shall constitute a Special Juvenile Police Unit for the Railway Protection Force or Government Railway Police at every railway station as per requirement and where a Special Juvenile Police Unit cannot be set up, at least one Railway Protection Force or Government Railway Police Officer shall be designated as the Child Welfare Police Officer.

(3) The Child Welfare Police Officers and other police officers of the Special Juvenile Police Unit shall be given, appropriate training and orientation to deal with matters concerning children.

(4) The transfer and posting of the designated Child Welfare Police Officers may be within the Special Juvenile Police Units of other police stations or the district unit.

(5) The police officer interacting with children shall be as far as possible in plain clothes and not in uniform and for dealing with girl child, woman police personnel shall be engaged.

(6) The Child Welfare Police Officer or any other police officer shall speak in polite and soft manner and shall maintain dignity and self-esteem of the child.

(7) Where questions that may lead to discomfort of the child are to be asked, such questions shall be asked in tactful manner.

(8) When an FIR is registered for offence against a child, a copy of the FIR shall be handed over to the complainant or child victim and subsequent to the completion of investigation, copy of report of investigation and other relevant documents shall be handed over to the complainant or any person authorised to act on his behalf.

(9) No accused or suspected accused shall be brought in contact with the child and where the victim and the person in conflict with law are both children, they shall not be brought in contact with each other.

(10) The Special Juvenile Police Unit shall have a list of:

(i) the Board and Child Welfare Committee in its due jurisdiction, their place of sitting, hours of sitting, names and contact details of Principal Magistrate and members of the Board, names and contact details of Chairperson and members of the Committee and the procedures to be followed before the Board and the Committee; and

(ii) contact details of the Child Care Institutions and fit facilities in its due jurisdiction.

(11) The names and contact details of the Special Juvenile Police Unit or Child Welfare Police Officer shall be placed at a conspicuous part at the police stations, Child Care Institutions, Committees, Boards and the Children's Courts.



(12) The Special Juvenile Police Unit shall work in close co-ordination with the District Child Protection Unit, the Board and the Committee in the matters concerning the welfare of children within its jurisdiction.

(13) The Special Juvenile Police Unit may coordinate with the District Legal Services Authority to provide legal aid to children.

87. Selection Committee and its composition.- (1) The State Government shall constitute a Selection Committee for a period of three years by notification in the Official Gazette consisting of the following members, namely:

- (i) a retired judge of High Court as the Chairperson to be appointed in consultation with the Chief Justice of the High Court concerned;
- (ii) one representative from the Department implementing the Act not below the rank of Director as the *ex-officio* Member Secretary;
- (iii) two representatives from two different reputed non-governmental organisations respectively working in the area of child development or child protection for a minimum period of seven years but not running or managing any children's institution;
- (iv) two representatives from academic bodies or Universities preferably from the faculty of social work, psychology, sociology, child development, health, education, law, and with special knowledge or experience of working on children's issues for a minimum period of seven years; and
- (v) a representative of the State Commission for Protection of Child Rights.

(2) The Committee shall continue for a maximum period of three months after the completion of its tenure by which time new Committee shall be constituted.

(3) If a vacancy arises in the Selection Committee, the Member Secretary shall intimate the Secretary of the Department implementing the Act who shall take steps to fill the vacancy for the remaining period at the earliest.

(4) The quorum for the meeting of the Selection Committee shall be not less than four Members, including the Chairperson and the Member Secretary.

(5) The Member Secretary of the Selection Committee shall convene the meetings of the Selection Committee at such times as may be necessary for facilitating and carrying out the functions of the Selection Committee.

(6) The Member Secretary shall maintain the minutes of the selection process and all other meetings of the Selection Committee.

(7) The Chairperson and non-official members of the Selection Committee shall be paid such sitting fees and travel allowances as may be fixed by the State Government from time to time.

(8) All communications relating to the working and discharge of the functions of the Selection Committee shall be addressed to the Office of the Member Secretary, who shall place the same before the Selection Committee.

(9) All records relating to selection shall be placed on the website of the State Government Department concerned.

88. Selection of Chairperson and Members of the Committee or Board.- (1) The Member Secretary of the Selection Committee shall initiate the process of filling up a vacancy six months prior to the incumbent demitting office:

Provided that if a vacancy arises on account of resignation or death of the Chairperson of the Committee or a Member of the Board or Committee the Member Secretary of the Selection Committee shall immediately initiate the process for filling up such vacancy.

(2) For selection of members of the Board or Chairperson and members of the Committee, the State Government through the Member Secretary of the Selection Committee shall call for applications through public advertisement in the local and national newspapers and official website of the Department implementing the Act.



(3) The Member Secretary shall screen all the applications received and place the applications which fulfil the basic eligibility requirements before the Selection Committee.

(4) The Selection Committee shall evaluate the candidates on the basis of qualifications, experience of working with children and personal interaction with the candidate.

(5) A member selected by the Selection Committee should not:

- (i) be holding such full-time occupation that may not allow the person to give necessary time and attention to the work of the Board or the Committee as per the Act and rules;
- (ii) be associated with any Child Care Institution, directly or indirectly, during his tenure as a member of the Board or Committee or have any other conflict of interest.
- (iii) hold any office in any political party during his tenure, or
- (iv) be insolvent.

(6) Where the Selection Committee is required to consider an application for renewal of tenure of Members of the Board or Committee as the case may be, it shall evaluate the application on the basis of the following criteria, namely:

- (i) regular performance appraisals of the Member carried out by the District Judge or District Magistrate quarterly as per a specified format, a copy of which shall be made available to the Chairperson and Members of the Selection Committee by the Member Secretary;
- (ii) complaints if any, received and addressed by the Selection Committee against the person seeking an extension of tenure; and
- (iii) interaction with such applicant.

(7) The Selection Committee shall, on the basis of the evaluation procedure and criteria, select and recommend a panel of names in order of merit to the State Government for appointment as Members of the Board or Chairperson or Members of the Committee as the case may be.

(8) In recommending a panel of names, the Selection Committee shall prepare separate panels for the position of Chairperson of the Committee, Members of the Committee and Members of the Board respectively.

(9) The Selection Committee shall prepare a three member panel for each position, which shall be valid for a period of one year.

(10) The list of finalised names shall be duly signed by all members of the Selection Committee present at the time of selection and the Member Secretary of the Selection Committee shall forward the finalised list to the State Government for appointment. The State Government shall constitute one or more Boards or Committees, as the case may be, in each district through notification in Official Gazette within a period of two months of receipt of recommendations of Selection Committee.

(11) Names on the panel shall be valid for consideration for a period of one year which may be extended by six months where a new panel has not yet been constituted, in order to fill in vacancies which may arise during such period either due to non-reporting of the selected persons within a stipulated time from the date of appointment, or otherwise during the tenure of the Board or Committee.

(12) If a vacancy in the Board or Committee arises, the District Child Protection Unit shall inform the State Government for filling up such vacancy.

(13) The State Government shall fill the vacancies on the basis of the panel of names recommended by the Selection Committee within a period of three months from receiving such information from the District Child Protection Unit.

(14) If any complaint is made against a member of the Board or Committee, the State Government shall hold necessary inquiry except in respect of judicial officers; complaints against judicial officers shall be forwarded to the Registrar of the High Court for action.

(15) The State Government shall complete the inquiry within a period of one month and take appropriate action within two months.

(16) If a criminal case is registered against the person concerned, Government may suspend the appointment for such term as appropriate after due inquiry.

89. Training of Personnel Dealing with Children.- (1) The State Government shall provide for training of personnel appointed under the Act and the rules and each category of staff, keeping in view with their statutory responsibilities and specific jobs requirements.

(2) The training programme shall include:

- (i) introduction of the Act and the rules made thereunder;
- (ii) orientation on child welfare, care, protection and child rights;
- (iii) induction training of the newly recruited personnel;
- (iv) refresher training courses and skill enhancement programmes, documentation and sharing of good practices; and
- (v) conferences, seminars and workshops.

(3) The following categories of personnel shall have to undergo training for minimum period of fifteen days, namely:-

S. No.	Personnel
1.	Staff of Children's Court and Principal Magistrates of Juvenile Justice Boards
2.	Members of Juvenile Justice Boards
3.	Chairpersons and Members of Child Welfare Committees
4.	Child Welfare Police Officers and other police officers of Special Juvenile Police Units
5.	Programme Managers and Programme Officers of State Child Protection Societies and State Adoption Resource Agency
6.	Staff of State Adoption Resource Agency
7.	Legal-cum-Probation Officers under District Child Protection Units and Probation Officers in Child Care Institutions
8.	Staff of District Child Protection Units and State Child Protection Society
9.	Persons-in-charge of Child Care Institutions (including Open Shelters)

(4) The State Government shall also provide training to other personnel such as social workers, Child Welfare Officers, Case Workers, rehabilitation cum placement Officers, care givers, house fathers and house mothers of Child Care Institutions, security personnel and other staff of Child Care Institutions, Frontline Workers, bridge course educators, outreach workers and community volunteers, Social Workers of Specialised Adoption Agencies, Directors or Incharge of Specialised Adoption Agencies, chief functionaries of organisations granted registration for running Child Care Institutions under the Act, mental health practitioners, psychologists, psychiatrists, psychiatric social workers, legal services lawyers, members of Committees or societies constituted under the Act and the rules thereunder.

(5) The State Governments, while organising training programmes for the stakeholders at State or District level, shall ensure that training modules and training manuals to be developed by State Child Protection Society are in consultation with National Institute of Public Cooperation and Child Development or Institutions having requisite expertise in order to maintain uniformity in the training process throughout the country.

(6) The Judicial Academy in States may develop training module and training manual for the training of Principal Magistrates including on child psychology, use of child friendly procedures and ensuring child friendly environment, care, protection and rehabilitation of children and organise such training programmes at the State level.

(7) The Police Academy in States may develop training module and training manual in consultation with National Police Academy for the training of police and Child Welfare Police Officers including on child psychology, use of child friendly procedures and ensuring child friendly environment, care, protection and rehabilitation of children and organise such training programmes at the State level.

(8) The State Legal Services Authority shall organise training programme for legal service lawyers and para legal volunteers.



(9) The State Child Protection Society in consultation with institutions with requisite expertise shall organise training programme for Probation Officers.

(10) The Central Adoption Resource Authority, may develop appropriate training modules and manuals for Specialised Adoption Agencies and staff of State Adoption Resource Agency and organise training programmes.

90. Pending Cases.- (1) No child shall be denied the benefits of the Act and the rules made thereunder.

(2) The benefits referred to in sub-rule (1) shall be made available to all persons who were children at the time of the commission of the offence, even if they ceased to be children during the pendency of the inquiry or trial.

(3) While computing the period of detention or stay or sentence of a child in conflict with law, all such period which the child had already spent in custody, detention, stay or sentence of imprisonment shall be counted as a part of the period of stay or detention or sentence of imprisonment contained in the final order of the court or the Board.

91. Monitoring by National Commission for Protection of Child Rights and State Commissions for Protection of Child Rights.- (1) In addition to the functions specified under the Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005 (4 of 2006), the National Commission or the State Commissions may perform following functions in consultation with the Central and State Government, namely:

- (i) review setting up of institutions created under the Act;
- (ii) develop Information, Education and Communication (IEC) material on child rights and gender sensitivity;
- (iii) develop protocols for reformation and rehabilitation of children;
- (iv) create awareness about identification and reporting of crimes against children such as drug abuse, trafficking, child sexual abuse and exploitation including child marriage, and other aspects of violence against children;
- (v) conduct sensitisation workshops for panchayati raj institutions and municipal corporations on crimes against children including identification and reporting of crimes for enhanced protection;
- (vi) develop information material detailing the rights of the child victims or witnesses and their families, and containing useful information in local languages, which may be provided to the victim and her/his family;
- (vii) develop training module for stake holders along with the State Child Protection Societies and National Institute of Public Cooperation and Child Development etc.

92. Inquiry in case of a Missing Child.- (1) A missing child is a child, whose whereabouts are not known to the parents, legal guardian or any other person or institution legally entrusted with the custody of the child, whatever may be the circumstances or causes of disappearance, and shall be considered missing and in need of care and protection until located or his safety and well-being established.

(2) When a complaint is received about a child who is missing, the police shall register a First Information Report forthwith.

(3) The police shall inform the Child Welfare Police Officer and forward the FIR to the Special Juvenile Police Unit for immediate action for tracing the child.

(4) The police shall:

- (i) collect a recent photograph of the missing child and make copies for District Missing Persons Unit, Missing Persons Squad, National Crime Records Bureau/ Media etc.;
- (ii) fill the form on the designated portal;
- (iii) fill the specific designed 'Missing Persons Information Form' and immediately send to Missing Persons Squad, District Missing Persons Unit, National Crime Record Bureau, State Crime Records Bureau, Central Bureau of Investigation, and other related institutions;
- (iv) send the copy of the First Information Report by post/email to the office of the nearest Legal Services Authority along with addresses and contact phone numbers of parents or guardian of

- the missing child or the Child Care Institution, after uploading the relevant information onto the designated portal;
- (v) prepare sufficient number of Hue and Cry notices containing photograph and physical description of the missing child to be sent for publication.
 - (vi) give wide publicity by publishing or telecasting the photographs and the description of the missing child, as feasible in (a) leading newspapers (b) Television/electronic media (c) local cable television network and social media and thereafter submit for ratification by the Board or the Committee or the Children's Court, as the case may be.
 - (vii) give wide publicity in the surrounding area through the use of loud speakers and the distribution and affixture of Hue and Cry notice at prominent places. Social networking portals, Short Message Service alerts and slides in cinema halls can be used to reach out to the masses;
 - (viii) distribute Hue and Cry notice at all the outlets of the city or town, that is, railway stations, bus stands, airports, regional passport offices and other prominent places;
 - (ix) search areas and spots of interest such as movie theatres, shopping malls, parks, amusement parks, games parlours and areas where missing or run away children frequent should be identified and watched;
 - (x) scan the recordings of the Closed Circuit Television Cameras installed in the vicinity of the area from where the child was reported missing and on all possible routes and transit destination points like bus stands, railway stations, and other places;
 - (xi) inquire from under construction sites, unused buildings, hospitals, and clinics, childline services, and other local outreach workers, railway police, and other places;
 - (xii) details of missing children should be sent to the District Crime Record Bureaus of the neighbouring States and Station House Officers (SHOs) of the bordering police stations including in-charge of all police posts in their jurisdiction and shall conduct regular interaction with the concerned so that follow up action is ensured.
- (5) Where a child cannot be traced within a period of four months, the investigation of the case shall be transferred to the Anti Human Trafficking Unit in the District which shall make reports every three months to the District Legal Services Authority regarding the progress made in the investigation.
- (6) When a child is traced:
- (i) he shall be produced before the Board or the Committee or the Children's Court, as the case may be, for appropriate directions;
 - (ii) the police shall send a report to the District Legal Services Authority which shall provide counselling and support services to the child and the family; and
 - (iii) the police shall conduct an inquiry whether the child has been subjected to any offence under the Act or any other law and if so, proceed accordingly.
- (7) The Central Government or the State Government may develop appropriate Standard Operating Procedures for the manner of inquiry in cases of missing children to give effect to these rules.

93. Non-Compliance of the Act and the Rules: Any officer/institution, statutory body etc., who fails to comply with the provisions of the Act and the Rules framed thereunder, the State Government may take action against such officer/ institution, statutory body etc. after due inquiry and simultaneously make alternative arrangements for discharge of functions for effective implementation of the Act.

94. Repeal.- The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2007 notified vide G.S.R. 679(E) dated 26th October, 2007 and as amended vide GSR 903(E) dated 26th December 2011, are hereby repealed:

Provided that any action taken or order issued under the provisions of the Rules of 2007 prior to the notification of these rules shall, in so far it is not inconsistent with the provisions of these rules, be deemed to have been taken or issued under the provisions of these rules.

FORM 1**[Rules 8 (1), 8 (5)]****SOCIAL BACKGROUND REPORT**

FIR/DD No

U/Sections

Police Station

Date & Time

Name of I.O.

Name of CWPO.....

1. Name

2. Father/Mother/Guardian's name.....

3. Age/ Date of birth

4. Address.....

5. Religion

(i) Hindu (OC/ BC/ SC/ ST)

(ii) Muslim/ Christian/ Other (pl. specify)

6. Whether the child is differently abled:

(i) Hearing Impairment

(ii) Speech Impairment

(iii) Physically disabled

(iv) Mentally disabled

(v) Others (please specify)

7. Family Details:

S.No.	Name and Relationship	Age	Sex	Education	Occupation	Income	Health status	History of Mental Illness (if any)	Addictions (if any)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

8. Reasons for leaving home

9. Whether there is a history of involvement of family members in offences, if any

10. Habits of the child

A

B

Yes

No

i) Smoking

i) Watching TV/movies

ii) Alcohol consumption

ii) Playing indoor/ outdoor games

iii) Drug use (specify)

iii) Reading books

iv) Gambling

iv) Drawing/painting/acting/singing

v) Begging

v) Any other

vi) Any other

11. Employment Details, if any.....

12. Details of income utilization:

(i) Sent to family to meet family need

Yes

No

(ii) Used by self for:

Yes

No

a) For dress materials

Yes/No

b) For gambling

Yes/No

c) For alcohol

Yes/No

d) For drug

Yes/No

e) For smoking

Yes/No

f) Savings

Yes/No

13. The details of education of the child:

(i) Illiterate

(ii) Studied up to V Standard

(iii) Studied above V Standard but below VIII Standard

(iv) Studied above VIII Standard but below X Standard

(v) Studied above X Standard

14. The reason for leaving School

(i) Failure in the class last studied

(ii) Lack of interest in the school activities

(iii) Indifferent attitude of the teachers

(iv) Peer group influence

(v) To earn and support the family

(vi) Sudden demise of parents

(vii) Bullying in school

(viii) Rigid school atmosphere

- (ix) Absenteeism followed by running away from school
- (x) No age appropriate school nearby
- (xi) Abuse in school
- (xii) Humiliation in school
- (xiii) Corporal punishment
- (xiv) Medium of instruction
- (xv) Others (pl. specify)

15. The details of the school in which studied last:

- (i) Corporation/Municipal/Panchayat
- (ii) Government/SC Welfare School/BC Welfare School
- (iii) Private management
- (iv) School under NCLP

16. Vocational training, if any

17. Majority of the friends are

- (i) Educated
- (ii) Illiterate
- (iii) The same age group
- (iv) Older in age
- (v) Younger in age
- (vi) Same sex
- (vii) Opposite sex
- (viii) Addicts
- (ix) With criminal background

18. Whether the child has been subjected to any form of abuse:

Yes/No

S.No.	Type of Abuse	Remarks
1.	Verbal abuse – parents/siblings/employers/others , (pl. specify)	
2.	Physical abuse(pl. specify)	
3.	Sexual abuse parents/siblings/Employers/others (pl. specify)	
4.	Others (pl. specify)	

19. Whether the child is a victim of any offence:

Yes

No

20. Whether the child is used by any gangs or adults or group of adults or has been used for drug peddling:

Yes

No



21. Reason for alleged offence such as parental neglect or over protection, peer group influence etc.
.....
.....
22. Circumstances in which the child was apprehended
.....
.....
23. Details of articles recovered from the child:
.....
.....
24. Alleged role of the child in the offence:.....
.....
.....
25. Suggestions of Child Welfare Police Officer.....
.....
.....

Signed by
Child Welfare Police Officer

FORM 2

[Rule 8 (7)]

UNDERTAKING BY THE PARENT OR GUARDIAN OR FIT PERSON GIVEN INTERIM CUSTODY PENDING INQUIRY

Whereas I, (Name) resident of House no..... Street
Village/Town.....District.....State.....do hereby declare that I am willing
to take charge of (name of the child)..... aged..... under the orders of the Board
..... subject to the following terms and conditions:

1. That I have annexed true, correct and authentic identification and address proof of myself.
2. That I undertake to produce him/her before the Board as and when required.
3. That I shall do my best for the welfare and education of the child as long as he/ she remains in my charge and shall make proper provision for his/her maintenance.
4. That in the event of his/her illness, he/she shall have proper medical attention in the nearest hospital and a report of it followed by a fitness certificate shall be submitted before the Board.
5. That I shall do my best to ensure that the child will not be subjected to any form of abuse/ neglect or exploitation
6. That if his/her conduct requires further supervision or care and protection, I shall at once inform the Board.
7. That if the child goes out of my charge or control, I shall immediately inform the Board.

Date thisday of20

Signature of person executing the Undertaking/ Bond

(Signed before me)

Juvenile Justice Board

FORM 3**[Rule 10 (1)(iii)]****SUPERVISION ORDER**

When the child is placed under the care of a fit person/fit institution/Probation Officer pending inquiry FIR/DD No. of..... 20.....PS.....

Whereas (name of the child) is alleged to have committed an offence and is placed under the care of (Name)..... (address).....on executing a bond by the said and the Board is satisfied that it is expedient to deal with the said child by making an order placing him/her under supervision.

It is hereby ordered that the said child be placed under the supervision offor a period of.....subject to the following conditions:

1. That the child shall reside at..... for a period of.....and shall be produced before the Board as and when directed.
2. That the child shall not be allowed to quit the district jurisdiction ofwithout the permission of the Board.
3. That the child shall not be allowed to associate with such person who shall negatively influence the child.
4. That the person under whose care the child is placed shall arrange for the proper care, education and welfare of the child.
5. That the preventive measures will be taken by the person under whose care the child is placed to see that the child does not commit any offence punishable by any law in India.
6. That the child shall be prevented from taking narcotic drugs or psychotropic substances or any other intoxicants. The person under whose supervision the child is placed shall report any such act of the child to the Board.

Dated this.....day of..... 20.....

(Signature)

**Principal Magistrate/ Member Juvenile
Justice Board**

Note: Additional, conditions, if any may be inserted by the Juvenile Justice Board.

FORM 4**[Rule 10 (1)(iv)]****ORDER OF PLACING A CHILD IN CHILD CARE INSTITUTION PENDING INQUIRY****To****The Officer in charge**

Whereas on the.....day of.....20.....,(Name of the child), son/ daughter of.....aged.....,residing at alleged to be involved in FIR/DD No. PSis ordered by the Juvenile Justice Board to be kept in the Child Care Institution (Observation Home/ Place of Safety) namely for a period of

This is to authorize and require you to receive the said child into your charge, and to keep him in the Child Care Institution (Observation Home/ Place of Safety)..... and to produce the child as and when directed by the Board, for the aforesaid order to be carried into execution according to law.

Next date of hearing.....

Given under my hand and the seal of Juvenile Justice Board

This day of 20.....

(Signature)

**Principal Magistrate/Member
Juvenile Justice Board**

FORM 5

[Rule 10 (2)]

ORDER FOR SOCIAL INVESTIGATION REPORT

FIR No.....

U/Sections.....

Police Station.....

To,

Probation Officer/ Person in-charge of Voluntary or Non-Governmental Organization.

Whereas(Name of the Child), son/daughter of..... ageresiding at....., has been produced before the Board.

You are hereby directed to enquire into the social antecedents, family background and circumstances of the alleged offence by the said child and submit your social investigation report on or beforeor within such time as allowed to you by the Board.

You are also hereby directed to consult an expert in child psychology, psychiatric treatment or counselling or any other expert for their expert opinion if necessary and submit such report along with your Social Investigation Report.

Dated thisday of20.....

(Signature)

**Principal Magistrate/ Member
Juvenile Justice Board**

15. If the child or person is married, name, age and details of spouse and children:

.....

16. Relationship among the family members:

i. Father & mother	Cordial/ Non cordial/ Not known
ii. Father & child	Cordial/ Non cordial/ Not known
iii. Mother & child	Cordial/ Non cordial/ Not known
iv. Father & siblings	Cordial/ Non cordial/ Not known
v. Mother & siblings	Cordial/ Non cordial/ Not known
vi. Child & siblings	Cordial/ Non cordial/ Not known
vii. Child & grandparents (paternal/maternal)	Cordial/ Non cordial/ Not known

17. History of involvement of family members in offences, if any:

S. No.	Relationship	Nature of Crime	Legal status of the case	Arrest if any made	Period of confinement	Punishment awarded
1.	Father					
2.	Step father					
3.	Mother					
4.	Step mother					
5.	Brother					
6.	Sister					
7.	Others (uncle/ aunty/ grandparents)					

18. Attitude towards religion of child and family.....

19. Present living conditions

20. Other factors of importance if any.....

21. (i) Habits of the child (Tick as applicable)

A

- a) Smoking
- b) Alcohol consumption
- c) Drug use (specify)
- d) Gambling
- e) Begging
- f) Any other

B

- g) Watching TV/movies
- h) Playing indoor/ outdoor games
- i) Reading books
- j) Religious activities
- k) Drawing/painting/acting/singing
- l) Any other

ii) Extra-curricular interests.....

iii) Outstanding characteristics and personality traits.....

22. Child's opinion/reaction towards discipline in the home.....

23. Employment Details of the child, if any.....

24. Details of income utilization and manner of income utilization.....

25. Work record (reasons for leaving vocational interests, attitude towards job or employers).....

26. The details of education of the child:

- i) Illiterate
- ii) Studied up to V Standard
- iii) Studied above V Standard but below VIII Standard
- iv) Studied above VIII Standard but below X Standard
- v) Studied above X Standard

27. Attitude of class mates towards the child.....

28. Attitude of teachers and classmates towards the child.....

29. The reason for leaving School (tick **Yes/No** as applicable)

- i) Failure in the class last studied
- ii) Lack of interest in the school activities
- iii) Indifferent attitude of the teachers
- iv) Peer group influence
- v) To earn and support the family
- vi) Sudden demise of parents
- vii) Bullying in school
- viii) Rigid school atmosphere
- ix) Absenteeism followed by running away from school
- x) There is no age appropriate school nearby
- xi) Abuse in school
- xii) Humiliation in school

- xiii) Corporal punishment
- xiv) Medium of instruction
- xv) Others (pl. specify)
30. The details of the school in which studied last:
- i) Corporation/Municipal/Panchayat
- ii) Government/SC Welfare School/BC Welfare School
- iii) Private management
- iv) School under NCLP
31. Vocational training, if any.....
32. Majority of the friends are
- i) Educated
- ii) Illiterate
- iii) The same age group
- iv) Older in age
- v) Younger in age
- vi) Same sex
- vii) Opposite sex
- viii) Addicts
- ix) With criminal background
33. Attitude of the child towards friends.....
34. Attitude of friends towards the child.....
35. Observations of neighbours towards the child.....
36. Observations about neighborhood (to assess the influence of neighborhood on the child).....
37. Whether the child has been subjected to any form of abuse, if applicable:

Yes/No

S.No	Type of Abuse	Remarks
1.	Verbal abuse – parents/ siblings / employers / others , (pl. specify)	
2.	Physical abuse(pl. specify)	
3.	Sexual abuse parents/siblings/ Employers/others (pl. specify)	
4.	Others (pl. specify)	

38. Whether the child is a victim of any offence: Yes/No
39. Whether the child is used by any gangs or adults or group of adults or has been used for drug peddling: Yes/No



40. Does the child has tendency to run away from home, give details if any: **Yes/No**

41. Circumstances of apprehension of the child.....

42. Alleged role of the child in the offence.....

43. Reason for alleged offence:

- (i) Parental neglect
- (ii) Parental overprotection
- (iii) Parents criminal behaviour
- (iv) Parents influence (negative)
- (v) Peer group influence
- (vi) Bad habits (to buy drugs/alcohol)
- (vii) Others (pl. specify)

44. Whether the child has been apprehended earlier for any offence, if yes give details including stay in a child care institution Yes/ No

.....

45. Previous institutional/case history and individual care plan, if any:

46. Physical appearance of the child:

47. Health condition of the child (including medical examination report, if applicable)

48. Mental condition of the child:

49. Any other remark

RESULT OF INQUIRY

1. Emotional factors
2. Physical condition
3. Intelligence
4. Social and economic factors.....
5. Suggestive causes of the problems.....
6. Analysis of the case, including reasons/contributing factors for the offence
7. Opinion of experts consulted.....
8. Recommendation regarding rehabilitation by Probation Officer/Child Welfare Officer.....

Signature of the Probation Officer/ Child Welfare Officer/ Social Worker

Stamp and Seal where available

FORM 7**[Rules 11(3), 13(7)(vi), 13(8)(ii), 19(4), 19(17), 62(6)(vii), 62(6)(x), 69 I (3)]****INDIVIDUAL CARE PLAN****Child in Conflict with Law/ Child in Need of Care and Protection****(tick whichever is applicable)****Name of Case Worker/Child Welfare Officer/Probation officer.....****Date of preparing the ICP**

Case/Profile No.....of 20.....

FIR No.....

U/Sections (Type of offence),applicable in case of Children in Conflict with Law.....

Police Station.....

Address of the Board or the Committee.....

Admission No.(if child is in an institution).....

Date of Admission (if child is in an institution).....

Stay of the child (Fill as applicable)

(i) Short term (up to six months)

☐

(ii) Medium Term (six months to one year)

☐

(iii) Long term (more than 1 year)

☐**A. PERSONAL DETAILS** (to be provided by child/parent/both on admission of the child in the institution)

1. Name of the Child.....

2. Age/Date of Birth.....

3. Sex: Male/Female.....

4. Father's name:.....

5. Mother's name.....

6. Nationality.....

7. Religion.....

8. Caste.....

9. Language spoken.....

10. Level of Education.....

11. Details of Savings Account of the child, if any.....

12. Details of child's earnings and belongings, if any.....

13. Details of awards/rewards received by the child, if any.....

14. Based on the results of Case History, Social Investigation report and interaction with the child, give details on following areas of concern and interventions required, if any

S.No.	Category	Areas of concern	Proposed Interventions
1.	Child's expectation from care and protection		
2.	Health and nutrition needs		
3.	Emotional and psychological support needs		
4.	Educational and Training needs		
5.	Leisure, creativity and play		
6.	Attachments and Inter-personal Relationships		
7.	Religious beliefs		
8.	Self care and life skill training for Protection from all kinds of abuse, neglect and maltreatment		
9.	Independent living skills		
10.	Any other such as significant experiences which may have impacted the development of the child like trafficking, domestic violence, parental neglect, bullying in school, etc. (Please specify)		

B. PROGRESS REPORT OF THE CHILD (to be prepared every fortnight for first three months and thereafter to be prepared once a month)

[Note: Use different sheet for Progress Report]

1. Name of the Probation Officer/Case Worker/Child Welfare Officer.....

2. Period of the report.....

3. Admission No.....

4. Board or Committee.....

5. Profile No.....

6. Name of the Child.....

7. Stay of the child (Fill as applicable)

(iv) Short term (up to six months)

(v) Medium Term (six months to one year)

(vi) Long term (more than 1 year)

8. Place of interview Dates.....

9. General conduct and progress of the child during the period of the report

.....

10. Progress made with regard to proposed interventions as mentioned in point 14 of Part A of this Form.

S. No.	Category	Proposed Interventions	Progress of the child
1.	Child's expectation from care and protection		
2.	Health and nutrition needs		
3.	Emotional and psychological support needed		
4.	Educational and Training needs		
5.	Leisure, creativity and play		
6.	Attachments and Inter-personal Relationships		
7.	Religious beliefs		
8.	Self care and life skill training for Protection from all kinds of abuse, neglect and maltreatment		
9.	Independent living skills		
10.	Any other such as significant experiences which may have impacted the development of the child like trafficking, domestic violence, parental neglect, bullying in school, etc. (Please specify)		

11. Any proceedings before the Committee or Board or Children's Court

- (i) Variation of conditions of bond
- (ii) Change of residence of the child
- (iii) Other matters, if any

12. Period of supervision completed on.....

Result of supervision with remarks (if any).....

Name and Addresses of the parent or guardian or fit person under whose care the child is to live after the supervision is over.....

Date of report.....Signature of the Probation Officer.....

C. PRE-RELEASE REPORT (to be prepared 15 days prior to release)

- Details of place of transfer and authority concerned responsible in the place of transfer/release
- Details of placement of the child in different institutions/family
- Training undergone and skills acquired
- Last progress report of the child (to be attached, refer Part B)
- Rehabilitation and restoration plan of the child (to be prepared with reference to progress reports of the child)

S.No.	Category	Rehabilitation and restoration plan of the child
1.	Child's expectation from care and protection	
2.	Health and nutrition	
3.	Emotional and psychological	
4.	Educational and Training	
5.	Leisure, creativity and play	
6.	Attachments and Inter-personal Relationships	
7.	Religious belief	
8.	Self care and life skill training for Protection from all kinds of abuse, neglect and maltreatment	
9.	independent living skills	
10.	Any other	

6. Date of release/transfer/repatriation.....
7. Requisition for escort if required.....
8. Identification Proof of escort such as driving license, Aadhar Card, etc.....
9. Recommended rehabilitation plan including possible placements/sponsorships....
10. Details of Probation Officer/non-governmental organization for post-release follow-up.....
11. Memorandum of Understanding with non-governmental organisation identified for post-release follow-up (Attach a copy).....
12. Details of sponsorship agency/individual sponsor, if any.....
13. Memorandum of Understanding between the sponsoring agency and individual sponsor (Attach a copy).....
14. Medical examination report before release.....
15. Any other information.....

D. POST-RELEASE/RESTORATION REPORT OF THE CHILD

1. Status of Bank Account : Closed / Transferred
2. Earnings and belongings of the child: handed over to the child or his parents/guardians – Yes/No
3. First interaction report of the Probation Officer/Child Welfare Officer/Case Worker /social worker/non-governmental organisation identified for follow-up with the child post-release.....
4. Progress made with reference to Rehabilitation and Restoration Plan.....
5. Family's behavior/attitude towards the child.....
6. Social milieu of the child, particularly attitude of neighbours/community.....
7. How is the child using the skills acquired.....
8. Whether the child has been admitted to a School or vocation? Give date and name of the school/institute/any other agency Yes/No
9. Report of second and third follow-up interaction with the child after two months and six months respectively.....
10. Efforts towards social mainstreaming and child's opinion/views about it.....
11. Identity Cards and Compensation

[Instruction: Please verify with the physical documents]

IDENTITY CARDS	Present status (Please tick whichever is applicable)		Action taken
	Yes	No	
Birth Certificate			
School certificate			
Caste certificate			
BPL Card			
Disability Certificate			
Immunization card			
Ration Card			
Adhaar Card			
Received compensation from Government			

Signature of the Probation Officer/Child Welfare Officer

Stamp and Seal where available

FORM 8**[Rule 11(6)]**

**UNDERTAKING/ BOND TO BE EXECUTED BY A PARENT/ GUARDIAN/ /FIT PERSON IN WHOSE CARE
A CHILD IN CONFLICT WITH LAW IS PLACED**

Whereas I, being the parent, guardian, relative or fit person under whose care.....(name of the child) has been ordered to be placed by the Juvenile Justice Board..... having been directed by the said Board to execute an undertaking/ bond with surety in the sum of Rs...../- (Rupees.....) or without surety, I hereby bind myself to be responsible for the good behavior and well-being of the saidand to observe the following conditions for a period of years with effect from

1. That I shall not change my place of residence without giving previous intimation in writing to the Juvenile Justice Board through the Probation Officer;
2. That I shall not remove the said child from the limits of the jurisdiction of the Juvenile Justice Board without previously obtaining the written permission of the Board;
3. That I shall send the said child daily to school/to such vocation as is approved by the Board unless prevented from so doing by circumstances beyond control;
4. That I shall sincerely give effect to the Individual Care Plan with the help of the Probation Officer;
5. That I shall report immediately to the Board whenever so required by it and also produce the child before the Board as and when directed to do so;
6. That I shall produce the said child in my care before the Board, if he/she does not follow the orders of Board or his/her behavior is beyond my control;
7. That I shall report to the Board if the child goes out of my control or charge;
8. That I shall render all necessary assistance to the Probation Officer to enable him to carry out the duties of supervision;

In the event of my making default herein, I undertake to appear before the Board and bind myself to pay to Government the sum of Rs (Rupees.....).

Dated thisday of20.

Signature of person executing the Undertaking/Bond.

(Signed before me)

Principal Magistrate/ Member Juvenile Justice Board

Additional conditions, if any, by the Juvenile Justice Board may be entered numbering them properly;

(Where a bond with sureties is to executed add)

I/Weof(place of residence with full particulars) hereby declare myself/ourselves as surety/sureties for the aforesaid (name of the person executing the undertaking/bond) to adhere to the terms and conditions of this undertaking/bond. In case of(name of the person executing the bond) making fault therein, I/We hereby bind myself/ourselves jointly or severally to forfeit to government the sum of Rs...../- (Rupees.....) dated this the..... day of20.....in the presence of

Signature of Surety(ties)

(Signed before me)

Principal Magistrate/ Member, Juvenile Justice Board

FORM 9**[Rules 11(7)]****PERSONAL BOND BY CHILD**

Whereas I,inhabitant of.....(give full particulars such as house number, road, village/town, tehsil, district, state) have been ordered to be sent back/restored by the Juvenile Justice Boardunder section of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 on my entering into a personal bond to observe the conditions mentioned herein below. Now, therefore, I do solemnly promise to abide by these conditions during the period.....

I hereby bind myself as follows:

1. That during the period..... I shall not ordinarily leave the village/town/district to which I am sent and shall not ordinarily return to.....or go anywhere else beyond the said district without the prior permission of the Board;
2. That during the said period I shall attend school/ vocational training in the village/town or in the said district to which I am sent;
3. That in case of my attending school/ vocational training at any other place in the said district I shall keep the Board informed of my ordinary place of residence.

I hereby acknowledge that I am aware of the above conditions which have been read over/explained to me and that I accept the same.

(Signature or thumb impression of the child)

Certified that the conditions specified in the above order have been read over/explained to (Name of child)and that he has accepted them as the conditions upon non-compliance of which he/she may be placed in safe custody.

Certified accordingly that the said child has been released/ relieved on (date)

Signature

**Principal Magistrate/Members
Juvenile Justice Board**

FORM 10

[Rules 11(9) and 64 (3) (xiii)]**PERIODIC REPORT BY PROBATION OFFICER WHEN A CHILD IS RELEASED ON PROBATION**

FIR No..... Police StationU/Sections.....

In the matter of..... vs.....

Whereas (name of the child), age....., has on..... (date) been found to be a child in conflict with law, and has been placed under the care of (parent/ guardian/ fit person/fit facility) and under the supervision of(name of Probation Officer)

Reg. No. :-	Age (approximately) :-	Sex:- Male / Female /
Name:-	Fathers Name:-	Religion:-
Education: -	Vocational Training, if any	Language(s) known:-
Next court date:-	Employment, if any	Date of admission (in case of fit person/fit facility)

Case details and summary

.....

1. Preliminary details:

- (i) Visit Date:/...../.....
 (ii) Name of Parent / Guardian.....
 (iii) Names of Other Adults Living in the Home and with whom the Probation Officer interacted:

2. Observations:

- (i) Child's behaviors.....
 (ii) Physical and mental health status/needs of child and family.....
 (iii) Inter-personal relationship of the child with the family.....
 (iv) Inter-personal relationship with friends.....
 (v) Safety and supervision in the family.....
 (vi) Difficulties faced by the child.....
 (vii) Difficulties faced by the family.....
 (viii) Changes in the household.....
 (ix) Vocational training, if any being undertaken by the child.....
 (x) Engagement of child in any anti-social activities or harmful activities (Examples could be exhibiting bullying behaviour, violent outbursts, destructions, self-harm, lying, defiance, impulsiveness, lack of empathy, sexually deviant actions etc.).....
 (xi) Time elapsed since last engagement in any anti-social behavior or harmful activities.....

3. Visit to school/ vocational training centre

- (i) Name of the school/centre.....
- (ii) Name of the Teacher / Principal met.....
- (iii) Any unusual behavior observed.....
- (iv) Feedback received on the progress of the child.....
- (v) Attitude of the peers towards the child.....
- (vi) Attitude of the child towards the peers.....

4. Visit to place of employment:

- (i) Nature of work.....
- (ii) Working hours.....
- (iii) Attitude of the child towards work.....
- (iv) Violation of any labour laws, Low wages or wages being withheld, if observed and action taken against employer.....

5. Did you spend time speaking privately with the child Yes ☐ No ☐

If no, give reasons.....

6. Progress made as per Rehabilitation and Restoration Plan under the Individual Care Plan (refer point 14 of form 7).....

.....

7. Recommendations for modifications in Rehabilitation and Restoration Plan under the Individual Care Plan , if any:

Prepared by:

(Probation Officer/...../.... (date)

Plan: Date of next visit:

Action point if any:

Signature
(Probation Officer)

FORM 11**[Rule 12(1)]****CASE MONITORING SHEET***(Separate Sheet may be used in case there are more than one child)***Juvenile Justice Board, District.....**

Case No.of.....

Case Name:

Police Station	Date.....
U/S.....	FIR/ GD/ DD No.
Name of Probation Officer.....	Name of IO
Name of Lawyer	Name of Child Welfare Police Officer.....
(If not represented provide Legal Aid Lawyer)	

NATURE OF OFFENCE**PETTY***(maximum punishment upto three years)***SERIOUS***(maximum punishment between three to seven years)***HEINOUS***(minimum punishment for seven years or more)***PARTICULARS OF CHILD**

Name	Parents/ Guardian with Contact No.	Present address	Permanent address

DATE AND TIME CHILD APPREHENDED**DATE AND TIME OF FIRST PRODUCTION****DATE OF MEDICAL EXAMINATION UNDER SECTION 54 Cr.P.C.****AGE DETERMINATION**

Age on the Date of offence

Date of age Determination

Time taken for age determination

Determination by

BOARD

COURT

Evidence Relied:

Documents

Medical

CUSTODY OF THE CHILD		
In Observation Home/ Place of Safety	Date of grant of bail	Sent under supervision (Name of Institution)
From.....To.....		

PROGRESS OF INQUIRY

(Time schedule for disposal of the case to be fixed on the first day of hearing)

Steps to be taken	Scheduled Date	Actual Date
Day 1: Social Background Report by Police (in Form No. 1)	Dated.....	
Day 1: Consideration of Bail	Dated.....	
Day 2: Age determination	Dated.....	
Day 2: SIR (Form No.6) by Probation Officer	Dated.....	
Day 2: Section 173 CrPC Final Report by Police on completion of Investigation	Dated.....	
Day 3: Submission of Report on Provisions of further investigation, if any	Dated.....	
Day 3: Section 251 CrPC Notice	Dated.....	
Day 4-6: Prosecution Evidence (From..... to.....) Depending on the number of witnesses continuous dates may be fixed)	Dated..... Dated..... Dated.....	
Day 7: Statement of child under Section 281 CrPC	Dated.....	
Day 8: Defence Evidence	Dated.....	
Day 8: Individual Care Plan (In case of child in institutional care Individual Care Plan should be prepared within one month of admittance)	Dated.....	
Day 9: Final Arguments	Dated.....	
Day 10: Dispositional (Final) Order	Dated.....	
Day 11: Post Dispositional Review	Dated.....	

signed by
Juvenile Justice Board

FORM 12**[Rule 12(2)]****QUARTERLY REPORT BY JUVENILE JUSTICE BOARD**

District

Quarterly Report for the period: From..... to.....

Details of JJB

S.No.	Details	Date of Appointment	Training attended
1.	Principal Magistrate		
2.	Member 1		
3.	Member 2		
4.	Member 3		

VISIT TO HOMES BY PRINCIPAL MAGISTRATE

Date of visit:

Name and Address of Home :

Remark:**VISIT TO JAILS BY PRINCIPAL MAGISTRATE**

Date of Visit:

Whether any children found:

Action taken:

CASES INSTITUTED DURING THE QUARTER:

	PETTY	SERIOUS	HEINOUS	TOTAL
Number cases				
Number of Children				
Children granted bail				
Children sent to Observation Home				
Number of cases where preliminary reports were submitted in stipulated time				

PENDENCY OF CASES							
Nature of case	Old cases	New cases	Disposal	Current pendency			
				Less than 4 months	4 months to 6 months	6 months to 1 year	More than 1 year
Petty							
Serious							
Heinous							
Total							

FINAL ORDER							
Total number of final orders passed							
Discharged	Transfer to other JJB	Abated on Death	Repatriated to Foreign Country	Transferred to Children's Court	Declared Compounded & file consigned	Terminated under rule (post-production process)	Acquitted/ Finding of commission in offence

Nature of Dispositional Orders where child has committed Offence (mention the No. of orders)

COMPLAINT/SUGGESTION, IF ANY, RECEIVED AND ACTION TAKEN

REMARK/SUGGESTION BY BOARD
a. Principal Magistrate _____
b. Member : 1 _____
c. Member: 2 _____

Principal Magistrate	Member –1	Member -2
----------------------	-----------	-----------

FORM 13**[Rules 13(8)(iv)]****PERIODIC REVIEW OF A CHILD IN PLACE OF SAFETY**

FIR No..... PS.....U/Sections

In the matter of vs.

Whereas (name of the child), age, has on (date) been found to be a child in conflict with law, and has been placed in (Name of place of safety)

Date of admission to place of safety –

Period of Review: From to

Name of the Child

Father's Name

Date of admission

Next date of hearing

1. Case details and summary

.....

2. Individual Care Plan (Attach a copy)

.....

3. Fortnightly progress made as per Individual Care Plan

.....

4. Development of new interests

.....

5. Psycho-social progress made by the child: (to be prepared with the help of a psycho-social expert).....**I. Mental Status Evaluation**

a. Appearance (Observed) - Possible descriptors: • posture, clothes, grooming.

b. Behavior (Observed) - Possible descriptors: • Mannerisms, gestures, psychomotor activity, expression, eye contact, ability to follow commands/requests, compulsions

II. Attitude (Observed) - Possible descriptors: • Cooperative, hostile, open, secretive, evasive, suspicious, apathetic, easily distracted, focused, defensive.

III. Level of Consciousness (Observed) - Possible descriptors: • Vigilant, alert, drowsy, lethargic, stuporous, asleep, comatose, confused, fluctuating.

IV. Orientation (Inquired) – Possible questions: • “What is your full name?” • “Where are we at (floor, building, city, county, and state)?” • “What is the full date today (date, month, year, day of the week, and season of the year)?” • “How would you describe the situation we are in?”

V. Speech and Language (Observed) A. Quantity - Possible descriptors: • Talkative, spontaneous, quiet
B. Rate - Possible descriptors: • Fast, slow, normal, pressured. C. Volume (Tone).

- VI.** Mood (Inquired): A sustained state of inner feeling – Possible questions: • “How are you feeling?” • “Have you been discouraged/depressed/low?” • “Have you been energized/elated/high/out of control lately?” • “Have you been angry/irritable?”
- VII.** Affect (Observed): An observed expression of inner feeling.
- VIII.** Thought Processes or Thought Form (Inquired/Observed): logic, relevance, organization, flow and coherence of thought in response to general questioning during the interview. - Possible descriptors: goal-directed, circumstantial, loose associations, incoherent, evasive, perseveration.
- IX.** Thought Content (Inquired/Observed)
- X.** Suicidality and Homicidality – Assessment
- XI.** Insight (Inquired/Observed) –
- XII.** Attention (Inquired/Observed) –
- XIII.** Feelings of guilt/ remorse: present/ absent
- 6.** Status of Current Educational/ Vocational Rehabilitation Programme
- Motivation for the programme.....
 - Level of cooperativeness.....
 - Regularity.....
 - Quality of work/performance.....
- 7.** Impact of institutionalization on the person.....
- 8.** Approach to evaluation/ periodic follow ups.....

Willingness /ability to participate in treatment and rehabilitation in programs/facilities, consistent with public safety.

RECOMMENDATIONS (including whether the person may be released or released on conditions or requires further institutionalization with justification)

DATE : / /

PLACE :

NAME :

DESIGNATION :

SIGNATURE :

Recommendations/Findings:

Signature / Seal

Prepared by:

(Probation Officer/...../.... (date)

FORM 14

[Rules 7 (1) (ii), 13(8)(iv)(C) (cd), 17(vi), 19(20), 65(3)(viii), 69E(2), 69 I (4), 69J(1), 69J(3)]

REHABILITATION CARD

FIR No. /Case No.

U/Sections

PS

Nature of Offence: heinous, serious or petty (in case of child in conflict with law)

Name of Probation Officer/Child Welfare Officer/Rehabilitation cum Placement Officer:
.....

Name of the child:

Age:

Sex:

Father's name:

Mother's name:

Admission No.

Date of Admission:

Date of Provisional Release / Release:

Services availed under Individual Care Plan –

Indicators	Child's expectation from care and protection
First Month	Plan : Outcome :
Second Month	Plan : Outcome :
Third Month	Plan : Outcome :
Fourth Month	Plan : Outcome :

	Health and Nutrition
First Month	Plan : Outcome :
Second Month	Plan : Outcome :
Third Month	Plan : Outcome :
Fourth Month	Plan : Outcome :

Emotional and psychological support needed	
First Month	Plan : Outcome :
Second Month	Plan : Outcome :
Third Month	Plan : Outcome :
Fourth Month	Plan : Outcome :
Education and Training	
First Month	Plan : Outcome :
Second Month	Plan : Outcome :
Third Month	Plan : Outcome :
Fourth Month	Plan : Outcome :

Leisure, creativity and play	
First Month	Plan Outcome
Second Month	Plan Outcome
Third Month	Plan Outcome
Fourth Month	Plan Outcome
Attachments and Inter-personal Relationships	
First Month	Plan Outcome :
Second Month	Plan Outcome :
Third Month	Plan Outcome :
Fourth Month	Plan Outcome :
Self Care and Life Skill Training for Protection from all kinds of abuse, neglect and maltreatment	
First Month	Plan Outcome :
Second Month	Plan Outcome :
Third Month	Plan Outcome :
Fourth Month	Plan Outcome :
Independent living skills	
First Month	Plan Outcome :
Second Month	Plan Outcome :
Third Month	Plan Outcome :
Fourth Month	Plan Outcome :

	Any other such as significant experiences which may have impacted the development of the child like trafficking, domestic violence, parental neglect, bullying in school etc.
First Month	Plan Outcome :
Second Month	Plan Outcome :
Third Month	Plan Outcome :
Fourth Month	Plan Outcome :

Other services provided to the child, including compensation, other benefits etc.

Report of the detailed psychiatric assessment done by certified psychiatrist to be attached along with Rehabilitation card

Date of report and reason for conducting the said assessment (Provisional Release / Release/ Any other)

1. Overall progress shown by the child on the above mentioned aspects of the Individual Care Plan
2. Child's acceptance and understanding of his actions and its consequences
3. Child's willingness to reform
4. Child's behavior and conduct
5. Offence committed by the child , if any reported by family or neighbourhood, in case of a child in conflict with law who is not placed in a Child Care Institution

Signed by

JJB/ CWC

FORM 15**[Rule 17 (1)(i)]****CASE SUMMARY MAINTAINED BY THE CHILD WELFARE COMMITTEE**

Case No.....

In Re.....

Case Record.....

1. Name of the child.....
2. Father's/Mother's/Guardian's name (if available).....
3. Date of production of the child.....
4. Name of person producing the child.....
5. A list of all follow up dates (of the child, before the Committee).....
6. Orders passed by the CWC (tick as applicable)
 - (i) Declaration that child is in need of care and protection.
 - (ii) Finding on age of child
 - (iii) Medical Examination
 - (iv) Interim custody
 - (v) Undertaking (by parent, guardian or fit person, if applicable)
 - (vi) Order appointing Case Worker & NGO etc.
 - (vii) Order for compensation/recovery of wages (if applicable)
 - (viii) Transfer order
 - (ix) Final Order (concluding inquiry)
 - (x) Any other order.
7. Medical Records including but not limited to age verification.....
8. Social Investigation Report under Form 22.....
9. Individual Care Plan under Form 7.....
10. Rehabilitation Card in Form 14.....
11. Case History Form 43.....
12. All details, documents and records with regards to Sponsorship/Foster Care/Adoption services (if applicable).

Date:

Place:

(Signatures)

Child Welfare Committee

FORM 16**[Rules 17(1)(v), 20(2)]****QUARTERLY REPORT BY CHILD WELFARE COMMITTEE**

District

Quarterly Report for the period: From..... to.....

Details of CWC

S.No.	Details	Date of Appointment	Training attended
1.	Chairperson		
2.	Member 1		
3.	Member 2		
4.	Member 3		
5.	Member 4		

Details of Cases with CWC

S.No.	Number of cases at the beginning of Quarter	Number of cases received during the quarter	Number of cases disposed of during the quarter	Number of cases pending at the end of quarter	Reasons for pendency

FINAL ORDER

Total number of final orders passed during the quarter

Released to parent/guardian /fit person/fit institution	Transfer to other CWC	Ordered to stay in CCI	Repatriated to Foreign Country	Declared legally free for adoption	Ordered for foster care / sponsorship/ Aftercare	Recommended to JJB for filing FIR	Initiate process of compensation to child, if eligible

VISIT TO HOMES BY CHAIRPERSON/ MEMBERS

Date of visit:

Name and Address of Home visited:

Remarks/Suggestions of the Committee.....

Signature of Chairperson**Seal**

FORM 17
[Rules 18(2), 19(25)]
REPORT TO BE SUBMITTED AT TIME OF PRODUCTION
OF CHILD BEFORE THE COMMITTEE

Case No.....

Produced before the Child Welfare Committee.....

Date of production..... Time of production.....

Place of production.....

1. Details of person who is producing the child:

- (i) Name of the person
- (ii) Age.....
- (iii) Sex.....
- (iv) Address
- (v) Contact number.....
- (vi) Occupation/ designation.....
- (vii) Name of the organization/CCI/SAA

2. The child who is being produced:

- (i) Name (if any).....
- (ii) Age (stated age/ age based on appearance)
- (iii) Sex
- (iv) Identity mark/s.....
- (v) Language used by the child.....

3. Details of parents / guardians (if available):

- (i) Name
- (ii) Age.....
- (iii) Address.....
- (iv) Contact number.....
- (v) Occupation.....

4. Place where the child was found.....

5. The details of the person (if any) with whom the child was found:

- i. Name
- ii. Age.....
- iii. Address.....
- iv. Contact number.....
- v. Occupation.....

6. Circumstances under which the child was found.....

7. Allegation by the child of any offence/ abuse committed on the child in any manner.....

8. Physical condition of the child.....

9. Belongings of the child at the time of production.....

10. Date and Time at which the child came to the CCI/SAA.....

11. Immediate efforts made to trace family of the child

12. Medical treatment, if provided to the child

13. Whether police has been informed

Signature/ Thumb impression of the child

Signature/ Thumb impression of the person who produced the child

Police-Local Police/Special Juvenile Police Unit/ designated child welfare police officer / Railway Police/Probation Officers/ any public servant/Social Welfare Organization/Social Worker/ Person in-charge CCI/ SAA/ any citizen/Child himself/herself (fill as applicable)

FORM 18**[Rules 18 (5), 18 (9) and 19 (26)]****ORDER OF PLACEMENT OF A CHILD IN AN INSTITUTION**

(Children's Home/Fit Facility/SAA)

Case No.....

To,

The Officer-in-Charge,

Whereas on theday of20 (name of the child) , son/daughter of agedresiding at being in care and protection under the Juvenile Justice (Care and Protection) Act 2015 is ordered by the Child Welfare Committee , to be kept in the Children's Home/SAA/Fit Facility.....for a period of

This is to authorize and require you to receive the said child in your charge, and to keep him/her in the Children's Home/ Fit Facility /SAA..... for the aforesaid order to be carried into execution according to law. The concerned official shall upload the details in case of an orphan or abandoned child in the TrackChild/ relevant Web Portal.

Given under my hand and the seal of Child Welfare Committee.

This day of

(Signature)**Chairperson/ Member****Child Welfare Committee**

Encl:

Copy of the orders, particulars of home and previous record, case history and individual care plan, as applicable:

FORM 19**[Rule 18(8)]****ORDER FOR PLACEMENT OF CHILD UNDER THE CARE OF A PARENT, GUARDIAN OR FIT PERSON PENDING INQUIRY**

Case No.of20.....

In Re.....

Whereas (name of the child) has on(date) been found to be in need of care and protection, and is placed under the care and supervision of (name)..... (address).....on executing a bond by the said and the Committee is satisfied that it is expedient to deal with the said child by making an order placing him/her under supervision.

Reason for the child being produced before the CWC.....

.....

It is hereby ordered that the said child be placed under the supervision of (name)..... (address)..... for a period of This shall be subject to the following conditions that:

1. the child along with the copies of the order and the bond, if any, executed by the said..... shall be produced before the Committee as and when required by the person executing the bond
2. the child shall reside at for a period of

3. the child shall not be allowed to quit the district jurisdiction ofwithout the permission of the Committee.
4. the child shall go to school/ vocational training centre regularly. The child shall attend(name of) school/ vocational training centre (if already identified) at(address of school/ vocational training centre).
5. the person under whose care the child is placed shall arrange for the proper care, education and welfare of the child.
6. the child shall not be allowed to associate with undesirable characters and shall be prevented from coming in conflict with law.
7. the child shall be prevented from taking narcotic drugs or psychotropic substances or any other intoxicants.
8. the directions given by the Committee from time to time, for the due observance of the conditions mentioned above, shall be carried out.

Dated this _____ day of _____ 20 _____

(Signature)

Chairperson/ Member

Child Welfare Committee

- Additional conditions, if any may be inserted by the Child Welfare Committee

FORM 20

[Rule 18(8) and 19 (7)]

UNDERTAKING BY THE PARENT OR GUARDIAN OR 'FIT PERSON'

Iresident of House no.....Street Village/Town
.....District Statedo hereby declare that I am willing to take charge of
(name of the child) Aged..... under the orders of the Child Welfare
Committee..... subject to the following terms and conditions:

1. If his conduct is unsatisfactory I shall at once inform the Committee.
2. I shall do my best for the welfare and education of the said child as long as he remains in my charge and shall make proper provision for his maintenance.
3. In the event of his/her illness, he shall have proper medical attention in the nearest hospital.
4. I agree to adhere to the conditions that may be imposed by the Committee from time to time and also to keep the Committee informed about the compliance with the conditions.
5. I undertake to produce him/her before the Committee as and when required.
6. I shall inform the Committee immediately if the child goes out of my charge or control.

Date thisday of

Signature

Signed before Child Welfare Committee

FORM 21**[Rule 19(3)]****ORDER FOR SOCIAL INVESTIGATION REPORT OF CHILD IN NEED OF CARE AND PROTECTION**

To

Child Welfare Officer/ Social Worker/Case Worker/ Person in-charge of Home/ representative of Non- Governmental Organization

Whereas a report under section 31 (2) of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 has been received from in respect of (name of the child)....., aged (approximate)....., son/daughter ofresiding at....., who has been produced before the Committee under section 31 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015.

You are hereby directed to conduct Social Investigation as per Form 22 for the above child. You are directed to enquire into socio economic and family background of the said child.

You are directed to submit the Social Investigation Report on or before (date).

Dated thisday of20.....

(Signature)**Chairperson/Member****Child Welfare Committee****FORM 22****[Rule 19(8)]****SOCIAL INVESTIGATION REPORT FOR CHILD IN NEED OF CARE AND PROTECTION**

Sl. No.....

Produced before the Child Welfare Committee.....

Case No.....

Social Investigation Report Prepared by: Child Welfare Officer/ Social Worker/Case Worker/ Person in-charge of Home/ representative of Non- Governmental Organization

Details of child in need of care and protection:

1. Name.....
2. Age/Date/Year of birth.....
3. Sex.....
4. Caste.....
5. Religion.....
6. Father's Name.....
7. Mother's Name
8. Guardian's Name.....
9. Permanent Address.....

10. Landmark of the address.....

11. Address of last residence.....

12. Contact no. of father/mother/family member.....

13. Whether the child is differently abled: Yes/ No

- (i) Hearing Impairment
- (ii) Speech Impairment
- (iii) Physically disabled
- (iv) Mentally disabled
- (v) Others (please specify)

14. Family Details:

S.N. (1)	Name and Relationship (2)	Age (3)	Sex (4)	Education (5)	Occupation (6)	Income (7)	Health status (8)	History of Mental Illness (9)	Addictions (10)

15. Relationship among the family members:

i. Father & mother	Cordial/ Non cordial/ Not known
ii. Father & child	Cordial/ Non cordial/ Not known
iii. Mother & child	Cordial/ Non cordial/ Not known
iv. Father & siblings	Cordial/ Non cordial/ Not known
v. Mother & siblings	Cordial/ Non cordial/ Not known
vi. Child & siblings	Cordial/ Non cordial/ Not known
vii. Child & relative	Cordial/ Non cordial/ Not known

16. If child is married, name, age and details of spouse and children.....

.....

17. History of involvement of family members in offences, if any:

S. No.	Relationship	Nature of Crime	Legal status of the case	Arrest if any Made	Period of Confinement	Punishment awarded
1.	Father					
2.	Step father					
3.	Mother					
4.	Step mother					
5.	Brother					
6.	Sister					
7.	Others (uncle/ aunty/ grandparents)					

18. Attitude towards religion.....

19. Present living conditions

20. Other factors of importance if any.....

21. Habits of the child

A

- i) Smoking
- ii) Alcohol consumption
- iii) Drug use (specify)
- iv) Gambling
- v) Begging
- vi) Any other

B

- i) Watching TV/movies
- ii) Playing indoor/outdoor games
- iii) Reading books
- iv) Religious activities
- v) Drawing/painting/acting/singing
- vi) Any other

22. Extra-curricular interests.....

23. Outstanding characteristics and personality traits.....

24. The details of education of the child (tick as applicable)

- (i). Illiterate
- (ii). Studied up to V Standard
- (iii). Studied above V Standard but below VIII Standard
- (iv). Studied above VIII Standard but below X Standard
- (v). Studied above X Standard

25. The details of the school in which studied last(tick as applicable) :

- a. Corporation/Municipal/Panchayat
- b. Government/SC Welfare School/BC Welfare School
- c. Private management
- d. School under NCLP

26. Attitude of class mates towards the child.....
27. Attitude of teachers and classmates towards the child.....
28. The reason for leaving School (tick as applicable)
- a. Failure in the class last studied
 - b. Lack of interest in the school activities
 - c. Indifferent attitude of the teachers
 - d. Peer group influence
 - e. To earn and support the family
 - f. Sudden demise of parents
 - g. Bullying in school
 - h. Rigid school atmosphere
 - i. Absenteeism followed by running away from school
 - j. There is no appropriate level of school nearby
 - k. Abuse in school
 - l. Humiliation in school
 - m. Corporal punishment
 - n. Medium of instruction
 - o. Others (pl. specify)
29. Vocational training, if any.....
30. Employment Details, if any.....
31. Details of income utilization.....
32. Work record (reasons for leaving vocational interests, attitude towards job or employers).....
33. Majority of the friends are (tick as applicable)
- a) Educated
 - b) Illiterate
 - c) The same age group
 - d) Older in age
 - e) Younger in age
 - f) Same sex
 - g) Opposite sex
 - h) Addicts
 - i) With criminal background
34. Attitude of the child towards friends.....
35. Attitude of friends towards the child.....
36. observation about neighbourhood (to assess the influence of neighbourhood on the child).....
37. Mental condition of the child: (Present and past).....
38. Physical condition of the child: (Present and past).....

39. Health status of the child

- i. Respiratory disorders - present / not known / absent
- ii. Hearing impairment - present / not known / absent
- iii. Eye diseases- present / not known / absent
- iv. Dental disease- present / not known / absent
- v. Cardiac diseases- present / not known / absent
- vi. Skin disease-present / not known / absent
- vii. Sexually transmitted diseases- present / not known / absent
- viii. Neurological disorders- present / not known / absent
- ix. Mental handicap- present / not known / absent
- x. Physical handicap- present / not known / absent
- xi. Urinary tract infections –present / not known / absent
- xii. Others (pl. specify) -

40. Whether the child has any addiction

Yes/ No

41. With whom the child was staying prior to production before the Committee

- (i) Parent(s) – Mother / Father / Both
- (ii) Siblings / Blood relative
- (iii) Guardian(s) – Relationship
- (iv) Friends
- (v) On the street
- (vi) Night shelter
- (vii) Orphanages / Hostels/ Similar Homes
- (viii) Other (pl. specify)

42. History/ tendency of the child to run away from home, if any.....

43. Parents attitude towards discipline in the home and child's reaction.....

44. Reasons for leaving the family (tick as applicable)

- (i) Abuse by parent(s)/guardian(s)/step parents(s)
- (ii) In search of employment
- (iii) Peer group influence
- (iv) Incapacitation of parents
- (v) Criminal behaviour of parents
- (vi) Separation of Parents
- (vii) Demise of parents
- (viii) Poverty
- (ix) Others (please specify)

45. Whether the child is a victim of any offence

Yes/No

46. Types of abuse met by the child (tick as applicable)

- (i) Verbal abuse – parents/siblings/ employers/others (pl. specify)
- (ii) Physical abuse
- (iii) Sexual abuse parents/siblings/ Employers/others (Pl. specify)
- (iv) Others – parents/siblings/ employers/others (pl. Specify)

47. Types of ill-treatment met by the child(tick as applicable).

- i) Denial of food – parents/siblings employers/other (pl. specify)
- ii) Beaten mercilessly –parents/ Siblings/employers/other (pl. specify)
- iii) Causing injury –parents/ siblings/employers/other (pl. specify)
- iv) Detention -parents/ siblings/employers/other (pl. specify)
- v) Other(please specify)_____parents/siblings/employers/others(pl. specify)

48. Exploitation faced by the child

- i) Extracted work without payment
- ii) Little (low) wages with longer duration of work
- iii) Others (pl. specify)

49. Whether the child has been bought or sold or procured or trafficked for any purpose
Yes/ No

50. Whether the child has been used for begging Yes/ No

51. Whether the child is used by any gangs or adults or group of adults or has been used for drug peddling:
Yes/ No

52. Previous institutional/case history and individual care plan, if any:.....

53. Details of perpetrator: (such as Name, Age, Contact number, Address details, Physical Characteristics, Relationship with the family, middle men involved, is there any other child from the same village who is abused / harassed / taken / sent by the perpetrator, how the child came in contact with the perpetrator).....

.....

54. Attitude of the child towards the perpetrator.....

55. Whether the police have been informed.....

56. Action taken, if any against the perpetrator.....

57. Any other remark.....

OBSERVATIONS OF INQUIRY

1. Emotional factors.....
2. Physical condition.....
3. Intelligence.....
4. Social and economic factors.....
5. Suggestive causes of the problems.....
6. Analysis of the case, including reasons/contributing factors for the offence...
7. Reasons for child's need for care and protection.....
8. Opinion of experts consulted.....



9. Psycho-social expert's assessment.....
10. Religious factors.....
11. Risk analysis for the child to be restored to the family
12. Previous institutional/case history and individual care plan, if any:.....
13. Recommendation of Child Welfare Officer/Case Worker/Social Worker regarding psychological support, rehabilitation and reintegration of the child and suggested plan.....

Signature
(Of the Person assigned)

FORM 23

[Rule 19(22)]

APPLICATION FOR SURRENDER OF CHILD

Date

To

Child Welfare Committee,

District.....

I/ We.....(name of the applicant/s)(relation with the child) of.....(name of the child), aged about.....years , intend to surrender.....name of child) before this Child Welfare Committee as.....(reason/s for surrender).

I/we am /are fully conscious and making this application before this Child Welfare Committee. I have not been forced or unduly influenced by any one to take this decision of surrendering..... (name of child). I shall have no objection if the child is given in adoption. I am fully aware of the consequences of surrendering the child.

Full signature of the applicant(s)/

Thumb impression (if the CWC deems appropriate)

Name and address.

.....

(Signature of the Chairperson/ member

Before whom such application is submitted)

Committee member/s present:_____

Date.....

Time.....

Place.....

FORM 24**[Rule 19(22)]****DEED OF SURRENDER**

Declaration by Person surrendering the child or children

Case No.....

In Re.....

I/We, the undersigned.....Family name/First name(s).....residing at, surrender the child (named).....Aged.....having date of birth.....for the reason:.....

- (ii) I/we are surrendering my/our child or children on our own and without any coercion, compulsion, threat, payment, consideration, compensation of any kind;
- (iii) I/we have been counselled and informed about the implication that I/we can withdraw our consent until 60th day of this surrender deed after which my/our consent will be irrevocable and I/we shall have no claim over the child or children.
- (iv) I/we have been made aware of the implications of surrender and are conscious of the fact that after the 60th day from date of the surrender deed, the legal parent-child relationship between my/our child or children and me/us will be terminated.
- (v) I/we understand that my/our child may be adopted by person(s) residing in India or abroad and give my/our consent for this purpose.
- (vi) I/we understand that the adoption of my/our child will create a permanent parent-child relationship with the adoptive parent(s) and then cannot claim back the child.
- (vii) I/we wish/ do not wish (please tick whichever is applicable) my/our identity and address to be disclosed to my/our child when he/she returns for root search.
- (viii) I/we declare that I/We have read the above statements carefully and have fully understood the same.

Done at on

[Signature or Thumb Impression of
surrendering person(s)]**2. Declaration by Witnesses**

We the undersigned have witnessed the above surrender.

(a) Signature, Name and Address of the first witness

.....

(b) Signature, Name and Address of the second witness

.....

3. Certification of child welfare committee

We hereby certify that the person and the witness(es) named or identified above appeared before me this date and signed this document in our presence.

Done at on.....

**Signature & Seal of
Members/Chairperson
Child Welfare Committee**

FORM 25**[Rule 19(29)]****CERTIFICATE DECLARING THE CHILD LEGALLY FREE FOR ADOPTION**

1. In exercise of the powers vested in the Child Welfare Committee.....under section 38 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, child..... date of birth.....placed in the care of the Specialized Adoption Agency/Child Care Institution (name & address) vide order no.....dated..... of this Committee, is hereby declared legally free for adoption on the basis of the following:

- Inquiry report of the Probation Officer/ Child Welfare Officer / Social Worker / Case Worker/any other (as the case may be);
- Deed of surrender executed by the biological parent(s) or the legal guardian of the child before this Committee on (date);
- Declaration submitted by District Child Protection Unit and the Child Care Institution or Specialized Adoption Agency concerned to the effect that they have made restoration efforts as required under Section 40(1) of the Act, the Rules and Adoption Regulations, but, nobody has approached them for claiming the child as biological parents or legal guardian as on date of the said declaration.

2. This is to certify that:

The biological parent(s) / legal guardian, wherever available, has/have been counselled and duly informed of the effects of their consent including the placement of the child or children in adoption which would result in the termination of the legal relationship between the child and his or her family of origin;

The biological parents / legal guardian have given their consent freely, in the required legal form, and the consents have not been induced by payment or compensation of any kind and the consent of the mother (where applicable), has been given only after the birth of the child.

The Specialized Adoption Agency/ Child Care Institution to which the aforesaid child is entrusted shall post the photograph and other essential details of the child in the CARINGS and shall place such child in adoption as per the procedure laid down in the Act and Adoption Regulations.

Signature

Chairperson and Members of the Committee

(Seal of the Child Welfare Committee)

Date:

Place:

To: Child Care Institution /Specialized Adoption Agency/ District Child Protection Unit Concerned – for information and necessary action.

(Signature: & Seal)

Date:

FORM 26**[Rule 20(1)]****CASE MONITORING SHEET FOR COMMITTEE****CASE MONITORING SHEET***(Separate Sheet may be used in case there are more than one child)***Child Welfare Committee, District.....**

Case No.of.....

Case Name:

Police Station	Date.....
U/S.....	FIR/ GD/ DD No.
Name of Probation Officer.....	Name of IO

PARTICULARS OF CHILD

Name	Parents/ Guardian with Contact No.	Present address	Permanent address

DATE AND TIME CHILD PRODUCED BEFORE THE COMMITTEE**DATE AND TIME OF FIRST PRODUCTION****DATE OF MEDICAL EXAMINATION UNDER SECTION 54 Cr.P.C. (if any)****AGE DETERMINATION**

Age on the Date of offence

Date of age Determination

Time taken for age determination

Determination by

Committee

Evidence Relied:

Documents

Medical

PLACEMENT OF THE CHILD

In Children's Home	Sent under supervision (Name of Institution)
From.....To.....	

PROGRESS OF ENQUIRY

(Time schedule for disposal of the case to be fixed on the first day of hearing)

Steps to be taken	Scheduled Date	Actual Date
Age determination	Dated.....	
Social Investigation Report (Form No.22)	Dated.....	
Submission of Report on Provisions of further investigation, if any	Dated.....	
Statement of Child	Dated.....	
Individual Care Plan (In case of child in institutional care Individual Care Plan should be prepared within one month of admittance)	Dated.....	
Dispositional (Final) Order	Dated.....	
Post Dispositional Review	Dated.....	

Signed by**Child Welfare Committee****FORM 27****[Rule 21(2) and 22 (2)]**
**APPLICATION FOR REGISTRATION OF CHILD CARE INSTITUTION UNDER THE JUVENILE JUSTICE
 (CARE AND PROTECTION OF CHILDREN) ACT, 2015**
1. Detail of Applicant/ Institution which proposes to run the Child Care Institution:

- (i) Type of Institution
- (ii) Name of the Institution / Organization.....
- (iii) Registration number and date of Registration of the Institution/ Organization under the relevant Act (Annex- Relevant documents of registration and bye-laws, memorandum of association).....
- (iv) Period of validity to run the Institution / Organization.....
- (v) Complete address of the Applicant/ Institution/ organization.....
- (vi) STD code/ Telephone No.....
- (vii) STD code/ Fax No.....
- (viii) E-mail address.....
- (ix) Whether the organization is of all India character, if yes, give address of its branches, in other states.....
- (x) Whether the Institution/ Organization had been denied registration earlier
Yes/No
- (xi) Ref. No. of application which resulted in denial of registration as CCI
 - a) Date of denial.....
 - b) Which department has denied the registration.....
- (xii) Reason for denial of registration as CCI.....

2. Details of the proposed Child Care Institution

- (i) Name of the proposed Child Care Institution.....
- (ii) Type/Kind of Child Care Institution.....
- (iii) Complete address/ location of proposed child Care Institution or organization
- (iv) STD code/ Telephone No.....
- (v) STD code /Fax No.....
- (vi) E-mail address.....

3. Connectivity (Name and Distance from the proposed Child Care Institution):

- (i) Main Road.....
- (ii) Bus –stand.....
- (iii) Railway Station.....
- (iv) Any landmark.....

4. Infrastructure

- (i) No. of Rooms (Mention with measurement).....
- (ii) No. of toilets (mention with measurement).....
- (iii) No. of Kitchen (mention with measurement)
- (iv) No. of sick room.....
- (v) Annex -Copy of blue print of the building (authentic sketch plan of building)...
- (vi) Arrangement to deal with unforeseen disaster also mention the kind of arrangement made:
 - (i) Fire
 - (ii) Earthquake
 - (iii) Any other arrangement
 - (iv) Arrangement of Drinking water
 - (v) Arrangement to maintain sanitation and hygiene:
 - (vi) Pest Control
 - (vii) Waste disposal
 - (viii) Storage area
 - (ix) Any other arrangement
 - (x) Rent agreement/ building maintenance estimate (whichever is applicable)(Annex- copy of Rent agreement)

5. Capacity of the Institution/ Organization

- i. No. of children (0-6 years) present in the home , (if any)
- ii. No. of children (6-10 years) present in the home , (if any)
- iii. No. of children (11-15 years) present in the home , (if any)
- iv. No. of children (16-18 years) present in the home , (if any)
- v. No. of persons (18-21 years) present in the home , (if any)

6. Whether the Child Welfare Committee/Juvenile Justice Board has been informed about the children being housed in the Institution Yes/ No

7. Facilities Available

- (i) Education facility.....
- (ii) Health Checkup arrangement, frequency of checkup, type of checkups proposed to be done.....
- (iii) Any other facility that shall impact on the overall development of the child

8. Staffing

- (i) Detailed staff list.....
- (ii) Education and Experience of the staff
- (iii) Name of partner organizations
- (iv) Name of the chief functionary of the organization

9. Background of the Applicant (Institution / Organization)

- (i) Major activities of the organization in last two years
 - a. (Annex copy of Annual Report)

- (ii) An updated list of members of the management committee/ governing body in the enclosed format (Annex- resolution of the annual meeting)
- (iii) List of assets/ infrastructure of the organization
- (iv) If the organization registered under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 (Annex – certificate of registration)
- (v) Details of foreign contribution received during the last two years (Annex- relevant documents)
- (vi) List of other sources of grant- in – aid funding (if any)with the name of the scheme / project , purpose amount, etc. (separately)
- (vii) Details of existing bank account of the agency indicating branch code account no.
- (viii) Whether the agency agree to open a separate bank account for the grant proposed
- (ix) Annex -Photocopy of Accounts of last three years:

i.	Auditors report
ii.	Income and expenditure account
iii.	Receipt and payment account
iv.	Balance sheet of the organization.

I have read and understood The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 and the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2016.

I declare that no person associated with the organization has been previously convicted or has been involved in any immoral act or in any act of child abuse or employment of child labour and that the organization has not been blacklisted by the Central or the State Government at any point of time.

.....(Name of the Organization / Institution) has complied with all the requirements to be granted registration as a Child Care Institution under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 and The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2016.

I undertake to abide by all the conditions laid down by the Central/ State Act, Rules, Guidelines and Notifications in this regard.

Signature of the authorized signatory:

Name:.....

Designation:.....

Address.....

District.....

Date.....

Office stamp:

Signature of:

Witness no.1:

Witness no.2:

**FORM 28****[Rule 21(3) and 22 (4)]****CERTIFICATE OF REGISTRATION****(UNDER SECTION 41 THE JJ ACT)**

After perusal of the documents submitted as per Form 27 is granted registration No.....as a Child Care Institution under Section 41(1) of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 with effect from..... for a period ofyears.

The Institution which has the capacity of..... Children shall remain bound to follow the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2016 and regulations framed by the Central/ State Government from time to time.

Dated this day of 20

(Signature)**Seal**

Name and Designation

FORM 29**[Rule 22(9)]****MONTHLY REPORT SUBMITTED BY OPEN SHELTER TO DCPU**

1. Name of the Open Shelter.....
2. Name of the In charge
3. Registration No.....
4. Address of the Home.....
5. Period of the Report.....
6. Details of children available on

Sr. No	Name of the child	Father's name	Address of the Child, if available	Date of admission	Reason for admission	Duration of stay	Facilities availed	Produced before CWC (Yes / No)	Remarks, if any

7. Total number of children admitted during the month.....
8. Total number of children in the Open Shelter on the last day of the month.....
9. Total number of children who availed the facilities of the Open Shelter during the month.....
10. Out of these the number of children who availed the services only during the day in the month:

Signature

In charge of the Open Shelter Home

FORM 30**[Rule 23(9)]****HOME STUDY REPORT FOR PROSPECTIVE FOSTER PARENTS**

DATE OF REGISTRATION -

AADHAR CARD NO of PFP : -

NAME OF THE SOCIAL WORKER -

DATE OF HOME VISIT -

Part-I of the format shall be filled up by the prospective Foster parents and Part-II of the template shall be filled up by the Social Worker to submit an assessment report along with his/her observation about suitability of the prospective adoptive/ foster parents.

PART-I : SELF ASSESSMENT**A. Information about the prospective foster parents and their family background**

Particulars of the foster parents	
Full Name	
Date of birth & age	
Place of birth	
Complete Address with e-mail ID (Present & Permanent Address)	
Identity Proof	
Religion	
Language(s)	
Date of Marriage	
Present Educational Qualification	
Employment/occupation	
Name & Address of the present Employer/Business concern	
Annual Income	
Health Status	

B. Family background information:

- (1) Give a short description of social status and background of the prospective foster parents along with the following information.

Details about Parents of the Applicants		
	Father	Mother
Name in full		
Age		
Nationality/Citizenship		
Occupation		
Previous occupation		
Presently residing with		

- (2) Please complete the following table with the names of each of your respective children (adopted and biological), their sex, educational status (kindergarten, elementary, etc.) and dates of birth.

Name of the Child	Sex	Date of Birth	Educational Status

- (3) If there are other members residing, please furnish the following information in respect of them.

Name	Nature of Relationship	Age	Gender	Occupation

- (4) Please describe how you believe the foster care would affect the family members (grand parents, children, relatives and others).

C. Professional/Employment Details (Professional career details for last 5 years):

Foster Father				
Organisation	Employer Details (Name & Address)	Job Title	From	To

Foster Mother				
Organisation	Employer Details (Name & Address)	Job Title	From	To

D Financial Position: (Give a short description of your income from all sources such as savings, investments, expenditures and liabilities and debts along with supporting documents).....

E Description of Home and Neighbourhood: (Describe the accommodation details and neighbourhood relationship)

(1) How many rooms do you have in your home and describe the play area available for the child.....

(2) Please describe the neighbourhood in which you reside, including any aspect that you believe makes it child-friendly.....

F. Attitude and Motivation for foster care:

(1) Please circle the term which best describes the reason why you wish to take a child in foster care, you may circle more than one option, if applicable:

- a) Provide a companion to your other children;
- b) Provide a child with a happy home;
- c) Other, please specify

(2) Please circle the statement which describes how you think the foster care arrangement will improve the lives of your other children, you may circle more than one, if applicable:

- a) They will be less lonely;
- b) They will learn to be more accommodating;
- c) They will become more empathetic;
- d) Not applicable as I have no other children;
- e) Other, please specify _____

G. Attitude of grandparents/extended family members, other relatives and significant others towards the foster care: (Give a short description about the opinion of other important persons towards foster care who would have impact in the child rearing process).....

H. Anticipated Plans of the prospective foster parents for the child and rearing in the Family:

- (1) Please describe how you will manage caring for the child and other life commitments such as work.
- (2) Who will be responsible for caring for the child when you are at work, or absent from the familial home (domestic help, grandparents, spouse).
- (3) Please describe your disciplinary approach to parenting.
- (4) In case the foster child demonstrates adjustment difficulties, please describe the steps that you plan to take to ease his/her transition into the family?
- (5) Would you be prepared to utilize family counselling if the child continues to have difficulties adjusting?
 - a) Yes
 - b) No
- (6) Would you be willing to support financially higher professional studies of the foster child
 - a) Yes
 - b) No

I. Preparation and Training: (Give details about the counselling sessions the prospective foster parent(s) have undergone on foster care, child care, handling of needs of children, etc. and their capacity, training and/or experiences in parenting children with their special need, if any)

J. Health Status (Emotional and Physical): (Give details of the state of emotional and physical health status of the applicant(s), if any. If a family member suffers from a particular disease, condition or syndrome, describe how the family copes with it and how this might affect any proposed foster care.)

- (1) Do you or your spouse suffer from any medical condition? If so, would you please provide details?
- (2) Are you or your spouse currently being treated by a psychologist or psychiatrist?
- (3) Are you currently taking any prescribed medication?
- (4) Are there currently any child/ren in your house being treated for a medical condition?
- (5) Does your family have health and hospitalization insurance coverage for all family members?

Signature of the Prospective Foster Parents

Date

PART-II: ASSESSMENT REPORT OF THE SOCIAL WORKER

(To be used by the Social Worker to prepare the assessment report)

(The information/facts filled in the template shall be kept confidential by the agencies /authorities.)

1. Factual Assessment

- (i) Have you verified the contents of the facts mentioned in Part I of the template?

Yes/No

- (ii) Are you satisfied about the facts mentioned in the documents vis-à-vis observation during interviews and visits?

Yes/No

2. **Psychosocial Assessment:**

2.1 **Interaction with the prospective foster parents**

- (i) Have you interacted with the prospective foster parents individually and jointly?
- (ii) Are the prospective foster parents well prepared for fostering the child?

2.2 **Home visit findings**

- (i) When did you visit the home of the prospective foster parents? Who were the members present during your visit?
- (ii) Whom did you interact during the home visit?
- (iii) Have you met any neighbour/relative? Give a detailed description about the interaction?
- (iv) Whether the home environment is conducive for the child?
- (v) Are the prospective foster parents well prepared for foster care?
- (vi) Did the prospective foster parents have any doubt about parenting issues or any other issues? Have you cleared their doubts?

2.3 **Interaction with the family members**

- (i) Have you interacted with other family members of the prospective foster parents? What is their opinion about the proposed foster care? Are they positive about the foster care arrangement?
- (ii) Are there any other family member(s) whom you could not interact but they might have a larger role in the proposed foster care? If so, how did you interact? Would you plan to take their views?
- (iii) Have you interacted with older child/ren present in the home of the prospective foster parents? If yes, please give details.
- (iv) Have you noticed any adverse remarks from the family members? If so, how far those remarks may have an impact on the foster care process?

2.4 **Financial capacity**

- (i) What is your opinion about the financial status of the prospective foster parents? Are they financially sound to welcome another member into their family?
- (ii) Have you observed any financial situation which is hidden in the template?
- (iii) Would you recommend any financial assistance to them?

2.5 **Physical and emotional capacity**

- (i) Are the prospective foster parents in a good physical and emotional state to take care of a child?
- (ii) Have you observed any physical or psychological issues with the prospective foster parents or any other family members that is going to affect the life of the upcoming child? If so, give details.
- (iii) Are the prospective foster parents emotionally equipped enough to take care of a child?

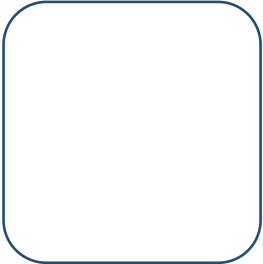
3. **Recommendation for Foster care**

3.1 Do you recommend the prospective foster parents for foster care? Put your views and rationale for recommending the prospective foster parents for foster care.

3.2 In case, you do not recommend the prospective foster parents for foster care, cite appropriate reasons for taking such decision.

Signature, name, designation and official seal

FORM 31
[Rule 23(4)]
CHILD STUDY REPORT

CHILD STUDY REPORT		
S. No.	Item	Response
1	Date of Assessment	
2	Source of Referral	
3	Photograph of the Child to be refreshed periodically	
Profile of the Child		
4	Name of the Child	
5	Date of Birth	
6	Place of Birth	
7	Age	
8	Nationality	
9	Religion	
10	Education	
11	Mother Tongue	
12	Present Address	
13	Aadhaar Card Number	
14	Contact Details a) Landline b) Mobile	

15	Placement history if the child is from institution a) Date of Placement b) Name and Permanent details of the child c) Reason for leaving the family	The child has not been placed in adoption
16	Reason for placement if the child is from community	Mother or both parents in prison ☐ Parents are suffering from long term illness ☐ Dysfunctional family(eg substance abuse, domestic violence etc) ☐ Parents in process of separation ☐ Parents in process of legal custody dispute ☐ Natural disaster ☐ Others ☐

I Social Worker hereby certify that the information given in this form about childis correct.

Signature:

Place :

Name:

Date :

Designation:

FORM 32**[Rule 23(15)]****ORDER OF FOSTER CARE PLACEMENT WITH A FAMILY****OR****GROUP FOSTER CARE**

The child (name and address) approximate age..... d/o or s/o
 Mr..... and Mrs..... is in need of care and protection of a family.
 Mr..... and Mrs..... resident of (complete address and contact numbers)
 are declared fit for foster-care placement of the child after
 considering the Individual Care Plan, Child Study Report and Home Study Report.

OR

Child Care Institution (Name and address)..... is declared fit for foster-care
 placement of the child after considering the Individual Care Plan and Child Study Report.

The child (name) is placed in foster care for a period of
 under the supervision of the aforesaid Child Welfare Officer/Social Worker
 (name and contact)

Chairperson/ Member
Child Welfare Committee

FORM 33**[Rule 23(16)]****UNDERTAKING BY THE FOSTER FAMILY/GROUP FOSTER CARE ORGANISATION**

I/We resident(s) of House no. Street Village/Town
 District State / care giver associated with foster care home run by -----
 ----- organization at (address), do hereby declare that I/We am/are willing to take charge of
 (name of the child Aged..... under the orders of the Child Welfare
 Committee..... subject to the following terms and conditions:

- i. If the conduct of the child is unsatisfactory I/we shall at once inform the Committee
- ii. I/We shall do my/our best for the welfare and education of the said child as long as he remains in my charge and shall make proper provision for his maintenance.
- iii. In the event of his illness, he shall have proper medical attention in the nearest hospital and a report of it followed by a fitness certificate shall be submitted before the Committee.
- iv. I/We shall inform the Committee about any change of address.
- v. I/We shall do my best to ensure that the child will not be subjected to any form of abuse.
- vi. I/We agree to adhere to the conditions laid by the Committee.
- vii. I/We undertake to produce him before the Committee as and when required.
- viii. I/We undertake to inform the Committee immediately if the child goes out of my charge or control.

Date this day of

Signature and address of 2 witnesses

Signature of Applicant(s)

(Signed before me)

Chairperson/Member, Child Welfare Committee

FORM 34**[Rule 23(17)]****RECORD OF A CHILD IN FOSTER CARE**

- a) Case no.....
- b) Name of the Child.....
- c) Age.....
- d) Gender.....
- e) Name and address of the Child Care Institution, if any from where the child has been given for foster care.....
- f) Individual Care Plan
- g) Any other source of referral.....
- h) Details of the child placed in foster care including Photograph of the child, foster care giver/parent, biological parents, if available.....
- i) Details of the placement - individual or group including date and period of placement
- j) Home Study Report of the biological family, where applicable with photograph
- k) Home Study report of the foster family- individual or group care, with photograph
- l) Child Study Report
- m) Address of the Child Welfare Committee
- n) Particulars of the order of the Committee placing the child in foster care
- o) Record (number and significant details) of each visit with the child, foster family, Biological family, if available and child's school
- p) Record of all reviews of the placement including observations, extent and quality of compliance with Care Plan, child's developmental milestones, child's academic progress, and any changes in family environment
- q) In the case of extension or termination of the placement, record of date and reason for termination
- r) Date of the child being handed over to the foster family:
- s) Financial assistance provided, if any
- t) Name of the Case Worker appointed

FORM 35**[Rule 23(18)]****MONTHLY INSPECTION OF FOSTER FAMILIES/GROUP FOSTER CARE**

(Fill as applicable)

Date of Visit:

a) Name :

b) Date of Birth & Age :

c) Gender

d) Date of Placement

(Affix Recent
Photo)**1. Details of Foster Parents**

a) Name of Foster Parents

b) Address

c) Contact details

i) Landline

ii) Mobile:

d) Aadhaar Card Number:

e) Photograph of Parents

(Affix recent photo)

(Affix recent photo)

3. Interaction with the Foster Child

a)	Child's experience being part of the family (with reference to whether the child is properly cared for – physical, emotional and health) describe i) Health Indicators a) Present Health Status b) Any record of Illness c) Any other treatment that the child is undergoing ii) Emotional	☐ Happy and well-adjusted ☐ In process of adjusting ☐ maladjusted
b)	How is the child performing in his studies? (i) check in relation with the grades/marks the child achieved in previous examinations, (ii) Foster parents have regular	Yes ☐ No ☐ Sometimes ☐

	conversations with the child regarding his/her studies, extra curricular activities (iii) Do they attend PTA meetings?	Yes ☐ No ☐ Sometimes ☐
c)	i) The amount of time parents (foster) spend with the child either alone or together with their own children. ii) How do they spend time together as a family and for what? iii) Does the foster child share with the foster parent's problems he /she is facing either at home, school in the neighbourhood or emotionally feeling not happy?	☐ Having conversations ☐ Dining ☐ Playing ☐ Watching TV ☐ Going to school ☐ Doing homework together ☐ Others (specify) Yes ☐ No ☐ Sometimes ☐
d)	Does the child get support from foster parents' children? (do they mutually help each other)	☐ Yes ☐ No Sometimes ☐
e)	Has there been any incident that made the foster child feel discriminated against?	
f)	Has there been any incident/incidents that made you uncomfortable? i) The way a foster parent/older sibling/any other member touched you. ii) The conversations foster parents/older siblings/any other member had with you iii) Any materials- visuals, printed you were made to watch or read iv) Were you at any time sexually assaulted or abused? *if the answers are "yes" immediate steps should be taken to remove the child and send to a place of safety and support the child with medical and psycho-social therapy. ** Actions to be taken against the foster carers or parents according to the procedures laid down. *** Is similar treatment being meted out to their biological child also? Then the biological child should also be treated as a child in need of care and protection and appropriate action may be taken.	☐ Yes ☐ No ☐ Yes ☐ No ☐ Yes ☐ No ☐ Yes ☐ No

g)	Whether the child keeps in contact with his/her family of origin (by telephone, letters, visits). Specify	Yes ☐ No ☐
h)	Have you been beaten by the foster parent at any time?	Yes ☐ No ☐
i)	Have you been spoken to in a manner that you felt humiliated?	Yes ☐ No ☐
j)	Are you made to do household chores?	Yes ☐ No ☐
k)	Do the biological children of the foster parents made to do the same household chores?	Yes ☐ No ☐

5. Interaction with Foster Parents

a)	Parent's impressions about the behavior (emotional well-being) of the child in the family	☐ Happy and well-adjusted ☐ In process of adjusting ☐ Maladjusted
b)	Perception about his/her adjustment with the household and with other members in the family	☐ Happy and well-adjusted ☐ In process of adjusting ☐ Maladjusted
c)	How do you discipline the child?	☐ Reason with the child ☐ Scolding , Chastise ☐ Beat the child ☐ Other Methods (Specify)
d)	What are the behavior traits that are of concern and how do you as parents deal with them?	☐ Lack of co-operation ☐ Lack of Adjustment ☐ Introvert ☐ Aggressive

		☐ Not Communicative ☐ Any Other
e)	Do you spend time together with the foster child and biological children? Describe.	☐ Yes ☐ No ☐ Sometimes
f)	Views on the progress of Child's education and other talents i) Child is faring well in school ii) If the child is not faring well in school do you seek to find out the reasons a) from the child b) the school teacher iii) Do you attend PTA meetings?	☐ Yes ☐ No ☐ Yes ☐ No ☐ Yes ☐ No ☐ Sometimes
g)	Do the foster parents consult the child while taking decisions on behalf of him/her?	☐ Yes ☐ No ☐ Sometimes
h)	How does the child show his approval/disapproval to the foster parent's decisions?	☐ Accept the decision with happiness ☐ Accept the decisions but unhappy ☐ Refuse to accept the decision and shows aggressive behavior)
i)	Are the foster parents aware of the social networks of the child?	☐ Yes ☐ No
j)	Views on child's social relationship with the neighbors, school friends and teachers.	☐ Good and regular interaction ☐ Periodic Interactions
k)	What is their plan for the child?(To be noted down)	
l)	Does the foster child maintain the contact with his/her family of origin? (by telephone, letters, visits). Specify	☐ Yes ☐ No ☐ Sometimes
m)	Who maintains the bank account of the foster child as a parent?	

6. Interaction with biological children of the Foster Parents:

a)	The things they do together with the foster child	☐ Dining ☐ Playing ☐ Watching TV ☐ Going to school ☐ Doing homework together
b)	Do they have quarrels or fights between themselves and the foster child? If yes, how often, on what issues, and how do they resolve it. Please note down.	☐ Yes ☐ No ☐ Sometimes
c)	How do you feel when your parents show love, affection and care to the foster child?	☐ Happy ☐ Unhappy ☐ Angry ☐ Jealous

7. Interaction with the School Teachers:

a)	Information about the academic performance of the child in the school (<i>verify with progress cards to see if the child has shown any progress</i>)	☐ Good ☐ Fair ☐ Satisfactory ☐ Poor
b)	Teacher's observation: if the child has adjusted to his/her foster parents	☐ Happy and well-adjusted ☐ In process of adjusting ☐ Maladjusted
c)	Do the foster parents attend parent-teacher meetings?	☐ Yes ☐ No ☐ Sometimes
d)	Do they seem interested in the child's studies?(<i>by enquiring of his academic achievements, his relationship with teachers and classmates</i>)	☐ Yes ☐ No ☐ Indifferent

e)	Observation on child's behavior in the school (<i>his relationship with teachers, classmates</i>)	☐ Happy and well-adjusted ☐ In process of adjusting ☐ Maladjusted
f)	Any concerns of the child in the school. If yes, give details	

8. Interaction with Parents of Origin

a)	Have the parents of origin maintained contact with their child (by telephone calls, letters, and visits? How frequently?	☐ Yes ☐ No ☐ Sometimes
b)	Was the child happy to meet them?	☐ Yes ☐ No ☐ Upset while meeting them
c)	Did the child raise any issues with regard to his or her foster carers/parents/family with them?	☐ Yes ☐ No
d)	Do they have any interaction with the foster family regarding the wellbeing of the child?	☐ Yes ☐ No ☐ Sometimes
e)	The family's status to receive back the child	☐ Family is interested and in a position to receive back the child. ☐ Family is interested but not in a position to receive back the child. ☐ Family is not interested to receive back the child.
f)	Received any support from the government or any other agency in helping them to receive back the child from the foster carers(If yes, give details)	☐ Yes ☐ No

9. Interaction with Neighbours

a)	Knowledge about the neighbor fostering a child.	☐ Yes ☐ No
b)	Information about the attitude and behavior of the foster family towards the child.	☐ Positive and Happy ☐ Indifferent Attitude

		☐ Negative Attitude ☐ Misbehavior towards foster children
c)	Observed any quarrel or issues between the family members and foster child or between neighborhood and the foster child (if yes, give detail)	☐ Yes ☐ No

Prepared by

Signatures

FORM 36**[Rule 24(5)]****ORDER OF SPONSORSHIP PLACEMENT**

The child (name and address)age..... d/o or s/o Mr..... and/or Mrs..... has been identified as a child needing sponsorship support for education/ health/ nutrition/ other developmental needs(please specify). The District Child Protection Unit is hereby directed to release Rs.....per month/ Rs..... as one time sponsorship support to the said child for a period of (days/month) and carryout necessary follow up and for the said purpose shall open a bank account in the name of the child..... to be operated by

Children's Court/ Principal Magistrate, Juvenile Justice Board/
 Chairperson/Member, Child Welfare Committee

FORM 37**[Rule 25(2)]****ORDER OF AFTER CARE PLACEMENT**

The child (name) d/o or s/o has/ will be completing 18 years of age on (date) She/ he is still in need of care and protection for the purpose of rehabilitation and reintegration and specifically for (specify the purpose). She/he is placed in (name of organization) for providing aftercare. The In-charge of the Organization is directed to admit the child and provide all possible opportunities for her/ his rehabilitation and reintegration in its truest sense. The person shall be provided all these opportunities maximum till the age of 21 years only or till reintegration in the society, whichever is earlier. The in-charge will send half yearly report on the status of the child/youth to the Child Welfare Committee.

The State/ District Child Protection Unit is hereby directed to release Rs.....per month towards after-care support to the said person for a period of (days/month) and carryout necessary follow up and for the said purpose shall open a bank account in the name of the person.....

Children's Court/ Principal Magistrate, Juvenile Justice Board/
 Chairperson/Member, Child Welfare Committee

Copy to: State/ District Child Protection Unit or concerned Department of the State Government.

FORM 38**[Rule 27(2)]****APPLICATION FOR FIT FACILITY INCLUDING GROUP FOSTER CARE**

1.	Detail of Institution/ Agency/ Organization which seeks recognition as fit facility	
1.a	Name of the Institution /Agency/ Organization	
1.b	Registration number and date of Registration of the Institution/ Organization under the relevant Act (Annex- Relevant documents of registration, bye-laws, memorandum of association)	
1. c	Complete address of the Applicant/ Institution/ organization	
1.d	STD code/ Telephone No.	
1.e	STD code Fax No.	
1.f	E-mail address	
1.g	Whether the organization is of all India character, if yes, give address of its branches, in other states	
1.h	If the Institution had been denied recognition earlier? If yes i. Reference No. of application leading to denial of recognition ii. Date of denial iii. Who had denied the recognition iv. Reason for denial of recognition	
2.	Details of the proposed fit facility:	
2.a	Complete address/ location of proposed Fit Facility	
2.b	STD code/ telephone no	
2.c	STD code fax no	
2.d	E-mail	
3.	Connectivity (Name and Distance from the proposed Fit Facility):	
3.a	Main Road	
3.b	Bus –stand	
3.c	Railway Station	
3.d	Any landmark	
4.	Infrastructure:	
4.a	No. of Rooms (Mention with measurement)	

4.b	No. of toilets (mention with measurement)	
4.c	No. of Kitchens (mention with measurement)	
4.d	No. of sick room	
4.e	Annex -Copy of blue print of the building (authentic sketch plan of building)	
4.f	Arrangement to deal with unforeseen disaster also mention the kind of arrangement made: i) Fire ii) Earth quake iii) Any other arrangement	
4.g	Arrangement of Drinking water Annex-Certified from public health engineering (PHE) Department.	
4.h	Arrangement to maintain sanitation and hygiene: i. Pest Control ii. Waste disposal iii. Storage area iv. Any other arrangement	
4.i	Rent agreement/ building maintenance estimate (whichever is applicable)(Annex- copy of Rent agreement)	
5.	Capacity of the Fit Facility	
6.	Facilities Available (would depend on the purpose for which recognition as fit facility is to be given)	
6.c	Any other facility that shall impact on the overall development of the child	
7.	Staffing	
7.a	Detailed staff list	
7.b	Name of partner organizations	
8.	Background of the Applicant	
8.a	Major activities of the organization in last two years	
8.b	An updated list of members of the management committee/ governing body in the enclosed format (Annex- resolution of the annual meeting)	
8.c	List of assets/ infrastructure of the organization	
8.d	If the organization is registered under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 (Annex – certificate of registration)	
8.e	Details of foreign contribution received last two years (Annex-relevant documents)	

8.f	List of other sources of grant- in – aid funding (if any)with the name of the scheme / project , purpose amount, etc. (separately)	
8.g	Details of existing bank account of the agency indicating branch code account no.	
8.h	Whether the agency agrees to open a separate bank account for the grant proposed	
8.i	Annex -Photocopy of Accounts of last three years: i. Auditors report ii. Income and expenditure account iii. Receipt and payment account iv. Balance sheet of the organization.	

I have read and understood The Juvenile Justice (Care and Protection of Children Act), 2015; and the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2016.

.....(Name of the Organization / Institution) has complied with all the requirements to be granted recognition as a Fit Facility under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 and the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2016.

I declare that no person associated with the organization has been previously convicted or has been involved in any immoral act or in any act of child abuse or employment of child labour or an offence involving moral turpitude and that the organization has not been blacklisted by the Central or the State Government at any point of time.

I undertake to abide by all the conditions laid down by the Central/ State Act, Rules, Guidelines and Notifications in this regard.

I undertake to abide by the orders passed by the Juvenile Justice Board or the Child Welfare Committee from time to time.

Signature of the authorized signatory:

Name:

Designation:

Address:

District:

Date:

Office stamp:

Signature of:

Witness no.1:

Witness no.2:

FORM 39**[Rule 27(4)]****CERTIFICATE OF RECOGNITION OF FIT FACILITY INCLUDING GROUP FOSTER CARE**

After perusal of the documents and on the basis of an inspection of the Institution conducted on..... the..... (Name of the Institution) is recognized as a Fit Facility under Section 51 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 with effect from..... for a period ofyears.

The Facility shall remain bound to follow the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2016 and regulations framed by the appropriate Government from time to time.

The Facility shall remain bound to comply with the orders passed by the Juvenile Justice Board or the Child Welfare Committee from time to time.

Dated this.....day of20

(Signature)
(Seal)

Dated thisday of20.....

(Signature)

Chairperson, Child Welfare Committee / Principal Magistrate, Juvenile Justice Board

FORM 40**[Rule 61(3)(xii)]****LIST OF CHILDREN SUBMITTED BY CCI TO BOARD OR COMMITTEE WEEKLY**

Details of the Child Care Institution:

Sr. No.	Name of Child	FIR/DD/Case No.	PS	Date of Next Production

Total Number of Children admitted during the week.....

Total Number of Children released during the week.....

Total Number of Children in the Institution as on.....

Signature

Person-in-charge of the CCI

Date:

FORM 41**[Rule 69 (C) (1)]****PROTECTIVE CUSTODY CARD**

1. Name of the child :
2. Age of the child :
3. Mother's Name :
4. Father's Name :
5. Address of parent/guardians :
6. Date of receiving by Organization/Institution:
7. Name & contact details of the person producing child:
8. Date of Inquiry:

This is to authorize and direct you to receive the above named child in your Child Care Institution and keep her/him in your charge for protective custody under the J.J. Act, 2015.

And to produce the child on

Next Date of hearing.....

(Signature)

**Principal Magistrate/ Member,
Juvenile Justice Board**

FORM 42**[Rules 69 (D) (4)]****OVERNIGHT PROTECTIVE STAY**

Whereas (name of the child)has this day been apprehended/ found to be in need of overnight protective stay at the (Name of the Institution).

The said child has been produced by (Name of the child welfare police officer, fromPolice station ,). The child has been brought along with the required application seeking protective stay, medical report stating the general health condition of the child which has been duly perused by the person in-charge of the Institution.

The said child has been brought to the Institution at (time) and shall be handed over on the following day to the concerned jurisdiction of the child welfare police officer on or before(mention time).

The personal belongings of the child have been thoroughly searched and the following articles (if any) have been handed over to the concerned child welfare police officer.

In case the concerned child welfare police officer fails to report in due time to take custody of the child, such child shall be produced before the Juvenile Justice Board/ Child Welfare Committee by the Officer in charge of the Institution at the earliest.

Copy to:

1. Child Welfare Police Officer
2. Board / Committee
3. The Person in charge of the Institution

Dated this _____ day of _____ 20

(Signature)

The Person-in-charge of the Institution

(Signature)

Child Welfare Police Officer

FORM 43**[Rule 69 (H) (3)]**

**CASE HISTORY OF THE CHILD-
(FOR CHILD CARE INSTITUTION)**

Case/Profile No.....

Date & Time.....

Affix a latest
photograph here

A. PERSONAL DATA

1. Name.....
2. Male / Female (tick the appropriate category)
3. Age at the time of admission.....
4. Present age.....
5. Category (tick as applicable):
 - (i) Separated from family
 - (ii) Abandoned/deserted
 - (iii) Victim of exploitation and violence (give detail)
 - (iv) Run-away
 - (v) Any other
6. Religion
 - (i) Hindu (OC/BC/SC/ST)
 - (ii) Muslim/Christian/Other(pl. specify)
7. Native District & State:
8. Description of the Housing:
 - (i) Concrete building/ Kuchha
 - (ii) Three bedroom/ two bedroom/ one bedroom/ no separate bedroom
 - (iii) Owned / rental
9. By whom the child was brought before the Child Welfare Committee/Juvenile Justice Board (tick as applicable):
 - i. Police-Local Police/Special Juvenile Police Unit/ designated Child Welfare Police Officer / Railway Police/ Women Police
 - ii. Probation Officers

- iii. Social Welfare Organization
- iv. Social Worker
- v. Parent(s)/Guardian (s) (please Specify the relationship)
- vi. Any public servant
- vii. Any public spirited citizen
- viii. Child himself/herself

10. Reasons for leaving the family

- i. Abuse by parent(s)/guardian(s)/step parents(s)
- ii. In search of employment
- iii. Peer group influence
- iv. Incapacitation of Parents
- v. Criminal behaviour of Parents
- vi. Separation of Parents
- vii. Demise of Parents
- viii. Poverty
- ix. Others (please specify)

11. Types of abuse met by the child

- i. Verbal abuse – parents/siblings/ employers/others (pl. specify)
- ii. Physical abuse
- iii. Sexual abuse parents/siblings/ Employers/others(Pl. specify)
- iv. Others – parents/siblings/ employers/others (pl. Specify)

12. Types of ill-treatment met by the child.

- i) Denial of food –parents/siblings employers/other (pl. specify)
- ii) Beaten mercilessly-parents/ Siblings/employers/other (pl. specify)
- iii) Causing injury – parents/ siblings/employers/other (pl. specify)
- iv) Detention - parents/ siblings/employers/other (pl. specify)
- v) Other (please Specify)

13. Exploitation faced by the child

- i) Extracted work without payment
- ii) Little (low) wages with longer duration of work
- iii) Others (pl. specify)

14. Health status of the child before admission.

i)	Respiratory disorders	- present / not known / absent
ii)	Hearing impairment	- present / not known / absent

iii)	Eye diseases	- present / not known / absent
iv)	Dental disease	- present / not known / absent
v)	Cardiac diseases	- present / not known / absent
vi)	Skin disease	- present / not known / absent
vii)	Sexually transmitted diseases	- present / not known / absent
viii)	Neurological disorders	- present / not known / absent
ix)	Mental handicap	- present / not known / absent
x)	Physical handicap	- present / not known / absent
xi)	Urinary tract infections	- present / not known / absent
xii)	Others (pl. specify)	- present / not known / absent

15. With whom the child was staying prior to admission

- i. Parent(s) – Mother / Father / Both
- ii. Siblings / Blood relative
- iii. Guardian(s) – Relationship
- iv. Friends
- v. On the street
- vi. Night shelter
- vii. Orphanages / Hostels/ Similar Homes
- viii. Other (pl. specify)

16. Visit of the parents to meet the child

Prior to institutionalization- Frequently / Occasionally / Rarely / Never

After institutionalization - Frequently / Occasionally / Rarely / Never

17. Visit of the Child to his parents

Prior to institutionalization - Frequently / Occasionally / Rarely / During festival times / During summer holidays / Whenever fallen sick / Never

After institutionalization-- Frequently / Occasionally / Rarely / During festival times / During summer holidays / Whenever fallen sick / Never

18. Correspondence with parents -

Prior to institutionalization – Frequently / Occasionally / Rarely / During festival times / During summer holidays / Whenever fallen sick / Never

After institutionalization – Frequently / Occasionally / Rarely / During festival times / During summer holidays / Whenever fallen sick / Never

19. Details of disability

20 Type Family: Family / joint family/ broken family / single parent

21. Relationship among the family members:

i) Father & mother	Cordial/ Non-cordial/ Not known
ii) Father & child	Cordial/ Non-cordial/ Not known
iii) Mother & child	Cordial/ Non-cordial/ Not known
iv) Father & siblings	Cordial/ Non-cordial/ Not known
v) Mother & siblings	Cordial/ Non-cordial/ Not known
vi) Child & siblings	Cordial/ Non-cordial/ Not known
vii) Child & relative	Cordial/ Non-cordial/ Not known

22. History of crime committed by family members, if any:

S. No.	Relationship	Nature of Crime	Legal status of the case	Arrest if any Made	Period of confinement	Punishment Awarded
1.	Father					
2.	Step father					
3.	Mother					
4.	Step mother					
5.	Brother (a) (b) (c) (d)					
6.	Sister (a) (b) (c) (d)					
7.	Child					
8.	Others (uncle/ aunty/ grandparents)					

23. Properties owned by the family:

- i. Landed properties (pl. specify the area)
- ii. Household articles- Cows/ Cattle/ Bull

- iii. Vehicles- two wheeler/ three wheeler/ four wheeler (lorry/ bus/ car/ tractor/ jeep)
- iv. Others (please specify)

24. Marriage details of family members:

- | | |
|--------------|----------------------------|
| i) Parents | Arranged/ Special Marriage |
| ii) Brothers | Arranged/ Special Marriage |
| iii) Sisters | Arranged/ Special Marriage |

25. Social activities of family members:

- i. Participate in social and religious functions
- ii. Participate in cultural activities
- iii. Does not participate in social and religious functions
- iv. Not known

26. Parental care towards child before admission:

- i. Over protection
- ii. Affectionate
- iii. Attentive
- iv. Not affectionate
- v. Not attentive
- vi. Rejection

ADOLESCENCE HISTORY (Between 12 and 18 years)

27. At what age did the child attain puberty?

28. Details of delinquent behaviour if any

- i. Stealing
- ii. Pick pocketing
- iii. Arrack selling
- iv. Drug pedaling
- v. Petty offences
- vi. Violent crime
- vii. Rape
- viii. None of the above
- ix. Others (please specify)

29. Reason for delinquent behaviour

- i. Parental neglect
- ii. Parental overprotection
- iii. Parents criminal behavior

- iv. Parents influence (negative)
- v. Peer group influence - To buy drugs/alcohol
- vi. Others (pl. specify)

30. Habits

A	B
i) Smoking	i) Watching TV/movies
ii) Alcohol consumption	ii) Playing indoor/outdoor games
iii) Drug use (specify)	iii) Reading books
iv) Gambling	iv) Religious activities
v) Begging	v) Drawing/painting/acting/singing
vi) Any other	vi) Any other

EMPLOYMENT DETAILS**31. Employment details of the child prior to entry into the Home:**

S.No.	Details of employment	Timing and Duration	Wages earned
i)	Cooly		
ii)	Rag picking		
iii)	Mechanic		
iv)	Hotel work		
v)	Tea shop work		
vi)	Shoe polish		
vii)	Household works		
viii)	Others (pl specify)		

32. Details of income utilization:

Sent to family to meet family need

- i. For dress materials
- ii. For gambling
- iii. For prostitution
- iv. For alcohol
- v. For drug
- vi. For smoking
- vii. Savings

33. Details of savings

- i. With employers
- ii. With friends

- iii. Bank/Post Office
- iv. Others (pl. specify)

34. Duration of working hours

- i. Less than six hours
- ii. Between six and eight hours
- iii. More than eight hours

EDUCATIONAL DETAILS

35. The details of education of the child prior to the admission to Children's Home

- i. Illiterate
- ii. Studied up to V Standard
- iii. Studied above V Std but below VIII Standard
- iv. Studied above VIII Std but below X Standard
- v. Studied above X Standard

36. The reason for leaving the School

- a. Failure in the class last studied
- b. Lack of interest in the school activities
- c. Indifferent attitude of the teachers
- d. Peer group influence
- e. To earn and support the family
- f. Sudden demise of parents
- g. Rigid school atmosphere
- h. Absenteeism followed by running away from school
- i. There is no age appropriate school nearby
- j. Others (pl. specify)

37. The details of the school in which studied last:

- i. Corporation/Municipal/Panchayat-
- ii. Government/SC Welfare School/BC Welfare School
- iii. Private management/ Convents

38. Medium instruction: Hindi/English/Urdu/Tamil/Malayalam/Kannada/ Telugu/ Marathi / Gujarati/ Bengali / Other language (please specify)

39. After admission to Children's Home, the educational attainment from the date of admission till date;

No. of years Class studied Promoted /detained

40. Vocational training undergone form the date of admission into Children's Home till date.

No. of years
Name of Vocational Trade
Proficiency Attained
Details of certification?

41. Extra-curricular activities developed from the date of admission into the Children's Home till date

- i) Scout
- ii) Sports (please specify)
- iii) Athletics (please specify)
- iv) Drawing
- v) Painting
- vi) Others (pl. specify)

MEDICAL HISTORY

42. Height and weight at the time of admission:

43. Physical condition:

44. Medical history of child (gist):

45. Medical history of parent/guardian (gist):

46. Present health status of the child:

Sl. No.	Annual Observation	1 st Quarter	2 nd Quarter	3 rd Quarter	4 th Quarter
	Date of Review				
	Height				
	Weight				
	Nutritious diet given				
	Stress				
	Dental				
	ENT				
	Eye				

47. Height and Weight Chart

Date, Month and Year	Height	Admissible Weight	Actual Weight

SOCIAL HISTORY

48. Details of friendship prior to admission into Children's Home:

- i. Co-workers
- ii. School/Classmate
- iii. Neighbours
- iv. Others (pl. specify)

49. Majority of the friends are

- i. Educated
- ii. Illiterate
- iii. The same age group
- iv. Older in age
- v. Younger in age
- vi. Same sex
- vii. Opposite sex

50. Details of membership in group (please specify details)

- i. Associated with cine fans association
- ii. Association with religious group
- iii. Associated with arts and sports club
- iv. Associated with gangs
- v. Associated with voluntary social service league
- vi. Others (please specify)

51. The position of the child in the groups/league

- i. Leader
- ii. Second level leader
- iii. Middle level functionary
- iv. Ordinary member

52. Purpose of taking membership in the group:

- i. For social service activities
- ii. For leisure time spending
- iii. For pleasure seeking activities
- iv. For deviant activities
- v. Others (please specify)

53. Attitude of the group / league

- i. Respect the social norms and follow the rules
- ii. Interested in violating the norms
- iii. Impulsive in violating the rules

54. The location/meeting point of the groups

- i. Usually at fixed place
- ii. Places are changed frequently
- iii. No specific places
- iv. Meeting point is fixed conveniently

55. The reaction of the society when the child first came out of the family

- i. Supportive
- ii. Rejection



- iii. Abuse
- iv. Ill-treatment
- v. Exploitation

56. The reaction of the police towards children

- i. Compassionate
- ii. Harsh
- iii. Aggressive and abusive
- iv. Exploitative
- v. Ill-treated

57. The response of the general public towards the child

HISTORY OF THE CHILD (Brief)

- (i) Education
- (ii) Health
- (iii) Vocational training
- (iv) Extra curricular activities
- (v) Others

Suggestion of Child Welfare Officer/ Probation Officer after orientation to child and the response towards orientation.

Follow up by Child Welfare Officer/ Probation Officer/ Case Worker/ Social Worker

Quarterly Review of Case History by Management Committee

**PERSON IN CHARGE/ SUPERINTENDENT/ CHILD
WELFARE OFFICER/ PROBATION OFFICER**

FORM 44

[Rule 82 (1)]

RELEASE CUM RESTORATION ORDER

(Name of the Child).....son/ daughter of..... residence.....
Case No./ Profile Number..... who was ordered to be placed in an observation home/place of
safety/ special home/Children's Home/ by the Juvenile Justice Board/ Children's Court/ Child Welfare
Committeeunder section..... of the Juvenile Justice (Care and Protection of
Children) Act 2015, for a term of..... on theday of.....20.....and
who is now in the Institution, at.....is directed to be released from the
said.....Institution and supervision and the authority of..... during the remaining period of stay
as.....reason for discharge).

This order is granted subject to the conditions hereon, upon the breach of any of which it shall be
liable to be revoked.

Dated

Signature

Juvenile Justice Board/ Children's Court/ Child Welfare Committee

Place:

**Conditions:**

1. The discharged person shall proceed to..... and live under the supervision and authority of..... until the expiry of the period of his stay in Children's Homes or fit facility/ detention in observation home/ special homes/ place of safety unless the remission is sooner cancelled.
2. He shall not, without the consent of the.....remove himself from that place or any other place, which may be named by the said
3. He shall obey such instruction as he may receive from the saidwith regard to punctual and regular attendance at school/vocation or otherwise.
4. He shall not get involved in any offence and shall lead a sober and industrious life to the satisfaction of.....
6. In the event of his committing a breach of any of the above conditions the remission of the period of stay in the Institution hereby granted shall be liable to be cancelled and on such cancellation he/she shall be dealt with under section 97 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act 2015.

I hereby acknowledge that I am aware of the above conditions which have been read over/ explained to me and that I accept the same.

(Signature or mark of the released child)

Certified that the conditions specified in the above order have been read over/explained to (Name of child).....and that he/she has accepted them as the conditions upon which his/her release may be revoked.

Certified accordingly that the said child has been discharged on the.....

Signature and Designation of the certifying authority

i.e. Person-in-charge of the institution

FORM 45

[Rules 82(4)]

ESCORT ORDER

Case No.....

In the matter of Boy/Girl Child

.....

Aged about.....year taken

The Parents of the boy/girl child are reported to be residing at.....

He/She therefore be sent under supervision of a proper police / recognized non governmental organization escort to the.....

For tracing and for handing over to the parents or close relatives of the said Boy Child/Girl Child residing at the aforesaid address or at other Place which may be shown by the Child, if no such parents or relative are traced or if traced but they are unwilling to take charge of the boy/girl be kept in the custody of the Superintendent.....Children's Home/ Place of Safety/ Observation Homes of the said district and the said Boy/Girl child be produced before the concerned Child Welfare Committee/ Juvenile Justice Board for further orders.

Orders

Pending Escort, the said Boy/Girl Child shall remain in Children's Home/ Place of Safety/ Observation Homes, residing at present at----- The State/District Child Protection Unit, or Police Department and recognized Non-governmental organization/ Childline shall positively make immediate arrangement not less than 15 days from the date of receipt of this order by him and send the said Boy Child/Girl Child at his/her aforesaid place of residence.

Dated this.....day of.....20

Chairperson/Member
Child Welfare Committee
Juvenile Justice Board

CC to:

1.The Person in charge, Child Care Institution.

2.The District Child Protection Unit or non-governmental organization or Childline

Ref.: 1. Order of admission of minor.....born on.....Profile No.....

FORM 46**[Rule 41(3) and 41 (9)]****INSPECTION BY INSPECTION COMMITTEE**

(Fill as applicable)

Date of visit: Time of visit:

Name of the officials inspecting the Home:

1.
2.
3.

A. General Information :

i. Name and address of the Organisation:

.....
.....

ii. Registration No. (Under JJ Act, 2015):

Date of issue :

Date of expiry :

iii. Complete address of the CCI :

.....
.....
.....

iv. Name of the Officer/Person-in-Charge:

.....

v. Contact No: Email Id:

.....

vi. Type of Home (Please tick ☐ one):

Observation Home/ Special Home/ Place of Safety/ Children's Home/ Open Shelter / Any other (please specify):

vii If Aided/supported: by State Government, Name of the Department:

viii If run by Government:

B. Status of Children:

(i) Sanction capacity of the Home.....

(ii) Are the children of both sexes below 10 years kept in the same home

Yes ☐ No ☐

If yes, number of such children as on today.....

(iii) Are the bathing and sleeping facilities maintained separately for boys and girls in the age group of 5-10 years

Yes ☐ No ☐

(iv) Are children segregated in the age group given below? Give number of children in the age group of

i. 7-11 years:

ii. 12- 18 years:

iii. Are there children in the age group of 0-5 years staying there?

Yes ☐ No ☐ If yes, Give numbers:

iv. Are there children above 18 years staying there?

Yes ☐ No ☐ If yes, Give numbers:

v. No. of new admissions in the current month.....

vi. No. of children who have moved out/released.....

vii. No. of children referred by CWC/JJB during the month.....

viii. No. of children produced before CWC/JJB during the month.....

ix. No. of children as on last day of the previous month

x. No. of children with special needs, if yes, give details.....

xi. Interventions made for their rehabilitation:

.....

.....

.....

.....

xii. Are the Individual care plans prepared for every child? Yes

☐

No

☐

C. Infrastructure:

• Building:

• Rented:..... Owned.....

- Are CCTV cameras installed at the entrance Yes ☐ No ☐
- Security Adequate Inadequate
- Sufficient space to accommodate the children: Yes ☐ No ☐

Space available:

No. of rooms / dormitories	Details
Provision of sick room / medical unit	
Counseling room	
Recreational / activity room for Children • Is there a TV set available with Cable network • How often are children allowed to view TV • Are children playing games indoors • What games are available to them • Are children playing games outdoors • Do they have equipments/ accessories to play • Do children go for picnics/excursions • Do they have interactions with eminent personalities • Is there a recreation room available to children	Yes No in the evenings or any time Yes No age appropriate games or not Yes No Yes No Yes No Yes No
Kitchen / Dining Room • Is the cooking area and pantry separate • Do children get individual thalis, mugs glasses • Are cooking utensils adequate and clean • Is there a fridge available for children • Is there a Oven available for children • Is there a Gas stove available in kitchen • Is there a chimney available • What is the arrangement to keep the gas cylinders • Adequate water supply for washing, cooking • Adequate drinking water available (RO)	Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No safe/away from children or not Yes No Yes No Yes No

Clothing / Bedding/Lockers/ Toiletries provided to the children:

- | | | |
|--|--------------------|----|
| • Are the clothes provided as per size and season | Yes | No |
| • Frequency of changing undergarments | Yes | No |
| • New clothes are stitched or bought | stitched or bought | |
| • Are the mattresses given individually | Yes | No |
| • Are pillows given individually | Yes | No |
| • Are the mattress and pillows clean | Yes | No |
| • Do children have separate cupboards | Yes | No |
| • Are bed sheets and Khes available | Yes | No |
| • Are blankets available in winters | Yes | No |
| • Number of sets provided on arrival | one/two/three/four | |
| • Frequency of providing new clothes | Monthly/ Quarterly | |
| • Are these sets of same color or different colors? | Same/different | |
| • Are children provided with individual lockers to keep their personal items | Yes | No |

Other articles provided to the children:

D. Services provided to the children:

- Medical facilities/ Maintenance of Health Cards:

- Nutrition / Special Diet:

- Provision of safe drinking water:

- Daily Routine of Children:

Time	Activities / Schedule
Morning	
Day Time	
Afternoon	
Evening	
Late evening/ Night	

- Education (Formal Education / NFE & Life Skill Training Programme) :

.....

- Computer/ Internet/ Phone

- Is the facility of Computer with internet available? Yes No
- Is the facility functional? Yes No
- Are the children allowed to use the facility? Yes No
- Is the telephone for official purposes only Yes No
- Are the children allowed to use telephone fixed timing/ as and when required
- Is the number of Childline (1098) displayed near the phone Yes No

- Counseling/ Guidance services/special educator/physiotherapist, etc. provided :

.....

- Vocational training:

.....

- Recreational facilities:

.....

- Linkages developed with other agencies/ departments:

.....

- Implementation of track the missing child programme:

- Entries of children in track the missing child website:

.....

- User Id and password provided:

.....

• Other programmes and activities initiated:

.....

.....

E. Staff Details :

S.N.	Name	Designation	Date of Joining	Attendance at the time of visit	Remarks
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

F. Children's Committee / Management Committee

- Formation of Children's Committee :

YES

NO

- Age wise formation of Children's Committee :

- Frequency of Children's Committee Meeting:

-

- Formation of Management Committee :

YES

NO

- Date of constitution of Management Committee and frequency of meetings held :

G. Record Maintenance :

Staff attendance register	
Children attendance register	
Central admission register	
Individual case file with individual care plan	
Communication with CWC/JJB	
Children's suggestion book Children's suggestion box	
Medical file / medical cards	
Personal belongings register	
Management Committee – minutes register	
Children's Committee - minutes register	
Nutrition / Diet File	
Any other record maintained	

Observations/ Remarks:

.....
Name of inspection Committee member:

Signature:

Name of inspection Committee member:

Signature:

Name of inspection Committee member:

Signature:

Name of inspection Committee member:

Signature:

[F. No.1-2/2016-CW-II]

RASHMI SAXENA SAHNI, Jt. Secy.